(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-2 अष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का बाइसवां दिवस [संख्या-16

मंगलवार,

दिनांक 23 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू.

11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री दीपचन्द।

संस्कृत मिडिल पाठशाला, भवानी मंडी

455. श्री दीपचन्द (डग) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत मिडिल पाठशाला, भवानी मण्डी के बारे में कई शिकायतें विभाग में प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या इस संस्था को दिये गये 80 प्रतिशत अनुदान का सही उपयोग हुआ है ? अगर नहीं, तो संस्था के प्रधानाध्यापक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सच है कि अध्यापकों को वेतन ज्यादा दिखा कर कम दिया जाता है ? क्या एक अध्यापक प्रतिमाह एक निश्चित राशि डोनेट कर सकता है ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी, हां।

(2) संस्था के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध राजस्थान अनुदान नियम 1963 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी

(3) राजस्थान अनुदान नियम 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार की भांति वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। संस्था के विरुद्ध कम वेतन दिये जाने की शिकायत निदेशक को दिनांक 25-5-85 को प्राप्त हुई इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री दीपचन्द : माननीय अध्यक्षमहोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं कि उस संस्था के पास स्वयं का भवन है, दो बीघा जमीन है, पूरा खेलने का मैदान है। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं, मैं आपको नाम दे रहा हूं कि श्रीमती सविता देवी जिसको पांच माह से वेतन नहीं

(श्री दीपचन्द)

दिया गया है लेकिन संस्था ने वेतन उठा लिया है। इसी तरह से श्रीमती रमादेवी छः माह पहले ही इस्तीफा देकर अन्यत्र चली गई है लेकिन उसके जाली हस्ताक्षर बना कर वेतन उठा लिया गया है। क्या यह भी सही है कि श्री भैरूंलाल शर्मा पांच माह से दूसरी स्कूल में अध्यापक बन गए हैं लेकिन उनका आज भी संस्कृत पाठशाला से वेतन उठाया जा रहा है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े सात सौ रुपया प्रतिमाह के हिसाब से अध्यापकों का वेतन उठाया जाता है लेकिन उनको कुल ढाई सौ, तीन सौ रुपया प्रति-माह वेतन दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछिए।

श्री दीपचन्द : क्या यह सत्य है कि हर एक अध्यापक पचास रुपया प्रति माह उस संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापक को देता है और क्या इसकी जांच की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है उसमें प्रधानाध्यापक द्वारा गबन किया जा रहा है, क्या आप इसकी जांच करवा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : अब बहुत प्रश्न हो गए हैं।

श्री दीपचन्द : एक क्वश्चन और। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि उस प्रधानाध्यापक ने अपनी एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी चला रखी है और इस स्कूल से पांच लाख का गबन करके वह रुपया पाठशाला से उठा लिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है वह 25.5.85 को हंसराज महेश्वरी अध्यापक, श्री राधेश्याम संस्कृत पूर्व प्रवेशिका पाठशाला भवानीमण्डी से प्राप्त हुई है। उसमें आठ मुद्दे शिकायत के हैं जिनमें अध्यापकों को तीन सौ रुपये पर नियुक्त किया जाता है। एक माह पश्चात् अध्यापक का वेतन चार सौ रुपया प्रतिमाह इस शर्त पर प्राप्त होता है कि वह पचास रुपये प्रति-माह प्रधानाध्यापक को देगा। अध्यापकों से पे सीट पर साढे सात सौ या साढे नौ सौ रुपया प्रतिमाह के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। श्री भैरूंलाल प्रधानाध्यापक ने दिसम्बर, 84 में त्यागपत्र दे दिया था लेकिन तीन माह तक जाली हस्ताक्षर करके मौजूदा प्रधाना-ध्यापक ने वेतन पाया। श्रीमती रमादेवी ने त्यागपत्र दे दिया था उनका वेतन भी प्रधानाध्यापक ने छः माह तक उठाया। श्रीमती सविता श्रीवास्तव का भी वेतन प्रधानाध्यापक ने पांच माह तक उठाया। प्रधानाध्यापक के खिलाफ गबन का मामला भी चला था। जाली ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम से व्यापार करता है। अन्य शिकायतों में टी. सी. काटना, अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करना इत्यादि। यह इनके खिलाफ शिकायतें हैं। इनकी जांच के लिए विभाग ने अजीतसिंह, लेखाधिकारी संस्कृत शिक्षा निदेशालय को 15-6-85 को नियुक्त किया

(श्रीमती कमला)

है और वह जांच कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करूंगी कि यह शिकायतें तो हैं, इनके अलावा भी और कोई शिकायत आपको देनी हो तो आप लिखित में दे दें, मैं इसके साथ ही जांच करवा लूंगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या माननीय मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जो अनुदान दिया जाता है वह प्रधानाध्यापक को दिया जाता है या किसी संस्था को दिया जाता है। अगर संस्था को दिया जाता है तो क्या यह रजिस्टर्ड संस्था है और यदि हां, तो इसके पदाधिकारी कौन कौन हैं?

श्रीमती कमला : अनुदान तो संस्था को ही दिया जाता है और संस्था में जो वितरण करने के लिए अधिकृत है वह वितरण करता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कितना अनुदान दिया जाता है?

श्रीमती कमला : अनुदान 80 प्रतिशत दिया जाता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक्चुअल राशि कितनी दे रहे हैं।

श्रीमती कमला : एक्चुअल राशि वही होती है जितना उनका साल भर का खर्चा है उसका 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक्चुअल कितनी राशि दी जा रही है?

श्रीमती कमला : राशि मुझे अभी मालुम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा (पिलानी) : शिकायत आने के पश्चात् क्या इस संस्था का अनुदान रोक लिया गया है?

श्रीमती कमला : अनुदान दिया जाता है उसके बाद में वह अपना काम करते रहते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : मैं यह पूछ रही हूं कि इस संस्था के खिलाफ शिकायत आने के बाद में आपने अनुदान रोका क्या?

श्रीमती कमला : अनुदान की इनको कितनी किस्त दी जा चुकी हैं और कितनी बाकी हैं, इसके बारे में अभी मेरे पास में विवरण नहीं है। लेकिन अगर कोई अनुदान बाकी है तो हम जरूर रोक लेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस साल कितना अनुदान दिया गया?

श्री अध्यक्ष : श्री दीपचन्द।

श्री दीपचन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग 3 में मैंने यह पूछा है कि अध्यापकों को वेतन ज्यादा दिखाकर कम दिया जाता है और क्या एक अध्यापक प्रति माह एक निश्चित राशि डोनेट कर सकता है?

श्री अध्यक्ष : यह बता दिया है कि अध्यापकों को कम वेतन देने की शिकायत है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

कृपया बैठें। नेक्स्ट। श्री ग्यारसीलाल।

भूमि विकास बैंक, टौंक

456. श्री **ग्यारसीलाल परिड़वाल** (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूमि विकास बैंक, टौंक के कौन-कौन कब कब से पदाधिकारी हैं ?

(2) बैंक की इस वर्ष कितने प्रतिशत की बकाया की वसूली हुई है ?

(3) बैंक का अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ, और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया अंकेक्षण प्रतिवेदन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री शीशराम ओला) :

(1) टौंक सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रशासक श्री जी. खान परियोजना निदेशक, टौंक दिनांक 21-5-85 से हैं।

(2) इस वर्ष बैंक की वसूली मांग की 52.59 प्रतिशत हुई है।

(3) बैंक का अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 माह जनवरी, 84 में प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 25-1-84 को बैंक को प्रेषित किया गया। आडिट आक्षेप भाग "अ" की पूर्ति रिपोर्ट बैंक ने दिनांक 29-6-85 को समवर्ती अंकेक्षक को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी है। जो विचाराधीन है तथा अन्य की अनुपालना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित मुख्य-मुख्य आक्षेपों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(आडिट आक्षेप के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 21.5.85 से पहले जो निदेशक थे उनका नाम भी बताया जावे।

श्री शीशराम ओला : क्या पूछा ?

श्री अध्यक्ष : 21.5.85 से पूर्व कौन निदेशक थे ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : उस वक्त आप भी नहीं थे।

श्री शीशराम ओला : 1980–81 से....

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : अध्यक्ष महोदय, 21.5.85 को ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शीशराम ओला : तसल्ली रखिये।

श्री डालूराम मीणा, प्रशासक 22.3.80 से 13 1.81 तक रहे जो अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी टौंक थे। श्री बी. एल. भाटिया, 14.1.81 से 16.6.81 तक रहे जो परियोजना निदेशक लघु विकास अभिकरण टौंक थे। श्री चतुरभुज, विधायक अध्यक्ष रहे 17.6.81 से 24.5.84 तक रहे। श्री जगदीश चन्द्र शर्मा प्रशासक 21 6.84 से 5.5.85 तक रहे।

(श्री शीशराम ओला)

उसके बाद में रहे श्री जी. एम. खान, जैसा मैंने बता दिया, 26.5.85 से लगातार।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो वसूली की जाती है उसके लिये जो जीप या वाहन दिया जाता है, जो वाहन दिये गये निवाई विधान सभा क्षेत्र में, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जीप पर कितना खर्चा आया ?

श्री अध्यक्ष: पृथक प्रश्न है। माननीय सदस्य। नेक्स्ट। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय मन्त्री महोदय क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे, यह बैंक सहकारी संस्था है, इस बैंक का आडिट हुआ है, उसमें अनियमितताओं के और आडिट के आक्षेप आये हैं उनके निराकरण के लिये किस प्रकार से कार्यवाही की जाती है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बता दिया ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं बताया।

श्री शीशराम ओला : सक्षम आडिट अधिकारी के पास आक्षेप भेज दिये गये हैं उसके बाद जो निर्णय आयेगा, उसके बाद आगे एक्शन होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं है अध्यक्ष महोदय, सारे जितने सहकारी बैंक हैं और भूमि विकास बैंक हैं उनके जो आक्षेप और आडिट के आक्षेप आते हैं उनके बंडल बन्ध कर हजारों लाखों की संख्या में यहां दफ्तर में पड़े हुए हैं। उनकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार भूमि विकास बैंक के बारे में जो आडिट आक्षेप आते हैं, आज 81-82 का चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुराने सारे के सारे हजारों की संख्या में पड़े हैं। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, अभी जिन्होंने आडिट किया है इन बैंकों का, कुछ समय बाद वही अधिकारी वहां चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह आडिट करने वाले लोग सारे मिल कर हजारों रुपये, करोड़ों रुपये का इस प्रकार गबन करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस पुराने विभाग के पास इसकी नियमित व्यवस्था नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इसके कारण सारा मामला गड़बड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप सीमा से आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट। श्री भाभड़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा चक्कर पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, यह टौंक के भूमि विकास बैंक का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज । बैठें, कृपया बैठें ।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : मैं यह जानना चाह रहा था, जितना ऋण गांव के व्यक्तियों को देते हैं उससे सम्बन्धित भूमि विकास बैंक है उसका उससे ज्यादा खर्चा उस जीप पर, वाहन पर हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग से प्रश्न है । आपने पूछा नहीं है इसमें । इसलिये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं जवाब की । श्री भाभड़ा । आर्डर प्लीज ।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : यह जानकारी आना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप स्पष्ट पूछें, ध्यान रखें।

माननीय सदस्य, बैठें । माननीय सदस्य, पुकार लिया है । आप बैठें कृपया । माननीय सदस्य, आर्डर । कृपया बैठें । आप बैठें कृपया । आप बैठें माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह (टोड़ारायसिंह) : यह जो पालिटिकल रूप से अपाइन्टमेंट कर रहे हैं यह दुरुपयोग कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें कृपया । 457

प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेण्टर्स द्वारा तैयार एक्स-रे रिपोर्ट्स

457. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़): क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में प्राइवेट रूप से चल रहे डायग्नोस्टिक सेण्टर्स पर एक्स-रे करके लिखी जाने वाली रिपोर्ट रेडियोलोजिस्ट द्वारा नहीं लिखी जा कर सामान्य डाक्टरों द्वारा अथवा अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही लिख दी जाती है ? यदि हां, तो इस घातक प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री छोगाराम बकोलिया) : प्राइवेट रूप से चल रहे डायग्नोस्टिक सेण्टर्स पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । प्राइवेट रूप से चलाई जाने वाली ऐसी संस्थाओं पर नियन्त्रण का सम्बन्धित मामला विचाराधीन है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं मन्त्री महोदय से पूछूं, मैं एक आपकी व्यवस्था चाहूंगा । मैंने जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न के एक भाग को डिलीट कर दिया गया है । और क्या इस प्रकार की व्यवस्था आपने दी है ? मैं पढ़ कर सुना देता हूं दूसरा हिस्सा जिसको डिलीट किया है । वह यह है, कृपया राजस्थान में कार्यरत प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर तथा वहां पर एक्सरे के बाद रिपोर्ट लिखने हेतु कार्यरत डाक्टरों की सूची उनकी योग्यता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें । इसको इस प्रश्न से हटा दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : क्यों ?

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : इनके पास रेकार्ड ही नहीं है ।

श्री शिवचरण सिंह (करोली) : राज पर अंकुश नहीं है, राज के अधिकारी दबते नहीं हैं इनसे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो पूछा है कि राजस्थान में कार्यरत प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेण्टर तथा वहां पर एक्सरे के बाद रिपोर्ट लिखने हेतु कार्यरत डाक्टरों की सूची उनकी योग्यता सहित सदन की की मेज पर रखे । वह तो सब प्राइवेट ही प्राइवेट हैं । यह सूची की जानकारी सरकार से मांगा जाना....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, वह मना कर दें । वह कह दे—

श्री अध्यक्ष : सब प्राइवेट ही प्राइवेट है । क्वेश्चन यह नहीं है....

(व्यवधान)

आर्डर माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जिस तरह से इन्होंने अभी जवाब दिया है कि प्राइवेट डायग्नोस्टिक वालों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, यह भी कह देते कि—

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का एडीटिंग होता है, एडीटिंग जब प्रश्न का होता है उस एडीटिंग में इसको निकाला हुआ है । इस लिये मैं इसको आपसे....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा निवेदन यह है इस तरह से नहीं होना चाहिये । सरकार को अगर नहीं मालूम है तो, नहीं मालूम है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । आर्डर माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब मेरा सवाल यह है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कुछ बातें जो सर्वविदित हैं, यह जो डायग्नोस्टिक सेंटर है इनकी रिपोर्ट पर ही निदान होता है, इलाज होता है । यदि किसी रोगी की गलत रिपोर्ट आयी डायग्नोसिस होकर तो उसका निश्चित रूप से इलाज भी गलत होगा । मेरी अपनी सूचना है कि जयपुर में इस तरह के 60 से अधिक सेण्टर काम कर रहे हैं जिनमें एक्स-रे मशीन लगी हुई है । उन 60 सेंटर में से केवल तीन जगह रेडियोलोजिस्ट है जो कि सक्षम है इस प्रकार की रिपोर्ट करने के लिए । इसका परिणाम तो लोगों को भुगतना पड़ता है लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, आपने यह जो कहा है कि विचाराधीन है, मेरे इस प्रश्न के बाद

(8)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

विचाराधीन हुआ है या आप कब से इस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो अच्छी बात है, आपने जागरूक तो कर दिया। यह अच्छी बात है। जागरूक हो जाय तो इतना ही ठीक है।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भाभड़ा साहब ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बिल्कुल एप्रोप्रियेट दिया है। इससे ज्यादा कोई लिफ्ट और दूसरे की आवश्यकता नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री छोगाराम बकोलिया : एक मिनट।

चूंकि इन्होंने प्रश्न रखा था उसमें प्राइवेट रूप से जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उन पर राज्य सरकार का अभी तक कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण उसकी सूची आपको नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : वह तो बात हो गई। आप आगे पूछ रहे हैं। प्रश्न एक ही पूछा है सप्लीमेंटरी। आपसे सप्लीमेंटरी यह पूछा है कि आपने जो विचाराधीन की बात कही, कब से शुरू किया है।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं बता रहा हूं।

दूसरा, माननीय सदस्य ने जो अपनी तरफ से बताया कि इस प्रकार की रिपोर्ट रेडियोलोजिस्ट या अन्य किसी डाक्टर, जो अनअथोराइज्ड हैं, के द्वारा की जाती हैं उससे सीरियसनेस आती है और उसका निदान अच्छी तरह से नहीं होता है। माननीय सदस्य को पता होना चाहिये, जो प्राइवेट क्लिनिक डायग्नोसिस करके एक्स-रे प्लेट देती हैं, प्लेट देने के बाद डाक्टर उस प्लेट को स्वयं देखता है। देखने के बाद वह खुद जांच करता है। जांच करके क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट लेकर उसके बाद उसका उपचार लिखता है। इसलिये प्राइवेट डाइग्नोस्टिक सेंटर अपनी प्लेट देता है वह प्लेटें किसी के द्वारा भी बनायी हुई हो, लेकिन आथोराइज्ड डाक्टर जब उसका एग्जामिनेशन करता है तो बिल्कुल सही निदान के रूप में करता है, उसमें कोई सीरियस होने वाली बात नहीं रहती है। दूसरा उन्होंने कहा कि यह मेरे प्रश्न करने के बाद विचाराधीन हुआ है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मामला अब विचाराधीन है।

चूंकि पहले हमारे यहां पर, कुछ राज्यों के अन्दर इस प्रकार के एक्ट, अधिनियम बने हुए थे, उन अधिनियमों के तहत हमारे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का अधिनियम नहीं था। पूरे देश के अन्दर त्रिपुरा, महाराष्ट्र...

श्री अध्यक्ष : आप तो जो पूछा है उसकी बात बताओ ना कि क्या करोगे। आपको जो पूछा है वह बता दीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि इनके पास सूचना नहीं है क्योंकि वह गवर्नमेंट कण्ट्रोल नहीं करती है। तो यह कैसे कह सकते हैं कि वह सारे के सारे सक्षम है, सही रिपोर्ट देते हैं, वेस्ट क्वालिफाइड हैं? जब इनको ज्ञान ही नहीं है—

श्री अध्यक्ष : यह नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने यह कहा....

एक माननीय सदस्य : विचाराधीन नहीं, विचार आधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, बैठें।

उन्होंने कहा कि डाक्टर जो रिपोर्ट देता है उस डाक्टर के पास आती है। वह डाक्टर उसको एग्जामिन करता है जो डाक्टर इलाज कर रहा है। उसके लिये कहा है उन्होंने।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न के जवाब में इन्होंने कहा कि सारे के सारे डाइग्नोस्टिक सेंटर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका मतलब यह था कि जो रिपोर्ट आती है वह गवर्नमेंट के डाक्टर के पास आती है वह खुद उसको एग्जामिन करके देखता है! आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब पूरा कर देता हूं, माननीय सदस्य ने जो पूछा है हमने उसके लिए प्रारूप तैयार करने के लिए 25.4.77 को प्रपोजल दिए थे, लेकिन प्रारूप अभी तैयार नहीं हुआ। मैंने पहले ही इसके डायरेक्शन इश्यू कर दिए और एक महीने में विधेयक का प्रारूप तैयार होकर मेरे पास आएगा। इसमें डिले के कारणों को एग्जामिन कराया जाएगा और दोषी आदमी पर....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के इस जवाब से पता लगा कि या तो मैं उन्हें नहीं समझा या मंत्री महोदय नहीं समझे, जो एक्स-रे प्लेट देने वाला रेडियोलोजिस्ट है उसकी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद डाक्टर किसी निर्णय पर पहुंचता है, खाली एक्स रे प्लेट को देखकर एक्स रे प्लेट को तो आप भी देख सकते हैं लेकिन रेडियोलोजिस्ट उसका स्पेशलिस्ट होता है और एक्स-रे में क्या आया है उसकी विशेष रिपोर्ट बनाता है इसलिए उसकी रिपोर्ट का महत्व है जिसके आधार पर डाक्टर अपने ज्ञान से कन्फर्म करके प्रेस्क्रिप्सन लिखता है। लेकिन वेस रेडियोलोजिस्ट का है। यदि रेडियोलोजिस्ट अपनी रिपोर्ट नहीं भेजे, खाली एक्स-रे भेज दें तो मैं नहीं समझता कि डाक्टर प्रेशिक्रप्शन लिख सकता है, यह मेरा ज्ञान है। यदि माननीय मंत्री महोदय को इससे अलग ज्ञान हो तो मुझे पता नहीं। आप इसकी जांच करवा लीजिए।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता था कि क्या मंत्री महोदय को इस प्रकार की शिकायत आई है कि गवर्नमेंट डाक्टर गवर्न-

(10)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मेंट के अस्पतालों में इस तरह से डायग्नोसिस करने की व्यवस्था है उनको बाई पास करके डाक्टर बाहर के रेडियोलोजिस्ट को रेफर करते हैं। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि मंत्री महोदय ने कहा है कि 77 में इस प्रकार की फर्मों पर एक्शन लेने के लिए एक अधिनियम बनाने का प्रस्ताव आया, प्रारूप आया था जो अभी तक पेंडिंग हैं जिसे अब वह मूर्त रूप देना चाहते हैं अब वह जागरूक हुए हैं तो मेरे कथन में कुछ अंश सत्य है, अगर नहीं है तो विचार करने की जरूरत नहीं और जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है लेकिन जो हो रहा है उसमें गड़बड़ होती है इसलिए इस पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की शिकायतें आपके पास है क्या कि गवर्नमेंट के डाक्टर अपने डायनोसिस सेंटर को बाई पास करके प्राइवेट सेंटर को रेफर करते हैं। और वहां रेडियोलोजिस्ट नहीं होने से लोगों को असुविधा होती है।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि सारे क्लिनिक प्राइवेट हैं इसलिए सरकार को कोई जानकारी और इंटरफरेंस नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आप मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। एक तो एटमिक एनर्जी कमीशन से जितने क्लिनिक बनें, यहां तक कि होस्पीटल में भी अगर एक्स-रे की युनिट लगाते हैं तो इसकी एटमिक एनर्जी कमीशन से ओ. के. लेनी पड़ती है, उसको पहले पास करना पड़ता है कि यहां रेडिएशन नहीं होगा, क्या आपको मालुम हैं कि प्राइवेट क्लिनिक यह काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो इसके साथ प्रश्न उठता है कि क्या इसकी वजह से क्लिनिक के आस-पास में गुजरने वाले नागरिकों को जो रेडिएशन हजार्ड है उसकी भी जानकारी आपको है कि इसकी संभावना हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : प्राइवेट क्लिनिक में तो कोई संभावना नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय नहीं ले रही हूं, मगर हमारे नागरिकों को जो रेडिएशन है उसकी जिम्मेदारी मंत्री महोदय की है यह इससे बरी नहीं होते। यदि अस्पतालों में होता है तो परमीशन लेनी पड़ती है। इसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है क्या ? दूसरा प्रश्न मैं और पूछना चाहती हूं कि इसका मतलब आपने बताया कि बाहर एक्स-रे होते हैं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी सरकार की रेडियोलोजी युनिट और विभाग की वर्किंग ठीक नहीं है जिसकी वजह से इतनी ग्रोथ इन युनिट की हो रही है इसको आप मंजूर कर लीजिए क्योंकि आपके एक्स-रे फालतू पड़े रहते हैं और आम लोगों को बाहर एक्स-रे करवाना पड़ता है इन दो प्रश्नों का जवाब दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, भाभड़ा साहब ने जो प्रश्न किया उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई है उसके आधार पर जो भी रेड़ियोलोजिस्ट, जो एक्स-रे प्लेट लेते हैं वह ओपरेटर लेते हैं. उस पर रेडियोलोजिस्ट अपने कमेंट देता है कि उसमें किस तरह की दिक्कत है। लेकिन इसके बावजूद भी जो डाक्टर रेफर करते हैं वह डाक्टर

(श्री छोगाराम बकोलिया)

उन सारी प्लेट को अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं उसके बाद में अपनी तरफ से प्रेस्क्रिप्शन देते हैं केवल मात्र रेडियोलोजिस्ट के आधार पर, कोई प्रेस्क्रिप्शन अपनी तरफ से नहीं देते। दूसरा जो विधायक महोदया का प्रश्न है कि इस प्रकार के नियम पहले बनने चाहिए जो उनका कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के ध्यान में लाना चाहता हूं कि थ्रू आउट इंडिया केवल चार इस प्रकार के अधिनियम बने हुए हैं अब राजस्थान पांचवां पहल कर रहा है और मैं तो सोच रहा था कि आपको धन्यवाद देना चाहिए कि एक महीने में प्रारूप बनेगा और नियमों के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से सारे डायग्नोसिस सेंटर और प्राइवेट क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होगा अब तक राजस्थान के प्रावधानों के अनुसार कोई इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था इसलिए माननीय सदस्या का जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल मेघवाल।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : यह मंजूर कर लें कि इनका रेडियोलोजी डिपार्टमेंट फेल हो गया, यह मंजूर करें।

श्री अध्यक्ष : आपको धन्यवाद दे दिया इन्होंने भी और आपने भी दे दिया।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रेडियोलोजिस्ट और सामान्य डाक्टर का ज्ञान एक्स-रे के मामले में बराबर होता है क्या?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न।

सुजानगढ़ छात्रावास में सुविधायें

458. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या सुजानगढ़ नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रावास का निजी भवन नहीं है? क्या इसके लिए भूमि क्रय की जा चुकी है और भवन बनाने की भी योजना है? यदि हां, तो कब तक इसका निर्माण हो जाएगा फिलहाल छात्रावास कहां व किसके भवन में संचालित है?

2. छात्रावास में कुल कितने छात्र हैं व वार्डन कौन है क्या छात्रों की वहां आवास व भोजन व्यवस्था निशुल्क है? यदि हां तो शुल्क क्या है तथा विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है?

मंत्री समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) सुजानगढ़ नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास सरकारी भवन में है। छात्रावास के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है। छात्रावास हेतु नये भवन का निर्माण वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर कराया जाएगा। वर्तमान में छात्रावास राजकीय भवन एवं श्रीमती केसर देवी पत्नि श्री भंवरलाल नया बास सुजानगढ़ के मकान में, इस प्रकार दो मकानों में संचालित है।

(श्री छोगाराम बकोलिया)

(2) छात्रावास में 84-85 में 60 छात्र थे। छात्रावास का वार्डन श्री रामलाल शर्मा एवं सहायक अधीक्षक श्री मुन्नालाल है। वहां आवास व भोजन की व्यवस्था निशुल्क है। छात्रों की मैस समिति को छात्र संख्या के आधार पर धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है जिससे वह भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था करते हैं।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि यह जो सरकारी भवन बना हुआ है उसमें कितने कमरे हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी भवन के अन्दर स्पेश कम होने के कारण हमने दूसरा भवन किराये पर लिया है।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : माननीय मंत्री महोदय, जो किराये पर भवन लिया है उसके कमरे कितने हैं यह बता दीजिये ? 60 लड़कों की जहां स्ट्रेन्थ है। यह माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 60 लड़के जहां रहते हैं सरकारी भवन में कितने कमरे हैं और जो किराये पर लिया गया है उसके कितने कमरे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, कमरे कितने हैं उसकी जानकारी तो अभी नहीं है।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी भवन जो है उसमें तीन कमरे हैं। वह भी भवन ऐसा है जिसमें पशुओं का बाड़ा, कोई रोशनी नहीं हैं, कहीं पर कोई खिड़की नहीं है। और दूसरा जो किराये पर लिया है वह एक गीता देवी का है, भूतपूर्व विधायक मास्टर भंवरलाल का कमरा है वह मकान लिया है। वह रेगरों की सोसायटी द्वारा भवन बना हुआ है वह नीलामी के अन्दर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय से यह कहूंगा और सरकार के सामने कि वह जो भवन है उसमें एक भी खिड़की नहीं है। पहले उसमें चमड़ा डाला करते थे। वह हरिजनों के छात्रों के लिए रहने की आवास की व्यवस्था है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नये भवन बन रहे हैं अब।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वार्डन जो रामलालजी शर्मा है क्या वह समाज कल्याण विभाग की ओर से है ?

श्री अध्यक्ष : वार्डन रामलाल शर्मा समाज कल्याण की ओर से है क्या ? यह प्रश्न का जवाब दें। आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अध्यक्ष होता है वह माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक या उनके द्वारा मनोनीत टीचर होता है वह अध्यक्ष के रूप में छात्रावास में हुआ करता है। उसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से नहीं है लेकिन सहायक अधीक्षक हैं वह समाज कल्याण विभाग से हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : सहायक अधीक्षक विभाग से है यह कौनसा नियम है, यह कौनसी सरकार चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया बैठें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : क्या कहीं समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई वार्डन नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह बात बता दी कि जो वहां पर अधीक्षक होता है वह लोकल स्कूल का हैडमास्टर होता है और सहायक अधीक्षक समाज कल्याण विभाग का होता है यह व्यवस्था बता दी है इन्होंने।

श्रीमती विद्या पाठक : लोकल भी माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी होता है, प्राइवेट का नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : सरकारी कर्मचारी तो है सरकारी स्कूल है। ग्रार्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : आगे मेरा प्रश्न है कि आपने यह बताया कि छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती हैं, भोजन, वस्त्र आदि की। एक छात्र पर प्रति माह कितना खर्चा आता है, स्टेशनरी, भोजन, पुस्तकों, सारी व्यवस्था पर ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती विद्या पाठक का प्रश्न के अन्दर थोड़ा डाउट हुआ था। मै माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 1982 के अन्दर हमने जो नियम छात्रों के चैन्ज किये....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय यह तो स्पष्ट हो गया। आगे बोलिये।

श्री छोगाराम बकोलिया : आपने प्रश्न पूछा, माननीय सदस्य ने पूछा है प्रति स्टूडेण्ट को पांचवीं से आठवीं तक के लिए 100/- रुपया और नवीं से ग्यारहवीं तक के लिए 106 रुपया प्रति मास खर्च दिया करते हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन मेरा भी है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आप बैठें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : एक प्रश्न और है मेरा। लड़कों को जिसमें स्टेशनरी भी शामिल है भोजन भी है, कपड़े हैं, तेल, साबुन आदि के 100 रुपये यह आप कब से दे रहे हैं ? यह हरिजनों के बच्चों के साथ धोखा नहीं है तो क्या है, इस मंहगाई के अन्दर 100 रुपये में पुस्तकें, स्टेशनरी यह सारी चीजें आ सकती है ? सरकार इस बारे में क्या सोच रही है ? 100/- रुपये एक लड़के के लिए और उसकी कटिंग का पैसा, साबुन का पैसा, तौलिये का पैसा। सरकार इस बारे में क्या सोच रही है मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से जानकारी चाहूंगा कि क्या सही है यह तो धन राशि आपने बतायी है उसका वितरण सरकारी अधिकारी करते हैं या प्राइवेट का कोई आदमी हैं ? दूसरी बात मैं जानना

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

चाहता हूं, बच्चों को जो नाश्ता पर हैड विभाग दे रहा है उसके कुल कितने पैसे हैं यह बात बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : छात्रावास का सवाल है माननीय सदस्य स्कूल का नहीं हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दालिया : मैं छात्रावास का ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्री चुन्नीलाल इन्दालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए, माननीय मंत्री जी ने कहा कि फिक्स अमाउन्ट हैं 100 रुपया, 106 रुपया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : छात्रावास ऐसे हैं जिनमें पशु निवास करते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दालिया : क्या यह सही है छात्रावास में जो हरिजन छात्र रहते हैं उनको नाश्ते में कितने पैसे देते हैं ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है यह बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): रु. 3.35 पैसे में क्या खाना मिलता है आप अन्दाजा लगाइये। आप इसको बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया बैठें आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 3.35 पैसे एक दिन में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज बैठें। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन छात्रावास में जो छात्र रहते हैं उनके भोजन और स्टेशनरी के लिए जो रुपया दिया जाता है वह बहुत कम है। और राज्य सरकार ने स्वीकार किया था उसको बढ़ाने के लिए....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लिया है आप बैठें। आप दोहराने में समय ले रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अपना आश्वासन देने के बाद सरकार बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में कहा था कि कक्षा छठी से लेकर आठवीं तक के लिए 100 रुपया और नवीं से 11 तक के लिए 106 रुपया...

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, यह भी दोहरा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य आप बैठें।

श्री छोगाराम बकोलिया : जो माननीय सदस्य ने पूछा है नाश्ते के लिए कोई अलग से प्रोविजन है क्या ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि मैस कमेटी होती है उस मैस कमेटी के अन्दर ही जो नाश्ता पानी, खाने पीने के सारे साधन हैं उनके लिए 106/– रुपया, 100/– रुपये के हिसाब से तय किया जाता है। मैस कमेटी जिसमें असिस्टेंट वार्डन और अध्यक्ष होते हैं, दोनों मिल कर तय करते हैं। वह ही सारे नाश्ते भोजन आदि के लिए तय करते हैं....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, नाश्ते के लिए पैसे फिक्स हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गंगानगर के छात्रावास के अन्दर कितने छात्र हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्यारसीलाल परिडवाल : वहां पर कई औरतें हैं, कई मर्द हैं उनको 250/– रुपये और 300/– रुपये तनख्वाह के मिलते हैं, जो खाना बनाने के लिए हैं। वह पैसा भी उसी 100/– रुपया या 106/" रुपया में से दिया जाता है क्या ?

श्री छोगालाल बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि स्टेशनरी के लिए....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चुन्नीलाल जी आप बैठें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं आपकी जानकारी के लिए, हाउस की जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी नहीं चाहिए। आप कृपया बैठें।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने एक प्रश्न किया था उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेशनरी के लिए 40/– रुपये दिये जाते हैं, और आठवीं से लेकर ग्यारहवीं तक के लिए 60/– रुपये स्टेशनरी के अलग से दिये जाते हैं। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किया है कि इसके लिए यह पैसा संतोषप्रद है क्या या नहीं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कल भी मैंने मेरे जवाब में कहा था चूंकि छात्रावास के अन्दर कुछ व्यवस्था की थोड़ी बहुत कमी है उसके लिए....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह पैसा बहुत कम है। क्या सरकार इसको बढ़ाने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठें। नीचे बैठें तो। माननीय सदस्य बैठें।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या राज्य सरकार इस पैसे को बढ़ाने की मंशा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बता दिया है। आप बैठें, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : कुछ भी तो नहीं बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट। श्री कालीचरण।

श्री अध्यक्ष : श्री काली चरण सर्राफ।

बरकतुल्ला खां स्टेडियम निर्माण हेतु निविदाओं की स्वीकृति में अनियमिततायें,

459. **श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अधिशाषी अभियन्ता एवं अन्य ने वर्ष 1982-83 में बरकतुल्ला खां स्टेडियम के निर्माण कार्य का द्वितीय न्यूनतम दर पर टेण्डर स्वीकृत करके न्यास को रु० 9,58,782/–की हानि पहुंचाई एवं टेण्डर स्वीकृत करने में गम्भीर अनियमिततायें बरती, जिसका उल्लेख लोकल फण्ड ऑडिट ने अपने प्रतिवेदन में भी किया है ?

(2) यदि हां, तो संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने अब तक किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री हीरालाल आर्य : आश्वासन का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसी पर बहस नहीं हो सकती है। एवरी डे इस पर विश्लेषण नहीं हो सकता...

(व्यवधान)

अंकित न हो अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया,

नगरीय विकास मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा वर्ष 1982-83 में बरकतुल्ला खां स्टेडियम के निर्माण का द्वितीय न्यूनतम दर टेण्डर स्वीकृत किया था और ऑडिट ने इस स्वीकृति में न्यास को रु. 9,58,782/– की हानि होना भी बताया है किन्तु इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(व्यवधान)

मैं बिलकुल सोच समझ कर ही जवाब दे रही हूं।

(2) प्रश्न के भाग (1) में वर्णित स्थिति के कारण अन्य कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के लोकल फण्ड आडिट पार्टी ने जो आडिट रिपोर्ट दी है उक्त रिपोर्ट में कहा है कि उक्त मामला सचिव नगरीय विकास एवं आवासन मंडल, राजस्थान जयपुर के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाकर लेख है कि उक्त कार्य के टेण्डर स्वीकृत करने में राज्य सरकार के नियमों की अध्यक्ष एवं अधिकारियों द्वारा भारी अवहेलना की गयी है। जिससे न्यास को 9 लाख 58 हजार 782 रु. की स्पष्ट हानि हुयी है। अतः धारा

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

93 (ए) के अन्तर्गत उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे एवं परिणाम से इस विभाग को भी अवगत कराया जाय। यदि ऑडिट रिपोर्ट है तो सरकार किस प्रकार से कह रही है कि कोई अनियमिता नहीं हुयी है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद ऑडिट रिपोर्ट में आडिट पार्टी ने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि राज्य सरकार के इर्रीगेशन डिपार्टमेंट, पी. डब्ल्यू. डी. और सभी विभागों में इसके संबंध में जो व्यवस्थायें हैं वह यह है कि 10 लाख से ऊपर अगर टेन्डर होता है तो उनके लिए सिर्फ वही फर्म्स निविदा दे सकती हैं जो ए क्लास में रजिस्टर्ड हों जिस फर्म ने लोएस्ट दिया है वह है "सी" क्लास की, सी क्लास में रजिस्टर्ड है और इस पार्टी ने यह सोचा होगा कि लोयेएस्ट था इसलिए नहीं दिया और इतना नुकसान हो गया लेकिन वह एलीजिबल ही नहीं थी टेण्डर देने के लिए जो एलीजिबल थी उनमें जो लोयेस्ट थी उसको विकास न्यास ने मंजूर किया।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :

(व्यवधान)

मैंने पुकार लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि क्या राज्य सरकार का यह नियम है कि 50 लाख से ऊपर कोई भी निर्माण होता है तो उसकी वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जाय इस विषय में नहीं ली गयी है। इसलिए क्या यह अनियमितता नहीं है? एक बात दूसरा प्रश्न स्वयं आडिट रिपोर्ट में लिखा है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आप बैठिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं समझ गया आपकी बात।

दूसरा मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट में जो लिखा है कि जिस समय विक्रय किया गया टेण्डर, उसी समय इस बात की जानकारी विक्रय करने वालों ने क्यों नहीं की कि यह 'ए' श्रेणी का है या "सी" श्रेणी का है। पहले तो विक्रय कर दिया और जब दे दिया तब यह आब्जेक्शन किया कि यह नहीं है। इसमें क्या किसी प्रकार की मेलाफाइड एटीट्यूड तो नहीं है।

श्रीमती कमला : जहां तक आपके सवाल का मुद्दा है यह बात सही है कि 50 लाख से ऊपर कोई निविदा हो तो उसकी न्यास को राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिए थी और यह चूंकि जिस फर्म का एप्रूव किया है उसमें 12.95 प्रतिशत एबाऊ दिया है उसको मिलाकर यह कुल टेण्डर जो है 56 लाख और कुछ हजार का पड़ता है। जोकि 50 लाख से ऊपर का है विकास न्यास को राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिए थी और यह मुद्दा मेरे सामने इस सवाल के दौरान ही मेरे नोटिस में आया है और हम ने विकास न्यास को इसके लिए लिखा भी है कि आपको इस इर्रेगुरिटी के बारे में क्या कहना है। उसको स्पष्ट करें। इससे पहले विभाग ने कोई नोटिस में नहीं लिया है।

(18)

(श्रीमती कमला)

यह मुद्दा नहीं लाया गया है। इस सवाल के संदर्भ में ही यह नोटिस में आया है। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? हां दूसरी बात कही 'अध्यक्ष महोदय' तो जब फर्मस ने फार्म लिया है उसी वक्त में उनको पाबंद किया गया था कि 'ए' श्रेणी के जो ठेकेदार हैं, जो फर्म हैं, वे ही इसमें निविदा कर सकते हैं। जिस ठेकेदार ने दी हैं दो ने लिया था, एक ने कहा मैं एलिजीबल नहीं हूं दूसरे ने लिया कहा कि मैं 'ए' श्रेणी का अपना प्रमाण-पत्र पेश कर दूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इसलिए जब वह टेन्डर खोला गया उस समय उसको अमान्य कर दिया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं केवल उसी आडिट रिपोर्ट की दो पंक्तियां मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं उसमें लिखा है कि इन बातों का निरीक्षण कर ठेकेदारों को टेण्डर विक्रय किये जाने के पूर्व आवश्यक था परन्तु इस स्थिति पर विचार करना असंगत प्रतीत होता है। टेण्डर स्वीकृत करने में 8·50 लाख की स्पष्ट हानि होती है। उन्होने स्पष्ट लिखा है कि स्वयं आडिट ने जो मन्त्री महोदय ने कहा उन्होंने कह दिया कि बाद में सर्टिफिकेट लाकर देंगे क्या इसका विधिवत रिटन में कोई रिकार्ड है विभाग के पास। दूसरा सवाल यह है कि मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आडिट रिपोर्ट में केवल इसी बात का जिक्र किया गया जिसके कारण द्वितीय को देते या और कुछ भी बातें हैं।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय जब टेण्डर मन्जूर करते हैं तो सब जानते हैं कि स्पेसिफिक जो डिटेल्स दी जाती हैं निविदा में उसको फुलफिल करने वाली जो लोयेस्ट फर्म होती है उसको टेण्डर देते हैं। इसमें कोई अनियमितता नहीं है। जो मुद्दे उठाये हैं उसमें कहा है कि मैं पेश कर दूंगा तो उनके पास सूची होनी चाहिए थी कि कौन सी फर्म्स हैं जो ए. बी. सी. श्रेणी में रजिस्टर्ड हैं इसलिए बाद में सर्टिफिकेट देने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए यह इर-रेगुलरिटी जरूर प्रतीत होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री हरीश शर्मा : उसका उत्तरदायी कौन है?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री कालीचरण सर्राफ : उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब पता चल गया कि एक टेण्डर 47 लाख का है दूसरे में 9 लाख का घाटा हो रहा तो उसी समय इस टेण्डर को पोस्टपोन करके उसके आधार पर "बी" क्लास का टेण्डर असेप्ट नहीं करके तुरन्त पुन: टेण्डर मंगाने की व्यवस्था नहीं कर सकते थे, क्या? 9 लाख का घाटा हुआ। यह आवश्यक नहीं है नियमों कि? किसी को स्वीकार किया ही जाय सब को अस्वीकार भी कर सकते थे। जब मालूम पड़ गया था कि 9 लाख का घाटा दिख रहा था। कोई 47 लाख में कार्य करने को तैयार है तो 56 लाख में कैसे कर दिया। दूसरा प्रश्न यह है कि

(श्री बिरदमल सिंघवी)

टेण्डर फार्म इश्यू कैसे हुआ केवल "ए" क्लास को ही होना चाहिए था और जिसने यह गलत इश्यू किया उसके खिलाफ कार्यवाही हुयी ? तीसरा अनियमितता इसमें हुयी है उन्होंने कहा कि जांच की जाय, जांच करके रिपोर्ट दें । आपकी तरफ से जांच कब हुयी ? और जांच किसने की ? मैं इन तीन प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं । चौथा मैं यह निवेदन करूंगा और कितने लोगों के टेण्डर आये थे, यह बताने की कृपा करें ।

श्री हरि शंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : मन्त्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर के भाग दो में कहा है कि चूंकि ऊपर कोई गड़बड़ नहीं हुयी है इसलिए सवाल नहीं उठता है । मगर एक बात आपने अभी स्वीकार की है कि 50 लाख से अधिक का टेण्डर होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति ली जानी थी । वह इसमें नहीं ली गयी है और इसमें उन्होंने यह जवाब भेजा है तो फिर प्रश्न के भाग दो में जवाब दिया है कि इसका सवाल पैदा नहीं होता । इस तरह से हाउस को मिस गाइड क्यों किया गया ? मैंने कहा है कि टेण्डर स्वीकृत करने में मूलतः कोई अनियमितता नहीं लेकिन उसका एप्रूवल उस वक्त इनको राज्य सरकार से लेना चाहिये था । अभी इनको निर्देश दिया गया है कि आपने नहीं किया उस वक्त में, अब आप उसके सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं ? जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि, 9 लाख का घाटा हुआ इससे ज्यादा जो आंकड़े दिये हैं तो क्या जरूरी नहीं होता कि आप टेण्डर दुबारा लेते । 9 लाख का घाटा तो आपको इसलिये नजर आ रहा है कि जो अधिकृत फर्म नहीं थी उसके में और जो अधिकृत थी उसका जो टेण्डर मंजूर किया उसके अन्दर इतना फर्क है इसलिए उसको घाटा मानते हैं मेरा मतलब यह तो नहीं है कि अनाधिकृत फर्म को लेने से अगर हम घाटा पूर्ति कर सकते हैं तो इसको ले लेना चाहिये । यह नहीं कर सकते आप । कल को कहेंगे कि एक पोस्ट के ऊपर आपने ग्रेजुएट आदमी को लगा रखा है उस जगह पर मैट्रीकुलेट लगा देते तो इतना कम आपको पैसा देना पड़ता । सरकार ने यह इतनी फिजूलखर्ची की है । यह इसके अन्दर दलील लागू नहीं होती । जहां तक टेंडर फार्म इश्यू करने का मामला है यह अभी जो आपने नोटिस में लाया है इसके बारे में, मैं जरूर जांच करूंगी क्योंकि आलरेडी सब डिपार्टमेंट के पास में फर्म्स के रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल होता है तो उसको फार्म ही इश्यू नहीं किया जाना चाहिये था । जिन फर्मों ने दिये हैं उनका सारा विवरण, सिवाय एक फर्म के जिसको रिजेक्ट किया मान्य नहीं था । बाकी सब फर्मों के नाम आप कहें तो मैं पढ़कर सुना देती हूं । राजस्थान ब्रिज संगठन जो हमारे स्टेट का कारपोरेशन है, मैसर्स लीलाधर जैन, मैसर्स सांखला एण्ड कम्पनी

(व्यवधान)

सुनिये तो सही मैं बता रही हूं । राजस्थान ब्रिज संगठन ने 15% एबव अपने को कोट किया है, मैसर्स लीलाधर जैन ने 26.45% एबव कोट किया है मैसर्स सांखला एण्ड कम्पनी ने 75% एबव कोट किया, मैसर्स पारसमल पारीक ने 12·95% एबव कोट किया है और मैसर्स गणेश सिंह या गेन सिंह गहलोत ने 54·7% एबव कोट

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

किया है। इसमें सबसे लोएस्ट पारसमल का था जिसको कि दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। स्थगित प्रश्न। आर्डर प्लीज। बैठें माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिस समय यह टेण्डर स्वीकृत हुए उस समय क्या पूरी कमेटी वहां थी या केवल अध्यक्ष ने अपनी टिप्पणी लिखकर सर्कुलेशन में लोगों के पास स्वीकृति कराने के लिये इसको भेज दिया ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कमिटी टेण्डर्स खोलती है उसमें एक्स. ई. एन. अकाउन्ट्स आफिसर, ए. ई. एन. इन्होंने इसको खोला 30.9.82 को और उन्होंने खोल करके चेयरमैन को भेजा......

श्री राम सिंह विश्नोई : कोर्ट के सामने गये हैं......

श्री अध्यक्ष : कमिटी के सामने खोला, बता तो दिया।

श्रीमती कमला : वाई सर्कुलेशन इसको मन्जूर कराया है......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीन बातें हो गयीं इसमें, इतना बड़ा घोटाला हुआ, नौ लाख रुपये की हानि हो गयी और पैसा भी......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : सिवाय इसके कि गवर्नमेंट से पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिये इसके अलावा कोई अनियमितता नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामसिंह विश्नोई।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 जुलाई 1985)

प्रोसेसिंग एवं मेन्युफेक्चरिंग इकाइयां

36. **श्री राम सिंह विश्नोई** (लूणी)
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में ऐसी कितनी प्रोसेसिंग तथा मैन्युफेक्चरिंग इकाइयां हैं, जिनमें राज्य सरकार की एक लाख रुपये से अधिक पूंजी लोन तथा शेयर कैपिटल के रूप में लगी हुई है ?

(2) इनमें पिछले पांच सालों में कितना घाटा अथवा लाभ हुआ ? इनमें हुए घाटे के क्या कारण रहे, व कौन अधिकारी इस घाटे के लिये जिम्मेदार रहे ?

(3) अब इन इकाइयों को घाटे से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सहकारिता मन्त्री (श्री शीशराम ओला) : (1) एक लाख से अधिक लोन/शेयर कैपिटल वाली राज्य में वर्तमान में

(श्री शीशराम ओला)

37 लघु व 7 बृहत प्रोसेसिंग तथा मैन्यु-फैक्चरिंग इकाई हैं.......

श्री बृजेन्द्र सिंह (बयाना) : गला टेस्ट करके फिर मन्त्री बनाइये......

श्री शीशराम ओला : बैठिये आराम से, तो ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं........

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आपस में वाद विवाद न करें।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : इस प्रदेश के डाक्टर कैसे हैं कि एक मन्त्री का गला ठीक नहीं कर पा रहे हैं......

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री शीशराम ओला : (2) पिछले 5 वर्षों में इन 37 इकाइयों 26·59 लाख रुपये का लाभ व 23 लघु इकाइयों में 101·96 लाख रुपये की हानि रही। 5 निर्माणाधीन हैं। 7 वृहत इकाइयों में। वृहत इकाई को 120·11 लाख रुपये का लाभ व। वृहत इकाई को 39·53 लाख रुपये की हानि रही तथा शेष पांच में एक सहकारी शूगर मिल भारत सरकार के प्रबन्ध में है। एक कताई मिल ने इस वर्ष कार्य शुरू किया है, दो निर्माणधीन हैं तथा एक का अभी पंजीयन हुआ है।

घाटे के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :

1. व्यापारिक मांगों में उतार चढ़ाव के कारण नुकसान हुआ।

2. प्रोसेसिंग इकाइयों को पूर्ण विद्युत उपलब्धि नहीं होने से, पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं होने के कारण।

3. चावल मिलों पर लेवी के कारण चावल मिलों को नुकसान हुआ।

4. काटन जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयों को भारतीय कपास निगम द्वारा पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं देने के कारण।

5. चीनी मिल को निर्धारित व आवश्यकतानुसार गन्ना नहीं मिलने के कारण। घाटे के लिये किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(3) सरकार द्वारा इन इकाइयों को घाटे से बचाने के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:—

1. केशोरायपाटन मिल वर्ष 1978 से भारत सरकार के अधीन प्रबन्ध में है।

2. गुलाबपुरा कताई मिल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

3. संस्थाओं को आवश्यकतानुसार पूंजी की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. काटन सीड काम्प्लेक्श में सरसों की पिराई के लिये आवेदन पत्र भारत सरकार को भेजा गया है।

5. काटन जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयों के साथ छोटी तेल मिलें लगाना प्रस्तावित है।

6. सहकारी क्षेत्र में उत्पादित माल की सहकारी क्षेत्र के माध्यम से विक्रय करने की व्यवस्था।

श्री राम सिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने काफी सोच समझकर जवाब दिया है। मुझे उम्मीद है भविष्य में यह यूनिट घाटे में नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 जुलाई, 1985)

जयपुर नगर के चिकित्सीय संस्थान

53. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशन पोल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर नगर में मेडिकल कालेज के अन्तर्गत कितने अस्पताल व चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं?

(2) क्या इस वर्ष जयपुर नगर में जिला अस्पताल, सैटेलाईट अस्पताल व महिला अस्पताल खोले जाने का प्रावधान या योजना है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या नगर के अस्पतालों में कई मशीनें व उपकरण अनुपयोगी दशा में पड़े हुए हैं? यदि हां, तो उपकरणों की सूची मय ठीक होने की लागत के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सवाई मान सिंह अस्पताल को मेडिकल इन्स्टीट्यूट का उच्च दर्जा दिये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

(5) क्या नगर के अस्पतालों में नर्सिग स्टाफ व दवाइयां मापदण्ड व आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रयास कर रही है?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) जयपुर नगर में मेडिकल कालेज के अन्तर्गत निम्न लिखित चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं—

1. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।

2. जनाना चिकित्सालय, जयपुर।

3. मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय, जयपुर।

4. वक्ष एवं क्षयरोग चिकित्सालय, जयपुर।

5. सरपदम पथ मातृ एवं शिशु स्वा. संस्थान, जयपुर।

6. संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर।

7. पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में जयपुर नगर में एक नये जनाना अस्पताल बाबत प्रावधान है। इसहेतु निर्माण कार्य के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 14 लाख रुपया (कुल स्वीकृत राशि 36 लाख) व्यय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है।

(3) केवल सवाई मान सिंह चिकित्सालय में मशीनें एवं उपकरण अनुउयोगी दशा में हैं जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(राज्यमन्त्री चिकित्सा)

(4) यह प्रस्ताव सप्तम पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित किया गया था परन्तु इस पर योजना आयोग द्वारा सहमति नहीं दी गयी।

(5) यह सही है कि नर्सिंग स्टाफ के पद उक्त अस्पतालों में नार्म्स से कम स्वीकृत हैं। कमी की पूर्ति को योजनाबद्ध तरीके से वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के अनुरूप पूरी करने के प्रयास किये जा रहे हैं। दवाईयों के बजट का उचित प्रावधान हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

(12·00 मध्याह्न)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने इसमें जो मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या जयपुर नगर में जिला अस्पताल और सैटलाइट अस्पताल तो क्या जिला अस्पताल जयपुर नगर में बनेंगे कि नहीं बनेंगे और जयपुर नगर में कितने सैटेलाइट अस्पताल स्थापित किये जायेंगे ? इसका उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं दिया। वह भूल गये हो तो कृपया मुझे बता दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में इस बार दो सैटलाइट अस्पताल खोलने का प्रावधान रखा गया था जिनमें से शास्त्रीनगर के अन्दर सैटेलाइट अस्पताल अभी चल रहा है और सेठी कालोनी का सैटेलाइट अस्पताल शीघ्र चालू होने वाला है।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है, क्या यह सही है कि सेठी कॉलोनी स्थित जो सैटेलाइट अस्पताल बनाने की घोषणा की गयी है और जिसका उद्घाटन भी केन्द्रीय पैट्रोलियम मन्त्री श्री नवल किशोर शर्मा से करवा लिया गया परन्तु उस प्रोग्राम में उस अस्पताल के निर्माता सेठ गिरधारी लाल गोयल·······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ : सेठ गिरधारी लाल गोयल, जो उस अस्पताल के निर्माता हैं उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। उनको कॉन्फिडैन्स में नहीं लिया जिस से वह नाराज़ हो गये······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सवाल पूछ लें।

श्री कालीचरण सर्राफ : जिससे नाराज होकर, उन्होंने अस्पताल का निर्माण कार्य बन्द कर दिया। यह जो योजना सरकार की थी वह खटाई में पड़ गयी। इस के बारे में अब क्या योजना है, वह बतायें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेठी कॉलोनी स्थित सैटेलाइट अस्पताल को शीघ्र चालू करवे के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। भवन की तलाश की जा रही है। भवन मिलते ही चालू कर देंगे। इसका जो स्टाफ है हमने उसकी भी स्वीकृति दे दी है। यहां तक कि उनकी पोस्टिंग भी कर दी है। केवल मात्र भवन मिलते ही, कल भवन दिला दें तो विदइन ए वीक चालू करवा देंगे।

(24)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि जिन्होंने अस्पताल का निर्माण किया.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिलाइये आप जिन्होंने भवन का निर्माण किया, क्या उन्होंने भवन का निर्माण आगे करने के लिए मना कर दिया ? और मना कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : इस से सम्बन्ध नहीं है इस प्रश्न का । भवन का इस से सम्बन्ध नहीं है । श्री भाभड़ा । कृपया बैठें ।

श्री कालीचरण सर्राफ : भवन नहीं बना इसलिए वह चालू ही नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कृपया बैठें, माननीय सदस्य ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उपकरणों की लिस्ट दी है जो खराब पड़े हैं उसमें एक बहुत ही इम्पार्टेण्ट उपकरण जो हिन्दुस्तान में एक ही है सवाई मानसिंह अस्पताल में, जिसका नाम है माइक्रो सैण्ट्रीफ्यूगल एनलाइजर । जिसमें एक साथ सभी प्रकार की एनालसिस हो सकती है । जिसकी कीमत पांच लाख रुपया है । यह उपकरण काम में नहीं आ रहा । इस उपकरण को मंगाने में पांच लाख रुपए इसकी कीमत का खर्चा है । उसके लिए जो री एजेण्ट चाहिए जिस से कि वह चालू रहे वह री एजेन्टस की सप्लाई नहीं हो सकती, हिन्दुस्तान में मिल नहीं सकता, अमेरिका की उसी फर्म से इम्पोर्ट करना पड़ेगा या यहां पर केमिकल दे दिया जाय तो तैयार हो सकता है, ऐसी सम्भावना है । लेकिन सरकार न तो उन री एजेन्ट्स को यहां तैयार करने के लिए केमिकल सप्लाई कर रही है, न वहां से री एजेन्ट्स मंगाये जा रहे हैं । इसलिए हमारे इस कीमती उपकरण में जो बहुत पैसा लगा हुआ है, जो वाकई बहुत ही उपयोगी है । अभी इण्डियन मेडिकल इन्स्टीट्यूट, दिल्ली ने दूसरा मंगाया है । यह दो उपकरण सारे हिन्दुस्तान में हैं । किसी और के पास नहीं है । मगर यहां बेकार पड़ा हुआ है सरकार की गलतियों के कारण । उसको लेकर कई प्रकार की जांच, झगड़े, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है । इस लिस्ट में उसका नाम दिया नहीं है । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या उनको इस बारे में जानकारी है ? जानकारी है तो उसको पूरी तौर से चालू करने के लिए वह क्या कर रहे है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि जयपुर के जितने नामी चिकित्सालय हैं वह एक साइड में हैं ? जौहरी बाजार के दक्षिण साइड में ढाई-तीन लाख की आबादी का पिछड़ा हुआ क्षेत्र आमेर रोड की साइड में एक भी सरकारी हास्पिटल नहीं है । क्या सारे गरीबों के लिए इस से दुविधा नहीं हो रही है ? क्या दुविधा को मिटाने के लिए शहर के इतने बड़े भाग में जल्दी ही कोई नया हॉस्पिटल खोलने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : बैठें । मन्त्री महोदय पूछ लें आप । ऑर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं यह पूछना चाहता हू. मन्त्री महोदय ने, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, गलत उत्तर दिया है। सेठी कॉलोनी का अस्पताल तो हो गया चालू। शास्त्री नगर का सैटेलाइट अस्पताल जो खुलने वाला है उसके भवन को इन्तजाम हो गया है वहां पर आप खोलने जायेंगे। एक तो आपका उत्तर ही गलत है। सेठी कॉलोनी वाला, जैसा कालीचरण जी पूछ रहे थे, वह अस्पताल तो खुल चुका. शास्त्री नगर वाले अस्पताल को खोलेंगे। तो, उत्तर ही जो दिया गया है मन्त्री महोदय को, वह गलत दिया गया है। दूसरा मेरा निवेदन करना यह है, जयपुर के मानसिंह अस्पताल को मेडिकल इन्स्टीट्यूट का दर्जा नहीं दिया जायेगा. केबिनेट का डिसीजन हुआ है क्या? हुआ है तो इम्प्लीमैण्ट क्यों नहीं हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : बता दिया न कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति नहीं दी है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तीसरी मेरी बात, जो एक ही इन्सीनरेटर लगा हुआ, सवाई मानसिंह अस्पताल में ही प्रथम प्रयोग किया गया था। जो कूड़ा वहां पर एकत्रित होता है उस कूड़े को जलाने की मशीन है जो कि मुर्दा घर के बाहर बना हुआ है। वह कब लगा, कब खराब हो गया? उस पर ठीक होने पर भी 30,700 रुपय खर्चा होगा। यह जो आंकड़े दिये गये हैं ठीक होने के, मैं समझता हूं, आंकड़े गलत हैं। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में ज्ञात होगा, इन्सीनरेटर है भी क्या चीज, कभी देखा भी है जाकर के?

श्री अध्यक्ष : आपने तो देखा होगा?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मन्त्री महोदय ने कहा कि 26 लाख में से 14 लाख रुपए लगाकर जनाना अस्पताल बनाया जायेगा। यह कहां बनाया जायेगा, कितने कमरों का होगा? कुछ अन्दाज भी है कि 14 लाख में कितने बनते हैं?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनाना अस्पताल सांगानेरी गेट के बाहर का पुराना मेयो अस्पताल के भवन के अन्दर बनाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। आर्डर प्लीज।

कृपया बैठें, मन्त्री महोदय, माननीय सदस्या।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय सदस्य ने जो प्वाइन्ट आउट किया है मैं उसको करेक्ट करता हूं। सेठी कॉलोनी में तो सैटेलाइट अस्पताल चल रहा है। शास्त्री नगर में अभी चालू होना बाकी है। उसका भवन मिलते ही उसको चालू किया जायेगा। जहां तक आपने यह कहा कि इन्सीनरेटर का 30,700 का खर्चा अनुमानित आयेगा तो इसके लिए एस्टिमैट तैयार किये जा रहे हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। हमने इसके लिए एस्टिमेट मंगवा भी लिये हैं और सैंक्शन भी कर दी है और ठीक करने वाली कन्सरनिंग को कह भी दिया है कि इसको शीघ्र ठीक किया जाय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

(26)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने इतना इम्पॉर्टेण्ट सवाल पूछा है, मान्यवर, माइक्रो सेण्टीफ्यूगल एनलाइजर के बारे में पूछा है......

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय की सूची में नहीं है। जो काम काबिल है वह खराब नहीं है। वह सूची में नहीं है इसका मतलब साफ है।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : उनको इत्तला नहीं, जानकारी नहीं है। सबसे पहले पूछा है, सबसे बड़ा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : जो इन्स्ट्रुमैण्ट काम लायक नहीं है उनकी सूची दे दी। इसका मतलब तो इन्स्ट्रुमैण्ट काम लायक है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह आश्वासन तो दे दें कि इन पांच लाख के उपकरण का उपयोग सवाई मानसिंह अस्पताल में होगा। गरीबों का इससे बहुत बडा फायदा होगा। एक पैसा नहीं लेंगे। सारी एनालसिस इसमें हो सकती है, ऑटो एनलाइजर है। इसके बारे में कोई जांच करेंगे, या वह ठीक प्रकार से चले, इसकी व्यवस्था करेंगे, देखेंगे, उसके लिए एयरकण्डिशन्ड स्थिति चाहिए, वह सारा करेंगे, कुछ तो आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है, मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अन्दर इस प्रकार का कोई उपकरण खराब होना नहीं पाया गया है। फिर भी माननीय सदस्य ने पॉइन्ट आउट किया है......

श्री अध्यक्ष : खराब नहीं कह रहे हैं। उसका उपयोग नहीं हो रहा हैं, उसकी बात कह रहे हैं। खराब होने की बात थोड़े कह रहे हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : उपयोग में नहीं आ रहा है तो उसको शीघ्र देखेंगे कि वह जल्दी से जल्दी उपयोग में लिया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि यह सैटेलाइट अस्पताल जो आपने खोले हैं उनका कन्सेप्ट क्या था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था ? जहां तक मेरी जानकारी है उनका उद्देश्य यह था कि जयपुर के अस्पतालों में प्रेशर घटे, जयपुर में जितने मरीजों की जो बाढ़ आती है उसके बजाय पैराफेरी में बगरू, सांगानेर, आमेर, ऐसे स्थानों पर सैटेलाइट अस्पताल खोले जायं ताकि जयपुर के अस्पतालों का भार हटे। सैटेलाइट हास्पिटल खोलने के पीछे जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति किस हद तक होती है ? आपने खोले हैं उससे क्या पूरी होती है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का विचार बिलकुल सही है एस. एम. एस. हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज पर रोगियों का प्रेशर कम करने के लिये हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल खोले हैं और सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने का उद्देश्य भी यही था कि एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज पर जो प्रेशर रोगियों का आ रहा है उसको कम करने के लिये इनको खोला जाय। इसी प्रकार जोधपुर और अन्य

(श्री छोगाराम बकोलिया)

शहरों में जहां सेटेलाइट हॉस्पिटल अलग-अलग जगहों पर खोले हैं.......

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय जितना पूछें उतना ही जवाब दे दें, आप कृपया बैठें। कृपया बैठ जायं।

नेक्स्ट। श्री नाथूसिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8 जुलाई, 1985)

उपभोक्ता संरक्षण सेल

139. **श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) :** क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सही है कि खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण सेल की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब व क्यों?

(2) इस सेल की स्थापना के उपरान्त अप्रेल, 1985 तक कितनी व किस प्रकार की शिकायतें कब-कब दर्ज हुयी है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अन्यथा रसद विभाग में वर्ष 1984-85 में कितनी उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुयी है, व उन पर क्या कार्यवाही हुयी है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं।

(2) सेल की स्थापना ही नहीं हुई। अतः सेल में शिकायतें प्राप्त होने व दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) वर्ष 1984-85 में विभागीय सतर्कता समिति एवं कलेक्टर के यहां प्राप्त शिकायतों का विवरण सूची (क) परिशिष्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण भी परिशिष्ट "क" में अंकित है।

अध्यक्ष महोदय, कितना मोटा परिशिष्ट है।

(शिकायतों व कार्यवाही का विवरण विस्तुत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता संरक्षण सेल की स्थापना क्यों नहीं की गई। पहला मेरा क्वश्चन तो यह है। दूसरा उपाभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये राज्य सरकार क्या विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कई बार राज्य सरकार ने घोषणायें की और गत सत्र में माननीय मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी कि हम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये इस तरह का एक सेल स्थापित करने जा रहे हैं लेकिन आज तक उपभोक्ता संरक्षण सेल की स्थापना नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों में रोज हमें पढ़ने को मिलता है कि उपभोक्ताओं का किस तरह से शोषण हो रहा हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को डाइरेक्शन्स भी इश्यू किये हैं कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये इस तरह का सेल स्थापित करें और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा

(श्री नाथूसिंह)

करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और इस प्रकार के सैल की स्थापना कब तक कर दी जायेगी।

दूसरा यह कि इतनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन शिकायतों को मैंने देखा है, सारी शिकायतें तो मैं पढ़ नहीं पाया हूं क्योंकि आज ही इन्होंने लिस्ट दी है लेकिन अधिकतर शिकायतों में जांच चल रही है, एक भी ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर कोई कार्यवाही की गई हो। जब इतनी सारी शिकायतें विभाग को मिल रही हैं, तो इसका मतलब है, उपभोक्ताओं का कितना शोषण हो रहा है? इस सम्बन्ध में आप विचार कर सकते हैं तथा इनके ऊपर क्या जांच ही चलती रहेगी, आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे? आज तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, और वह क्यों नहीं हुई? सैल की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक उपभोक्ता संरक्षण सैल की स्थापना किये जाने की कोई नीति के अन्तर्गत माना गया हो या इसकी घोषणा की गई हो, ऐसी तो मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन सारे देश में भी और उसी प्रकार से राज्य में भी एक उपभोक्ता मूवमेण्ट सहकारिता के माध्यम से चलता है, सहकारी समितियां इस बात को देखती हैं और समय समय पर इस बारे में अपना पक्ष प्रतिवेदित करने के लिये कार्यवाही भी करती हैं। इन उपभोक्ता संरक्षण इकाइयों को किस तरह से, किस उद्देश्य से, कहां पर क्या स्थापना होनी है यह मेरी निगाह में अभी नहीं है।

जहाँ तक शिकायतों का आना, उनका निराकरण करने का सवाल है, विभाग के अन्दर भी सतर्कता विभाग बना हुआ है और जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है हर जिला स्तर पर एक सतर्कता समिति बनी हुई है जिसमें सभी प्रकार की जो खामियां हैं, जो दृष्टिगत होती हैं वह मेम्बर साहिबान उनको समिति के सामने लाते हैं और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है। जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा, कि लम्बी चौड़ी लिस्ट है, मैं देख नहीं पाया। मैं आपको संक्षेप में बता सकती हूं कि इनमें कितने कैसेज में क्या-क्या कार्यवाही की गई है। उदाहरण के तौर पर जो शिकायतें/मुकदमें दर्ज हुये, जुर्माना हुआ वह उसमें 16 हैं, जिनकी प्रतिभूति जब्त की गई वह 23 शिकायतें हैं जिनका चालान पेश किया गया इस वक्त तक 2 है, शिकायत लाइसेन्स निरस्त किया वह 9 हैं, शिकायत की गई जिनके आधार पर उनका केस किया 12 हैं, शिकायतें जिनकी प्राप्त होने पर शिकायतों का निराकरण किया गया 59 हैं, शिकायतें जो विचाराधीन हैं वह 62 हैं, जो शिकायतें एनेलेसिस के लिये पड़ी है 193 हैं और शिकायतें जिन पर एफ. आई. आर. दर्ज की गई 15 हैं और शिकायतें जिन पर -592 शिकायतों का यह मोटा-मोटा ब्यौरा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

कृपया बैठें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय सहकारी बैंक पाली

607. सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के कौन-कौन कब कब से पदाधिकारी है ?

(2) बैंक की इस वर्ष की कितने प्रतिशत की बकाया की वसूली हुई है ?

(3) बैंक का अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ, और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक में 28–1–85 से निम्न पदाधिकारी हैं-

1. श्री महेन्द्रसिह	अध्यक्ष
2. श्री सोहनलाल आजाद	उपाध्यक्ष
3. श्री सुमेरसिह	संचालक
4. श्री श्यामसिह	संचालक
5. श्री हणवंतसिह	संचालक
6. श्री चक्रवृतिसिह	संचालक
7. श्री अर्जु नसिह	संचालक
8. श्री हिम्मतसिह	संचालक
9. श्री शिवलाल पंवार	संचालक

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 20.3.85 से निम्न राजकीय सदस्य मानोनीत किये गये।

10. उप निदेशक, कृषि, पाली मनोनीत	संचालक
11. परियोजना निदेशक पाली	संचालक
12. संयुक्त रजिस्ट्रार, पाली	संचालन
13. प्रबन्ध संचालक, बैंक	सदस्य सचिव

(2) बैंक की बकाया ऋणों की मांग वसूली इस वर्ष 45.5 प्रतिशत हुई है।

(3) बैंक का अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983–84 का बैंक को दिनांक 29–3–85 को विभाग द्वारा भेजा गया है। अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। मुख्य मुख्य आडिट आक्षेपों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

राज्य भण्डारण परियोजना के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण

608 श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा):

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) योरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से राज्य भण्डारण परियोजना के अन्तर्गत सन् 1980 से 31 मई, 1985 तक किस-किस जिले में कितने-कितने गोदामों का निर्माण हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्माण स्थलों का चयन किस आधार पर किया गया ? यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्देश अथवा परिपत्र प्रसारित किया हो, तो उसकी प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(3) इस कार्य हेतु सहकारी विकास निगम के माध्यम से कितनी व कब कब सहायता प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निर्माण स्थलों के चयन का आधार समिति का मुख्यालय रहा है। निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस कार्य हेतु सहकारी विकास निगम के माध्यम से कितनी-कितनी व कब-कब सहायता प्राप्त हुई है। इसका विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में दर्ज है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

राजस्थान को-आपरेटिव फाईनेन्सिग सोसायटी द्वारा ऋणों की स्वीकृति

609. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राजस्थान को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेंसिंग सोसाईटी, जयपुर द्वारा राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि., आहोर एवं बाकरारोड़, जिला जालोर के सदस्यों को मकान निर्माण हेतु ऋण स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब, किस-किसको कितना-कितना ऋण स्वीकृत किया जाकर चुकाया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। इन तीनों समितियों को वित्त समिति द्वारा कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है और न ही भुगतान किया गया है।

एलोपेथिक दवाइयों के निर्माण की कम्पनियां

610. **श्री हरीमोहन शर्मा** (बूंदी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान प्रदेश में ऐलोपैथी दवाइयां बनाने हेतु कुल कितनी कम्पनियां

(श्री हरीमोहन शर्मा)

रजिस्टर्ड हैं, और कौन-कौन सी दवाइयां बनाती है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त रजिस्टर्ड कम्पनियों द्वारा निर्मित दवाइयों की कीमत निर्धारित करने का कानूनी अधिकार राज्य सरकार के पास है और उसी के अनुसार कीमतें निर्धारित की जाती है ? यदि कीमतें निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, तो क्या सरकार मूल्य निर्धारण करने हेतु कोई कानून बनाने पर सोच रही है ?

(3) क्या भारतीय स्तर पर स्टेन्डर्ड कम्पनियों के मुकाबले से प्राप्त स्तर द्वारा निर्मित दवाइयों की कीमत अधिक है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में ड्रग्स एवं कोस्मेटिक्स अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के अन्तर्गत एलोपैथिक दवाइयों के निर्माण हेतु 146 संस्थाओं को लाईसेन्स प्रदान किये गये है। सूची मय जिस श्रेणी की औषधियों के निर्माण की अनुमति दी गई है सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत निर्मित ड्रग्स प्राईस कण्ट्रोल आदेश 1979 के अन्तर्गत औषधियों की कीमतें निर्धारित करने का कानूनी अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा कीमतें निर्धारित नहीं की जाती है।

(3) इस प्रकार की कोई श्रेणी नियमों में निर्धारित नहीं की है। साथ ही ड्रग्स प्राईस कण्ट्रोल आदेश 1979 के अन्तर्गत ऐसे औषधि निर्माताओं जिनकी आर्थिक टन ओवर 50 लाख तक है उनके बारे में मूल्य निर्धारण पर छूट है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विदेशों से गायों की खरीद

611. **श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर):** क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विदेशों से गायें खरीदने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस देश से, कितनी गायें खरीदने का प्रस्ताव है ?

(2) क्या सरकार की जानकारी के अनुसार किसी अन्य प्रदेश द्वारा भी इस प्रकार की गायें खरीदी गई हैं ?

(3) इस खरीद से राज्य सरकार दूध, मिल्क प्रोडक्टस, खालें, हड्डी आदि से क्या आर्थिक लाभ पाने की अपेक्षा रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार प्रदेश में विभिन्न गौशालाओं, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों व सेवाभावियों से भी सहयोग लेने का विचार व प्रस्ताव रखती है ? यदि हां, तो इसकी क्या रूप रेखा है ? यदि वार्ता हुई, तो अब तक क्या प्रगति है ?

(श्री पशुपालन मन्त्री)

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार के पास विदेशों से गायें खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं पर भारतीय डेयरी निगम के द्वारा 20,000 गायें ई. सी. ई. देशों से आयात की जा रही है। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने इन गायों में से 1500 गायें लेने के लिए भारतीय डेयरी निगम से आग्रह किया हैं।

(2) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं हैं।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन इन गायों को प्रगतिशील कृषकों को वितरित करेगी जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी।

(4) सबका सहयोग अपेक्षित है।

मालवीय नगर-जयपुर में उपभोक्ता संघ की दुकान

612. **श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर, जयपुर में सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालय खोल दिया गया है, लेकिन राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की दवाइयों की दुकान अभी तक वहां नहीं खोली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार चिकित्सालय के पास उपभोक्ता संघ की दवाइयों की दुकान खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। संघ की एक दुकान मालवीया कालेज की डिस्पेन्सरी में पूर्व से कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। दुकान खोलने से पूर्व दुकान सक्षमता से चले इसे भी मद्देय नजर रखा जाता हैं।

रॉक फास्फेट एवं ओवर बर्डन हटाने का ठेका

613. **श्री प्रभुलाल** (नेनवा)

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. उदयपुर ने दिनांक 14 मई, 1981 को एक एग्रीमेन्ट द्वारा 12 जून, 1984 तक इस कम्पनी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत झामर कोटड़ा खदानों से रॉक फास्फेट एवम् ओवर बर्डन को हटाने का ठेका मैसर्स शर्टन इन्जीनियरिंग एन्टरप्राइजेज, कलकत्ता को दिया था ?

(2) यदि हां, तो क्या इस एग्रीमेन्ट के अनुसार यह कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं तो क्यों कृपया इस एग्रीमेंट के अनुसार अब तक हुए कार्य का एवं कम्पनी को चुकाई गई राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कम्पनी

(श्री हरीश शर्मा)

द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करने पर भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां तो एग्रीमेंट किन-किन शर्तों का कब-कब व किसके द्वारा उल्लंघन किया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया एग्रीमेंट की प्रति विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(1) जी, हाँ।

(2) प्रिंसिपल एग्रीमेंट दिनांक 14.5.81 के अनुसार ठेकेदार को 21.15 लाख क्यूबिक मीटर ओवर वर्डन 12 जून, 1984 तक हटाना था, जिसे बाद में पूरक एग्रीमेंट दिनांक 31.1.85 द्वारा 23.26 लाख क्युबिक मीटर कर दिया गया जो दिनांक 30.9.85 तक हटाना है।

उत्तर

ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	हटाई गई मात्रा	चुकाई गई राशि
1981–82	2,50,788.90 M B	रु. 95,51,912.00
1982–83	5,44,557.10 M B	रु. 179,14,907.00
1983–84	6,74,137.16 M B	रु. 245,77,290.00
1984–85	5,42,846.00	रु. 218,00,000.00

(3) कम्पनी द्वारा एग्रीमेंट की कुछ शर्तों की कुछ सीमा तक अनुपालना नहीं की किन्तु समिति की राय में; जिन हालात में यह कमी रही उनको देखते हुए यह बहुत भारी कमी नहीं है। अत: उसे (vaive off) करते हुए चार माह की अवधि और बढ़ायी जाय।

पीपली बराड़ी की खरीद

614. श्री हरिशंकर भामड़ा (रतनगढ़): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान आयुर्वेदिक रसायनशाला, अजमेर हेतु मैसर्स गीता ट्रेडिंग कम्पनी, चांदपोल बाजार, जयपुर से दिनांक 8.1.1985 को 70 हजार एक सौ पिचहतर रुपये चालीस पैसे की पीपली बराड़ी किन औषधियों के निर्माण हेतु खरीदने का कब, किसके द्वारा निर्णय लिया गया ? इस पीपली बराड़ी को खरीदने हेतु कब-कब व किस-किस माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करने का विज्ञापन व प्रकाशन किया गया, तथा किस व्यापारी ने कब कब व किन-किन शर्तों पर निविदाएं प्रस्तुत कीं ? कृपया विज्ञापन प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेश की प्रतियों सहित विवरण सदन, की मेज पर रखें।

(34)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(2) रसायन शाला में यह पीपली बराड़ी प्राप्त होने पर इसमें से 30 जून, 1985 तक कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग कर कब-कब व किस-किस औषधि का कितनी मात्रा में निर्माण किया गया और निर्मित औषधियों को किस-किस औषधि वितरण केन्द्र पर कब-कब सप्लाई किया गया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस पीपली बराड़ी के क्रय आदेश देने से पूर्व बाजार से भावों का जायजा भी लिया गया था? यदि हां, तो किस माध्यम से, और उसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाओं में औषधि निर्माण हेतु अजमेर रसायनशाला में मैसर्स गीता ट्रेडिंग कम्पनी, चान्दपोल बाजार, जयपुर से जिन औषधियों के निर्माण हेतु रु. 70,178–40 पैसे की पीपली बराड़ी दिनांक 8–1–1985 को, स्थानीय क्रय समिति के अनुमोदन के पश्चात क्रय की गई, उसका विवरण (परिशिष्ट : क :) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

उक्त औषधियों के निर्माण हेतु पीपली बराड़ी की निविदा जारी कर भण्डार क्रय समिति द्वारा दिनांक 30–11–1984 को दरें अनुमोदित करने के पश्चात् निदेशक, आयुर्वेद विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 23782–87 दिनांक 26–12–84 से क्रय आदेश दिये गये थे।

इस माल को खरीदने हेतु सदस्य सचिव (लेखाधिकारी, निदेशालय, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर) द्वारा दिनांक 6–7–84 को निविदा विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी जिसके प्रचार एवं प्रकाशन हेतु जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर को प्रमुख समाचार पत्रों में छपवाने के लिये भेजी गई। जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 3539 84 दिनांक 7–7–84 द्वारा निम्न समाचार पत्रों को प्रकाशित करने हेतु भेजी :—

1. दैनिक नवज्योति संयुक्त, जयपुर।

2. नवभारत टाईम्स, दिल्ली।

3. साप्ताहिक इण्डियन ट्रेड जनरल, कलकता।

इस निविदा की अन्तिम तिथि 23.8.84 में प्रथम वृद्धि 10.9.84 तथा द्वितीय वृद्धि दिनांक 21.9.84 की गई थी। जिन व्यापारियों के द्वारा निविदाएं प्रस्तुत की गई उसका विवरण मय निविदा देने की दिनांक तथा व्यापारियों द्वारा दी गई शर्तों सहित (परिशिष्ट-ख) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विज्ञापन सम्बन्धित माल के लिये प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) निर्माण एवं वितरण का विवरण क्रमशः परिशिष्ट :ग:, एवं "घ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ब्यावर

615. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ब्यावर कब से अवसायन में आ गया और सरकार ने किस को उसका लिक्विडेटर नियुक्त किया है ? लिक्विडेटर ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अवसायन में आ जाने के बाद भी इस बैंक में अनावश्यक रूप से अधिकारी एवं कर्मचारी सेवारत है, और उन्हें नियमित वेतन आदि चुकाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो अवसायन में आने के बाद किन-किन अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को अब तक कितना वेतन आदि चुकाया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ब्यावर दिनांक 28–5–84 को अवसायन में लाया गया। वर्तमान में श्री बाबूलाल परसोया निरीक्षक (कार्यकारी) अवसायक है। लिक्वीडेटर द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

नागौर जिले में डेयरी विकास योजना

616. **श्री भंवराराम** (डीडवाना) : क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर जिले में डेयरी विकास योजना लागू है ?

(2) यदि हां, तो क्या डीडवाना तहसील में भी विभाग द्वारा डेयरी विकास योजना प्रारम्भ करने की योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक चालू कर दी जावेगी और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दूध संग्रह का कार्य वहां पर दूध उपलब्धी की संभावना पर निर्भर करता हैं। सर्वे कराने पर यदि दूध मिलने की सभांवना हुई और यातायात की दृष्टि से अनुकूल हुआ तो यह कार्य शुरू किया जा सकता हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण

617. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति, केशवरायपाटन क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

अन्तर्गत अब तक कितने शाला भवन, पंचायत भवन, औषधालय भवन बने हैं तथा इनमें कुल कितना व्यय किया जा चूका है ? प्रत्येक पंचायत को कौन कौन से कार्य दिये गये हैं ? कृपया पचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति केशवरायपाटन क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक शाला भवन 39, पंचायत भवन 13, एवं औषधालय भवन 7 की स्वीकृतियां जारी कर कार्य चालू कराये गये है जिसमें इन पर क्रमश: 7.12 लाख रुपये, 1.59 लाख रुपये एवं 1.81 लाख रुपये व्यय किए गए है। पंचायत समिति क्षेत्र केशवरायपाटन में अब तक 111 कार्य स्वीकृत किये गये है, पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

इनफैन्ट्री बटालियन स्कीम

618. **श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़)** : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के बांये किनारे पर 128 टी.ए. इनफैन्ट्री बटालियन (पर्यावरण) द्वारा मार्च, 1985, तक कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये ? कृपया ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(2) प्रारम्भ से अब तक इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने पौधे लगाये गये और उनमें कितने प्रतिशत जीवित हैं ?

(3) वन विभाग के किन किन कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया गया और उन्हें क्या विशेष सुविधायें प्रदान कराई गयीं ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के बांये किनारे पर वन विभाग व प्रादेशिक सेना की पर्यावरण ईकाई के आपसी सहयोग से संचालित सघन वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास की विशिष्ट योजना के अन्तर्गत मार्च, 1985 तक निम्न प्रकार लक्ष्य प्राप्त किये गये :—

सघन वृक्षारोपण 644 हैक्टेयर

चारागाह विकास 1950 हैक्टेयर

(2) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में 8.60 लाख पौधे व वर्ष 1984–85 में 7.50 लाख पौधे लगाये गये। वर्ष 1983–84 में लगाये गये पौधे 60% जीवित है व वर्ष 1984–85 में लगाये गये पौधे 80% जीवित है।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिये एक सहायक वन संरक्षक एक क्षेत्रीय और आठ वनपाल के पद स्वीकृत किये गये। श्री संकठा प्रसाद को सहायक वन संरक्षण के पद पर व श्री गोरूराम वर्मा को क्षेत्रीय के पद पर पद स्थापित किया गया है। आठ वनपाल के नियमों के अन्तर्गत तत्काल नियुक्ति नहीं की जा सकी, परन्तु वन मण्डल बेरियावाली

(वन मन्त्री)

सहित अन्य वन मण्डलों से इस परियोजना के लिये निम्न प्रकार अतिरिक्त स्टाफ को कार्य की अधिकता एवं महत्वता को देखते हुऐ स्पेशल ड्यूटी पर लगाया गया :—

1. क्षेत्रीय	3
2. उप क्षेत्रीय	2
3. वनपाल	1
4. वनरक्षक	27
5. मैकेनिक	1
6. ट्रैक्टर चालक	3
7. क्लीनर	1
8. चौकीदार	1
9. चालक	1
10. अमीन	1
11. कनिष्ठलिपिक	1

इन कर्मचारियों को किसी प्रकार की विशेष सुविधाएँ प्रदान नहीं करवाई गई. इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिन-रात वड़ी मेहनत कर इस परियोजना को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस परियोजना के संचालन एवं प्रोजेक्ट आफीसर व कोर्डिनेटर का भार श्री एम. पी. माथुर, वन संरक्षक, बीकानेर को सौंपा गया।

वृहद् स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर

619. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वृहद् स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर में कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुये सन् 1973 में कार्यालय अधीक्षक का पद सृजित किया गया था और सन् 1984 में यह पद फार्म से निदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

(2) क्या सही है कि सन् 1973 से 1984 तक 11 वर्ष के अन्तराल में फार्म पर कार्यालय का कार्यभार और भी अधिक बढ़ गया है ? उक्त फार्म में पद सृजित करते समय कितने अधिकारी, कर्मचारी, डेली वेजेज कार्यरत थे और अब कितने है ? कृपया पद-वार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त पद वापिस फार्म पर स्थानांतरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, चूंकि निदेशालय में लिपिक वर्ग के 42 कर्मचारी कार्यरत हैं फार्म फतेहपुर पर मात्र 3 लिपिक वर्ग के कर्मचारी है। अधिनस्थ कार्यालयों के कार्य क्रियान्विति पुस्तिका के अनुसार 25

(भेड़ व ऊन मन्त्री)

लिपिक सेवा के पदों पर एक पद कार्यालय अधिक्षक का होना चाहिये। इसलिए निदेशालय में कार्य दो कार्यालय अधीक्षक होना अत्यन्त आवश्यक है, निदेशालय में कार्यों की अधिकता को देखते हुए ही फार्म फतेहपुर के कार्यालय अधीक्षक के पद को निदेशालय में स्थानान्तरित किया गया है। तथा निदेशालय में कार्यालय सहायक का पद फार्म फतेहपुर पर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(2) वर्ष 1973 से 1984 के अंतराल में फार्म फतेहपुर से पदों की कमी के कारण कार्यालय के कार्य में बढ़ोतरी नहीं हुई है। परन्तु वर्ष 1980 से मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म फतेहपुर पर तकनीकी कार्य बढ़ा है। फार्म फतेहपुर पर सृजित पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अधिकारी	कर्मचारी	योग	दैनिक मजदुर
1973 से 80	6	62	68	वर्ष 80 से 85 तक
1981 से 85	5	58	63	लगभग 130 दैनिक मजदूर प्रतिमाह रखे जाते हैं।

(3) जी नहीं, चुकि निदेशालय से फार्म फतेहपुर के कार्यालय की कार्यक्षमता को देखते हुए कार्यालय सहायक के पद को स्थानान्तरित किया जा चुका है। तथा निदेशालय में कार्यालय सम्बन्धित एवं निजी सम्बन्धी कार्यों की अधिकता को देखते हुए तथा 42 लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के कार्य के सुपरविजन हेतु 2 कार्यालय अधिकक्षकों का होना आवश्यक है। इसलिए कार्यालय अधीक्षक के पद को स्थानान्तरित किया गया है तथा इस पद को पुनः फतेहपुर पर स्थानान्तरण करने का मामला विचाराधीन नहीं है। क्योंकि इस फार्म पर लिपिक वर्ग के केवल 3 ही कर्मचारी कार्यरत है।

पीपल्दा क्षेत्र के गांवों के पशुओं हेतु नदी पर रास्ता

620. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के गाव गोपालपुरा जटवारी, शहनान्दा, बागली, आदि गांवों के पशुओं को नदी पर पानी पिलाने का रास्ता क्लोजर कायम करने से रुक गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों के पशुपालकों ने क्लोजर से रास्ता खुलवाने हेतु बार-बार सरकार से निवेदन किया है ? यदि हां, तो अभी तक रास्ता कायम नहीं करने का क्या कारण है और अब कब तक रास्ता खुलवा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि गांव गोपालपुरा, जटवारा एवं बागली आदि गांवों के समीप कन्दरा भूमि में कन्दरा स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत प्लांटेशन निर्मित करने से मवेशियों को पानी पिलाने

(वन मन्त्री)

का रास्ता रुक गया है। प्लांटेशन में चराई रोका जाना आवश्यक है।

(2) मवेशियों को पानी के स्थान पर जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

खेल विभाग

622. श्री हरिश चन्द्र (नावां)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में पृथक से खेल विभाग कब प्रारम्भ किया गया ?

(2) पृथक स्थापना से लेकर 1984-85 तक प्रति वर्ष खेल विभाग का बजट क्या रहा है ?

(3) इस अवधि में खेल विभाग के बजट में शहरों व ग्रामों के लिये अलग अलग कितना बजट प्रावधान रखा गया ? 1983-84 व 1984-85 में यह राशि किस प्रकार उपयोग में ली गई ? कृपया विगतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) खेल विभाग के तहत राज्य भर में कितने शहरी व ग्रामीण स्टेडियम व खेल के मैदान हैं एवं ये कब निर्मित हुए हैं ? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ–5(13) म.म./81/दिनांक 17-10-82 के द्वारा स्वतंत्र रूप में खेल विभाग का प्रभार मन्त्री को दिया। आदेश क्रमांक एफ–5 (1) का.क./83, दि. 19-10-83 से सचिव की नियुक्ति की गई तथा दि. 22-10-83 को खेल सचिव ने कार्यभार संभाला।

(2) खेल विभाग का वर्षवार बजट निम्न प्रकार है :—

1983–84	5·00 लाख
1984–85	11·00 लाख

(3) राज्य स्तर पर खेल विभाग के बजट को गांवों एवं शहरों के लिये अलग अलग बांटा नहीं गया था।

वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(4) राज्य में क्रीड़ा परिषद के तहत सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर व इसके खेल मैदान है।

इस स्टेडियम का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चलता है तथा पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है।

प्रदेश में अन्यत्र भी स्टेडियम है परन्तु वे खेल विभाग अथवा क्रीड़ा परिषद के अधीन नहीं है तथा निजी संस्थाओं/स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित करवाये गये हैं। ऐसे स्टेडियम में से कुछ को केन्द्र सरकार का आंशिक रूप से अनुदान क्रीड़ा परिषद के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आंशिक रूप से प्राप्त अनुदान द्वारा निर्मित स्टेडियम व खेल

(खेल मन्त्री)

मैदानों की पिछले पांच वर्ष की वर्षवार सूचि परिशिष्ट "ख" पर है।

(विवरण व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

कामां में पशु चिकित्सालय

624. **श्री शमशुलहसन** (कामां) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1980 से 1985 तक पंचायत समिति, कामां, नगर में वर्षवार कितने पशु चिकित्सालय खोले गये और कहां-कहां नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कामां पंचायत समिति में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है यदि हां तो कहां व नहीं तो क्यों ?

(3) राज्य में इस अवधि में कहां कहां कितने पशु चिकित्सालय खोले गये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से 1985 तक पंचायत समिति, कामां, नगर, में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया अपितु इस अवधि में पंचायत समिति, नगर में गुलपाड़ा ग्राम में पशु औषधालय खोला गया है।

(2) अभी तक वित्तीय वर्ष 1985-86 में नये पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) राज्य में उक्त अवधि में 56 पशु चिकित्सालय खोले गये हैं। जिनकी सूची "क" संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

हरद्वारीनाथ ट्रस्ट श्री गंगानगर

625. **श्री केदार नाथ** (श्री गंगानगर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हरद्वारी नाथ ट्रस्ट चक 2 एम. एल. गंगानगर ने सैकण्डरी स्कूल बन्द करने का नोटिस कब दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि यह नोटिस गैर कानूनी है ?

(3) क्या ट्रस्ट 1 जुलाई, 1985 को स्कूल बन्द कर देगा ?

(4) राज्य सरकार ने इस स्कूल को टेक ओवर करने की क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) मन्त्री, बाबा हरद्वारीनाथ स्मारक विद्यालय समिति ने बन्द करने का नोटिस दिनांक 22-5-85 को दिया था।

(2) जी, हां। राजस्थान अनुदान नियम 1963 के नियम 3 (8) के अन्तर्गत एक वर्ष का नोटिस देना आवश्यक है।

(3) संस्था का दिनांक 1-7-85 से बन्द होना विदित हुआ है।

(4) संस्था को राज्याधीन लेने बाबत् संस्था से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।

लूणी नदी क्षेत्र में बजरी के खनन् पट्टे

626. श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लूणी नदी काकाणी क्षेत्र में बजरी के कितने खनन् पट्टे सरकार द्वारा आवंटित किये गये हैं ? प्रत्येक पट्टे का क्षेत्रफल और वार्षिक स्थिर भाटक क्या है ? राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में कितनी आय प्राप्त हो रही है ?

(2) जोधपुर में बजरी क्षेत्रों के लिये निर्धारित नीति के अनुसार परमिट फीस व रॉयल्टी नाकों पर क्यों नहीं वसूल, की जा रही है ?

उत्तर

(1) लूणी नदी काकाणी में एक खनन् पट्टा 90,000 वर्गमीटर का स्वीकृत है जिसका वार्षिक स्थिर भाटका 57,865,– रुपये हैं। सरकार को इस खनन् पट्टे से वार्षिक रॉयल्टी के रूप में 85,693/– रुपये प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें स्थिर भाटक भी शामिल है।

(2) जोधपुर में बजरी क्षेत्र के खनन् पट्टा क्षेत्र के बाहर से आने वाले वाहन पर निर्धारित नीति के अनुसार ही परमिट फीस व रॉयल्टी नाकों, पर ली जाती है व इसके लिए पाली व सालावास, पीपालनी आदि सड़क पर नाके स्थित हैं।

करौली का वन क्षेत्र

627. श्री शिव चरण सिंह (करौली) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली डी. एफ. ओ. के अन्तर्गत कितने हैक्टेयर वन क्षेत्र हैं ?

(2) कितने वन क्षेत्र में खनन् कार्य चल रहा हैं, व किस किस रेन्ज में कौन कौन से गांवों में ?

(3) वन क्षेत्र में अनाधिकृत खनन के कितने मुकदमें बनाये गये व क्या कार्यवाही हुई ?

(4) कितने वन क्षेत्रों से लकड़ी काटी जा रही है और खेर बनाया जा रहा है व कोयला तैयार किया जा रहा ?

उत्तर

(1) करौली वन मण्डल के अधीन 1,89,462 हैक्टर वन क्षेत्र है।

(2) वन क्षेत्र में चल रही खनन लीज की सूची संलग्न हैं, जिसमें गांव व रेन्ज के नाम अंकित हैं।

(3) वन क्षेत्र में अनाधिकृत खनन करने के 22 मुकदमें बनाये गये हैं, जिनमें राजस्थान वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में वन क्षेत्र में लकड़ी काटने, खेर, कोयला बनाने का कार्य नहीं किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

किशनगढ़ में शुद्ध पेय जल

628. **श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किशनगढ़ की जनता को वितरित किया जाने वाला जल अनफिल्टर्ड है ? यदि हां, तो क्या पूर्व में शुद्ध जल वितरण करने हेतु फिल्टर प्लान्ट लगा हुआ था ? यदि हां, तो वह क्यों और किसलिये हटाया गया ? वर्तमान में वह फिल्टर प्लान्ट कहां पर लगाया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फिल्टर प्लान्ट को हटाते वक्त कोई दुर्घटना हुई थी ? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुये, यदि हुये, तो उन्हें विभाग ने क्या कोई सहायता राशि या मुआवजा आदि दिया ? यदि हां, तो कब ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या भविष्य में किशनगढ़ की जनता को शुद्ध जल वितरित करने हेतु नया फिल्टर प्लान्ट लगाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) किशनगढ़ की जनता को नलकूप एवं कुओं का पानी पेयजल हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पानी को फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है।

पूर्व में इस योजना हेतु एक प्रेशर फिल्टर प्लांट खरीदा गया था जिसे इस योजना हेतु उपयोग में नहीं लिया गया। वर्तमान में यह प्लांट बिचोलिया पेयजल योजना पर लगा हुआ है।

(2) जी हां। फिल्टर प्लांट को ट्रक में चढ़ाते समय श्री छोटू पुत्र श्री ददा घायल हुए। मुआवजे की राशि हेतु विभागीय कार्यवाही जारी है।

(3) जी नहीं।

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अभियन्ता

629. **श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में तकनीकी शाखा में अभियन्ताओं के कौन-कौन से पद सृजित हैं ?

(2) बोर्ड में किन-किन पदों पर बोर्ड के अभियन्ता लगे हुए हैं, तथा उनमें से कितने डिप्लोमाधारी व कितने डिग्रीधारी है ?

(3) बोर्ड में विभिन्न अभियन्ताओं की पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता क्या है ? बोर्ड की सेवा शर्तें व अन्य विभाग की सेवा शर्तों में क्या कोई फर्क है ? यदि हां, तो क्यों ? बोर्ड की निर्धारित शर्तों के अनुसार कितने अभियन्ता निर्धारित योग्यता रखते हैं ?

(4) क्या बोर्ड में योग्य अभियन्ताओं की पदोन्नति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो बोर्ड कब तक पदोन्नति करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य. कृषि विपणन बोर्ड में अभियन्ताओं के निम्न पद सृजित हैं :—

(1) अधीक्षण अभियन्ता

(2) अधिशाषी अभियन्ता

(3) सहायक अभियन्ता

(4) कनिष्ठ/उप अभियन्ता

(2) बोर्ड के अभियन्ता जो कि विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

क्र. सं.	पद	बोर्ड के अभियन्ताओं की संख्या	डिग्रीधारी	डिप्लोमाधारी
1.	अधिशाषी अभियन्ता	4	4	—
2.	सहायक अभियन्ता	19	13	6
3.	कनिष्ठ/उप अभियन्ता	70	3	67

(3) बोर्ड की सेवा उपविधियों के अनुसार विभिन्न अभियन्ताओं की पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यताएं संलग्न अनुसूची "क" में दर्शाई गई हैं।

बोर्ड की सेवा उपविधियां अन्य विभागों के सेवा नियमों के अनुरूप नहीं हैं। अतः सेवा शर्तों में फर्क है। नियमों के संशोधन पर विचार किया जा रहा है, किन्तु पदोन्नति की नीति संबंधी राज्यादेश पर मामला न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण विवादास्पद है। वर्तमान में निर्धारित बोर्ड की शर्तों के अनुसार 4 अभियन्ता निर्धारित योग्यता रखते हैं।

(4) बोर्ड में 1-4-1984 तक के योग्य अभियन्ताओं की पदोन्नति की जा चुकी है। एक उप अभियन्ता द्वारा न्यायालय से अस्थाई स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण अन्य योग्य अभियन्ताओं की पदोन्नति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीतापुरा

630. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सीतापुरा तहसील सांगानेर के व्यवस्थापक द्वारा समिति को गत पांच वर्षों में लगभग एक लाख रुपये की हानि पहुंचाई गई है ?

(2) क्या उस समिति के व्यवस्थापक को जयपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के

(श्रीमती विद्या पाठक)

सांगानेर क्षेत्र के सहायक अधिशासी अधिकारी तथा क्षेत्र के निरीक्षक (ऑडिट) का सहयोग व संरक्षण इन गबन व घोटालों में प्राप्त है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यवस्थापक द्वारा रेकार्ड में हेराफेरी करके सैकड़ों रुपयों का बारदाना गायब करना, छह बोरी चीनी में एक बोरी चीनी की छीजत बताना, भंडारण हेतु बनाये जा रहे भवन का कार्य पूरा होने से पूर्व ही रु. 8,500/-की राशि की जगह रु. 10,500/- का भुगतान कर देना जैसे गंभीर कार्य किये गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत चार पांच वर्षों की आडिट रिपोर्ट में उपरोक्त गंभीर आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया है ? इसके लिये जिम्मेदार निरीक्षक (आडिट) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया पविशिष्ट–12 देखें)

चौरासी क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय

631. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चौरासी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और सुरक्षा के लिए खतरा हैं ? सरकार उनकी मरम्मत करने के लिए कब तक क्या कार्यवाही कर रही है ? कृपया ऐसे विद्यालयों का विवरण सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) चौरासी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नो विद्यालय क्षतिग्रस्त है तथा सात विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1985-86 में वित्तीय प्रावधान को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत की जा सकेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा भू-खण्डों के नियमन में अनियमितता

632. श्री अब्दुल हादी (चोहटन) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों

(श्री अब्दुल हादी)

ने वित्तीय वर्ष 1982-83 में पुरानी भगत की कोठी क्षेत्र में स्थित भूखण्डों का 25 पैसे प्रति वर्ग गज मे नियमित करने से न्यास को रु. 1,13,407 की हानि पहुंचाई जिसका वर्णन लोकल फण्ड ऑडिट ने अपने ऑडिट आक्षेप संख्या 19 में किया ? क्या आडिट हुए अब 15 महीने व्यतीत हो गये हैं ? कृपया सम्बन्धित आडिट आक्षेप की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 9३ (ए) के अनुसार उपरोक्त हानि की राशि कब तक वसूल कर लेगी एवं उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कब तक, क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) यह सत्य नहीं है नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों द्वारा वर्ष 82-83 में पुरानी भगत की कोठी क्षेत्र में स्थित भूखण्डों को मात्र 25 पैसे प्रति वर्गगज के नियमन करने में, 1,13,407 की हानि पहुंचाई गई है। वस्तु स्थिति यह है कि नगर परिषद, जोधपुर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के वक्त इस क्षेत्र में बसे व्यक्तियों की सूची एवं पत्रावलियां प्रस्तुत की। न्यास द्वारा इस मामले में राज्य सरकार की अनुमति सं. एफ. 3 (1) न.आ. ग्रुप 1/ 74 दिनांक 22-2-75 के द्वारा उन सभी कब्जाधारियों को नियमन किया गया है। सम्बन्धित आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) चूंकि नियमन का कार्य राज्य सरकार के आदेशानुसार ही हुआ है। अतः कोई हानि नहीं हुई है। अतः राशि वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)।

बरसाती पानी से भूमि का कटाव

633. **श्री भोलाराम सैनी** (गुढा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुरवाटी के पहाड़ी क्षेत्र में बरसाती पानी से भूमि का कटाव होता है ? यदि हां, तो उसे रोकने की सरकार के पास क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो कृपया योजना की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) यदि अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है तो उसका क्या कारण है, तथा अब कब तक योजना बनायी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कटाव को रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा गह विकास योजना के तहत छोटे छोटे जल ग्रहण क्षेत्र बागोलिया, मणकवास, पंचलगी का कार्य करवाया जा चुका है तथा छोटे छोटे जल ग्रहण क्षेत्र धोलाखेड़ा पचलंगा (11) का चालू है इसके, अतिरिक्त राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खंडीन साईट पचलंगी, मणकवास तथा बागोली का कार्य भी करीब करीब पूरा हो रहा है।

(46)

(कृषि मन्त्री)

वित्तिय अभाव के कारण इस क्षेत्र की कोई बड़ी भू-संरक्षण योजना (इन्ट्रीग्रेटेड प्रोजेक्ट) नहीं बनाई गई है।

(2) उदयपुरवाटी क्षेत्र में पानी से भूमि के कटाव को रोकने के लिए जल ग्रहण क्षेत्र खडीन, एनीकट तथा नला वण्डिंग आदि की नई योजनायें वित्तिय अभाव के कारण स्वीकृत नहीं हो पाई है।

पचपहाड़ सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय

634. श्री दीप चन्द (डग) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार इस सत्र 1985-86 में पचपहाड़ सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय प्रारम्भ करवाने का विचार रखती ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1985-86 में सैकण्डरी विद्यालयों में विषय खोलने हेतु कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतः पचपहाड़ सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय खोलने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

कोटा में रसद विभाग द्वारा पकड़े गये प्रकरण

635. श्री ग्राउदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में गत तीन वर्षों में वस्तुओं की काला बाजारी के रसद विभाग द्वारा पकड़े गये मामलों की निम्न सूचना सदन पटल पट रखें :—

(क) कहां कहां किस किस व्यक्ति को किस किस वस्तु को काला बाजारी करते हुए पकड़ा गया ?

(ख) उनके खिलाफ क्या-क्या मुकदमें कब कब दर्ज हुए, उनमें से कितने कहां-कहां जेरकार है, और कितनों का निपटारा हुआ ?

(ग) कितने मामलों में कितने व्यक्तियों को क्या सजा दी गई ? कितनों को निर्दोष पाया गया ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में गत तीन वर्षों में काला बाजारी के जो मामले पकड़े गये उनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(क) जिस-जिस व्यक्ति को जहां-जहां काला बाजारी करते हुए पकड़ा गया उसका विवरण संलग्न सूची के कालन नं. 3 व 8 में अंकित है।

(ख) मुकदमों के दर्ज होने की तिथि संबंधी सूचना सूची के कालम नम्बर दो में अंकित है। ये मुकदमें कहां-कहां जेरकार है, उसके

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री)

सम्बन्धित सूचना कालम नम्बर 9 में अंकित है। जिन-जिन मामलों का निपटारा हो चुका है, उसकी सूचना भी कालम नम्बर 9 में ही अंकित है।

(ग) जिन-जिन व्यक्तियों को जो सजा दी गई या निर्दोष पाया गया, उसकी सूचना भी कालम 9 में ही अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

बाड़मेर जिले के विद्यालय

636. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढा-मालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची मय स्वीकृत पदों के कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सही है कि बाड़मेर, में राज्य सरकार की नीति के अनुसार कई विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं हैं? यदि हां, तो कृपया उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं यदि हां, तो क्यों, एवं किस-किस विद्यालय में कितने और कब से? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूचियां मय स्वीकृत पदों के सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। विद्यालयों में पर्याप्त पद स्वीकृत हैं। अतः सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। वांछित जानकारी सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

धौलपुर क्षेत्र में उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय

637. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1984–85 में कुल कितने उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोले गये?

(2) विभिन्न स्तर के विद्यालय खोलने के क्या आधार हैं?

48

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(3) उक्त क्षेत्र में उपरोक्त आधारों के आधार पर वित्त वर्ष 1985–86 में कितने कितने उच्च प्राथमिक एवं कितने माध्यमिक विद्यालय किस किस स्थान पर खोले जायेंगे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्रानुसार विद्यालय नहीं खोले जाते हैं। वर्ष 1980–81 से वर्षा 1984–85 तक धौलपुर पंचायत समिति में निम्न उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं :—

वर्ष	उ.प्रा.वि.	मा.वि.
1980–81	4	5
1981–82	4	–
1982–83	1	–
1983–84	4	–
1984–85	7	2
योग :	20	7

(2) क्षेत्रीय आवश्यकता, छात्रों की संख्या, पर्याप्त भवन की सुविधा व वित्तीय साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तर के विद्यालय खोलने पर विचार किया जाता है।

(3) वर्ष 1985–86 में विद्यालय खोलने हेतु कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतः इस वर्ष विद्यालय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र

638. **श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा संचालित ट्रेनिंग सेन्टर में प्रशिक्षणार्थियों से प्रतिदिन रु. 7·50 खाने के और रु. 15 सर्विस चार्जेज लिये जाते हैं ? सर्विस के नाम पर क्या क्या सुविधा दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण केन्द्र के भवन के किराये में डेप्रिसियेशन भी शामिल है एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने जनवरी, 1985 से खर्चे का भुगतान करना बन्द कर दिया है, यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बैंक प्रशासक के लिए वातानुकूलित कार खरीदी गई ? क्या राज्य सरकार ने कार क्रय करने हेतु स्वीकृति दी है ? किसानों की संस्था में वातानुकूलित कार का क्या उपयोग है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि विकास बैंक में अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये टाईपिस्ट के पद खाली हैं ? यदि हां, तो रोस्टर प्रणाली से पदों की संख्या क्या है ?

(5) क्या यह सही है कि रिजर्व्ड कोटे में टाईपिस्ट के पद पर जयपुर भूमि विकास बैंक में किसी की नियुक्ति की गई है ? यदि

(श्री मोहन प्रकाश)

हां, तो किस की ? कृपया इस संबंधी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 30/– रु. प्रतिदिन की दर से स्टाईपंड नाबार्ड की ओर देय होता है जिसमें उनके निर्देशानुसार 7·50 रु. प्रशिक्षणार्थी को जेब खर्च हेतु नकद भुगतान किये जाते हैं तथा 22·50 रुपये बोर्डिंग व लोजिंग हेतु समायोजित किये जाते हैं । इस प्रकार से प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों को 22·50 रु. में बोर्डिंग व लोजिंग की सुविधा प्रदान की जाती हैं ।

(2) जी नहीं । प्रशिक्षण केन्द्र के भवन के किराये में डेप्रीशियेशन शामिल नहीं है । राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को जनवरी 1985 से किराये का पुनर्भरण करने हेतु प्रस्ताव भेजे हुए हैं जो अभी उनके विचाराधीन हैं उनके द्वारा भुगतान बन्द करने की कोई स्थिति नहीं है ।

(3) जी हां । बैंक द्वारा एम्बेसेडर कार विभाग के पत्र संख्या 50 (52) सविरा/भू. बैंक, 81 दिनांक 21-8-84 से स्वीकृति प्राप्त कर पुरानी कार के स्थान पर (रिप्लेसमेन्ट) खरीदी गई है । यह बैंक राज्य स्तरीय संस्था है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी, विदेशी टीमें एवं वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि विजिट हेतु आते रहते हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए ही एम्बेसेडर कार को वातानुकूलित करवाया गया है ।

(4) जी हां । कुल 4 पद खाली हैं ।

(5) जी नहीं ।

सिनेमा उद्योग को प्रोत्साहन

639. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982 में एक लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में सिनेमा बनाने वाले उद्योगियों की सुविधा के लिए 3 वर्ष तक मनोरंजन कर में छूट दी गई थी ? इस छूट का लाभ राजस्थान में कितने सिनेमा मालिकों को दिया गया है ? कृपया उनकी सूची विवरण सहित सदन के पटल पर रखें ?

(2) क्या सरकार द्वारा ऐसे सिनेमा बनाने के लिए ऋण की सुविधा भी दी गई थी ? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा यह ऋण उपलब्ध करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्या ऋण उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) सिनेमा मालिकों को छूट दी गई. सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा सिनेमा निर्माण हेतु कोई ऋण नहीं दिया जाता है और ऐसा कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

(50)

मंडावर की मंडी के व्यापारियों के पार्टनरशिप डीड्स का निरस्तीकरण

640. **श्री किरोड़ी लाल** (महुआ) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील महुआ द्वारा मंडी मंडावर के व्यापारियों के पार्टनरशिप डीड मंगवाकर अप्रेल, 1985 से लाइसेंस निरस्त कर दिए गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार को व्यापारियों के पार्टनरशीप डीड मंगवाकर नियमानुसार निरस्त करने के अधिकार हैं ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यवाही के बाद व्यापार समिति, मंडावर द्वारा उच्चाधिकारियों को शिकायतें की गईं ? यदि हां तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश, 1980 के अन्तर्गत अगर किसी पार्टनरशीप फर्म द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है और उक्त फर्म द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति किसी शर्त अथवा निबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उस अवस्था में उक्त फर्म के समस्त भागीदार उक्त उल्लंघन के दोषी होते हैं। इस सदर्भ में तहसीलदार, महुआ द्वारा मण्डावर मण्डी के पांच अनुज्ञप्तिधारियों को 'पार्टनरशीप डीड" प्रस्तुत करने के नोटिस दिये गये थे। चार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नोटिस के उपरान्त भी "पार्टनरशीप डीड" प्रस्तुत नहीं करने पर उनके अनुज्ञप्तियों का निलम्बन कर दिया गया।

(2) तहसीलदार, महुआ राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एवं नियन्त्रण) आदेश, 1980 के अन्तर्गत, तहसील क्षेत्र का लाइसेन्सि आथोरिटी है। अत: तहसीलदार महुआ व्यापारियों से "पार्टनरशीप डीड" प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। तहसीलदार महुआ, तहसील क्षेत्र की लाइसेन्सिग आथोरिटी होने के कारण, जिन व्यापारियों ने "पार्टनरशीप डीड" समय पर प्रस्तुत नहीं किया, उनके लाइसेन्स निलम्बित करने के लिए सक्षम है।

(3) व्यापार समिति, मण्डावर द्वारा शिकायत करने पर उपजिलाधीश एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई। शिकायत निराधार पाई जाने पर किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

बून्दी जिले के ग्रामों में हैण्ड पम्प्स की व्यवस्था

641. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बून्दी जिले की तहसील केशवराव पाटन के ग्राम चान्दाखुर्द एवं गांव डोबरली में हैण्ड पम्प स्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक लग जावेंगे ?

(श्री हरीश शर्मा)

(2) क्या जिला परिषद् बून्दी से भी उक्त गांवों में हैण्ड पम्प्स लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कब प्रस्ताव प्राप्त हुए, तब से, अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग जिला परिषद् के प्रस्तावों पर हैण्ड पम्प लगाता है ? क्या यह सत्य है कि जिला परिषद् के प्रस्तावों को विभाग गम्भीरता से नहीं लेता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) धन उपलब्धि के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों में वरीयता के आधार पर जिला परिषद् के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं। समस्यारहित गांवों में जहां पर हैण्ड पम्प लगाने के जिला परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाते हैं। अगर जिला परिषद् समस्यारहित गांवों को समस्याग्रस्त हो गये हैं, उतने ही गांव समस्याग्रस्त की सूची में से हटाने का प्रस्ताव देने पर उन समस्यारहित गांवों के लिए भी हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जा सकते हैं।

राजकीय चिकित्सालय चाकसू में स्वीकृत स्टाफ

642. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजकीय चिकित्सालय, चाकसू (जयपुर) में चिकित्सकों तथा मेल/फीमेल, नर्सेज के कितने पद नार्म्स के अनुसार स्वीकृत हैं ? क्या नार्मस के आधार पर सभी पद भरे हुये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी, अधिकारी कब-कब से कार्यरत हैं ? कृपया नामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वहां पर कार्यरत एक चिकित्सा अधिकारी 10-15 वर्ष से इसी अस्पताल में है, जबकि गांव वालों की बार-बार शिकायत भूतपूर्व मन्त्री महोदय को की गई ? यदि हां, तो मेडिकल अधिकारी का स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं किया गया ? इसका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि चिकित्सालय में दवाइयों की कमी बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक वर्ष निर्धारित कोटे की दवाईयां चिकित्सालय को समय पर आवंटित कर दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

जी हां।

(2) जी हां, डा. गुलाब सिंह राठौड़, राजकीय चिकित्सालय चाकसू में दिनांक 22-7-79 से लगातार कार्यरत हैं। डा. राठौड़ के पूर्व में 5 बार चाकसू से स्थानान्तरण किये गये थे किन्तु उक्त चिकित्सक

(चिकित्सा मन्त्री)

के स्थानान्तरण जनता द्वारा मांग पर निरस्त हो गये। अब इसे हटाने की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

(3) जी नहीं,

राजकीय चिकित्सालय चाकसू में निर्धारित कोटे के अनुसार समय पर दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। उपलब्ध कराई गई दवाई का तीन वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष	बजट	दवाइयों का मूल्य
82–83	17000/	26053–97
83–84	17000/	17432–78
84–85	20000/	25:81–00

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

नागौर जिले के चिकित्सक संस्थान

643. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नागौर जिले में अस्पताल, डिस्पेन्सरी व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां हैं, तथा इनमें कितने-कितने रोगी शैय्याओं की व्यवस्था है ?

(2) इनमें किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों के कितने-कितने पद सृजित हैं, तथा उसमें इलाज कराने वाले कितने-कितने मरीज आते हैं और कितने-कितने भर्ती किये जाते हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कर्मचारियों के पद सृजित करने के क्या-क्या आधार हैं ? उसमें क्या रोगियों की संख्या का भी आधार है ? यदि हां, तो इस आधार पर उपरोक्त 'स्थानों पर किस-किस जगह पर गत दो वर्षों में नये पद सृजित किये गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त पदों में से कौन-कौन से पद कब-कब से खाली हैं, और उनको कब तक भर दिया जायेगा तथा खाली रहने के कारण क्या है ?

(5) जिले में कहां-कहां पर कौन-कौन से पद सृजित करने की मांग विभाग को कब-कब प्राप्त हुई ? उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक पद सृजित कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) सूची (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) विभाग में प्रचलित मापदण्ड की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। उक्त मापदण्डों के आधार पर योजना मद में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के अनुरूप पद सृजित किये जाते हैं। वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में सृजित पदों का विवरण

(चिकित्सा मन्त्री)

(परिशिष्ट "ग") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) रिक्त पदों की सूची (परिशिष्ट "घ") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जिले के लाडनूं चिकित्सालय में एक पद रेडियोग्राफर के सृजित करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 26-4-85 को प्राप्त हुआ था। योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान न होने के कारण पद सृजित नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर हास्पिटल का आपरेशन थियेटर

644. श्री राजकुमार जयपाल (अजमेर पूर्व): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में नया आपरेशन थियेटर बन गया है? पर वातानुकूलित नहीं हो पाया है, जिसके कारण इस थियेटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में काम में आ रहा थियेटर अस्वास्थ्यकर है तथा पैथोलोजिकल कलचर भी नहीं हो रहा है, जिससे अनेक आपरेशन बिगड़ जाते हैं।

(3) सरकार इनके लिए क्या कार्यवाही कर रही है, और कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) नये थियेटर को वातानुकूलित करने हेतु बजट में प्रावधान कर दिया गया है। वातानुकूलित करने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जावेगा।

जनरल चिकित्सालय, नसीराबाद

645. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नसीराबाद राजकीय जनरल चिकित्सालय किस श्रेणी का है? उसमें कितने बिस्तर, डाक्टर व नर्सों का स्टाफ स्वीकृत है तथा कितने वर्तमान में स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह चिकित्सालय राज्य सरकार को वहां की जनता ने छावणी बोर्ड के मार्फत मय साज सामान व भवन के दिया है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसे लेने के बाद इसके भवन में क्या वृद्धि की, अगर नहीं, तो क्यों?

(3) क्या वर्तमान बिस्तरों की संख्या को देखते हुए यह भवन अपर्याप्त है? क्या राज्य सरकार इस कमी की पूर्ति इसी वर्ष करने का विचार रखती है?

(4) अगर जनता भवन की कमी की पूर्ति करने में जन सहयोग दे, तो राज्य सरकार का क्या व कितना योगदान होगा?

(चिकित्सा मन्त्री)

उत्तर

(1) नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय "डी" श्रेणी का है। वर्तमान में यह चिकित्सालय 50 रोगी शैय्याओं का है। स्वीकृत पदों की एवं कार्यरत स्टाफ की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। यह चिकित्सालय छावनी बोर्ड से राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया है जिसमें भवन व साज सामान उपलब्ध था।

जी नहीं। वित्तीय प्रावधानों के अभाव में।

(3) जी नहीं।

(4) ठोस प्रस्ताव आने पर एवं मुख्यमन्त्री चिकित्सालय विकास कोष के नियमानुसार सहयोग देने पर विचार किया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट –17 देखें)

गर्भ समापन प्रयोजनार्थ प्राइवेट क्लिनिक्स का पंजीकरण

646. **सुश्री गिरजा व्यास** (उदयपुर)
श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क)
श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)
श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण)
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगून्दा)
श्री कमला भाई (लसाडिया) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (अधिनियम संख्या 34) के अन्तर्गत प्राइवेट क्लीनिक का पंजीकरण अनिवार्य है ?

(2) यदि हां, तो जयपुर शहर में ऐसी कितनी क्लीनिक पंजीकृत हैं ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

(3) जो क्लीनिक पंजीकृत नहीं हैं, और विज्ञापन करती हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जो प्राइवेट क्लीनिक्स् गर्भ समापन सेवायें देना चाहती है उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।

(2) जयपुर शहर में ऐसे 28 प्राइवेट क्लिनिक रजिस्टर्ड हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इसके बारे में जानकारी ली गई व इस प्रकार के तीन क्लीनिक नामजद ध्यान में आये हैं—

1. एस. डी. आर. एम. अस्पताल, इण्डियन आयल डिपो के सामने, 22 गोदाम, जयपुर।

2. महेश प्रसूति गृह एवं अस्पताल, तोपखाना मार्ग, जयपुर।

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री)

3. जयपुर हॉस्पिटल एवं नेत्र केन्द्र, चांदी की टकसाल, जयपुर।

इनकी जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करवा कर आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

जिलाधीश कार्यालय, पाली द्वारा पारित आदेशों की तामील

647. **श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)**: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में जिलाधीश कार्यालय में प्रशासन द्वारा पारित आदेश महीनों तक तामिल में नहीं भेजे जाते हैं।

(2) अगर प्रश्न का भाग (1) सही न हो तो बताया जावे कि श्री नवरग राम, अतिरिक्त जिलाधीश पाली किस तारीख से किस तारीख तक पाली में रहे, व उनके द्वारा श्री मोहनसिंह पटवारी आलावास तहसील सोजत को चार्ज शीट बनाई व उनकी हस्ताक्षर शुदा है व उसको कब कलेक्टरेट से उपखण्ड अधिकारी को भेजी ? इतने लम्बे समय तक न भेजने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन दोषी है व उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) मोहन सिंह पटवारी की विभागीय जांच में चार्ज शीट कब दी गई, व अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विभागीय कार्यवाही इतनी लम्बी करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्री नवरंगराय अतिरिक्त जिलाधीश दिनांक 21–12 81 से 14–7–83 तक पाली में कार्यरत रहे। श्री मोहनसिंह भू. पू. पटवारी आलावास तहसील सोजत को चार्जशीट जिस पर नवरंगराय के हस्ताक्षर है दिनांक 10–2–83 को जारी की गयी तथा, चार्जशीट श्री मोहनसिंह को तामिल हेतु उपखण्ड अधिकारी सोजत को नहीं भेजी गई बल्कि तहसीलदार सोजत को भेजी गई। जो दिनांक 24–2–83 को श्री मोहनसिंह को तामिल हुई। इस प्रकार चार्जशीट समय पर जारी होकर समय पर तामिल हुई। अतः इसमें किसी भी कर्मचारी का दोष नहीं है।

(3) श्री मोहन सिंह पटवारी को विभागीय जांच में चार्जशीट दिनांक 10–2–83 को दी गई। श्री मोहन सिंह को उक्त चार्जशीट 24– –83 को तामिल हुई। श्री मोहनसिंह का प्रत्युत्तर रिकार्ड निरीक्षण के बाद दिनांक 24–4–83 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रत्युत्तर मूल में तहसीलदार सोजत को टिप्पणी हेतु भेजा गया। तहसीलदार सोजत की टिप्पणी दिनांक 19–10–84 को प्राप्त हुई। इसके बाद दिनांक 12–11–84 को जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई एवं वर्तमान में जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही जारी है।

जालोर में कृषि अनुसंधान योजना

648. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर में कृषि अनुसंधान हेतु एक योजना के लिए कृषि विशेषज्ञों की टीम ने सर्वेक्षण किया है ? यदि हां, तो कब एवं क्या ?

(2) इस कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा जिले में कब तक क्या-क्या कार्य किया जावेगा ?

(3) इस केन्द्र को जालोर में स्थापित करने हेतु कितनी धन राशि कहां से खर्च की जावेगी ?

उत्तर

(1) अभी तक कोई सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है।

(2) सम्बन्धित नहीं है।

(3) सम्बन्धित नहीं है।

नगर परिषद्, सीकर द्वारा दमकलों की खरीद

649. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) **श्री हरलाल सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर परिषद् में दमकल न होने से नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(2) क्या नगर परिषद् सीकर दमकलें खरीदने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और इस पर कितनी लागत आयेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वर्ष 1985-86 के बजट में इसका प्रावधान रखा गया है। इस पर 3 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

काश्तकारों को पास बुक्स

650. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान पास बुक-रेकार्डिंग आफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट. 1983 के लागू होने के बाद काश्तकारों को पास बुक देने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या सरकार राज्य के समस्त काश्तकारों को पास बुक तैयार करके निश्चित सीमा अवधि में वितरण करने का कार्य योजनाबद्ध तरीके से विशेष अभियान चला कर सम्पन्न करायेगी।

उत्तर

(1) राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) अधिनियम, 1983 एवं इसके तहत बने नियमों के पश्चात् राजकीय मुद्रणालयों में अब तक 2·10 लाख पास बुक छप कर जिला अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, नागौर, सीकर व उदयपुर को काश्तकारों को वितरण हेतु भेजी जा चुकी है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) पास बुक्स का काश्तकारों को वितरण योजनाबद्ध तरीके से किया जावेगा।

रेवेन्यू अदालतों में न्यायिक सेवा अधिकारी

651. श्री हीरासिंह चौहान (रामपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार रेवेन्यू अदालतों में न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों को लगाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि कार्यपालक दण्डनायक ही रेवेन्यू अदालतों में पीठासीन अधिकारी होने से उप-खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर पक्षकारों को सही न्याय समय पर नहीं मिल पाता है ?

(3) क्या सरकार लोगों को निष्पक्ष निर्णय देने के लिये राजस्व न्यायालयों में जिला स्तर व उप खण्ड स्तर पर भी अलग रेवेन्यू अधिकारी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह सही नहीं है।

(3) विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों की अधिक संख्या होने पर तथा उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादों को शीघ्र निपटाने हेतु जिला स्तर पर अतिरिक्त कलेक्टर तथा उप खण्ड स्तर पर सहायक कलेक्टर की नई अदालतें समय-समय पर स्थापित की जाती है।

गोइली रोड सिरोही आवासीय योजना

652. श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिरोही नगर की विकट आवासीय समस्या के समाधान हेतु नगर नियोजक ने गोइली रोड, आवासीय योजना तैयार की है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस योजना को केन्द्रीय लघु एवं माध्यमिक नगर विकास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु वांछित परियोजना रिपोर्ट नगर नियोजक विभाग ने तैयार कर दी है ?

(3) यदि नहीं; तो यह परियोजना रिपोर्ट कब तक तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) सिरोही के लिए भारत सरकार की लघु एवं मध्यम कस्बों के समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत वांछित परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1985 में ही भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेज दी गई है, लेकिन उसमें गोइली रोड आवासीय योजना सम्मिलित नहीं की गई है। अलग से ही दो आवासीय योजनायें बनाई गई है।

उत्तर

(1) वर्ष 1955 से।

(2) अध्यक्ष का चयन निर्वाचित पद्धति द्वारा किया जाता है तथा अध्यक्ष कार्य-कारणी मनोनीत करता है। पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) गतिविधियां एवं आय के स्रोतों की सूची संलग्न है। संस्था की आय व्यय का नियन्त्रण संस्था की कार्यकारणी समिति द्वारा किया जाता है जिसमें स्वायत्त शासन विभाग के सचिव एवं स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक पदेन सदस्य है।

(4) जी नहीं।

(सूचि के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

जोधपुर विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं के पद

654. **श्री पोकर लाल परिहार** (देसूरी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में गत तीन वर्षो से काफी व्याख्याताओं के स्थायी पद चयन समिति द्वारा भरे गये ? यदि हां, तो कुल कितने पद कब-कब किस-कस संकाय में भरे गये ? कृपया चयनित व्याख्याताओं की सूची मय नाम, पते के सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों का चयन जान, बूझ कर नहीं किया गया, जब कि वे पूर्ण योग्यता रखते थे ? अगर हां, तो क्यों ? कृपया जोधपुर विश्वविद्यालय के उन उम्मीदवारों की सूची सदन के पटल पर मय योग्यता के रखें, जिनका चयन नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न संकायों में समय-समय पर किये गये चयनित व्याख्याताओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। ऐसा कहना सही नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

बीकानेर आगार की बसें

655. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) बीकानेर आगार से प्रतिदिन किस-किस रूट पर रोडवेज की कितनी बसें किस-किस समय पर चलाई जा रही है ?

(2) बीकानेर से प्रतिदिन कितने यात्री रोडवेज की बसों में सफर करते हैं ? क्या राज्य सरकार यात्रियों की परेशानी तथा संख्या को देखते हुये बसें बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से रूट विचाराधीन हैं, व कब तक शुरू कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) बीकानेर आगार द्वारा मार्गवार चलायी जा रही बस सेव

(यातायात मंत्री)

सारणी दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जून, 85 माह के आंकड़ों के आधार पर बीकानेर से प्रतिदिन रोडवेज की बसों में 3739 यात्री सफर करते हैं। बीकानेर से प्रतिदिन प्रस्थान लेने वाली वाहनों की संख्या 95 है। इस प्रकार प्रति बस औसतन 39 यात्री बीकानेर से सफर करते हैं। उक्त यात्री भार से स्पष्ट है कि बीकानेर से मार्गों पर किसी प्रकार की ओवर लोडिंग नहीं है जिससे यात्रियों को परेशानी होती हो।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

बस किराये में असमानता

656. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर से बस्सी एवं जयपुर से बगरू समान दूरी का राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में असमानता का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर से बस्सी, जयपुर से बांसखोह, जयपुर से लवाण, जयपुर से तूंगा एवं जयपुर से सांगरिया, जयपुर से देवगांव तथा जयपुर से घूला वाया जटवाड़ा मार्ग पर चलने वाली बसों का किराया जयपुर डिपो का चार्ज किया जाता है, जबकि बस सेवा घाटगेट से ही उपलब्ध होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) किराये की यह असमानता दिनांक 16.7.85 से समाप्त कर दी गई है।

(2) जी नहीं। घाटगेट से प्रारम्भ होने वाली बस सेवाओं तथा बस्सी, बांसखोह, लवाण, तूंगा, सांगरिया, देवगांव, घूला के लिये घाटगेट से संचालित बसों में किराया घाटगेट से ही चार्ज किये जाने हेतु आदेश दिनांक 15.7.85 को प्रसारित किये जा चुके हैं।

कोलमबाइट टेन्टेलाइट रेडियो एक्टीविटी की लीज

657. **श्री हरि कुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री रतन लाल कामदार, निवासी मदनगंज को कोलमबाइट टेन्टेलाइट रेडियो एक्टीविटी की लीज लाइसेंस ग्राम बीदरसीदरो, तहसील किशनगढ़ के पास दिया गया था और श्री रतन लाल कामदार ने उस लीज से केन्द्र को रेडियो एक्टिव मिनरल सप्लाई किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस लीज को राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया और लीज अन्य व्यक्ति को दे दी गई ?

(3) श्री रतन लाल कामदार से इस लीज को लेने के बाद कितनी मात्रा में रेडियो एक्टीव मिनरल निकाला गया और कितनी मात्रा में केन्द्र सरकार को सप्लाई किया गया ? क्या श्री रतन लाल कामदार

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

की लीज को रद्द कर, अन्य व्यक्ति को देना नियमानुसार था ?

उत्तर

(1) हाँ, यह सही है कि श्री रतन लाल कामदार निवासी मदनगंज किशनगढ़ को खनिज बेरियल एवं अन्य एटोमिक मिनरल के लिए दिनांक 22.9.52 से 21.9.54 तक पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् राज्यादेश क्रमांक एफ 4 (6) सी. आई. एम./55-11 दिनांक 3.3.1959 से दिनांक 22.9.54 से 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। हां यह सही है कि श्री रतन लाल कामदार द्वारा पी. एल. अवधि में बेरियल 5 टन 7 क्विटल व अन्य एटोमिक मिनरल 1250.5 पोण्ड बेचा गया था।

(2) हां, यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ-4 (6) सी आई एम /55 दिनांक 12.4.63 से इस खनन पट्टे को खण्डित कर दिया था। हां यह सही है कि इस क्षेत्र को राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक 2 (216) खान/ग्रुप-4/78 दिनांक 14.3.80 से अन्य व्यक्ति सर्वश्री हिन्दुस्तान मायका एण्ड मिनरल्स सप्लायर्स प्रो. शान्ति लाल जैन को दे दिया।

(3) हां, यह सही है कि रतनलाल कामदार से लीज लेने के बाद इस क्षेत्र से 1300 किलोग्राम मात्रा में रेडियो एक्टिव मिनरल (बेरियल) निकाला गया है। अभी तक इस खनिज को केन्द्र सरकार को सप्लाई नहीं किया गया है। श्री रतनलाल कामदार की लीज को रद्द कर अन्य व्यक्ति को दिया जाने की कार्यवाही नियमानुसार है।

छीपा बड़ौद का जंगल राजस्व से वन विभाग के खाते में लगाना

658. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)

श्री प्रभु लाल (नैनवा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील छीपाबड़ोद के ग्राम दोबड़ा व बावड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत, दीगोद जागीर का कुछ जंगल राजस्व से वन विभाग के खाते में लगा दिया है ? यदि हां, तो कितने बीघा तथा वर्तमान में उस पर किसका कब्जा है ?

(2) उक्त कार्यवाही के लिए कौन दोषी है, तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील छीपा बड़ौद की ग्राम पंचायत दीगोद जागीर के ग्राम दोबड़ा व बावडी खेड़ा को क्रमशः 3308 बीघा 18 बिस्वा व 4165 बीघा 14 बिस्वा राजकीय भूमि को नियमानुसार वन बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण कर वर्ष 1988 में राजस्थान राजपत्र में अंतिम विज्ञप्ति प्रकाशित की जाकर रक्षित वन खण्ड इरनायदा में सम्मिलित किया गया। ग्राम दोबड़ा व बावड़ी खेड़ा के वन रकबे में से दोबड़ा का 309 बीघा 2 बिस्वा तथा ग्राम बावड़ी खेड़ा का 1433 बीघा 19 बिस्वा कुल 1743

(वन मंत्री)

बीघा। बिस्वा राजस्व अभिलेख में अमल बरामद होने से रह गया। बाद में उक्त आलेख रकबे को राजस्व विभाग में नामान्तकरण संख्या 50 में 103 दिनांक 27.11.78 द्वारा वन विभाग के खाते में दर्ज कर दिया। वर्तमान में ग्राम दोवड़ा की 3308 बीघा 18 बिस्वा व बावड़ी खेड़ा की 4165 बीघा 14 बिस्वा पर. वन विभाग का ही कब्जा है।

(2) ग्राम दोवड़ा को 3308 बीघा 18 बिस्वा व बावड़ी खेड़ा की 4165 बीघा 14 बिस्वा सरकारी भूमि को, नियमानुसार वन बन्दोबस्त कार्यवाही अमल में लायी जाकर राज्य सरकार से अनुमोदन उपरांत राजपत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर रजिद वन में सम्मिलित किया गया है तथा विज्ञप्ति के अनुरूप ही रकबा वन विभाग के नाम राजस्व खाते में दर्ज किया गया है, इसमें किसी का दोष नहीं रहा है, तथा उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ से वायु प्रदूषण

660. **श्री अमर चन्द** (गगानगर): क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिये अब तक कोई कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त फैक्ट्री से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) नियम 1983, के लागू होने के पश्चात् बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ से विचार-विमर्श कर वायु प्रदूषण की समस्या एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की विभिन्न धाराओं से अवगत करवाया एवं उद्योग को बाध्य किया कि वह एक निश्चित अवधि के तहत राज्य मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदूषण तत्वों को नियंत्रित करें। उद्योग द्वारा इस विषय में कार्यवाही की गई एवं राज्य मण्डल को आश्वस्त किया कि वह 31.12.85 तक प्रदूषण तत्वों को राज्य मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं में ले आयेगा। जिलाधीश न्यायालय में बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण रोकने के लिए धारा 133 सी. आर. पी. सी. के तहत मुकदमा नम्बर 1/85 दर्ज किया गया है।

उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उपकरण लगा रखें हैं लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है।

(2) जी, हां। उद्योग द्वारा राज्य मण्डल को यह आश्वस्त किया गया है कि वह 31.12.85 तक, वायु प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर प्रदूषक

(पर्यावरण मन्त्री)

तत्वों की मात्रा राज्य मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ले आयेगें।

नागौर की ग्राम पंचायतों को अनुदान

661. श्री मोहनलाल बाल्पाल (जायल): क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति जायल, जिला नागौर की ग्राम पंचायतों को एन. आर. ई. पी. डी. पी. ए. पी. योजनाओं से दिनांक 1.1.1982 से लागत तारीख 31 3.1985 तक किस-किस विकास कार्य के लिये किस-किस ग्राम पंचायत को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

(2) यदि किसी स्वीकृति से रद्दोबदल हुआ हो तो उसका विवरण भी सदन के पटल पर रखें स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं हुआ हो, तो उसका विवरण उपयोग नहीं होने के कारणों सहित, सदन के पटल पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत छीला सेवड़ी पंचायत समिति, नागौर में सन् 1980 से लेकर तारीख 31.3.1985 तक कितना-कितना अनुदान डी. आर. डी. ए. के अन्तर्गत दिया गया ?

(4) क्या ग्राम छीला एवं ग्राम सेवड़ी के मिडिल स्कूलों के भवन, अनुदान के अभाव में अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ? एवं इन दोनों कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति जायल में 1.1.82 से 31.3.85 तक एवं एन. आर. ई. पी. योजनान्तर्गत किसी भी विकास कार्य के लिए किसी भी पंचायत को अनुदान नहीं दिया गया। डी. पी. ए. पी. क्षेत्र में नागौर नहीं है।

(2) लागू नहीं।

(3) एन. आर. ई. पी. योजनान्तर्गत कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता। एन. आर. ई. पी. में कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

कुंए निर्माण हेतु ऋण

662. श्री ग्यारसी लाल परिडवाल (निवाई) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1984-85 में तहसील निवाई में कितने व्यक्तियों को कुए निर्माण हेतु कितना-कितना लोन दिया गया। तथा किस-किस ग्राम में दिया गया ? अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कृपया ग्रामवार एवं नाम वार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रति व्यक्ति जो लोन लेता है प्रथम किश्त के बाद दूसरी या तीसरी किश्त नहीं दी जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 में तहसील निवाई में इस बैंक द्वारा 36 व्यक्तियों को 2.21 लाख रुपये का ऋण कुए निर्माण हेतु दिया गया। व्यक्तिवार व ग्रामवार दिये गये ऋण की सूचि परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई हैं। अनुसूचित जाति के 13 सदस्यों को ऋण दिया गया, ग्रामवार व नामवार वितरित किये गये ऋण की सूची परिशिष्ट "ब" भी सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। ऋण की प्रथम किश्त के उपयोग की जांच के पश्चात् दूसरी एवं दूसरी किश्त के उपयोग की जांच के पश्चात् तीसरी किश्त वितरित की जाती हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

लेम्प्स व पेक्स हेतु क्रय समिति

664. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम द्वारा संचालित लेम्प्स व पेक्स के लिये उपभोक्ता सामग्री क्रय करने हेतु समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो कृपया समिति के नाम सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय ने बिना समिति की स्वीकृति के कपड़ा, मेहता क्लाथ व नी. टी. एम. से खरीदा ? यदि हां, तो अप्रेल, 1983 से अब तक कितना कपड़ा कहां-कहां से खरीदा ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या लाखों रुपयों का कपड़ा आज भी बिना बिका पड़ा है, जिससे पूंजी व ब्याज का भारी नुकसान निगम को हो रहा है ? यदि हां, तो ऐसे अनुचित माल के क्रय करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। समिति के सदस्यों के नाम निम्न हैं :—

1. महाप्रबन्धक	अध्यक्ष
2. प्रबन्धक (सहकारिता)	सदस्य
3. प्रबन्धक (वित्त)	सदस्य
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक (एक)	सदस्य

(2) उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय ने बिना समिति की स्वीकृति के कपड़ा अप्रेल, 83 के बाद मेहता क्लोथ एवं नी. टी. एम. से नहीं खरीदा गया।

(3) लेम्पस पेक्स को वितरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में 2,84,309/–रु. का कपड़ा 30.6.85 को पड़ा था।

उदयपुर (पूर्व)	41718
उदयपुर (पश्चिम(	31091
डूंगरपुर	184000
बांसवाड़ा	15000
बांरा (कोटा)	12500
योग :—	2,84,309/—

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

संघ से सम्बद्ध लैम्पस पैक्स 246 को सामग्री पहुचाने हेतु यह आवश्यक है। अधिकतर सामग्री निकट भविष्य में वितरण की जावेगी। उपरोक्त क्रय से संघ को सीधी कोई हानि नहीं है।

ब्यावर में आई. टी. आई. की मांग

665. **श्री माणकचन्द डाणी** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने पिछले वर्ष आई. टी. आई. तथा मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है ? अगर हां, कब की ? एवं कहां-कहां खोलने की घोषणा की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषणा के अनुसार कब तक कितने कॉलेज खोले जा चुके हैं ?

(3) क्या उक्त घोषणानुसार राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में यह कॉलेज खोलने जा रही है ? यदि हां तो कहां-कहां पर ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ब्यावर में आई. टी. आई. खोलने का इसी वित्तीय वर्ष में प्रावधान कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने अपना इरादा प्रकट किया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई आई. टी. आई. खोलते समय प्राथमिकता के आधार पर, किन स्थानों पर, खोले जायेंगे का निर्णय किया जावेगा। मेडिकल कालेज खोलने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है।

(2) अभी कहीं भी खोले नहीं गये है।

(3) जी नहीं।

(4) सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई आई. टी. आई. खोलते समय प्राथमिकता के आधार पर, स्थान का चयन किया जावेगा।

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल चिकित्सालय, अजमेर हेतु सामान की खरीद

666. **श्री ललित भाटी** (केकड़ी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) क्या जवाहर लाल मेडिकल अस्पताल, अजमेर के उपयोग हेतु साबुन, फिनाईल, टिक-20 व अन्य सामान की आवश्यकता पड़ती है ? यदि हां, तो कृपया साल भर की खरीद का ब्योरा सदन के पटल पर रखें। इस सन्दर्भ में 1982-83 व 1983-84 में कितनी खरीद की गयी कृपया एक एक मद का विवरण दें। वर्तमान में प्रत्येक मद का क्या स्टॉक है ? जो सामान खरीदा गया व घटिया किस्म का खरीदा गया है या निर्धारित किस्म का ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में आई. सी. सी. में कितने यूनिट डाक्टर के अन्तर्गत आदमियों (रोगियों) को रखा जाता है ? सन् 1982 से 1985 तक कितने रोगी भर्ती किये गये और किस-किस डाक्टर की

(श्री ललित भाटी)

यूनिट के अन्दर व किस-किस रोगी को कितने-कितने समय के लिए रखा गया ? डाक्टर यूनिट के इन्चार्ज डाक्टर के नाम सहित कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां खरीद का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	सामान	मात्रा
1982–83	लायफ्बाय	31816 नग
	सोपकेक	1160 नग
	कपड़े धोने का सोप बार	1047 नग
	फिनाइल	600 लीटर
1983–84	लाइफ्बाय	5680 नग
	सोप केक्	6800 नग
	कपड़े धोने का सोपबार	4600 नग
	फिनाइल	3000 लीटर
	टिक-20 (डाफ्) टिक-20 जैसी	375 छोटी साइज की बोरतल

वर्तमान में मौजूदा स्टॉक निम्न प्रकार है।

लाइफ्बाय	24 नग
सोपकेक	709 नग
सोपबार	130 नग

इनमें से कोई भी सामान घटिया किस्म का नहीं है।

(2) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 से संबंधित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय से रखी गई।)

नागौर हास्पिटल में ए. एन. एम की ट्रेनिंग

667. **श्री दामोदर दास आचार्य** (नागौर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर के अस्पताल में ए. एन. एम. की ट्रेनिंग से प्रतिवर्ष कितनी बालिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं ? उनमें राजस्थान से कितनी-कितनी बालिकाएं पिछले पांच वर्षों में प्रशिक्षित हुई हैं ?

उत्तर

नागौर के अस्पताल में ए.. एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रति वर्ष, वर्ष में दो बार 30-30 बालिकाओं को भर्ती करने की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 1984 में 50-50 प्रतिवर्ष कर दी गई है।

राजस्थानी बालिकाओं की वर्ष वार सूची निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राजस्थानी	कुल
1980–81	4	47
1981–82	1	34
1982-83	–	25
1983-84	4	17

(चिकित्सा मंत्री)

1	2	3
84-85	35	77 परीक्षा होना शेष है।

नगरपालिका केशोरायपाटन द्वारा कर्मचारियों को जी. पी. एफ ऋण

668. **श्री मानिकचन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दस वर्षों से नगरपालिका, केशवराय पाटन, जिला बूंदी द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि वेतन से काट कर पालिका से मिलाये जाने वाले हिस्से सहित फण्ड में जमा नहीं करवाई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत 6 माह से नगर पालिका कर्मचारियों ने भविष्य निधि राशि से ऋण हेतु आवेदन कर रखा है, और राशि जमा नहीं होने के कारण ऋण नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका, केशोरायपाटन द्वारा पालिका कर्मचारियों की प्रावधायी निधि वेतन में से काटकर भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाती है, किन्तु वर्ष 1978 से पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक न रहने से प्रावधायी राशि उनके पी. एफ. खाते में नियमित जमा नहीं हुई है। इसे शीघ्र जमा कराने के लिए नगरपालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(2) पालिका कर्मचारियों के ऋण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रावधायी निधि से ऋण दिया जाता रहा है। अभी केवल नो आवेदन पत्र विचाराधीन है। सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

हायर सैकण्डरी विद्यालय, सलूम्बर अध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

669. **श्री थान सिंह मीणा** (सलूम्बर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) यह कि सलूम्बर हायर सैकेण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ कितनी शिकायतें आज तक शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुई ? किन-किन व्यक्तियों ने उनके खिलाफ शिकायतें विभाग में पेश की हैं ? कृपया शिकायत सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सलूम्बर के गणमान्य व्यक्तियों ने इनके स्थानान्तरण करने का विभाग को लिखा है ?

(3) क्या उक्त प्रधानाध्यापक को हटाने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) शिक्षा मंत्री कार्यालयों में अनेकों व्यक्तियों द्वारा अनेकों शिकायतें प्राप्त होती

(67)

(शिक्षा मंत्री)

रहती है, जो सक्षम ग्रधिकारियों को ग्रावश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी जाती है। निदेशालय स्तर पर वर्तमान में ग्रध्यक्ष, ब्लाक एवं नगर कांग्रेस कमेटी (ग्राई) सलूम्बर द्वारा प्रेषित पांच शिकायती पत्र दिनांक 22.3.84 25.7.84, 12.8.84, 1.9.84. एवं 11.9.84 उपलब्ध हैं।

(2) इस सम्बन्ध में केवल ग्रध्यक्ष, ब्लाक एवं नगर कांग्रेस कमेटी (ग्राई) सलूम्बर द्वारा प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण हेतु लिखा गया हैं।

(3) वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध हैं। ग्रत: प्रतिबन्ध हटने पर यदि ग्रावश्यक हुग्रा तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10.7.1985)

सांचौर में पक्के टांकों का निर्माण

243. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :** क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( ) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर जिला जालौर में पशुग्रों के पीने के पानी के लिए सरकार द्वारा पक्के टांके बनाने की योजना है ? ग्रगर हां तो इस पंचायत समिति में कहां-कहां कितनी-कितनी लागत के टांके मंजूर किये गये हैं, ग्रौर वह कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सांचौर तहसील में ऐसे गांव जहां पर पीने का पानी या तो खारा है या पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, कितने हैं ग्रौर इन गांवों में पीने के पानी के टांके कब तक बनकर तैयार हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां जालौर जिले की पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में पशुग्रों के पीने के पानी के लिए जिला ग्रामीण विकास ग्रभिकरण जालौर के माध्यम से जिन टांकों की स्वीकृतियां जारी की है वो परिशिष्ट 'ग्र' पर संलग्न है। ग्रपूर्ण टांकों का निर्माण कार्य माह दिसम्बर 1985 तक पूर्ण करा दिया जावेगा।

(2) सांचौर तहसील में ऐसे गांव जहां पर पीने का पानी या तो खारा है या पीने का पानी बिलकुल नहीं है जल प्रदाय विभाग की सूचना के ग्रनुसार ऐसे 33 गांव है जो परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। धन की उपलब्धता होने पर इन्हें तैयार कराया जा सकेगा।

(सूची. के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

स्थगित प्रश्न

(10.7.1985)

ग्राम सेवा सहकारी समिति तिजारा

244. **श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति. तिजारा के वर्ष 1975 से 1978 तक के बंध-पत्र व रोकड़ गायब हैं ?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(2) क्या इन बंधपत्रों में 400 के लगभग किसानों के नाम फर्जी कर्ज लिखे हुए हैं ?

(3) विभाग ने वर्ष 1975 से 1978 तक की यह रोकड़ व बंध पत्रों का पता लगाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की ?

(4) इन बंध पत्रों व रोकड़ का पता कब तक लगा लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । ऐसा अध्यक्ष समिति ने माह जुलाई 1985 में ही सूचित किया हैं ।

(2) जी नहीं । केवल 28 सदस्यों पर 36,148.10 असल व 61,298.00 ब्याज कुल 97,446.10 रुपये बकाया बताया गया हैं ।

(3) विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भगराज चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले की आहोर तहसील में भू-प्रबन्ध की पेंडिग उजरदारियों के सम्बन्ध में ।

(2) श्री हरीश शर्मा, श्री मोहन प्रकाश, श्री जगतसिंह दायमा, श्री नारायणराम बेड़ा, श्री लक्ष्मीनारायण किसान, श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) श्री मोहनलाल चौहान और श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष द्वारा 20 लाख रुपये की हेरा-फेरी के मामले के सम्बन्ध में ।

(3) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से देवली नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में ।

(4) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान शराबबन्दी, क्रियान्वयन समिति द्वारा रिपोर्ट न दिये जाने के सम्बन्ध में,

(5) श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता के सम्बन्ध में,

(6) श्री यदुनाथसिंह श्री मोहन छंगाणी, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेडिकल विभाग द्वारा दवाइयों की खरीद हेतु आमंत्रित निविदाओं के सम्बन्ध में,

(7) सुश्री पुष्पा, सदस्य, विधान सभा की ओर से धानाका जाति की महिला के साथ पुलिस अधिकारियों व डाक्टर तथा ओवरसीयर द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में,

(8) सर्वश्री ललित किशोर चतुर्वेदी, मांगीलाल मेघवाल और प्रतापसिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से ए. सी. सी. फैक्टरी से लाखेरी कस्बे में प्रदूषण के सम्बन्ध में,

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से चोरों द्वारा बनीपार्क में एक उद्योगपति के घर पर चोरी व हमले के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस फोरेन्सिक प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा राजकोष का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में,

(2) श्री शिवचरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सरकारी सेवा में नियुक्ति करवाने के सम्बन्ध में,

(3) श्री सम्पतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से डालमिया डेयरी उद्योग द्वारा भरतपुर जिले का दूध एकत्रित करने के सम्बन्ध में,

(4) श्री बिरददमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के परबतसर कस्बे में बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य रुका होने के सम्बन्ध में,

(5) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से 20 वर्षों से बनी सड़कों की भूमि का किसानों को मुआवजा न देने के सम्बन्ध में,

(6) श्री ग्यारसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई क्षेत्र में बसें समय पर न चलने के सम्बन्ध में,

(7) श्री हंसराज मिढा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम खानूवाली से आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में,

(8) श्री कालीचरण सर्राफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जवाहर नगर कालोनी की सड़कों, पार्कों और कम्युनिटी सैण्टर का निर्माण न होने के सम्बन्ध में,

(9) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से नोखा की ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव विशेष घटना से सम्बन्धित नहीं है और प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव की परिसीमा में नहीं आते। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को इन पर बोलने की अनुमति भी नहीं होगी।

(1) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र के करीब 50 गांवों में पेयजल का संकट और दूषीत पानी से बीमारी फैलने के सम्बन्ध में,

(2) श्री भैरोंसिंह, श्री हरिकुमार, औदिच्य, श्री माणकचन्द सुराणा और श्री उम्मेदसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में तस्करों व पुलिस दल की मुठभेड़ तथा हेरोइन पकड़े जाने के सम्बन्ध में,

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री दिग्विजयसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले में वर्षा न होने से चारे व पानी के अभाव के सम्बन्ध में,

(4) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में चल रही मिनि बसों से दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में, इस सम्बन्ध में श्री कालीचरण सराफ का भी स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सरकार ने जानकारी दी है कि बसों की चैकिंग की कार्यवाही की जाती है और शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा सिटी बस चलाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील श्रीमाधोपुर में 33 के. वी. स्टेशनों पर अधिक भार होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बीय लोक महत्व के नहीं है। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री रामचन्द्र सदस्य विधान सभा की ओर से गांधी शिक्षण समिति, गुलाबपुरा द्वारा संचालित शिक्षण संस्था हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि उक्त संस्था का प्रशासक 29.5.85 को श्री जगन्नाथ सिंह मेहता को नियुक्त किया जा चुका है। नौ सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन भी किया गया है। चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

2. श्री जगमालसिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के 6 गांवों में अनैतिक व्यापार के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि गांवों से दूर नट जाति के व्यक्ति रहते हैं। उनकी औरतों के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार की शिकायतें आने पर 19 केसेज में चालान प्रस्तुत किये गये। पुलिस को और अधिक सतर्क कर दिया गया है।

3. श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रथम वर्ष एम. बी. एस. के नतीजों में फर्जी तरीके से फेर बदल किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने जानकारी दी है कि परिणाम में कोई फेर बदल नहीं किया गया। केवल एक परिणाम में कांट छांट था, जिस पर हस्ताक्षर थे। इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें विश्वविद्यालय के विचाराधीन हैं।

4. श्री गोपालसिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से हनुमानगढ़ टी. बी. सूरतगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्रों में ट्यूबवेल्स को बिजली कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी कि गंगानगर जिले के 1392 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, जिनमें 85-86 के कार्यकाल में 148 बिजली कनेक्शन देना सम्भव होगा।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

जिन स्थगन प्रस्तावों को मैंने स्वीकार नहीं किया है उन पर माननीय सदस्यों को कुछ समय के लिए बोलने की अनुमति दूंगा। श्री हीरालाल आर्य।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैंने आपको एक स्थगन प्रस्ताव कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर कराके दिया था, राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामले में, आपने कहा था दो दिन बाद व्यवस्था दूंगा, उसके बाद भी आपने व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : कौनसा स्थगन प्रस्ताव ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्थानान्तरण के मामले में। अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, चर्चा हो चुकी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य किसी को प्रोटक्ट करने का प्रश्न नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रोटक्ट नहीं, मैं तो व्यवस्था मांग रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था दें। अध्यक्ष महोदय, उस पर व्यवस्था होनी चाहिये, उसको आप रिजक्ट में कर दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो लोग स्थानान्तरण पर गये हैं उनके आर्डर सरक्यूलेट हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, सारे व्यक्ति मेरे पास आते हैं, आपके सचिवालय और विधान सभा के बाहर ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें कृपया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बाड़मेर और जैसलमेर नहीं जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके पेट-पर सरकार लात मार रही है उस बात के खिलाफ हम विधान सभा में नहीं बोलेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डिजायरों के पन्ने बाजार में बिक रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आपको अगर ट्रान्सफर कराना है तो मोल लेकर दूं, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। दस-दस रुपये में डिजायरों के पन्ने मोल बिक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने विधान सभा के प्रांगण के बाहर उन व्यक्तियों का धरना लगा दूं।

(व्यवधान)

उनके पेट के ऊपर....बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया बैठें माननीय सदस्य, ग्रापने कह दिया,

(व्यवधान)

ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री कालीचरण सर्राफ (जोहरी बाजार): ग्रापने कहा था मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : व्यवस्था कराने की बात की थी माननीय सदस्य इसको विषयांतर न करें व्यवस्था कराने की बात कही है, इस पर व्यवस्था हो चुकी है, उस पर माननीय सदस्य बोलें हैं।

श्री नाथूसिंह : ग्रापने कहा था, व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, मैं बता रहा हूं, माननीय सदस्य, कृपया बैठें, मेरी बात सुन लें, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री मोहनप्रकाश : ग्रादेश निकल रहें हैं....मन्त्रियों के पुत्र

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बैठने की कोशिश नहीं करते। मैं ग्राप ही की बात करता हूं, बैठें कृपया।

मैंने व्यवस्था की बात इसलिए कही थी कि व्यवस्था कराने की बात मैंने कहीं, मैंने ग्रापसे स्पष्ट कहा था स्थगन प्रस्ताव पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहा, लेकिन सदन में काफी चर्चा माननीय सदस्यों द्वारा उठा दी गई है ग्रौर उस पर मैंने व्यवस्था नहीं देते हुए कहा था, इस बारे में बात करूंगा ग्रौर स्पष्ट बात यह कही थी। मैंने मुख्य मन्त्री महोदय से बात की है ग्रौर ग्रागे भी इनको बन्द कराने के लिए मैं बात करूंगा।

(व्यवधान)

ग्रॉर्डर प्लीज, ग्राप कहते हैं कि जिस तरह से स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जानी चाहिये, उस तरह की व्यवस्था मैंने नहीं दी है यह सही है।

(व्यवधान)

ग्रॉर्डर प्लीज, लेकिन इस पर माननीय सदस्यों के बीच में कुछ ग्रावेश गर्मी थी जिस वक्त माननीय सदस्यों ने ग्रपने विचार प्रगट किए थे, उस वक्त मैंने यह बात कही थी कि इस बारे में चर्चा करके व्यवस्था कराने की मैंने बात कही है, मैंने यह नहीं कहा कि स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देने की बात है, इसलिए ग्रापको यह गलत फहमी न हो। ग्रभी भी मैंने ग्रापसे यही कहा, ग्रगर जरूरी हुग्रा तो व्यवस्था देनी है तो दूंगा व्यवस्था-नेक्स्ट

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया, ग्रॉर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठें कृपया।

श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य : मुख्य मन्त्रीजी से ग्रापकी चर्चा हुई है ?

श्री ग्रध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों को जानकारी दी है, कृपया बैठें, ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री हरीश शर्मा : मेरी बात।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हरीश जी, बैठें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जब स्थगन प्रस्ताव दिया तब 17 हजार थी बाद में 23 हजार हो गई, बाद में 5000 और हो गये कल शिक्षक गिरफ्तारी देने के लिए राजस्थान भर के यह स्थिति बढ़ती चली जा रही है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था, सदन में चर्चा हुई है तब से मुझे बताया गया कि स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर, प्लीज, माननीय सदस्य। सुनने की कृपा करें।

मैंने कहा था, मुझे बताया गया कि स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं और जो कुछ भी यह पालना की जा रही है और पहले के आदेश नीचे तक जा पहुंचे हैं उनके एग्जीक्यूशन की वजह से यह कुछ बात हो रही है। उस सम्बन्ध में आगे वाली मेरी बात नहीं हुई है यह मैंने आपको स्पष्ट बताया था। यह जो दिक्कत आ रही है वह इस बात के लिए आ रही है कि जो आदेश पहले दिये जा चुके हैं वह नीचे तक सरयूक्लेट हो गये और वह आदेश अब एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो लोग इधर-उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस वजह से यह परेशानी है, बाकी नये आदेश स्थानान्तरण के हाउस में चर्चा के बाद नहीं किये गये हैं, यह मुझे जानकारी दी गई।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आपने सरकार से बात की, सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कहा, इसकी आपको जानकारी होगी लेकिन सदन को जानकारी नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से स्थाना-का सिलसिला इस सदन में प्रस्तुत किया, क्या आपकी दृष्टि में सरकार का मौन रहना उचित है? सरकार को अपनी ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था स्थगन प्रस्ताव पर दी नहीं थी इसलिए अभी मैं नहीं कह सकता कि सरकार इस पर मौन रहेगी या जवाब देगी। मैं तो बातचीत की दृष्टि से जो एक उत्तेजना माननीय सदस्यों के अन्दर थी, इस सम्बन्ध में जो रोष सदन के अन्दर प्रगट किया गया, व्यवस्था नहीं देते हुए उस पर मैंने यह बात की थी कि यह रोष किसी प्रकार से समाप्त हो जाय। यह प्रकिया ठीक तरह से चालू हो जाय। यह माननीय सदस्यों ने जाना तो मैं तो अपनी व्यवस्था दूंगा ही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अच्छा रास्ता होगा सरकार अपनी तरह से एक वक्तव्य दे दे और सारी स्थिति स्पष्ट कर दे, इसमें आपत्ति क्या है?

श्री अध्यक्ष : मेरे को तो क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो नहीं हो सकती, सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है?

श्री हरिशंकर भामड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, यह एक चिट्ठी मिली है, उसे मैं आपको पढ़कर सुना दूं

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें माननीय सदस्य, ओपन हो जायगा, क्या फायदा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस चिट्ठी से आपको सारी स्थिति का अनुमान हो जायगा। यह चीफ मिनिस्टर को लिखी गई है। चीफ मिनिस्टर का आॅर्डर है, इसमें चीफ मिनिस्टर ने स्वयं लिखा है कि यह बार-बार क्यों हो रहा है। एक चपरासी ने लिखा है कि मेरा पावटा संस्कृत विद्यालय से मनोहरपुरा संस्कृत कालेज दिनांक 8-5 को ट्रान्सफर हुआ, क्रमांक दिया है इसके बाद मेरा दुबारा मनोहरपुरा से पावटा हो गया, उसके बाद तिबारा पावटा से मनोहरपुरा हो गया, अब की चौथी बार मनोहरपुरा से पावटा हो गया और चीफ मिनिस्टर ने लिखा है इसका बार-बार स्थानांतरण क्यों किया जा रहा है। इसके बावजूद यह स्थिति है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से बात बता रहा हूं 29 तारीख को एक क्रूशियल डेट है कि इसमें 4-5-6 तारीख में आगे सभी आर्डर निकल गये। 29 तारीख के दिन यह आर्डर को कापी पहुंची। उसके बाद डाइरेक्टर ने सूचना इन्सपेक्टर स्कूल्स को भेजी और उसके बाद आगे आर्डर निकाल गये। यह ट्रान्सफर्स तो बैन में निकलते हैं। इसलिये बैन लगने के बाद भी प्रभावित होते रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 29 तारीख के दिन फोर एग्जाम्पल मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे मेडीकल मिनिस्टर साहब इलाज कराने के लिये बम्बई चले गये थे 22 तारीख को ही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लालचन्दजी, माननीय सदस्य कृपया, आप बैठें। लालचन्द जी आप बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री जी दो तारीख को वापिस आये, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 29 तारीख में आदेश नहीं निकाले....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर।

घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को 400 ट्रान्सफर्स हो गये।

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 29 तारीख को बकोलिया के पास विभाग था या पता नहीं किसके पास विभाग था। 29 तारीख को आदेशों का पुलन्दा किसने भेजा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जैसे कि 29 तारीख को जितने भी स्थानांतरण हुए हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप वह रजिस्टर मंगायें और उसको मंगाकर आप देखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, 30 तारीख को इतवार था और फिर इनके ट्रान्सफर किये गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, बैन लगने के बाद आर. टी. ओ. के दफ्तर में 95 लोगों के ट्रान्सफर हुए हैं।

श्री लालचन्द (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के नेता और विरोधी दल के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग ट्रान्सफर से अपना पेट पालते हैं उनके पेट पर यह क्यों लात लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव पी. टी. आई के शिक्षकों के बारे में आपको दिया था और उस स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैंने हाउस में भी कई बार याद दिलाया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, भूखे बाहर बैठें हैं हाउस के सामने।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार के निर्णय नहीं लेने की वजह से यह हो रहा है। माननीय मन्त्रीजी ने और शिक्षा मन्त्री जी ने दोनों ने ही उनकी मांग को जायज माना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया बैठें, यह प्रश्न नहीं है।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : मैंने पहले ही नोटिस दिया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके साथ वाले नौकरी कर रहे हैं। इसलिये मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि इसके लिये कार्यवाही तो होनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें। इस सदन के नियम हैं, हमारे सदन के कुछ नियम हैं।

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियमानुसार ही नोटिस दिया था और इसके बाद में आपसे आपके चेम्बर में भी मिला, आपसे बातचीत की तो आपने यह कहा था कि मैं मुख्य मन्त्री जी से बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नवरंग सिंह : आप सरकार से इसका वक्तव्य दिलाइये।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ के नौकरी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य इनके डेपूटेशन को मन्त्रीजी से मिलायें।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कार्यवाही तो होनी ही चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं एक तो पापा संस्थान के बारे में, उसके संबध में सरकार ने क्या जवाब दिया। दूसरे एक हरिजन बालिका के बारे में था।

*__श्री अध्यक्ष__ : माननीय सदस्य, मैंने इसके बारे में एक बात निवेदन करदी कि इस पर मैंने चर्चा करने के आदेश नहीं दिये हैं। व्यवस्था दी और वह व्यवस्था चल रही है इसलिये जब वह व्यवस्था चल रही है तो उसके बारे में चर्चा करना, जानकारी करना, बात करना चाहें तो आप मुझसे मिलने का कष्ट करें। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तीन तारीख का स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है आज 18 दिन से ज्यादा समय हो गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसको आपने सरकार के पास जानकारी के लिये भेजा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें। आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है। मैं यह कह रहा हूं कि अभी रविवार के दिन सेठ जाजू के यहां पर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, एक मेजर के यहां पर डाकू गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, लूटेरे सेठ जाजू के घर में घुस गये और उनको मारा। आज सेठ जाजू अस्पताल में एडमिट हैं पुलिस उसके नौकर को पकड़ कर ले गयी और उसको मारा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं माननीय सदस्य आर्डर, आर्डर। माननीयसदस्य, कृपया बैठें। कृपया बैठे माननीय सदस्य कृपया बैठें। आप मेरेलिए प्रोब्लम खड़ी कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अंकित नहीं हो।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप तो नियमों की पालना करते हैं आज आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव । कृपया बैठें ।

श्री हीरालाल आर्य ।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसको आपने सरकार के पास भेजा है । मेरा निवेदन है कि उस केस में सरकार चालान की इजाजत नहीं दे रही है दो तारीख को ।

श्री अध्यक्ष : यह आप किस सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं । मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी । आपका नम्बर आये जब आप बोलना ।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर हालत बहुत खराब हो रही है गवर्नमेन्ट उसमें चालान की इजाजत नहीं दे रही है एण्टीकरप्शन से केस चालान के लिये चला गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : कोई ट्रान्सफर का मामला नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर गबन घोटाले हो रहे हैं एण्टीकरप्शन ने गवर्नमेण्ट से चालान करने के लिये इजाजत मांगी है, गवर्नमेण्ट इजाजत नहीं दे रही है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप कृपया बैठें बहुत हो गया । आप बोल लिये । आप माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री हीरालाल आर्य ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के करीब 50 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां के लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है इसमें भी खास तौर से पीपल्दा, खेड़ली, नोनेरा, अमलास, गिरधरपुरा, काकरा, सीमोला, बीजोता बनजारी, ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी मन्त्री सदन में मौजूद नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : ऐसा लगता है कि सरकार ही नहीं है ।

श्री रामकिशन वर्मा : पूर्व मन्त्री तो हैं ।

एक माननीय सदस्य : मुबारिक हो ।

एक माननीय सदस्य : हमारी सरकार की सीटें खाली हैं ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह सरासर सदन की अवमानना है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कोई गौरव की बात

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नहीं है। ग्रापको शर्म ग्रानी चाहिये। यह ग्रापको शर्म ग्राने की बात है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यहां से थोड़ी उधर खड़ी हो गयी थी जब मैं गयी थी तब सदन में राज्य मन्त्री जी बैठे थे।

श्री ग्रध्यक्ष: यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री हीरालाल ग्रार्य: माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप इनको ताड़ना दीजिये।

श्रीमती कमला: ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी परम्परा तो ठीक थी, गलत नहीं थी। मैं जब गयी थी तब यहां पर राज्य मन्त्री जी बैठे थे पर पता नहीं वह कब उठकर बाहर चले गये।

श्री ग्रध्यक्ष: उनको ध्यान रखना चाहिये था। ग्रार्डर ग्रार्डर।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा: यह मामला क्लेक्टिव लाईबिलिटी का है।

श्री ग्रध्यक्ष: ग्रापको ध्यान रखना चाहिये। ग्रार्डर ग्रार्डर।

श्री हीरालाल ग्रार्य (पीपल्दा): मेरे इलाके के काकरा, सीमोला, बीजायता, राजपुरा, बन्जारी, चेनपुर, श्यामला, जहां के कुग्रों में पानी सूख गया है ग्रौर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन लोगों को गांव छोड़ने को बाध्य होना पड़ रहा है। लोग ग्रपने पशु लेकर बाहर चले जा रहे हैं। पीपल्दा से बाहर निकल रहे हैं ग्रौर पीपल्दा, बन्जारी, चेनपुरा, श्यामपुरा, बीजायता के गांवों में ग्रध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में वह लोग गये हैं का पीने का पानी दूषित है ग्रौर यहां पर पिछली बार बीमार हो गये थे। बन्जारी गांव में पानी पीने के कारण लोगों को हैजा हो गया था ग्रौर 5-7 ग्रादमी मर गये थे, चेनपुरा का पानी जब पीते हैं तो दस्त लग जाती है ग्रौर लोग बीमार होते हैं। राजपुरा में बिलकुल पानी नहीं है, लोग गन्दा पानी पी रहे हैं। मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस जगह पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाये जिसके लिये हम सरकार से बार-बार निवेदन करते ग्रा रहे हैं। जनता पार्टी के समय में वहां कुए बनाये गये, लेकिन वह कुए ग्रभी तक ग्रधूरे हैं। हमने कई बार निवेदन किया कि इन ग्रधूरे कुग्रों को पूरा किया जाये तो वहां पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो सकती है, लेकिन इनको एन. ग्रार. ई. पी. के तहत पूरा नहीं कराया जा रहा है। जिससे जनता में बड़ा भारी रोष है। वहां नहरों का पानी नीचे गहराई में है जो स्लोप में जाने में बड़ी कठिनाई ग्रा रही है। जैतारण में एक ऐसा गांव है जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता वहां ढेर का बालाजी एक ऐसा स्थान है जहां लोग बस पकड़ने के लिए उस चौराहे पर घंटों तक इंतजार करते रहते हैं। उनके छोटे-छोटे बच्चे पानी के लिए तड़पते रहते हैं। सरकार को बार-बार निवेदन करने के बावजूद वहां पर पाने के पानी की व्यवस्था नहीं कराई जा रही। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री हीरालाल आर्य)

जिन क्षेत्रों में कुएं अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करवाया जाये और जिन गांवों में पीने के पानी की सख्त आवश्यकता है वहां हैंड पम्प खुदवाये जायें ताकि वहां पीने के पानी की समस्या दूर हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था दी उसको स्वीकार करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि जब बरसात हो रही है, हमारे क्षेत्र मे अभी भी एक बूंद पानी की नहीं है। यह स्थिति हो गई है कि अगर तीन-चार दिन में वर्षा नहीं आई तो वहां भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। वैसे अकाल सारे जिले में है। आज वहां पानी बिलकुल नहीं है, पानी के कुएं हैं उनमें पानी सूख गया है।

अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार ने आदेश और प्रसारित कर दिया कि जो काम अकाल राहत में मंजूर हुए थे, जो काम चालू नहीं किये थे उनको भी बन्द किया जाये। एक तरफ राज्य सरकार ने अकाल पर 31 जुलाई तक स्वीकृति दे दी और उन कामों को भी जो नहीं हुए, बन्द करने का आदेश जारी कर दिया। अब स्थिति यह आ गई है कि अगर वहां पर यह काम बन्द हो जायेंगे तो 31 जुलाई तक काम चल रहे हैं वह भी आपके आदेशानुसार बन्द हो जायेंगे तो हालत गम्भीर हो जायेगी और खास तौर से हमारे यहां उनियारा तहसील में जो पांच-सात गांव है जिनके नाम मैं बताऊंगा उनमें पीने का पानी नहीं हैं। कुछ गांव है जैसे अमीनपुर, गरीबपुर, वहां एक कुआं है वह बिलकुल सूख गया वहां पानी बिलकुल नहीं है और वहां पांच किलोमीटर दूरी पर एक हैंड पम्प लगा है वहां से पानी लेकर जाते हैं वह गांव वाले भरने नहीं देते। इसी प्रकार दूसरे ऐसे गांव हैं जहां पानी की दिक्कत है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और खास तौर से अकाल राहत मन्त्रीजी पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस सारे हालात को देखते हुए अभी जो बरसात नहीं हुई है और बरसात नहीं होने के कारण जिले में जो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है, सामने दिख रही है उसको मद्दे नजर रखते हुए वहां पर अकाल राहत कार्य हैं उनको अधिक से अधिक खोलने की स्वीकृति दें और जो पानी की दिक्कत है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक गांव ऐसा है सन्वली वहां पर फ्लोराइड बहुत है इसलिये वहां पानी लगाना उपयुक्त नहीं है। दूसरी स्कीम वहां पर विभाग ने रीजनल स्कीम बनाकर भेजी है उसको तुरन्त स्वीकृति दें। वहां पानी की स्थिति ऐसी है कि आसपास कहीं पानी नहीं है। एक कुआं है जिससे सारा गांव पानी भरता है आज वह भी सूख गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भयंकर और ज्वलंत समस्या है, अकाल की उसके साथ-साथ बारिश नहीं हुई तो और भयंकर स्थिति इस तहसील में उत्पन्न हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप टोंक जिले के अन्दर और जहां-

(श्री दिग्विजय सिंह)

जहां राजस्थान में वारिश नहीं हुई, जो आपने आदेश दिये हैं उन आदेशों को वापिस लें और अकाल राहत कार्य जहां पर हों उनको अकाल और पानी की किल्लत है, उनको दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा स्थगन प्रस्ताव है उसको रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। आपके दो स्थगन प्रस्ताव हैं, दोनों पर बोल लें।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : मेरा आज का स्थगन प्रस्ताव है वह जयपुर में चल रही मिनी बसेज से सम्बन्धित है। तीन-चार वर्ष पूर्व सरकारी निर्णय से रोडवेज की बसेज को विथड्रा करके जयपुर शहर के अन्दर और उनके स्थान पर मिनी बसेज को लगा दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मिनी बसेज से यात्रियों को, जयपुर के नागरिकों को जो बड़ी भारी असुविधा है और उसके निराकरण में कोई व्यवस्था नहीं, यद्यपि सरकार की तरफ से जवाब आता है कि शिकायतों का निराकरण होता है। एक भी शिकायत का निराकरण नहीं होता, शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं। आज मेरे ख्याल से जयपुर शहर में रहने वाले लोगों के लिए सबसे सुगम साधन और कोई नहीं है यातायात का, मिनी बसेज के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रिक्शा भी नहीं हैं और आटो रिक्शा हर एक को सूट नहीं करते, बहुत महंगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनी बसेज की स्थिति यदि हम देखें उसमें उस स्थिति का अनुमान स्वयं सवारी करके ही लगाया जा सकता है। जिसमें बड़ी भारी भीड़ चलती है, क्षमता से अधिक सवारियां भरी रहती हैं उस हालत में विशेष तौर से महिलाओं को और यदि उनकी गोद में बच्चा हो तो बहुत परेशानी होती है। मिनी बसेज की ऊंचाई इतनी है कि वह सीधी खड़ी नहीं रह सकती और जो यात्री जाते हैं, चाहे तहसीलदार जी हों, चाहे थानेदार जी हों किसी को भी इतना डिस्क्रीमीनेशन बस की जगह में है आसानी से बड़े-बड़े अधिकारियों की जेबें कटती हैं। महिलाओं के लिए बड़ी भारी समस्या बन गई है उनके साथ छेड़-छाड़ करेंगे तो कंडक्टर ड्राइवर और पुलिस की मिली भगत से सारे ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करना शुरू कर दिया है। भीड़ भरे बाजार में जो निर्धारण किया जाता है उतनी स्पीड से नहीं चल सकते, इतनी तेज गति से चलना और राह चलते की जिन्दगी के लिए खतरा बन जाना इसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसकी परवाह मिनी बस वाले नहीं करते, पुलिस कोई काग्नीजेंस नहीं लेती, यातायात के सारे नियमों को फ्लाउट करके यह मिनी बसें चल रही हैं।

ड्राइविंग के किसी भी नियमों की पालना नहीं होती। किसी को टक्कर लगा जायें, कोई स्पीड कंट्रोल नहीं है। सार्वजनिक दीवारें, सार्वजनिक फुटपाथ चौराहे पर बने सर्किल इनको तोडकर मिनी बसें चलती हैं। आप देखेंगे शहर के अन्दर और बाहर मिनी बस अधिकांश जगह चलती हैं, कोई चौराहे पर सर्किल है वह साबुत नहीं मिलेंगे, रिपेयर होते हैं, फिर टूट जाते हैं,

(श्रीमती विद्या पाठक)

फिर रिपेयर होते हैं और फिर टूट जाते हैं यह क्रम निरन्तर चलता है। जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं वह शराब पिये हुए होते हैं। यात्रियों से गुण्डागर्दी करते हैं, लड़ाई करते हैं, खुले पैसे के लिए झगड़ा करने लगते हैं और इनका किराया है, इसका कोई निर्धारण नहीं है। परमिट देने के लिए उनका औचित्य या परमिट के आवश्यक शर्तों की पालना होनी चाहिए, उनकी पालना नहीं होती। इसमें एक ही दरवाजा होता है उसी से यात्री घुसेगा और यात्री उसी दरवाजे से बाहर निकलेगा। जो स्टेम्पेज बन जाता है, यात्रियों को असुविधा होती है वह असहनीय है। इसी प्रकार मिनी बसेज से पहले रोडवेज की बसें चलती थी और आज रोजाना नई मिनी बसें लगा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। घाटे में नहीं चल रही हैं प्राइवेट बसें, घाटे में चलेगी तो कितने दिन चलेंगी। यदि यह घाटे में नहीं चल सकती तो रोडवेज का यह बहाना कि घाटे में चल रही थी इसलिये हमने विथड्रा कर दी, यह कोई प्रेक्टिकल बात नहीं है। इसके अतिरिक्त भी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होती, आर्गनाइज के रूप से यात्रियों को असुविधा है, इनके खिलाफ आवाज उठाई जाये, थाने में रिपोर्ट की जाये, अधिकारियों को एप्रोच किया जाये तो कुछ रूट्स पर बसें चलाना बन्द कर दी मिनी बसें, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कालोनीज में कुछ रूट्स जिनमें सरकारी कर्मचारी आते-जाते हैं उन पर रोडवेज की बसें चलाना शुरू कर दिया, यह डुप्लीकेशन करते हैं, एक्सपेरीमेंट करने के बजाय सारी मिनी बसेज हैं उनको विथड्रा करके छोटी रोडवेज की बसें जो शहर की सड़कों और आवश्यकताओं को पूरा करें इस बात पर सरकार विचार करे। यही मैं कहना चाहती हूं। दूसरा मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उसको कल लिया जाए।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : मन्त्री महोदय उनमें सफर करके देखें तो पता चलेगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय डूंगररामजी। श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है श्रीमाधोपुर तहसील में विद्युत की जो लाइनें तैंतीस के. वी. है जो वहां स्टेशन है वह ओवर लोड चल रहे हैं। हमारे श्रीमाधोपुर तहसील में रींगस में 220 के. वी. ग्रिड स्टेशन है वहां 33 के. वी. की लाइनें फटती हैं जो श्रीमाधोपुर में जाती है, एक सुमेरपुर और एक मोहनपुर में जाती है वह तीनों स्टेशन ओवर लोड हैं। वहां इतनी एग्रीकल्चर के कनेक्शन हैं कि रेगुलर बिजली मिलने का पता नहीं होता। ड्रिपिंग होती रहती है जिससे किसानों को बड़ी भारी परेशानी होती है, मेरा निवेदन है कि आज से 4-5 साल पहले 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन श्रीमाधोपुर में बनाने की योजना थी, बोर्ड ने जमा ले ली थी, सारा सामान पहुंच गया था और बाद में वह सामान वापिस उठा लिया गया, लेकिन वह सामान फिर वापिस वहां से उठा लिया गया और आज तक उस स्टेशन का कुछ

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है विद्युत मन्त्री महोदय से कि वहां काश्तकारों को सही बिजली मिले और आने वाले वर्ष में यदि यही स्थिति रही तो किसानों को एक भी नया कनेक्शन देने की स्थिति में बोर्ड नहीं रहेगा ओवर लोड के कारण। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है विद्युत मन्त्री महोदय से कि एक तो खण्डेला में 33 के. वी. की लाइन खींचकर सब-स्टेशन बनाया जाये और एक झाड़ली के पास 33 के. वी. की लाईन खींचकर सब स्टेशन बनाया जाये जिससे आने वाले सालों में. यदि आप सौ पचास को भी कृषि कनेक्शन का या लघु उद्योग को कोटा देंगे तो आराम से वह कनेक्शन हो सकें। किसानों को फसल के समय सही बिजली मिल सके और जहां तक सम्भव हो 133 के. वी. की जो ग्रिड स्टेशन पहले मन्जूर हुई है उसको भी शुरू कराया जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर जिले में श्री माधोपुर ही एक ऐसी तहसील है जहां सीकर जिले का सारा कृषि का उत्पादन श्रीमाधोपुर तहसील पर निर्भर है। सारा सिंचित एरिया है और डबल क्राप एरिया है और वहां इतने ज्यादा काश्तकारों के कनेक्शन हैं कि वह लाइन लोड नहीं ले सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हजारों पेण्डिंग कनेक्शन अभी भी पड़े हुए हैं। यदि कृषकों को कनेक्शन देने हैं तो आपको श्रीमाधोपुर में 133 की ग्रिड स्टेशन बनानी पड़ेगी और अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि खण्डेला और झाड़ली यह तो आप जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें क्योंकि इससे आने वाली रबी की फसल में आप लोगों को कनेक्शन दे सकेंगे। मेरा तो विद्युत मन्त्री महोदय से यही निवेदन है कि मैंने जो निवेदन किया है उस पर अवश्य गौर करके किसानों के हित में जितना जल्दी हो सके यह कार्य करवाने की कृपा करें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अस्वीकार किया है पर मन्त्री जी यहां विराजमान हैं। यहां बिलकुल भयंकर स्थिति है टोंक जिले में और बरसात बिलकुल नहीं हुई है। इसकी कुछ व्यवस्था या बातचीत हुई है तो बता दें कि क्या व्यवस्था करेंगे क्या नहीं होगा। कार्य बन्द करेंगे या क्या करेंगे ? वहां स्थिति बहुत भयंकर उत्पन्न हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे सम्पर्क कर लें, कृपया। श्री रामचन्द्र जी।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर, राज्य सरकार की तरफ से जो सूचना आई है, उससे मुझे अवगत कराया है। मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी का इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि गांधी शिक्षण समिति गुलाबपुरा जिले में और शिक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखती है। इस समिति के माध्यम से बी. एड. कालेज चल रहा है। वहां पर उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का काफी विस्तार इस संस्थान ने किया है लेकिन काफी वर्षों से पता नहीं इस सरकार ने इसका सारा प्रशासन अपने हाथ में ले रखा है। पूर्व में इसकी जो संस्थान के विधान के अन्तर्गत प्रशासन

(श्री रामचन्द्र जाट)

समिति बनी हुई थी उसको उन्होंने भंग कर दिया और उसके स्थान पर राज्य सरकार ने अपनी ओर से समय-समय पर प्रशासक नियुक्त किये। पूर्व में श्री नवरतन जी कोठारी को, उसके बाद वहां के एक कांग्रेस के नेता श्री सुमेर सिंह आजाद को और वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ सिंह जी मेहता को वहां का प्रशासक बनाया गया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका भी प्रस्तुत की गयी और राज्य सरकार से आग्रह किया गया कि इस संस्था के चुनाव शीघ्र ही संविधान के अनुसार करायें और माननीय उच्च न्यायालय ने रिट प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को और शिक्षा विभाग को आदेश दिये हैं कि वह माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के दो माह की अवधि में चुनाव कराये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने समादेश याचिका के निस्तारण में जो सरकार को आदेश दिये उसमें कहा है कि दो माह के अन्दर चुनाव कराये जायें। वह समय भी बीत रहा है और अगर शीघ्र ही चुनाव नहीं कराये गये संस्था के, तो माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना तो होगी ही साथ ही और दूसरे लीगल काम्पलीकेशन्स भी काफी होंगे। इस प्रशासक के पद पर जिन महानुभावों की नियुक्ति की है इन्होंने संस्था में और ज्यादा वित्तीय भार बढ़ा दिया है। पूर्व में जो प्रशासक थे उनको राज्य सरकार ने कोई आनोरेरियम देने का तय नहीं किया था लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि 18 हजार रुपया उनको देने के लिए राज्य सरकार ने संस्था के बजट में प्रावधान रखा है। पूर्व में जो प्रशासक थे उन्होंने और एडीशनल स्टाफ वहां पर लगा दिया जिससे करीब 30-40 हजार रुपये का वार्षिक भार इस संस्था के संचालन में बढ़ चुका है और पता नहीं जो नये प्रशासक वहां लगाये गये हैं उनको भी आनोरेरियम देंगे या नहीं लेकिन मुझे सम्भावना है कि और वित्तीय भार इस संस्था के कंधों पर डाल दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मसले पर कम से कम शिक्षा विभाग पूरा ध्यान दे और हमारे वतमान शिक्षा मंत्री महोदय को अगर फुरसत नहीं है सारे मसले को देखने की तो कम से कम वह माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना के दोष और अपराध से बचेंगे ही। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि बहुत जल्दी इस संस्था के चुनाव करायें और राज्य सरकार यह बहाना नहीं ले कि इस संस्था का संविधान पूर्व में क्या था और बाद में क्या संशोधन हुए लेकिन आज जैसी भी कानूनी स्थिति है, जो संस्था का संविधान है उसके अनुसार शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराये। प्रशासक के माध्यम से जो संस्था पर वित्तीय भार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं उसको रोकें और पूर्व में जो प्रशासक नियुक्त किये गये थे उनको आनोरेरियम देने का न तो पहले निर्देश था और न कोई प्रावधान था और उनको ओबलाइज करने के लिए, वित्तीय लाभ देने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं उसके लिए भी मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करता हूं कि संस्था पर यह आर्थिक बोझ न डालें और जो वहां के शिक्षक वर्ग और छात्रों

(श्री रामचन्द्र जाट)

में असन्तोष हो रहा है प्रशासक की नियुक्ति को लेकर उसका शीघ्र निराकरण करें यही मेरा ग्रापसे निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह ।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज का मेरा स्थगन प्रस्ताव जो श्रीमान ने खारिज किया राजस्थान में चलते हुए दैहिक व्यापार....

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज उस पर नहीं बोलेंगे ग्राप । केवल उस पर बोलेंगे जो कि मैंने ग्रापकी जानकारी के ग्राधार पर खारिज किया है....

श्री जगमाल सिंह यादव : उसी पर निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : ग्राज के प्रस्ताव पर नहीं बोलेंगे ग्राप ।

श्री जगमाल सिंह यादव : ठीक है ।

महोदय, देश को ग्राजाद हुए 37 साल हो गए उसके बावजूद भी सरकार ने ग्रपनी रिपोर्ट में यह बात मानी है कि राजस्थान में ग्राज भी दैहिक व्यापार चालू है ग्रौर जैसा सरकार ने ग्रपनी रिपोर्ट में सूचित किया है सदन में कि 19 मामलों में जहां जिस्म का व्यापार हो रहा था उसके मुलजिमों के के खिलाफ चालान पेश किये गये हैं । यह ग्रांकड़े भी, ग्रध्यक्ष महोदय, मात्र एक साल के हो सकते हैं । ग्रगर पिछले इतिहास को उठाकर देखा जाये तो कहीं इससे ज्यादा तादाद में चालान पेश हुए हैं ।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि इस बात से यह भलीभांति साबित तो है कि ग्रलवर जिले में दैहिक व्यापार चल रहा है ग्रौर पुलिस को इसकी जानकारी है । ग्रगर पुलिस को जानकारी नहीं होती तो चालान कैसे पेश होते ?

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जैसा सरकार का जवाब ग्राया कि यह गांव से दूर है तो दैहिक व्यापार चाहे गांव के नजदीक चलता हो या गांव से दूर चलता हो इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता । फर्क इस बात से पड़ता है कि वह राजस्थान सरकार जो चूड़ियों पर टैक्स हटाकर महिलाग्रों की इज्जत बढ़ाना चाहती है वह महिलाओं से उस तरह का व्यापार करवाती है । क्या जरूरत है सरकार को उनको गाने ग्रौर बजाने के लाइसेंस देने की ? जब वहां पकड़े जाते हैं ग्रौर बराबर मुकदमें चलते हैं दैहिक व्यापार के, वेश्यागमन के मुकदमें बनते हैं फिर सरकार लाइसेन्स देती है, छूट देती है दैहिक व्यापार होने के लिए फिर इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं होगा, ग्रध्यक्ष महोदय, कि अलवर जिले में जहां दैहिक व्यापार हो रहा है वह सेना के हैड क्वार्टर्स ग्रौर जहां सेना के लोग रहते हैं उसके नजदीक वह ग्रड्डे बने हुए हैं ।

(1.00 म.प.)

मिसाल के तौर पर चलसाड़ा गांव है गाजी की नदी पर जो बस्ती है वह भारतीय सेना के नजदीक है ग्रौर मंगलान्तर यूनिट के बिल्कुल सटी हुई है जहां तक यह कहते हैं वह किसी सड़क पर नहीं है, दोनों गांव जिनका मैंने ग्रापसे निवेदन किया है, टोडाराय सिंह चलसाड़ा ? चलसाड़ा ग्रौर गाजी की नदी ग्रान रोड है जहां पर जाकर ग्रादमी बहिनें बेटियां देखती हैं ग्रौर यह रिपोर्ट भी छपी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है वह गांव से दूर है। महोदय, यह जितने अड्डे चल रहे हैं अनैतिक व्यापार के यह सब आन रोड चल रहे हैं, गांव के बीच में चल रहे हैं क्या असर पड़ता होगा उन नौजवान लड़कियों पर जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है। सरे आम जहां इस तरह के व्यापार चलते हैं, हमारी बहिन बेटियों के संस्कार खराब नहीं होते। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, शर्म की बात है सरकार ने कम से कम यह माना तो है कि अलवर में अनैतिकता का व्यापार चल रहा है और यह चल क्यों रहा है और यह चलने का सबसे बड़ा कारण यह पुलिस विभाग है। पुलिस को इस बात का भली भांति ज्ञान है कि व्यापार चल रहा है लेकिन पुलिस के पास इन वेश्याओं से माहवारी आती है। यह पुलिस के अधिकारी उन वेश्याओं से माहवारी लाते हैं अगर वह अपना धन्धा बन्द करती हैं तो पुलिस मजबूर करती है कि वह अपना धन्धा करे। अभी चलसाई में सरे आम एक वेश्या ने प्रण लिया था सरे आम प्रण लिया, अखबारों के मार्फत प्रण लिया था कि वह इस धन्धे को छोड़कर एक मन्दिर बनवा रही है और अपने धन्धे को बदल रही है मजबूर किया उस औरत को फिर दुबारा उस धन्धे को खोलने के लिये पुलिस अधिकारियों ने। बार-बार किया। धन्धा छोड़ने के बाद उसको बन्द किया। मजबूर होकर उस औरत को पुनः दैहिक व्यापार करना पड़ा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी

इसलिये अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हू कि जहां सरकार ने यह स्वीकार किया है कि देश में व्यापार चल रहा है, सेना के नजदीक चल रहा है सेना के लोगों पर क्या असर पड़ता होगा, लोगों पर क्या संस्कार पड़ते होंगे गांव में। इस प्रकार की भयकर बिमारियां फैलती होंगी। इस बात को सरकार सोचे। मेरा पुनः आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है कि सरकार इस बात को गम्भीरता से ले अगर यह धन्धे को चलाना पुलिस का पनपाना है और अगर पुलिस इस धन्धे को चलाना चाहती है तो कम से कम सेना जो देश की सेवा करती है उन सैनिकों से दूर, जहां सेना की यूनिट्स हैं वहां से तो कम से कम उनको दूर हटाकर दूसरी जगह स्थापित करें वरना नैतिकता के आधार पर चूड़ियों पर से टैक्स हटाने वाली सरकार का यह दायित्व बनता है अगर वह महिलाओं की इज्जत रखना चाहती है, बुरे संस्कारों से बहिन बेटियों को बचाना चाहती है तो मूल तरीके से अलवर जिले से यह दैहिक व्यापार खत्म होना चाहिये बल्कि समस्त जिले से ही हो, मैं निवेदन करू सरकार से देश में यह व्यापार जहां जहां भी होता है तो यह मानवता पर कलंक है पूरे राजस्थान से हटना चाहिये। इतना ही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष : श्री शोपत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे गम्भीर प्रश्न की ओर सदन में चर्चा उठाने के लिये अभी आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, 17 जुलाई को कुछ तस्करों को बी. एस. एफ. ने गिरफ्तार किया। कुछ तस्कारों से मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में लगभग 18 करोड़ रुपये की हेरोइन पकड़ी गई। तस्कर व्यापारी 8 ऊंटों पर आये थे, 6 ऊंट मारे गये, एक ऊंट पकड़ लिया गया और एक ऊंट भाग कर चला गया। पुलिस और तस्करों के बीच लगभग 1½ घन्टे तक गोलियों का आदान-प्रदान हुआ लेकिन तस्कर एक जोगा' जीप में बैठकर चले गये। आये थे ऊंटों पर और ऊंट मरने के बाद में जोंगा जीप पर बैठकर चले गये। एक भी उनमें से पकड़ा नहीं गया। इस तथ्य से एक बात स्पष्ट होती है कि सीमा पर सरकार की तुलना में तस्करों की व्यवस्था अच्छी है तस्कर यह प्रबन्ध करके आते हैं कि इमरजेन्सी में जहां पुलिस से हमारी कहीं मुठभेड़ हो जाये हम यदि किसी प्रकार से बच गये तो किस प्रकार से सीमा पार करेंगे, उसकी व्यवस्था करके वह सीमा पर तस्कर व्यापार करते हैं। यह तो 17 तारीख की घटना है उसके पहले 15, 16 तारीख की रात को एक तस्कर से मुठभेड़ हुई, उसमें माल पकड़ा गया और तीन तस्कर गिरफ्तार हुए। यह तीनों तस्कर मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान के है। प्रश्न यह आता है कि पाकिस्तान के तस्कर पकड़े नहीं जाते और हमारे राजस्थान के या भारत के तस्कर यदि तस्कर व्यापार में लिप्त हैं और तस्करों से कहीं मुठभेड़ हो जाये तो वह लोग पकड़ लिये जाते हैं। अब विचार यह करना पड़ेगा कि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर जो लगभग 1577 कि.मी. है इस सीमा पर बावजूद हमने चौकियां कायम कर रखी हैं, 148 चौकियां कायम कर रखी है एक चौकी से दूसरी चौकी का अन्तर साधारणतः 15,20 किलोमीटर है। दूसरी कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर रखी है जो अभी मई के महीने से चालू की है सीमा पर 500 मीटर की दूरी में यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से दिखे तो बी. एस. एफ. उसको गोली मार सकती है। अब इन सारे प्रबन्धों के बावजूद भारी सख्या में तस्कर व्यापारी' आ जायें, पकड़े नहीं जायें और वापिस चले जायें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक तस्कर व्यापार का प्रश्न है, मैं यह समझता हूं तस्कर व्यापार नहीं रुका तो हिन्दुस्तान की इकनामी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा लेकिन तस्कर व्यापार केवल सीमा तक ही सीमित नहीं है यह तस्कर व्यापारी स्पाइज को भी लाते हैं। तस्कर व्यापारी ऐसे नागरिकों को भी लाते हैं जो भारत में प्रवेश पाने के लिये किसी भी प्रकार का उनका कोई औचित्य नहीं। इन तस्कर व्यापारियों का धन्धा उन तत्वों को भी लाना है जो हिन्दुस्तान में कई प्रकार के बड़े उत्पात मचाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी देश में बम विस्फोट हुआ। उस समय समाचार पत्रों में समाचार छपे कि बम विस्फोटक करने में जो आतंकवादी हैं इनको पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला है और पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह देश में आये और विभिन्न स्थानों पर इन्होंने बम रखे और वह बम विस्फोट हुए। उसके बाद राजस्थान की सरकार व भारत सरकार, इन दोनों ने मिलकर कई बैठकें की और किस प्रकार से इनको रोका जाये इनके सम्बन्ध में कई चर्चायें की, बोर्डर को सीज

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कर दिया जाये इस प्रकार की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्डर को सील किया गया उसके बाद में चानिनयों का पार जो गडरा रोड से 18 कि.मी. की दूरी पर है उस गांव में पाकिस्तान के 5 आदमियों ने आकर लूटा। रात को आकर एक टीके के पास आकर रह गये। सुबह 6 बजे गांव वालों को इकट्ठा किया, औरतों को एक जगह बन्द कर दिया, पुरुषों को एक जगह बन्द कर दिया और जितना उनका माल था वह सब लेकर चले गये। कुछ दिन बाद उसी बाड़मेर जिले के एक गांव में और डाका पड़ा। वहां डाकू डाका डालकर सुरक्षित चले गये। यह केवल दो घटनायें होती तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होती डाका डालने वाले आ गये, और डाका डालने वाले चले गये, तस्कर व्यापारी आ गये और माल देकर वापिस चले गये, पकड़े नहीं गये। यहीं तक ही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मई के महीने में 22 आदमी इस तरह से लोगों ने पाकिस्तान के आदमियों ने भारत की सीमा में प्रवेश किया और वह सिलसिला केवल 22 आदमियों का नहीं है, 27 आदमी, वह उनका ही सिलसिला नहीं है, 27 का नहीं, उस प्रकार से लोग आ सकते हैं और मैं कहना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से वह 27 आदमी आतंकवादी थे। आप कहेंगे लोगों ने प्रवेश नहीं किया। मैं आपको अपने रिकार्ड से यह दिखा सकता हूं, यह बता सकता हूं कि 27 आदमियों ने पाकिस्तान से हिन्दुस्तान की सीमा में प्रवेश किया 20 मई को। 20 मई को अध्यक्ष महोदय, छम्ब के सब इन्सपेक्टर ने एस.पी. जैसलमेर को सूचना दी कि एक पाकिस्तान का डाकू वह 27 आदमियों को लेकर आया है अमुक टीके के पीछे छुपा हुआ है, मौका पाकर उन 27 आदमियों को भारत की सीमा में प्रवेश करा चुका है और उसके आगे ले जा रहा है। एस. पी. ने वहां से फोर्स भेजी और जिस डाकू ने लाकर उन 27 आदमियों को एक आदमी के पास छोड़ा हादी म्यूं जिसका नाम है। उस हादी म्यूं ने जैसलमेर में बी. एस. एफ. फोर्स से टेलीफोन किया। वहां उन म्यूं की बस्ती में टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन पास में ही बी. एस. एफ. की चौकी है वह आदमी जो उन आदमियों को पनाह दे रहा था, वह आदमी चौकी पर जाता है वहां चौकी पर जाने के बाद वह सूचना देता है जैसलमेर के एक व्यापारी को कहता है कि तुम उसके लिए एक टैक्सी कर लो। वह टैक्सी वहां पहुंची। वह हाजी मिया वहां आया और गाजी फकीर से मिला और वहां आने के बाद जैसलमेर के एस.एच. ओ. गिरजा शंकर पारीक उनसे मिला। यह दोनों मिलकर एस.पी. से मिले और एस.पी. से मिलने के बाद जो पुलिस फोर्स भेजी उस पुलिस फोर्स को विथड्रा कर लिया और नतीजा यह निकला, अध्यक्ष महोदय, कि वह 27 आदमी वहां से रवाना होकर रामदेवरा आये। रामदेवरा से जोधपुर पहुंच गये और जोधपुर से आगे उनका कोई अता पता नहीं है कि वह कहां गये और कहां नहीं गये। अब इससे आप अन्दाज लगा लीजिये कि यह कोई ऊंट पर नहीं आये, कोई घोड़े पर नहीं आये, कोई पैदल नहीं आये। इनके पास निशान आर. एस. एम. 8832। यह निशान क्या है, कहां

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चली गई। अब आप एक अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारी सीमा पर तस्कर व्यापारी जिस समय चाहे उस समय आ जाय, मुक्तसर जिस समय चाहे उस समय आ जाय। अगर कोई आतंकवादी या और लोग है वह जिस समय चाहे उस सीमा पर आ जाय। मेरी समझ में नहीं आता है अध्यक्ष महोदय जिस सीमा को हमने सीज कर दिया, उसे सीज करने के बाद डाके पड़ जाय, तस्कर व्यापारी आ जाय, पाकिस्तान के गुप्तचर आ जाय, तथाकथित आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस जाय और राजस्थान की सरकार उसके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सके, इससे मुझे लगता है कि हम चाहे कितनी ही व्यवस्था करें हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। अध्यक्ष महोदय, आज हेरोइन पकड़ी गई। वह जो पकड़ी है उस एक अंश मात्र के लिये तो में चाहे बी. एस. एफ. हो चाहे सिविल पुलिस के लोग हो और चाहे जिन लोगों ने यह 18 करोड़ रुपये की हेरोइन पकड़ी, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा लेकिन एक हेरोइन का मामला नहीं है आज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की बोर्डर के बीच में जो तस्कर व्यापार होता है। पहले बीड़ी का होता था, चाय का होता था, शक्कर का होता था, सोने का होता था, चांदी का होता था या कपड़ों का होता था - लेकिन आजकल इन छोटे आइटमों को तो छोड़ दिया और इन सीमाओं पर सबसे ज्यादा व्यापार हेरोइन का होता है। अध्यक्ष महोदय, मई में पुलिस स्टेशन सम में ओरियां गांव के पास बी. एस. एफ. और व्यापारियों के बीच में एनकाऊन्टर हुआ उन एनकाऊन्टर में एक बी. एस. एफ. के सिपाही को गोली लगी, वह घायल हो गया उस समय जब घायल हुआ तो थोड़ी देर के लिये वह पाकिस्तान चले गये और यह सरकारी रेकार्ड के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहीं तस्कर व्यापारी वही सारी हेरोइन लेकर वापिस हिन्दुस्तान में आ गये और हिन्दुस्तान में आकर जोधपुर के जरिये उन्होंने बम्बई या अहमदाबाद जहां भेजनी चाहिये थी वहां भेज दी। यह जबरदस्त एक हेरोइन का व्यापार हो रहा है इस हेरोइन के व्यापार के लिये आप ताज्जुब करेंगे एक ऊंट की कीमत 40 हजार रुपया, जो एक आदमी उस ऊंट को एम्पलाय करता है उसको केवल ऊंट की कीमत नहीं दी जाती है, उसको 40 हजार रुपये कीमत दी जाती है–व्यापार चल रहा है। यदि एक स्पाई को आप लाना चाहते हैं तो उसके आयोजन पर 20 हजार रुपये और तथाकथित आतंकवादी को आप लाना चाहते हैं तो एक आदमी की कीमत 50 हजार रुपये। आप आज सीमा पर जा करके देख लीजिये, यह खुला व्यापार चल रहा है। इसको कोई रोकने वाला नहीं है और यह रोकता कौन। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में जैसलमेर गया, मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जैसलमेर के एक एस. पी. ने जैसलमेर की एक महिला के घर पर रेड डाली और रेड इसलिये डाली कि वह महिला तस्कर व्यापार का सामान अपने पास रखकर पार करती थी। एस. पी. रेड करने गये और वहां का यहीं एस. एच. ओ. जिसका नाम मैंने अभी बताया गिरजा शंकर, इसने उस महिला को इत्तला कर दी कि एस. पी. साहब पांच मिनट में रेड करने वाले हैं जितना सामान गायब कर सकते हो, गायब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करो। वह सामान थोड़ा बहुत गायब कर लिया लेकिन एस. पी. साहब इमीजियेटली पहुंच गये, उसने सामान को रोका मैं आज कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि केवल आज एस. पी. और कलक्टर तक सीमित नहीं है। जैसलमेर और बाड़मेर जिले के सबइन्सपेक्टर यह आपके नौकर नहीं है रोटी के, ये राजस्थान सरकार के नौकर नहीं है। यह तस्करों के नोकर है और इन तस्करों के नोकरों की नियुक्ति मैं नहीं करता, न आप करते। यह तस्कर अपनी मरजी से आये उसी तरह से नियुक्ति कराते हैं। कई सबइन्सपेक्टरों के वहां से ट्रान्सफर हुए वह ट्रान्फर केन्सिल कर दिये और मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ कि अभी आपने नाचना में एक सबइन्सपेक्टर को लगाया है। वहां आम चर्चा है कि इस सबइन्सपेक्टर की नियुक्ति मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं अपने आदेश से की है। उस समय जब मैं यह सुनता हूं तो मुझे दुख होता है कि तस्कर व्यापारी सबइन्सपेक्टर का अपाइन्टमेंट करा लें, यह तस्कर व्यापारी डाक्टर का अपाइन्टमेंट करा लें, यह तस्कर व्यापारी बी. डी. ओ. का अपाइन्टमेंट करा लें इसलिये मैं कहता हूं कि चाहे राज्य वहां के सरकारी कर्मचारी करते हो लेकिन उन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है, तस्कर व्यापारियों के हाथ में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यही चिन्ता का विषय होता है और मैं इसलिये पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी कि जिस एस. पी. ने इन 27 आदमियों के आने की सूचना की कि अमुक किले के नीचे 27 आदमी बैठे हैं, एस. पी. साहब क्यों नहीं गये क्या एस. पी. की ड्यूटी नहीं है कि वह वहां जाते, लेकिन उन्होने जैसलमेर में ही बैठकर यह सारे कागजों में ही निर्देश देने की बात की। 27 आदमियो की जब उनके पास जानकारी मिली तो एस. पी. का कर्तव्य था कि एस. पी. जाता। जब उस हालत में सूचना मिली कि समाचार पत्रों में यह खबर आ गई थी, डी. आई. जी. के नाम से खबरे आई, आइ. जी. के नाम से समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहा था कि आतंकवादी जैसलमेर की सीमा से हिन्दुस्तान में प्रवेश कर गये, उस समय जैसलमेर के कलक्टर को इस प्रकार की जानकारी मिले तो काम था कलक्टर का, एस. पी. का कि यह तुरन्त मौके पर जाते। एस पी. गये नहीं, फोर्स भेज दी और उस फोर्स को तीन घटे बाद वियड़ा कर लिया। आज मैं एस. पी. जैसलमेर को तो वह चले गये लेकिन उनको गंगानगर लगा दिया, अध्यक्ष महोदय, उनको गंगानगर लगा दिया। अब मैं अध्यक्ष महोदय, ज्यादा गहराई में नाम लेकर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन जोशी जी मैं इतना कहना चाहता हूं कि एस. पी. के हाथ साफ नहीं है और इतना और कहना चाहता हूं कि एस. पी. ही नहीं बी. एस. एफ. के डी. जी. का जो जोधपुर में पोस्टिंग है, उनके हाथ साफ नहीं है। उनके हाथ साफ होते तो इस मसले पर निश्चित रूप से एक्शन लिया जाता, वह एक्शन नहीं लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, यह तस्कर व्यापारी केवल इतना सा ही काम करें इसलिये नहीं

(90)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तस्कर व्यापारी का सरकारी काम। इन्होंने तस्कर व्यापारियों ने वहां राजस्थान में एक अपना सैल बना रखा है। उस सेल के जरिये वह चाहते कि राजस्थान केनाल पर जितनी भूमि अलाट होना है, इस सारी भूमि पर पाकिस्तान के नागरिकों को किस प्रकार से कब्जा किया जाय, वह व्यवस्था होनी चाहिये और अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि उन 16 हजार एप्लीकेन्ट्स में ऐसे लोग है जो पाकिस्तान की जेलों में पड़े हैं, पांच हजार के करीब ऐसे आदमी है जिनके पास हिन्दुस्तान की नागरिकता है जिनके पास पाकिस्तान नागरिकता है और हजारों आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में राशन कार्ड बना रखा है, जिन्होंने हिन्दुतान में राशन कार्ड बना रखा है, हजारों आदमी ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान की निर्वाचन सूचियों में नाम दर्ज है और हिन्दुस्तान की निर्वाचन सूचियों में नाम दर्ज है उसके पहले मुख्य मन्त्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, एक दृढ़ता के साथ आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि 1965 के वह नागरिक जो 1965 में पाकिस्तान की सेना के साथ होकर हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी की और हिन्दुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गये और वह नागरिक जो 1971 में जिन्होंने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया और हिन्दूस्तान के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान में चले गये। पहले आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि 1965 में जो पाकिस्तान चले गये, 1971 में जो पाकिस्तान चले गये। 65 और 71 में पाकिस्तान जाकर जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता हासिल कर ली। पाकिस्तान की वोटर लिस्ट में जिन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया, जो जमीनों के अलाटमेंट करवा के खातेदार बन गये, जो राशन कार्ड वहां ले चुके वह तो डबल सिटीजनशिप में रहेंगे या उनकी एक सिटिजनशिप रहेगी और एक सिटिजनशिप रहेगी तो क्या आप उन्हें हिन्दुस्तान के नागरिक बनाने को तैयार हैं। यदि हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं बना सकते तो हमको तैयारी इस बात की करनी पड़ेगी कि ऐसे लोग जो 1965 में हिन्दुस्तान छोड़कर चले गये, 1971 में हिन्दुस्तान छोड़कर चले गये, उन लोगों को हम किस प्रकार से हिन्दुस्तान के बाहर खदेड़े, देश के बाहर खदेड़े। मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं राजस्थान केनाल के मामले में यदि राजस्थान सरकार ने कोई सावधानी नहीं बरती तो जिस केनाल के लिये पूरे राजस्थान ने अपना खून पसीना एक करके जिसमें पूंजी लगाई है केनाल की शक्ल के अन्दर एक हमारी डिफेन्स वाल बनाना चाहते है, वह डिफेन्स वाल नहीं बनेगी और हमारे हिन्दूस्तान के लिये संकट खड़ा हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा आप यह फोटो देखें, मैं इस सदन की मेज पर भी रखूंगा और मुख्य मन्त्री जी को भी दूंगा। 10–10 वर्ष के बच्चे, उनके मूछें लगी हुई है दाढ़ी लगी हुई है, साफा बान्धे हुए है और उनके नाम से कोलोनाइजेसन के अन्दर एप्लीकेशन दी है कि हमें जमीन का अलाटमेंट किया जाय। अब इससे आप अंदाज लगा लें और इस मामले में जिस एस. डी. एम. ने या तहसीलदार ने इन सारी एप्लीकेशन्स की स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग करने के बाद में कहा यह फर्जी है,

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

यह पाकिस्तान के नागरिक है, ये पाकिस्तान की जेलों में बन्द है। उस स्क्रीनिंग के बाद में जिस तहसीलदार ने स्क्रीनिंग की उसका ट्रान्सफर कर दिया और जिस पटवारी ने शिकायत की उसको मार-मार कर जैसलमेर के तालाब में डाल दिया। अब आप बताइये कि हिन्दुस्तान का कौन नागरिक ऐसी आवाज को उठायेगा। अध्यक्ष महोदय, इन हालातों को देखते हुए कोई नागरिक आज आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही नहीं कहता कि यह तस्कर व्यापारी अकेले हैं। सी. बी. आई. का इन्पेक्टर रामसर पुलिस स्टेशन के पुलिस क्षेत्र में सरकारी जीप में तस्कर व्यापारी के तस्करी के माल सहित गिरफ्तार हुआ गुमान सिह। उस गिरफ्तारी के अन्दर गुमान सिह का चालान हुआ लेकिन जिस व्यापारी का उस व्यक्ति का माल था, आप ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, गुमान सिह के साथ-साथ जिसका माल था उसको भी गिरफ्तार करनी चाहिए था लेकिन सरकार ने उस समय उसकी गिरफ्तारी नहीं की, दबाव पड़ा तो बाड़मेर, रेल्वे स्टेशन पर उसको नजरबन्दी कानून में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी कायम होने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे वह आदमी 17 दिन के अन्दर छूट गया। लेकिन छूटा किस लिए कि वह राजनैतिक दवाव के आधार पर फैसला किया गया कि हाइकोर्ट में इस नजरबन्दी के खिलाफ याचिका दी, याचिका का फैसला हुआ नहीं और सरकार ने उसकी नजरबन्दी का आदेश वापस ले लिया। मैं मुख्य मन्त्री जी पूछना चाहता हूं कि आपने गिरफ्तार क्यों किया और गिरफ्तार यदि आपने किया तो हाईकोर्ट का फैसला हुए बिना वह आदेश आपने किस आधार के ऊपर वापस लिया। अध्यक्ष महोदय, इन बातों से जब लोगों को अन्दाज लगता है तो बड़ी हालत खराब होती है।

अध्यक्ष महोदय, उसी जिले का एक छोटिया नाम का सबसे बड़ा स्मगलर है, जिसकी सबसे ज्यादा एक्टीविटीज, जिसके कब्जे में कम से कम 70 जोंगा जीपें हैं और 70 जोंगा जीपों में, मुख्य मन्त्री जी, मैं कहना चाहता हूं, लगभग 30–35 पर हिन्दुस्तान के मार्क नहीं है। आप देखना चाहें तो पाकिस्तान के नम्बर उन पर लगे हुए हैं, उस छोटिया ने, वह छोटिया किसका आदमी है, मैं अभी कहूंगा नहीं लेकिन मुख्य मन्त्री जी चाहें तो आप फोटो देख ले, वह छोटिया एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है, जुलूस निकल रहा है, उस गाडी का ड्राइवर यह छोटिया है और गाडी में बैठे हुए हैं हमारे वहा के संसद सदस्य। मैं नाम इस समय नहीं लेना चाहूंगा, कोई आपत्ति करे, लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि आज एक ड्राइवर, एक तस्कर व्यापारी, नोन तस्कर व्यापारी, वह तस्कर व्यापारी ऐसी गाड़ी का ड्राइवर होकर चला जाय किसका कांग्रेस पार्टी का जूलूस निकल रहा हो और उसको वह ड्राइविंग करें। आप क्या समझते हैं कि उसका रोब नहीं चलेगा। उसकी मई के महीने में शादी हुई, हिन्दुस्तान भर के स्मगलर्स जैसलमेर आये, अहमदाबाद के स्मगलर वहां पहुंचे, बम्बई के स्मगलर वहां पहुंचे। राजस्थान के स्मगलर वहां पहुंचे, दो ढाई लाख रुपये शादी में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खर्च किये गये। पुलिस के रिकार्ड में एक स्मगलर को गिरफ्तार करने या एक्शन के सम्बन्ध में आप बता दें। कोई एक्शन नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, पुलिस के रिकार्ड में जो नोन स्मगलर है नीलम खां वह जैसलमेर की नोटिफाइट एरिया कमेटी का सरकार का नोमीनेटेड मेम्बर है। मुझे शर्म आती है इस समय कहते हुए। अध्यक्ष महोदय, हम आदमी को छांटें, यह यह छोड़ें कि बी. जे. पी. का आदमी नहीं लेना, यह छोड़ कि लोकदल का आदमी नहीं लेना, यह भी छोड़ दें कि जनता पार्टी का आदमी नहीं लेना, तो आपको किसने ठेका दिया है कि आप तस्कर व्यापारी को जैसलमेर नोटिफाइड एरिया कमेटी का मेम्बर बना दें? वह आज मेम्बर बैठा है। एक तरफ आप उनका सम्मान बढ़ा रहे है कि पुलिस इन तस्कर व्यापारियों के खिलाफ एक्शन ले। मैं समझता हू, दोनों चीजें नहीं चल सकती और इसलिए नहीं चल सकतीं तो आपको इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा आज के एक वर्ष पहले राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की जी. सी. शीट वह तहसील का जो कोलोनाइजेशन का जो तहसीलदार है, उस तहसीलदार के डबल लोकअप में से चली गई, एक साल हो गया वह शीटें मिलीं नहीं, तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा बना 409 का, चतुराई से 409 का मुकदमा बनाया, 409 का मुकदमा बनाने के बजाय आफशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुकदमा बनना चाहिए था ताकि कोई प्रभावी कार्यवाही उसमें हो लेकिन उसमें एक्शन नहीं लेकर 409 में केस रजिस्टर किया गया और जब उसमें आई. बी. ने लोगों ने कुछ ज्यादा इन्वेस्टीगेशन शुरू कर दी तो इन लोगों ने, तस्कर व्यापारियों ने देखा कि यह नक्शे वापस देओ। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस समय अलमारी खोलकर नक्शे ले गये उस समय सरकार के अधिकारियों को पता नहीं, और एक साल बाद में वही नक्शे उस अलमारी में दोबारा रख दिये उस समय सरकार को पता नहीं, अब यह सरकार है तमाशा है। डबल लोकअप से निकल गये तो कोई पता नहीं लगा, डबल लोकअप में वापस जाकर रख दिये तो कोई पता नहीं लगा और वह तहसीलदार ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, एक साल तक आराम से घूमता रहा, उस तहसीलदार को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। आज कोई डाकू नहीं पकड़ा जाय, चोर पकड़ा जाय मेरी समझ में आती है लेकिन ऐसे लोग जो सरकारी अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं उनके यहां से नक्शे निकल गये और उन नक्शों के बारे में सरकार ने कोई इफैक्टिव कार्यवाही नहीं की और न उसको गिरफ्तारी किया और वह तहसीलदार रहता कहां था, कोई पाकिस्तान के जंगलों में नहीं गया, कोई जैसलमेर के टीलों में नहीं गया, वह जैसलमेर में रहता था, पोकरण में रहता था, जोधपुर में रहता था लेकिन उस आदमी को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। अब आप इससे अन्दाज क्या लगाते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद में एक्शन लेने की ताकत जिन लोगों के हाथ में होनी चाहिए, वह ताकत इनके हाथ में नहीं है।

93

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ यह चीन, दूसरा पाकिस्तान से लगभग, पाकिस्तान से 12·2·84 को कुछ 48 आदमी, ओड जाति के जो राजस्थान नहर के ऊपर काम करते है, उनको पाकिस्तान में सताया, सताने के वाद वह हिन्दुस्तान में आ गये। मैं संयोग से उस दिन जैसलमेर था। मुझे सूचना मिली कि 48 आदमी बिल्कुल गरीब, अगर आप उनके फोटो देखें तो आपको अन्दाज लग जायेगा कितने गरीब हैं, शायद 15–15, 20–20 दिन से इनको रोटियां नहीं मिलीं, वह आदमी किसी तरह से मरते पड़ते हिन्दुस्तान की सीमा आये, हिन्दुस्तान की सीमा में उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद में, उस समय न मुझे कलेक्टर मिले, न मुझे एस. पी. मिले। मैंने कहा भई इनको पूछो तो सही कि क्यों आये हैं, पाकिस्तान में जायेंगे तो इनकी दुर्दशा क्या होगी। इन गरीबों के साथ अन्याय मत करो इनको गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे उनको गिरफ्तार नहीं किया और सारी बी. एस. एफ. और सिविल पुलिस इसी पर डट गयी कि इनको हिन्दुस्तान की सीमा से पार करके पाकिस्तान भेजा जाय। मैंने, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से भी करोसपान्डेन्स की और मुझे जानकारी मिली है कि भारत सरकार ने राजस्थान की सरकार को निर्देश दिये हैं कि पाकिस्तान के अल्पसख्यक, मतलब वहां के पाकिस्तान की दृष्टि से जो अल्पसख्यक हैं वह यदि हिन्दुस्तान में आ जाते हैं तो उनके गिरफ्तार करने, मुकदमा बनाने, चालान करने इसकी सारी जानकारी भारत सरकार को देनी पड़ेगी और भारत सरकार से अनुमति के आधार पर ही उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उन गरीबों को निकाल दिया और मुझे 6 दिन के बाद जानकारी मिली और सीमा पार, ज्योंहि उनको सीमा के पार किया गया सब लोगों का कत्ले आम कर कर दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान से कोई हिन्दू आ जाय उसका कत्ले आम और पाकिस्तान से तस्कर व्यापारी आ जाय, पाकिस्तान से गुप्तचर आ जाय, पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर आतंकवादी आ जाय, उनका हमारा सारा सरकारी अमला स्वागत करे इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कोई हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों समाचार पत्रों में खबर छपी कि पाकिस्तान से हथियारों का जखीरा आया, सरकार ने कहां जांच की। परसों के दिन माननीय सदस्य जो कोलायत से आये हैं, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने हथियारों के एक जखीरे के बारे में यहां जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं वह जानकारी अभी अधूरी है लेकिन जानकारी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान से काफी हथियार आ रहे हैं और काफी हथियार इसलिए आते हैं कि वहां पर हथियार छिपाने का और हथियार का व्यापार करने पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है जितना चाहो आप हथियार ले आओ। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के पीर जिलानी वह आये, आये थे पचरदरा, बालोतरा लेकिन पूरे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र का दौरा किया। अगर आज कोई पाकिस्तानी अल्पसख्यक हिन्दुस्तान में प्रवेश कर जाता तो गिरफ्तार कर लेते वह पाकिस्तान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के पीर सारे सीमावर्ती क्षेत्रों में घूमकर चले गये किसी ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, काफी धन ले गये और काफी लोगों को प्रशिक्षण दे गये कि तुम्हें पाकिस्तान के पक्ष में किस प्रकार से कार्यवाही करनी है और पाकिस्तान के पक्ष में तुम्हें किस प्रकार से सूचना भेजनी है सारी ट्रेनिंग दे गये उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस हालत में आप विचार करें कि राजस्थान की यह सीमा किस प्रकार से सुरक्षित रहेगी। यह सीमा का प्रश्न, मैं समझता हूं कोई मेरे अकेले का नहीं है, कोई दूसरी पार्टी का प्रश्न नहीं है। यह राजनीति से परे का प्रश्न है और राजनीति से परे जब यह प्रश्न आता है तो हमें गम्भीरता से इसकी चिन्ता करनी पड़ेगी। मैं इसलिए अभी जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में जाकर आया। अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ कि वहां लगता है सरकार नाम की कोई चीज नहीं है वहां टीलें हैं, वहां पेड़ हैं, वहां ऊंट हैं, वहां घोड़ें गधे हैं लेकिन आप अगर वहां दूरबीन लगा कर तलाश करना चाहें तो पता लगेगा यहां सरकार नाम की चीज नहीं है बाकी की सब चीज है आज वहां राज है तस्करों का। इन तस्करों का राज आप तोड़ सकते हैं क्या? और मैं सुझाव भी देना चाहूंगा, यदि आप तस्करों का राज तोड़ना चाहते हैं तो मैने आपको एक पत्र लिखा था, वहां के अधिकारियों की नियुक्ति सोच समझ कर ठोक बजा कर की जावे, जिस अधिकारी की कोई परचेज नहीं कर सके। आज, अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि जैसलमेर में अभी आपने एस. पी. लगाया, मैं उसको जानता नहीं लेकिन उस व्यक्ति की सारे जैसलमेर में प्रशंसा है कि यह व्यक्ति रहेगा तो जैसलमेर में तस्कर व्यापार को कण्ट्रोल कर लेगा। परन्तु मुझे वहां मालूम हुआ की कोई सब इंस्पेक्टर ऐसा बचा हुआ नहीं है जो गुप्तचरों से मिला हुआ नहीं हो। आप सोचिते, अब वह जैसलमेर का एस. पी. करेगा क्या? क्या करेगा वह जैसलमेर का एस. पी.? कुछ नहीं कर सकता। आज वहां के तहसील के स्टाफ को ले लीजिए, डवलपमेंट विभाग के स्टाफ को ले लीजिए, और बाकी सारे स्टाफ को ले लीजिए, सभी तस्कर व्यापारियों के अधिकांश अड्डे बने हुए हैं। इसलिए मुख्य मन्त्रीजी, मैं पहले तो यह चाहूंगा कि पाकिस्तान से मुकाबला होगा, हमने दो बार पहले भी मुकाबले करके उनको शिकस्त दी हैं, पाकिस्तान को हथियारों से फिर भी शिकस्त देंगे लेकिन यह जो छोटे-छोटे घर के भेदी हिन्दुस्तान पर हमला कर रहे हैं, काट रहे हैं उसको रोकने का एक फैसला आप कर लीजिए कि 65 और 71 के उन वर्षों में जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके सम्बन्ध में सरकार एक नीति बना ले और कह दे कि जिन्होंने हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी की है वह हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हो सकते। दूसरा फैसला आप यह कर लें कि जिस एस. पी., कलेक्टर या हैड आफ दी डिपार्टमेंट को लगायें पहले उसकी जांच करके कि किस प्रकार का व्यक्ति है, उसको लगावें और लगाने के बाद में उसको स्वतन्त्रता दें कि वह किस प्रकार का अपना स्टाफ चाहता है। कौनसा थानेदार चाहता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, कौन-सा तहसीलदार चाहता है, किस प्रकार का बी. डी. ओ. चाहता है, किस प्रकार का डाक्टर चाहता है।

अध्यक्ष महोदय, सरकारी अफसर की बहुत शिकायत करते हैं, कलेक्टर महेन्द्र कुमार व्यास का मैने एक बार पहले भी जिक्र किया था एक प्रश्न के मार्फत कि वहां एस. पी. कश्यप है, उनके खिलाफ राजस्थान सरकार के सचिव को चिट्ठी लिखी कि यह आदमी जान बूझ कर तस्कर व्यापारियों को पकड़ता नहीं है। एनकाउण्टर होता है तो एनकाउण्टर में भाग गए लेकिन दूसरा काम यह होता है कि एनकाउण्टर के बाद में केस रजिस्टर किया जाये। केस रजिस्टर के बाद में लोगों का चालान किया जाय। न तो केस रजिस्टर होता है और यदि केस रजिस्टर हो जाये तो लोगों का चालान नहीं होता। बी. एस. एफ. ने शिकायत की कि एनकाउण्टर से कोई मतलब नहीं जब सिविल पुलिस उसमें आगे प्रोसीड नहीं करती। मैं आज पूछना चाहता हूँ, कश्यप के खिलाफ कलेक्टर की शिकायत पर आपने क्या एक्शन लिया ? कोई एक्शन नहीं और नतीजा यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आज उस सारे क्षेत्र में यदि आप जाय तो गायों की जो हालत देखें, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनकी मार्मिक दशा को देख कर रोये नहीं। जैसलमेर में हम कहतें है कि गायें बड़ी सोफ्ट है। गायें बहुत अच्छी हैं दूध देने वाली। सारे राजस्थान की और गुजरात की गायें भूखों मरती हुई जैसलमेर की सीमा को पार करके पाकिस्तान में जाती है। गाय की कीमत 5 रुपये से 50 रुपये। जयपुर में 5 और 50 में गाय नहीं मिलती, जैसलमेर में 5 और 50 रुपये में गाय मिलती है। उधर आप गाय ले जाओ गाय ले जाने के बाद जो कुछ पैसे मिले उधर से पैसा लाना चाहते हों वह लेकर आ जाओ। गायें हमने सारी बेच दी। उस सारे इलाके में गरीबी है। कल अकाल की मीटिंग हो रही थी, मैं कहना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, आप यह अकाल राहत के काम खोलें या न खोलें लेकिन जैसलमेर, बीकानेर और बाडमेर के जिलों में आप इतने अकाल के काम खोल दीजिए कि कोई भुखा आदमी जिसको अकाल राहत का काम नहीं मिले वह भुखा आदमी तस्कर व्यापारियों के चक्कर में आकर कोई ऐसा काम नहीं करें। मैंने कुछ लोगों से पूछा है, खास तौर से मेघवाल और राजपूत कम्यूनिटी के लोगों से पूछा है कि आप लोग इस तस्कर व्यापार ये कैसे शामिल हुए। कहने लगे कि बहुत सस्ता काम है। इधर हम रोटी के लिए मोहताज बैठे हैं, एक-एक पैसा हमको नहीं मिलता, पानी का प्रबन्ध नहीं। हम सौ रुपये की बीड़ी, चाय और चीनी, ये तीन चीजे खरीदते हैं। गठरी बांधी पाकिस्तान में गए। सौ रुपये के हमको 130) रु. मिलते हैं। 130) रु. का हम वहां से कपड़ा खरीदते हैं। वह कपड़ा लाकर हम जैसलमेर में बेचते हैं तो 130) रु. के हमें 60) रु. मिलते हैं। तीन दिन के काम में हमें 60) रु. की कमाई करते हैं। आप बतायें कि हम भूखे रहे या 60) रु. कमाई करें। इसलिए यदि आपको इसको रोकना है तो आपको इन लोगों को रोटी देनी पड़ेगी, रोजी देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ताकि वह लोग तस्कर व्यापारियों के हाथ में नहीं जायं। अध्यक्ष महोदय, आज के दस वर्ष पहले मैं हमेशा सीमा पर जाता रहा हूं। सीमा पर जाता तो लोग अपने आप सूचना देते थे कि अमुक-अमुक गांव में अमुक तस्कर व्यापारी है। अमुक गांव के अन्दर अमुक व्यापारी इस तरह का धन्धा कर रहा है। लेकिन अब सूचना देने वाला नहीं। मैने गड़रा में लोगों को इकट्ठा किया और पूछा, कारण क्या हुआ ? कारण यह कि सारे लोग पेट के कारण तस्कर व्यापारियों के हाथ में खेल रहे हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं यह मामूली सा सकेत ही आप ले लो लेकिन तस्कर व्यापारियों ने बाड़मेर की जनता, जैसलमेर क्षेत्र की सीमावर्ती जनता के पेट की रोटी का इन्तजाम किया तो वह सरकार के गुलाम नहीं रहेंगे वह तस्कर व्यापारियों के गुलाम हो जायेंगे। इसके लिए साथ-साथ व्यवस्था करनी पड़ेगी और आप चाहें तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और मैं समझता हूं कि पूरे विपक्ष की तरफ से आपको विश्वास दिला सकता हूं, बिल्कुल राजनीति से दूर रह कर इस समस्या का समाधान करें हम सरकार के साथ खड़े है। जो सरकार कहे करने को तैयार हैं। लेकिन राजनैतिक आधार पर जो संरक्षण लोगों को मिल रहा है वह संरक्षण नहीं मिले।

अध्यक्ष महोदय, 20 वर्ष तक कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह जाय, 20 वर्ष तक वह व्यक्ति आकर हिन्दुस्तान में अगर किसी पंचायत का सरपंच बन जाय और सरकार देखती रहे तो हमको क्या कहेंगे ? जो व्यक्ति पाकिस्तान में अपराध कर के आ जाय, एक डाक्टर उसने गलत इन्जेक्शन पाकिस्तान में दिया, पाकिस्तान में उसके खिलाफ मुकदमा बना। मुकदमा बनने के बाद वह हिन्दुस्तान में आ गया। डाक्टरी करने लग गया, कोआपरेटिव का अध्यक्ष बना गया। अपने आप जो पाकिस्तान में बैठा है उसके नाम लोन मंजूर करा दिया। दूसरे के दस्तखत करवा कर लोन ले लिया। यह एक्टीविटिज यदि गांव-गांव में चले तो लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी। आप प्रोसपर कर रहे हैं वहां पर तस्कर व्यापारी, आज प्रोसपर कर रहे है स्पाई, आज प्रोसपर कर रहे हैं वह लोग जो कोरियर्स के रूप में काम करते हैं यदि इसको रोकना है तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इससे कोई राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से नहीं कह रहा, मेरे मैं पिछले कई दिनों से, अध्यक्ष महोदय, घुटन थी इस बात की कि मैं सरकार को कहूं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार पर या तो मैं नहीं कह सकता कि तस्कर व्यापारियों का असर है या स्पाईज का असर है लेकिन यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार कमजोर है। जो कमजोर सरकार होगी, जो घर का मालिक कमजोर तभी इन्टूडर उसमें घुसेगा। चोरों की बात छोडिये, डकैती बात छोड़िये लेकिन जो कमजोर सरकार होगी तभी दूसरे लोग उस घर में प्रवेश कर सकेंगे, उस राज्य में प्रवेश कर सकेंगे।

अन्त में मैं मुख्य मन्त्रीजी आपको कहना चाहता हूं कि आप काम और चाहें कितने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करें, प्रशासनिक ट्रांसफर करें, पर राजस्थान की जनता भी रो रही है और जिनके ट्रांसफर हुए वह भी रो रहे हैं, लेकिन एक निश्चित रूप से फैसला कर लें कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में चाहे एस. पी. हो, चाहे क्लेक्टर हो, जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा वह बिल्कुल खरा होगा। जो कर्मचारी वहां नियुक्त किया जाएगा उनकी निष्ठा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होगा। मैं समझता हूं कि पचास प्रतिशत बीमारी तो इससे ही रूक जाएगी। आप राजस्थान का नक्शा उठा कर देखें, अध्यक्ष महोदय, कई लोगों को गुण्डा एक्ट में गिरफ्तार किया गया। पोलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं। गुण्डा होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक म्यूनिसिपैलिटि के चेयरमैन को गुण्डा एक्ट के अन्दर पकड़ा गया। चेयरमैन तो बना हुआ है लेकिन छः महीने के लिए शहर के बाहर निकालने की कार्यवाही कर दी। अब इससे आप अन्दाज लगा लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या जैसलमेर में आपको तस्करों की जानकारी नहीं है। क्या जैसलमेर में अवैध हथियारों का व्यापार करने वालों की आपको जानकारी नहीं है। क्या जैसलमेर में गुप्तचरी का धन्धा करने वालों की आपको जानकारी नहीं हैं। उनको आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते। वह गिरफ्तार भी हो गए तो फट छूटते हैं। आप यदि नजरबन्दी कानून का प्रयोग करना चाहते हैं तो अराष्ट्रीय तत्वों के खिलाफ करें। गुण्डा एक्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो उन तत्वों के खिलाफ करें। लेकिन इन तत्वों के खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं होती, कार्यवाही केवल उन लोगों के खिलाफ होती है जो राजनैतिक आधार के ऊपर आपके विरोधी है।

मैंने, अध्यक्ष महोदय, एक बात कही कि जैसलमेर में लगभग 70 जोंगा जीपें हैं, 70 जोंगा जीपें। वह जैसलमेर क्यों हैं। इन सब का फाइनेंस होता है जोधपुर से। जोधपुर वालों को फाइनेंस करते हैं अहमदाबाद से और अहमदाबाद वालों को फाईनेंस करते हैं बम्बई से। एक आदमी यहां पकड़ा गया, बम्बई से लेकर सारी मशीनरी उसको बचाने के लिए लगती है। मैंने खुद ने इन जोंगा जीपों के बारे में, पिछली बार मैंने नम्बर भी लिए। कौन-कौन सी जीपें हैं? क्या सरकारी अधिकारी अन्धे हैं। अनरजिस्टर्ड जोंगा जीपें चलती रहे, वह वहां पर किस लिए बैठी हैं। क्या शादी विवाह कराने के लिए बैठी है या क्या किसी टूरिस्ट को यात्रा कराने के लिए बैठी हैं। इन सारी जोंगा जीपों का मतलब है तस्कर व्यापार। जोंगा जीपों का मतलब है स्पाईंग। जोंगा जीपों का मतलब है इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण के बाद हिन्दुस्तान की सीमा में प्रवेश करवा कर अच्छे गुप्त स्थान पर भिजवा देना। क्या सरकार कह नहीं सकती कि जैसलमेर में जोंगा जीप नहीं रहेगी। जैसलमेर में जोंगा जीप रहेगी तो रजिस्टर्ड रहेगी। अब अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आज हम तस्कर व्यापारियों का मुकाबला करना चाहते हैं, पाकिस्तान के डाकुओं का मुकाबला करना चाहते हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किस बिना पर ? पाकिस्तान के पास जो जीपें हैं, इन डाकुओं के पास जोंगा जीपें हैं जो 125 किलोमीटर की स्पीड से उस रेती में ऐसी जाती हैं कि बैठने वाले को झटका नहीं लगे। इसका मुकाबला करते हैं हम हमारी जीपों से जो चालीस के ऊपर नहीं जावे इन टीलों में। हम मुकाबला करना चाहते हैं ऊंटों से, हम मुकाबला करना चाहते हैं पैदल से। यह नहीं हो सकता। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बात तो बुरी लगेगी लेकिन बी.एस.एफ. की चौकियों के वहां हाथ साफ नहीं हैं, वह हाथ साफ नहीं है। बी.एस.एफ. के कई अधिकारी डाकुओं से मिले हुए हैं और डाकुओं से मिलकर कोई ऐसा नहीं हो सकता, जैसा मैने छम्ब वाला पहला किस्सा बताया, वहां बी.एस.एफ. के लोगों ने उनको कहा कि मुठभेड होगी तुम वापस चले जाओ, उस रास्ते से निकल जाओ। वह उस रास्ते से हेरोइन लेकर निकल गए। वह उस रास्ते से हेरोइन लेकर निकल गये। बी.एस.एफ. के बारे में भी मुख्य मंत्री जी फैसला करिये कि राजस्थान में जो यूनिट लग गई वह तीन महीने बाद दूसरे स्थान के ऊपर जायगी ताकि तस्कर व्यापारियों से उनकी सांठगांठ नहीं हो सके और सांठगांठ हो गई तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सके। यही कदम यदि सरकार उठायेगी तो इस गम्भीर समस्या का हम कुछ समाधान कर पायेंगे। राजनीति से ऊपर उठेंगे, हम प्रोम्प्ट एक्शन लेंगे, ईमानदार अधिकारियों को सीमा पर नियुक्त करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अभी तक इकानमिक कंडीशन के कारण ही हमें नुकसान हो रहा है फिर देश के साथ जिस समय 65 में इन लोगों ने गद्दारी की, 71 में इन लोगों की गद्दारी के कारण हमारे जवान मारे गये, उस प्रकार की गद्दारी करने का न वातावरण बने न गद्दार पैदा हो। इसलिये सरकार को सतर्क होकर इस विषय में सोचना चाहिये और मैं चाहूंगा सरकार इस सम्बन्ध में उत्तर दे तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना। आप बोलेंगे ? आप तो नहीं बोलेंगे ना ?

एक माननीय सदस्य : जाओ, सीधे लेकर चले आओ। यह ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप ही बोलेंगे ना ? माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें। काफी बातें आ चुकी हैं, संक्षेप में कहेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैं मुख्य बिन्दुओं पर ही जोर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व में विरोधी दल के नेता महोदय ने काफी कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डाल दिया लेकिन यह सर्व विदित है, हमारे राजस्थान की बार्डर पर, चाहे वह बाड़मेर है, चाहे जैसलमेर है, चाहे बीकानेर है, हमने देखा है उनके ऐसे सैंकड़ों परिवार हैं जिनकी यहाँ भी जमीन है और पाकिस्तान में भी जमीन है। उनके यहां भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है और पाकिस्तान में भी नाम दर्ज है। दोनों तरफ जमीन जायदाद है, रिश्तेदारी है और खुले आम आते-जाते हैं। मैं सिर्फ यहां हाऊस में कह दूं तो उससे भी काम नहीं चलेगा, यह तो आफिशियल रिपोर्ट जो आपकी गुप्तचर शाखा से समय समय पर मिलती रहती है उसके लिये गृह

(श्री देवीसिंह भाटी).

विभाग को कई बार लिखा जाता है लेकिन यहां से डायरेक्शन जाते हैं तो वहां जाकर जिला हैडक्वार्टर पर क्यों रुक जाते हैं, यह किसी को पता नहीं लग पा रहा है। इसके लिये कई बार ग्रापस में यहां गृह विभाग की बार्डर इंटेलीजेंस वालों ग्रौर बी. एस. एफ. से मीटिंग हुई लेकिन नतीजे कुछ सामने नहीं ग्राये। ग्रध्यक्ष महोदय, हाल ही के वर्षों के ग्रन्दर विशेष तौर से यह राजस्थान सीमा के ग्रन्दर ही इस प्रकार की गतिविधियां क्यों बढ़ी हैं, जब से पंजाब के ग्रन्दर ग्रातंकवाद का माहौल बना ग्रौर पंजाब के ग्रन्दर बार्डर को टाइट कर दिया गया उसके बाद सबसे खुला ग्रौर बिलकुल ऐसा सुरक्षित क्षेत्र जो इन्होंने ढूंढा वह राजस्थान की सीमा को ढूंढा। उसके माध्यम से इन्होंने हथियार स्मगल किये, दूसरी तरह का स्मगलिंग का सामान, जिसकी हिन्दुस्तान में ग्रावश्यकता है, दुगुने भाव पर, चौगुने भाव पर माल बिकता है वह खुले ग्राम लेकर ग्राते हैं। यहां वह उसको एक ही रात में रातोंरात ग्राकर डालकर चले जायं, उनका, यहां पाकिस्तान से जो यह सामान लेकर ग्राते हैं, 15-15 दिन तक कैम्प चलता है, खुले ग्राम वह ग्रपना सामान वितरित करते हैं, यहां से चाहे जोधपुर भेजें, चाहे ग्रहमदाबाद भेजें, चाहे वह दिल्ली भेजें, ग्राराम से यह प्रक्रिया उनकी चलती है। यह भी किसी से छिपा हुग्रा नहीं है कि बार्डर पर बी. एस. एफ. की रेकी चलती है, उसके बाद हमारी इंटेलीजेंसी की एजेन्सी वहां मौजूद है, उसके बाद ग्रागे हमारा पुलिस विभाग है, उसके बाद फिर ग्रलग-ग्रलग कस्टम है, सारे विभाग यह काम करते हैं लेकिन उसके उपरान्त भी मामले पकड़े नहीं जाते हैं। यह तो हाल ही में यह जो बाड़मेर का एक किस्सा सामने ग्राया है जिसके ग्रन्दर 18 करोड़ का स्मगलिंग का माल पकड़ा है उससे थोड़ा यह मामला हाइलाइट हुग्रा है लेकिन इस प्रकार के सैंकड़ों लेन-देन के, खुले ग्राने-जाने के मामले लोगों के सामने हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती, ग्रध्यक्ष महोदय। उसका एक ही उदाहरण मैं ग्रापके सामने, ग्रध्यक्ष महोदय, दूं। सन् 84 के ग्रन्दर एक हैबत नाम का बहुत बड़ा स्मगलर, जासूस बीकानेर के छतरगढ़ थानान्तर्गत पकड़ा गया। पकड़ा किसकी वजह से गया? सेन्ट्रल सी. ग्राई. डी. वालों ने बार-बार पुलिस ग्रधीक्षक, बीकानेर को यह लिखा कि इस प्रकार की गतिविधियां उसकी संदिग्ध है, उसके खिलाफ ग्राप कार्यवाही कीजिये। जब यह बार-बार जोर पड़ा तब जाकर वहां छतरगढ़ थानेदार को कहा, भाई ग्राप इसको हर हालत में ग्रपने कब्जे में लो तब इस हैबत को पकड़ा गया। इस बारे में स्पष्ट है, यह ग्रापकी सीक्रेट ले इंटेलीजेंन्स की रिपोर्ट। जिस हैबत का इन्ट्रोगेशन हुग्रा 3.4.84 को, उसके ग्रन्दर ग्रलग-ग्रलग हवाले दिये हैं कि किस प्रकार कौन-कौन ग्रधिकारी उससे सम्बन्ध रखते थे, किस प्रकार उसको छूट दे रखी थी ग्रौर कैसे वह उसको मदद करते थे। ग्रध्यक्ष महोदय, इस हैबत ने शुरूग्रात की सन् 81 के ग्रन्दर ग्रौर लगातार वह इस प्रकार के ट्रिप करता रहा। पहले तो उसने शुरूग्रात के ग्रन्दर छोटा माल लाना शुरू किया, चाहे वह सोना है या ग्रन्य दूसरा सामान है। इसके साथ ही एक दिन वह पकड़ में ग्रा जाता है पुलिस वालों के ग्रापके वहां छतरगढ़

(श्री देवीसिंह भाटी)

थाने में। उसको पकड़ कर छतरगढ़ थाने में लाते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जैसे ही थाना छतरगढ़ में वह हैबत पकड़ा जाता है, तो उसके अन्दर इंटेलीजेंन्स वालों ने अपना हवाला दिया है उसके इन्ट्रोगेशन के तहत, "इन्हीं दिनों में पुलिस ने आमद बढ़ियार और सरदार शहर वीर के पास में मेरे बेचे हुए बारह बोर के दोनों कट्टे पकड़ लिये, पूछने पर उन्होंने मेरा नाम लिया तो पुलिस ने मेरे घर पर छापा दिया तब एक बारह बोर की बन्दूक, दुनाली मेरे घर से बरामद हो गई। यह बन्दूक जो मुझे अल्लाह बख्श चहुआ पाकिस्तानी नागरिक देकर गया था जब पुलिस ने छापा डाला तो मेरा भाई हाफिस जो मेरे से 4-5 साल छोटा है, कारतूस के दोनों डिब्बे लेकर दौड़ा लेकिन पुलिस ने हम दोनों को पकड़ लिया। मेरे छोटे भाई को तो मेरे बाप ने थानेदार ओमप्रकाश को दस हजार रुपये देकर छुड़वा लिया...."

एक माननीय सदस्य : वह सरदार शहर जा रहा है ओमप्रकाश, जिसका नाम लिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य। माननीय सदस्य बैठें।

एक माननीय सदस्य : वह सरदार शहर जा रहा है, यह कम्प्यूटर में है, सरदार शहर जा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, "जब मैं मुकदमें की गिरफ्तारी में थाने में गया जब थानेदार ने मेरे से यह बात तय करली कि तुम धंधा करो तो मेरे से मिलकर करो, यानी पाकिस्तान का एक ट्रिप का दस हजार रुपया मुझे दे दो। इसके बाद पाकिस्तान फिर आने जाने लग गया।" यह तो एक उसका इन्सटांस है।

इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसने आगे बयान दिया है—'वहां से मैं एक बन्दूक बारह बोर की इकबाल की 900 रूपये में तथा एक पिस्तौल 11 बोर की 700 रुपये में एवं एक तोला सोना लेकर आया था। यह सारा आगे उसने हवाला दिया है, फलां फलां हथियार है वह मैं लेते हुए यहां आता था और पाकिस्तान के नागरिक लाकर देते थे और मैं आगे ले जाकर उनको वापस देता था। उसी के आगे उसने हवाला दिया है, जो एक तोला सोना लाया था वह ओमप्रकाश जी थानेदार को छतरगढ़ में दे दिया।" अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आगे उसने अपना बयान दिया है, "चतरा-वाली ढाणी को तीन हजार रुपये में सौदा करके दी थी...."

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : परन्तु उससे वापस ले आया था। वह पिस्तौल मैंने ओमप्रकाश थानेदार को दे दी थी क्योंकि उसने मांगी थी। वह भी पाकिस्तान से लाकर किसको दे रहा है? हमारे एक पुलिस अधिकारी को वह पाकिस्तान से लाकर स्मगलिंग करके यह हथियार देता है। इसी प्रकार उसने आगे फिर बयान दिया—एक टेप रिकार्डर थानेदार ओमप्रकाशजी को दी थी। आगे फिर वह बयान देता है, जो एक बहुत ही गंभीर मसला है इसके लिये मैं चाहूंगा मुख्य

(श्री देवीसिंह भाटी)

मंत्री जी विशेष तौर से ध्यान देंगे। वह आगे अपने बयान में लिखता है—"खमीसा चलौद निवासी सत्तासर ढाणी गोबिलयान वाली का लड़का दिवाया पांच साल पहले पाकिस्तान चला गया था और वह वहां बस गया था। खमीसा थानेदार ओमप्रकाश का मिलने वाला है इसके नाम से नहरी एरिया में मुरब्बा है। थानेदार साहब ने मेरे से कहा कि तुम पाकिस्तान जाओ और खुर्शीद को वापस लेकर आओ क्योंकि वह उनके बीच में धंधा कराने वाला था। मैं पाकिस्तान से खुर्शीद को लेकर आया।" उसके बाद में फिर वह बताता है, उसी खमीसा का लड़का दिवाया, जिसका परिवार पाकिस्तान में है, बच्चे वहीं हैं, जिसके बारे में इंटेलीजेन्स वालों ने रिपोर्ट दी थी कि यह पाकिस्तान का एक ट्रेण्ड स्पाई है। बड़े दुःख की बात है यह सारा कुछ होने के बाद में आज भी वह ट्रेण्ड स्पाई दिवाया, खमीसा का लड़का गोबिलया का रहने वाला उस गांव में मौजूद है। इंटेलीजेंस वाले बार बार लिख रहे हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह बड़े दुख की बात है, अगर इंटेलीजेन्स वाले आपको सूचना देते हैं, पुलिस को इत्तला करते हैं, उसके उपरान्त भी कार्यवाही नहीं हो तो इससे बड़ी साजिश, मैं समझता हूं, कौन कर सकता है? वह अगर लाइसेंस शुदा पुलिस अधिकारी करते हैं तो हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार उन्होंने अपने निष्कर्ष में यह बताया है. यह सारा किस्सा है जिसके अन्दर इसने पूरा यह बताया है कि मैंने 13 हथियार उसके खुद हाथ से हैं यह बाकी जो उसके अन्य स्रोत थे उनके माध्यम से हथियार आये वह अलग है. 13 हथियार उसने यह बताया फलां फलां व्यक्तियों को मैंने लाकर दिये जिसके अन्दर 12 बोर की बन्दूक थी, जिसके अंदर रायफल थी जिसके अन्दर रिवाल्वर था, और जिसके अन्दर एक स्टेनगन भी थी। यह सारा उसने इंटरोगेशन में बताया लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जिस पर थोड़ा और बताऊंगा जो इंटेलिजेंस वालों ने इंटरोगेशन किया उसमें उन्होंने लिखा है लास्ट में पैरा 6 में, अभियुक्त ने हथियार जिन-जिन व्यापारियों को बेचे हैं उनका विवरण उसमें अंकित है जिनसे इन हथियारों की बरामदगी की जानी चाहिए जो कि पाक नागरिक हथियार पाकिस्तान की सीमा से लाकर भारतीय सीमा में बेच दिए और भारतीय सीमा में पनाह लेते हैं। यह विवरण अंकित है उनके ऊपर भी विधिवत कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही लिखा है कि अभियुक्त के कथन का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है और बाद जमानत उसकी निगरानी रखी जाय—

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं मूल जो बात है उसी पर कह रहा हूं ज्यादा भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो सारी रिपोर्ट आ गई, इसके सारे हालात के पीछे उसका सम्बन्ध रहा है और इसके बाद में सेंट्रल इंटेलिजेन्स वालों ने अलग से जोर दिया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह तो ग्राई. जी. की रिपोर्ट है, इसके उपरांत उस थाने पर पुलिस वालों का कैम्प लगा उस कैंप में जो नाम इसके ग्रन्दर बताये थे ग्रौर इंटेलिजेंस वालों ने बताए उनको मात्र 3 हजार से 30 हजार लेकर छोड़ दिया ग्रौर दूसरों को चक्कर में फंसाने के लिए कैंप लगा दिया। वहां के तत्कालीन एस. पी. थे जो ग्रभी निलंबित हैं उन्होंने कैंप रखा 6 ग्रौर 7 दिसम्बर 84 को, तीन दिन कैंप रहा। उसमें वास्तव में जो मुलजिम जिनसे हथियार बरामद करने चाहिए थे वह हथियार ग्राज तक बरामद नहीं हुए। ग्रगर स्टेनगन जैसी सेंसेटिव, सेमी ग्राटोमेटिक राइफल गन है, वह भी बरामद नहीं होती है तो मेरी समझ में नहीं ग्राता कि कैंप का तात्पर्य क्या था, ग्रर्थ क्या था? ग्रध्यक्ष महोदय, यह सारा छतरगढ़ में किस्सा हुग्रा। ग्रगर इसकी राज्य सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए जिसके ग्रन्दर खुद पुलिस थाने के थानेदार वहां के एस. पी. से मिल कर पूरा संरक्षण लेकर इस प्रकार की गतिविधियां करे तो भारत ग्रौर पाक सीमा का बोर्डर कैसे सुरक्षित रह सकता है यह मेरी समझ में नहीं ग्राता। इसके साथ ही जैसा कि विरोधी दल के नेता महोदय ने फरमाया, विशेषतौर से जैसे गतिविधियां हुई उनकी जानकारी होती है तो उसके लिए बीकानेर डी. ग्राई. जी. ने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उन्होंने एक लैटर लिखा है 17.7.84 को, सीमा क्षेत्र के ग्रन्दर एस. एच. ग्रो. थानेदार हैं उनको तुरन्त वहां से हटाया जाय लेकिन मात्र एक थानेदार को हटा कर इतिश्री कर दी ग्रौर जिसके बारे में स्पष्ट हो गया कि यह थानेदार स्वयं उसके ग्रन्दर फंसा हुग्रा है, उसके साथ सम्बन्ध है ग्रौर उसके साथ जुड़ा हुग्रा है उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की, मात्र लाइन हाजिर कर दिया, वार्निंग देकर छोड दिया जबकि वह हैबत जो कि पकड़ा गया उसने स्पष्ट बयान दिए हैं कि मेरे को पाकिस्तान से उसने रिवाल्वर लाकर दी, मैंने उसको सोना दिया ग्रौर टेप लाकर दिया ग्रौर पाकिस्तान ट्रिप करने का हर महीने का दस हजार रुपया बंधा हुग्रा था लेकिन उसका ग्राज तक कुछ नहीं हुग्रा। वह भी यहां से जाने वाला है। इसी प्रकार एक ग्रन्य थानेदार मुरलीधर किराऊ....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यक्तिगत नहीं, माननीय सदस्य संक्षेप में।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं रिपोर्ट के ग्राधार पर कह रहा हूं ग्रध्यक्ष महोदय, बाकी के लिए तो विरोधी दल के नेता महोदय बोल चुके हैं। उसी को कम्प्यूटर केस में सजा के नाते यहां जयपुर भेजा था उसको वापिस बीकानेर लगा दिया गया ग्रब हम कैसे विश्वास कर लें कि यह जो सीमा क्षेत्र हैं इनके भरोसे छोड़ दें। वह क्या सुरक्षित रहेगा? एक तरफ तो नारा दिया गया था कि देश की ग्रखण्डता के लिए हमें लड़ना है संघर्ष करना है लेकिन यह ग्रखण्डता कैसे रहेगी यह मेरे समझ में नहीं ग्राता।

ग्रध्यक्ष महोदय, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता लेकिन यह भी पूछना चाहूंगा कि यह जो ग्रापने गोकलियावालों का निवासी

(श्री देवीसिंह भाटी)

है जो वहां का रहने वाला था वह खुले आम आज के दिन भी जब बार बार गुप्तचर शाखा आपकी उसकी सूचना दे रही है कि पाकिस्तान का ट्रेण्ड सिपाही है, यह खुले आम बैठा है, इसको आप पकड़ नहीं रहे हैं। इसकी फैमिली पाकिस्तान के अन्दर इसके बच्चे वहां तो यह यहां क्या कर रहा है। आखिर इसका कारण जानना चाहिए था। अगर हम कहते हैं उस बात को तो तवज्जोह दें या न दें लेकिन यह आपका फर्ज है जिसमें आपको जरूर गौर करना चाहिए लेकिन आपकी जो गुप्तचर शाखा है वह आपको इत्तिला करती है लेकिन उस पर आप गौर नहीं करते। इसके लिए मैंने पूर्व में भी कहा था कि यहां बीकानेर के अन्दर भी तीन साढ़े तीन महीने तक उस एस. पी. ने आलमारी की चाबी क्यों नहीं दी इसके पीछे राज यही था उसका सारा इससे सम्बन्ध था मैंने पूर्व में भी यह निवेदन किया कि बीकानेर के अन्दर एक वेटरनरी कालेज के अन्दर स्टूडेंट है जिसका नाम अमरजीत कौर, रणजीत कौर जिसके लिए खुद वहां के तत्कालीन एस. पी. ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट लिखी उस वेटनरी कालेज की मलेयेशियन गर्ल के बारे में कि उसकी गतिविधियां संदिग्ध है यह जासूसी में इंडल्ज है परन्तु उसके साथ कुछ नहीं हुआ और उसने उसके साथ अनैतिक सम्बन्ध बना कर उस मामले को वहीं दबा दिया।

अध्यक्ष महोदय इस प्रकार हमें सूचना दें और उसके उपरांत भी कार्यवाही न हो तो हम कैसे मानें कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और यह कतई सुरक्षित इस प्रकार से रहने वाला है नहीं। अगर यहां से जो भी आपके पास सूचना आती है उसके ऊपर गौर नहीं करें वहां आपके कौन हैं इन्फार्मर एक एस. आई जो इंटेलिजेंस का है और एक दूसरा इंस्पेक्टर और उसका इंचार्ज कौन है डी. एस. पी.। तो उस डी.एस.पी. के पास रिपोर्ट जाती है इंस्पेक्टर और एस. आई. की और एस. पी. की नीयत खराब हो तो आगे कार्यवाही कहां होगी? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूछना चाहता हूं इसलिए मैंने बार बार मामला उठाया लेकिन आज इस प्रकार जो देशद्रोही गतिविधियों में भाग ले रहें हैं उनके खिलाफ आप करते नहीं है। यह सारा सीमा क्षेत्र असुरक्षित है, खुले आम जनता में भी आते हैं खुले आम व्यापार करते हैं, हथियार लाते हैं और जो भी दूसरे नक्शे ले जाना, जिसके लिए पूर्व में भी जैसलमेर के अन्दर वहां के तहसीलदार और पटवारी ने कोलोनाइजेशन के माध्यम से सारे के सारे नक्शे पाकिस्तान के अन्दर पहुंचा दिए लेकिन कार्यवाही क्या हुई? तहसीलदार खुले आम घूम रहा है न पकड़ा गया न उसकी जमानत हुई। आखिर इस प्रकार के सीक्रेट डाकूमेंट और दूसरे नक्शे पाकिस्तान में चले जांय और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न हो तो हम कैसे विश्वास कर लें राज्य सरकार कुछ कहेगी तो लीपापोती कर देगी लेकिन मैं चाहूंगा इस प्रकार के मामले राज्य सरकार के सामने आते हैं तो उन पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। एक मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि विरोधी दल के नेता महोदय ने फरमाया कि बी. एस. एफ. की जो कम्पनी लगती है उसको आप तीन माह से ज्यादा वहां नहीं रखें उसका

(श्री देवीसिंह भाटी)

कारण मैं देना चाहता हूं हम भी वहां सीमा क्षेत्र के पास रहते हैं बीकानेर तथा जैसलमेर को हमने पूरा देखा है बी. एस. एफ. की जो भी वहां कम्पनी लगेगी वहां जो उनका कैंप होगा, हैड क्वार्टर होगा वह एक महीने में उनके साथ सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। उसके बाद में एक इटेलिजेंस के नाम पर हम इसको पाकिस्तान भेज रहे हैं यह सूचना लाएंगे, उस सूचना के नाम पर दोनों तरफ से वहां से लाकर सूचना देते हैं और यहां से वहां जाकर सूचना देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बी. एस. एफ. की जो भी इटेलिजेंस है उनकी गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाय और उसके साथ उनको खुले आम छूट दे रहे हैं उस पर भी चेक किया जाय। इसके अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस ऐजेंसीज है, जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज है, जो आपको सूचना देते हैं उसके उपरांत भी कार्यवाही नहीं होती तो अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पूर्व में कहा वहां एक एस. पी. जो सारे के सारे कागज वहां से लेकर गायब हो गया। इसी प्रकार आपको समय पर सूचना मिलती है उस पर कार्यवाही नहीं करें तो मैं मानता हूं कि इस देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने में सबसे पहले आप ही लगे हुए हैं। इसके साथ ही एक लास्ट पाइन्ट, जो हाल ही में एक करणपुर क्षेत्र है वहां मशहूर आतंकवादी अमृतपालसिंह पकड़ा गया उसने अपने इंटरोगेशन में स्पष्ट रूप से बताया कि यहां राजस्थान से किन-किन अधिकारियों से मेरे सम्बन्ध रहे हैं उसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया कि मैं काफी अर्से से इस बीकानेर क्षेत्र में और गंगानगर के क्षेत्र में निरन्तर आता जाता रहा हूं उनसे मुझे सम्पर्क मिला है और प्रोटेक्शन भी साथ-साथ मिलता रहा है। उसके लिए भी आपको ध्यान हो, हाल ही में 10 दिन पूर्व एक एस. आई. ने गोली खाकर सुसाइड कर लिया मात्र इसलिए कि उसका नाम भी उस जासूसी के मामले में आ रहा था और इन आतंकवादियों से सम्बन्धित था। उसके बारे में बीकानेर के जो उच्च अधिकारी निलम्बित हो चुके हैं उनका भी नाम था। आप उस इंटरोगेशन की रिपोर्ट को देखें। मैं मुख्य मन्त्री जी से साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो अमृतपालसिंह पकड़ा गया और जिससे सारा इंटरोगेशन हुआ है उस रिपोर्ट को देखिए आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपका जो शासन तन्त्र है यह बिल्कुल फेल है जिसको आप दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन देश की सुरक्षा में कतई विश्वास नहीं रखते।

(2.00 म. प.)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे, माननीय सदस्य कृपया बैठें। मैंने बात करली है नेताओं से एक आदमी के बोलने की बात थी। कृपया आप बैठें। श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेडता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता जी ने बहुत ही गम्भीरता से कुछ बातें हमारे पाकिस्तान

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के बार्डर के बारे में आज क्या स्थिति है उसकी बातें कहीं। वह अभी इस विधान सभा सत्र के शुरू होने के पहले उधर के इलाकों का दौरा करके आये हैं। मैं अभी इन दिनों में उधर नहीं गया पर मेरे पास भी करीब-करीब उस इलाके की जानकारी आती रहती है और उन्होंने बहुत सी मुख्य बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं भी उन्हीं बातों पर मुख्य मन्त्री जी कुछ कहें उसके पहले मेरे भी विचार उनके साथ कुछ बातों में जोड़ना चाहता हूं, जो जरूरी है।

देखना यह है कि जैसलमेर और बाड़मेर के उन अधिकारियों की पोस्टिंग मोस्टली इस तरह की होती है जैसे किसी को सजा के लिए भेजा जाना है या वह सजा पर जा रहा है। यह हालत, गंगानगर में तो फिर भी लोग जाना चाहते हैं पर बाड़मेर और जैसलमेर में जाने के लिए सरकारी अधिकारी अच्छे केलीबर के भी जाने में काफी हिचकिचाते हैं और जाते हैं तो फिर आसानी से ठहरते नहीं। आज इन इलाकों के अन्दर बढ़िया से बढ़िया सरकारी स्टाफ जो नैतिकता और चरित्र से भरपूर हों उनकी पोस्टिंग ऐसे वक्त में करना निहायत जरूरी है। इसकी विशेष तौर से आप और हमारे इधर की किसी की बात नहीं सुनें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर क्योंकि उन्होंने कुछ रेफरेंस दिया है कि एक जीप किसी की थी, वह तस्कर वहां पर जाना हुआ था, सारी दुनिया जानती है और उसी के साथ बैठ कर अगर जूलूस निकलवाऊं या आपका जुलूस उस जीप में निकलें तो लोग क्या कहेंगे। तो यह बड़ी गम्भीरता की बात है, इशारे से कहीं जा सकती है। इस बारे में विचार, विवेचन करने की जरूरत नहीं है। यह तस्करों की होशियारी होती है, रुपयों की छूट रहती है उनके पास, यह आदमी को वक्त के ऊपर काबू करने में भी कसर नहीं रखते हैं चूकते नहीं हैं, बड़ों-बड़ों को जाल बिछा कर कब्जे मे कर लेते हैं। उस गेंग को वहां पर प्रोटेक्शन कैसे मिलता है उसकी गहरायी में बहुत ही निष्पक्ष रूप से, छाले की जांच होकर इन चीजों का पता लगाया जाना चाहिए। हालात तस्करी के दिन पर दिन गम्भीर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और उसमें सरकारी कर्मचारी भी जो अनबने मन से जाते हैं वहां जाकर पैसे खाने में, रिश्वत में वह भी मशगूल हो जाते हैं चाहें बी. एस. एफ. की फॉर्स के आदमी हों, चाहें और किसी फोर्स के आदमी हों। बहुत आसानी से ऊंचे चरित्र के लोग भी वहां पर टिकते नहीं हैं और जो जाते हैं वह आसानी से उनके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पैसे उनके पास है। खास करके आपने जो जोंगा की बात कही है, कहना जरूरी है, आठ-आठ सिलेण्डर की बड़ी बड़ी जोंगा जीपों की वहां पर उन लोगों को, मेरे ख्याल से दो किलोमीटर मुश्किल से एक लीटर में जाती हो और बहुत तेज भागती है, पेट्रोल की है और उनको ऐसे-वैसे आदमी लिये बैठें हैं जिनको पूछो कि कमाई का जरिया क्या है तुम्हारा ? क्यों रखी है जीपें वहां पर ? आप ले आइये उन सब को दे दीजिये, कब्जे कर लीजिये, उनको दीजिये कोई छोटी मोटी गाड़ियां, वहां यह चीजें जरूरी है क्या ? यह छोटी जीपें तो पहुंचती ही नहीं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है उनके पीछे और न ही भागती है चाहें बी. एस. एफ. के पास हो, चाहें आपकी पुलिस के पास हो, अपनी जीपें कमजोर हैं, अपने साधन उसके मुकाबले में कमजोर है। उन जीपों को वहां पर रखने का औचित्य नहीं है। सरकारी मशीनरी का ठीक ढंग से वहां पर पोस्टिंग होना जरूरी है। इसी हिसाब से वहां पर देखिये, कोई मुखबिर भी बनता है और वह माल पकड़ाते हैं, पुलिस को तो सीधा पता नहीं लगता है लोग मुखबिर बनाये उनकी इन्टेलीजेन्सी हों और लोग मदद करने वाले हों तब यह चीज पकड़ी जा सकती है। जो कोई मुखबिर बनता है, इस चीज को आगे लाता है, उनके पीछे वह खत्म भी उनको कर देते हैं, मार भी देते हैं। ऐसे इंस्टासेज मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता। तो आज मुखबिर की सेफ्टी नहीं है। आफिसर भी उनमें लिप्त हो जाय। उनके आपरेटर्स है जो यंत्र हैं वे ज्यादा तगड़े हैं। निश्चित रूप से हमारी सीमा की सुरक्षा के ऊपर यह तस्करी का धन्धा बढ़ता जाता है। उससे आवागमन और हर तरह के आदमी लोग इधर उधर जो आते जाते हैं उनमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। देश की सीमा है यह कोई हमारा प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न सब का है और देश की सीमा सुरक्षा पर अपनी बहुत लम्बी चौड़ी जिम्मेदारी है और बहुत डिफिकल्ट एरिया है। आज अगर सबसे अधिक सीमा का डिफिकल्ट एरिया है तो रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ों के ऊपर तो कुछ लोगों ने अच्छे साधन विकसित कर लिये हैं पहाड़ी क्षेत्र इतना वायबल नहीं है जितना यह रेगिस्तान का इलाका है, डेजर्ट का, रेगिस्तान का, सब तरह की हर तरह की, यह सस्सेप्टिब्ल ज्यादा है। इस 1500 किलोमीटर लम्बी सुरक्षा का जिम्मा आपके सर पर ही जाता है, हम लोग भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम न वहां कोई पार्टी के आधार पर आफिसर चाहते हैं, न कोई पार्टी के आधार पर किसी चीज को चाहते हैं पर कई दफा जो सत्ता में पार्टी होती है उनकी शाया और छाया के लिए यह लोग ढूंढने में बहुत जबर्दस्त होशियार है और इसलिए भले से भला आदमी भी चंगुल में फंसनें की कोशिश करता है। तो आप जरा इन सब बातों की गहरायी में जायें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें उन्होने कहीं उन बातों में तथ्य है, सारांश है। यह आपका इतना ही चिन्ता का विषय है जितना कि हम लोगों का चिन्ता का विषय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो कुछ कहें हाउस को फरमादें बाकी यह ज्यादा कहने के बजाय तो करने का काम है इसलिए आप उसको करेंगे और इसी गम्भीरता से लेकर वहां की हालत में प्रयत्न लाने की कृपा करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी कहा गया है, मैं इस बात से सहमत हूं कि बार्डर की समस्या किसी एक पार्टी की अथवा सरकार की समस्या नहीं है। यह आम नागरिक की समस्या है। केवल राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे भारत

(श्री हरिदेव जोशी)

की समस्या है। और इसलिए ही मैंने इस प्रश्न के ऊपर कोई चर्चा हो उसमें पार्टिसिपेट करने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि इस देश में सबसे अधिक विस्तृत सीमा पाकिस्तान के पास हमारे प्रदेश में मिलती है और ग्राफीकली यह सीमा दूसरी किसी सीमा की अपेक्षा अधिक वलरेब्ल है और इस प्रकार की है कि जो कठिनाई पैदा करती है। डेढ़ लाख के करीब किलोमीटर सीमा के अन्दर सिवाय कहीं गंगानगर में खास करके कम डिस्टेंस के ऊपर और जैसलमेर और बाड़मेर वगैरह के अन्दर ज्यादा डिस्टेन्स के ऊपर बार्डर के ऊपर बार्डर सिक्योरिटी फोर्स की चौकियां है। बार्डर सिक्योरिटी फोर्स एक प्रकार से राष्ट्र की ओर से उस सीमा की चौकसी और रखवाली करती है। उसमें बाद में इन्टिरियर में प्रशासनिक जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की आती है। राजस्थान सरकार अपने ढंग से जो उसके रिसोर्सेज हैं उन सारों को लगा कर कुछ इन्टेलीजेन्सी की चौकियां हैं दूसरे प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश करती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी मुझे यह स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि 40-45 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक चौकी से दूसरी चौकी अगर रहे तो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि सुरक्षा हो सके, कोई वहां पर पास हो ही नहीं सके इसकी गारन्टी ले ली जाय। इसलिए राजस्थान सरकार शुरू से इस राय की रही है कि एक चौकी और दूसरी चौकी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम किया जाय और चौकियां ज्यादा लगायी जाये। पिछले काफी समय से होम गार्डस की मदद लेकर और चौकियां वहां बनायी गयी और यह प्रयत्न किया गया है कि उस डिस्टेन्स को कम किया जाये। इसी प्रकार से हम भारत सरकार से यह कोशिश करते आ रहे हैं कि ट्रेकिंग के लिए अच्छे साधन और अधिक उपयुक्त किये जायें। भारत सरकार ने उस दिशा में कोशिश भी की है हम जो कुछ कर सकते हैं, मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कह सकता हूं कि पिछले कुछ महीनों में जितनी सीमा पर सावधानी बरत सकते थे हमने करने की कोशिश की। मैंने भारत सरकार के गृह मन्त्री को इसके बारे में चिट्ठी लिखी, मई महीने में। उसके बाद में हाइएस्ट लेवल पर एक मीटिंग हुयी। इन सारी चीजों को इसमें डिस्कस किया गया। जो रुटिन टाइप्स की मीटिंग्स हैं उनको छोड़ दीजिये। हमारे बी. एस. एफ. की अथोरिटी, राजस्थान सरकार की अथोरिटी, भारत सरकार की अथोरिटी ने बैठकर इन सारी समस्याओं पर डिसकस किया और मैं ऐसा समझता हूं कि इसका कुछ असर भी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महिनों में आपने देखा होगा। अखबारों में जो कुछ खबरें आती हैं कि ये पकड़े गये, ये पकड़े गये, ये पकड़े गये। यह उसी इंसेटिव वर्क का परिणाम है मैं ऐसा मानता हूं। विरोधी दल के नेता ने और आपने वहां अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात कही शायद आपको याद होगा एक दिन आपके ही चैम्बर में बैठकर हम लोग बातें कर रहे थे और भैरोंसिंह जी ने मुझ से कहा था इस बार आपने बाड़मेर और जैसलमेर जिले में एस. पी. और कलेक्टर ठीक रखे....

(108)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल जैसलमेर का कहा था,

श्री हरिदेव जोशी : बाड़मेर भी कहा था, आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाड़मेर की तो आपके आने से पहले ही नियुक्ति हो गयी थी। जैसलमेर की नियुक्ति आपके आने के बाद हुई है और मैंने कहा था कि एस. पी. लगाया है वह अच्छा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कलेक्टर को बुलाया, मैंने एस. पी. को बुलाया मिलकर जो कुछ डिसकशन कर सकते थे किया है। मैं उसको यहां नहीं कह सकता मगर हमने कोशिश की है। कि इन सारी चीजों को शोर्ट आउट किया जाय, इसका प्रयत्न किया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि कालान्तर में इसका परिणाम आयेगा। भारत सरकार ने उच्च अधिकारियों को भेजा, हमने अपने अधिकारियों को। आई. जी. (इंटेलीजेंस) एक लम्बा दौरा करके आये, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसको हमने भारत सरकार के पास भेजा, भारत सरकार के अधिकारियों ने उसको देखा और उसके ऊपर जो कुछ प्रयत्न कर सकते हैं करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय बोर्डर से लेकर 15 मील के बीच का जो बैल्ट है उसके बारे में एक प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। कालान्तर में इसकी स्थिति साफ होगी, हम उस सारे एरिया की 15 मील की जो बैल्ट है उस बैल्ट के एरिया के बारे में एक प्रकार का विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ के, दूसरी लायल्टी के लोग हैं उनका कोम्बिंग होवे और उसको देखा जाय। अध्यक्ष महोदय, यह समझना कि भारत के साथ में जो गद्दारी करते हैं इन लोगों को हम बसाना चाहते हैं या उनको रियायत देना चाहते हैं यह कभी हमारी मंशा नहीं रही। पता नहीं विरोधी दल के नेता ने ऐसा कैसे समझा कि उनको नहीं किया जाना चाहिए। किये जाने का प्रश्न मेरे दिमाग में तो कहीं है नहीं। अलबत्ता कोई नागरिक माने, हजारों की तादाद में स्वीकृति नहीं दी जाती है। जैसा कि आप भी जानते हैं, कोई एक इन्डीज्युवल अप्लाई करता है और उसकी एप्लीकेशन थोरोली एग्जामिन होती है, थोरोली एग्जामिन होकर के रिकमंडेशन आती है तब भारत सरकार राज्य सरकार से पूछती है, राज्य सरकार अपनी ओर से जांच करती है। जांच करने के बाद उसको भारत की नागरिकता देनी अथवा नहीं देनी है इस प्रश्न पर विचार होता है। अर्थात् उन लोगों को जिन लोगों ने भारत के साथ गद्दारी की है उनको भारत की नागरिता देने का कहीं कोई प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं है न इस प्रकार का कोई प्रश्न हमारे सामने आया है। हां यह समझना कि हम उन लोगों को जो पिछली बार के अन्दर हमारे साथ गद्दारी कर चुके हैं बड़े पैमाने पर यहां की नागरिता देना चाहते है यह प्रश्न नहीं है। अब छुप छुपाके लोग जो वहां से आये हैं या यहां आ गये और वह हुआ हो उसकी जैसे ही जानकारी मिलती है हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं, उनको पकड़ते हैं और वापस भेजते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन पिछले महीनों के अन्दर, वर्षों के अन्दर, इस दिशा में कम

(श्री हरिदेव जोशी)

काम नहीं हुआ है। बी. एस. एफ. ने कई लाख रुपयों का माल पकड़ा है। राजस्थान की पुलिस ने कई लाख रुपयों का माल पकड़ा है। जो मूल रूप से चीजें आती-जाती हैं पाकिस्तान से भारत में कपड़ा, घड़ी, बिजली आदि के उपकरण आते हैं और भारत से शराब, लोंग, बीड़ी और कीमती जवाहरात वगैराह जाते हैं और यह सारी चीजें जो पकड़ी गयी है उनसे मालूम पड़ा है कि क्या चीज आती हैं और क्या चीज वहां जाती है। यह बात सही नहीं है कि भारत के लोग ही पकड़े गये हैं। पाकिस्तान के जो लोग यहां आये हैं उनको पकड़ा गया है और उनकी संख्या कम नहीं है। काफी बड़ी तादाद हैं। इन पिछले वर्षों में पाकिस्तान से आने वाले कई हजार लोग, पाकिस्तान से आये हुए कई हजार लोग और भारत से उधर जाने वाले कई हजार लोग पकड़े गये हैं। इसका आंकड़ा है, मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाकर 1983 में 1 हजार 99 पिछले 1983 के अन्दर पकड़े गये थे। 1984 में केवल 218 पकड़े गये थे और 1985 में अभी तक 1243 पकड़े गये हैं। अर्थात् इन वर्षों में, इन महीनों में इस तरफ ज्यादा सतर्कता बरतने की ओर ज्यादा इन्टेंसिव काम करने की कोशिश की है। ज्यादा चौकियां बढ़ायी है और यह प्रयत्न किया गया है कि बी. एस. एफ. के जो साधन हैं उनको बेहतर करें। जो चौकियां हैं उनके बीच में कहीं ऐसे रास्ते हैं जिन पर जीप नहीं जा सकती है या वैसे हैं तो ऊंट दे करके भी कोशिश की है। ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं.......

व्यवधान

मुझे थोड़ा बोलने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट माफ करना। मैंने पूछा था पाकिस्तान के तस्कर व्यापारी गिरफ्तार नहीं होते हैं, आपने कहा कि वहां के नागरिक गिरफ्तार हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : तस्कर भी नागरिक हैं। मैं तो तस्करों और नागरिकों में भेद नहीं करता हूं। नागरिक ही तस्करी करते हैं उनमें एक बार का आईडेंटीफिकेशन तो है नहीं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि पाकिस्तानी तो नहीं पकड़ा जाता है भारतीय पकड़ा जाता है यह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज को भारत सरकार ने भी बहुत सीरीयसली लिया है। चाहे हमारी चिट्ठी के ऊपर हो, चाहे उनकी इन्फार्मेशन के आधार पर हो। मगर जो सूचनाओं का आदान प्रदान भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच हो रहा है मैं उन सबको रखने की स्थिति में नहीं हूं। मगर मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह समझना कि राजस्थान की सीमा को असुरक्षित छोड़ दिया गया है यह एक प्रकार से सही बात नहीं है और हमारे बारे में कहना कि इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, मैं अन्याय मानता हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि इस प्रकार की सीमा के ऊपर आवाज ही हम नेग्लेक्ट करते हैं तो राष्ट्र के प्रति हम एक प्रकार से गुनाह करते हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं किन्हीं अफसरों का उदाहरण देकर कहा गया। मैं एक बात कहता हूं विरोधी दल के नेता को कि इस प्रकार की बातचीत उनके और मेरे बीच हुई थी उस समय उन्होंने उस एस. पी., कलेक्टर की बात कही होती, दो चीजें वहां देखकर के आये मुझ से कहते तो मैं जांच करा लेता और अपनी ओर से कोशिश करता कि आज आपको वह बदला देता। अलबत्ता मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस के अन्दर या हर एक को यह मान लेना कि चोर है हर आदमी स्मग्लर्स से मिला हुआ है यह गलत है और हर जैसलमेर के नागरिक को या हर बाड़मेर और जैसलमेर के नागरिक को कह देना कि वहां तो सारे के सारे स्मग्लर्स हैं, स्मग्लर्स से मिले हुए हैं इसको भी मैं उचित नहीं मानता.......

एक माननीय सदस्य : किसने कहा है ?

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : इतने स्लिपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। अब रह जाता है। सवाल यह......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहा किसने।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं तो यह आपकी मर्जी है।

श्री हरिदेव जोशी : तो यह स्लिपिंग रिमार्क्स देना भी सही नहीं है। मगर यह हो सकता है कि कुछ लोग स्मग्लर्स से मिले हुए हों। सरकार के पास जो भी साधन हैं उनका उपयोग करके राजस्थान की सरकार ने इन पिछले वर्षों में पूरी तरह से यह कोशिश की है कि स्मग्लर्स पकड़े जायं। उसका परिणाम है कि बी. एस. एफ. और राजस्थान की पुलिस के अन्दर एक प्रकार से जाग्रति आयी है और वह कोशिश कर रही है इन लोगों को पकड़ने की।

माननीय सदस्यों, को यह जानकर खुशी होगी कि अगली 9 और 10 तारीख को प्राइम मिनिस्टर बार्डर एरिया का दौरा कर रहे हैं वह उस पूरी सीमा को देखेंगे। वह आर्मी आफिसर्स से सम्पर्क करेंगे। वे बी. एस. एफ. के आफिसर्स से सम्पर्क करेंगे। हमको उस समय भी एक अवसर होगा कि हमारी जो कठिनाइयां हैं या हमारे यहां जो कमियां हैं हम उनके सामने रख सकें। मैं कहना चाहता हूं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कई चीजें ऐसी हैं कि जिनको मैं यहां इसलिये नहीं कह सकता कि वे एक्शन के अन्दर हैं। अगर एक्शन के अन्दर हैं प्रीमैच्योर अगर उनका डिस्कलोजर होता है तो उससे फायदा नहीं होगा। मगर मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार, भारत सरकार और उसके सभी अंग मिल करके जो यह तस्करी और इस प्रकार की हरकते हैं उन हरकतों को रोकना चाहते हैं, सख्ती से उन लोगों को दबाना चाहते हैं जो इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं, पकड़े गये हैं और कोशिश हो रही हैं। मगर जो आदमी कोई हीयर से कह दे, उसके आधार पर तो कुछ नहीं हो सकता और इसलिये मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह धारणा बनाना

(श्री हरिदेव जोशी)

कि राजस्थान सरकार इस दिशा में जागरूक नहीं है, सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य .....

श्री डूंगर राम : तस्करों से मिले हुए हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय मुख्य मन्त्रीजी, एक जो आपके सामने बात रखी कि उस इलाके में जो यह कितनी जोरदार तरीके की जोंगा जीपें हैं उनका मालिक कौन है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आज क्या हूं उनको। मैं यह कहूं कि हां, मैं जब्त कर लूंगा इनको ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जब्त करने का कुछ मत कहिये। मैं जो कहूं उसको सुन लीजिये। आप कुछ मत बोलिये। वह जोंगा जीपें किन की हैं और किनके पास हैं ? उनके क्या रूल्स हैं ? एक पूरा सर्वे उन सब आदमियों का, उन जीपों का और जोंगा का सर्वे पूरा आपके पास आ जाय और फिर आगे आप क्या करें, न करें-यह सोचने का प्रश्न है। मैं सोचता हूं कि इतनी एफिशियेंट इस प्रकार की जीपें जो कि असल में 20 हार्सपावर की है वहां रहने की जरूरत है, यह विचारने का प्रश्न है। आप क्या करें नहीं करें, यह आपका काम है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मनिकचंद सुराणा ध्यान आकर्षित करेंगे शिक्षा मन्त्री जी का।

श्री मानिकचंद सुराणा : माननीय अध्यक्षजी, मैं जयपुर शहर के चार हजार विद्यार्थियों.......

अनुपस्थिति अनुमति

श्रीमती नीलिमा शर्मा एवं श्री के. सी. विश्नोई को सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति का प्रार्थना-पत्र आया है उसके बारे में मुझे सदन से अनुमति लेनी है, वह मैं इस समय ले लूं।

माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्रीमती नीलिमा, सदस्य विधान सभा ने विदेश जाने के कारण दिनांक 23 जुलाई, 1985 से 3 अगस्त तक विधान सभा की बैठकों से, 3 अगस्त तक का तो कार्यक्रम नहीं है, 30 जुलाई का कार्यक्रम है, विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति चाही।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठक से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

(112)

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार श्री के. सी. विश्नोई, सदस्य विधान सभा ने विदेश जाने के कारण 22 जुलाई से विधान सभा की 30 जुलाई तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति चाही।

क्या सदन की अनुमति है कि अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय श्री मानिकचन्द सुराणा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर के चार हजार विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त न होना

श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर शहर के चार हजार विद्यार्थियों, जिनको डिग्री कालेजेज में प्रथम वर्ष में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है मैं इस समस्या की तरफ माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, कि शिक्षा मन्त्रीजी बीमार हैं और इस कारण सदन में उपस्थित नहीं हैं·······

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मन्त्रीजी का काम कर रही हैं, श्रीमती कमलाजी।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, इस समस्या के प्रति मैं चाहता था, अध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार स्वयं आगे बढ़कर कोई स्पष्टीकरण देती। यह समस्या चार हजार विद्यार्थी जो कि विश्वविद्यालय के बनाये हुए नियमों के आधार पर, कालेज शिक्षा के निर्देशकों के बनाये हुए नियमों के आधार पर कालेज में प्रवेश पाने के अधिकारी हैं, ऐसे चार हजार विद्यार्थियों को जयपुर शहर के किसी भी कालेज में, न राजकीय कालेज में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेज में और निजी कालेजेज में तीनों प्रकार के कालेजेज में किसी प्रकार का प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें यह मालूम है कि कितनी सीटें है जयपुर शहर में जो कुल सीटें है वह 5092 हैं। प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थी पास होंगे इस बात के आंकड़े राज्य सरकार के पास में है प्रत्येक वर्ष में कालेज शिक्षा में कितने परसेन्ट की वृद्धि होती है यह भी हमारे पास में आंकड़ा है और यह स्थिति अध्यक्षजी, सिर्फ जयपुर शहर में नहीं, कुछ बीकानेर शहर में भी है, कुछ जोधपुर शहर में है, उदयपुर में भी स्थिति ये है कि करीब 300 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि एलिजिबिलिटी के बावजूद वहां किसी भी कालेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, कि निम्न से निम्न अंकों में जो प्रवेश मिलता है·····

(म. प. 2–25)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसके आंकड़े प्रतिवर्ष में ऊंचे होते जाते हैं। विज्ञान, कला और वाणिज्य में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

महाराजा कालेज में स्थिति यह है कि जीव विज्ञान में 60% के नीचे के लोगों को कोई एडमिशन नहीं मिल पाया। गणित में 92% से नीचे के लोगों को कोई एडमिशन नहीं मिल पायेगा। महारानी कालेज में, उपाध्यक्ष महोदय, जीव विज्ञान में 60% और इसी प्रकार से गणित में काफी ऊंचे प्रतिशत की लड़कियों को ही प्रवेश मिल पायेगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कालेज की शिक्षा प्राप्त करना यह उनका मूलभूत अधिकार है। माननीय उच्च न्यायालयों ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान को आर्टिकल 21 की व्याख्या की है उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करना विद्यार्थियों का अधिकार माना है उपाध्यक्ष महोदय यह अधिकार इसलिये आवश्यक है कि मनुष्य की निहित शक्तियों का विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं होगा। गुणवत्ता बढ़े लड़कों में, विद्यार्थियों में गुणवत्ता बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े, वह देश के बहुत ही कर्णधार बन सकें, उपयुक्त नागरिक बन सकें और आने वाले भविष्य में वह देश का पूरा जिम्मा उठा सकें। इन सब गुणों के विकास के लिये आवश्यक है कि अधिक से अधिक लड़कों को, विद्यार्थियों को कालेज की शिक्षा में प्रवेश मिल सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समस्या बहुत सरल है, एक ओर बड़ी मुश्किल भी दिखेगी तो इतनी मुश्किल भी नहीं। कुछ क्लासेज, कुछ सेक्शन्स बढ़ाये जा सकते हैं लेकिन सेक्शन्स बढ़ाने में, उपाध्यक्ष महोदय, क्लासेज की स्पेस का सवाल हो सकता है। लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि क्लासेज में स्पेस नहीं हो, व्याख्याता उपयुक्त न हो और स्थान न हो, इन समस्याओं का मुकाबला भी राज्य सरकार को करना है। कम से कम राज्य सरकार को मेरा सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि एक शिफ्ट में काम नहीं चलता हो जयपुर में तो कालेजज में दो शिफ्ट कर देना चाहिये। महाराजा कालेज में, महारानी कालेज में दो शिफ्ट कर दिया जाय, और भी जो विश्वविद्यालय से संबंधित कालेजज हैं उनमें दो-दो शिफ्ट चलाइये। बिल्डिंगज हीं रहेगी, जानते हैं हम इस बात को कि आप 30-30 लाख रुपया लगाकर एक कालेज की बिल्डिंग रातोंरात नहीं बना सकते, बजट प्रावधान भी आप नहीं बना पायेंगे। जयपुर शहर में और राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर यह सारे जो भूतपूर्व राजधानी के केन्द्र थे, भूतपूर्व रियासतों की राजधानियों के केन्द्र थे, इन सब बड़े शहरों में जहां आबादी 3 लाख से, 2.5 लाख से ऊपर है, मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि नयी शिफ्ट खोलकर के इन लोगों के एडमिशन्स की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिये। अभी भी समय है कि हम यह वर्ष भी न खोयें। बहुत से हमको व्याख्याता मिलेंगे, व्याख्याता बहुत से बेरोजगार हैं। पचासों-सैंकड़ों दरख्वास्तें आज आर. पी. एस. सी. के पास में, राज्य सरकार के पास, डायरेक्टर कालेज एजुकेशन के पास सूचियां हैं कि जिनको कल ही टेम्परेरी तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय भी टेम्परेरी नियुक्तियां देने में सक्षम है। इसलिये मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह चार हजार विद्यार्थियों की समस्या जो इस वर्ष है इन विद्यार्थियों को हम प्राइवेट तौर पर पर शिक्षा वे ग्रहण करें या शिक्षा प्राप्त करें इसके लिये मजबूर न करें और विश्वविद्यालय को निर्देश करें और कालेज शिक्षा के निदेशक देकर यह क्लासेज दो

(श्री मानिकचन्द सुराना)

शिफ्ट में कालेजज को चलाने का राज्य सरकार निर्णय करे।

इसके साथ ही दस जमा दो की शिक्षा प्रणाली वाले विद्यार्थी हैं सैकन्ड टी. डी. सी. में जिनका एडमिशन सीधा होता है मैं उनकी तरफ माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सैकड़ों लोग बीकानेर में मारे-मारे फिर रहे हैं कि उनको सैकण्ड ईयर में एडमिशन चाहिए। 500 से अधिक लोग जयपुर शहर में ऐसे में ऐसे हैं जिनको सैकण्ड ईयर में एडमिशन चाहिए क्योंकि वह ऐसे कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं जहां दस जमा दो की शिक्षा प्रणाली है। लेकिन, उपाध्यक्ष जी, 47 पर्सेण्ट पर फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो सकता है लेकिन सैकण्ड ईयर में जो 55 पर्सेण्ट से ज्यादा मार्क्स ला चुके हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी सीट आपने इन सैकण्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित की हैं वह सीटें कम हैं इसलिए उनके ऊपर वही मापदण्ड लागू किया जाना चाहिए। जितने विद्यार्थी सैकण्ड ईयर टी. डी. सी. में एडमिशन चाहें, राज्य सरकार को इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए कि सारे विद्यार्थियों को एडमिशन मिले ताकि दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है उनको परेशानी का मुकाबला न करना पड़े। अन्यथा, उपाध्यक्षजी, यह दस जमा दो प्रणाली, जिसको सारे देश में लागू करने का विचार एक समय चल रहा था, से सम्पूर्ण रूप से विद्यार्थियों का विश्वास, अभिभावकों का विश्वास उठ जायेगा। उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो अधिक पर्सेण्टेज के विद्यार्थियों को अनुमति मिलती है, कॉलेजज में एडमिशन मिलता है उसका जो सबसे खराब पहलू है वह यह है कि 5 पर्सेण्ट मार्क्स गेम्स सर्टिफिकेट पर मिलते हैं। उन गेम्स के सर्टिफिकेट को सैकड़ों की तादाद में मैनिपुलेट किया जा रहा है, फोरजरी के द्वारा बनाया जा रहा है, गलती के तौर पर सर्टिफिकेट लेकर पांच मार्क्स बढ़ाने की, महाराजा कॉलेज में चल रही है। महारानी कॉलेज में क्लर्क्स और दूसरे कर्मचारी इस तरह से इस बात को आगे बढ़ावा देकर, इसमें भ्रष्टाचार जबर्दस्त व्याप्त हुआ है। सैकड़ों रुपयों का लेन-देन, हजार हजार रुपए का लेन देन, एक एक फर्जी गेम्स का सर्टिफिकेट बनवाने में। महारानी कॉलेज में शिकायतें ठोस रूप में आयी हैं। इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान यह सुझाव देता हुआ कि सैक्शंस चाहे नहीं खोल सकें लेकिन हमें कुछ क्लासेज को जयपुर में और कुछ क्लासेज को बीकानेर में डबल शिफ्ट कर दें ताकि चार हज़ार विद्यार्थियों के प्रवेश की समस्या समाप्त हो जायं। भविष्य में, आने वाले पांच सालों में किस स्कूल में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा, हम योजना चलावें, सातवीं योजना में कितने कॉलेजज, हम खोल पायेंगे, विद्यार्थियों के एडमिशन की संख्या को देखते हुए कितने कॉलेज आवश्यक होंगे, इस बात पर भी राज्य सरकार विचार करे और इसका सही समाधान शीघ्रातिशीघ्र करे, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क ! शार्ट में कहना, सारी चीजें कह दी है ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से उत्तर आ जाय उसके बाद में हम ।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : शार्ट में ।

श्री नाथूसिंह : शार्ट में नहीं इसमें बातें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं विस्तार से रखूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : विस्तार से क्यों ?

श्री नाथूसिंह : आप स्वयं संतुष्ट हो जायेंगे तो आप आज्ञा....

श्री उपाध्यक्ष : कन्विन्स तो सरकार को होना है ।

श्री नाथूसिंह : आप कहिये सरकार को । सरकार तो होती नहीं है । गूंगी-बहरी सरकार तो है ही नहीं, किसको कहें सरकार ?

उपाध्यक्ष महोदय इस समय एडमिशन की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है । मैं समझता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बन्धी जितने भी नियम बने हुए हैं कि जो पास हो उसको प्रवेश मिलना चाहिए लेकिन इस समय, माननीय सुराना जी ने जितने सुझाव दिये हैं, जितने पाइन्ट्स उठाये हैं उनकी तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा । मैथमैटिक्स में महाराजा कॉलेज में एडमिशन का जो पर्सेण्टेज है वह है 71.35 । लास्ट एडमिशन । उपाध्यक्ष महोदय, फर्स्ट डिवीजनर्स को भी एडमिशन नहीं मिले इस से ज्यादा दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है । बायलॉजी में 61 समथिंग, कॉमर्स से 61.52 पर्सेण्ट । इसी तरह से सैकण्ड ईयर आर्ट्स में 50 पर्सेण्ट । महारानी कॉलेज में भी पर्सेण्टेज बहुत हाई जा रही है । यह इसलिए जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस समय इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था, इस यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत जितने कॉलिजेज हैं उनका निर्माण हुआ था तो एक सीमित कैपेसिटी में उनका निर्माण हुआ था । जैसे कॉमर्स कॉलेज का उसमें एक हजार विद्यार्थियों की प्लानिंग के आधार पर उसका निर्माण हुआ था । जबकि इस समय कॉमर्स कॉलेज में तीन हजार से अधिक विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं । महाराजा कॉलेज में भी इसी तरह से करीब एक हजार स्टूडेण्ट्स के लिए था लेकिन आज उसमें साढ़े तीन हजार स्टूडेण्ट्स हैं । महारानी कॉलेज में भी लगभग एक हजार के लिए था आज छः हजार स्टूडेण्ट्स हैं । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्टूडेण्ट्स की संख्या तो लगातार कई गुना बढ़ती जा रही है लेकिन बिल्डिंग का एक्सपान्शन उस हिसाब से नहीं है । माननीय सुराणा जी सुझाव दे रहे थे कि दो शिफ्ट कर दी जाय । दो शिफ्ट का तो वहां सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि सुबह सात बजे से लेकर शाम को छः बजे तक क्लासेज लगती हैं । अब आप हिसाब लगाइये । उसका एक भी कमरा खाली नहीं रहता । 40-50 मिनट का एक पीरियड होता है उस हिसाब से उन्होंने कर रखा है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से इन कॉलेजज

(श्री नाथूसिंह)

में स्टूडेण्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खाली नहीं है। जब तक तक नये कॉलेज जयपुर में नहीं खुलें, कम से कम साइन्स और एक कॉमर्स का कॉलेज जब तक यह दो कॉलेज जयपुर में नहीं खुलेंगे तब तक स्टूडेण्ट्स का जो दबाव है वह समाप्त नहीं होगा। इसलिए शिफ्ट का नहीं करके यह दो कॉलेज हम जब तक नहीं खोलेंगे पार नहीं पड़ेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं पैसा, तो सरकार क्या कर रही है। भ्रष्टाचार, स्मगलिंग और दूसरे मामले हैं। उनमें सरकार फालतू खर्च कर रही है। आई. ए. एस. आफिसर्स को कारें दे रखी हैं इन कारों को छीनों। बजट के अन्दर हमने बताया था कि पैसे कैसे इकट्ठा किया जाय, वह काम करो।

श्री उपाध्यक्ष : स्टूडेण्ट्स से भ्रष्टाचार पर कहां चले गये आप ?

श्री नाथूसिंह : इस भ्रष्टाचार को स्टूडेण्ट्स ही रोकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उसी पर चलिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं, जब स्टूडेण्ड्स के मामले में पैसे की बात आती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़े ही है। सरकार आप चलाते हो, आपको सोचना है। उन विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति बताना चाहता हूं। यह परेशानी क्यों है ? केवल जयपुर में ही यह समस्या नहीं दो कॉलेज आज जयपुर में खोल देंगे, एक साइन्स का और एक कॉमर्स का, इस से समस्या हल होने वाली नहीं है। राजस्थान के जितने बड़े-बड़े शहर हैं, गांव हैं, उनमें प्रवेश की समस्या इतनी भयंकर है और वह इसलिए है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अब आप अंदाजा लगाइये। तीन कमीशन अब तक बैठ चुके हैं। कोठारी कमीशन एक दूसरी मेहता कमेटी बैठी। 1979 में एम बी. माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इन तीनों कमेटीज ने रिपोर्ट दी है। उन रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा है कि एक विश्वविद्यालय में 30 से ज्यादा कॉलेज नहीं होने चाहिए। लेकिन इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 204 कॉलेज हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब तक इन चीजों पर विचार नहीं करेंगे इस प्रवेश की समस्या का हल होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कुल 27 डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी कॉलेजज हैं राजस्थान विश्वविद्यालय को दे रखे हैं। अब यह प्रवेश की समस्या इसलिए प्रवेश से सम्बधित ही नहीं है, इसका पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। छात्र असन्तोष बढ़ रहा है, प्रशासन ढीला हो रहा है, असक्षम हो रहा है। परीक्षा सम्बन्धी बड़ी पेचदगियां हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय इस समय सवा तीन लाख विद्यार्थियों की परीक्षा कण्डक्ट कर रहा है। क्या यह सम्भव है ? इसीलिए हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, काफी अनियमिततायें हो रही है, मार्क शीट्स बदल रही हैं वह इसी से सम्बन्धित हैं।

(श्री नाथूसिंह)

इसलिए परीक्षा में प्रवेश के सम्बन्ध में यह सारी चीजें सामने आ रही हैं कि जो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजनर्स हैं उनके कई बार कम नम्बर आ जाते हैं, ज्यादा अंक लेकर भी उनको प्रवेश नहीं मिलता है। मेरा निवेदन करना यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस तरह से एरिया के अन्दर दो यूनिवर्सिटी और खोलीं हमने राजस्थान में। 1962 में उदयपुर और जोधपुर यूनिवर्सिटी, जिनका एरिया भी उसी म्यूनिसिपल एरिया तक सीमित कर दिया। इसी से सम्बन्धित आ रहा हूं पाइंट पर।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : इमीजिएट एडमिशन की बात करो, एजुकेशन पालिसी पर बात करने लग गये।

श्री नाथूसिंह : इमीजिएट आप कितनों को दे दोगे ? जब तक आप इसकी जड़ में नहीं जाओगे तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से कई प्रपोजल इस सम्बन्ध में दिये गये।....

श्री उपाध्यक्ष : बाकी माननीय सदस्य शंका का समाधान कर लें चाहे छोटी शंका हो या बड़ी शंका हो। अभी तो इनको बोलने दें।

श्री नाथूसिंह : यह दीर्घ शंका है, उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्व-विश्वविद्यालय ने इस सम्बन्ध में प्रपोजल राजस्थान सरकार के सामने भेजे कि आप हमें कहोगे कि इस एडमिशन की समस्या को दूर करो, हम नहीं कर सकते। जब भी प्रपोजल्स भेजे, उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, कोटा बीकानेर, अजमेर में यूनिवर्सिटी के सब सेंटर्स खोले जायं इन तीनों स्थानों पर, मेरी यह मांग है, उपाध्यक्ष महोदय, कोटा बीकानेर, अजमेर में सब-सेन्टर्स खोले जाय और फिर लोंग टर्म में यह तीनों यूनिवर्सिटीज और हो जायेंगी। मेरा सुझाव है कि तीन विश्व विद्यालयों की बजाय राजस्थान में 7 विश्व विद्यालय होने चाहिये। क्योंकि इस समय हिन्दुस्तान के अन्दर लगभग डेढ़ सौ विश्व विद्यालय हैं और उनमें राजस्थान....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह विश्वविद्यालय का प्रश्न नहीं है, एडमिशन का प्रश्न है।

श्री नाथूसिंह : एडमिशन इसी से जुड़ा हुआ है, एडमिशन की समस्या भी इससे जुड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बहुत बड़े विषय पर चले गये है।

श्री नाथूसिंह : एडमिशन की समस्या भी इसी से जुड़ी हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये समस्या इस तरह से दूर नहीं हो पायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत लम्बा चले गये हैं You are going in thesis Youre in middle of the sea Please don't break.

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज राजस्थान विश्व-विद्यालय के अन्दर यही कारण है कि जिन विद्यार्थियों को प्रवेश

(श्री नाथूसिंह)

नहीं मिल पाता उन विद्यार्थियों को या तो करस्पोन्डेन्स से एग्जाम देना पड़ता है या प्राइवेट देना पड़ता है। इन विद्यार्थियों की संख्या लगभग 75 हजार है। अब इन 75 हजार विद्यार्थियों का प्रेशर भी राजस्थान विश्व विद्यालय पर है और यह सारा ढांचा गड़बड़ा रहा है। इसलिये कई बार मांग हुई कि ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान में खोली जाय। 5 जनवरी, 1985 को प्रधान मंत्रीजी ने अपने पहले ब्राडकास्ट में यह घोषणा की कि हम ओपन यूनिवर्सिटी खोलेंगे। दिल्ली में वह स्थापना भी कर रहे हैं और एशिया में कोई भी ऐसा कन्ट्री नहीं है जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी नहीं हो। राजस्थान में भी इस तरह की ओपन यूनिवर्सिटी जब तक नहीं खोल पायेंगे तब तक प्रेशर राजस्थान विश्वविद्यालय पर एडमिशन का नहीं रुकेगा। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, जितनी पिछले सालों में रिपोर्ट्स आई है प्रवेश सम्बन्धी, एग्जामिनेशन सम्बन्धी उन रिपोर्ट्स का अध्ययन करके, अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि तात्कालिक समस्या एडमिशन की है इसको पहले दूर किया जाय। लेकिन जहां आपके पास और विश्व विद्यालय तो नहीं है, आपके क्लासेज में बैठने के लिये स्थान नहीं है फिर विश्वविद्यालय उनको एडमिशन कहां देंगे यह प्राब्लम हो रही है। इसलिये मेरा सुझाव है कि दो कॉलेज खोले जाय और उन कालेजों के लिये जब तब बिल्डिंग्स नहीं बने तब तक आप किराये पर मकान लेकर कॉलेज खोलें। इसकी तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा अगर हम ज्यादा कॉलेज खोलेंगे और अधिक यूनिवर्सिटीज करेंगे, तो जो यू. जी. सी. से मदद मिलती है वह हमको और अधिक मिलेगी। 1980-81 में जो हमको ग्रान्ट मिली, उसके आंकड़ों के अनुसार हमें केवल 2.5 पर्सेन्ट ग्रान्ट मिल पाई है, इससे ज्यादा नहीं मिल पाई है।

श्री सी. पी. जोशी : डिमान्ड पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं, डिमान्ड पर बोल रहा हूं, समस्या पर बोल रहा हूं।

सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) : ऐसा लग रहा है कि आप डिमाण्ड पर बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री मोहन प्रकाश : यह मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस पार्टी में केवल दो ही मेम्बर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं।

श्री नाथूसिंह : यह दो मेम्बर्स भी ऐसे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं हैं, इनसे आप ईमानदारी से पूछ लीजिये, पता लग जायेगा....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : You are most confusred Pesron.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर, प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको जानकारी ता है लेकिन आप जागरुक नहीं है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी कैसी जानकारी है इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय, ने आपकी सरकार को लिखा है.... ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया....

(व्यवधान)

कृपया पटाक्षेप कर दीजिये ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदया प्रदेश की गंभीर समस्या है....

श्री सी. पी. जोशी : एल एल. बी. कर रहे हैं एल. एल बी. पूरी नहीं की है ।

श्री नाथूसिंह : तात्कालिक समस्या है इसलिये आप तुरन्त इस सम्बन्धी में विश्व विद्यालय के अधिकारियों से बात करें और इस में क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है उसका तुरन्त इन्तजाम करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप शंका का समाधान कर लेमा, नियमों का पालन करें । पहले मंत्रीजी का वक्तव्य हो जाने दीजिये, तब शंका का समाधान कर लेना....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : (हवामहल) उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सुन लीजिये, बोलूंगा नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या करेंगे, खड़े रहेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : J want to help the minister.

मैं मंत्री महोदया की मदद करना चाहता हूं ।

श्री मोहनप्रकाश : शिक्षा मंत्री रहे हैं साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये शंका समाधान कर लेना ।

श्री भंवरलाल : want to help him. मैं उनकी मदद करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करुं....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप तो नियमों को जानते हैं....शंका का समाधान कर लेना....

श्री भंवरलाल शर्मा : I want to help the minister, sir.

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करुं कि कि आपका इसमें प्रस्ताव नहीं है इसलिये

(श्री उपाध्यक्ष)

शंका समाधान ही आवेगा, आप बोल नहीं सकते ।

श्री भंवरलाल शर्मा : I want to heep the minister एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं आप नियमों को जानने वाले हैं.... माननीय सदस्य नियमों को जानते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो एक बात कहूंगा....

श्री उपाध्याक्ष : स्टेटमेण्ट आने दीजिये, जवाब आने दीजिये, माननीय मंत्रीजी.... कृपया ।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया नियमों के अनुसार शंका का समाधान....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : J want to help the minister, Sir,

(व्यवधान)

मैं मंत्री महोदया की मदद के लिये कहना चाहूंगा—

श्री उपाध्यक्ष : पहले स्टेटमेन्ट आने दीजिये मैं अलाऊ नहीं करुंगा । आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही तो मेरी मजबूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शंका का समाधान करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बात ही कहना चाहता हूं....

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह समस्या इतनी....

(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये ।

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : (लूणकरणसर) इस समस्या के ज्वलन्त पहलू को देखते हुये भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और मोहन प्रकाश जी को दो-दो मिनट का यदि समय देंगे इस डिबेट में तो माननीय मंत्रीजी को जवाब देने में सुविधा रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को कहूं, माननीय सदस्य आप भी रह चुके है, नियम और कुछ कानून भी है । शंका का समाधान करने में क्या दिक्कत है, पहले जवाब तो आने दीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराना : हम मिलकर समस्या का समाधान ढूंढेंगे, यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले समाधान तो सुन लीजिये, उसके बाद कोई बात हो तो । मैं निवेदन करुं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न क्या रह जाता है क्या सैंस रह जाता है चाहे जो बोलने लग जाय तो।

श्री भंवरलाल शर्मा : चाहे जो का क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि कि आपको अवसर दे दूंगा तो औरों को क्या नहीं दूंगा, और भी क्यों नहीं बोलेंगे ?

(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जाय This is not the stage, Please.

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विभिन्न नगरों में छात्र और छात्राओं के प्रवेश सम्बन्ध में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखा है उनमें एक बात तो माननीय सदस्यों ने यह कही है कि सभी छात्रों को जो नीचे की की कक्षायें सफलता से पूरी करके आये हैं। उन सबको प्रवेश की इजाजत होनी चाहिये, कोई प्रतिशत की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो प्रतिशत की पाबन्दी है उसके बावजूद भी जगह की बहुत कमी है उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। जहां तक प्रतिशत की पाबन्दी का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि देश में इस मामले में बराबर चर्चायें होती रहती हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर भी एकेडेमिक चर्चायें होती हैं, शिक्षाविद् भी चर्चायें करते हैं और शिक्षा के स्तर को नियोजित ढंग से किस प्रकार से बढ़ाया जाय और हायर एजुकेशन में किस प्रकार से प्रवेश और शिक्षा की पद्धति कायम की जाय इसके बारे में बहुत कुछ सालों से बहुत कुछ चर्चायें, विचार-विमर्श हुए और उसी सन्दर्भ में विश्वविद्यालय स्तर पर भी है कि एक प्रतिशत कम से कम कायम करना जरूरी है जिससे कि अच्छे प्रतिभावान छात्र हायर एजुकेशन की तरफ जाय और एन-मास सभी के सभी हायर एजुकेशन की तरफ न दौड़े। इसीलिए यूनिर्विसिटी की एकेडेमिक कौन्सिल ने जो फैसले किए और उसी के आधार पर राज्य सरकार ने भी अपनी कालेजों के लिए निर्णय किया कि सभी फेकल्टीज और सब्जेक्ट्स के अन्दर प्रवेश के वक्त में कितने न्यूनतम प्रतिशत का निर्णय उन्होंने लिया जिसकी माननीय सदस्यों को जानकारी है। और इस निर्णय के मुताबिक प्रतिवर्ष कालेजज में छात्र-छात्राओं की भर्ती की जाती है। इस साल भी उसी प्रकार से की जा रही है। कुछ शहरों में इसकी शिकायत आ रही है, खास तौर से जयपुर में और कुछ मामलों में बीकानेर के अन्दर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जहां तक प्रतिशत को कम करने का सवाल है मैं समझती हूं उसमें कोई सिद्धान्त के आधार पर हमारा करने का इस वक्त में विचार नहीं है। जहां तक प्रवेश दिलाने

(122)

(श्रीमती कमला)

का सवाल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि जयपुर में जो सरकारी गैर सरकारी कालेज हैं उनमें श्राम तौर पर—

श्री कालीचरण सर्राफ : जयपुर में एक भी सरकारी कालेज नहीं है।

श्रीमती कमला : हां, सुनो तो सही, श्राप बिराजिये, विश्वविद्यालय का समझ लीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यही तो मुश्किल हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट श्रौर विश्वविद्यालय एक हो रहा है, स्वायत्ता तो श्रब खत्म हो रही है इसलिए भाषा भी वही प्रयोग हो रही है।

श्रीमती कमला : श्रापकी तो श्रादत पड़ी हुई है बोलने की।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : There is a defference between government and university. It is a fact.

श्रीमती कमला : श्रापको बीच में बोले बिना चैन नहीं पड़ता, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : श्राप गलत बोल रही हैं, उसी को प्रूव कर रही है फिर भी....

श्रीमती कमला : उसमें क्या हुश्रा।

(व्यवधान)

इस वक्त में कोई डिमाण्ड नहीं है। इस वक्त बच्चों के प्रवेश का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्रापको श्रामने-सामने खड़ा होना ठीक नहीं।

श्रीमती कमला : इस वक्त यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध की क्या बात है श्रौर क्या होना चाहिए यह कोई डिमाण्ड नहीं है। इस वक्त बच्चों के प्रवेश का मामला है इसलिए बच्चों के प्रवेश के मामले में मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन किया कि जयपुर में जितने कालेज हैं, श्राम तौर पर छात्र-छात्रायें प्राथमिकता के तौर पर जितने भी रेपुटेड कालेजेज हैं उन सबके श्रन्दर फार्म भरते हैं श्रौर कोशिश यह करते हैं, वह चाहते हैं कि उस प्राथमिकता से उसको भर्ती मिले श्रौर जो लिस्ट डेट होती है भर्ती की उस वक्त तक वह प्रयत्न करते हैं श्रौर करना भी चाहिये, इसमें कोई हर्ज नहीं। पिछले साल भी ऐसा हुश्रा, हर साल ऐसा होता है। पिछले वर्ष तो जो हमारे पास में श्रांकड़े हैं, मैं श्रापसे निवेदन करना चाहती हूं कि जितने भी छात्र थे, जो प्रतिशत निर्धारित हैं, उसमें से किसी न किसी कॉलेज में श्रपना प्रवेश पा चुके श्रौर बहुत कम छात्र ऐसे रह गये। इस वर्ष के मुताल्लिक तो यह है कि शायद ही कोई रहा हो। बहुत कम ऐसे छात्र रह गये जो सीमा में श्राते हों श्रौर उनको किसी न किसी कालेज में प्रवेश नहीं मिला हो। निश्चित ही किसी कालेज विशेष के श्रन्दर हो सबको प्रवेश मिले यह संभव भी नहीं है श्रौर यह हो भी नहीं सकता इस वक्त की स्थिति में। इसलिए जयपुर के श्रन्दर जहां सबसे ज्यादा प्रेशर है सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें भी पिछले साल के श्रनुभव के

(श्रीमती कमला)

हिसाब से ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है कि छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा, जो निर्धारित सीमा है और आगे कोई ऐसी स्थिति पैदा भी होती है, जितना प्रतिशत कायम है उसमें से अगर बच्चे ज्यादा होते हैं और सीटें कम होती हैं तो तमाम जयपुर की कालेजेज की सीटों को बढ़ा करके जितने और सेक्शन खोलने की जरूरत होती है उतने आम तौर पर सरकार उसके लिए खोल देती है और अन्त में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती। प्रवेश के दौरान में भर्ती की तारीख खत्म होने के पहले तो जरूर ऐसा लगता है कि बहुत से छात्र-छात्रायें ऐसे हैं जिनको प्रवेश नहीं मिलेगा। इनको अभी 6-8-85 तक, तिथि अन्तिम प्रवेश की, उस वक्त तक जो जो छात्र-छात्रायें जहां जहां प्राथमिकता में अपनी कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। उसके बाद सभी छात्रों की आम तौर पर प्रवेश की व्यवस्था हो जायगी।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर का जहां तक सवाल है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि डूंगर महाविद्यालय में कला संकाय के अन्दर 40 प्रतिशत तक सभी छात्रों को प्रवेश मिल चुका है, विज्ञान संकाय में 45 प्रतिशत तक सभी छात्रों को प्रवेश मिल चुका है, कृषि विज्ञान संकाय की प्रतिशत इसलिए तय नहीं की, राज्य के जो जनरल कालेज हैं उनमें आम तौर पर कृषि संकाय रखने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सिर्फ पांच ऐसे कालेज हैं राज्य भर से जहां जनरल कालेजेज के अन्दर एग्रीकल्चरल विंग और फैकल्टी भी काम करती है वहां पर किसी प्रकार निश्चित नहीं किया गया क्योंकि सेक्शन खोले जाते है, एक सेक्शन है किसी में दो सेक्शन हैं, उसमें जितने विद्यार्थी आ जाते हैं उनकी भर्ती करते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी के कालेजेज हैं उनको वहां प्रवेश देने की वहां पर ज्यादा गुंजाइश रखी हुई है, बाकी जितनी फैकल्टीज हैं उनके अन्दर इस तरह की व्यवस्था है। रामपुरिया कालेज और जैन कालेज जो हैं उनमें कला संकाय में 26 प्रतिशत और वाणिज्य संकाय में 40 प्रतिशत तक भर्ती होती है, इसलिए बीकानेर में सिर्फ एक कृषि विज्ञान संकाय है उसी के छात्र यह चाहते हैं कि हमको यही प्रवेश मिल जाय, दूसरे कालेज में नहीं जाना पड़े।

इसी तरह जोधपुर के अन्दर अभी बहुत सीटें हैं, जैसे कला संकाय में 1173 छात्रों के प्रवेश की गुंजाइश है वाणिज्य संकाय में 630 छात्रों के प्रवेश की गुंजाइश है और विज्ञान में 690 छात्रों के प्रवेश की गुंजाइश है, अभी यह प्रवेश चल रहा है और लगभग सभी छात्र उसमें अकमोडेट हो सकेंगे और अगर कोई सेक्शन ज्यादा खोलने की जरूरत पड़ी इस प्रतिशत के अन्दर, बिलो प्रतिशत तो सीट ज्यादा बढ़ाने का प्रावधान नहीं है लेकिन जो निर्धारित प्रतिशत है, उसमें अगर बच्चे ज्यादा आते हैं तो सेक्शन बढ़ाने के लिए सरकार समय पर कार्यवाही करती रहती है। इसलिए यह इतनी बड़ी समस्या हमको इस वक्त में प्रतीत हो रही है, प्रवेश बन्द होने के समय से हम देख सकेंगे कि बहुत से छात्र अकमोडेट हो जायेंगे और किसी जगह कमी रही तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है।

(श्रीमती कमला)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें और माननीय सदस्यों ने कही है ...

श्री सी. पी. जोशी : टेन प्लस टू का मैडम ?

श्रीमती कमला : टेन प्लस टू के बारे में, जो टेन प्लस टू करके आते हैं उनको ट्वेल्थ क्लास के अन्दर एडमिशन मिल जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसमें बड़ी परेशानी होती है, बहुत दिक्कत है इसमें। और सूचना ले लें, बड़ी परेशानी है।

श्रीमती कमला : प्रावधान में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीटों में उस प्रतिशत में कोई दिक्कत आती है तो जैसा मैंने कहा उस प्रतिशत के अन्दर तो मीट आउट किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले माननीय भंवर लाल जी।

श्री मानिकचन्द सुराना : अब आप नियम से चल रहे हैं तो नियम से चलिये पहले मैं बोलूंगा क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा है। अब आप नियम से चलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले मानिकचन्द जी सुराणा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने मेरा नाम पुकार लिया, अब क्या करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो हवामहल से आये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार....

श्री ग्यारसीलाल : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार की ओर से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया, खास तौर से जो जयपुर का संकट है, चार हजार विद्यार्थियों को जो प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, उसके साथ कृषि संकाय में डूंगर कालेज में बीकानेर के विद्यार्थियों को जो प्रवेश नहीं मिल रहा है, दो समस्यायें आपके जवाब से भी उभर कर आई है, इसलिए दो समस्यायें निश्चित रूप से हैं। 6 अगस्त को प्रवेश की आखिरी तारीख है, मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या 31 जुलाई तक जितने विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी ने मार्क्स निर्धारित किए हैं कि इतने प्रतिशत मार्क्स के लोगों को एडमीशन मिल जाना चाहिए। क्या उन सबको प्रवेश मिल जायेगा ?

(3.50 म. प.)

आज हमारे कालेज शिक्षा निदेशक की हालत क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के लिये जो एलीजिबिलीटी है, योग्यता के आधार पर कि इतने प्रतिशत होगा तो हम एडमिशन दे देंगे। जो हमारी घोषित नीति है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जितने विद्यार्थी हमारे हैं उनको 31 जुलाई तक उतने विद्यार्थियों के लिये सेक्शन खोल कर, चाहे कालेज में शिफ्ट बढ़ाकर, क्या

(श्री मानिकचन्द सुराना)

राज्य सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि 31.7.85 तक सारा ऐसेस करके, मूल्यांकन करके 31 जुलाई तक तीन दिन के भीतर भीतर आप नये सेक्सन खोलकर या शिफ्ट खोल कर 6-8 तक उन विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कृषि संकाय के बारे में। आप यहां पर पता लगायें कि कितने विद्यार्थी हैं जो कृषि संकाय में प्रवेश लेना चाहते हैं। क्योंकि राजस्थान नहर के परिपेक्ष में, इन्दिरा गांधी नहर के परिपेक्ष में हमारे बीकानेर के क्षेत्र में जो कमान्ड एरिया बढ़ रहा है उसमें कृषि संकाय में प्रवेश विद्यार्थियों को अधिकाधिक मिलना चाहिये। जहां तक यह टेन प्लस टू का सवाल है, यहां पर मन्त्री महोदय ने जो सूचना दी वह सूचना पूरी नहीं है क्योंकि मजबूरी यह है, कहा जाता है कि यदि 60 प्रतिशत पर महाराजा कालेज में एडमीशन बन्द हो गये हैं विज्ञान संकाय के जबकि यूनिवर्सिटी 45 प्रतिशत एडमिशन देने को कहती है कि इनको एडमिशन मिल जाना चाहिये। टेन प्लस टू में एडमीशन मिलता नहीं है और विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में बहुत से विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिलते हैं। वह मारे मारे फिरते हैं और यह समस्या जयपुर की हो गयी है और यही स्थिति बीकानेर की है। इसलिये मैं मंत्री महोदया का ध्यान खास तौर से इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वह इस समस्या की पूरी जानकारी लेकर टेन प्लस टू के विद्यार्थियों को जो परेशानी हो रही है उसको समाप्त करने की व्यवस्था करावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नाथूसिंहजी।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदया से दो ही सवाल करना चाहूंगा। एक तो यह, जैसा कि माननीय मंत्री महोदया, ने बताया कि 6 तारीख तक आप सभी विद्यार्थियों को एडमीशन दिला देंगे उनकी समस्या दूर हो जायेगी। आज प्राइवेट कालेज जितने भी जयपुर में हैं, लगभग चार हजार विद्यार्थी ऐसे हैं उनको एडमीशन नहीं मिलने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, आज यूनिवर्सिटी के प्रोसपेक्ट्स में जो नियम हैं एडमीशन के लिये उसमें विद्यार्थियों के लिये है कि हम इतने प्रतिशत पर लोगों को एडमीशन दे देंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि जो प्रतिशत हमने बताया कि विश्वविद्यालय में जैसा कि हमने बताया सारी सीटें भर गयी है वहां पर 71 प्रतिशत पर मैथामैटिक में, 65 प्रतिशत और 62 प्रतिशत बायोलोजी और कामर्स में एडमीशन होकर सीटें भर गयी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी कालेजेज हैं उनमें सीटें भर चुकी हैं और बाकी जो प्राइवेट कालेजेज हैं जैसा आपने कहा उस तारीख को कोई न कोई एडमीशन हो जायेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं मंत्री महोदया, राजस्थान विश्वविद्यालय से आप चाहें तो जानकारी हासिल कर लें वहां पर कोई सीट खाली नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं है और ऐसी स्थिति में राजस्थान विश्व विद्यालय के कालेजेज में जब जगह नहीं है त

(श्री नाथूसिंह)

प्राइवेट कालेजेज में जिनका प्रतिशत काफी हाई हो गया है आज प्राइवेट कालेज में जब प्रतिशत हाई हो गया तो उनमें भी एडमीशन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वह इतने विद्यार्थी कहां जायेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक दो सेक्शन आप खोलेंगे तो कोई पार नहीं पड़ने वाली है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि आप एक साईन्स कालेज और एक कामर्स कालेज आप इसी सत्र में तुरन्त शुरू करवा दें और इसी सत्र में शुरू करवावें। यह होगा तभी यह समस्या दूर हो सकेगी। वरना तो यह कहना कि हम एडमीशन करवा देंगे तो वह एडमीशन नहीं होने वाले हैं और विद्यार्थियों को मजबूरन पढाई छोड़नी पड़ेगी या प्राईवेट परीक्षा देना होगी या सब्जेक्ट चेन्ज करके, या फैकल्टी बदलनी होगी। तो एक तो आप इसकी व्यवस्था करें।

दूसरा यह टेन प्लस टू जैसा कि माननीय सदस्य मानिकचन्द सुराना अभी कह रहे थे कि विश्वविद्यालय में सैकण्ड इयर में एडमीशन आप दें यह फस्ट ईयर की बात नहीं है यह सैकण्ड इयर में एडमीशन की बात है वहां पर सभी सीटें भरी हुई हैं वहां तो पहले कोटा फिक्स. है ऐसी परिस्थितियों से सैकण्ड इयर में एडमीशन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं इस नीति को आप स्पष्ट करें यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि जयपुर में प्रवेश की कोई समस्या नहीं है मैं उनकी सूचनार्थ यह कहना चाहता हूं कि आज विश्वविद्यालय की सभी कालेजेज में और प्राइवेट कालेजेज जो हैं जिसमें अग्रवाल कालेज, कानोड़िया कालेज और सुबोध कालेज सभी जगह पर एडमीशन बन्द हो गये हैं और एल. बी. एस. और पारीक कालेज में 10 प्रतिशत एडमीशन बाकी हैं जो कि एक दो दिन में कल या परसों तक भर जायेंगे। इन सबके बाद में यूनिवर्सिटी के प्रोसपेक्टिस में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की प्रतिशत शिक्षा के लिये विद्यार्थियों के लिये जो निर्धारित है वह कामर्स के लिये 45 प्रतिशत और साइन्स के लिये 45 प्रतिशत हैं उस मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से करीब ढाई हजार विद्यार्थी आज जयपुर में प्रवेश से वन्चित रह जायेंगे। मैं मंत्री महोदया को यह कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा था कि हम एक दो सेक्शन खोल कर पूर्ति कर देंगे तो इस समस्या का निदान इससे नहीं होने वाला है इस समस्या का अगर आप वास्तव में निदान करना चाहते हैं, अभी विद्यार्थियों में उद्बोलित भावना फैली हुई है, विद्यार्थी आन्दोलन करने को उतारू हो रहे हैं। एक कामर्स कालेज और एक साइन्स कालेज आप विद्यार्थियों के लिये खोलें और जैसा कि मैने एक स्थगन प्रस्ताव तीन तारीख को देकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था जब तक एक कामर्स कालेज और एक साइन्स कालेज जयपुर में नहीं खोला जायेगा तब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा। अभी जयपुर में जो महाविद्यालय है और जो प्राइवेट कालेजेज हैं उनमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जयपुर के 20 किलोमीटर

(श्री कालीचरण सराफ)

दूर 40 प्रतिशत में एडमीशन होते हैं। जयपुर शहर में 71 प्रतिशत और 65 प्रतिशत तक एडमीशन नहीं मिल रहे हैं। आज समस्या केवल यह है कि लोगों को एडमीशन दिया जाय और आप इसकी घोषणा करें कि एक साइन्स का और एक कामर्स का कालेज आप खोल रहे हैं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैन प्लस टू जैसा कि मन्त्री महोदया ने बताया कि इसकी समस्या नहीं है मैं आपको सूचनार्थ बताना चाहता हूं कि महाराजा कालेज में 60 प्रतिशत पर टैन प्लस टू में सैकण्ड इयर में प्रवेश नहीं हो रहे हैं और कामर्स कालेज में 50 प्रतिशत पर एडमीशन बन्द हो गया है और मिनिमम क्वालीफीकेशन के 45 प्रतिशत पर ही हो जाते हैं तो या तो मन्त्री महोदया मेरी चुनौती स्वीकार करें या सदन को आश्वासन दें कि टैन प्लस टू में फस्ट इयर में 45 प्रतिशत पर एडमीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन के अनुसार सभी को प्रवश मिल जायेगा, इसके लिये सरकार सक्षम है। अगर किसी का एडमीशन नहीं होगा तो सरकार उसे प्रवेश दिलायेगी। इस बारे में अपनी घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला दृष्टिभेद का है। हम लोग जब पढ़ा करते थे उस समय एक नारा लगा करता था कि खुला दाखिला सस्ती शिक्षा लोकतन्त्र की यही परीक्षा। तो प्रदेश शिक्षा के अन्दर पिछड़ा है और इसमें जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, हमारे प्रवेश में उनके लिये हम शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं कर सकें तो एक वैलफेयर स्टेट में आप चाहे पानी मत दो, चाहे आप बिजली मत दीजिये क्योंकि वह तो प्राकृतिक चीज है पर प्रदत राज्य में कम से कम आप लोगों को उच्च शिक्षा तो प्राप्त करके जो लोग हमारे प्रदेश का विकास करना चाहते हैं और हम अन्य प्रदेशों की शिक्षा की दौड़ में अव्वल करना चाहते हैं राजस्थान को, तो यदि आप यह भी नहीं करते हैं तो कैसे होगा। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो तर्क मन्त्री महोदया ने, शिक्षा मन्त्री जी ने दिया कि यू. जी. सी का मसला है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह यूनिवर्सिटी करती है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें यू. जी. सी की नहीं चलती, इसमें यूनिवर्सिटी की चलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमने दस साल तक विश्वविद्यालय को जैसा चाहा वैसा चलाया और हर साल हमने पांच पांच हजार विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय में संख्या बढ़ाई यह यू. जी. सी का नाम लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारी सीटों की संख्या की जो बात करते हैं तो क्या यह सीटों की संख्या ब्रह्माजी ने बनायी थी? जो यह धन की बात करते हैं उसके बाद बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के लिये मूल्यांकन की कोई चीज ही नहीं है आज जयपुर में जो यह भीड़ की बात कर रहे हैं वह प्रश्न नहीं है जयपुर में इतने विद्यार्थियों की भीड़ क्यों आ रही है इसके लिये हमको विचार करना चाहिये। विधान सभा में। आज विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के अधिकारी सारे प्रदेश में

(श्री मोहन प्रकाश)

प्रवेश दिलाने के लिये जो कमी है उसके लिये हमें विधान सभा में बैठकर विचार करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे धौलपुर में एक कालेज है और उसमें एक भी विषय नहीं है लेकिन आज जो कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की भीड़ लग रही है यह क्यों लग रही है यह जयपुर में ही नहीं है तमाम जगह पर है। चूंकि जयपुर में एम. एल. ए रहते हैं, मिनिस्टर रहते है, मुख्य मन्त्री रहते हैं इसलिये जयपुर में ज्यादा आपको बाढ़ दिखाई दे रही है पर होता सभी जगह पर है। इसके लिये आप अगर आप कोई व्यवस्था कर दें कि जो रिसर्च स्कालर है मैं आपको इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि कोई नियम नहीं होता है मैं आपको कहना चाहूंगा कि सन् 77 में जब यह सैक्शन खोलने की बात लोकसभा में आई तो मैं आपको लाइब्रेरी से लोकसभा की प्रोसीडिंग्स लाकर दिखा सकता हूं कि जिसमें हमने वहीं पर निर्णय लिया कि इवनिंग कालेज खोला जाय और हमने उसमें रिसर्च स्कालर थे, और जो एसोसियेट लेक्चरर थे उनके मुकर्रर कर दिया। आज यह सरकार कहती है कि धन नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इतने विद्यार्थी उनके पैसे और आपको एक भी पैसा नहीं लगाना पड़ेगा राज्य सरकार उन विद्यार्थियों की काशन मनी को लेकर और यह कासन मनी इतनी हो जायेगी कि आपको इस काशन मनी से पता नहीं लगेगा। जो काशन मनी है फिर्फ उस पैसे का जो ब्याज होता है उस ब्याज से आप बड़े आराम से कम से कम पचास-साठ अध्यापक रख सकते हैं जो कि आपके लेक्चरर होंगे, वह भी रिसर्च करते होंगे, उसमें भी यू. जी. सी. की स्कालरशिप पाते हैं यह जो डाक्टरेट कर रहे हैं इनको आपको एक नया पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको क्लासेज दीजिये। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस समय क्लास लिया करते थे, हम लोग बी.ए. में थे, तो खिड़की होती थी वहां बैठकर पढ़ा करते थे, ओवर पेक रहा करता था। इसलिये हमको पढ़ना होगा हम जमीन पर बैठ कर पढ़ेंगे। यह मान सकते हैं कि होस्टल की कमी हो सकती है, लेकिन सीट्स की कमी हो, यह मानना और यह तर्क देना इस देश के, प्रदेश के नवयुवकों का गला काटने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं विश्वविद्यालय के जो भी अधिकारी हैं, क्या हो रहा है आज विश्वविद्यालयों में, चारों तरफ अनियमिततायें आर्थिक घोटाले, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्रीजी, मैं विषयान्तर कर रहा हूं नये वी. सी. आ रहे हैं उससे पहले दो गुटों में धड़ाबन्दी हो रही है। नया वी. सी. वहां बैठा हुआ है, जैसे ही आपने हटा दिया वह निश्चित तौर से उसके बाद काम किया जायेगा। जो तीन सालों में विक्टीमाइज हुआ उनके लिए आपके पास नौकरी नहीं है। मैं आखिर में निवेदन करना चाहता हूं विश्वविद्यालय को बचाना है, इन विद्यार्थियों को दाखिला दिलाना है तो आप विश्वविद्यालय की एक कमेटी बना दीजिये। सारे धड़ेबाज बैठे हैं, एक गुट कहेगा कि सीटें बढ़नी चाहिए, दूसरा गुट उसको नीचा करने की सोचेगा और कहेगा

(श्री मोहन प्रकाश)

कि नहीं बढ़नी चाहिए । सफर करेगा विद्यार्थी । राजस्थान विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है उस मामले में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय है उसको हायर एजुकेशन का सेंटर डवलप करके और सम्बन्धित कालेजों को आप एक अलग विश्वविद्यालय करके उनको जोड़ने का काम करें । नहीं तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है सारा मण्डा हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप शंका का समाधान नहीं कर रहे हैं ।

श्री मोहनप्रकाश : जब तक दृष्टि साफ नहीं होगी तब तक आप एडमिशन नहीं दे सकते । यही मैंने कहा कि दृष्टि में भेद है, खुला दाखिला सस्ती शिक्षा लोकतंत्र की यही परीक्षा । एक एक विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, इस प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उससे कम से कम सरकार हमें वंचित नहीं करे । पानी आप नहीं दे रहे बिजली नहीं दे रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम इतनी तो उम्मीद करते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग इसलिये मौन है क्योंकि वह सोच नहीं पा रहे हैं, सिर्फ तीन आदमी हैं जो विश्वविद्यालय की समस्या से अवगत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आज बिजनेस बहुत है । माननीय सदस्य ।

श्री मोहनप्रकाश : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले सत्र में आपने 10 जमा 2 को राजस्थान में लागू नहीं करने से सम्बन्धित बयान दिया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 10 जमा 2 सिस्टम लागू नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : This is very bad habit.

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, दस जमा दो सिस्टम राजस्थान में लागू नहीं होना चाहिए यह एक षड़यंत्र है बड़े लोगों का कि यह हायर सेकेंडरी करेंगे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें । श्री भंवरलाल जी (हवा महल) ।

श्री सी. पी. जोशी : दो प्रश्न मुझे पूछने हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

भंवरलाल जी खड़े हुए हैं तो आप खड़े हो गये, नहीं बोलने देना चाहते उनको माननीय सदस्य ।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवा महल) : इनको बुला लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप बोलिये ।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि हम अपने प्रदेश में क्या करना चाहते हैं ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एडमिशन की जो बात कही है, हम केवल विद्यार्थियों को डिग्री देना चाहते हैं या उनको अत्यधिक योग्य बनाना चाहते हैं। केवल डिग्री लेने के लिए बी. ए. पास करनी है हर एक को तब तो इस पर नहीं सोचें, लेकिन प्रश्न यह है कि डिग्री प्राप्त नहीं कराकर हमारे विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन हो, वह योग्य हो और विद्वान हो अगर यह दृष्टिकोण रहेगा, आप यह नहीं कह सकते कि किसी भी विद्यार्थी ने किसी भी कारण से हायर सेकण्डरी में 45 प्रतिशत किसी वजह से प्राप्त कर लिये तो आप मजबूर करके उन्हीं कालेजेज में पढ़ायें, जहाँ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने खुद अपने बयान में कहा है कि जयपुर में दो प्रकार के कालेज हैं एक तो रेपुटेड कालेज हैं आपने कहा कि दाखिला मिलता है दूसरे जो कालेज हैं जहां रेपुटेशन की कमी हो या नहीं हो। जब आप रेपुटेड कालेज को डिफाइन कर रही हैं दूसरे कालेज होंगे ही नहीं। जब आप उसको दाखिला नहीं देंगी तब वह मजबूर होकर कहां जायेगा। आप कह रही हैं कहीं भी हो जायेगा जैसे आपने ऐसी बात कह दी जैसे रोडवेज की बसें चलती हैं, आपने, उपाध्यक्ष महोदय, देखा होगा उसमें नीचे, बाहर, ऊपर सब जगह लटके रहते हैं बस दिखती नहीं है और सवारियाँ दिखती हैं। कंडक्टर कहता है कि एक साथ सबको यात्रा करवा दी, एक भी सवारी बिना यात्रा नहीं रही, सबको यात्रा करा दी, सब बस में चढ़ गये। यह बस में चढ़ना है क्या। छतों पर बैठें हैं, पायदान पर लटक रहे हैं, यह बस में यात्रा नहीं है। अगर एडमिशन कहीं भी दिला दें तो कोई मतलब नहीं है। उनको योग्य बनाने के लिये, जहां उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था होगी वहां जगह बढ़ाकर उनको योग्य बनाना होगा। यह कहकर नहीं चल सकते हैं कि स्थान नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी के पास कम कपड़ा है तो वह आदमी के नाप से कपड़ा सिलेगा या कपड़े के नाप से आदमी बनेगा. मकान आदमी अपने परिवार के हिसाब से बनाता है या मकान के हिसाब से परिवार बनता है। यह कहना कि मकान नहीं है इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमको शिक्षा पर ध्यान देना होगा और आने वाली पीढ़ी को योग्यतम बनायें, जैसे मोहन प्रकाश जी ने कहा कि जो राजस्थान का जीनियस है, युवक है, वह विद्वान होकर नहीं निकले, वह प्रतियोगिता में पीछे रहेगा, दूसरे प्रदेश आगे निकल जायेंगे और आपका प्रदेश पीछे छोड़ देंगे। यह स्थिति नहीं बने इसलिये उच्चतम शिक्षा की जहां व्यवस्था है पैंतालीस प्रतिशत में हो, उनको दाखिला देने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह छात्र हैं यह शोरगुल करके एडमिशन ले लेते हैं उनसे आप भी डरती हैं, लेकिन आप जिनका प्रतिनिधित्व करती हैं, महिलाओं का, बालिकाओं का क्या होगा। अभी पिछले दिनों आपने कहा था कि मेरी महिलाएँ कमजोरी है, होनी चाहिए, आप भी महिला हैं, फिर भी छात्राओं के लिए क्या करेंगी। यहां केवल तीन महिलाओं के कालेज हैं महारानी कालेज, कानोडिया कालेज, सत साई कालेज यह कालेज इतनी दूर हैं इनका समय ऐसा होता है कि एक बच्ची घर से जाती है, अगर बनी पार्क से बच्ची को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कानोडिया जाना पड़ता है तो आपको तो पता नहीं है, आपकी बच्ची तो कार से चली जायेगी, वह चार-चार बसें बदल कर जाती है और आती है। क्या हाल होगा, तो उसके माता-पिता यही कहेंगे कि बेटा हमें तो बिना पढ़ाये ही ठीक है। माता-पिता कह देते हैं लेकिन शादी होगी तो ससुर पूछेंगे कि कहां तक पढ़ी हुई है, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो शादी में भी व्यवधान आता है। उनकी आप क्या व्यवस्था करने वाली हैं। मेरा सुझाव है आप बिल्डिंग की कमी बताती हैं, जयपुर शहर में बड़ी-बड़ी पहले बिल्डिंग हैं जो सरकार के कब्जे में हैं, अधीन हैं, कब्जे में नहीं तो अधीन आ गई हैं। माननीय मन्त्री महोदया, अगर आप जनाना ड्योढ़ी गई होंगी, आपने देखी होगी वह आज दरबार के साथ उसमें जो उस जमाने की बची हुई महिलायें हैं जो मुश्किल से पांच-सात होंगी, ज्यादा लाइफ नहीं है उनकी, जीवन पर्यन्त उसमें रहेंगी और उस के बाद वह भवन आपको मिल जायेगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि छोटा-मोटा होस्टल और कालेज दोनों बन सकते हैं। जो पांच-सात महिलायें बची हैं, बिल्डिंग को वेल फर्नीश करके उनको शिफ्ट कर दें यह बिल्डिंग आपको मिल जायेगी। यह बेड सुरक्षित स्थान पर है और वहां बालिकाओं के पढ़ने की व्यवस्था की जा सकती है और जयपुर की चार दीवारी के अन्दर महिलाओं के लिए पढ़ने का कोई कालेज नहीं है। बड़ी मुश्किल से पारीक जाति ने एक छोटा सा कालेज चलाया, वह बहुत छोटा है। मेरा आपको सुझाव है आप विचार करें। इस बिल्डिंग को आप ले सकती हैं और बिना खर्च के आप बहुत बड़ा कालेज महिलाओं का चला सकती हैं। छात्रों के कालेज के लिये जैसा अभी ठीक कहा....

(व्यवधान)

छात्रों के कालेज भी नहीं हैं और छात्राओं के लिये भी कालेज की कमी है। छात्राओं का सरकारी कालेज नहीं है इस लिये मेरा आपसे निवेदन है कि इन बातों पर यदि ध्यान देकर एडमिशन देकर आप डिग्री दिलायें इसका कोई मतलब नहीं है। हमें अपने प्रदेश के, देश के नवयुवक को योग्यतम बनाना है और उच्चतम शिक्षा उपलब्ध हो, उच्चतम अध्यापक उपलब्ध हों, अगर यह सब नहीं होगा तो वह कमजोर रहेगा और प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। राजस्थान में ऊंचे स्थान पर नहीं आ सकेगा, अगर आप ऐसे स्थान पर भेजेंगी कि कमजोर रहे तो उसको और कमजोर करती रहेंगी वह आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा आपने कहा कि व्यवस्था हो। वह नहीं होती है, अन्त में उसको प्राइवेट इम्तहान देना पड़ेगा, प्राइवेट कालेज में भी सभी विषय नहीं हो सकते, कुछ ही विषय है, उनको विषय बदलना पड़ेगा इसलिये आप हमें समझायें कि इसमें किस तरह की व्यवस्था करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो जोधपुर विश्वविद्यालय है वह रेजिडेन्शल यूनीवर्सिटी है और वहां की स्थिति कुछ भिन्न है। बाकी

(श्री बिरदमल सिंघवी)

यूनीवर्सिटीज में आप चाहें छात्रों को प्रवेश नहीं दें तो वह प्राइवेट भी पढ़ लेता है परन्तु जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्रों को प्राइवेट पढ़ने या प्राइवेट परीक्षार्थियों की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण वहां जिसको आप प्रवेश नहीं देते हैं उसके तो सारे द्वार भी आगे के लिए बन्द हो गये। एक विद्यार्थी किसी भी कारण से एक परीक्षा में ठीक नम्बर नहीं ला सका तो वह प्राइवेट पढ़ कर भी अपनी आगे व्यवस्था करनी चाहे तो आज वहां पर बाकी स्थानों पर तो वह प्राइवेट पढ़ लेगा फिर आगे पढ़कर बी. ए. में एम. ए. में किस प्रकार से आगे निकल पायेगा क्योंकि आपने हमारे वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं की है। इस कारण से अगर वहां पर प्रवेश नहीं मिलता है तो आगे उसका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। आगे उसके पढ़ने की सारी व्यवस्थायें समाप्त हो जाती हैं इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या वहां पर प्राइवेट पढ़ने के लिए भी कोई व्यवस्था की जायेगी अथवा वहां पर सीटें और बढ़वाने के लिए, सेक्शन बढ़वाने के लिए विचार किया जायेगा और वहां अधिक से अधिक लोगों को इस कारण पढ़ने का अवसर मिल सके ऐसा प्रयत्न जायेगा ?

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि परसेण्टेज के बेसिस पर भी आपने बताया है। उस परसेण्टेज के बेसिस पर भी, उसके अनुसार भी लोगों को वहां एडमिशन नहीं मिल रहा है और एडमिशन नहीं मिलने के कारण—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक निवेदन करूंगा कि राजस्थान की समस्या है। अलग-अलग आप कालेज और स्कूल को लेंगे तो कोई अन्त नहीं होगा। This is the problem of whole of Rajasthan.

श्री बिरदमल सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब में जोधपुर यूनीवर्सिटी को माननीय मन्त्री महोदय ने टच किया है, संख्या बताई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर छात्रों में भयंकर असन्तोष हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी....

श्री बिरदमल सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष जी, छात्रों में भयंकर असन्तोष है और उसको संभालना मुश्किल हो जायेगा।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो पाइन्ट हैं मेरे। कार्यक्रम के बारे में पूछना है। भाषण नहीं देना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक चीज देख लें कि यह वास्तव में ध्यान आकर्षण है और जयपुर के लिए रखा है लेकिन यहां सारे राजस्थान की बात कर रहे हैं।

सी. पी. जोशी : दो प्रश्न पूछना चाहता हूं

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक मिनट का समय चाहिए।

श्रीमती कमला : 4.30 बजे मुख बन्द रख रखा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोशी जी।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे तो दो प्रश्न पूछने हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक दो-दो मिनट लीजिए कृपया। श्री जोशी जी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई भाषण नहीं देना है। आप मेरी बात सुन लीजिए, साहब।

माननीय मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि जयपुर के अन्दर फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. के अन्दर आर्टस, साइन्स और कामर्स के अन्दर कितनी सीटें हैं और कितनी एप्लीकेशन्स पेण्डिग पड़ी हुई हैं। क्या यह सच है कि एडमिशन का जो प्रोसीजर आपने एडाप्ट कर रखा है वह फाल्टी होने से ही यह सारी स्थिति पैदा हो रही है? यदि आप एक सेण्ट्रलाइज एडमिशन की सिस्टम एडाप्ट कर लें और सभी जयपुर के बच्चों को यह मालूम हो कि इतनी सीटें महाराजा कालेज में, महारानी कालेज में और पारीक कालेज में हैं और उसके हिसाब से प्रायोरिटी ले लें तो आज आप जो स्थिति कह रहें हैं वह स्थिति आपके सामने नहीं आयेगी और जितना प्राजेक्शन आप देख लें कि हायर सैकण्डरी का रिजल्ट निकलने के बाद फर्स्ट ईयर में एलीजीबल ज्यादा लड़के हैं और सीटें कम हैं तो उसके हिसाब से व्यवस्था करें तो यह प्राब्लम ठीक हो सकेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले यह बतायें आपने अभी बताया नहीं है कि इस साल कितने फर्स्ट ईयर में आर्टस, साइन्स और कामर्स में सीटें आपके पास हैं और कितने फार्म आपके पास पेण्डिग हैं। पहला प्रश्न यह है मेरा।

दूसरा प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जो टेन प्लस टू स्कीम की प्राब्लम है उसको शायद मन्त्री महोदय, ने ठीक ढंग से समझा नहीं है। टेन प्लस टू में जो लड़के पास करके आते हैं उनको सेकिण्ड ईयर आर्टस, साइन्स और कामर्स में एडमिशन लेना पड़ता है और आर्टस, साइन्स और कामर्स में सीट्स आलरेडी फिक्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी सब कुछ समझती हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय मन्त्री महोदय ने यह जवाब नहीं दिया टेन प्लस टू के लिए आज टेन प्लस टू के एक भी लड़के का एडमिशन जयपुर में इसलिए नहीं हो रहा है कि उसके अन्दर सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। जब तक आप टेन प्लस टू के लिए जितने लड़के यहां पर एप्लाई कर रहे हैं उतनी सीटें बढ़ाने का कालेज में प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक उनका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए मन्त्री महोदय यह बतायें कि कितने टेन प्लस टू के लड़कों को सेकिण्ड ईयर में एडमिशन दिया, उनका नम्बर कितना है उनके एवज में आपने सीटें बढ़ाई हैं या नहीं। यह दो चीजें आप स्पष्ट कर दें तो सारी प्राब्लम साल्व हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि जो मिनिमम परसेण्टेज एडमिशन की पिछले साल थी वह इस साल भी है। जयपुर में जितनी सीटें पिछली साल विभिन्न कालेजज में चाहे वह यूनीवर्सिटी के कालेजज हों, चाहे प्राइवेट कालेज हों उनती है जितनी कि इस साल है। क्या राज्य सरकार ने कोई पर्सपेक्टिव प्लानिंग बनाई थी? क्या राज्य सरकार ने पिछले वर्ष परीक्षा होने के बाद या नतीजे निकलने के बाद किसी स्तर पर बैठकर यह विचार किया था कि हां इतनी इस नाते से संख्या में बढ़ोतरी हो जायेगी? इसलिए इतने सेक्शन्स तो हमें बनाना अत्यन्त आवश्यक होगा। माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें। एक साल तो आकर खड़ा हुआ कि चार हजार बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। यह सवाल इसीलिए पैदा हुआ है कि आखिर पर्सपेक्टिव प्लानिंग कुछ सरकार को चाहिए। जैसे-जैसे वर्ष बढ़ते हैं क्या सरकार ने एस्टीमेशन तो किया ही होगा कि जयपुर में कितने विद्यार्थियों की संख्या चाहे टेन प्लस टू में, चाहे विभिन्न प्रकार मे, मैं एक बात और माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मैं आपके यहां के कालेज की चर्चा करूंगा। भरतपुर का कालेज बर्स्टिंग पाइन्ट पर हैं। शायद जानकारी किसी ने दी नहीं है। यहां भी एडमिशन की इतनी ही बड़ी समस्या है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने राजस्थान भर के विभिन्न कालेज के लिए क्या इस प्रकार की पर्सपेक्टिव प्लानिंग की थी और उसी केअनुसार क्या पहले से ही उन्होंने कितने सेक्शन बढ़ाने हैं राजस्थान भर में, इसके आदेश राजस्थान के विभिन्न कालेजज में दे दिये हैं? मेरा आरोप है कि वह नहीं दिये गये हैं। उसका इन्तजार किया जा रहा है और इसी प्रकार की स्थिति विभिन्न स्थानों पर पैदा हो रही है कि चार हजार स्टुडेन्ट्स का एडमिशन यहां नहीं हो रहा। कोटा में 500 लोगों का एडमिशन वहां नहीं हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आगे से भी पर्सपेक्टिव प्लानिंग करें और माननीय मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य में यह बताने की कृपा करें कि इस पर आप पर्सपेक्टिव प्लानिंग करके कितने सेक्शन बढ़ाने की व्यवस्था कर ली है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय—

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न करें माननीय सदस्य।

श्री अश्कअली टांक : एक बात मैं भी कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): जयपुर की परिस्थिति, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रकार की है। यहां सारे आफिसर्स का सम्बन्ध भी है और यह सारे विधायक भी 200 यहां पर आये हैं इनके

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भी आखिरकार बच्चे बच्चियों के प्रवेश का भी प्रश्न है । मेरा निवेदन करना है कि जयपुर शहर में चार हजार के लगभग इस समय छात्र छात्रायें घूम रहे हैं और यह प्रतिशत वाली बात कही जाती है कि 60 परसेण्ट पर होगा यह आखिरकार क्यों? शिक्षा के क्षेत्र में रोक क्यों? मेरा निवेदन करना है कि आखिरकार जिसके कारण से उनके नम्बर कम आये सजा तो उनको दी जानी चाहिए जो अच्छी प्रकार वह पढ़ा सकें। उस विद्यार्थी का आखिरकार क्या दोष है कि उसके 60 परसेन्ट आ गये। तो जब 60 परसेन्ट पर एडमिशन होगा तो शेष का क्या होगा ? फिर डिविजन, थर्ड डिविजन और सेकिण्ड डिविजन वाली मान्यता फिर समाप्त कर देनी चाहिए जैसा कि एल. एल. बी. में सेकिण्ड डिविजन ही आदमी का पास होना जरूरी है और थर्ड डिविजन नहीं उसी प्रकार से यह हो जाये कि फर्स्ट डिविजन को ही एडमिशन देगें सेकिण्ड डिविजन और थर्ड डिविजन को नहीं फिर यह सेकिण्ड डिविजन और थर्ड डिविजन नाम की चीज हटा देनी चाहिए। फर्स्ट डिविजन को ही एडमिशन देगें यह व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए। प्रतिशत नहीं। जयपुर शहर में एक साइन्स का कालेज, एक कामर्स का कालेज...

श्री उपाध्यक्ष : वह कह दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और एक लड़कियों का कालेज होना चाहिए। भवन की व्यवस्था हो और अगर शिक्षा मन्त्री जी यह महसूस करें कि जयपुर शहर में भवन की व्यवस्था नहीं है तो हम पांचों विधायक उनकी सेवा में मौजूद हैं भवन हम उनको दिलवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। कम प्रतिशत वाली बात नहीं होनी चाहिए और टेन प्लस टू के लिये जैसा मानिकचन्द जी कह रहे थे यह बात सही है। केन्द्रीय विद्यालय में मेरी भतीजी है। वह गुजरात से यहां पर आई है। महारानी कालेज में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो टेन प्लस टू को तब करेंगे एक तो प्रदेश बदल गया तो केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश बदल गया ? केन्द्र का विद्यालय तो सब जगह विद्यार्थी जा सकता है। उस टेन प्लस टू में 60 परसेण्ट होना अनिवार्य है। मैं समझता हूं कि यह दोनों हों कि जयपुर में एक साइन्स का कालेज, कामर्स का कालेज और एक लड़कियों का कालेज खुले और प्रतिशत वाली भावना बिलकुल ही समाप्त हो जाये और भवन जयपुर शहर में उपलब्ध करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अश्कअली टाक

श्री अश्कअली टाक (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि यह समस्या निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है हमारे विद्यार्थी साथियों के लिए लेकिन इसका समाधान कैसे हो इसके लिए एक मेरा सुझाव यह है कि हमारे यहां विश्वविद्यालय में आज से दो साल पहले एक नियम बनाया आर्डीनेन्स 80, मेरे साथी जो विश्वविद्यालय से आये हैं वह इस बात को जानते हैं और उसके अन्दर यह किया गया, गुरू जी आपका ध्यान आकर्षित करना

136

(श्री अश्कअली टाक)

चाहता हूं मन्त्री जी के अलावा कि विभाग में साइन्स, कामर्स के अन्दर स्टुडेन्ट को फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए । कामर्स कालेज में उसने फार्म भरा, अग्रवाल कालेज में अलग से फार्म भरा। एल. बी. एस. कालेज में अलग से फार्म भरा, पारीक कालेज में अलग से फार्म भरा । पहले यह था कि हमारे यहां विश्वविद्यालय में जैसे पी. जी. का एडमिशन है, फर्स्ट ईयर में पी. जी. करना है तो सोशियोलाजी का है, पालिटिकल साइन्स का है 19 डिपार्टमेण्ट हैं उन 19 डिपार्टमेण्ट में से कोई एक में फार्म भर देता और दूसरे डिपार्टमेंट में जब रह जाता जैसे हिस्ट्री में 50 परसेण्ट पर एडमिशन हुआ लास्ट, सोशियोलाजी में होगा 45 परसेन्ट पर, अगर उसने फार्म भरा 45 परसेन्ट वाले डिपार्टमेंट में तो उसका एडमिशन हो ही नहीं सकता । यह दो साल पहले आर्डीनेन्स 80 निकाला था जिसे काला कानून कहकर हमने आन्दोलन भी किया था । इसलिए मेरा आपसे सुझाव है है कि विश्वविद्यालय की पी. जी. की समस्या के लिए एक विभाग में फार्म भरने का मतलब 10 रुपये है और वही 19 डिपार्टमेंट में फार्म भरे तो 190 रुपये आपको फार्म-फार्म के ही चार्ज होते हैं इसलिये आपसे मेरा अनुरोध है कि विश्व विद्यालय को निर्देश दें एम. काम. डिपार्टमेंट में फार्म भरने का मतलब तीनों डिपार्टमेंट में एम. काम. होती है बी ओ. है, एकाऊंट्स है इसमें एक विभाग में कामर्स में एम काम भर दे तो तीनों में कन्सीडर होगा अगर एकाऊंट्स में नहीं होता है तो बी. ओ. में हो जाये....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करें।

श्री अश्क अली (टोंक) : एक ही मेरा सुझाव है इसी प्रकार से कालेज में फर्स्ट ईयर के अन्दर मेरा सुझाव है एक फार्म को सभी स्थानों के लिये लागू करते हैं मानलो कामर्स कालेज मे फार्म भरा है, अग्रवाल कालेज में उसने फार्म नहीं भरा, वहां पर अगर बिलो पर्सेंटेज का एडमिशन हो गया तो वह वंचित रह गया। यह कोआर्डिनेशन आप बैठाना चाहते हैं। गत वर्ष विश्वविद्यालय में एक एडमिशन कमेटी बनाई गई थी उसमें सभी प्रिन्सीपल्ज को बुलाया गया था। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि सभी प्रिन्सीपल्ज को बुलाकर विश्वविद्यालय के कुलपति और वहां के छात्र प्रतिनिधि जो यूनियन्ज के थे उनको बैठाकर रखा था उसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। गये वर्ष साईन्स के अंदर 62 प्रतिशत....

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव दीजिये।

श्री अश्क अली (टोंक) : आप तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम दिला पायेंगे एडमिशन। यह बात संभव नहीं है। 62 प्रतिशत का लास्ट ईयर एडमिशन हुआ साईन्स फैकल्टी में। इसी प्रकार से आपके कामर्स कालेज में बिलो 60 प्रतिशत का नहीं हुआ था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आगे के लिये कह रहे हैं। इस साल के लिए और जयपुर के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : इस साल इससे बदतर स्थिति है।

श्री अश्क अली (टांक) : इस साल इससे भी सीरियस पोजीशन है हमारे विद्यार्थियों की। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है आप बिना कोई आन्दोलन, बिना कोई आक्रोस विद्यार्थियों के सामने आये, इसका समाधान करना चाहते हैं तो इसके लिये सबसे पहले मेरी राय यह है कि कल ही कोआर्डिनेशन बैठाया जाये और जो एक फकल्टी में फार्म भरा है तो 180 रूपये का नुकसान होने जा रहा है, उससे विद्यार्थियों को बचाया जाये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शार्ट करें।

श्री अश्क अली (टांक) : मेरा आपसे अनुरोध है अगर विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिला तो निश्चित रूप से छात्रों का आक्रोस हो सकता है, विश्वविद्यालय में हड़ताल हो सकती है उससे पूर्व अनुरोध करता हूं कि इस बारे में तुरन्त सोचा जाये। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आन्दोलन करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ आशंकायें, कुछ सुझाव, कुछ दिक्कतों की ओर अपनी बातें कहीं है। सबसे पहले तो माननीय सदस्य ने पूछा कि जयपुर में वर्तमान में कितनी सीटें उपलब्ध हैं और उसमें कितने छात्र एकमोडेट हो सकते हैं। तो जयपुर में कला वर्ग के अन्दर फिलहाल 36 सैक्शनूज हैं अर्थात 2160 सीटें उपलब्ध हैं, इसी तरह कामर्स में 40 सेक्शन्स हैं अर्थात् 2400 सीटें उपलब्ध हैं, साईंस में 25 सैक्शन्स हैं अर्थात् 1500 सीटें उपलब्ध है। इन उपलब्ध सीटों के पेटे जो आज तकाजा है वह जयपुर को देखते हुए बहुत ज्यादा है और उसको एडजस्ट किया जाना बड़ा मुश्किल है। यह माननीय सदस्यों ने कहा और नये कालेजेज खोले जाने चाहिये, यह बात भी माननीय सदस्यों ने कही है....

श्री कालीचरण सर्राफ : कितने फार्म आये हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये, जरा सुन तो लें आप।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है जैसा कि टोडाराय सिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत बडा विश्वविद्यालय है और उसमें जितने छात्र हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है और आज के तकाजे के मुताबिक और कालेजेज की बड़ी समय से मांग है और इसलिये तुरन्त कालेजेज खोले जाने चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पिछले साल का और उससे पिछले सालों का जो मैंने रेफ़रेन्स दिया है वह आमतौर पर जिस प्रकार का प्रतिशत है उसके मुताबिक छात्र एडजस्ट हो जाते हैं लेकिन दिक्कत आती है इस बात में जितने नये सेक्शन्स खोले जाते हैं उसके मुताबिक में कक्षा, कक्ष, लेबोरेट्रीज और आडिटोरियम, लाइब्रेरी की एकमोडेशन यह इतने कम हो जाते हैं। उस दृष्टि से यह तकाजा बहुत जरूरी हो रहा है कि यह सारी बहुत ही संकुचित जो स्थिति बन जाती

138

(श्रीमती कमला)

है उसमें छात्रों और छात्राओं के भरने की दृष्टि से सारी व्यवस्थायें उपलब्ध हो सकें इस दृष्टि से जयपुर शहर के अन्दर जो बहुत ज्यादा तकाजा है उसको दृष्टिगत रखते हुए नये कालेज खोलने की मांग चल रही है और सरकार के प्रावधान में इस साल नहीं तो कोई कालेज है न स्कूल है और यूनिवर्सिटी की कितनी तैयारी है इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूं कि जो जयपुर शहर का तकाजा है उसके हिसाब से राज्य सरकार इस साल तो प्रावधान नहीं, अगर हुआ तो अगले साल में प्रावधान करके कितना कुछ और एकमोडेट कर सकती हैं, कितने कालेजेज और खोले जा सकते हैं, किस प्रकार से इस मांग की पूर्ति की जा सकती है, इस बात को हम देखेगे। वर्तमान में 4 हजार विद्यार्थी बिना प्रवेश के घूम रहे हैं यह कहां से आंकड़े है कैसे आपने इसको कैलकुलेट किया मैं नहीं कह सकती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 6 तारीख को जो लास्ट डेट है उसके बाद में इस प्रतिशत के कितने प्रतिशत बिना एडमिशन के रह जाते हैं वह अभी कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि अभी भी काफी दिन है एडमिशन के और जो माननीय सदस्य लूणकरणसर से आने वाले है उन्होंने कहा कि 31 तारीख को आप एनालाइज कर लीजिये और 31 तारीख को आप तुरन्त कालेज खोल दीजिये। 31 तारीख को यह एनालाईज करना सभव इसलिये नहीं है कि जिन छात्रों ने कई जगह पर एडमिशन के लिये दे रखा है वह कहां पर एडमिशन लेते हैं किन किन कालेज में उनकी दरख्वास्तें कम होंगी यह 31 तारीख को कोई अन्दाजा नहीं बैठा सकते। बाकी जो दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही, बीकानेर क्योंकि नहर एरिया है और वहां पर खेती का काफी कुछ भविष्य बना है इसलिये कृषि के संकाय के जो सैक्शनस हैं उनको बढ़ाया जाये। जिन विद्यालयों में जो कृषि फैकल्टी के सैक्शन्स हैं वह विद्यार्थियों के तकाजे पर उन्हें एकमोडेशन करने के हिसाब से सरकार मैरिट्स के हिसाब से उसको बढ़ाती रहती है इसमें कितना क्या तकाजा है, कितनी एकमोडेशन है, क्या हो सकता है, इस सारे को देखने के बाद ही मैं कुछ कह सकती हूं, यहां अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हू। जहां तक टेन प्लस टू के बच्चों के भर्ती का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कहने के लिये यह व्यवस्था है कि जो भी बच्चे निकलेंगे इस प्रतिशत के वे भर्ती हो जायेंगे लेकिन शायद उनका अनुभव है कि पिछले वर्ष काफी इनको दिक्कत हो रही है। मैं इसको खास तौर से देखूंगी चर्चा करूंगी और व्यवस्था करूंगी कि जो निर्धारित प्रतिशत बना हुआ है अगर 10 प्लस 2 के विद्यार्थी आते हैं तो उनको एकमोडेशन मिले।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड डिवीजन वाली बात माननीय सदस्य ने कही, थर्ड डिवीजन फिर रखना ही नहीं चाहिये। इसमें बहुत कुछ तर्कसंगत बात है। अगर हम एक सर्टेन प्रतिशत तक भर्ती का प्रावधान रखते हैं तो क्या हम उससे नीचे प्रतिशत वालों को पास होने के लिये प्रावधान ही नहीं रखें, यह व्यवस्था की जाये या नहीं की जाये इसके ऊपर वैसे

(श्रीमती कमला)

पहले काफी चर्चा हुई है और यह सोचा भी गया और कुछ सब्जेक्ट्स के अन्दर लागू भी कर दिया लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में अभी थर्ड डिवीजन रखते हैं और उसकी भर्ती के लिये 38 प्रतिशत उसका लोयेस्ट रखते हैं। अगर सीटें उपलब्ध हैं तो बहुत तरह के मसले हैं जिन पर चर्चा करने के लिये यूनिवर्सिटी के लेवल पर और दूसरे लेवल पर चर्चा की जानी चाहिये। मैं इनको इस वक्त में नहीं कह सकती कि थर्ड डिविजन हम खत्म कर देंगे और इस प्रतिशत ही रखेंगे लेकिन चर्चा का, सोचने का विषय जरूर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि सब छात्र सब विद्यालयों में अपने-अपने पसन्द के कालेजेज लेने के लिये, भर्ती के लिये आवेदन करने के बजाय कुछ केन्द्रीय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहां से इस तरह की व्यवस्था सभी के लिये कर दी जाये। एक ही जगह सब लोग अप्लाई करें। यह व्यवस्था कहां-कहां किन-किन राज्यों में लागू है, कितनी वह सफल है, कितनी उसमें सहूलियतें होती है या कितनी दिक्कतें हो रही हैं और इसके करने से कितनी सुविधा बढ़ेगी इसका सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित है। अगर सुविधा जनक हो तो विचार किया जा सकता है लेकिन मैं इस वक्त कोई निर्णय नहीं ले सकती हूं कि ऐसा किया जा सके। इसलिये जो कुछ भी इस वक्त में मेरे पास सूचना है या जिस प्रकार की स्थिति है, उसका जो विवरण है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जयपुर में भरती का का तकाजा, अकमोडेशन का तकाजा और उसके एक्सपान्सन का तकाजा है और उसको कोई ना नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी बच्चों को अकमोडेशन नहीं मिले ऐसी स्थिति नहीं है। अकमोडेशन मिलने के साथ जो अन्य सुविधायें है वह संकुचित हो जाती है जैसे हमें लेबोरेटरी वगैरह की सुविधा देना हैं, उस सुविधा से वह वंचित रह जाते हैं उतनी तादात में लायब्रेरी का प्रावधान नहीं बनता है, वह दिक्कत हो जाती है इसलिये और तकाजे खोले जाने के, और भी बहुत सी जगहों के तकाजे हैं लेकिन इस साल कन्सोलिडेशन का ही प्रोग्राम है। कोई नया स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है इसलिये इस साल के अन्दर इस समय कुछ भी कह सकना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : हमारा तो सीट बढ़ाने का मामला है। कालेज बढ़ाने की बात तो सेकेण्डरी है।

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी जनरल भावनाओं के आधार पर—

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शंका को बहुत स्पष्ट कर दिया।

श्री मानिकचन्द सुराना : मुझे आप समय दें, उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण है...

(व्यवधान)

आप इस घंटी को तो बन्द कर दें और हमारी सुने, घंटी बजती रहती है तो कुछ सुनाई ही नहीं आता है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शंका का समाधान हो गया। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने जो बताया कि अकमोडेशन वगैरह अवेलेबिल है तो आप और हम बात करके और इस बात को दृष्टिगत करके उसका उपयोग कर सकते है....

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा : चार हजार विद्यार्थियों को जो एडमिशन नहीं मिल रहा है यह राजस्थान पत्रिका के शोध प्रतिष्ठान से जो 8 जुलाई को छपा है, उसमें से है।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत पैदा होता है। राजस्थान के विद्यार्थियों को एडमिशन देने का आश्वासन देना पड़ेगा—

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि अगर निर्धारित प्रतिशत के अन्दर छात्र छात्राओं की भरती नहीं होगी तो उसके लिये शहर के अन्दर जहां भी अकमोडेशन है और जिस जगह प्राप्त हो सकती है, उनमें जो सेक्शन बढ़ाने का काम है वह सरकार करती आई है और करेगी। यह मैं पहले कह चुकी हूं और अब आप दुबारा कहलवा रहे हैं।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत देखें, बिराजो अब आप, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अनुशासन बनायें। आप बहुत ज्यादा बैचेन हो रहे है....माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : मेरी बात सुनिये आप एक मिनट....

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका जो आदेश है वह तो सिरोधार्य है लेकिन माननीय सदस्य की एक छोटी सी शंका है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शंका पर शंका हुआ करती है, शंका एक बार कर लीजिये दो बार करने से आदमी बीमार हो जाता है।

कई माननीय सदस्य : भरती की जाय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

माननीय सदस्य उन्होंने कह दिया और आप क्या चाहते हैं। एश्योरेन्स दे दिया है न ?....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठे, आर्डर प्लीज, आर्डर....प्लीज।

अंकित न करें।

श्री कालीचरण सर्राफ : अंकित नहीं किया जायगा तो क्या होगा, मैं इसके विरोध में वाक आऊट करता हूं।

(मा. सदस्य का सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक नहीं है। इस तरह नहीं चलेगा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार

श्रीमती कमला : मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27 करोड़ 90 लाख 52 हजार रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त की राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 23 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक श्रम और रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल)

1. दस्तकारों और पर्यवेक्षकों के लिये आवंटित धन राशि के उचित उपयोग नहीं होने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की असफलता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री रेवतराम चौधरी** (श्री डूंगरगढ़)

(2) **श्री रामदेव चौधरी** (मूंडवा)

(3) **श्री नारायणराम बेड़ा** (भोपालगढ़)

(3) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में रोजगार विभाग की भूमिका पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

4. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले के श्रमिकों को बी. एस. आर. के अनुरूप मजदूरी नहीं दिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. जिला बांसवाडा के भूमिहीन व अनपढ़ बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था नहीं करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

6. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की असफलता पर चर्चा के लिये।

(142)

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

7. पढ़े लिखे युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में रोजगार विभाग के उचित मार्ग दर्शन के अभाव पर चर्चा के लिये ।

8. नियोजन कार्यालयों द्वारा योग्य आशार्थियों के नाम नहीं भेज कर एवं पक्षपात कर नाम भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

9. प्रदेश में बाल श्रमिकों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण न रख पाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) :

10. मिनिमम वेज एक्ट के तहत श्रमिकों को दी जा रही मजदूरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

11. बन्द कारखानों से बेरोजगार हुए श्रमिकों का कठिनाईयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

12. रोजगार नियोजन कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल)

13. रोजगार कार्यालयों से विभिन्न विभागों को अभ्यार्थियों को सूची भेजने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

14. श्रमिकों को दिये गये कानूनी अधिकारों का लाभ दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

15. श्रमिकों को समय पर उनके हितलाभ उपलब्ध न कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

16. जिलाधीश नागौर द्वारा एन. आर. ई. पी. कार्यक्रम में मनमानी स्वीकृतियां जारी करने पर चर्चा के लिये ।

17. जिला नियोजन अधिकारी, नागौर की ओर से पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा बार-बार सूची मांगने पर भी प्रशिक्षित अध्यापकों के नियोजन हेतु नाम नहीं भेजने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

18. भीलवाड़ा जिले में विभाग द्वारा एन. आर. ई. पी. एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में बरती गई लापरवाही पर चर्चा के लिये ।

प्रो. केदार नाथ (श्रीगंगानगर) :

19. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अमल में बाधाएं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

20. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न होने व शेष अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिये धनराशि स्वीकार न करने पर चर्चा के लिये ।

श्री अश्क अली (फतेहपुर) :

21. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने पर चर्चा में लिये।

22. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की सफल कियान्विति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्र शेखर (खेरथल) :

23. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खेरथल विधान सभा क्षेत्र के बाघोड़ा, बृसगपुर, मिर्जापुर, भूमाखेड़ा, धमूकड़ आदि के लिए सडक निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

24. चौमू क्षेत्र में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण सोसावड़ा (दूदू):

25. श्रम एवं रोजगार कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में गरीब तबके की उपेक्षा बरते जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत ग्रामों में धीमी गति से किये जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

28. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत किये जा रहे कार्यों पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

30. चौमू क्षेत्र में श्रम व रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने से नवयुवकों में भारी असंतोष उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डोली) :

31. बून्दी जिले में एन. आर. ई. पी. एवं आर. एल. ई. जी. पी. कार्यों को उचित प्रकार से चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) :

32. चूरू जिले के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

33. राष्ट्रीय रोजगार एवं भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत

(श्री परसादी लाल मीणा)

लालसोट तहसील में श्रम व रोजगार के लिए विभिन्न योजनाएं चालू करके सड़कों का निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) :

34. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

36. पंचायत समिति नगर के कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में किये जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) :

37. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर) :

38. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई तथा अन्य निर्माण कार्यों के बाबत चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

39. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

40. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं स्वरोजगार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) :

41. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हो रहे कार्यों पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

42. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर. एल. ई. जी. पी.) के तहत तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत तिजारा विधान सभा के क्षेत्र में भीकर से जोड़िया सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत तिजारा विधान सभा क्षेत्र में शेखपुर से ईशरोदा, व शेखपुर से हमीरा का सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

45. राज्य में भूमिहीनों को रोजगार गारन्टी कार्यक्रम से वंचित रखने मे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

46. नवलगढ़ पंचायत समिति के ग्रामों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी)

47. ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार भूमिहीन किसानों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

48. राज्य में श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों में बरती जा रही ढ़िलाई एवं रोजगार कार्यक्रमों में मानव दिवसों की निरंतर हो रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

49. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

50. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में पर्याप्त धनराशि न मिलने एवं भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रतन लाल तांबी (जहाजपुर) :

51. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालरापाटन)

52. झालावाड़ जिले के अधूरे निर्माण कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यों के अन्तर्गत पूरा कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) :

53. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल):

54. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दिये जाने वाले सहायतार्थ अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

55. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर):

56. भरतपुर के सिमकों उद्योग में से 1800 मजदूरों को अवैधानिक ले-आफ होने पर चर्चा के लिये ।

57. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भरतपुर जिले में पंचायत राज संस्थाओं के निर्णय बिना ही कार्यों को मनमाने तौर पर जिलाधीश द्वारा स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये ।

58. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के सही रूप से क्रियान्विति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

59. सिमको भरतपुर में अवैधानिक तौर पर श्रमिकों की छंटनी तथा ले आफ करने पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रशेखर (खेरथल) :

60. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खेरथल विधान सभा क्षेत्र में निम्न ग्रामों रामपुरमेवान, झाडका, सिरमोली वाया खेड़ाझांर, कोलगांव, पाटनमेवान के लिए रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

61. जयपुर जिले में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क घूला वाया नांगल बैरसी के अपूर्ण कार्यों को पूरा करवाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

62. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति बस्सी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कें तूंगा से सांभरिया, वाया दनाउकलां तथा फिल्म नगर गोठड़ा से जटवाड़ा गिरधरवास एवं भटेरी से रेल्वे स्टेशन जटवाड़ा वाया खेड़लाबास, कानेटी का निर्माण करवाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

63. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति चाकसू में सम्पर्क सड़कें सांभरिया से कोटखावदा, तूंगा से महादेवपुरा वाया अखैपुरा, इन्द्रपुरी, कोटखावदा तथा चाकसू से दौलतपुरा वाया गरुडवासी का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

64. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति सांगानेर में सम्पर्क सड़कें गोनेर से वाया कानोता, सांभरिया रोड़ तथा जयपुर गोनेर रोड़ से बूडथल वाया भटेसरी, रोपाहाड़ा का निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

65. अल्प आयु एवं गरीबी रेखा में चयनित परिवारों के सदस्यों को रोजगार हेतु ट्राइसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के उपरान्त पंचायत समिति बस्सी के 90 प्रतिशत प्रशिक्षित लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री प्रणवीर (भीलवाड़ा)

66. श्रम सुविधाओं का अभाव तथा भीलवाड़ा मिल के बन्द होने से मेवाड़ टेक्सटाईल मिल के श्रमिकों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

वैद्य भैंरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

67. एन. आर. ई. पी. प्रोग्राम के तहत जमवारामगढ़ क्षेत्र में सड़कों के मजदूरों को 4 माह से मजदूरी न मिलने से उत्पन्न गम्भीर समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामधन (राजगढ़) :

68. एन. आर. ई. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत राजगढ़ (अलवर) विधान

(श्री रामधन)

सभा क्षेत्र के ग्राम कादोली, भजेड़ा, दूब्बी, तेकर से गुरिया, कानेरी, बहड़को कलां, गढ़ी, इसोना से सालोली, डेरा, रंगी से पखरी तक सड़कों का कार्य करवाने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

69. बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

70. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बूंदी विधान सभा क्षेत्र में बूंदी से दोलाड़ा, कोटा व बूंदी रोड़ से गुमानपुरा सड़क को सम्मिलित कर निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम योजना में बन्धन से नमानां सड़क के निर्माण करवाने के सबन्ध में चर्चा के लिये।

72. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में बरुधन से लक्ष्मीपुरा डोरा सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह : (रानीवाड़ा)

73. रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा क्षेत्र में एन.आर. ई.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. एन. आर. ई. पी. के अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाये जाने को आवश्कता पर चर्चा के लिये।

75. एन. आर. ई. पी. में किये गये कार्यों की बाकी मजदूरी जल्दी दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

76. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण टोंक द्वारा नगर पालिका उनियारा को 10 दुकानों के निर्माण को राशि आवंटन न करने पर चर्चा के लिये।

श्री राजेश (थानागाजी)।

77. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का धन राशि के अभाव में ग्रामों में सुचारू रूप से न चलने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री राजेश

77. राष्ट्रीय प्रान्तीय रोजगार कार्यक्रम।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

78. राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री शमशुल हसन (कामां)

79. पंचायत समिति कामां में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत धन की कमी के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

(148)

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) :

80. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधूरे भवन पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

81. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत पीपल्दा क्षेत्र में कार्य नहीं किये जाने तथा कार्यों में व्याप्त भष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत फूड फॉर वर्क में खुदवाये अधूरे कुओं को सरकार द्वारा पूर्ण नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. पीपल्दा क्षेत्र में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत बनाई जा रही सड़कों के निर्माण में बरती जा रही ढिलाई तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

84. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत को प्रति वर्ष दो लाख के कार्य दिये जाकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत कार्य न किया जाना एवं भेदभावपूर्ण नीति अपनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) :

86. जालौर शहर की ग्रेनाइट फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को हटा दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

87. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकांश युवक जो दसवीं व ग्यारवीं पास हैं उन्हें नियोजन कार्यालयों द्वारा उचित सहयोग दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

88. जिला जालौर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत कार्य करने में जिला प्रशासन की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

89. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत पर्याप्त सुविधाएं न देने एव कम राशि आवंटित किये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

90. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति लालसोट

(श्री परसादी लाल मीणा)

में सड़कों का निर्माण करवाने सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

91. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को रोजगार सुलभ करवाने के लिए नया बास से धीली तथा डूंगरपुर से ड़ोठा सड़क का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री भंवरा राम (डीडवाना) :

92. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये जाने वाले पक्के कार्यों में 50 प्रतिशत जन सहयोग पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) :

93. धौलपुर जिले में स्थिति एक्सप्लोसिव फैक्ट्री के मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

94. धौलपुर हाईटैक वर्क्स (गंगानगर शुगर मिल की शाखा) के मजदूरों के शोषण रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) :

95. जिला डूंगरपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द मीणा (टोडाभीम) :

96. टोडाभीम क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से बनायी गई सड़कों को पूरी करने के लिए और अधिक राशि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

97. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शाला भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, सांडशाला, भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) :

98. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)

99. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि स्वीकृत न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

100 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रोच रोड देरासर (बाड़मेर) पर कार्यरत मजदूरों की माह जनवरी 31 मार्च, 1985 तक के 5 पखवाड़ों की लगी हुई हाजरी को काट कर गैर हाजरी लगाने के विषय पर चर्चा के लिये ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

101. जिला बाड़मेर में 31-3-85 के पूर्व के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यों पर मजदूरों के कार्यरत मजदूरों के भुगतान के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली)

102. विभाग द्वारा श्रम नियमों का उल्लंघन एवं केन्द्रीय श्रम कानूनों का पालन न करने पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल मीणा (महुआ) :

103. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति महुवा द्वारा बेरोजगार युवकों को स्वीकृत ऋण नहीं दिये जाने के बारे में चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

104. राज्य में व्यापारिक संस्थाओं में हड़तालों के औचित्य के लिये। निष्पक्ष संस्था के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

105. राजस्थान में कृषि स्नातकों को उपयुक्त राजकीय सेवा उपलब्ध न होने व बेरोजगार रहने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला देवी (सागवाड़ा) :

106. डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के दूरदराज क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (पीपल्दा) :

107. एन. आर. ई. पी. के कार्य पंचायतों द्वारा नहीं करवाये जाने की स्थिति में कमेटी द्वारा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. बाड़मेर जिला रोजगार नियोजन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

109. उदयपुर जिले में एन. आर. ई. पी. कार्यक्रम हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. राज्य में आर. एल. ई. जी. पी. कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111 राज्य में एन. आर. ई. पी. योजना की क्रियान्विति में उत्पन्न बाधाओं पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) :

112. बेरोजगार मेडीकल स्नातकों तथा इन्जिनियरिंग स्नातकों को वजीफा राशि दी जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

113. आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत

(151)

(श्री मती सुमित्रा सिंह)

आवश्यक एवं वास्तविक जरूरत मंद व्यक्तियों के लाभान्वित न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री सम्पतसिंह (नगर):

114. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम भ्रष्टाचार की चपेट में हैं । इसे सामुहिक एवं विशेषज्ञ की देख-रेख में चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

115. देसूरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को एन. आर. ई. पी. तथा आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत रोजगार दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

116. देसूरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर जुटाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

117. एन. आर. ई. पी. तथा आर. एल. ई. जी. ई. जी. पी. के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का भुगतान समय पर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

118. ग्रामीण भूमिहीन को रोजगार न मिलने से पारिवारिक स्थिति खराब होने पर चर्चा के लिये ।

119 आर. एल. ई. जी. पी. में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

120. खानपुर तहसील में एन. आर. ई. पी. के तहत किये गये कार्यों में हुयी अनियमितताओं तथा व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

121. वर्षों से राज्य सेवा में लगे मस्टरोल के कर्मचारियों को स्थायी न करने पर चर्चा के लिये ।

123. प्रदेश में डाक्टर, इंजीनियर के बेरोगार रहने पर वजीफा योजना के अन्तर्गत लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

123. प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी के संदर्भ में रोजगार कार्यालयों की भूमिका पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती हमीदा बेगम (चुरू) :

124. एन. आर. ई. पी. की कार्यकारिणी के गठन न करने पर चर्चा के लिये ।

125. ग्रामीण युवकों के लिये चलाई जा रही स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना में की जा रही अनियमिताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) :

126. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में अनियमितताओं को समाप्त करने और इनमें सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

127. एन. आर. ई. पी. कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये।

128. ग्रामीण रोजगार (एन. आर. ई. पी.) में मजदूरों को महीनों तक रामपुरा अं ती. दांतली, खैरथल आदि गांवों की सड़कों पर कार्य का भुगतान नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

129. तहसील नोखा के ग्राम नाथूसर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत बनाये गये मिडिल स्कूल के भवन की लगभग 60,000/– की धनराशि बकाया होने पर गरीबों को भुगतान नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. नोखा तहसील की पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पटवार घरों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा काम कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत साधूना द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की बकाया धनराशि का भुगतान कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

132. नोखा तहसील में ग्राम पंचायत बुचोर अ गुणी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सालय भवन निर्माण, अध्यापक क्वाटर्स निर्माण कार्यों का बकाया भुगतान न कराने से उतपन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. नोखा तहसील में ग्राम पंचायत चखड़ा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य पंचायत भवन, अध्यापक क्वाटर्स स्कूल भवन में कमरे, एवं कुआ बधाई कार्य का बकाया भुगतान कराने में असफलता पर चर्चा के लिये।

134. नोखा तहसील में ग्राम पंचायत हिमतसर द्वारा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान न कराने पर चर्चा के लिये।

135. नोखा तहसील के ग्रामों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों को जरूरतमंद राशि देकर आज तक पूरा न कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

136. नोखा तहसील की ग्राम पंचायत बाधनू द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बनाये गये चिकित्सालय भवन की बकाया धनराशि का भुगतान कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

137. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत सिणगुरू द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कराये का बकाया भुगतान न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

138. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत भोर खाजा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत पर्सलसर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज-कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

140. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत बेरासर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

141. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत कुचौर आथूजी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

142. तहसील नोखा में ग्राम सावासर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार पंचायत कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान नहीं करने से जनता में व्याप्त भारी असंतोष व निराशा पर चर्चा के लिये।

143. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत मुकाम द्वारा कराये गये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तगत कराये गये निर्माण कार्यो का भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

144. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत रासीसर द्वारा कराये गये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान कराने में सरकार की असफता पर चर्चा के लिये।

145. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत देसलसर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

146. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत ढीगसरी द्वारा कराये गये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान न करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

147. तहसील नोखा में ग्राम, पंचायत भादला द्वारा कराये गये राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो का बकाया भुगतान करने पर चर्चा के लिये।

148. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा कराये गये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण

(154)

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

कार्यों का भुगतान न कराने जाने पर चर्चा के लिये।

149. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत उडसर द्वारा कराये गये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का बकाया भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

150. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत गम-सुखटेसर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का बकाया भुग-तान न करने पर चर्चा के लिये।

151. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत थाव-रिया में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का बकाया भुगतान कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

152. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत कूरसू द्वारा कराये गये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्त-र्गत निर्माण कार्यों का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का बकाया भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

154. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत सारू-ण्या द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल भवन के निर्माण कार्य का बकाया भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

155. तहसील नोखा में ग्राम पंचायत जस-रासर द्वारा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य का बकाया भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

156. नोखा तहसील में ग्राम पंचायत रायसर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 45,000 रुपयों की लागत से धर्मशाला बनाने संबंधी कार्य का भुगतान करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):

157. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम बरिया (मेगावास) में पशुओं को पीने के लिये पानी हेतु एक टंकी के निर्माण पर चर्चा के लिये।

158. श्रम एवं रोजगार नियोजन विभाग की पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र के ग्रामीण मजदूरों को कार्य दिलाने में घोर उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये।

159. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केरिया (मेगावास) में, ग्राम पंचायत रणोपर एवं ग्राम पंचायत सूतड़ी, पंचायत

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

समिति सांचौर में टंकी के निर्माण हेतु धनराशि मंजूर करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

160. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जा रही सहायतार्थ अनुदान राशि में से वरावा बड़ी ढाणी में एक पानी की टंकी के निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

161. पंचायत समिति सांचोर (जिला जालोर) में डी. पी. ए. पी. के तहत अनुदान के जरिये गांव (मेजावा) केरीया पंचायत, रणोदपुर एवं सूल्दी पंचायतों पर टंकी के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):

162. ग्रामीण क्षेत्रों में एन. आर. ई. पी. में दूसरे गांवों व पंचायतों के लोगों को रोजगार पर लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली):

163. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों को राशि आवंटन प्रक्रिया पर चर्चा के लिये।

164. एन. आर. ई. पी. /आर. एल. ई. जी. पी. कार्यक्रमों में सामग्री एवं मजदूरी के अनुपात पर चर्चा के लिये।

165. नियोजन विभाग द्वारा बाली उपखण्ड मुख्यालय पर नियोजन पंजीयन की सुविधा बंद करने पर चर्चा के लिये।

166. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों में तकनिकी मार्ग दर्शन एवं भुगतान दर पर चर्चा के लिये।

1. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)**
2. **श्री प्रभुदयाल मीना (सीकराय)**
3. **श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)**
4. **श्री जयनारायण बैरवा (फागी)**
5. **श्री मूंदरमल वर्मा (दौसा):**

167. जयपुर शहर में होटलों, ढाबों पर कार्यरत लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने के उपरान्त भी विभाग द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

168. जयपुर जिले की तहसील लालसोट, बस्सी एवं चाकसू के ऐसे कृषक जिनकी खातेदारी भूमि खेती योग्य नहीं रही उन्हें भी भूमिहीनों की श्रेणी में मानकर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. ग्रामीण क्षेत्र के खेतीहर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देकर उनके किये जा रहे शोषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

170. जयपुर जिले को विराट नगरपालिका

(श्री मूदरमल वर्मा)

द्वारा रोजगार नियोजन कार्यालय से बिना नाम मंगाये विज्ञापन प्रकाशित कर नाकेदार के पदों पर अस्थायी नियुक्ति कर लिये जाने पर भी नियोजन कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये।

171. पशुपालन विभाग द्वारा रोजगार कार्यालय से बिना नाम मंगाये मन चाहे तरीके से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किये जाने पर रोजगार नियोजन कार्यालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

172. एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत हिगोंनिया बलकासा, चरड़ाना आदि ग्राम पंचायतों के भवन अतिशीघ्र बनवाने जाने पर चर्चा के लिये।

173. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से हर पंचायत को एक लाख रुपये के निर्माण कार्य करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

174. भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सूनगर पंचायत के जगन्नाथा, खेड़ली नामोठा आदि गांवों के खाल पड़े रास्तों का कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. एन. आर. ई. पी. के तहत मायजा पंचायत के कानेड़ा गांव में विद्यालय भवन हेतु स्वीकृत होने पर भी शीघ्र नहीं बनवाये जाने पर चर्चा के लिये।

176. एन. आर. ई. पी. के तहत झापायता, लबान स्टेशन आदि स्थित कुओं को अतिशीघ्र पूरा कर जन समस्या से समस्या से समाधान पर चर्चा के लिये।

177. पंचायत समिति क्षेत्र के अधूरे कार्यो को एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत पूरा करवाने एवं जन समस्याओं के समाधान पर चर्चा के लिये।

178. एन. आर. ई. पी के तहत ग्राम पंचायत गेन्डोली झालीजी का बराना आदि में किये गये कार्यो के भुगतान समय पर न करने पर चर्चा के लिये।

179. आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत पंचायत समिति केशवराय पाटन की छरकवाड़ा–कालेड़ा, कापरेन–रोटेटा कीपापड़ी, बालोद, हांडियाखेड़ा आदि गांवों के ग्राम रास्ते ठीक करवाया जाने पर चर्चा के लिये।

180. एन. आर. ई. पी. के तहत ग्राम बलोद में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

181. स्वरोजगार नियोजन के माध्यम से केशवराय पाटन पंचायत समिति के समस्त चयनित परिवारों को समय पर ऋण दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

182. एन. ग्रार. ई. पी. के ग्रन्तर्गत ग्राम चन्दाकलां में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण करवाये जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. एन. ग्रार ई. पी. के तहत ग्राम छत्रपुरा (इन्द्रगढ़) में प्राथमिक विद्यालय के ग्रपूर्ण भवन को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

184. ग्रार. एल. ई. जी. पी. के तहत जैथल गांव में रास्ता बनवाया जाने पर चर्चा के लिये।

185. एन. ग्रार. ई. पी. के तहत चौतरों का खेड़ा, भावजा, ग्रालोदा, सारसला एवं हिंगोनिया में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

186. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम पर हो रही धांधली एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

187. ग्रामीण भूमिहीनों के लिये रोजगार जुटाने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

188. भूमिहीनों को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार दिलाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

189. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत बेरोजगार लोगों को कार्य उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर)

190. एन. ग्रार. पी. में श्रम पर कम प्रतिशत खर्च का रेशो होने से कार्य पूर्ण नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

191. ग्रार. एल. ई. जी. पी. के कार्य पंचायत समिति व जिला परिषद् के प्रस्तावों पर ही स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

192. ग्राम ग्ररनिया पंचायत समिति श्री माधोपुर में गोचर भूमि में विकास के लिये स्वीकृति एन. ग्रार. ई. पी. में हो जाने के बाद भी दो साल तक कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

193. ग्रार. एल. ई. जी. पी. के कार्यक्रम सीधे राज्य सरकार से स्वीकृत करने से जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

194. एन. ग्रार. ई. पी. में श्रमिकों तथा कुशल श्रमिकों को कम मजदूरी देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही)

195. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में स्वीकृत कराकर शुरू करवाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

एवं ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को शुरू नहीं करवाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

197. सिरोही जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को नियमों के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम मद में से कम अनुपात में में पैसा खर्च करने की चर्चा के लिये।

198. सिरोही जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. पंचायत समिति शिवगंज के ओड़ा बांध की नहरे स्वीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत धन अभाव से पूरा न करने पर चर्चा के लिये।

200. सिरोही जिले में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के कार्य एवं भू-संरक्षण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. पंचायत समिति शिवगंज में स्वीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत स्कूल, पंचायत भवन, एनीकट आदि कामों को आर्थिक संकट के कारण पूर्ण न करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

202. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति शिवगंज से बड़गांव, पालड़ी से अन्दोर, चुली से घ्रुसबाणा सड़कों का कार्य बन्द रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. पंचायत समिति सिरोही के कम्बेरी बांध अणगोर एवं फासरिया बांध व अन्य बांध के कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत धन अभाव से बन्द होने पर चर्चा के लिये।

204. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत सिरोही पंचायत समिति की जावाल से कैलाश नगर, डोडुआ से कालन्डी की बनाई जा रही सड़कों का कार्य बन्द होने पर चर्चा के लिये।

205. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत एनीकट तथा सड़कों के कार्य को स्वीकृत कर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरमाराम (पिंडवाड़ा) :

206. पंचायत समिति पिंडवाड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में स्वीकृत यथा स्कूल, पंचायत भवन तथा एनीकट आदि कार्य धन अभाव में पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा) :

207. सिद्धा सिन्थेटिक केसरिया जी उदयपुर के बन्द होने से बेरोजगार हुए श्रमिकों के रोजगार के संबंध में

(श्री मेरूलाल मीणा)

चर्चा के लिये।

208. श्रमिक प्रतिनिधियों को उद्योगों में सरकार की नीति अनुसार हर स्तर पर भागीरथ न बनाये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

209. राम नगर केन एण्ड शुगर लिमिटेड, झोटवाड़ा, जयपुर के श्रमिकों को अकारण हटाये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

210. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के ढ़णकावाड़ा, लिम्बोदा, खरबर, परसाद, काना, केजड़ घोड़ासर की सड़कों पर चल रहे कार्य बन्द कर दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

211. तीरूपति फैबरिक्स सेन्थेटिक्स आबूरोड़ के श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार से से श्रमिकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :

212. राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत गांवों में निर्माण कार्य नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

213. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत सामग्री व ढुलाई सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी. एस. आर. दर से नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

214. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बीकानेर में अधूरे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा नहीं कराने में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

215. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बीकानेर में बकाया राशि का लम्बे समय से भुगतान नहीं करने के संबंध चर्चा के लिये।

216. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत कार्यों की सहायक अभियन्ता को सी. सी. पर पूरा भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

217. सामग्री एवं मजदूरी की पुरानी दर संशोधित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

218. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बीकानेर में जल हौज प्राथमिकता से बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बीकानेर में अकाल राहत मंजूर शुदा सड़कों को पर कार्य नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

220. भूमिहीनों को पूरा रोजगार उपलब्ध नहीं कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

221. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी

(60)

(श्री देवीसिंह भाटी)

कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में वर्षा का पानी बाहर निकालने के लिए नालों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कल्याण सिंह कालवी (डेगाना)

222. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवो में भूमिहीनों को रोजगार उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

223. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

224. जमवा रामगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को प्रभावशाली तरीके से लागू न किये जाने से विभाग को दी जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

225. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये।

226. स्व रोजगार प्रकोष्ठ अलवर व भरतपुर में लक्ष्यों की उपलब्धि के अभाव पर चर्चा के लिये।

227. जिला रोजगार कार्यालयों में उप निदेशकों द्वारा व अपेक्षित मार्ग दर्शन व निरीक्षण में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

228. रोजगार (विकलांग) जयपुर में पढ़े कार्यालय लिखे विकलांगों का ही पंजीयन करने तथा बिना पढ़े लिखे अपंगों का पंजीयन न करने से विकलांग जगत में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

229. बेरोजगारी के आंकड़े संग्रहित करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

230. बेरोजगार आशार्थियों के पंजीयन के बाद उनके नाम विभागों में भेजे जाने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

231. श्रम और रोजगार नीति की व्यवरिक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. श्रमिकों को श्रम के अनुपात में दिये जा रहे कम वेतन से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

233. आई. टी. आई. में प्रशिक्षण पर रहे छात्रों को पर्याप्त सामग्री उपलब्ध न कराये जाने में विभाग को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

234. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की उचित व शीघ्र क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. तकनीकी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को जिलानुसार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

161

(बिहारीलाल पारीक माण्डल)

236. उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना में सक्षम व्यक्तियों को मौका न देकर भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

237. दस्तकारों एवं पर्यवेक्षकों को उचित प्रशिक्षण देने बाबत चर्चा के लिये।

238. श्रम एवं रोजगार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

239. बेरोजगार इन्जीनियरिंग स्नातकों व डिप्लोमा होल्डर्स को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव पर चर्चा के लिये।

240. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में नियोजन कार्यालयों द्वारा प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. सामान्य श्रमिक कल्याण योजना को उचित क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) :

242. झुन्झुनु जिले में विकलांगों को रोजगार सुलभ कराने में नियोजन कार्यालयों की भूमिका के संबंध में चर्चा के लिये।

243. झुन्झुनु जिले में शिल्प प्रशिक्षण योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

244. श्रम विभाग में उदयपुर जिले के पत्र प्रतिनिधियों के लम्बित मामलों को शीघ्र निपटने जाने पर चर्चा के लिये।

245. बेरोजगार मेडिकल स्नातकों को को वजिफा देने में भेदभाव पर चर्चा के लिये।

246. श्रम विभाग में लम्बित मामलों का समय पर निपटारा न किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

247. जयपुर स्थित रोजगार नियोजन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

248. आशुलिपिक एवं टंकण प्रशिक्षण केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

249. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की उचित क्रियान्विति करने के विषय पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 23 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के हिसाब से आज चूंकि मांग संख्या 23 भी है, इसके अलावा और भी बहुत सी मांगें है जिन पर मतदान होना है। कार्यक्रम के हिसाब से साढ़े चार बजे मुख बन्द का है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पर मैं एक निवेदन करता हूं कि 5–5, 7–7 मिनिट बोल लें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत कम बोलें, तथ्य की बात कह दें, उनको रिपीट न करें। आज मैं शुरू करता हूं शायद बहुत कम बोलेंगे। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो 27 करोड़ 90 लाख रुपये श्रम और रोजगार के तहत प्राप्त करने के लिये राज्यपाल महोदय को कहा है मैं इसका घोर विरोध करता हू और इसलिये विरोध करता हूं कि यह विभाग राज्य में श्रम के आधार पर भी रोजगार उपलब्ध नहीं करा सका है। उपाध्यक्ष महोदय, दुख का विषय है कि 4 लाख 63 हजार से अधिक व्यक्ति राजस्थान की इस धरती पर रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, यह मार्च तक का है और मार्च के बाद अभी रिपोर्ट आने के बाद करीब 5 लाख से अधिक व्यक्ति आज राजस्थान की धरती पर बेरोजगारी की स्थिति में खड़े हुए हैं। यह तो रजिस्टर्ड संख्या है लेकिन उन बेरोजगारों का क्या होगा जो अन-रजिस्टर्ड हैं, होटल में काम करने वाले नन्हें नन्हें बच्चे हैं जो किसी तरह अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो पुष्पवित थे, पल्लवित थे, उनकी तो दुर्दशा आज हम देख ही रहे हैं जिसका कि विवेचन इसी सप्ताह में माया ने किया है कि राजस्थान में होटल में काम करने वालों की संख्या अन्य प्रान्तों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। श्रम विभाग इन होटल में काम वाले बच्चों के लिये जो एक बन्धुआ मजदूरों की स्थिति में है, जो केवल मात्र रोटी प्राप्त करके अपना नन्हा जीवन, जो खेल कूद में गंवाना चाहिये था, उसको बरबाद कर रहे हैं। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय उस गरीब बच्चे के लिये किसी प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं जुटा पाया है अब जहां एक ओर इन नन्हें मुन्नों की बात है वहीं दूसरी ओर मैं पूछना चाहता हूं कि अभी इसी सप्ताह में केन्द्रीय श्रम मन्त्री जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को पत्रकारों के आगे टाल दिया था। इस राजस्थान की धरती पर मुनीम गुमाश्ता के नाम पर जो दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनकी दुर्दशा तो एकदम बद् से बदतर है। सुबह 8-9 बजे के बावजूद श्रम नियमों के तहत उसकी दूकान खुलती है तब से लेकर रात्रि के 8–00 बजे तक और उसके बाद घर पर वह मुनीम-गुमाश्ता काम करता है। यह राजस्थान का श्रम मंत्रालय बार बार आग्रह करने के बावजूद भी बार बार सब प्रकार के सतत् प्रयास करने के बावजूद भी उस मुनीम-गुमाश्ता नाम के व्यक्ति को किसी प्रकार लगातार 52 से लेकर आज तक मुनीम गुमाश्ता को राहत की सांस नहीं दिला पाया।

(3.48 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति पदासीन)

इन सारे लोगों की व्यवस्था करने के लिये एक शाप इन्सपेक्टर के नाम पर इन्सपेक्टर का पद राजस्थान में घोषित किया हुआ है लेकिन यह राजस्थान का हर नागरिक जानता है कि यह शाप इन्सपेक्टर क्या है, शाप इन्सपेक्टर की क्या स्थिति है। सारे राजस्थान भर में सबसे बड़ा अगर कोई घपला है और बेइमानी का कोई पद है तो मेरी मान्यता है कि यह शाप इन्सपेक्टर ही है। जिसके लिये माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं महसूस करते हैं कि हर दुकान मालिक से इसकी तनख्वाह बंधी हुई है– खोलो, रविवार को खोलो, सोमवार को खोलो, बुधवार को खोलो, जब मर्जी आये खोलो, मेरा माहवारी वेतन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

फिक्स हो जाय और उसके आधार पर……

श्री सभापति : मैं तो महसूस नहीं करता हूं क्योंकि मैं दुकानदार नहीं हूं, वकील हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन आप जानते जरूर हैं। आप वकील हैं आप जानते हैं पत्रकार के नाते आपको अच्छी तरह से याद है। आप जानते हैं कि राजस्थान में शाप इन्सपेक्टर की जितनी कमाई है शायद एक आई. ए. एस. की कमाई नहीं होगी, जितनी शाप इन्सपेक्टर की कमाई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक श्रमिक और है–खान श्रमिक जो मेरे कोटा जिले में और आपके क्षेत्र में भी बहुत बड़ी तादाद है। इस खान श्रमिक की तरफ किसका ध्यान है. कोई देखता है क्या? डिपार्टमैन्ट तो है. विभाग तो है लेकिन खान श्रमिक की राहत की पूछताछ करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। मुझे याद है रामगंज मण्डी क्षेत्र में जो खानें चलती हैं, इन खानों के अन्दर जो श्रमिक का शोषण होता है रात दिन वहां पर कार्य करते हैं उनके लिए चिकित्सा मुहैया नहीं, उनको कोई सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं उनके लिए कोई सब प्रकार एक्ट लागू होने के बावजूद उनको कोई राहत की सांस नहीं मिल पाती। आज राजस्थान में जहां जिस प्रकार की व्यवस्था है वहीं राजस्थान में ठेकेदारी प्रथा श्रमिकों को अलग ही और चोज है। जे. के. और डी. सी. एम. जैसे बड़े उद्योग समूह के अन्दर भी आज ठेकेदारी प्रथा कायम है और उस ठेकेदारी प्रथा के आधार पर श्रमिकों का भयंकर रूप से शोषण हो रहा है और उससे किसी प्रकार की राहत दिलाने में और व्यवस्था करने में यह सरकार असमर्थ है। मेरा एक निवेदन और है कि मैं आज इस मांग के माध्यम से मांग करना चाहता हूं। एक श्रमिक और है जो राजस्थान का श्रमिक विदेशों में जाकर विदेशी पूंजी को यहां भारत में उपस्थित करता है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान का यह श्रमिक जो सीकर और झुंझुनूं के क्षेत्र से बहुत बड़ी तादाद में जाता है और उस श्रमिक के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है वह आये दिन हमको समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है। मेरी आपसे इस मांग के माध्यम से निवेदन है कि एक निगम जिस प्रकार हमने वन विकास निगम बनाया है उसी प्रकार से एक निगम हमको बनाना चाहिए श्रमिक निर्यात निगम, यह श्रमिक निर्यात निगम हमारे इन विदेशों में काम करने वाले व्यक्तियों का और सारा उनके साथ होने वाले अन्याय अत्याचार का उनके साथ जो धोखा धड़ी होती है उसकी सारी व्यवस्था देखें और हमारे राजस्थान का श्रमिक जो विदेशों में विदेशी पूंजी को इकट्ठा करके राजस्थान के लिए बहुत बड़ी तादाद में भेजता है उनकी समुचित व्यवस्था भी यहां पर की जानी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि जहां राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं, भिन्न प्रकार के लोग वहीं और राजस्थान में अभी मांग की जा रही थी कृषि स्नातकों के लिए यह एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय हो गया है कि बेरोजगारी जहां बेपढ़े लिखे लोगों में, ग्रामीण लोगों में फैल रही है. वहा

(164)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पढ़े लिखे लोगों में भी इसका प्रतिशत तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्नातक स्तर के लोग आज राजस्थान में बेकारी से ग्रस्त हैं तो यह कृषि स्नातक जिनकी बहुत तादाद कोटा में और सी. ए. डी. के माध्यम से और उनको खपाया जाता था दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सी. ए. डी. जैसी महत्वपूर्ण योजना जिसके अन्दर प्रतिवर्ष सौ के लगभग कृषि स्नातक और रोजगार प्राप्त करते थे। आज उस योजना को खत्म कर देने के कारण राजस्थान का कृषि स्नातक राजस्थान में बेकारी की स्थिति में खड़ा हुआ है। इस कृषि स्नातक को और साथ ही यह और भी बड़ा दुर्भाग्य है कि आज से 5 साल पहले तक किसी भी विषय में इन्जीनियर निकलता था आज से 5-7 साल पहले तक तो स्थिति यह थीं राजस्थान में कि पोली-टैक्नीक से निकलने वाला स्नातक तुरन्त नौकरी के लिए उसको आहूत कर लिया जाता था पोलीटैक्नीकल कालेज में ही, लेकिन आज इन पिछले 3 सालों में इंजी-नियर बेकार हैं। राजस्थान में 750 के लगभग इंजीयिर बेकारी की स्थिति में खड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में इन्जीनियर्स को राजस्थान के कृषि स्नातक को यह सरकार अगर 27 करोड़ रुपये की जो मांग रखी है उसमें अगर इन दोनों प्रकार के स्नातकों को कोई वजीफे की व्यवस्था करे तो कुछ राहत इस कृषि स्नातकों और इंजीनियरों को निश्चित रूप से मिल सकती है जिनके माता पिताओं ने डेढ लाख रुपये से दो लाख रुपये तक 5-6 साल तक अपने गाढ़े पसीने की कमाई को बर्बाद करके अपने इन बच्चों के लिए व्यय किया था जो आज नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। मेरा निवेदन है कि अभी पिछले सत्र में राज-स्थान में, भारत में 29 मार्च को लोकसभा के अन्दर एक गैर सरकारी प्रस्ताव उपस्थित हुआ था। मैं भी आज निवेदन करना चाहता हूं, जो गैर सरकारी बिल आ रहा है उसके अन्दर हमने इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत किया है कि हम उस संकल्प के माध्यम से हमारी विधान सभा 200 सदस्यों का ध्यान आकर्षित करवायें कि राजस्थान में भी इस गैर सरकारी संकल्प के आधार पर राजस्थान सरकार एक बिल लाये और उस बिल के आधार पर राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता देने की बात का सकल्प लेकर के हम यहां से जायें तो मैं समझता हूं कि यह सत्र, यह बजट सत्र उन बेरोज-गारों के लिए जो 5 लाख से अधिक की तादाद में पढ़े लिखे बेरोजगारों की सख्या में खड़े हो गये हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कार्य, वास्तव में उसके माध्यम से हम महसुस करेंगे कि हमारा यह बजट सत्र वास्तव में किसी प्रकार से कारगर सत्र के रूप में उपस्थित हुआ है वरना तो बेरोजगारों की फौज जिस देश के अन्दर भूख इन्सान को हैवान बना देती है। मेरा निवेदन है कि भूखा बेरोजगार राजस्थान के अन्दर क्या कहर ढा देगा यह एक बहुत अहम् प्रश्न है। एक विचार राजस्थान की धरती पर कई दिनों से सर्वोदयी लोगों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि एक परिवार एक नौकरी। आज अनेक परिवार, मुझे याद है कि कोटा में है राजस्थान में एक आई. पी. एस. परिवार है उस परिवार के आई.

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ए. एस. और आई. पी. एस. परिवार का एक परिवार एक परिवार के 6 लोग आई. पी. एस. आई. ए. एस. नौकरियों के अन्दर संलग्न हैं। मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर रोक लगायी जाय और राजस्थान का एक परिवार के एक आदमी को नौकरी देने की गारण्टी दी जाय तो वास्तव में हम उन बेरोजगारों की संख्या में निश्चित रूप से कोई न कोई और व्यवस्था कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि जहां एक ओर इस प्रकार की बेरोजगारों की उपस्थिति है वहीं यह कल कारखाने जहां 5 प्रतिशत बड़े कैपिटलिस्ट पूंजीपति केवल अपनी जेब से 5 प्रतिशत पैसा लगाकर बड़े भारी कल कारखाने खड़े कर लेते हैं। उस 5 प्रतिशत पूंजी पर श्रमिक के श्रम को और शोषण करते हैं। उस श्रमिक के श्रम को शोषण के लिए भी हमको महत्वपूर्ण कोई न कोई भूमिका निभानी चाहिए और उसके लिए हम मांग करते हैं कि श्रमिक को निश्चित रूप से भागीदारी हर स्तर पर उस कल कारखाने में जहां उसका पैसा लगा होगा केवल 5 प्रतिशत पूंजी, सारी 95 प्रतिशत पूंजी राज्य की होती है, किसी न किसी प्रकार के कर्जे के आधार पर वह कर्ज लेकर उस मिल को खड़ा करता है। श्रम और पूंजी की महत्ता बराबर हो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, माननीय सभापति जी, कि श्रम के अन्दर उपस्थित हो और इसका श्री गणेश किया, सार्वजनिक उद्योग के आधार पर राजस्थान के यह तो किसी मूल्य पर अपने निजी उद्योग वाले व्यक्ति किसी भी मूल्य पर श्रमिक को उसका अधिकार देने को तैयार नहीं हुआ लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि राजस्थान के क्षेत्र में जो रीको के माध्यम से, राजस्थान सरकार के माध्यम से, केन्द्र सरकार के माध्यम से इन्सट्रमैण्टेशन आदि जो कल कारखाने चल रहे हैं, उसमें उस गरीब श्रमिक को उसकी भागीदारी दी जाय। और उस आधार पर मेरा आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से उन गरीब कर्मचारियों को निश्चित राहत मिल सकेगी। मेरा एक और निवेदन है कि हमारे तत्कालीन श्री देवपुरा जी ने बड़े जोश के साथ 27 अगस्त को जब वह श्रम मन्त्री थे, बड़े जोर से इस बात की घोषणा की थी जो आज सौभाग्य से हमारे अध्यक्ष भी हैं उनसे निवेदन है, उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने श्रमिक हितों के लिए जो बात की थी आज सरकार से लड़कर वह उन श्रमिकों को किसी ना किसी प्रकार की राहत और प्रदान करें। मुझे दुख है कि जहां एकांगी विचार इस सरकार ने किया है पढ़े लिखों के लिए स्वरोजगार योजना की बात कही है, कितना घपला है, कितनी बेईमानी है, कितना भ्रष्टाचार है। स्वरोजगार के माध्यम से यह योजना तो केवल ऐसा लगता था कि चुनावी योजना थी। चुनाव के समय में लोगों को 25–25 हजार रुपये दे दो। मेरे कोटा में ऐसे अनेक उदाहरण हैं 25–25 उसका फ्रिज खरीद लिया, उसका रैफ्रीजरेटर खरीद लिया, उसकी जीप खरीद ली और उस आधार पर उसने अपनी सारी दूकानदारी की। लोगों ने उस सस्ती दर पर जो ब्याज, जो सस्ती दर पर रकम मिली थी उस ब्याज को फिक्स डिपाजिट में डाल दिया उस रकम को ब्याज के आधार पर दो रुपये सैकड़े में, तीन रुपये सैकड़े में और 4 रुपये सैकड़े में पूंजी को

(श्री दाऊदयाल जोशी)

फेंक दिया स्वरोजगार योजना के माध्यम से राजस्थान के बेकारों को, गरीबों, जवानों को किसी भी प्रकार से काम नहीं मिल पाया।

(4.00 म. प.)

मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, यह दोनों कार्यक्रम राजस्थान में हर तरह से असफल रहे हैं। निश्चित रूप से हमने जनता राज्य में जो योजना प्रारम्भ की थी काम के बदले अनाज की योजना, उससे निश्चित रूप से लोगों को पहली बार लगा था कि वास्तव में हमें कार्य मिला है। लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से उसमें लोगों को समय पर भुगतान नहीं होता, उनके हजारों उदाहरण हैं। हर जगह पिछले सत्र में इस योजना के तहत जो लोगों को तीन-तीन साल से लोगों को पैसा नहीं मिला है। आज के जितने कटौती प्रस्ताव आए हैं इन कटौती प्रस्तावों के अन्दर भी अनेक जगहों पर कांग्रेस के सदस्यों ने भी मांग की है कि मेरे क्षेत्र में राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत तीन-तीन साल से पेमेंट नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी विस्तृत योजना बनाई जानी चाहिए जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैय्या हो जिसके माध्यम से लोगों को काम मिले, जिसके माध्यम से राजस्थान की गरीबी मिटे। जिसके माध्यम से राजस्थान की बेरोजगारी समाप्त हो। मैं समझता हूं कि बेरोजगारी समाप्त करने में यह विभाग किसी भी मुद्दे पर सफल नहीं रहा है। और इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने हमसे जो 27 करोड़ रुपयों की मांग की है उसको रद्द किया जाय। श्रम और रोजगार विभाग किसी प्रकार से राजस्थान में बेरोजगारी समाप्त करने में और श्रमिकों को राहत देने में सफल नहीं रहा है।

श्री सभापति : श्री भैरूलाल मीणा।

(व्यवधान)

आपस में बातचीत नहीं' माननीय सदस्य......आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री भैरूलाल मीणा (सराडा) : माननीय सभापति महोदय, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं उस पर में चर्चा करूंगा......

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य, कृपया बोलें।

श्री भैरूलाल मीणा : राज्य सरकार ने जो कुछ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अलग-अलग तरीके से संस्थायें खोल रखी है, उस पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी एन. आर. ई.पी. के तहत, जैसा काफी सदस्यों ने पहले भी इसके विचार रखे कि उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला, यह मुझ को भी कहना है कि उनका बकाया पेमेंट है उसको दे दिया जाना चाहिए। एक तरफ सरकार यह तय करती है कि कहीं भी मजदूर हमारा बेकार नहीं रहे और उसको बराबर रोजगार मिलता रहे, सरकार की तरफ से इसकी पैरवी करके उनको रोजगार दिया जावे। दूसरी तरफ

(श्री भैरूलाल मीणा)

जो कुछ उद्योग लगे हुए हैं वह दिन ब दिन बन्द होते जा रहे हैं और उनके ऊपर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। श्रम विभाग का कोई ध्यान नहीं है। तो जो मजदूर लगे हुए हैं वही बेकार हो रहे हैं तो नए लोगों को रोजगार देने की तो कहां से व्यवस्था हो सकेगी।

मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में सिद्धा सिन्थेटिक केसरियाजी की जो मिल है वह बन्द पड़ी है और वह मैंने जहां तक जानकारी की है उस मालिक के पास पैसा है ही नहीं और बैंक भी बहुत काफी पैसा मांगती है जो सरकार का पैसा है। मैं चाहूंगा कि उस सिद्धा सिन्थेटिक को सरकार अपने हाथ में लेकर जो बेरोजगार हो रह हैं मजदूरों को मजदूरी दिलाने की व्यवस्था की जावे जिससे कि मजदूरों में अशान्ति न फैले।

दूसरी सरकार की नीति है, भारत सरकार की तरफ से भी यह निर्देश है और राज्य सरकार का भी निर्देश है कि जो भी उद्योग चलें उन उद्योगों के अन्दर श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। वह भागीदारी क्यों चाहिए, सरकार भी चाहती है और उद्योगपति भी चाहता है, प्रबन्धक भी चाहता है, मजदूर भी चाहता है कि कोई भी समस्या हो वह समस्या दोनों पार्टीज बैठ कर शांति से उसका समाधान किया जावे। बुला करके एक भागीदारी की योजना बनाई किन्तु राज्य सरकार ने अभी तक श्रम विभाग की तरफ से यह ठीक है कि हम जहां जहां हमारा संगठन मजबूत है वहां पर तो हम जरूर भागीदारी के हिसाब से उसका फैसला करा लेते हैं, जो भी समस्या होती है उसका समाधान करा लेते हैं किन्तु बहुत सी जगह ऐसे श्रमिक हैं जहां पर उनको संगठित कोई कर नहीं सकता है और संगठित हो भी जाते हैं, कुछ झगड़े भी हैं, आपसी झगड़ों के कारण सरकार यह कह देती है कि आपके आपसी झगड़े हैं इसलिए हम कुछ पहल कर नहीं सकते और श्रम विभाग उसकी इस तरह की रिपोर्ट दे देता है और इस तरह की रिपोर्ट के आधार पर श्रमिकों में एक ऐसी बुनियाद गिर जाती है कि जिससे वह श्रमिक एक हो ही नहीं सकते हैं। फैसला होता नहीं है और आपस में मतभेद होते जिससे मजदूरों में अशान्ति फैलती रहती है।

अभी एक उद्योग है जो रामनगर कैन एण्ड शुगर लिमिटेड, झोटवाड़ा में स्थिति है। उसके श्रमिकों में ऐसा झगड़ा डाल दिया प्रबन्धकों की तरफ से भी और कुछ श्रमिकों ने भी अशान्ति पैदा कर दी कि वहां कुछ मजदूर बाहर बैठे हुए हैं। उनको कोई रोजी नहीं है और उसके प्रबन्धक बाहर से मजदूर लाकर के उस कारखाने को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो बाहर बैठे हुए मजदूर हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो श्रम विभाग इस तरफ ध्यान नहीं देता है। मैं चाहूंगा कि ऐसे विवादास्पद जो उद्योग हैं उनमें श्रम विभाग बीच में पड़ करके फैसला कराए जिससे कि श्रमिकों में अशान्ति नहीं फैले।

इसी प्रकार सिरोही में एक कारखाना है जिसमें वहां भी यह झगड़ा है और वहां पुलिस के मार्फत से मजदूरों को भड़काया जाता है जो मजदूर अपने काम को लेकर अपनी समस्या को लेकर सामने खड़ा होता है उनको पुलिस पकड़ कर ले जाकर

(श्री भेरूंलाल मीणा)

के जबरदस्ती उनके साथ मारपीट करती है, बन्द कर देती है, जबरदस्ती अन्दर जाने के लिए मजबूर करते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे मसलों को श्रम विभाग को बीच में पड़ करके ऐसा समझौता कराये जिससे कि मजदूरों में अशान्ति नहीं फैले और उनको बराबर रोजी मिलती रहे। मैं यह चाहूंगा कि उद्योग शहरों के आसपास खुल जाते हैं, वहां पर सुविधा होती है पानी की, जहां आवागमन की सुविधा होती है, वहां पर उद्योग खुल जाते हैं। किन्तु जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, पानी सुविधा नहीं है वहां उद्योगपति या सरकार भी यह नीति नहीं रखती कि वहां आने जाने की सुविधा नहीं है इसलिए वहां कोई उद्योग नहीं खोला जावे। ऐसे क्षेत्र ग्रामीण होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई उद्योग नहीं खोले जावें तो हम जो चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे राज्य में जो भी बेकार लोग हैं उनको रोजी मिल जाय तो ग्रामीण इलाकों में कैसे रोजी मिलेगी। उनको तभी रोजी मिल सकती है जबकि या तो छोटे मोटे उद्योग खोले जायं। वह लोग शहरों के अन्दर तो आ ही नहीं सकते और शहरों में आयेंगे तो उनको कौन रोजी देगा। शहरों में काफी लोग बैठे हुए हैं। ऐसी हालत में मैं चाहूंगा कि ग्रामीण इलाकों में छोटे मोटे उद्योग खोले जावें। वहां आवागमन की सुविधा नहीं है पानी की सुविधा नहीं है तो सरकार व्यवस्था करें। छोटे मोटे बांधबनवा कर या सड़कें निकालकर जिससे कि उद्योग लग सकें या सरकार की तरफ से भी जो समितियां बना कर ऐसी सोसायटियां बना कर उद्योग खोले जावें जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ज्यादातर ग्रामीण के लोगों से ही सरकार बनती है। ग्रामीण के लोग जिधर घूमते हैं उधर सरकार बनती है। तो मैं हमारी सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि हम जितने भी आए हैं ग्रामीण इलाकों से आए हैं। शहरों में हम कितना भी काम करवा दें, शहरों में कितना भी रोजगार दिलवा दें, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन तुलनात्मक में देख रहा उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि शहर के लोग बोलने में भी होशियार होते हैं। किसी काम को लेने में भी होशियार होते हैं, कानून कायदा भी जानते हैं और नियोजन से जहां मांग होती है वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रामीण के लोगों को पता ही नहीं होता कि कहां रोजगार मिलेगा, कहां अपाइन्टमेंट मिल सकता है। उनको तो मालूम ही नहीं रहता है। तो मैं चाहूंगा कि ग्रामीणों की ओर ध्यान दिया जावे जिससे हम जिस आधार पर जीत कर आए हैं हम उनको वायदा करके आए हैं कि हम तुमको रोजगार दिलायेंगे, तुम को बेकार नहीं रहने देंगे, उनको भूखा नहीं मरने देंगे, तो उनकी आशायें हम कम से कम पूरी कर सकें। तो मैं इस मौके पर चाहूंगा कि ग्रामीण इलाकों में छोटे-मोटे उद्योग खोले जावें।

इसके साथ ही मैं श्रम विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी ऐसे छोटे मजदूर होते हैं वह श्रम विभाग में जा नहीं सकते। उनके पास पैसा नहीं होता है। तो वह श्रम विभाग में जाकर अपना फैसला करा नहीं पाते। बहुत से मजदूरों की ऐसी हालत है कि उन्हें समय पर तनख्वाह नहीं मिलने से या उद्योगपति

(श्री भैरूंलाल मीणा)

उनको नौकरी से हटा दे तो वह कोर्ट में नहीं जा सकता और अपना फैसला नहीं करा सकता। इससे वह अपने आपको अशान्त रह कर घर में बैठ जाता है और उनकी जो जायज मांग होती है वह ले नहीं पाता है। अपनी रोजी रोटी का जो कुछ पैसा मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। मैं इस मौके पर सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि किसान और मजदूर भाई-भाई है, किसान और मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हर वक्त किसानों की चर्चा होती है, दूसरे दुकानदारों की चर्चा होती है, उद्योगपतियों की चर्चा होती है लेकिन श्रमिकों के लिये कभी भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई यह नहीं आया कि श्रमिकों के लिये सरकार क्या करना चाहती है। श्रमिकों को क्यों नहीं प्राथमिकता के आधार पर रोजी दी जाय और उनकी जो समस्याएं हैं उनके जो छोटे मोटे मसले हैं उनको हल किया जाये ? मैं चाहूंगा, जो शांतिप्रिय मजदूर होते हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है, जो हुल्लड़ गुल्लड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं उनकी तरफ सरकार का......

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक एवं आज की अनुदान की मांग तथा शेष सब बची हुई मांगों के पारित होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन का समय आज की जितनी मांगें हैं। उन सब के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

कृपया बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जानकारी चाहती हूं, मुख बन्द का प्रयोग कब होगा ?

श्री सभापति : गुलोटिन का समय साढ़े छः बजे होगा। 6:30 प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया नोट करलें 6:30। कृपया बोलें।

श्री भैरूंलाल मीणा : सभापति महोदय, मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं जहां तक.......

श्री दाऊदयाल जोशी : आप बिना अनुमति के नहीं बढ़ा सकते है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बिना अनुमति के मत बढ़ायें टाइम, सदन से पूछ कर बढ़ायें।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से बोल रहा हूं मैं। सदन की अनुमति से गुलोटिन का समय साढ़े छः बजे निर्धारित किया गया और सदन की आज्ञा से ही आज की मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अनुमति ली साहब आपने ?

श्री सभापति : आपकी आज्ञा ली उसके बाद ही बोला हूं। मैं बहुत ध्यान रखता हूं। पहले आप सब माननीय सदस्यों की आज्ञा लेनी पड़ती है इसमें। कृपया बोलें।

मांग संख्या 23 पर विचार

श्री भैरूंलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यहां पर उद्योगपति इतने होशियार होते हैं, आज बड़े बड़े पुलिस अधिकारी या जो भी बड़े अधिकारी हैं वे अपने सरकारी विभाग से रिटायरमेंट मिलने के बाद प्राइवेट उद्योग में घुस जाते हैं। प्राइवेट में उनको नौकरी मिल जाती है, उद्योगपति उनको रख लेते हैं। उधर वह जो उनसे जूनियर होते हैं बड़े अफसर, चाहे पुलिस में हो चाहे अन्य विभाग में हो, सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद प्राइवेट उद्योगपति उनको ले लेते हैं वह सीनियर होते हैं, सरकार में बैठे हुए जूनियर होते हैं उनसे। वह इधर बैठा हुआ है सरकार में जो बैठे हुए हैं उससे जूनियर होते हैं। उनका प्रभाव उनको काम करने में कोई अड़चन डाल देता है और वह वहां बैठा हुआ उद्योगपति की पैरवी करता है जिससे मजदूरों का शोषण होता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री भैरूंलाल मीणा : निम्बाहेड़ा में यही हुआ। वहां गोली कांड हुआ। उसमें रिटायर आफिसर थे उन्होंने वहां रह कर दूसरे उनके जूनियर आफिसर आये उनके मार्फत वहां गोली चलवा दी। शांतिप्रिय मजदूर थे, शांतिप्रिय मजदूरों के ऊपर गोली चलवा कर दो मजदूरों की हत्या कर दी। उसमें एक चाय की होटल वाला था। बेचारा वह क्या करता? इस तरह जूनियर और सीनियर का जो भी होता है वह प्रभावशाली नहीं होता है, जूनियर उनसे कुछ कह नहीं पाता इसलिये इसका लाभ उद्योगपति उठाते हैं। इस प्रकार से अन्य जगह भी यही वातावरण फैलता है। मैं चाहूंगा कि इस तरह का जो अन्याय होता है मजदूरों के साथ, सरकार प्राथमिकता के आधार पर मजदूरों को भी इस तरह से ले। क्योंकि मजदूर जितना उत्पादन करते हैं, किसान जिस तरह खाने का खाद्यान पैदा करता है उसी तरह से मजदूर भी अन्य चीजों की पैदावार करता है। मजदूर भी एक ऐसा रीढ़ की हड्डी है। मैं इस मौके पर चाहूंगा, कि सरकार की नीति साफ होनी चाहिये। जो शांतिप्रिय मजदूर हैं, उनका न्याय जो भी हो वह उनको दिलाया जाय जिससे उन मजदूरों को यह विश्वास हो कि सरकार हमारे लिये कुछ पैरवी कर रही है। यह तो मैंने कई दफा देखा......

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री भैरूंलाल मीणा : समाप्त कर रहा हूं। मैं तो बहुत कम बोलता हूं। सभापति महोदय, मैं ज्यादा कभी बोलता ही नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री भैरूलाल मीणा : मैं चाहूंगा, बार-बार यह कभी-कभी सदस्यगण भी कहते हैं, सरकार के मन में भी यह भावना है कि मजदूर संगठित होते हैं और वह संगठित होकर अननेसेसरी, बिना कारण मसला खड़ा करके हल्ला गुल्ला करते हैं और काम नहीं करते हैं। मुझे अफसोस है, यह बिल्कुल गलत बात है कि मजदूर काम नहीं करते हैं। मजदूर काम करते हैं, काम लेने वाला चाहिये। जो अधिकारी हैं, सुपरवाइजर हैं

(श्री भैरूंलाल मीणा)

वह खुद अपनी जान बचाने के लिये, अपना काम बचाने के लिये मजदूरों को उल्टा-सीधा पढ़ाते हैं, मजदूरों से काम लेना नहीं जानते और मजदूरों को ऊपर दोष देते हैं। मैं चाहूंगा; यह गलत है। मजदूर बहुत काम करना चाहते हैं पर काम लेने वाला चाहिये। मैंने यहां तक सुना है, बहुत से विभागों में, जिस उद्योग में मैं काम करता था वह पहले ऐसा नहीं था। आज उस उद्योग में भी जो अधिकारीगण है जो सुपरवाइजरगण है वह चाहते हैं कि जो परमानेन्ट श्रमिक हैं वह अपनी ऐसे ही हाजिरी लगा कर चले जाये, बैठे रहें, कोई परवाह नहीं। जो वास्तव में जरूरी काम है, वह काम ठेकेदारों से करवाते हैं जिससे उनको कमीशन मिलता है। इस तरह के लालच में मजदूरों के ऊपर दोष लगाते हैं कि यह काम नहीं करते हैं और ठेकेदारों से काम करवाते हैं। काम वहीं मजदूर कर सकते हैं जो परमानेंट हैं। लेकिन उनको उत्साहित करके उनसे काम लेने का तरीका होना चाहिये। क्योंकि परमानेन्ट मजदूर काम पूरा कर लेंगे तो ठेकेदारों को देने का मौका नहीं मिलेगा और उनको कमीशन नहीं मिलेगा, यह भावना अधिकारीगण में हैं। मैं चाहूंगा कि जो अधिकारी हैं वह मजदूरों से सही रूप से काम लेवें। मजदूरों पर यह आरोप लगाते हैं कि यह काम नहीं करते हैं, इस तरह का आतंक फैलाते हैं वह बिल्कुल गलत बात है। मेरे क्षेत्र में एक छोटी सी बात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ काम चालू किये थे उन कामों को बन्द कर दिया गया। फिर मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन किया उसके बाद उन्होंने काम वापस चालू किये तो नाम मात्र के। कहीं दस मजदूर हैं तो कहीं पांच मजदूर हैं। इस तरह के नाम मात्र के काम चालू करने से क्या वह काम हो जाता है, हमको इस तरह से राजी करने से चलेगा नहीं। मैं चाहूंगा, अकाल की स्थिति है, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, फलासिया तहसील में एक हंगामा हो गया था और गांव को लूट लिया गया था। मैं जो सही बात है वह कह रहा हूं। इसी तरह सारे क्षेत्र में यह भावना फैल जायगी। क्योंकि यहां तो बारिश हो रही है लेकिन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, आज ही मैंने खबर ली है, बारिश नहीं हो रही है। वहां के लोगों को खाने के लिये अनाज नहीं। वह परेशानी में है। उनको यदि समय रहते ध्यान देकर मजदूरी नहीं दी गई, उनको व्यवस्थित रूप से काम नहीं दिया गया तो उसका जो प्रतिकूल असर पड़ेगा उसके लिये मैं पहले से नम्र निवेदन करता हूं उनकी तरफ ध्यान देकर काम खोला जाय और उनको तसल्ली दी जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल मीणा : मैं निवेदन करना चाहता था, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी भावना फैल रही है, मैं चाहूंगा इस मौके पर श्रम विभाग इस ओर ध्यान देंगे और मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं वहां आकर अपना प्रभाव लगा कर उनका समाधान करेंगे। मैंने दो-तीन उद्योगों का नाम लिया उनमें जो अशांति फैल रही है उसकी तरफ, ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : सभापति महोदय, आज के दिन सरकार के द्वारा श्रम रोजगार और दूसरी जो रोजगार सम्बन्धी योजनाएं चलायी जा रही है उनके बारे में विचार विमर्श चालू हुआ है। पश्चिम राजस्थान की जैसी आर्थिक स्थिति है और जिस प्रकार की वहां की भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए, विशेषकर हमारे रेगिस्तान की जो स्थिति है, उसको देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने आज से करीबन 7–8 वर्ष पूर्व एक सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम चालू किया था। वह प्रोग्राम शुरू शुरू में पश्चिमी राजस्थान में जो सारे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, उसमें 8 जिले आते हैं, उनमें चालू किया गया था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि धीरे-धीरे इस प्रोग्राम को पश्चिमी जिलों से हटा कर बहुत सीमित क्षेत्र के अन्दर चालू रखा है। जिन इलाकों में, जिन जिलों में इस प्रोग्राम की ज्यादा आवश्यकता थी वहां पर इस प्रोग्राम को खत्म कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह प्रोग्राम 1974–75 में चालू किया गया था उसमें शुरू-शुरू में जोधपुर डिविजन के 6 जिले, चूरू जिला भी उसमें शामिल था, बीकानेर भी था, कुल मिला कर 8 जिले थे। उसके साथ-साथ बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले को भी लिया गया था। मगर चूंकि यह प्रोग्राम केन्द्रीय सरकार की सहायता से चलाया जाता था इसलिये पता नहीं किस कारण से धीरे-धीरे इस प्रोग्राम को पश्चिमी राजस्थान के जो जिले थे वहा से हटा लिया गया। आज केवल मात्र इस प्रोग्राम को बांसवाड़ा जिले में, डूंगरपुर जिले में और उदयपुर जिले के तीन विकास खंड हैं, उनमें चलाया जा रहा है। इस वर्ष तो और भी इस प्रोग्राम को उन जिलों में बढ़ाया जा रहा है जहां पर कि मेरे ख्याल से मरुस्थल के जो क्षेत्र हैं उनके मुकाबले में इन जिलों में इस साल प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है, वहां चलाए जाने की जरूर नहीं है। मैं दुख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल इस प्रोग्राम को जितने क्षेत्रों में चालू किया जा रहा है वह क्षेत्र हैं टोंक जिले के तीन विकास खंड, सवाई माधोपुर के 2 विकास-खंड, कोटा के 4 विकास खंड, झालावाड़ जिले के 3 विकास खंड और पिछले वर्ष चलाया गया अजमेर के दो विकास खंड, उदयपुर जिले के तीन विकास खंड और पूरा बांसवाड़ा जिला और पूरा डूंगरपुर जिला, सभापति महोदय, इस प्रोग्राम का नाम है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानि डी. पी. एस. पी., अब आप खुद इसका फैसला कर लिजिए कि इस प्रोग्राम की ज्यादा जरूरत इन जिलों में है जहां चलाया जा रहा है अथवा उन जिलों में हैं जहां बार-बार अकाल सूखा पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को किन कारणों से बन्द किया पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जहां चालू किया गया था शुरू-शुरू में इसके बारे में राज्य सरकार पुनः विचार करे और इस प्रोग्राम को दुबारा उन जिलों में चालू करे क्योंकि वहां की ऐसी भौगोलिक स्थिति है और जब तक विशेष कार्यक्रम के द्वारा वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को बदलने के प्रयास नहीं किए जाएंगे, ज्यादा एफोर्ट्स नहीं किए जाएंगे, सेण्ड्स को स्टेब्लाइज नहीं किया जाएगा, पीने के पानी के स्रोत को उपलब्ध करके और पीने के पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया जाएगा साथ-साथ में बाकी जो दूसरी दिक्कतें हैं, खास करके

(श्री भगराज चौधरी)

लोगों को खेती पर निर्भर रहना पड़ता है. साथ में पशुओं के धन्धे पर भी चलना पड़ता है तो यह धन्धे बरसात पर निर्भर करते हैं इसलिए ज्यादा लोगों को बरसात पर नहीं निर्भर रहना पड़े इसके लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से नए कुओं को खुदवाना, पुराने कुओं को गहरा करना, सिंचाई के अन्य साधन जुटाना और किसी न किसी प्रकार के जो भी प्रयास हों उनके जरिए प्रत्येक पानी की एक-एक बूंद का उपयोग हो उसके लिए हम इर्रीगेशन पोटेंशियल बढ़ाने के लिये इस प्रोग्राम को उन जिलों में दुबारा चालू करना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री महोदय इसके बारे में अपने जवाब में स्पष्टीकरण दें कि इस प्रोग्राम को पश्चिमी जिलों से हटा कर पूर्वी राजस्थान के जिले जो इस प्रोग्राम के तहत हैं, इस प्रोग्राम की वहां पर कोई विशेष उपयोग नहीं हो रहा है। कहने को तो कह सकते हैं कि वहां उपयोग होगा अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना पड़ेगा कि जो हमारे पास सीमित साधन हैं उससे देखना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम की ज्यादा जरूरत पश्चिमी राजस्थान के जिलों में है अथवा इन जिलों में हैं जहां चलाया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रोग्राम को वहां पर वापिस चालू किया जावे।

साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे प्रोग्राम जो राज्य सरकार की सहायता से और केन्द्र सरकार की सहायता से चलाए जा रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य है हमारे जो ग्रामीण रोजगार हैं, हमारे जो ग्रामीण लोग हैं और वहां पर जब तक उनका मुख्य धन्धा खेती करना है, पशु पालन का है और खेती का निश्चित समय वर्ष भर नहीं होकर कुछ सीमित समय के लिए वहां पर होता है इसलिए बाकी समय में बेकार नहीं बैठे रहें और उनके पास किसी ने किसी प्रकार से जीवन बसर करने का साधन प्राप्त हो इस दृष्टिकोण से उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिहाज से प्रोग्राम चलाये गये हैं, उनमें से एक प्रोग्राम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि वहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो और जो लोग बड़ी भारी संख्या में विशेष करके पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जिनकी माली हालत दूसरे इलाकों के मुकाबले और भी कमजोर है और यदि हम राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति आय का औसत निकालें जिलेवार तो मेरे ख्याल से राजस्थान के जो पश्चिमी 8 जिले हैं, जिनका मैंने पहले निवेदन किया जालोर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर वगैरः इन जिलों की प्रति व्यक्ति आय दूसरे जिलों के मुकाबले बहुत कम है जैसे हमारे राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय 1970–71 की अपनी भाव सूची है उसके आधार पर करीबन 590/-प्रति वर्ष की है मगर यह जो प्रति व्यक्ति आय है यह राजस्थान की है, यह औसत राजस्थान की है इसमें धनीमानी लोगों की आय भी शामिल है, उद्योगपतियों की भी शामिल है और शहरी वर्ग से जो लोग आते हैं, तमाम प्रकार के लोग चाहे नौकरी पेशा हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे व्यापारी वर्ग हों, चाहे दूसरे हों उन सब की आय शामिल करके प्रति व्यक्ति आय निकाली गई है। मेरा निश्चित मानना है कि केवल मात्र उद्योग-

(174)

(श्री भगराज चौधरी)

पतियों को आप निकाल दीजिए, सरकारी पेशेवर को निकाल दीजिए और व्यापारी वर्ग को निकाल दीजिए, यह जो 8 जिलें हैं केवल मात्र उनकी जो आबादी है और उनकी आबादी के जितने लोग हैं उनकी यदि प्रति व्यक्ति औसत आय निकाली जाय साल की तो मेरे ख्याल से 200–250 मुश्किल से आती होगी। यानि कहने का मतलब है कि इतनी कम आय के साधन हैं, बहुत कम आय है। इसलिए उनकी हालत को देखते हुए यह जो प्रोग्राम चलाया गया है इसमें सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम इस प्रोग्राम के तहत हाथ में कम लिए मगर ज्यादा जोर दिया कर्जा बांटने का और कर्जा बांटने के लिए हमारी जो भी एजेंसीज हैं कर्जा बांटने के लिए मारवाड़ ग्रामीण बैंक, दूसरे कार्मशियल बैंक्स वगैरहा यह कर्जा बांटते हैं। कर्जा किस के लिए बांटते हैं। सभापति महोदय, वह देते हैं छकड़ा खरीदने के लिए, गाय खरीदने के लिए, भैंस खरीदने के लिए और दूसरे छोटे-मोटे इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो वहां पर अकाल पड़ता है जैसे कल माननीय सदस्य ने बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले 20 साल जो गुजरे हैं उसमें 14 वर्ष लगातार अकाल पडा है पश्चिमी राजस्थान के अन्दर यानि केवल मात्र 6 साल ऐसे निकले हैं जिसमें अकाल नहीं पड़ा कुछ वर्षा हो गई और छोटी मोटी खेती हो गई। हम अकाल कब डिक्लेयर करते हैं जब हमारी फसलें खराब हों, फसलें 50% उससे भी ज्यादा खराब हो जाती है तो वहां पर स्केयरसिटी अफेक्टेड एरियाज घोषित करते हैं अथवा कभी-कभी अकाल घोषित कर देते हैं बाद में तो इन जिलों में समझ में नहीं आता आप छकडा खरीदने के लिए लोन देकर, ऊंट खरीदने के लिये लोन देकर, गाय खरीदने के लिए, भैंस खरीदने के लिये इस प्रकार के साधन जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो अपने आप में कोई धन पैदा नही करती, मेरा निश्चित मानना है कि गाडा, छकडा, ऊंट बैल का कर्जा दिया गया है उनका बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। लोगों ने खरीदे नहीं और पैसे लेकर पैसे घरेलू काम में लगा दिए अथवा उधार मांगने वाले व्यक्ति हैं उनको चुका दिए। मगर जिस दृष्टिकोण से, लोगों को लाभान्वित करने के लिहाज से अथवा गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिहाज से जो हमारा इरादा लोन बांटने का था वह हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। तो यह तो है कर्जा बांटने की स्थिति।

इसके साथ सबसे मोटा जो विचारणीय बिन्दु है वह यह है इसके साथ में अनुदान देने का, जितना भी अनुदान दिया जा रहा है उसमें से अगर मैं अतिश्योक्ति, ज्यादा आंकड़ें नहीं दूं या यों कहिए अगर मैं रियलिस्टिक अप्रोच अपना लूं तो कम से कम 50% केसेज ऐसे होंगे जिनमें अनुदान इन लोनीज के पास पहुंचता नहीं। वह लोग बीच में ही गायब कर देते हैं। कितना करते हैं लोग बांटने वाले, कर्जा देने वाली दूसरी ऐजेन्सीज जो इस काम में लगाई हुई हैं वह उस लोनी से यह कहते हैं कि तू गरीब आदमी है तुझे कोई भी व्यक्ति बाजार में कर्जा देने को तैयार नहीं है। न तो मनी लेण्डर देने को तैयार है न कोई

(श्री भगराम चौधरी)

दूसरे कार्माशियल बैंक्स देने को तैयार हैं, यह तो हम लोग दे रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से जुगाड़ बैठाया है कर्जा देने का इसलिए अगर कर्जा लेना है तो 1, 2, 3, हजार का गाडा, छकडा, भैंस खरीदने के लिए तू कर्जा तो ले ले, अंगूठा तू कागजों पर कर दे और जो अनुदान की राशि है वह तो हम रखेंगे अब तेरी मर्जी हो तो तू सौदा तय कर ले और फिर कर्जा नहीं लेना है तो बात मत कर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, अनुदान की राशि जो दी गई है वह लोनी तक पहुंची नहीं है और इसमें बहुत बड़ा घपला, घोटाला किया जा रहा है।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में।

श्री भगराज चौधरी : इस प्रोग्राम के तहत आप देखिये, यह प्रोग्राम आई. आर. डी. पी. 1980 से शुरू किया गया राजस्थान के सभी खण्डों में और कुल मिलाकर 1980-81 से लगा कर 1983–84 तक करीबन साढ़े पांच लाख परिवारों को लाभान्वित करने का सरकार ने अपना लक्ष्य हमारे सामने पेश किया यानि इतनी संख्या में लाभान्वित कर दिया गया है। इसमें अनुदान की राशि करीबन है 79·97 करोड़, अनुदान वितरित किया गया और ऋण दिया गया 104.84 करोड़ यानि कुल मिला कर अनुदान और ऋण की राशि 184.81 लाख रुपये कितनी बड़ी धनराशि जिसमें अनुदान भी है और 50 पर्सेण्ट मान लो उसका दुरुपयोग हुआ है। ज्यादा मैं नहीं भी कहूं आप देखिये कम से कम 40 करोड़ रुपये का उसमें गबन घोटाला हुआ है और ऋणी लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिला। उसके बाद में……

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में।

श्री भगराज चौधरी : 1984–85 के अन्दर 20 करोड़ रुपये अनुदान के दिये गये हैं, उसके बाद में 4 करोड़ रुपये फिर अनुदान दिया है और 30 करोड़ रुपये ऋण बांटा गया और इस प्रकार से सरकार का कहना है कि कुल मिला कर 54 करोड़ रुपये जो अनुदान और लोन के रूप में दिये गये हैं उसमें 1 लाख 60 हजार लोगों को लाभान्वित कर दिया गया है, इतने परिवारों को हमने लाभान्वित कर दिया है। मेरा निवेदन यह है कि केवल मात्र कागजी आंकड़ें हैं न तो इससे कोई गरीबी मिटने वाली है और इतनी बड़ी संख्या के परिवार न कोई गरीबी की रेखा से ऊपर आने वाले हैं। अगर आप को उन लोगों की गरीबी मिटानी है और इन लोगों को वाकई में आगे धन्धों पर, रोजगार में, लाना है तो मेहरबानी करके आप इस प्रकार के कार्य दीजिये जिनके आगे आने वाले कार्य हैं और बरसात पर निर्भर नहीं रहना पड़े। आपने अब कुछ कुटीर उद्योग खोल दिये कुछ एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज छोटी-मोटी खोल दी लेकिन उसमें उनको ट्रेनिंग दीजिए और उनको इस प्रकार के काम दीजिये जिनका सम्बन्ध न तो मानसून से हो, न बरसात से हो, न खेती से हो, न किसी और प्रकार से हो और वह एक इन्डिपेण्डेण्टली एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज के रूप में दूसरे जिनके पुश्तैनी धन्धे हो सकते हैं, लुहार का, कारपेन्टर का, सुथार के हैं,

(176)

(श्री भगराज चौधरी)

कपड़े बुनने के, कम्बल बुनने के हैं। यह रेगिस्तानी इलाकों के अन्दर बहुत ऊन होती है, ऊन के कम्बल बुनने के, पट्टे बुनने के, खेसले बुनने के हैं और दूसरे काम हैं......

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री भगराज चौधरी : इसके अलावा दूसरा जो प्रोग्राम हमारा है, इसमें एक प्रोग्राम है हमारा मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम। यह शुरू-शुरू में 1977–78 में चालू किया गया था कुल मिला कर 11 जिलों के अन्दर और इसमें शत प्रतिशत धन राशि का प्रावधान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता था शुरू-शुरू में मगर बाद में हमारी राजस्थान सरकार की कमजोरी के कारण से यह प्रोग्राम जिसके लिए फाइनेन्स हण्ड्रेड पर्सेण्ट केन्द्रीय सरकार उपलब्ध करवाया करती थी वह नहीं कर बाद में केन्द्रीय सरकार ने 50 पर्सेन्ट देना शुरू कर दिया और 50 पर्सेन्ट तक खर्च वहन करने की जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार ने अपने जिम्मे ले ली। यह बहुत बुरी बात है, यह अच्छा काम नहीं किया। मरु विकास काम, मरुस्थली क्षेत्र का विकास, रेगिस्तान को मिटाने और इस प्रकार से विशेष भौगोलिक स्थिति है उसको, दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए केवल मात्र हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह बहुत बडा काम है, यह राष्ट्रीयकृत कार्यक्रम है और मरु क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार को अपने हाथ में जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। हमें हाथ ऊंचे करके सारे के सारे कार्य की दिल्ली सरकार पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए थी जैसा कि पहले उनके हाथ में था।......

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : मगर हमारी कमजोरी से इस कार्यक्रम में 50 पर्सेन्ट खर्च हम लोगों ने वहन करना शुरू कर दिया है खैर, जैसी भी स्थिति है, मैं निवेदन करना चाहूंगा की शुरू-शुरू में सन् 1977–78 से लगा कर 1984–85 तक प्रोग्राम के तहत में करीबन 72 करोड रुपये खर्च किए गये और उसमें काफी कुछ भू-संरक्षण के कार्य हैं, वृक्षारोपण है, सिचाई के हैं, एनीकट के कुछ अच्छे काम किये। मगर एक बात इसमें ठीक नहीं की, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत में कोआपरेटिव सोसायटी बनायी, दूध क्लेक्शन सेण्टर के रुप में बनाये और जिनकी संख्या बहुत है, कुल मिला कर करीबन 678। 1984–85 और 1985–86 के वर्ष में काफी कुछ सोसायटी बनाने का और दूध क्लेक्शन का प्रोग्राम इस प्रोग्राम के तहत में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूध क्लेक्शन करने का प्रोग्राम यह सीमित फेमेलिज को फायदा देने वाला प्रोग्राम था हमें इस प्रोग्राम के तहत में कई व्यापक रुप से हाथ में लेने चाहिए जिनका लाभ उन लोगो को मिले चाहे मवेशी रखता हो, चाहे नहीं रखता हो, चाहे पशुपालन करता हों, चाहे खेती करता हों और जो आम लोग हैं मजदूरी करते हैं शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के कई प्रकार के लोग इसमें आ गये...

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : यह पैसा इस प्रोग्राम के तहत आप उन कामों में खर्च करिये, सिंचाई की पोटेन्शियल को बढ़ाने के लिए, अपने गांवों में मवेशी के लिए, मनुष्य के लिए पानी के स्रोत ढूंढने के लिए, पीने के लिए, सिंचाई के लिए और भू-संरक्षण कार्य हैं उनके लिए·······

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : इस कार्यक्रम के तहत आपको करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमको केन्द्रीय सरकार से दुबारा अपेक्षा करनी चाहिए। मरु विकास का जो कार्यक्रम है बहुत महत्व का कार्यक्रम है, यह राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत हमें दुबारा दिल्ली सरकार से मांग करनी चाहिए कि जो सारा पैसा है वह दिल्ली सरकार दे और राज्य सरकार अपने इस कार्यक्रम को अपने स्तर पर करवाने की स्थिति में नहीं है·······

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं······

श्री सभापति : कृपया लम्बा समय हो गया है।

श्री भगराज चौधरी : मैं थोड़ा सा और निवेदन करूंगा। इसके लिए मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि·······

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, समाप्त करें अपनी बात को।

श्री भगराज चौधरी : मैं खत्म ही कर रहा हूं, सभापति महोदय।

इसके अलावा मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एन. आर. ई. पी. प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अन्दर भी 50 प्रतिशत खर्चा राज्य सरकार वहन करे और 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देती है। 1984–85 के अन्दर कुल मिला कर 12·50 करोड़ रुपये हमें दिये हैं जिसमें से आधा हिस्सा हमारा था और आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार का था मगर दुर्भाग्य से मुझे कहना है, दुःख के साथ में कि इस राशि का जो प्रावधान था उसका उपयोग हमारी सरकार नहीं कर सकी यानि कि 12 करोड़ हमारी सरकार का जो अलाटमेंट था उसके अगेन्स्ट में हमने कम खर्च किया, बात यह है। इसी कारण से वर्ष 1985–86 के अन्दर जो एलोकेशन हुआ है वह पैसा कम कर दिया दिल्ली सरकार ने और इतना ही पैसा हमारा बाद में कम हो गया····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। मैं दूसरा नाम पुकारूंगा। आप समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : इसके बाद में एक प्रोग्रोम है······

श्री सभापति : आप काफी कह चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : इस कार्यक्रम के तहत में भी हमारी सरकार ने 1984–85 में जितना अलाटमेंट था······

(178)

श्री सभापति : आप कह चुके हैं एन. आर. ई. पी. में खर्च नहीं हो पाया है।

श्री भगराज चौधरी : हमारा जो वित्तीय प्रावधान था उसे खर्च नहीं कर पाये। इसमें 12 करोड केन्द्र से प्राप्त हुए थे और उसमें केवल मात्र हमने 9 करोड़ 70 लाख रुपये ही खर्च किये यानि जो पैसा हमें मिला वह खर्च नहीं हो पाया। यह कार्यक्रम भी पूर्णतया केन्द्रीय सरकार की सहायता से चलाया जाता है। इसलिए अगर मान लो पूरे पैसे खर्च नहीं कर पाये तो आप देखिये हमें कितना आर्थिक नुकसान हो गया बाद में......

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : वर्ष 1984-85 में में पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाये उस कारण से वर्ष 1985–86 में यानि कि चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने, जितना पैसा पिछले साल हम खर्च कर पाये उसके बराबर उन्होंने हमें पैसा अलाट किया है जो करीब 9 करोड़ 30 लाख बनता है।......

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें काफी हो गया।

श्री भगराज चौधरी : तो मेरा निवेदन है यह दोनों जो प्रोग्राम हैं, एन. आर. ई. पी., आई. आर. डी. पी., इन दोनों प्रोग्राम के तहत हमें वर्ष 1984-85 में पूरे पैसे हमारी सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा खर्च नहीं किये जाने के कारण हमें केन्द्रीय सरकार से करीब 5 करोड़ इस प्रोग्राम के तहत कम मिले हैं। यह मैं समझता हूं बहुत ही विचारणीय विषय है। खैर, जैसी भी स्थिति हो इस प्रोग्राम के तहत हमें और पैसे केन्द्रीय सरकार से मिलें इसके लिए पेशकश करनी चाहिए। और जिन कारणों से वर्ष 1984-85 में पैसा खर्च नहीं कर पाये......

श्री सभापति : आप रिपीट कर रहे हैं बात को। समाप्त करें, रिपीट हो रही है वही बात। मन्त्री महोदय ने नोट कर ली इस बात को। कृपया समाप्त करें। रिपिट हो रही है हाऊस में दूसरा नाम पुकार रहा हूं। नोट कर लिया, कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, हमारी पार्टी के लोग......

श्री सभापति : आपकी पार्टी के चार नाम है। और लोग भी बोलेंगे। आप कृपया समाप्त करें। मैं आगे का नाम पुकारूं। कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

आखिर में निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मरु विकास कार्यक्रम हैं इसके साथ-साथ में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम में है उसका निवेदन किया है, जिसका पहले सृजन किया था, जिसको पहले शुरू किया था, उसको राजस्थान के पश्चिम जिलों में लागू करना चाहिए। तो उस प्रोग्राम को दुबारा पश्चिमी जिलों में चालू किया जाये ताकि वहां के लोग और जो दूसरे राजस्थान के जिले हैं खास कर के दक्षिणी जिले, पूर्वी जिले हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनके बराबर तो खैर नहीं आ सकते मगर कम से कम उन्हीं के बराबर आने के लिए

(श्री भगराज चौधरी)

प्रयत्न करें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार इस पर पुन: विचार करें और इस प्रोग्राम को पुनः राजस्थान के पश्चिमी जिलों में चालू करें। जयहिन्द।

श्री सभापति : इस के पहले मैं आगे का नाम पुकारूं, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि गुलेटिन का समय 6·30 बजे का निर्धारित हुआ है। इस स्थिति में 10 मिनट से अधिक समय माननीय सदस्य नहीं लेंगे। यह सहयोग आसन आप सब से चाहता है। श्री रतनलाल ताम्बी। 10 मिनट का समय मिलेगा, पांच मिनट बोलें तो आपकी मेहरबानी है। कृपया 10 मिनट से अधिक कोई समय नहीं लेंगे। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : आज हम लोग ऐसी महत्वपूर्ण डिमाण्ड पर चर्चा कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध हमारे प्रदेश की ग्रामीण जनता से है। देश की महान नेता स्वर्गीया इन्दिरा जी ने इस कार्यक्रम को गांवों में ला कर उन बेरोजगार लोगों को जो गांवों के खेतों में कुछ समय काम करने के बाद ऐसे कुछ महीने होते हैं, उनको काम उपलब्ध नहीं होता है। उनकी लिए गारण्टी इस योजना के जरिये दी है और इस प्रकार के कामों से गांवों में कई प्रकार के निर्माण और विकास के काम हुए हैं। मेरा इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस योजना की उपादेयता और आवश्यकता से तो हम इन्कार नहीं कर सकते हैं, मगर इस योजना के क्रियान्वयन में एक सुनिश्चित नीति-रीति और योजनाबद्ध कामों का, मैं समझता हूं कि बहुत अभाव है। सबसे पहले कामों की प्राथमिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया अस्पष्ट है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पंचायत समिति स्तर पर 4–5 व्यक्तियों की एक कमेटी बने और यह कमेटी बनाकर पूरी पंचायत समिति क्षेत्र की एक योजना, एक योजनाबद्ध कामों का मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए और कौन से कामों की प्रथम आवश्यकता है। उसके आधार पर ही यह काम आगे बढ़ना चाहिए।

आप और हम सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कई योजनाओं के धनाभाव से एक लम्बे समय से निर्माण नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मध्यम सिंचाई की योजनायें कई वर्षों से धनाभाव में चलती रहती हैं और वह पूरी नहीं होती हैं। उससे पहले रेट बढ़ जाती है, लेबर की रेट बढ़ जाती है, मैटीरियल की रेट बढ़ जाती है, और यह योजनायें प्राय: पूरी नहीं होती है। मैं इस मौके पर यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन दोनों योजनाओं के कार्यों को हमारी योजना की मद में जोड़ना सबसे बड़ी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र में आज सिंचाई विभाग की 12 योजनायें एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत चल रही हैं इन योजनाओं पर विभाग के मापदण्ड और व्यवस्थाओं के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। पूरे साधन उपलब्ध नहीं हैं। पूरी तरह से इन योजनाओं को जैसे अकाल के काम मानते हैं या और दूसरे काम मानते हैं उस तरह से चलाया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन योजनाओं को प्लान वर्क के आधार पर और योजना के

(1-80)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

वर्क के आधार पर इनको जोड़ने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि मेरे यहां 10–12 योजनायें चल रही हैं। कहीं 20 मजदूर काम कर रहे हैं, कहीं 40 मजदूर काम कर रहे हैं जहां 87 लाख का प्रोजेक्ट है प्रशासनिक स्वीकृति 87 लाख की दी है और एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत दे दी और इसके काम पर बीस-चालीस मजदूर ही लगा रखे हैं। उनको भी पेमेंट पांच महीने से नहीं हुआ है। अभी मैं गांवों में गया था। इन सारे कामों को मैं चाहता हूं कि योजना के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता है। एन. आर. ई. पी. के काम हों, चाहे आर.एल.जी.पी. के काम हों। योजना के काम जो तय किये हैं, उनके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। वह जो विभाग का मापदण्ड है, योजना है, उसके आधार पर यह गांवों में काम होने चाहिए। एक बात देखी है ग्रामों के चयन करने की प्रक्रिया अस्पष्ट है। जहां कहीं पंचायत समिति एक पंचायत पर यदि मेहरबान होती है तो ज्यादा हो जायेगा, कुछ पर नाराज होगी तो महरुम रह जायेगा। इसलिए उनको चयनित करने के लिए एक कमेटी निर्धारित होनी चाहिए। उसके प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत होकर काम आगे बढ़ना चाहिए। पेमेण्ट का जहां तक सवाल है हर महीने नियमित रूप से पेमेण्ट नहीं होता है। कई महीनों तक मस्टर-रोल बनाकर चले जाते हैं उनका पेमेन्ट समय पर नहीं होता हैं। कहीं अनाज समय पर नहीं आता है। इस तरह की व्यवस्थाओं के कारण मैं समझता हूं कि काफी अवरोध पैदा हो रहा है।

जैसा मैं चाहता हूं सारी पंचायत समिति क्षेत्र का मास्टर प्लान यदि तैयार नहीं होता है। वह योजना एक्स प्लान के नाम से तय होता है। पता नहीं यह एक्स प्लान कैसे बन गया, क्या जनप्रतिनिधि का रोल है, इसमें। इसका विचार नही हुआ है। इसमें गांवों की क्या प्राथमिकतायें हैं, आवश्यकतायें हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। उससे इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वह मैं समझता हूं कि ठीक से नहीं चल रहा है। एक साथ इन ग्रामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एन. आर. ई. पी. के ऐसे काम होने चाहिए जो बजट के अभाव में पूरे नहीं हो रहे हैं।

जैसे वन विभाग में हजारों किलोमीटर नंगी पहाड़ियां नजर आती है अरावली में। भारत सरकार के पास हमारी जो योजना जाये, एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत जाये उसमें वन विभाग का मास्टर प्लान बनाया जाय। इसकी सारी पहाड़ियों को किस तरह से हरा भरा कर सकते हैं, यह बहुत बड़ा कार्यक्रम, प्रोजेक्ट हम हाथ में ले सकते हैं।

सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा सर्वे प्लान हमारे पास मौजूद है, बहुत योजनायें बन चुकी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इन योजनाओं के लिए मिडियम में और माइनर प्रोजेक्ट्स में उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करके जोड़ा जाना चाहिए। सड़कों के मामले में भी हमारे पास पैसे का अभाव है। पंचायत हैडक्वार्टर जुड़े हुए नहीं है। कहीं बड़े-बड़े गांव जुड़े हुए नहीं है तो इन सब में राजस्थान की सब योजनाओं को एक प्लान बनाकर एन. आर.

(श्री रतनलाल ताम्बी)

ई. पी. में उसको जोड़ा जाय। उसके लिए भारत सरकार से अधिक से अधिक पैसा प्राप्त कर इन गांवों का काया कल्प कर सके। यह बात आज देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक बात और देखें टेक्नीकल दृष्टि से सुपरविजन की बहुत बड़ी कमी रहती है। आप सब जानते हैं न गांवों में काम होता है, न समय पर कोई देखता है, न मैटीरियल कैसा लग रहा है उसको देखा जाता है और कैसे मस्टर-रोल भरा जाता है आप सब जानते हैं मस्टर-रोल कैसे भरा जाता है? काम का पता नहीं है अभी मेरे इलाके में एक ऐसा मामला आया कि 31 मार्च तक काम पूरा बता दिया गया। एन. आर. ई. पी. का बंजारों की कालोनी थीं उसमें एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत नालियां बना दी गयी। मुझे मालूम पड़ा इस तरह से हिसाब लिख दिया गया है। मैंने मन्त्री महोदय को लिख कर दिया मैंने विधान सभा में और भी ढंग से इस मामले की जानकारी प्राप्त करके गवर्नमेंट को दी। यह सब काम चलने के बाद में 13/14 जुलाई को गया था तो मार्च में जिसमें लिख दिया था कि पैसा खर्च कर दिया 13/14 जुलाई को उसका काम शुरू कर दिया। जब यह मामला आगे बढ़ गया तो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका न तो आडिटिंग ठीक हो रहा है, न टेक्नीकल दृष्टि से देखा जा रहा है, और बहुत बड़ा घपला इन कामों में हो रहा हैं इससे उसके सुपरविजन की दृष्टि से, इनके आडिट की दृष्टि से इस काम में बहुत बड़ी कमी है। हमने जो हाथ में लिया है, इसको देखने की आवश्यकता है ग्रामों में आज कई प्रकार के काम हैं, छोटे-छोटे तालाब हैं, पंचायत समिति के लेबल तक तालाबों की हालत देखी है लेकिन उन गांवों के तालाब टूटे पड़े हैं। इन तालाबों की पिलाई पूरी नहीं हो रही है तो इन कामों के लिए पैसा न विभाग के पास है न पंचायत समिति के पास है, न राज्य सरकार के पास है। ऐसे पंचायत समिति वाइज प्लान बन जाता है कि कितने तालाब हैं। क्या-क्या काम करना है। एन. आर. ई. पी. में ऐसे काम हाथ में लिये जायें तो उनकी उपादेयता ज्यादा ठीक होगी।

इसके साथ-साथ एन. आर. ई. पी. के कामों को जहां हम शिक्षा विभाग के स्कूलों की हालत को देख लें उसको बढ़ाने के लिए कभी हजार दो हजार देते हैं तो वह काम पूरा नहीं होगा। तो ऐसे 10–15 भवन प्रतिवर्ष पंचायत समिति में बन जाये जिन स्कूल भवनों की हालत खराब है, जहां नहीं है ऐसी प्राथमिकतायें इसमें तय नहीं होगी जब तक इस सब कामों को पूरा नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति हमेशा ऐसी रहती है इन सब कामों को विभाग नहीं कर सकता है। इसके लिए मैंने अन्य राज्यों के बारे में पढ़ा है बड़े-बड़े काम हाथ में लिये गये हैं और उनको पूरा किया गया। इसलिए राजस्थान में भी जो मैंने सुझाव दिये है। सिंचाई विभाग के क्षेत्र में हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के सम्बन्ध में हो चाहे वन विभाग के क्षेत्र में हो और चाहे किसी भी प्रकार के और गांव के तालाब का भी हो सकता है। इन सब के कामों के अलग-अलग जिला स्तर पर प्लान होने चाहिए। पंचायत समिति में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बनने चाहिए। उसके आधार पर स्टेट में इस काम को किसी प्रकार से देख सकें तो आज उसकी आवश्यकता है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यो तो ब-ड़ेबड़े काम हाथ में लिये गये हैं टेक्नीकल दृष्टि से भी उसको ठीक मानकर प्रशासनिक स्वीकृति हो गयी है। हमारे एन. आर. ई. पी. के फण्ड से पूरा करने के लिये बहुत तत्परता सरकार की ओर से दिखायी नहीं देती है। 87 लाख का एक प्रोजेक्ट है उसके लिये इस वर्ष दे दिये 2 लाख रुपये। अब 87 लाख का प्रोजेक्ट 2–2, 1–1 लाख से पूरा हो सकता है क्या ? उनको उसके लिये मशीनों की आवश्यकता है, ट्रैक्टरों की आवश्यकता है, पाइप लाइन्स की आवश्यकताएं हैं और सुपरविजन की सारी व्यवस्था जो प्रोजेक्ट की होती है उसी ढंग से बनेगी और जैसा मैं मानकर चल रहा हूं, यह काम हो रहा है तालाबों की योजनाएं होती हैं यह एन. आर. ई. पी. के काम नहीं हो रहे हैं। पूरी इन तालाबों में उसकी कुटाई बराबर नहीं होती है। उनकी पिचिंग नहीं हो रही है रालिंग नहीं हो रहा है तो वह तालाब कैसे बनेंगे। यह भी आज की आवश्यकता है इसलिये मैं इस विभाग के मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सम्बन्धित सभी विभाग जिनके अन्दर काम चलाना चाहते हैं उनको बुलाकर आप इस प्रकार का निर्देश दे दें कि जिससमय योजना का काम चालू होता है उसी व्यवस्था के साथ, उसी तरीके के साथ, क्वालिटी की दृष्टि से काम होने चाहिये तब जाकर हमारे काम सब प्रकार से ठीक होंगे। इस अवसर पर एक बात तो मैंने कहीं। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके पेमेण्ट्स के मामले में व्यवस्था बहुत खराब है। भीलवाड़ा जिले में मेरी जहां तक जानकारी है लगभग 47 लाख रुपये एन. आर. ई. पी. का लेबर्स को, ठेकेदारों को, विभाग को भुगतान करना है। मैंने वहां जिलाधीश महोदय से बारबार सम्पर्क किया, विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया। उन्होंने बताया कि ऊपर से पैसा नहीं आया। मैं कहना चाहता हूं अब आपने सिचाई योजनाओं को एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत स्वीकृत कर दिया तो उसके अन्दर आप बजट क्यों नहीं देना चाहते। तो उसी स्पीड से काम धीरे-धीरे 9 दिन में ढाई कोस चलेगा। तो आगे बनेगा और पीछे खराब होता चला जायेगा। इसलिये मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि जिस समय आपने वित्तीय स्वीकृति दी हो जिस समय आपने प्रशासनिक स्वीकृति दी हो उसके अनुसार आप आवंटन फंड का करने की समुचित व्यवस्था करें ताकि हमारा काम पूरा हो सके। मैं खास तौर से यह भी कहना चाहता हूं कि आज गांव में नदी और नाले बहुत हैं। एनीकट्स बनाने का कार्यक्रम, इसका एक आधार बनाना चाहिए। एन. आर. ई. पी. के गांव में जगह-जगह तो एनीकटों की मांग है, नदियों पर मांग है इसके जरिये कुओं में जल स्तर बढ़ सकता है किन्तु इन सब के लिये मुझे ऐसा लगता है कि कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम राज्य सरकार ने नहीं बनाया है। मैं समझता हूं सातवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ काल में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सातवीं पंचवर्षीय

(श्री रतनलाल ताम्बी)

योजना के अन्तर्गत कई एन. आर. ई. पी. के काम करने हैं, आई. आर. डी. पी. के काम करने हैं इन सब का अभी से प्लानिंग करके उसी आधार पर हमारे सारे काम चलें, यह मेरी निश्चित रूप से मांग है। यही बात मैं कहते हुए आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि टेक्नीकल दृष्टि से सुपरविजन की व्यवस्था ठीक की जाय, आडिटिंग ठीक की जाय और इसके इन्सपेक्सन की व्यवस्था की जाय। इसके बारे में धपलेबाजी बहुत हो रही है। जहां जाते हैं कई जगह मामले सामने आ रहे हैं। कुछ शिकायतें भी पंचायत राज्य मन्त्री महोदय को हमारे इलाके के लोगों ने यहां आकर प्रस्तुत की है। कुछ इन्क्वायरीज भी चल रही हैं। जगह-जगह कई मामले सामने आते हैं। इसलिये इसकी व्यवस्था समुचित ढंग से हो और काम ठीक ढंग से चले, यही मैं अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री कल्याण सिंह कालवी।

श्री कल्याण सिंह कालवी (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान प्रदेश के अन्दर विशिष्ट योजनाओं में एकीकृत ग्रामीण विकास की मांगों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जब योजनाओं पर बात ही शुरू की है तो यह विशिष्ट योजना है, विशिष्ट योजनाएं हैं तो इनके विशिष्ट परिणाम भी आने चाहिये, विशेष तरह से इस पर चर्चा भी होनी चाहिये कि हम गांव के अन्दर रहने वाले लोगों का विकास कैसे कर सकें, उनमें खुशहाली कैसे ला सकें। उनको काम के जरिये कैसे दे सकें यह हमारे सामने आज सबसे बड़ा अहम् प्रश्न है। जहां तक इसकी प्रगति की बात करते हैं इस साल के बजट में उतने ही हमारे यहां प्रोविजन रखे गये हैं जितने की गत वर्ष के बजट में थे। यह स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि इस ओर बहुत आगे बढ़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। जहां तक इन योजनाओं का सवाल है कि केन्द्र से हमको ज्यादा पैसा मिल जाय और उस पैसे के आधार पर हम नये कार्यालय खोल दें, उनमें अफसरों की और कर्मचारियों की भर्ती कर दें, उनके बैठने के लिये दफ्तर बन जायं, रहने के लिये बंगले बन जांय और उनके चलने-फिरने के लिये व्हीकल्स का कर्जा मिल जाय और उनके घर का मकान बनाने के लिये कर्जा मिल जाय, यदि इसी नीत से इस तरह की योजनाओं को अंगीकार किया जाता है तो इससे राजस्थान के आम आदमी को फायदा मिलने वाला है नहीं। आम आदमी को फायदा देना है तो आम आदमी किस तरह का रोजगार चाहता है, किस तरह का काम चाहता है, किस तरह का धन्धा चाहता है यह आपको बहुत ही गहराई से अध्ययन करके जुटाना होगा तभी जाकर के उनको लाभ मिल सकता है। आज हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लेते हैं, ग्रामीण, भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम लेते हैं, स्वरोजगार कार्यक्रम लेते हैं। इन सारे कार्यक्रमों को जब तक कि बहुत ही ज्यादा अध्ययन करके हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वहां पर रहने वाले लोगों की जिस तरह की आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

उसी तरह की योजनायें बनाकर के जब तक लागू नहीं करेगी, कार्यान्वित नहीं करेगी तब तक वहां के लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है। यदि आप रेगिस्तान में जाकर के एनीकट्स बनाने का काम शुरू कर देते हो, लघु सिंचाई योजना लागू कर देते हो उससे वहां के आदमी को लाभ मिलने वाला नहीं है और यदि मेजबन्दी का काम आप समतल जमीन में करने लग जाते हो तो उससे वहां के लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिये जहां पर जिस तरह की जरूरत है उसी तरह के कार्यक्रम, काम और रोजगार देने होंगे इस बात की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है जैसा कि आबोर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया था, भ्रष्टाचार का जिक्र भी किया था। जिस तरह का बजट है उस एलोकेटेड बजट का जिस तरह से पूरा उपयोग नहीं हुआ है इस बात का भी जिक्र किया था। इस पर मैं ज्यादा समय नहीं देकर के इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है इस कांग्रेस कल्चर के अन्दर हिन्दुस्तान के आम आदमी के जन जीवन का यह भ्रष्टाचार अंग बन चुका है। इसलिये इस पर चर्चा करके मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। आज हमारे पास में जगह तो है कम और पैर पसार रहे हैं ज्यादा। जितना सामान है उससे ज्यादा काम हाथ में ले रहे हैं। हर पंचायत समिति को हमने 8–8 लाख रुपये दिये। आपके पास में 8 लाख रुपये ही हैं जिससे कि हर ग्रामीण को रोजगार देना है, हर हर ग्रामीण को खाने कमाने का जरिया देना है, हर ग्रामीण के अन्दर खुशहाली लानी है। आपके पास में रुपये केवल 8 लाख हैं और उस 8 लाख में से कितने कर्मचारियों पर कितना आने जाने पर, कितना व्हीकल्स पर खर्च हो रहे हैं इनको और निकाल दीजिये। उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा इसलिये इन विशिष्ट योजनाओं की जिस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं उस तरह के आम आदमी को लाभ मिलना चाहिये, मिल नहीं रहा है। हुआ भी यही। हमने सुना कि विशिष्ट योजना है और इन विशिष्ट योजनाओं के तहत ज्यादा काम शुरू कर दिया गया और आज स्थिति यह है जैसा कि हमारे माननीय ताम्बी साहब कह रहे थे कि उनके यहां लाखों रुपये का भुगतान आज तक नहीं हुआ। यह स्थिति केवल भीलवाड़ा की नहीं। सारे राजस्थान की यही स्थिति है। काम ज्यादा प्रारम्भ कर दिये गये हैं, काम अधूरे पड़े हैं, उनका जिस तरह का आम आदमी को फायदा मिलना चाहिये वह फायदा नहीं मिल रहा है और जो काम किये गये हैं उनका भी आज तक भुगतान नहीं हुआ है। नया पैसा मिल नहीं रहा। उन अधूरे कामों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आज किसी सरपंच ने काम शुरू कर दिया और उसके बाद में वह सरपंच हट गया। आप यह साफ कहते हैं कि जब तक वह अधूरा काम पूरा नहीं हो पाता है तब तक हम उस पंचायत को आगामी काम शुरू करने के लिये पैसा नहीं देंगे। इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं हो सकता। वह काम नहीं करवा सका और अधूरा काम पड़ा ही रहेगा वह पूरा होने वाला भविष्य में है नहीं। हमारे देश के लोगों के लाखों-करोड़ों रुपये जो खर्च हो गये उसका कोई नतीजा मिलने वाला नहीं है।

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

इसलिये पुराना सरपंच क्या कर गया, उस बात को छोड़कर के नये सरपंच को क्या करना है इस ओर भी हमको ध्यान देना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सही मायने के अन्दर हमको गांव का विकास करना है तो गांवों के अन्दर रहने वाले किस तरह का धन्धा चाहते हैं, उस तरह का काम हमको शुरू करना होगा और इस तरह का काम जब तक कि हम लोगों को देंगे नहीं तब तक हमारे देश का समुचित विकास हो नहीं सकता, यह निश्चित बात है। आज हमारे यहां का खाती, हमारे यहां का लुहार बेकार हो गया, हमारे यहां पर कुम्हार बेकार हो गया और हमारे यहां पर छोटे-छोटे जो खेतिहर मजदूर थे वह बेकारी के शिकार हो रहे हैं और आज वह सारे के सारे अपना पेट भरने के लिये रोजगार की तलाश में गांवों से माईग्रेट होकर के शहरों के ऊपर आ रहे हैं। आज शहरों के ऊपर जनसंख्या का भार बढता जा रहा है शहरों पर जनसंख्या का भार इसलिये बढ़ता जा रहा है कि हिन्दुस्तान का सारा का सरा पैसा, हिन्दुस्तान की सारी की सारी धन-दौलत, हिन्दुस्तान में सारे का सारा खाने कमाने का जरिया वह केवल मात्र शहरों में ही इकट्ठे हो गये। गांव के अन्दर जरिये नहीं रहे हैं और जिस किसी के पास कुछ यदि भूमि बची हुई है, कुछ पशु बचे हुए हैं वह उनके लिये खाने कमाने का जरिये तो जरूर है लेकिन वह जरिया अलाभप्रद बन चुका है। उनको उन जरियों के माध्यम से लाभ नहीं हो रहा है। इसलिये उनके घरों में खुशहाली आ नहीं सकती यदि किसी को भी आज खुशहाल रहना है, जीवन यापन की सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करना है बिजली का, पानी का, सड़क का, इलाज का पढ़ाई का तो उसको गांव छोड़कर के शहर में आना पड़ेगा यह स्थिति है आज हमारे गांव की। आज हमारे गांव का खाती शहर में आता है वह बहुत बढ़िया कारीगर बन जाता है रोज 50/– कमाता है परन्तु गांव में बैठता है वह कुछ भी कमाई नहीं कर सकता। आज खाती का गांवों के अन्दर जो धन्धा था वह समाप्त हो गया। नये औजार उसके पास में हैं नहीं, नयी मशीनें उसके पास में हैं नहीं, नयी तकनीक उसके पास में है नहीं इसलिये वह न फर्नीचर बना सकते हैं और न लेटेस्ट माडल का, लेटेस्ट स्टाइल का वह दूसरा कोई सामान बना सकता है। इसके अभाव में उसका रोजगार गांव में चल नहीं सकता इसलिये उसको पेट भरने के लिये, मजबूर होना पड़ता है कि वह गांव छोड़कर, अपना वतन छोड़कर के शहर में आकर के इन सड़कों के ऊपर जूतियां घिसता फिरे। आज हमारे यहां का लुहार, हमारे यहां रंगर जिस चमड़े को अपने हाथ से रंगता है और अपने हाथ से टांका देता है वह तो जूती कहलाती है....

(5·00 म. प.)

और उसी चमड़े को बाटा कम्पनी का मालिक करोड़पति सेठ जहां मशीन से रंगाई करके, मशीन से टांका देता है, चमड़ा वह का वही परन्तु हाथ से रंगता है, हाथ से टांका देता है जूती कहलाती है जिसकी कीमत है 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक। वही बाटा कम्पनी का करोड़पति सेठ जो

186

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

मशीन से तैयार करके मशीन से टांका देता है उस जूते की कीमत है 200–300–500 रुपए। यह अन्तर है यदि वह का वह हमारे यहां के रंगर को दे दिया जाय, यदि उसी मशीन से वह रंगाई करे, उसी मशीन से वह चमड़े का टांका देना शुरू कर दे तो वही जूता बना सकता है और जूता बन जायेगा तो वही जनता की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकता है, उसकी मांग की सप्लाई कर सकता है। यह स्थिति है हमारे यहां। यही स्थिति कुम्हार की है। जिस मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनता है....

एक माननीय सदस्य : उसी फैक्ट्री में मजदूर तो वही है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : जालौर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां पर मजदूर तो वही है परन्तु वहां पर मजदूर केवल दो पर्सेण्ट काम करते हैं। बाकी जो 80 पर्सेण्ट काम है वह मशीनें करती हैं और 18 पर्सेण्ट सारा का सारा अफसर करते हैं, जो कागजों पर लिखा करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुम्हार का काम है। जिस मिट्टी से कुम्हार गांव के अन्तर बर्तन बरता है मिट्टी वही परन्तु वह जो बरतन बनाता है उसको हम या तो मटकी कहते हैं या हाण्डी कहते हैं उसी मिट्टी, चाइना वाले जब कम्पनी में जाकर उस पर पॉलिस होकर जब बरतन बनाते हैं तो हम कहते हैं कप प्लेट है, क्राकरी है। यदि उसी कुम्हार को वह की वह मशीनरी दे दी जाय तो वह की वह क्राकरी वह पैदा कर सकता है और वहां की जनता की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, रोजगार मिल सकता है, उसको पेट भरने के लिए गांव छोड़कर शहर में आने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। यह स्थिति है।

आज यह की यह स्थिति हमारे यहां लोहार की है। लोहार यदि लोहे का बरतन बनता है तो गांव में कहते हैं, लोहे का ठीकरा बना दिया। और वही जब मशीन से बन जाता है, उसकी पॉलिशिंग हो जाती है, उसकी डाइंग हो जाती है, उसकी वेल्डिंग हो जाती है, उसको मोड़ दिया जाता है, उसको ढाल लिया जाता है तब हम कहते हैं स्टेनलैस स्टील के बरतन हैं, क्रॉकरी है। यदि कुम्हार को वह का वह सारा सामान दे दिया जाय, वह की वह स्टेनलैस स्टील की शीट इश्यु कर दी जाय और इस कच्चे माल के आधार पर उसके पास डाइंग, पॉलिशिंग, प्रेसिंग और सारे के सारे औजार हों, मशीनरी हो तो स्टेनलैस स्टील की क्रॉकरी वह भी बना सकता है अपने घर में। आज आवश्यकता है इन सारे लोगों को गांव से शहर आने में मजबूर होने से रोकने की। वहीं पर इन सारे कामों के लिए आपको सारे के सारे साधन जुटाने पड़ेंगे। आप हमारे गांव के अन्दर जितनी कुदरती पैदा होती है उस पैदा। उद्योग के रूप में उपयोग कैसे कर सकें इस ओर हमारी तरफ कोई काम नहीं हुआ।

हमने सुन लिया लघु सिंचाई। सिंचाई विभाग भी उसी काम को करेगा। वन लगाना है–वह विभाग भी उसी काम को करेगा। हमने बीच में और टांग अड़ा दी।

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि सिंचाई का जो भी काम भी है वह सारा का सारा सिंचाई विभाग को करना चाहिए। यदि जंगलात का विकास करना है तो सारा का सारा काम फारेस्ट डिपार्टमैण्ट को करना चाहिए। इसमें दूसरी तरह की किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। मैं, माननीय सभापति, आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमारे गांव के अन्दर कुदरती पैदा से इतने कार्य हैं कि जिनके ऊपर ग्रामीण उद्योग खूब स्थापित हो सकते हैं। जनता पार्टी के राज में हमने उद्योग प्रसार अधिकारी नियुक्त करके ग्रामीण औद्योगीकरण की जो योजना बनाई थी। आज उन उद्योग प्रसार अधिकारियों को पंचायत समितियों में बैठा दिया गया है जहां या तो वह पैर पर पैर रखकर बैठे रखते हैं या केवल बाबू गिरी का काम करते हैं, या अपने प्रधान को, एम. एल. ए. को खुश रखने के लिए चापलूसी करते हैं, इसके सिवाय ग्रामीण औद्योगीकरण का कोई सुनिश्चित कार्य उसके हाथ में हो, वह नहीं है। हमने बड़े लवाजमे को खड़ा किया था, हो सकता है वह जनता पार्टी का था परन्तु जन हित में किया था, गांव के लोगों के हित में किया था। हम चाहते थे कि गांव के औद्योगीकरण की नीति को लागू करके गांव का विकास हो, हर आदमी को रोजगार मिले। उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करने की व्यवस्था करनी ही चाहिए, यह आज सबसे बड़ी जरूरत है।

आज मैं छोटी छोटी बातें आपको निवेदन करता हूं। आपने सड़क के किनारे देखा होगा, आप जिस इलाके से आने वाले हैं उसमें नहीं है रेगिस्तान से आने वाले लोग जानते हैं कि हमारे यहां पर आक होता है, एक झाड़ी होती है, सब जगह लगा हुआ है। उस आक की हमारे यहां पर कोई कीमत नहीं। लोग आकड़े से केवल माचे बना लेते हैं उसके सिवाय हमारे कोई उपयोग की नहीं। परन्तु माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, यदि उस आक का दूध निकाल कर बेचा जाय तो 200 रुपए किलो में बिकता है। यदि उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार कर दे तो वहां पर हजारों आदमियों को रोजगार मिल सकता है। उसी आक में डाडियां लगती हैं जिसमें फफूंद निकलता है जो सूखने के बाद हवा में उड़ जाता है। उसकी कोई कीमत नहीं है. परन्तु उसको यदि इकट्ठा करके बेचा जाय तो 500 रुपए किलो में बिकता है, जहां मार्केट जाता है 500 रुपए किलो में बिकता है हमारे यहां खींट होता है, केंचुआ होता है जिसकी कोई कीमत नहीं है, यह वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसी खींट की गद्दी बनाकर पेपर मिल्स के अन्दर दी जाय तो सबसे अच्छी गद्दी होती है। यूकिलिप्टस का पेड़ होता है उस से अच्छी गद्दी उसकी मानी जाती है। यदि केंचुए की गद्दी बनाने की व्यवस्था कर दी जाय और सरकार उस गद्दी को ले जाकर पेपर मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दे तो आज उस केंचुए की पैदा से लोगों को हजारों रुपए मिल सकते हैं। हम यहां हार्ड बोर्ड बनाते हैं, जो गत्ता बनाते हैं कागज का, उसके लिए सबसे उपयोगी मैटीरियल साबित हो सकता है, कच्चा माल साबित हो सकता है आज इसी

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

तरह से मूंजे की बात है। आज घरों में जगह जगह मूंजे लगे हुए हैं जो मूंज बना कर माचे बनते हैं। वह उद्योग अपने आप तो विकसित हो रहा है परन्तु सरकारी सहायता से इनको विकसित किया जाना चाहिए. उस मूंजे की कटाई के लिए, बनाई के लिए, उसके बांट देने के लिए सारी की सारी मशीनें आज कुछ सीमा तक उपयोग में लेने लगे हैं परन्तु यदि सरकार इस तरह की मशीनें उपयोग में कर दे तो हर गांव के अन्दर छोटे छोटे उद्योग लग सकते हैं जिससे लोगों को कमाई का जरिया मिल सकता है। यह मैंने थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित किया है। इसी तरह की अनेक चीजें हैं जिनके आधार पर हमारे प्रदेश के अन्दर छोटे छोटे उद्योग लगे यदि उनकी बिक्री की व्यवस्था कर दी जाय तो बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां पर बकरी होती हैं, जिसके बाल होते हैं। उस बकरी की बट की हमारे यहां कोई कीमत नहीं। जो बच्चे हैं वह खटीक को या दूसरों को बेच देते हैं उसके बदले में मूंगफली ले लेते हैं। उसके सिवाय उसकी कोई कीमत नहीं है। परन्तु उसी बकरी की बट को बालोतरा के पास जसोल में इकट्ठा करके जटबगिये बनाकर बेचते हैं। लीबिया में मैंने 400 रुपए किलो के अन्दर बिकते देखा है जिस जट की हमारे यहां कोई कीमत नहीं, बकरी के बाल की. वह 400 रुपए किलो में बाहर जाकर तैयार होकर बिकती है। यह सारा का सारा पैसा बिचौलिये कमा रहे हैं। यदि सरकार उसकी व्यवस्था कर दे तो हमारी यह हालत नहीं हो।

आज हिन्दुस्तान में जितनी ऊन पैदा होती है उसकी 40 पर्सेण्ट पैदावार हम पैदा करते हैं। कारपेट वूल हिन्दुस्तान के अन्दर नम्बर वन की जो पैदा होती है, सबसे बढ़िया ऊन है वह राजस्थान की है। माननीय सभापति महोदय, परन्तु मैं जानना चाहता हूं आप से कि जहां 40 पर्सेण्ट ऊन यहां पर पैदा करते हैं वहां गलीचा बनाने के कारखाने जितने हिन्दुस्तान में लगे हुए उसका 8 पर्सेण्ट हमारे प्रदेश में हैं। रॉ मैटीरियल हम 40 पर्सेण्ट पैदा करते हैं और उस माल को तैयार करने के लिए कारखाने केवल 8 पर्सेण्ट हैं। सारे के सारे यूपी में हैं। कच्चा माल वहां जाता है, वहां का बनाने वाला कमाता है। हमारे यहां उसकी कोई कमाई नहीं। यदि इसको विकसित किया जाय तो हमारे यहां हो सकता है जैसा कि आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, कम्बल बनाने के, पचूड़े बनाने के, पट्टे बटड़ी बनाने के सासे के सारे काम हमारे यहां पर शुरू किये जा सकते हैं।

ऊंट के बाल हैं। कोई कीमत नहीं है। जालौर के अन्दर ऊंट के बालों से जो गलीचे बनाये जाते हैं आज मिडिल ईस्ट के अन्दर उस एक एक गलीचे की कीमत 10 हजार रुपए है। ऊन के गलीचे से ज्यादा कीमत है, परन्तु हमारे यहां पर उस ऊंट के बाल की, ऊंट की जट की कोई कीमत नहीं है। यह सारे के सारे काम हमको गांवों के अन्दर पैदा करने पड़ेंगे तब जाकर लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके सिवाय रोजगार नहीं मिलेगा। मैं आपसे आज से निवेदन करना चाहता

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

हूं कि खेती की पैदा की बात में निवेदन करना चाहता हूं।

आज अपने यहां पर प्याज पैदा होता है। किसान बोता है। रोप तैयार करता है। बोता है। उसकी पिलाई करता। खुदाई करता है। उसके बाद में बेचता है 40 रुपए और 50 रुपए क्विटल के आस पास, वही प्याज जब किसान के हाथ से निकल जाती है। प्याज हमेशा छोटा किसान पैदा करता है। बड़ा किसान कभी नहीं करता। जिसके पास 4-5-7 बीघा भूमि है, प्याज, लहसुन, मसाले वह पैदा करता है जिसके पास जमीन कम हो और व्यक्तिगत निगरानी सबसे ज्यादा दे सके। पंजाब का किसान कभी इस तरह के मसाले या इस तरह की प्याज पैदा नहीं करता है। हमारे जैसे गरीब इलाके हैं जिसमें थोड़ा पानी है, थोड़ी जमीन है वहां पर इस तरह की चीजें पैदा होती हैं। पहले यह प्याज हम तैयार करके बेचते हैं। बिकता है 40 से 50 रुपए क्विटल और आज प्याज वापिस बिक रहा है। 100 रुपये से लेकर 120 रुपये क्विटल। यही प्याज जब मिडिल ईस्ट में जाने के लिए काण्डला बन्दरगाह पर पहुंच जाता है तब बिकता है 500 रुपये क्विटल और यदि पाउडर होकर इसका बिकता है तो 12 सौ से लेकर 15 सौ रुपये में बिकता है। इस तरह की सारी की सारी व्यवस्थायें यदि हमारे यहां की जाय तो छोटी छोटी चीजें पैदा करने वाले किसानों में खुशहाली आ सकती है।

मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इलाके के अन्दर सौंफ होती है, अजवायन होती है, कालीजिरी होती है उसका किसान को कितना दाम मिलता है और बिचौलिये कितना कमाते हैं, आप भी जानते हैं। आपके यहां ओपीयम की खेती होती है। उस किसान का सबसे बड़ा शोषण तो अपनी सरकार करती है, उस किसान को तो सबसे कम दाम मिलते हैं और उस ओपीयम को सरकार जिस भाव में खरीद कर बेचती है वह भाव भी आपसे छिपे हुये नहीं है। किसान का शोषण बिचौलिये से और सरकार से, दोनों से रोकना पड़ेगा तभी जाकर किसानों और गरीबों के अन्दर खुशहाली आ सकती है। बाकी इन योजनाओं की घोषणा करने से हमारे यहां पर खुशहाली आयेगी नहीं।

अभी जैसा कि आहोर से आने वाले माननीय सदस्य बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को दोहराता हूं। सूखा संभाव्य क्षेत्र जो मरू विकास का कार्यक्रम है हमारे पास सुखा सामान्य क्षेत्र जो कार्यक्रम है उसको हमने यों ही चलते तीर को अपने गले में ले लिया। यह केन्द्रीय सरकार के पास में ही रहना चाहिये था। न पैसे की कमी रहती और मरू विकास में बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता था।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लेकर, आपने 10 मिनट के लिये कहा था मैने 14 मिनट ले लिये। एक ही मिनट में आपसे निवेदन करना चाहता था.......

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री कल्याण सिंह कालवी : एक ही घटना का निवेदन करना चाहता हूं, जयमलसर की कल चर्चा हुई। किसी एक सेठ को एक छोटे से गांव के अन्दर 40 बीघा

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

भूमि, आबादी की भूमि, रेवेन्यू लैण्ड नहीं है, आबादी की भूमि है, एक ही सेठ को अलाट कर दी वहां के सरपंच ने और वहां पर एन. आर. ई. पी. के तहत 1 लाख....

श्री बिरदमल सिंघवी : सभापति महोदय, मंत्री महोदया बात करने में मशगूल हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य क्या कह रहें हैं ?

श्री बिरदमल सिंघवी : माननीय मंत्री महोदया बात करने में मशगूल हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदया सदन में उपस्थित हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी ; केवल फिजिकल प्रजेन्स जरूरी नहीं है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कि वहां पर एन. आर. ई. पी. के 1 लाख 85 हजार रुपये सरकार खर्च हुये....

श्री सभापति : वह फिजिकली और मैन्टली दोनों तरह से सदन में उपस्थित हैं, कृपया बोलें।

श्री कल्याण सिंह कालवी : 1 लाख रुपये जन सहयोग से लगे। 2 लाख 28 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं और 90 परसेन्ट भवन निर्माण हो चुका है और अब वहां पर अपनी सरकार फैसला दे रही है कि एक किसी सेठ को प्राइवेट औषधालय बनाने के लिये उस भवन को उनको दे दिया जाय। यह अचरज की बात यहीं देखने में आ रही है। अब तक सेठ साहूकार भवन बनाकर जनता के हित में अपना भवन सरकार को सुपुर्द करते हैं और वहां यह हो रहा है कि सरकार के पैसों से और जन सहयोग से भवन बना है वह किसी सेठ साहब को अपना औषधालय चलाने के लिये हम उनको सुपुर्द कर दें। यह उल्टी बात हमने पहली बार यहीं राजस्थान के अन्दर ही सुनी है, बाकी इस तरह की बात और कहीं नहीं सुनी।

सभापति महोदय, आपने मेरे को समय दिया मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान का विकास करना है, गांव के अन्दर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे कैसे स्थापित किये जा सकते हैं, गांव के अन्दर बैठे हुये आदमी को खाने-कमाने के लिये बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़े, उनको ईंट-भट्टों पर काम नहीं करना पड़े उनको डामर की सड़क पर काम नहीं करना पड़े जयपुर में आकर उनको साइकिल-रिक्शा नहीं चलाना पड़े, शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि राहत प्रदान करनी है तब फिर गांव के अन्दर रोजगार आपको देना पड़ेगा। केवल रोजगार से ही काम नहीं चलेगा, धन्धे देने पड़ेंगे लोगों को, काम देने पड़ेंगे और काम मिल गया तो रोजगार अपने आप मिलने लग जायेगा। यह निश्चित बात है। पहली यह बात कहना चाहता हूं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गांव के अन्दर जो कुछ भी पैदा होता है उस चीज की बिक्री की व्यवस्था सरकार को

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

करनी चाहिये। ताकि बिचौलियों से मुक्ति हो जाय और उनको लाभ मिल सके।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं चौहटन (बाड़मेर) से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे। वहां पर सेठ साहूकार कपड़ा बांटते हैं। वह हजारों गज कपड़ा बांटते हैं। एक एक मीटर का कपड़ा औरतों को देते हैं उस हिसाब से 10-10, 20-20 मीटर देते हैं वह उनमें रंगाई व कांच का कसीदा करती हैं। 5 रुपये गज में देती हैं और 10 रुपये गज में वापिस ले लेते हैं। और जब उस कपड़े को ट्यूरिस्टों को वेचते हैं तो वह कपड़ा बिकता है 50 से लेकर 100 रुपये तक। जिनको एक्सपोर्ट का लाईसेन्स मिल चुका है उनको यह डेढ़ सौ रुपये में जाता है। अमेरिका और यूरोप के अन्दर जाकर जो शौकिया लोग है जो उनको रखते हैं वहां बिकता है दो-दो सौ, ढाई-ढाई सौ रुपये में। और हमारे यहां मेहनत करने वाली उस गरीब परिवार की औरत को मिलते हैं 5 रुपये और बिचौलिये कमाते हैं सैकड़ों रुपये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन सारी चीजों को रोकना पड़ेगा, तभी जाकर खुशहाली आ सकती है।

मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने समय सीमा का ध्यान रखा उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि मैं आगे का नाम पुकारू उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि कृपया 10 मिनट के समय मे अधिक का समय नहीं लें। श्री रमजान खां।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय। दिनांक 17 जुलाई को यहां पर कृष्णा मिल के श्रमिकों के बारे में चर्चा हुई थी परन्तु जिस ढंग से इस सरकार ने कृष्णा मील के 16 सौ श्रमिकों की धज्जियां उड़ा दी। इसलिये मुझे कुछ उम्मीद तो नहीं है कि जो कुछ मैं कहूंगा उसको यह मानेगी। परन्तु फिर भी आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि इस राजस्थान के अन्दर करीबन 50 लाख श्रमिकों की आबादी 27 जिलों के अन्दर है. अगर माननीय मंत्री महोदया मेरी बात सुनेगी 27 जिलों के अन्दर जो श्रमिक के लिये आपके लेबर ऑफिसर्स लगे हुये है, सभापति महोदय, केवल 27 जिलों में से 13 जिलों में लेबर आफिसर्स लगे हुये हैं, 14 जिलों में कोई लेबर ऑफिसर नहीं है। एक बात और अर्ज करूं लेबर कोर्ट के सम्बन्ध में। लेबर कोर्ट, 27 जिलों में से केवल 5 जिलों में लेबर कोर्ट है और 22 जिलों में लेबर कोर्ट नहीं है राजस्थान में। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? 50 लाख श्रमिक कहां तो जाय न्याय लेने के लिये, किसको रोना रोवें? यह सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है।

इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार से कि प्रत्येक जिले में लेबर ऑफिसर होना चाहिये प्रत्येक जिले में कोर्ट होनी चाहिये ताकि मजदूरों को सही ढंग से उनका हक मिल सके। दूसरा मेरा यह निवेदन था कि यह लेबर कोर्ट्स नहीं होने की वजह से, लेबर ऑफिसर्स नहीं होने की वजह से श्रमिकों का जो हक मारा जाता है, सभापति महोदय,

(192)

(श्री रमजान खां)

जो केन्द्रीय सरकार ने उनको अधिकार दिये हैं, उनके लिये कुछ रियायतें देती हैं उनका जिस ढंग से शोषण होता है उसका छोटा सा उदाहरण, सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं न्यूनतम मजदूरी 11 रुपये है लेकिन लेबर कोर्ट नहीं होने की वजह से, लेबर ऑफिसर नहीं होने की वजह से और लेबर डिपार्टमेन्ट का कोई आदमी नहीं होने की वजह से मजबूर होकर उनको 1 रूपया 80 पैसा मजदूरी लेनी पड़ती है। यह सबसे बड़ा शोषण है। प्राविडेण्ट फण्ड मारा जाता है, बोनस के लिये उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी जब माननीय सदस्य बात कर रहे थे गांवों के अन्दर जितने भी श्रमिक हैं उनकी इतनी बुरी हालत है, उनकी तो कोई सुनने वाला नहीं है और कोई समझने वाला नहीं है। अभी लेबर कोर्ट स्थापित करने की कुछ योजनाएं राजस्थान सरकार के विचाराधीन है—सिरोही, जिला, चित्तौड़गढ़ जिला और सवाई माधोपुर जिले में यह लेबर कोर्ट्स स्थापित करने जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, विशेषकर सवाई माधोपुर जिले में तो सीमेन्ट फैक्टरी है, वहाँ पर फर्टीलाइजर का बहुत बड़ा कारखाना है, वहां पर बीड़ी मजदूर बड़ी तादाद के अन्दर है, वहां पर कम से कम 50 हजार मजदूर खानों के अन्दर काम करने वाले हैं। इसलिये लेबर कोर्ट और लेबर ऑफिसर की नियुक्ति विशेष रूप से वहां पर होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत जो काम हुये, तालाब, रपटें, सड़कें आदि जो बनी वह इतनी तादाद के अन्दर अजमेर जिले में टूटी हुई हैं, उसका नक्शा आपके सामने रखूं थोड़ा सा—259 काम ऐसे हैं, सभापति महोदय, जो अधूरे और अपूर्ण पड़े है। क्या करते हैं अब तक आपसे निवेदन करूं कि एन. आर. ई. पी. के अन्दर मजदूरों से जो काम कराते हैं उस काम की लागत मान लीजिये 50 हजार रूपये की है उसकी स्वीकृति करते हैं 10 हजार रुपये की और 10 हजार रुपये में तो काम पूरा नहीं हो सकता। यह तो बता देते हैं कि हमने इतने काम स्वीकृत किये, आंकड़े बता देते हैं, अखबारों में दे देते हैं कि इतने काम स्वीकृत किये मगर 10 हजार में 50 हजार रुपये का काम पूरा नहीं होता है। उसकी वजह से वह काम अपूर्ण पड़े रह जाते हैं और पिछले तीन सालों के, मैं आंकड़े अजमेर जिले के बताऊं 259 काम अपूर्ण पड़े हैं। एक बहुत बड़ी मजेदार बात बताऊं। अभी हमारे एन. आर. ई. पी. मंत्री महोदय, श्री ओला साहब, जो अजमेर जिले के प्रभारी मंत्रीजी भी हैं, उन्होंने अजमेर जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में मीटिंग ली थी। उसमें भी मैंने उनसे कहा था, निवेदन किया था कि एन. आर. ई. पी. के तहत अजमेर जिले को कुछ नहीं मिला है तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ दे दिया, हमने 99 तालाब स्वीकृत कर दिये और 27 तालाब तो पंचायत समिति के माध्यम से चलेंगे। उन्होने मुझे एक कागज भी दिया था। सभापति महोदय, वह कागज मेरे पास मौजूद है। वह ग्राम स्वीकृत किये गये, मैं आपसे अर्ज करूं, इसको स्वीकृत करने की तारीख 19.1.85

(श्री रमजान खां)

को प्रशासनिक स्वीकृति, 27 स्थानों की अजमेर जिले के अन्दर हुई और उस एन. आर. ई. पी. का एक भी काम, आज जुलाई का महीना चल रहा है, आज 23 जुलाई है और एन. आर. ई. पी. का एक भी पैसा नहीं लगा, एक भी तालाब के ऊपर काम नहीं हुआ। केवल मात्र आंकड़े जो यह मेरे हाथ के अन्दर हैं कि 27 कामों में से एक भी काम मन्जूर नही हुआ. इससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, सभापति महोदय। वहां पर हमने कहा था उनसे, जब जिला परिषद की बैठक हुई थी, कि प्राथमिक शालायें जहां नई खोल दी गई हैं वहां बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने बैठते हैं, इसलिए एन.आर. ई.पी. का पैसा ज्यादातर स्कूलों को एक एक कमरा, जहां मन्जूर किया हैं स्कूलें वहां पर उना दिया जाय, उन लोगों ने उस चीज की परवाह नहीं की और अभी तक वह 27 काम जो लाखों रूपया एन. आर. ई. पी. का हमारे जिले के नाम से आया उनका भी कोई अता पता नहीं और वह अभी तक ऐसी की ऐसी पडी हुई हैं। मंत्री महोदया, अगर मेरी बात को सुनें तो गौर करें, वह जांच करें कि इसका दोषी कौन है कि 27 काम राजस्थान की सरकार ने मन्जूर किए उसकी तारीख मैं आपको निवेदन करूं और उस काम को मालूम नहीं, 19.1.85 को उसके नम्बर भी मेरे पास है, उनका दोषी कौन है, क्या जिलाधीश की यह गलती रही क्या अतिरिक्त जिलाधीश की यह गलती रही और जो भी दोषी अधिकारी इसके अन्दर पायें जाय उनको सजा मिलनी चाहिये। मंत्री महोदया इतने दिनों तक यह काम क्यों नहीं चले और आज तमाम के तमाम वह 27 के 27 तालाब टूटे पड़े हैं। उनमें अभी वहां थ ड़ी बहुत बरसात हुई है, अगर वह 27 काम हो जाते तो पानी इकट्ठा हो जाता और वहां जानवरों के पीने के लिए, सभापति महोदय, पानी मिलता। मगर दुर्भाग्य की बात है कि उनके अन्दर एक पैसे का भी काम नहीं हुआ।

(व्यवधान)

अभी दस मिनट भी नहीं हुए, सभापति महोदय,

श्री सभापति : आठ मिनट हो चुके हैं, दो मिनट वाकी है, और बोले।

श्री रमजान खां : एक निवेदन है।

श्री सभापति : हां बोलिये, बोलें।

श्री रमजान खां : तारागढ़ सम्पर्क सड़क, यह तारागढ़ सम्पर्क सड़क हमारे अजमेर जिले के लिए एक ऐसा विषैला सांप बन गई है, सभापति महोदय, कि जितने भी एन. आर. ई. पी. का पैसा था तमाम का तमाम तारागढ़ सम्पर्क सड़क पर लगा दिया जितना भी अकाल का पैसा था तमाम तारागढ़ सम्पर्क सड़क पर लगा दिया, आर. एल. ई. जी. पी. का पैसा तमाम का तमाम तारागढ़ सम्पर्क सड़क पर लगा दिया और इस तारागढ सम्पर्क सड़क पर लाखों रूपयों का गबन घोटाला हुआ। सभापति महोदय, अगर मैं अभी यहां पर बयान करने जाऊं, मेरे पास यह पूरी की पूरी फाइल तारागढ़ सम्पर्क सड़क की रखी हुई है, अगर मैं बयान करने जाऊं तो आप कहेंगे कि समय बहुत कम है और बोलने की मुझे अनुमति

(श्री रमजान खां)

नहीं होगी। इसलिए, सभापति महोदय, ग्राप हुक्म करेंगे तो मैं ग्रापको बाद में बता दूंगा। इसलिए तारागढ़ सम्पर्क सड़क को ग्रगर, ग्रापको विदेशियों को ले जाकर तारागढ़ की चोटी पर ग्रगर पहुंचना है तो कम से कम हमारा एन. ग्रार. ई. पी. का पैसा, ग्रार. एल. ई. जी. पी. का पैसा ग्रौर यह ग्रकाल राहत का पैसा, वहां पर तारागढ़ के पास कम से कम पांच गांव ग्रकालग्रस्त घोषित हैं, सम्बलपुर घोषित था, दोराई घोषित था, खानपुरा घोषित था, तबीजी, इस तमाम गांवों का पैसा तारागढ़ सम्पर्क सड़क पर, लगा दिया। गांवों को क्या मतलब है, सभापति महोदय, इस तारागढ़ सम्पर्क सड़क पर, ग्रौर वह पैसा सही नहीं लगता है। वह पैसा पता नहीं कहां, उस पैसे का गबन घोटाला हुग्रा, ग्राज तक पता नहीं, सभापति महोदय, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिये ग्रौर इसके लिए ग्रलग से फण्ड मन्जूर करना चाहिये। ग्रगर तारागढ़ सम्पर्क सड़क को बनाना है तो हमारे गांवों का पैसा इसके ग्रन्दर नहीं लगना चाहिये।

मैं एक छोटा सा ग्रर्ज करूं कि ग्रभी ग्रभी 22.6.85 इतने दिनों मेरे यह दिमाग में था, सभापति महोदय, कि ग्राई. ए. एस. ग्रधिकारी दलगत राजनीति से दूर रहते हैं, यह मेरे दिमाग में था। मगर 22.6.85 को ग्रतिरिक्त जिलाधीश विकास व ग्रजमेर जिलाधीश ने जो दोनों ही ग्राई. ए. एस. ग्राफिसर हैं इन्होंने, 44 कार्य स्वीकृत हुए ग्रौर हमारे ग्रजमेर जिले के ग्रन्दर 9 निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसके ग्रन्दर दो निर्वाचन क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं एक पुष्कर से ग्रौर एक किशनगढ़ से। ग्राप बड़ा ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, बड़ी मजेदार बात है, 44 कार्य, ग्राज मन्त्री महोदया सुन रही हैं, एन. ग्रार. ई. पी. मिनिस्टर साहब तो यहां पर है नहीं; 44 कार्य स्वीकृत हैं, 22.6.85 को एन. ग्रार. ई. पी. के तहत स्वीकृत हुए, कीमत 14,13,280/- ग्रौर दो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत हुग्रा किशनगढ़ ग्रौर पुष्कर के लिए केवल चार काम ग्रौर केवल 93 हजार रुपये, बाकी तमाम के तमाम, दबाव में ग्राकर के उस ग्राई. ए. एस. ग्रधिकारी ने तमाम के तमाम सात निर्वाचन क्षेत्रों में उन कामों को करवाया ग्रौर इससे बड़ी ग्रौर दुर्भाग्य की बात ग्राई. ए. सए. ग्राफिसरों के लिए क्या हो सकती है, सभापति महोदय, मैं उनके ऊपर ग्रापके माध्यम से ग्रारोप लगाना चाहता हूं कि ग्राज राजस्थान के ग्राई ए एस ग्राफिसर भी दलगत राजनीति के ग्रन्दर घुसकर के ग्रौर दलगत राजनीति के ग्रनुसार कार्य कर रहे हैं; यह इसका जीता जागता उदाहरण है।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में....

श्री रमजान खां : एक ग्रर्ज ग्रौर करता हूं, वह सारे राजस्थान के फायदे की बात है, ग्रार.एल. ई.जी.पी. का प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी प्रोग्राम, इसके ग्रन्दर सभापति महोदय, डिपार्टमेंट काम तो कराता है पीडब्यूडी, सिंचाई विभाग, वन विभाग ग्रौर उसका पेमेन्ट करना पड़ता है सरपंच को। ग्रब यह कहां की एक बात है, काम तो डिपार्टमेण्ट कराये ग्रौर पेमेण्ट करे वह। ग्रौर वह भी पेमेण्ट रोकड़ नहीं, सरपंच के ऊपर तो यह सरकार विश्वास करती नहीं है, वह पेमेण्ट कराना पड़ता है गेहूं की वजह से, ग्रौर जिसकी वजह से एक एक साल तक

(श्री रमजान खां)

मजदूरों को गेहूं नहीं मिलता है, गेहूं का पेमेण्ट नहीं मिलता। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, सरकार से अनुरोध है कि अगर काम आर. एल. ई. जी. पी. के डिपार्टमेण्ट से करवाये जाय तो यह पेमेण्ट भी डिपार्टमेण्ट के थ्रू करायें, पंचायतों की की हैड को इसमें नहीं रखी जाय इससे पंचायत समितियों का कोई लेना देना नहीं रखा जाय नहीं तो सरपंच बड़े परेशान होते हैं पंचायत समितियों में जाते हैं, वहां पर गोदाम में जाते हैं, एफ सी आई के गोदाम में, उस दिन गेहूं नहीं मिलता, पूरे दिन भर रुक कर आते हैं इसलिए यह डिपार्टमेंण्ट के थ्रू इसका पेमेण्ट किया जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रमजान खां : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय की सीमा का बहुत ध्यान रखा। श्री मैरूंलालजी भारद्वाज— माननीय सदस्य दस मिनट की समय सीमा निर्धारित की गई है, आप विद्वान हैं, अच्छा बोलेंगे, आप दस मिनट में बोल लें—माननीय श्री मैरूंलालजी।

श्री मैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 23....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इनको बुलवाना आसान है, बिठाना आसान नहीं होगा आपके लिए।

श्री सभापति : क्या फरमाया आपने ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इनके लिए बोलने की अनुमति देना तो आसान है, बिठाना मुश्किल होगा, आपको।

श्री मैरूंलाल भारद्वाज : आपकी तरह अनुशासनहीन थोड़े ही हूं, माननीय सभापति जी कहेंगे उसी समय एक मिनट में बैठ जाऊंगा।

आदरणीय सभापति जी, आज मांग संख्या 23 पर जो श्रम और रोजगार से सम्बन्धित हैं उस पर सदन में विचार किया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि श्रम और रोजगार दोनों एक दूसरे पूरक माने जाते हैं, श्रम के बिना रोजगार नहीं। और रोजगार के बिना श्रम नहीं तो इन दोनों का सामंजस्य बिठाने की दिक्कत क्या हो रही है कि कहीं तो खाने को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं और कहीं खाना इतना ज्यादा है कि लोगों को वैद्यों के पास दवाई लेनी पड़ रही है। कई लोगों के पास श्रम शक्ति है तो लोगों के पास काम नहीं है रोजगार नहीं है और कई लोगों के पास श्रम का नाम निशान नहीं। जिस प्रकार मैं इस बात को अनावश्यक मानता हूं कि रोजगार का अधिकार, हमको रोजगार का अधिकार मिलना चाहिये, प्रत्येक व्यक्ति को उसको हमारे देश में रोजगार अवश्य मिलेगा चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे वह बिना पढ़ा लिखा। परन्तु हमको रोजगार मिले और रोजगार में श्रम जो वह करेगा उसका उपयोग करेगा, ठीक इसी प्रकार, मैं इसके साथ दूसरी बात जोड़ना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय जिस पर अभी तक लोगों ने विचार नहीं किया, वह बहुत जरूरी है। वह यह है कि हर व्यक्ति को उसकी स्थिति

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

के अनुसार श्रम करना पड़ेगा हो, यह श्रम की अनिवार्यता है। मैं इसको भी इसके साथ ही लागू करना चाहता हूं। जिस प्रकार मैं श्रम के अधिकार को लागू करने का प्रतिपादक हूं ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति श्रम लागू करने के लिए जो अनिवार्यता है इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि एक बात माननीय सभापति महोदय, यह देश जिसमें 70 करोड़ से अधिक आबादी है, इसकी बड़ी मुश्किल यह है कि रोजगार और श्रम, हमारे यह उस रोजगार का मूल जो है वो काम में नहीं आ रहा है, श्रम में नहीं लिया जा रहा है, जितने आदमी हैं उनके आधे से ज्यादा आदमी ऐसे भले आदमी हैं जो श्रम करना चाहते हैं और इस देश में जो बिना श्रम के पूंजी इकट्ठा होने का एक तरीका जो निकल रहा है, पूंजीवाद की कमी, खामियों और गलियारों से निकल कर के, यह हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन जब आदमी को बिना श्रम के किये ही उसका जीवन-यापन नहीं होता है बल्कि उसके पास धन इकट्ठा हो जाता है तो, माननीय सभापति महोदय, फिर श्रम करने के लिये क्यों उस तरफ बढ़ेगा और श्रम की महत्ता ऐसे घटती है इसलिए मेरा निवेदन है कि हमको इस तरह का प्रयास पैदा करना चाहिये, व्यक्ति के लिए श्रम आवश्यक होगा और प्रत्येक व्यक्ति के हित में श्रम करने के लिये रोजगार मुहय्या कराया जाय यह बात हमको तय करनी पड़ेगी। जहां तक श्रम के बारे में जो रोजगार दिलाने की प्रक्रिया हमारे देश में चालू है, राजस्थान में जो कुछ कार्य चालू किये हैं उसके बारे में मैं निवेदन करूं—

यहां पर कुछ मित्रों ने एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज की आलोचना की है और काफी कुछ तथ्य रखें हैं। सभापति महोदय, एम्पलामैन्ट एक्सचेंज का काम क्या होना चाहिये। यही नहीं कि केवल रोजगार का लेखा-जोखा रख ले कि हमारे यहां पर कितने बेरोजगार हैं। आज तो स्थिति यह है कि लोग वहां पर जाकर खुद जो अपना नाम दर्ज करा लेते हैं उसको विभाग लिख देता है बाकी कई लोग जाकर नाम भी दर्ज कराते नहीं हैं। बाकी रोजगार विभाग का काम यह होना चाहिये कि वह हमारे प्रान्त में यह पता लगाये कि हमारे प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में और हर गांव में कितने आदमी पढ़ें-लिखें हैं जो कि बेरोजगार हैं। केवल बेरोजगार पढ़े लिखे इतने हैं इसकी खाली खाना-पूर्ति करने के लिये यह महकमा हो, यह ठीक नहीं है। सभापति महोदय, आज स्थिति ऐसी है कि जो लोग होशियार होते हैं वह जाकर अपना नाम दर्ज करा लेते हैं पर जो नाम दर्ज कराता है उसको भी विश्वास नहीं और इसका कारण यह है कि अभी तक रोजगार महकमे पर लोगों का विश्वास जमा नहीं है। इसलिये रोजगार महकमे में लोग नाम दर्ज कराते भी नहीं है। इसलिये उन लोगों का विश्वास अर्जित किया जाय और मैं समजता हूं इसके लिये केवल नाम रजिस्टर में दर्ज कराने से ही कोई रोजगार मिल जाये ऐसी बात नहीं है।

श्री सभापति : तो रजिस्टर कराने के सिवाय क्या रास्ता है वह आप बता दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं आपको बताता हूं, जैसे कि जनगणना का विभाग है वह खुद जाकर जनगणना कर पता लगाता है और जिस तरह से चुनाव के दिनों में मतदाताओं का पता लगाया जाता है उसी तरह तलाश की जानी चाहिये। काम दिलाऊ महकमे को और यह जो अपना एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज डिपार्टमेन्ट जिसे कहते हैं वह खुद जा कर इस बात की तलाश करे। एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज डिपार्टमेन्ट का यह काम है यह कर्तव्य उसका है कि वह यह जुटाये कि हमारे प्रान्त में कितने बेरोजगार हैं और किस-किस श्रेणी के बेरोजगार हैं। किन-किन श्रेणी के रोजगार उनके लिये नियोजित किया जा सकता है, यह काम उनका होना चाहिये। पर आज क्या है कि जैसा कि, मैंने निवेदन किया कि सिर्फ रजिस्टर में नाम दर्ज कराने से ही सीधा न्याय मिल जाय वह बात नहीं है। आज वहां होता क्या है कि नम्बर किसी का है और भेज देते हैं किसी को इन्टरव्यू में सभापति महोदय, इस रोजगार महकमें की सारी अर्थी निकाल दी जनता पार्टी के समय में जनता पार्टी ने एक प्रकार से यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सच्चे मायने में जनता पार्टी की सरकार ने उसकी अर्थी क्या जनाजा निकाल दिया। अर्थी इस प्रकार से निकाल दी की इस महकमे को तोड़ा भी नहीं..........

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर इस महकमे को तोड़ दिया जाता तो कोई बात नहीं होती।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस महकमे को तोड़ दिया जाता यह कह देने कि हमारी यह नीति है, इसके तौर तरीके हमें पसन्द नहीं हैं इसलिये हम इस महकमे को तोड़ रहे है। पर इन्होंने उस महकमे को तोड़ा भी नहीं वह महकमा जिन्दा तो रहा पर इसकी जिन्दा अर्थी निकाल दी। यह हालत कर दी कि इस महकमे को पूछा ही नहीं और ऐसा किया कि बिना न्योते वाले को न्योत दिया और न्योते वाले थे वह रोते फिरे और बिना न्योते वाले को लड्डुओं की पतल परोस दी। अपने-अपने आदमियों को इन्होंने नौकरी दे दी और, सभापति महोदय, जिसने भी काली टोपी पहन ली

(व्यवधान)

जिसने भी जांघिया और काली टोपी पहन ली उसको ही नौकरी का पात्र बना दिया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज की जनता पार्टी के राज्य में उसकी कोई साख नहीं रही तो मेरा निवेदन है कि इनकी साख कायम होनी चाहिये और उसके लिये हमें इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आमूल-चूल परिवर्तन करके जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज की ड्यूटीज यह रहेगी उसकी जिम्मेदारी है कि वह बेरोजगारों की तलाश करे और उसके बाद में रजिस्टर में दर्ज करे, न केवल रजिस्टर में ही दर्ज करे बल्कि हमारे प्रान्त के अन्दर इस प्रकार का विभक्तिकरण करे और फिर

(श्री भैरूंलाल भरद्वाज)

बेरोजगारी के लिये सिफारिश करे कि हमारे प्रान्त में इतने बेरोजगार है यह काम कर सकते हैं । इतने बेरोजगार पढ़े-लिखे हैं जो यह काम कर सकते हैं, इतने लोग यह काम नहीं कर सकते । तो इस प्रकार से नियोजन महकमा इसकी ओर ध्यान दें । यह उसका जिम्मा होगा कि वह जो लोग रजिस्टर में दर्ज हैं उसको काम दिलायें । इसके अलावा इसमें जो यह खामिया हैं और अभी कुछ मित्रों ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसी शिकायतें आई है तो इसका ध्यान रखना चाहिये । अगर ऐसी बेजा हरकत होती है तो इसको बन्द किया जाना चाहिये ।

यहां पर कुछ मित्रों ने बच्चों से काम लेने के बारे में कहा कि बच्चों से काम लिया जाता है और बच्चों का शोषण हो रहा है इसमें अगर ऐसा है तो हमें इसमें कठोरता से पालन करना चाहिये । आज ऐसी स्थितियां हैं कि बच्चों के ऊपर इस तरह से कुठाराघात किया जाता है । आज सभापति महोदय, होता क्या है कि बच्चों को मजबूर होकर कप प्लेट धोना पड़ता है या एक बच्चा मजबूर होकर भीख मांगता है या बच्चों को फुसला कर लोग बेचने का धन्धा करते हैं तो इस प्रकार की स्थितियां हैं जिनको हमें बदलना है और यह स्थितियां बदली जानी चाहिये । तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमको इस सिद्धान्त पर आना पड़ेगा कि श्रम रौर रोजगार दोनों को मिलाकर काम करना होगा और श्रम और रोजगार दोनों को को मिलाकर हमें लोगों को रोजगार की गारण्टी देनी पड़ेगी । तो, सभापति महोदय, यह रोजगार की जो हमारी योजनायें हैं यह एन. आर. ई. पी.. और आई. आर. ई. पी. और दूसरे जो हमारे कार्यक्रम हैं ग्रामीण विकास योजनायें,

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, मैं इसके बारे में एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो अपने यहां पर बी. एस. आर. के तहत लोगों को पैसा मिलना चाहिये या न्यूनतम रोजगार का पैसा हमारे मजदूरों को मिलना चाहिये पर सभापति महोदय, यह दोनों ही कार्यक्रमों का तारतम्य हमारे यहां पर नहीं है । कहने को तो है पर वस्तु स्थिति यह है कि कहने को तो 11) रुपये रोज मिलते हैं, यह कहते हैं पर ऐसा नहीं है । उसके लिये एक निर्धारित काम रहा है और उतना काम अगर वह नहीं करता है तो उसको पूरे पैसे नहीं मिलते है । आज लोग जो वहां पर काम करते हैं उसमें अगर 50 आदमी हैं उसमें से 20 आदमी काम करते है और 30 आदमी हुल्लड बाजी करते हैं तो जो 20 आदमी काम करते हैं उनको भी पूरा पैसा नहीं मिलता । यह होना चाहिये की वहां पर यूनिट होनी चाहिये । उसमें दो-चार आदमी अपना एक समूह बना लें खुद का वह अपना काम करें, नहीं तो होता क्या है कि 200 आदमी हैं और इतना काम हुआ तो उसको दो सौ में विभक्त करके यह कह देते हैं कि चार रुपये उसके पांती में आये और इस प्रकार जो पसीना बहाता है उसका भी चार रुपया और जो हुल्लड-

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

बाजी करते हैं उसको भी चार रुपये ।.ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी योजनाओं के तहत मजदूरी जो मिलती हैं उसकी ओर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। हमारे यहां पर केन्द्र सरकार के निर्देश हैं कि हर परिवार के अन्दर कम से कम एक आदमी को रोजगार मिलना चाहिये इस बात का हमारे यहां पर ध्यान नहीं रखा जाता है। आज कई बार एक परिवार के सभी लोग आ जाते हैं और किसी परिवार के एक भी आदमी को काम नहीं मिलता है। तो जो खून पसीना बहाता है उसको काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसके लिये हमें सख्ती से पालना करनी चाहिये। मजदूरी के अलावा हमारे यहां पर और भी प्रोग्राम हैं जिसके तहत भूमिहीन और कम जोत की जमीन वाले किसान आते हैं, उनको रोजगार देने के लिये जबकि फसल का समय नहीं हो उस समय ऐसे लोगों को विशेष तौर पर हमें इन योजनाओं में काम देना स्वीकार करना चाहिये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। आपने काफी अच्छे सुझाव दे दिये हैं।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हू कि वह जो हमारे दस्तकार है उनकी ओर हमने बहुत कम ध्यान दिया है। आज उन मजदूरों की बात हम करते हैं आज भूमिहीन लोगों की बात हम करते हैं लेकिन गांव में जो छोटे-छोटे आर्टिजन बैठे हैं उनकी बात हम नहीं करते हैं आज उनका कोई सुनता ही नहीं है। दस्तकार लोगों को अपनी दस्तकारी के काम के लिये हमें उनको कच्चा माल देना चाहिये और उनका जो तैयार माल है उसका उनको पैसा मिलना चाहिये या उनके तैयार माल के लिये बिक्री की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि यह ट्राइज्म योजना के तहत हम जो पंचायत समितियों में लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और उनको प्रशिक्षण देने के बाद हम यह समझ लेते हैं कि हमारी इति श्री हो गई। उनको देने की हम अनिवार्यता नहीं समझते हैं। आज जो हमारे प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के बाद हमें उनको सहायता देनी चाहिये। परन्तु हम तो उनको सिलाई का काम सिखा कर उनको एक सिलाई की मशीन दिला देते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारी छुट्टी हो गयी, पर वह सिलाई की मशीन क्या है, वह ज्यादा से ज्यादा होगी पांच सौ या सात सौ रुपये की। तो इससे क्या होता है। हमें उनके लिये काम मुहैया करना चाहिये। हमें सरकार से उनको आर्डर दिलाना चाहिये ताकि उनको काम उपलब्ध हो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बहुत अच्छे सुझाव दे दिये।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, जैसाकि मैंने निवेदन किया है श्रम और रोजगार दोनों को मिलाना अनिवार्य है और इसका अनिवार्यता से पालन होना चाहिये ऐसी व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय सदस्य आपने समय की सीमा का ध्यान रखा। श्री सम्पतसिंह।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : सभापति, महोदय श्रम और रोजगार के ऊपर बहुत से विद्वान माननीय सदस्यगणों ने अपने विचार सदन में रखे। लेकिन, सभापति महोदय, राजस्थान प्रान्त का पढ़ा लिखा नौजवान और गांव का बेरोजगार आज क्या सोचता है इस विषय में आपको अपनी बात कहना चाहूंगा। सभापति महोदय,

(5·39 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस विषय में यह सोचता है कि इसको दो हिस्से में बांटना चाहिये, एक तो शहर और दूसरा देहात की जनता। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के राज में एक कार्य-क्रम चलाया गया था काम के बदले अनाज योजना।

(व्यवधान)

यह एग्रोइन्डस्ट्रीज वाले बोल रहे है जो शक्कर बेच रहे हैं।

(व्यवधान)

शक्कर बेच रहे हो काम तो कुछ करने गये थे आपने वायदा कुछ किया था और कर कुछ और रहे हो शक्कर बेच रहे हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके हमने जब आपकी बात सुनी तो आप भी हमारे टूटे फूटे शब्द सुने। आप बहुत सीनियर माननीय सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप उस अनाज को कितने दिन तक इकट्ठा करने रखके।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री भैरूंलाल जी माननीय सदस्य भैरूंलाल जी। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा नहीं लगता।

श्री मोहन प्रकाश : गेहूं तो किसान ने पैदा किया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं निवेदन करता हू सवा छः बजे सरकार का रिपलाई शुरू हो जायेगा····

श्री सम्पत सिंह : अगर हमारी जुबान इसी तरह बन्द की जायेगी तो हमें दूसरे रास्ते तलाश करने होंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात कहने के लिए।

श्री यदुनाथ सिंह : सड़कों पर देखेंगे।

श्री सम्पत सिंह : हम अपनी बातक हने आये हैं किसी के टेलीफोन पर यहां नौकरी करने के लिये नहीं आये……

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये चेअर है, आपको तकलीफ नहीं होगी ।

श्री सम्पत सिंह : बड़ी ज़रा नवाज़ी होगी अगर हम जैसे नौसिखिये को बोलने दिया जाये ।

मैं निवेदन कर रहा था कि जनता पार्टी के राज के अन्दर जो काम के बदले अनाज योजना शुरू हुई थी उसकी नकल कमोबेश की गई है पिछले दिनों एन. आर. ई. पी. ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार योजना पिछले दिनों-यह बात साफ हो गई है जैसे खाया हुआ इन्सान अपनी थाली में से चार टुकड़े अपने कुत्ते को डालता है वही तरीका अपना हुआ है योजनाओं के लिए । छप्पर के लिए कर्ज देते हैं, भैंस के लिए कर्ज देते हैं । सिलाई की मशीन के लिए कर्ज देते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे इस देश की बेरोजगारी मिटेगी नहीं, इस देश की गरीबी नहीं मिटेगी । मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि यह साधन उसको एंगेज करने के लिए, उनका ध्यान बंटाने के लिए है । यह भूखा आदमी, यह हैवनाट इंसान कहीं क्रांति की तरफ अग्रसित नहीं हो जाये इसलिये उसको उलझाये रखा है वरना आपका सारा प्रोग्राम हेव्स के लिए है, जिनके पास आज सब कुछ है उनके लिए है । एयर कंडीशन सिनेमा बनते हैं, एयर कंडीशंड होटल बनते हैं और उनका नाम रखने की इजाज़त सरकार देती है चन्द्रगुप्त होटल का नाम रखने की इजाज़त सरकार देती है । कितने बड़े-बड़े महापुरुष और उनका नाम रखा जा रहा है होटलों के ऊपर, आपकी नीति साफ है, गांधी छाप बीड़ी बनती है पता नहीं क्या-क्या बताते हैं, शराब-वराब के नाम याद नहीं हैं इसवक्त…

(व्यवधान)

हम विकास की बात ही नहीं करेंगे, काम भी विकास का करते हैं । मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह योजनायें एक फरेब है न सिर्फ राजस्थान की जनता के साथ फरेब है, वरना पूरे हिन्दुस्तान में दो-चार सूबे छोड़ दें यह फरेब हो रहा है । हमको नहीं चाहिए भैंस का कर्ज, हमको नहीं चाहिए छप्पर का कर्ज हम श्रम में, हमें आप फैक्ट्रियों में किसी भी रोजगार में हिस्सा दीजिये । जो माननीय सदस्य पहले कह रहे थे अगर प्राइवेट बिजनेस के अन्दर न सही कम से कम सार्वजनिक उपक्रमों में श्रम का, मजदूरों का हिस्सा होना चाहिए । मैं यह निवेदन कर रहा हूं जो यह योजनायें हैं फरेब की हैं । जो शहरों में श्रम की बाबत आती है सवेरे-सवेरे रेडियो से सुनने को मिलता है उपाध्यक्ष महोदय, श्रममेव जयते, हमारे राष्ट्र में सत्यमेव जयते ही नहीं श्रममेव जयते का भी बड़ा महत्व है । लेकिन हम यह देख रहे हैं और न सिर्फ अपनी जिन्दगी में आता देख रहे हैं, किताबों से भी देखा जा रहा है कि हिन्दुस्तान में जिस आदमी ने अपने हाथ से काम किया है उसको नीचा माना गया है और जिस ने हाथ से काम नहीं किया, पूंजी से शोषण किया है उसको ऊंचा माना गया है । वही व्यवस्था बदस्तूर लागू दिख रही है । शहर में छोटे-छोटे मासूम बच्चे बस स्टेण्ड पर, रेलवे स्टेशन पर और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर बूट

(श्री सम्पत सिंह)

पालिस करने की गुहार करते नजर आते हैं या भीख मांगते हैं या होटलों में कप प्लेट धोते हुए नजर आते हैं। वह मासूम बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है वह इस मुल्क में, हमारे प्रान्त में, कभी-कभी बदकिस्मती से मुझे बड़े लोगों के आना-जाना होता है साल में एक-दो मर्तबा, वहां देखने का मौका मिलता है कि कुत्तों को भी इंग्लिस सिखाई जाती है, टोमी सिट, जैकी सिट डाउन, और गरीबों की शिक्षा के लिए, पढ़ाने के लिए मोहलत नहीं है। कुत्तों को इंग्लिस सिखाई जा रही है और इन्सान जो खुदा कभी न करे इस देश के मालिक होंगे या नहीं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जबकि कानून हमारे देश में हैं कि 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चे रोजगार या नौकरी नहीं करेंगे। अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि कि न तो शहरों में समन्वय है न गांवों में हमारा समन्वय है मजदूरों के साथ और उन पर भ्रष्टाचार और शोषण की चोट पर चोट हो रही और दूसरी तरफ हमारी सरकार है कि बिलकुल सुन्न और मौन बैठी हुई है। ग्रामीण विकास योजना के मार्फत एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि पहले एक कमेटी हुआ करती थीं एम. एल. ए., विकास अधिकारी, प्रधान और कलेक्टर जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, आज केवल कलेक्टर को आपने राजस्थान सरकार ने एक लाख रुपये की मोहलत दे रखी है कि वह कोई भी काम कर दे। भरतपुर जिले में एक बड़ा फैशन चला हुआ है जहां भी कलेक्टर जाते है केन्द्रीय मन्त्री जाते वे, बिना किसी कानून-कायदे के पचास हजार सेंक्शन, चालीस हजार सेंक्शन, बीस हजार सेंक्शन, नानी की जागीर है और नवासे पुन्न कर रहे हैं। यह कहां का कानून है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा इस देश में ऐसे ही कानून कायदे रहे और यहां पोपा भाई का राज अगर आप दो सौ साल के बाद चलना चाहेंगे तो साल-दो साल कोई इन्तजार करेगा उसके बाद कोई इन्तजार नहीं करेगा। यहां धज्जियां उड़ा दी जायेंगी जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनकी। बड़े-बड़े आला अफसर अगर कानून को तोड़ेंगे घने में आप देखिये कानून यह है कि घास वहां उगे, वहां घास जलती है और ऐशो-आराम की चीजे हो रही हैं। मैं निवेदन करूं न सिर्फ जिलाधीश को इतनी तमीज है, मंत्रियों को भी इतना ध्यान नहीं है और कानून जिस जगह बन रहे हैं उस जगह भी उल्टा-सीधा काम हो रहा है। इसकी बाबत जो भी आज कटौती का प्रस्ताव है आप खुले दिमाग से राजस्थान सरकार ध्यान कर लें यह सारी चीज अब बन्दर बांट वाली नीति नहीं चलनी चाहिए। जितनी भी बात है साफ-साफ होनी चाहिए, जितने भी मजदूरों के माफिक कानून हैं वह स्टेंड स्टिल होकर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अभी पुस्कर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे सत्ताइस जिले और तेरह लेबर इंस्पेक्टर और पांच अदालतें। सवाई माधोपुर में इतने श्रमिक रहते हैं वहां कोई अदालत नहीं है। श्रमिकों के लिए। बिड़ला की कसर्न है, सीमेंट का एशिया की बड़ी कन्सर्न है और दूसरे उपक्रम हैं लेकिन वहां किसी भी मजदूर के लिए कोई कानून की, अगर वह गुहार करने जाये, कोई मोहलत नहीं है। यह जो लेबर एक्ट

(श्री सम्पत सिंह)

का वायलेशन कर रहे हैं ग्यारह रुपये मिनीमम वेजेज हैं और यह देते हैं सड़ा-गला गेहूं। मैं अभी 20 तारीख को नगर पंचायत समिति की मीटिंग में था वहां इस बात का भारी एतराज किया जा रहा है या तो नदबई पंचायत से गेहूं ले लीजिये या कुम्हेर समिति से सड़ रहा गेहूं है वह ले लीजिए। सारे सरपंच लोग कह रहे थे कि गेहूं कोई मजदूर नहीं लेता, नकद पैसा नहीं आता है गांव में फिर काम कैसे होगा। इसलिये बहुत बड़ी जनसंख्या आज आक्रोश में है उसके लिए कोई काम नहीं है। इसलिये राजस्थान की सरकार खुले दिमाग से अपनी बात सोचे कि मजदूरों के लिये कोई बात होनी चाहिए। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा शहरों में या गांव में मजदूर के हक में खुले दिमाग से विचार कर लें, एक खबर छपी थी अब टेलीफोन एक्सचेंज में कुत्तों से नौकरी कराई जायेगी। एक तरफ इस मुल्क में दो करोड़ तीस लाख से ज्यादा पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूमते हैं और दूसरी तरफ आप व्यवस्था कर रहे हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज में कुत्ते नौकरी करेंगे। एक बार खुले दिमाग से विचार करें जहां सत्तर करोड़ की आबादी है और हमारे राजस्थान में कोई कम नहीं है, चार करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां ऐसी नीति लागू होनी चाहिए जहां हाथ को काम पहले मिले और मशीन को काम बाद में मिले और काम करने का हमारा अधिकार जो संविधान में जुड़ा है और संविधान में उसकी व्यवस्था हो। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा अपनी प्रांत में कम से कम एक बार तो प्रगतिशीलता का परिचय दें और एक बेहतरीन कानून बनाकर दें जो मजदूरों के हक में हो, यह मैंस का कर्ज छप्पर का कर्ज, नहीं चलना चाहिए।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सवा छः बजे रिप्लाई शुरू होगा इसलिये छः बजने में दस मिनट हैं, पांच-पांच मिनट बोल सकते हैं, ज्यादा बोलेंगे तो अपने साथियों का समय लेंगे श्री मूल चन्द मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ परिहार, पांच मिनट कृपया।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 23, श्रम एवम् रोजगार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से सम्बधित है और एन. आर. ई. पी और आर. एन. ई. जी. पी. के विषय पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। ग्रामीण लिए के लिये विशिष्ट योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार आर्थिक सहयोग से हमारे ग्रामीण विकास विकास के योजना बनाई जाती है उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्थाई सम्पत्ति बढ़ी है। हमारे क्षेत्र में पाठशालायें हैं, पंचायत घर हैं, औषधालय हैं, सड़कें, नालियां, एनीकट विशिष्ठ तौर से ऐसे कार्य जो आज तक नहीं हुए उन गांवों में, आज उनमें विकास हो रहा है और सम्पत्ति बढ़ी है उसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना किये बिना नहीं रह सकता मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे गत करीब सवा तीन वर्ष तक पंचायत समिति बाली का

(श्री रघुनाथ परिहार)

प्रधान रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं यह निवदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं में जो कि हमारे गांवों के विकास से सीधे तौर से संबंधित हैं इसमें कुछ प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो राशि हमारे जिला स्तर पर आवंटित की जाती है उसका बंटवारा हमारी पंचायत समितियों में अच्छी तरह नहीं होता है। उसमें कुछ विसंगतियां हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे की वह धनराशि हमारी पंचायत समितियों को आबादी के आधार पर आवंटित की जाये ताकि पंचायत के अनुपात में इन योजनाओं की राशि और ऐसी योजना स्वीकृत होकर गांव का विकास हो सके। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज ऐसे कार्य जो एन. आर. ई. पी. के हैं आर. एल. ई. जी. पी. के हैं पंचायतों के माध्यम से कराये जाते हैं। और सरपंच अथवा पचायत के कर्मचारी तकनीकी ज्ञान नहीं रखते और हमारी पंचायत समितियों में जहां कि कनिष्ठ अभियन्ता बैठते हैं और कई पंचायत समितियों में तो लम्बे समय तक कनिष्ठ अभियन्ता नहीं रहते इस कारण से हमारे तखमीने बनाने में, नपती करने में और भुगतान में भारी असुविधायें हैं। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भुगतान हमें किया जाता है वह उस क्षेत्र की डिवीजन की बी. एस. आर. के आधार पर किया जाता है जब कि विभाग में जो कार्य होते हैं चाहे सिचाई विभाग के हों, पी. डब्लू. डी. के हों, अन्य विभाग के हों वह टेन्डर्स इनवाइट करके 20-30 परसेन्ट अधिक से भुगतान करते हैं। तो हमारे जो कार्य होते हैं उनमें पैसा कम मिलने से और इस प्रकार रेट कम आने से हमें बहुत असुविधा होती है। साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इन कार्यों में जो अनुपात रखा गया है श्रम का और रोजगार का, सामग्री और रोजगार का उसमें 50 परसेन्ट सामग्री के लिए और परसेन्ट मानव रोजगार के लिए है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंहगाई का जमाना है इमारती सामान चूना, सीमेण्ट, इमारती लकड़ी, पत्थर इतने मंहगे हो गये हैं कि 50 परसेण्ट में हम उस अनुपात में वह काम पूरा नहीं करवा सकते। इसलिए इसका अनुपात कम से कम 60:40 होना चाहिए ताकि हमारे निर्माण कार्य अच्छे हों और हम अच्छा मेटेरियल उपयोग करें ताकि हमारे भवन अच्छे बन सकें। आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो कार्य पूरे हो जाते हैं उनका संधारण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है उनको जिला परिषद हाथ में ले अथवा विभाग हाथ में ले। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह भवन बनकर उनके संधारण मेन्टीनेन्स अच्छा हो सके और स्थायी सम्पत्ति अच्छे रूप में कायम रह सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

धन्यवाद,

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीत (अनुपस्थित)

श्री हीरासिंह चौहान (अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल (अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) (अनुपस्थित)

श्री डूंगरराम पवार :

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक योजना के तहत रोजगार देने की बात सरकार हमेशा से कर रही है लेकिन यह श्रमिक बेरोजगार क्यों हुए सरकार ने इस ओर ध्यान नही दिया। जो हाथ से काम होते थे उनका मशीनीकरण कर दिया इसलिए गांवों मे बेरोजगारी बढ़ी। यदि गांवों में रोजगार होता, सरकार रोजगार बढ़ाती तो गांव के गरीबों को शहर में नहीं आना पड़ता और शहरों की हालत यह नहीं होती कि इतनी आबादी नहीं बढ़ती। भूमि एक्वायर करते करते सरकार थक गयी फिर भी उनको बसाया नहीं जा सकता। यह हालत इसलिए हुई कि गांवों में रोजगार नही मिला। यह सरकार ने जान बूझकर किया है क्योंकि बड़े कारखाने भी तो शहरों मे लगाये, छोटे ही शहरों में लगे और गांवों में कोई रोजगार नहीं रहा और शहरों में इतना औद्योगिकरण कर दिया है कि जिससे जल प्रदूषण, वायुमण्डल, प्रदूषण बढ़ रहा है। आकाश में फैक्ट्रियों से कार्बन डाई आक्साइड गैस बढ़ रही है-जिससे लोगों के स्वास्थ्य खराब रहने लगे और गांवों में कोई भी छोटा मोटा रोजगार नहीं लगाया गया जिससे गांव का श्रमिक मजदूर बेरोजगार हो गया। इसलिए सरकार की इस गलत नीति के कारण गरीबी बढ़ी है और कहने को यह कहते थे जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती थी तो कविता में किसानों और मजदूरों के लिए कहते थे। दुखिया किसान तेरा दुनियां में राज होगा। तेरा बगीचा होगा, जाजम और गलीचा होगा। रथ, मोटर, कार लारी, उड़ने का जहाज होगा।

उड़ने का जहाज तो दूर रहा उसके पास गाड़ा गाड़ी भी नहीं है। इसलिए उनको रोजगार के अवसर नहीं दिये गये इसलिए गांव का गरीब गरीब होता गया और इधर अमीर है वह अमीर ही होता गया और जो यह किसान और मजदूर हैं यह मजदूर देश के विकास का निर्माता है और किसान देश का अन्नदाता है लेकिन इन दोनों की ही देश में दुर्दशा है बाकी सब मौज करते हैं। जिनको यह पता नहीं जो विभाग में काम करते हैं बड़े-बड़े पदों पर कि श्रम क्या होता है। उनके परिवार में किसी ने श्रम किया नहीं, मजदूरी की नहीं। उनको यह पता नहीं कि मजदूरी किस तरह की जाती है और कितनी कठिनाइयां हैं, उस मजदूर को क्या साधन चाहिए। यह कोई पता नहीं क्योंकि उसका कोई इससे वास्ता नहीं। उससे वास्ता नहीं ऐसे अधिकारी है। इसी तरह के मंत्री हो जाते हैं जो विभाग दिया जाता है उसका कोई ज्ञान नहीं क्योंकि ऐसे सिंचाई मंत्री हो जाते हैं जिन्होंने नहर के दर्शन नहीं किये, पतनाले चलते हैं कभी कभी। कृषि मंत्री, हल चलता नहीं देखा वह कृषि मंत्री हैं। श्रम मंत्री को मजदूरी का पता नहीं कि कितनी होनी चाहिए, मजदूर को क्या कठिनाई है खेत में। तो इस प्रकार सरकार की जानकारी है कि मजदूर को क्या कठिनाइयां होती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आज हाथ का काम करने वाले अच्छे अच्छे कारीगर हैं और कुशल कारीगर हैं लेकिन उनको रोजगार के साधन नहीं दिये जा रहे हैं सरकार की ओर से। भोपालगढ़

(श्री डूंगरराम पंवार)

विधान सभा क्षेत्र में ओसियां तहसील के कई ऐसे गांव हैं जिनमें अच्छे कारीगर हैं। टेरीन और काटन टेरेलीन इतनी अच्छी बनाई जाती है लेकिन उनके पास साधन नहीं और उनको मशीनें खरीदने के लिए कोई लोन नहीं दिया जाता, सब्सीडी भी नहीं दी जाती। अनुदान भी किसी गरीब को देते हैं तो डकार जाते हैं। कर्जा उसके सिर मढ देते हैं तो वह मंजूर हो जाता है। अगर अनुदान में रिश्वत नहीं देते तो वह फिरता रहे, लोन मंजूर नहीं होता। आखिर वह कागज फाड़कर फेंक देता है। इसलिए यह जानबूझकर गरीबी को बढ़ा दिया जाता है। हमारे गंगानगर में जिप्सम के बड़े-बड़े भण्डार हैं नोहर तहसील में जैसे मलकासर, बरमसर, मायल, बल्लू वहां करोड़ों रुपयों का जिप्सम ढोया जा रहा है लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं। वह डेजर्ट एरिया है, कहने को गंगानगर जिला है लेकिन नोहर तहसील में बड़ा भयंकर वरानी और खारे पानी के गांव हैं लेकिन वहां से माल को क्रेन भरती हैं और उन गांव के मजदूरों को मजदूरी नहीं। फिर वह सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के अन्दर जाकर पिसाई होती है शहर के अन्दर लेकिन उन मजदूरों को रोजगार नहीं। होना यह चाहिए कि रतनगढ़ से जो बड़ी लाइन जा रही है बिजली की वहां सब-सेण्टर बिजली का सब-स्टेशन बनाया जाकर वहां बिजली देकर इन खानों पर मशीन लगे, चक्की लगे और वहां पर पिसाई हो और उस जिप्सम के वहां पोलीथीन के बैग्स हैं वह भरे जायें ताकि गांव के मजदूर को मजदूरी मिले। इसी प्रकार गांवों में कारीगर हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार है, लुहार हैं, खाती है उनके पास अच्छी चीजें बनाने के लिए कोई साधन नहीं हैं। न सरकार से कोई लोन दिया जा रहा है। इसलिए देश में श्रमिक मजदूर को मजदूरी देने के साधन सरकार के हाथ में हैं सरकार दे सकती है लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है। कह देते हैं और बड़ी-बड़ी योजनायें बनाते हैं लेकिन मौके पर कुछ नहीं। कोई भी कार्य की क्रियान्विति पानी से नहीं होती श्रम से होती है। आप अच्छे साधनों की बात करते हैं, बहुत लम्बी चौड़ी योजना की बात करते हैं लेकिन मौके पर देखें तो कुछ भी नहीं है इसलिए कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। जो कहती है वह सरकार को करना चाहिए और मजदूर को मजदूरी मुहैय्या कराने में सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करे जैसा कि दूसरे शिल्पी हैं मोची हैं, चमड़े का माल बाहर निर्यात होता है वह इतना मंहगा हो गया है कि वह गरीब खरीद नहीं सकता....

(6.00 सायं)

खरीदता कौन है टाटा, डालमिया, बिड़ला जैसे जिनकी बूटों की बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और उनके जूते दो-दो सौ रुपये में बिकते हैं। यह बेचारा मोची जो अच्छा कारीगर है बूट बनाता है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : एक मिनट। लेकिन वह खरीद नहीं सकता क्योंकि वह मंहगा होता है, चमड़े का निर्यात होता

(श्री डूंगरराम पंवार)

है इसलिये जूती बनाने में असमर्थ है अगर बनाता है तो भी उसको 25-30 रुपये से ज्यादा नहीं मिलता। कई कारीगर बनाते हैं आगरा के बाजार में ढेर हो जाते हैं और बड़े-बड़े सेठ के मुनीम आते हैं, खरीद के ले जाते हैं उस कम्पनी का लेबल लगाकर डिब्बे में तैयार होकर 200 रुपये में वह बूट मिलता है, बनाने वाले को 20 रुपया, क्यों वह गरीब है उसको ऐसे साधन नहीं है। इसलिये देश में अगर गरीबी दूर करनी है तो गांवों में लघु उद्योग का विस्तार करना होगा पंचायत स्तर पर और जो हाथकर्घा के कार्य हैं उनको ज्यादा महत्व देना होगा और जो भूमिहीन किसान हैं उनको जमीन देनी होगी। भूपतियों के कब्जे में भूमि दे रखी है कालबेलियों के नाम लगा रखी है उसकी जांच कराई जाये और गरीब के पास एक बीघा जमीन नहीं है। टीबी विधान सभा क्षेत्र में भूमि चोर बड़े-बड़े हैं। एक सदस्य ने बताया 838 बीघा रकबा भूमि का चोरी कर रखा है—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री डूंगरराम पंवार : एक मिनिट....

ऐसे कई हैं। दीनदयाल पुरुषोत्तम नाम की एक फर्म है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय से भी अलग जा रहे हैं। क्या विषय है, कहां जा रहे हैं....

श्री डूंगरराम पंवार : उन भूमिहीनों को गरीब जो गांव में बसता है वह भूपतियों से जमीन छुड़ाइये सीलिंग से और उनको भूमि दी जाये। दो मिनिट का टाइम दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल आर्य।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन सदन में श्रम और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार हो रहा है। श्रम से मेरा संबंध है इसलिये मैं कुछ विचार रखूं उससे पूर्व विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे कुछ समय में भी राहत प्रदान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ठीक 6 बजे रिप्लाई शुरू हो जायेगा, एक मिनिट इधर उधर नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : कितने आदमी बोलेंगे 6। बजे तक।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का एक मिनट लम्बा चौड़ा होता है।

श्री मांगीलाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर निवेदन करना चाहूंगा सरकार की नीति है समान वेतन। उपाध्यक्ष महोदय, जब समान काम के समान वेतन की हम बात करते हैं तो मैं आपके माध्यम से उस श्रमिक, उस मजदूर के श्रम की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि सफाई मजदूर से सम्बन्धित है। उपाध्यक्ष मोहदय, एक कार्यालय में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चपरासी और दूसरा उसी कार्यालय में सफाई का काम करने वाला, मलमूत्र गन्दगी का काम करने वाला सफाई मजदूर। इन दोनों का समान काम नहीं है। अगर चपरासी किसी कारणवश छुट्टी चला जाये

(श्री मांगीलाल आर्य)

और उस की जगह सफाई मजदूर को उसके काम पर लगाया जाये तो सफाई मजदूर तो उस काम को कर लेगा, सफाई मजदूर अगर छुट्टी चला जाये उसकी जगह पर चपरासी को कहा जाये तो वह उस कार्य के लिये तैयार नहीं है। तो मेरी यह समझ में नहीं आया कि समान काम का समान वेतन वाली जो बात है वह चपरासी और सफाई मजदूर एक कैटेगिरी है, एक श्रेणी है घोषित की गई है। उनका समान वेतन रखा गया है इसका कोई मापदण्ड नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं और वह नीति सरकार की घोषणा कि समान काम का समान वेतन इसके बिल्कुल विपरीत है इसीलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई मजदूर के जो श्रम से उसका काम, उनके मानस पर, उनके स्वास्थ्य पर, जो इसका बड़ा असर पड़ता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिये जो आवश्यक साधन हो, आवश्यक सुविधा हो और उसके लिये उस हिसाब से वेतन मान होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ ही जो निजी घरों में सफाई मजदूर काम करता है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नगर पालिका के अधिनियम के अन्तर्गत धारा 214, 213 के अन्दर इस तरह की व्यवस्था है कि कोई मकान मालिक अपने यहां सफाई मजदूर सफाई करता है, उसकी सफाई से वह असन्तुष्ट है, उसकी शिकायत वह जाकर इस तरह की रिपोर्ट करता है तो उस सफाई मजदूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और मुल्जिम की हैसियत से उसको उसके हिसाब से जाकर खड़ा करना पड़ता है मगर उसी नगर पालिका के अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सफाई मजदूर जो सफाई का काम निजी घरों में करता है उसकी मजदूरी किस हिसाब से मिलेगी, किस मापदण्ड से मिलेगी। खेतिहर मजदूर खेतों में काम करता है उसके लिये सरकार ने मिनिमम वेजज एक्ट लागू कर दिया। उसके लिये न्यूनतम मजदूरी लागू की है लेकिन उस सफाई मजदूर की मजदूरी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कानूनी उसका कोई संरक्षण नहीं है जिसके आधार पर वह उस मकान मालिक से ऐसी अपनी मजदूरी कानून का आसरा लेकर प्राप्त कर सके। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसके ऊपर विचार करें और उसको भी कानूनी मजदूरी प्राप्त करने का उसको अधिकार मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर विशेष रूप से जो बेरोजगारी का प्रश्न है मैं चाहता हूं कि आई. टी. आई. की जो योजना है इस प्रकार से शहरों तक ही सीमित है उसको छोटे-छोटे दायरों में ग्रामीण क्षेत्र पंचायत समिति के स्तर पर, जिला स्तर पर करीब-करीब है, मैं चाहता हूं पंचायत समिति के स्तर पर अगर इस तरह की योजना बनाकर के उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखकर वहां पर अगर शुरू किया जाये, उससे यह बेरोजगारी मिटेगी और इस क्षेत्र के मजदूरों को और उस क्षेत्र के निवासियों की उस क्षेत्र की

(श्री मांगीलाल आर्य)

आवश्यकता के मुताबिक कुछ धन्धे करने का अवसर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जगह जगह इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं एन. आर. ई. पी. में और जितनी भी जो बेरोजगार भूमिहीन ग्रामीण गारन्टी योजना में जो मजदूरों को मजदूरी मिले उतनी उसमें कई जगह दो-दो, तीन-तीन महीने से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होता। ऐसी सूरत में फेमिन जैसी मजदूरी में भी दो-दो महीने तक उसका भुगतान नहीं। वह मजदूर अपनी मजदूरी करके जो शाम- को अपनी उदरपूर्ति करता है उनकी फिर क्या स्थिति होगी। इसलिये मेहरबानी करके इस प्रकार की जो मजदूरी है वह तो तत्काल उसका भुगतान किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कालवी साहब ने श्रम और मशीनों के बारे में जो सुझाव दिये थे यह हकीकत की बात है कि मशीन को महत्व दिया जाता है और यदि वह महत्व दिया जाता है और यदि वह महत्व उस श्रम को दिया जाये, उस श्रमिक को दिया जाये तो उसकी जो आज परिस्थिति है आज जो हालत हो रही है, बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, बडी-बड़ी शाप हैं बाटा की, बी. एस. सी. की हैं जितनी भी फैक्टरियां हैं उनमें मजदूरों की मजदूरी और उसके श्रम का जो शोषण हो रहा है वह मिट जायेगा। हकीकत में मजदूरों के श्रम को उस मजदूर की मेहनत को यह प्राथमिकता दी जाकर यह उसको साधन जुटाये जायें वह इस साधन का ठीक ढंग से उपयोग करके जीवन यापन कर सकते हैं। मैं इसके साथ ही मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित जो ग्रेनाइट की फैक्ट्री है जालौर के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यह दुख के साथ कहना पड़ता है उसके बारे में मैंने कई बार निवेदन इस सदन में की है और सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है जालौर जिले के अन्दर ग्रेनाइट कुदरत की ऐसी देन है और इतना असीमित भडार है जिसका कभी कोई अन्त आ ही नहीं सकता। परन्तु उस ग्रेनाइट के लिए प्रोजेक्ट तो लगाया है कटिंग, पालिशिंग मशीन वह जोधपुर में लगाई जबकि उत्पादन उनका जालौर में और प्रोजेक्ट उसका जोधपुर में लगाई जबकि उत्पादन उनका जालौर में और जोधपुर में जो प्रोजेक्ट लगाया है वह घाटे में चल रहा है ऐसी उनकी रिपोर्ट है मतलब उसके बावजूद सरकार जालौर में लगाने के लिये कोई विचार नहीं करती है। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुख की बात है कि वहां एक छोटी सी फैक्टरी चलती थी जिसमें 40-50 मजदूर गुजारा करते थे पता नहीं, उन मजदूरों को वहां से हटा दिया गया। उसके लिये मैंने मुख्य मन्त्री जी से भी निवेदन किया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस ग्रेनाइट फैक्ट्री में मशीनें और जुटाई जाय और गरीबों का जो लोकल एक जीविका का जरिया है, एक साधन है वह जुटाया जाय और जिन मजदूरों को वहां से हटाया है उनको पुनः काम पर लगाया जाय। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया।

जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी। 6.30 बजे मुख बन्द होगा।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय की बहुत ही कमी है इसलिये मैं बहुत ही सक्षेप में अपनी बात कहूंगी। श्रम और रोजगार के बाबत में मांग प्रस्तुत हुई उस पर माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार रखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित तथ्य है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास की चाहे वह खेती के सम्बन्ध का है, चाहे उद्योग के सम्बन्ध का है और चाहे किसी अन्य क्षेत्र का है उसकी बहुत ही प्रमुख धुरी श्रम है। जिस प्रकार से पूंजी है, भूमि है, वित्त है उनका जितना महत्व है उससे भी अधिक महत्व किसी भी देश के विकास में श्रम का है और भारत जैसे राष्ट्र में खास तौर से जहां इतना बड़ा राष्ट्र है विकसित होने वाली अवस्था में है और इतनी बड़ी जन शक्ति इसमें मौजूद है और अभी इसके आधुनिकरण के अन्दर पहुचने में समय है। इस प्रकार के राष्ट्र के लिये तो श्रम का, जन शक्ति का भली प्रकार से सर्वेक्षण, संयोजन और योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग बहुत ही आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने जो श्रम और नियोजन नीति निर्धारित की है कि एक ओर हम अपनी आर्थिक नीति को सुनियोजित करें कि हमारे देश का उत्पादन, हमारे देश का क्रमिक विकास- बिना किसी अवरुद्धता के होता चले और उसके साथ मैं इस विकास की बहुत लम्बी यात्रा में लगे हुआ लाखों, करोड़ों जो श्रमिक है उसके हितों का संरक्षण हो सके। उसके हितों के साथ साथ में उसके विकास का, उसके परिवार का और उसकी समृद्धि का भी बराबर ध्यान रखा जा सके और जितने भी उद्योग, खेती आदि हैं उसके अन्दर उत्पादक, उत्पादन करने वाला, उसमें पूंजी लगाने वाला, उससे काम लेने वाला सभी में इस प्रकार की सामजस्य बैठे कि हम अपनी जन शक्ति। हम अपनी पूंजी और हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार संजोये कि आगे से आगे एक अच्छे भविष्य के साथ चल सकें। इस प्रकार जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया। हर एक क्षेत्र में चाहे वह उद्योग का क्षेत्र है, चाहे खेती का क्षेत्र है चाहे लघु उद्योगों का क्षेत्र है, चाहे कुटीर उद्योगों का क्षेत्र है, चाहे कृषि के विकास का है, चाहे शिक्षा वगैरह का यह सभी इस बात से जुड़े हुए है कि हम किस प्रकार से अपने तमाम साधनों को जिसमें सबसे बड़ा साधन श्रम शक्ति है, उसको कॉर्डीनेट करके समन्वित करके आगे चल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में बहुत बड़ी जन शक्ति है जिसमें बहुत से स्किल्ड भी है, अन-स्किल्ड भी है, सेमी स्किल्ड भी है, और बहुत से ऐसे भी है जो आर्गेनाइज्ड भी है, बहुत से ऐसे है जो अन-आर्गेनाइज्ड है, बहुत से केजुअल भी है और बहुत से परमानेण्ट भी है, बच्चे भी है, महिलायें भी है। इस सारी श्रम शक्ति का हम किस प्रकार से उपयोग करें। इसके साथ मे तो हमने विकास को जोड़ा और इसके कल्याण के लिये, इनके हित के लिये केन्द्र स्तर पर भी कानून बने और राज्य सरकार के स्तर पर भी कानून बने और

(श्रीमती कमला)

उन कानूनों के माध्यम से एक और जहां हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन निर्धारण करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया क्योंकि बेसिक चीज यह थी कि उसके घर में कितनी आमदनी पहुंचती है जो मजदूरी करता है, उसके परिवार के पालन-पोषण के लिए भरपूर ढंग से उसको पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। पहले के मुकाबले काफी इस बारे में केन्द्र स्तर पर चर्चायें हुई, बहुत बड़ा कमीशन बैठा और निरन्तर इसके अन्दर नीतियों का निर्धारण किया जा रहा, आधुनिकरण के साथ में नीतियों में परिवर्तन किया गया और कोशिश यह की गई कि इस प्रकार से कार्यवाही की जाय कि हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर एक सलाहकार मण्डल है। इस न्यूनतम वेतन की सिफारिश करने के लिये और उसके सुझाव देने के लिये अभी तक 1984 में कोशिश की गई है कि जितने भी अनुसूचित नियोजन है उनके अन्दर हम लागू करें और उनको मानना पड़े। लगभग 30 अनुसूचित नियोजनों के अन्दर इस प्रकार का निर्धारण कर दिया गया है। 84 और 85 के अन्दर भी जहां एक ओर सस्थानों में किया है 6-8 में उसके साथ में एन. आर. ई-पी. के अन्दर व आर. एल. ई जी. पी. के अन्दर, अकाल राहत के अन्दर इसको पुख्ता तौर से लागू किया गया।

दूसरा जो बड़ा कदम उठाया है जिससे देश में औद्योगिक उत्पादन या अन्य उत्पादन जो है शान्ति के साथ में चले और विवादों में न फंसकर हम आगे तरक्की कर सकें तो कानूनी तौर पर परिवादों का, विवादों का निस्तारण हो इसके लिये विभिन्न स्तरों पर जो श्रम विभाग के अधिकारी है उनको समझौता अधिकारियों के अधिकार दिये हुए है। श्रम न्यायालय है, श्रम प्राधिकरण है और उसके अलावा जो हमारे राज्य स्तरीय कान्टेक्ट लेबर सलाहकार मण्डल है, बच्चों के न्यूनतम वेतन के लिये, उनकी देखरेख के लिये, सलाह देने के लिये उनका सलाहकार मण्डल अलग से है। इस प्रकार हर स्तर पर हर केटेगरी के हित रक्षाण विभिन्न प्रकार की समितियां और मण्डल भी है और न्यायाधिकरण भी है जो इनको देखते हैं और समय समय पर इस सम्बन्ध में काफी काम भी किया गया है। अकेले 1984 के अन्दर लगभग 4702 परिवार निपटाये और विवादों में 1935 विवाद निपटायें। न्यायाधिकरण में अभी, लगभग दो हजार के करीब केसेज का निपटारा किया और इस प्रकार वाणिज्यिक संस्थानों वगैरह में जहां उनके बैठने के घण्टे, उनकी मजदूरी वगैरह के लगभग सात हजार मामले चालान किये गये और उनमें 40 हजार के करीब उनको भुगतान करवाया गया लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से।

तीसरी जो एक बड़ी चीज इसके लिये है वह है पार्टिसिपेशन आफ लेबर एण्ड मैनेजमेंट। यह राज्य सरकार की भारत सरकार की एक मान्य नीति है और इसके तहत में हम यह चाहते हैं कि इसके प्रगति के साथ में और प्रतिबद्धता के साथ में किया जाय जिससे कि आज जो हमारा उत्पादन

(श्रीमती कमला)

हो रहा है उसमें मजदूर अपनी भागीदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, उसे अपना कारखाना समझे या उसे अपना काम समझे और साथ में मालिक का यह महसूस हो कि उसके अकेले के बलबूते पर नहीं, मजदूर की मेहनत के ऊपर, उसकी श्रम की घूंट पर जो है, यह सब खड़ा हुआ है इसलिये उसका भी पूरा हक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी कथनी और करनी में फर्क है।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय की कमी है अन्यथा आप बोल लेते तो कोई बात नहीं थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार ने दो सार्वजनिक संस्थानों में, दो सहकारी संस्थानों मे और 4 निजी संस्थानों मे इसको लागू करने का सफल प्रयास किया है और बाकी संस्थानों में भी इसको लागू करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर है उसको न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिये कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। अभी कुछ समय पहले 35 निरीक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये हैं जिनका यही काम है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है और नहीं मिलती है तो उसको दिलाई जाय। इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रों का असंगठित मजदूर है, उसको संगठित करने के लिये लगभग 80 पंचायत समितियों के अन्दर संगठन करने वाले ग्रामीण संगटक लगाये गये हैं जो इस बात को देख रहे हैं और कुछ समय बाद में इसका असर भी हमें पता लगेगा। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों की आवासीय व्यवस्था के सम्बन्ध में, शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बाल जो मजदूर हैं, उनके खाने का, कपड़े का, उनकी मजदूरी का, इसका भी अलग सलाहकार मण्डल है, देख-रेख है। महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले इसका भी पुख्ता तौर से निर्धारण किया गया है और यह देखा जाता है कि उसके लिये बराबर इस बात की व्यवस्था हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में नियोजन विभाग की ओर से कार्यवाही की गई है या अन्य विभागों की तरफ से राज्य स्तर पर कार्यवाही की गई है। उसमें नियोजन विभाग ने एक नया कदम उठाया है। 1984-85 में लगभग 210 रोजगार मेले पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर लगाये गये और उसके माध्यम से 64,155 आशार्थियों को व्यवसायिक मार्गदर्शन किया और लगभग 2 करोड़ 64 लाख के ऋण उन्हें दिलाने में मदद की और राज्य सरकार ने काफी मेहनत करके उनको अनेक सुविधायें देकर, वह चाहे भूमि की हो, विकास की हो, रजिस्टर्ड उद्योगों की हो और चाहे भारी उद्योग हो, 8 हजार के करीब उद्योग लगाये हैं। उसमें आज के दिन 2 लाख के करीब मजदूर लगे हुए हैं। लघु औद्योगिक इकाइयां जो लगभग एक लाख के करीब हैं आज उनमें 4 लाख के करीब मजदूर लगे हुए हैं। इनकी कुछ इस तरह की व्यवस्थाऐं भी हैं जैसे कि ट्रेनिंग के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा एम्पलायमैण्ट भी ले सकते हैं तो ट्रेनिंग की व्यवस्थाऐं भी की गयीं और अब तक लगभग 45 संस्थानो के माध्यम से

(श्रीमती कमला)

16500 के करीब जो है लोगों को विभिन्न स्तरों के ऊपर अलग-अलग ट्रेड्स के अन्दर प्रशिक्षित किया गया और सेवंथ प्लान में दो नये कालेजेज और इसके अलावा 13 पोलीटेक्नीक और 27 आई. टी. आई. खोलने का प्रयत्न है जिससे कि हम ट्रेन्ड करके लोगों को इस ओर ज्यादा आकर्षित कर सकें और ट्रेनिंग देकर के ज्यादा से ज्यादा एम्पलायमैण्ट के इवान्सेज खोल सकें यह भी हमारा प्रयत्न है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति है और जहां रोजगार के साधन उपलब्ध होने की कमी रही है। मैं यह कहना चाहती हूं कि स्वर्गीया माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा जी ने इस देश की अर्थ-व्यवस्था में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त परिवर्तन और जबरदस्त क्रान्तिकारी सहूलियत दी जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चालू किये, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गांव का रहने वाला आदमी वहीं पर रोजगार पाये, वहीं पर अपने परिवार के बीच में साफ हवा और पानी के बीच में रहे, और गांव की जगह छोड़कर शहर की गन्दी बस्तियों में आकर के वह अपने जीवन को जो खराब करता है, वह न करे और उसकी आमदनी का जरिया वहीं बने और एन. आर. ई. पी. जैसी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना उस वक्त शुरू की गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एन. आर. ई. पी. में इस वक्त लगभग 50 करोड़ 81 लाख के करीब राशि लगी है जिसमें 319 मैन डेज क्रिएट किये गये और 1985-86 में लगभग 16 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसमें 46 लाख मैन डेज क्रिएट करने का प्रावधान है। सेवंथ प्लान में इससे कहीं और अधिक जो छठा प्लान तक बढ़ा है उससे कहीं अधिक आयोजन करने का प्रावधान है और जैसा कि मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि भारत सरकार भी इस काम में बहुत ज्यादा उत्सुकता से और व्यापक प्रावधान के साथ में आगे बढ़ाना चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या से हमें ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर निपटना चाहिए और उसके मुकाबले के लिए ज्यादा से ज्यादा कारगर प्रयत्न करने चाहिए। इसके अलावा जो आई.आर.डी.पी. का काम हाथ में लिया गया है अभी दो वर्ष से लिया गया उसमें 14 करोड़ 15 करोड़ के लगभग काम हुआ जिसमें 74 लाख मैन डेज का क्रिएशन हुआ और काफी बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई. आर.डी.पी. के अन्तर्गत भी हालांकि माननीय सदस्यों ने इस आई.आर.डी.पी. में, एन.आर. ई.पी. में काफी कुछ कमियों का आभास कराया है, और कुछ हैं भी कमियां और उनको सुधारने की भी जरूरत है, सरकार उनको करेगी भी, लेकिन फिर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि आई.आर.डी.पी. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आम परिवार को काफी कुछ लाभ पड़ा है उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी भी है और उन्होंने इस दिशा में चलना शुरू किया है कि वह स्वयं रोजगार के जरिये भी आगे बढ़ सकते हैं। सिक्स्थ प्लान के एण्ड तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 715000 के करीब लोगों को स्वरोजगार

(श्रीमती कमला)

के द्वारा मदद की गयी है और 220 करोड़ के लगभग इनके ऊपर खर्चा किया गया है जिसमें 82 करोड़ अकेला अनुदान की ही राशि है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आप के सामने मैंने मुद्दे प्रस्तुत किये हैं इनसे आपको यह स्पष्ट होगा कि कितनी बड़ी बड़ी योजनाएँ, कितने व्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से इस श्रम की समस्याओं को श्रम को नियोजित करने के लिए, ट्रेन्ड करने के लिए और उनको ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों में लगाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयत्न किये गये। इसके अलावा और बहुत से कार्यक्रम जो चाहे फारेस्ट का कार्यक्रम, है, माइन्स का कार्यक्रम है, लघु कुटीर उद्योगों का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम सरकार ने अभी लिया ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लेजाये जायें क्योंकि अकेले भूमि के ऊपर आज इतना वजन पड़ चुका है कि जिस परिवार की भूमि है वह परिवार भी उसके ऊपर पूरा निर्भर नहीं कर सकता। जमीन पर से कम वजन हो, जमीन के ऊपर आधारित लोग दूसरे धन्धे अपनायें इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के माध्यम से हम इसका प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसका प्रसार करने की चेष्टा करें इसलिए औद्योगिक क्षेत्र बहुत से कस्बों के पास में बनाये गये और स्व.रोजगार की योजनाएँ इसके साथ में दी गयीं, ट्राइसम की ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके अन्दर चालू किया गया वह सारा आम तौर पर हमारे देश की जो श्रम शक्ति है उसका भरपूर उनको जो है एक लवलीहुड देने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए और आज की जो स्थितियां हैं, उनको सुधारने के लिए किया गया है।

इसके साथ आप सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी की पाबन्दी के ऊपर उसको नियोजित करके चलने में भी सरकार ने काफी कुछ प्रयत्न किये हैं और वह भी आम परिवार की आमदनी बढ़ाने और खुशहाली बढ़ाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस विभाग का अभी प्रशासनिक ढांचा थोड़ा कमजोर है क्योंकि अभी इसके आफिसरों में, इसके अधिकारियों के स्थापन में या नीचे तक की व्यवस्थाओं में जितने वित्तीय साधन हम दे सकते हैं उतने नहीं दे पाये हैं और बढ़ता हुआ जो काम है और बढ़ती हुई जो समस्या है उनके निराकरण का जितना तकाजा है उसको देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि हम इस समस्या को भी आने वाले समय में देख सकेंगे और निराकरण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर करूंगी कि मांग पारित की जाय।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में एक सवाल पूछना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी पांच मिनट हैं मुखबन्द में। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदया से। इस सदन में इस बात को कई माननीय सदस्यों ने उठाया है कि एन.आर.ई.पी. की जो आपकी योजना है, आप कहते हैं ग्रामीण रोजगार देने के लिए यह योजना है और उसके सम्बन्ध में इधर से भी और उधर से भी एक बात कही गयी है कि पहले हर क्षेत्र में योजना का लाभ मिले इस बात की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो।

(श्री नत्थीसिंह)

लेकिन आज वह व्यवस्था नहीं, आज आपने केवल कलेक्टरों को अधिकार दे दिये एक लाख तक के और वह मनमाने तौर से इधर से तो आरोप भी लगाया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में इसलिए जो कमेटी आप ने पहले बनायी थी प्रधान, एम.एल.ए, एस.डी.ओ. और उनकी रिकमैंन्डेशन कलेक्टर के पास जाय। आज कलेक्टर जैसे राजा बांटते थे ऐसे बांटते हैं, उस व्यवस्था के बदलाव के लिए आप क्या करना चाहती हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बहुत बड़ी गलत फहमी है इसलिए एन.आर.ई.पी. के काम किये जाते हैं उनके प्राथमिक प्रस्ताव पंचायत समिति से पास होकर यहां पर आता है। डी.आर.डी.ए. के अन्दर....आप बीच में मत बोलिये।

श्री नत्थी सिंह : मैं चुनौती देता हूं भरतपुर कलेक्टर ने स्वयं ने सैंक्शन किये हैं, वहां जिला परिषद् ने बजट रखा उसको बजट भाषण में पंचायत समितियों में कहा है कि आप गलत जवाब दे रही हैं....

श्रीमती कमला : मैं सही कह रही हूं। अगर आपके यहां की कोई पंचायत समिति ने नहीं किया है....

श्री नत्थीसिंह : मैं चुनौती देता हूं, यह गलत है।

श्रीमती कमला : इस तरह का बोलने का न तो ढंग है और न कोई यह मर्यादा है।

श्री नत्थीसिंह : हमने बजट भाषण में इस बात को कहा।

श्रीमती कमला : मेहरबानी करिये, आप बैठिये।

श्री नत्थीसिंह : आप ध्यान ही नहीं देतीं। आज फिर दोहराता हूं ऐसा नहीं है आपके सरकारी अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, आप उनको सुधारिये और सब क्षेत्रों में फायदा मिले इस तरह की व्यवस्था कीजिए।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को और तमाम सदन को यह निवेदन करना चाहती हूं कि किसी जगह कोई पंचायत समिति अगर अपने इस अधिकार को, अपने इस कर्तव्य को निर्वहन करने में अपने को एसर्ट करने में कमजोर है तो मैं नहीं कह सकती लेकिन इसकी व्यवस्था यह है कि पंचायत समिति अपने सदन के अन्दर प्रस्ताव तैयार करेगी उसको डी.आर.डी.ए. को भेजेगी, डी.आर.डी.ए. जो है उसको मंजूर करके भेजेगा और डी.आर.डी.ए. इस हिसाब से उसको मंजूर करता कि कम से कम प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ काम उसको इससे आना ही चाहिये इस हिसाब से मंजूर करता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां से डी.आर डी.ए. पंचायत समितियां सभी अगर कमजोरी से काम करती हैं तो मैं उनको देखूंगी और उनको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मांग संख्या 23 के साथ अन्य सभी मांगें मतदान के लिए प्रस्तुत की जाती हैं :

मांग संख्या 23 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री उपाध्यक्ष)

1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,90,52,000 रुपये (सत्ताईस करोड़ नब्बे लाख बावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मुखबन्द

शेष अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1 राज्य विधान मंडल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,39,33,000 रुपये (एक करोड़ उन्नतालीस लाख तैंतीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2 मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 90,93,000 रुपये (नब्बे लाख तिरानवें हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,93,58,000 रुपये (छः करोड़ तिरानवें लाख अठावन हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,46,92,000 रुपये (चौदह करोड़ छियालीस लाख बानवें हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

6,13,86,000 रुपये (छः करोड़ तेरह लाख छियासी हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,51,88,000 रुपये (नौ करोड़ इक्यावन लाख अठासी हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,14,69,000 रुपये (पांच करोड़ चौदह लाख उन्नहत्तर हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,51,000 रुपये (तेरह लाख इक्यावन हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12 अन्य कैर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,39,38,000 रुपये (चार करोड़ उनतालीस लाख अड़तीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,19,43,000 (तेरह करोड़ उन्नीस लाख तियालीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

218

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,83,25,000 रुपये (छः करोड़ तियासी लाख पच्चीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,14,28,000 रुपये (छियालीस करोड़ चौदह लाख अट्ठाईस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,33,87,000 रुपये (पांच करोड़ तैंतीस लाख सत्यासी हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,06,50,000 रुपये (दो करोड़ छः लाख पचास हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 88,20,45,000 रुपये (अठ्यासी करोड़ बीस लाख पैंतालीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,55,94,000 रुपये (नौ करोड़ पच्चपन लाख चौरानवें हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृति)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 72,16,79,000 रुपये (बहत्तर करोड़ सोलह लाख उन्नयासी हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,65,29,000) रुपये चौंतीस करोड़ पैंसठ लाख उन्नतीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,40,18,84,000 रुपये (तीन अरब चालीस करोड़ अठारह लाख चौरासी हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,64,91,000 रुपये (छः करोड चौसठ लाख इक्यानवें हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,29,39,11,000 रुपये (एक अरब उन्नतीस करोड़ उन्नतालीस लाख ग्यारह हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,60,00,000 रुपये (तीन करोड़ साठ लाख रुपये) तक की जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,09,54.000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39,59,35,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31, पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,04,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986

(श्री उपाध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,48,72,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,82,20,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 32,47,80,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,37,20,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,73,84.000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,24,48,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45, राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,93,00,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,09,79,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48, विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 71,57,00,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (सं. 4) विधेयक, 1985

माननीय मंत्रीजी राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

मंत्रीजी विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार दिनांक 24 जुलाई, 1985 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.46 बजे बुधवार दिनांक 24 जुलाई, 1985 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न सं. 456 के ऑडिट आक्षेप

ऑडिट आक्षेप भाग (अ)

नाम संस्था:—टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. टोंक

ऑडिट अवधि:—दिनांक 1-7-81 से 30-6-82

नाम ऑडिटर:—अर्जुनलाल शर्मा

क्रमांक	विवरण

1. हिस्सा पूंजी:—

बैंक की अधिकृत हिस्सा पूंजी उपनियमानुसार निर्धारित नहीं है। दिनांक 30-6-82 की बैंक की प्रदत्त हिस्सा पूंजी 26,91,616 रुपये है। गत दो वर्षों की तुलनात्मक हिस्सा पूंजी का विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	सदस्यता का प्रकार	हिस्सा पूंजी 80-81	81-82	वृद्धि	प्रतिशत
1.	अ श्रेणी	2431960/-	2686810/-	254850/-	9.48
2.	ब श्रेणी (सरकार)	—	—	—	—
3.	स श्रेणी	4461/-	4806/-	345/-	7.17
		2436421/-	2691616/-	255195/-	8.32

व्यक्तिगत हिस्सा पूंजी में आलोच्य वर्ष का प्रतिशत 9.48 है। राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी 30-6-82 की बैंक में 230,000 रु. वापिस योग्य है।

2. कोष एवं निधियां:—

बैंक के पास गत वर्षों के कोषों में वृद्धि के पश्चात् आलोच्य वर्ष 30-6-82 को कोष एवं निधियां की स्थिति निम्नलिखित है।

(224)

क्रमांक विवरण	30-6-81	30-6-82	81-82 में वृद्धि
1. सुरक्षित कोष	68923.34	68923.34	—
2. भवन निर्माण कोष	50389.59	50389.59	—
3. अवधिपार ब्याज	731935.12	826001.27	94,066.55
4. ग्रेयुटी कोष	34822.30	39762.30	4940.00
5. प्रवेश शुल्क कोष	14654.00	15915.00	1,261.00
6. स्टाफ प्रोविडेन्ट फण्ड	140131.18	199278.90	59,147.72
7. जोखम निधि कोष	2840.00	2840.00	—
8. सहकारी शिक्षा कोष	2411.43	—	—
9. लाभांश समीकरण	249.11	249.11	—
10. जनहित कोष	3568.92	3568.92	—
11. वार्षिक ग्राम सभा कोष	66500.18	52834.69	—
	1116425.17	1259763.12	159410 07

3. बाह्य ऋण:—

बैंक को राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर से प्राप्त ऋणों में बकाया ऋण का गत दो वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रमांक विवरण	30-6-81 को शेष	30-6-82 को शेष
1. असल	23358988.86	25624962.44
2. ब्याज	—	—

4. सदस्यों में ऋण: —

बैंक द्वारा गत तीन वर्षों में ऋण वितरण का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

राशि लाखों में

क्रमांक नाम योजना	वर्ष 79–80 लक्ष पूर्ति		वर्ष 80–81 लक्ष पूर्ति		वर्ष 81–82 लक्ष पूर्ति	
1. गैर योजना	– 43.75		– 30.74		– 23.04	
2. योजना अन्तर्गत:—						
लघु सिचाई योजना	14.62	8.75	–	0.92	–	
निवाई						
,, टोडाराय,	7.10	9.03	14.74	3.20	6.92	3.46
,, मालपुरा	7.10	12.28	10.56	8.15	8.18	3.90
फार्म मेकेनाईज	6.10	1.32	12.20	5.64	21.26	19.97
पक्की नाली	–	0 42	4.32	0.15	12.40	0.40
टोंक	–	–	1.54	4.43	3.89	3.27
उनियारा	–.	0.40	–	–	7.35	2.59
	34.92	75.95	43.36	53.23	59.92	56.27

बैंक द्वारा वर्ष 81-82 में गैर योजना में ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। बुक में 81–82 चल रही लघु सिचाई योजना अन्तर्गत कुल लक्ष्य 59.92 लाख के निर्धारित किये गये थे। निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध 33.23 लाख के ही ऋण वितरण किये गये है जबकि 26.69 लाख की पूर्ति नहीं की गई है। किसी भी योजना में लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति नहीं की गई है।

5. गत तीन वर्षों की सदस्यों की मांग वसूली व अवधिपार बकाया का प्रतिशत तुलनात्मक विवरण निम्नप्रकार है:—

क्रमांक विवरण	79–80 असल	79–80 ब्याज	80–81 असल	80–81 ब्याज	81–82 असल	81–82 ब्याज
1. वर्ष की मांग	36.79	26.37	46.46	32.25	54.24	32.78
2. वर्ष की वसूली	24.03	20.19	30.58	24.93	35.43	25 94
3. अवधिपार शेष	12.76	6.17	15.88	7.32	18.80	6.84
4. अवधिपार का	3%		29·/.		29·/.	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 81–82 में अवधिपार के प्रतिशत में गत वर्ष के अनुपात में ही हुई है.। अतः बैंक वसूली में प्रगति अपेक्षित है।

6. (अ) बैंक में बट्टा खाता एवं सन्देहात्मक ऋण नहीं आंका गया है। आलोच्य वर्ष में उक्त ऋण के मध्य कोष का प्रोविजन भी नहीं किया गया है।

(ब) बैंक का अवधिपार ब्याज 30-6-82 को 684070.71 वसूल करना शेष है। उक्त अवधिपार ब्याज के मध्य 30-6-82 को अवधिपार ब्याज कोष 826001.27 का प्रोविजन किया जा चुका है जो अवधिपार ब्याज का शत प्रतिशत है।

7. हानि लाभ खाते पर टिप्पणी:—

बैंक द्वारा गत 2 वर्षों में दर्शाये गये शुद्ध लाभ की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है:—

वर्ष 80–81 शुद्ध लाभ	वर्ष 81–82 का शुद्ध लाभ
1,47 462.51	1,62,940.60

शुद्ध लाभ में गत वर्ष के अनुपात में वृद्धि हुई है।

8. बजट:—आलोच्य वर्ष में बजट की स्वीकृति दिनांक 24-11-81 को संचालक मण्डल की बैठक में ली गई है जबकि दिनांक 18-8-81 की बैठक में सितम्बर, 81 तक अन्तरिम बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्पष्ट है कि बजट की स्वीकृति संचालक मण्डल से लेने से पूर्व ही बैंक द्वारा व्यय कर दिया जाता है जो नियमानुसार नहीं है। स्वीकृत बजट से अधिक व्यय भी किए गये हैं। अतः बजट के अनुरूप ही व्यय किये जावे तथा नियमों का पालन अपेक्षित हैं।

9. व्यवस्था एवं अन्य पद:—

(अ) आलोच्य वर्ष में अधिनियम नियम एवं उपनियमों के उल्लंघन सम्बन्धी मामले प्रकाश में नहीं आये है।

(ब) कर्मचारियों की नियुक्तियां आलोच्य वर्ष में नहीं की गई हैं। श्री चांदमल गुप्ता को सहायक सचिव के पद पदोन्नत किया गया है जिसकी स्वीकृति रजिस्ट्रार महोदय से प्राप्त नहीं की गई है। परियोजना निर्देशक से स्वीकृति योजना अन्तर्गत पद की प्राप्त की जा सकती है।

(स) संस्थापन व्यय से कार्यशील पूंजी का गत दो वर्षो का तुलनात्मक विवरण निम्न-प्रकार है:—

क्रमांक	विवरण	वर्ष 80–81	वर्ष 81–82
1.	कार्यशील पूंजी	26911834.86	29614109.56
2.	संस्थापन व्यय	659452.31	755227.08
3.	प्रतिशत	2.45·/.	2.45·/.

बैंक द्वारा आलोच्य वर्ष में गत वर्ष के अनुपात में 0.09 प्रतिशत संस्थापन व्यय अधिक किया गया है खर्चों पर नियंत्रण अपेक्षित है।

क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी	सचिव,	अर्जुनलाल (शर्मा)
सहकारी समितियां	टौंक जिला सहकारी भूमि	निरीक्षक (आडिट)
अजमेर	विकास बैंक लि. टौंक	टौंक

टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. टोंक

आडिट आक्षेप पत्र 81–82

भाग "ब"

क्रमांक	प्रश्न संख्या	आक्षेप विवरण	क्या कार्यवाही अपेक्षित
1	2	3	4
1.	3 (ब)	गत आडिट रिपोर्ट की आक्षेप पूर्ति कर आक्षेप पूर्ति रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को नहीं भेजी गई है।	आक्षेप पूर्ति पेरावाईज कर शीघ्र भेजी जावे।
2.	7	संचालक मण्डल की बैठक दि. 26-6-82 की कार्यवाही दो प्रकार की स्याही से अंकित की स्याही से अंकित की गई है। वार्षिक अधिवेशन नहीं बुलाया गया है।	बैठकों की कार्यवाही समय पर लिखी जावे।
3.	12	कर्मचारियों की नियुक्ति स्वीकृत स्ट्रेन्थ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की गई है।	रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावे।
4.	13 (1)	सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल की जावे।	वसूली की जावे।
5.	21	कर्मचारियों की पदोन्नति करते समय वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई है। कर्मचारियों के सेवानियम स्वीकृत नहीं हैं।	वरिष्टता सूची तैयार की जावे। सेवानियम स्वीकृत सेवानियम स्वीकृत कराये जावे।
6.	22	कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अपूर्ण है।	सेवा पुस्तिकाएं पूर्ण की जावें।
7.	24	सदस्य रजिस्टर अपूर्ण है।	पूर्ण किया जावे।
8.	28	हिस्सा अलाटमेन्ट रजिस्टर अपूर्ण	हिस्सा आवंटन रजिस्टर

1	2	3	4
		है। सदस्यों को हिस्सा प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं।	पूर्ण किया जावे। सदस्यों को हिस्सा प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
9.	33	ऋण आवेदन पत्र रजिस्टर पूर्ण नहीं है।	पूर्ण किया जावे।
10.	–	पुरानी पत्रावलियों का निबटारा प्राथमिकता से नहीं किया गया है।	पुरानी पत्रावलियों का निबटारा किया जावे।
11.	–	मशीनरी के अधिकृत विक्रेता सम्बन्धी रेकार्ड नहीं रखा गया है।	रेकार्ड रखा जावे।
12.	37	वर्ष की समाप्ति पर मशीनरी का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है।	भौतिक सत्यापन कराया जावे।
13.	39	30-6-82 को बैंक के पक्ष में 4206, नामान्तरकरण शेष है।	नामान्तरकरण की कार्यवाही शीघ्र आवश्यक है।
14.	40	ऋण पत्रावलियों में पाई कमियों की आक्षेप पूर्ति की जावे।	आक्षेप पूर्ति की जावे।
15.	42	उपयोगिता प्रमाण के 727 मामले शेष है। प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावे।	प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावे।
16.	43	वाउचर्स कई कमियां पाई गई हैं जहां वसूली सम्बन्धी मामले हैं सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली की जावे।	वसूली की जावे।
17.	43 (12)	श्री चांदमल गुप्ता सहायक सचिव ने लेखापाल के पद पर कार्य करने का अतिरिक्त भत्ता 2894. 86 रु. के विरुद्ध उठाया है।	वसूली की जावे।
18.	44	रजिस्टर अपूर्ण है।	पूर्ण किया जावे।

1	2	3	4
19.	50	वर्ष 81-82 का ग्राडिट शुल्क 5460 रु. राज्यकोष में जमा कराया जावे।	राज्यकोष में जमा कराया जावे।
20.	51	वार्षिक ग्रधिवेशन नहीं बुलाया गया है।	भविष्य में वार्षिक ग्रधिवेशन बुलावा जावे।
21.	52	बैंक द्वारा लाभ वितरण नहीं किया गया है।	लाभ वितरण किया जावे।
22.	59	व्यय करने से पूर्व बजट को स्वीकृत नहीं कराया गया है।	बजट स्वीकृत के पश्चात् ही व्यय किया जावे।
23.	60	स्वीकृत बजट व्यय ग्रधिक किये गये हैं।	बजट की सीमा में ही व्यय किये जावे।
24.	63	ट्रंककाल रजिस्टर सम्बन्धी वसूल सम्बन्धित कर्मचारियों से की जावे।	वसूली की जावे।
25.	66	बैंक जीप कार्यक्षेत्र से बाहर गई है। लागबुक सम्बन्धी कमियां पाई गई हैं। बैंक जीप किराया 11750/-रु. बकाया है जिसकी वसूली की जावे।	पूर्ति की जावे।
26.	68	जीपों के खर्चों पर नियंत्रण किया जावे।	पूर्ति की जावे।
27.	69	किराये की जीपों के व्यय में कमी की जावे।	किराये पर जीपें कम ली जावें।
28.	77	निर्माण किए गये फण्डस की राशि ग्रमानत में जमा कराई जावे।	ग्रमानत मे जमा मियादी कराई जावे।

1		2	3	4
		वर्ष में निर्माण फण्ड के मुकाबले राशि कम जमा रही है।		
29.	89	कर्मचारियों से बकाया राशि वसूल की जावे।		वसूल की जावे।
30.	90	जीप नं. आर. जे. एक्स 1240 पर 33321.05 रु. व्यय किया गया है अधिक है।		—
31.		धारा 106 के अन्तर्गत कार्यवाही सन्तोष-जनक नहीं है।		—

एस. डी.
(अर्जुनलाल शर्मा)
निरीक्षक (ऑडिट) स. स. टोंक

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची

मशीन । उपकरण का नाम जो खराब पड़ी है ।	मरम्मत की अनुमानित लागत
1. इन्सीनेटर	30,700–00
2. डीजल बायलर	27,000-00
3. जनरेटर	8,500–00
4. ए. सी. प्लान्ट (ग्राई थयेटर)	15,000–00
5. ए. सी. प्लान्ट (सी. टी. ग्रो. डी)	15,000–00
6. एयरकन्डीशनर (4)	9,000–00
7. एक्स–रे मशीन	30,000–00
8. 200 एम. ए. एक्सरे मशीन	3,000–00
9. कोबाल्ट 60 (रेडियोथेरेपी)	40,000–00
10. पी के ट्रेड मील	5,000–00
11. रिप्लेसमेन्ट ग्राफ पेपर एम. डी 4050	2,000–00
12. ग्राई. 125 काउन्टर माडल नं. ग्राई. सी. 4702 ग्राइसोटोप	1,000–00
नोन कमिशन्ड ग्रोजारो,/मशीनों की सूची	
1. ब्लेड़ गैस एनेलाइजर	2,00000–00 Cost Price
2. ग्राइटम ग्राफ ग्रोफन हार्ट सर्जरी	10,00000–00
3. ग्राटो ई. सी. जी. रिकार्डर	
4. डिफीब्रीलेटर	
5. एयर कंडिशनर	
6. बेड साइज मानीटरस	
7. इको कारडियोग्राम	
8. मेड़िकल स्पेक्टरो मीटर	
9. ग्राईसोटोप क्लीब्रेटर	
10. रेनोग्राफीक यूनिट	
11, इमेज इन्टेक्सीफायर	

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

मार्केटिंग सोसायटी, भोपालगढ़ के व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही

460. श्री रामदेव (मूंडवा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या व्यवस्थापक, मार्केटिंग सोसायटी, भोपालगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 1983-84 में कोई गबन किया गया था, जिसका क्षेत्रीय आडिट अधिकारी के पास राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 74 के तहत मुकदमा नम्बर 76 व 77 दर्ज किये गये और कुल राशि रुपया 30,082·75 का गबन हुआ बताया गया है ?

(2) क्या सम्बन्धित अधिकारी (व्यवस्थापक) को निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

(3) उक्त व्यवस्थापक के खिलाफ राजस्थान सरकार अधिनियम की धारा 70 के तहत क्या कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच प्रक्रिया के तहत आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बल्कि वर्ष 82-83 आडिट रिपोर्ट के आधार पर यह मामले दर्ज हुये थे।

(2) जी नहीं। राजस्थान सरकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 का निर्णय 19.6.85 को हुआ है। फैसले की प्रति चाही गई है। फैसले के अवलोकन के पश्चात् ही गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी हां। प्रशासनिक कारणों से जांच कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

रामपुरा कोटा स्थित डिस्पेन्सरी में स्टाफ की व्यवस्था

461. श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मन्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामपुरा कोटा में स्थित डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत कर रोगी शय्याएं उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या वहां वांछित स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक व्यवस्था हो जावेगी ?

उत्तर

(1) रामपुरा डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत न कर वहां एक अतिरिक्त मातृ शिशु, कल्याण केन्द्र खोलने की स्वीकृति माह जुलाई 1984 में प्रदान की गई थी, जिसमें 30 रोगी शैयाओं की व्यवस्था की गई थी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(2) जी हां। बिजली फिटिंग का कार्य पूर्ण न होने के कारण उक्त मातृ शिशु, कल्याण केन्द्र विधिवत प्रारम्भ नहीं हो सका है जिसके कारण स्वीकृत स्टाफ को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में लगा रखा है। उक्त केन्द्र के शीघ्र प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

अनुसूचित जनजाति विकास निगम

462. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगून्दा) : क्या जनजाति विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति निगम के पास कितने वाहन उपलब्ध हैं ? वे कब-कब क्रय किये गये ? गत दो वर्ष 1983–84 व 1984–85 में प्रति वाहन में कितनी दूरी की निगम के माल की ढुलाई की गयी है ? इन पर कितनी राशि प्रति वाहन पर खर्च की गई ?

(2) जनजाति विकास निगम में केडर वाइज कितने-कितने पद कितनी संख्या में स्वीकृत हैं ? उन पर कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? कृपया इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्ग वार केडर का क्या प्रतिशत है ? कृपया सूची विवरण सहित सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., उदयपुर के पास कुल 21 वाहन उपलब्ध हैं जिनके क्रय किये जाने के वर्ष आदि की सूचना परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है। गत दो वर्षों 1983–84 एवं 1984–85 में संघ के प्रति वाहन द्वारा जितनी दूरी तक माल की ढुलाई की गई एवं प्रति वाहन पर जितनी राशि व्यय की गई उसकी सूची परिशिष्ट–2 पर दी गई है।

(2) जनजाति संघ में केडर वाइज निम्न प्रकार 263 पद स्वीकृत हैं:—

1. अधिकारी वर्ग–20
2. अधीनस्थ सेवा वर्ग–60
3. मन्त्रालयिक कर्मचारी वर्ग–108
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग–75

इन पदों पर 215 अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी सूची परिशिष्ट-3 पर दी गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्णवाइज केडर का प्रतिशत परिशिष्ट-4 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर में बी. एड. कॉलेज की मांग

463. **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार की भरतपुर में बी. एड. कॉलेज खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर कॉलेज में अन्य जिलों के कॉलेजों की अपेक्षा छात्र संख्या बहुत अधिक है, और इस वजह से यहां एक अन्य कालेज खोला जाना निहायत आवश्यक है ? इस सम्बन्ध में राज्य

(श्री नत्थी सिंह)

सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) भरतपुर की एक निजी शिक्षण संस्था ने बी. एड. का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए अनुमति दिये जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां, नये महाविद्यालय खोलने हेतु वर्ष 1985–86 में कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है इसलिए वर्तमान में भरतपुर में नया कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सहकारी संस्थाओं, समितियों व बैंकों की चुनाव प्रकिया का सरलीकरण

464. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकारी संस्थाओं, क्रय विक्रय सहकारी समितियों, भूमि विकास बैंक आदि संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया लम्बी एवं जटिल होने के कारण आम सदस्यों को भारी कठिनाई एवं आर्थिक भार का सामना करना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो इस चुनावी प्रक्रिया को सरल एवं सक्षम बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चुनाव प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

प्रत्येक पंचायत समिति में एक "ए" श्रेणी का औषधालय

465. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने "ए" श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय है ? कृपया जिलेवार एवं पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को सस्ती चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अधिक लोकप्रिय रही है ? यदि हां, तो क्या जिन पंचायत समितियों में 'ए' श्रेणी के औषधालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां एक औषधालय को 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेदिक "ए" श्रेणी चिकित्सालय 635 हैं उनमें से 60 शैय्याओं सहित, 575 शैय्याओं रहित है। इसके अतिरिक्त 3 यूनानी, 1 होम्योपैथी, 2 प्राकृतिक के शैय्याओं सहित एवं 9 यूनानी, 6 होम्योपैथी के शैय्याओं रहित 'अ" श्रेणी चिकित्सालय भी है। इस प्रकार 66 शैय्याओं सहित एवं 590 शैय्याओं रहित

236

(आयुर्वेद मन्त्री)

कुल 656 "अ" श्रेणी के चिकित्सालय हैं। जिलेवार एवं पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 1985–86 में 10 "ब" श्रेणी के औषधालयों को 5 शैय्याओं वाले "ए" श्रेणी के चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने का बजट में प्रावधान है। शैयया सहित औषधालय क्रमोन्नति की मांग, अन्तरंग चिकित्सा के लिये उपयुक्त भवन की उपलब्धता तथा रोगी संख्या के आधार पर औषधालय क्रमोन्नत किये जाने पर विचार उपरान्त निर्णय लिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य समाज कल्याण बोर्ड

466. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के वर्तमान में कौन-कौन सदस्य हैं तथा बोर्ड के सदस्यों में से स्वय की कितनी संस्थायें ऐसी हैं जिनमें वे पदाधिकारी हैं ?

(2) गत 2 वर्षों में जयपुर नगर की ऐसी संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें जिन्हें बोर्ड की कोई भी योजना, अवकाश शिविर अथवा अन्य कोई सहायता दी गई है ?

(3) क्या जयपुर की संस्था ज्ञानोदय बाल विद्या मन्दिर समिति ने अवकाश शिविर के लिये आवेदन किया था ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के वर्तमान सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ") बोर्ड के सदस्यों में से स्वयं की कितनी संस्थायें ऐसी हैं, जिनमें ये पदाधिकारी है की सूचना संलग्न है (परिशिष्ट "स")

(2) गत वर्ष जयपुर शहर की जिन संस्थाओं को बोर्ड की विभिन्न योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई है उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "ब")

(3) जी हां। दिनांक 26-7-84 को यह आवेदन शरद ऋतु में कानपुर या माऊन्ट आबू पर बालकों का अवकाश शिविर लगाने को दिया गया था जबकि सहायता ग्रीष्म अवकाश पर शिविर लगाने के लिये ही दी जाती है। अत: स्वीकृति नहीं दी जा सक ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले में सघन वन रोपण

468. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के

(श्री चम्पालाल बांठिया)

लिए कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? तथा कब तक शुरू की जाकर कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

(2) क्या राज्य सरकार इस जिले में सघन वन लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसे सघन वनों के लिए कौन-कौन से स्थान इस जिले में चयनित किए गए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बाडमेर जिले के लोग जलाऊ लकड़ी की पूर्ति नहीं होने के कारण जिले में स्थित पेड़ों को काट कर काम में ले रहे हैं, जिससे रेगिस्तान बढ़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिला मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है जो वर्ष 1978 से चल रहा है।

(2) जी हां। चयनित स्थानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) बाड़मेर जिले में वनक्षेत्र इतना कम है कि उससे जलाऊ लकड़ी की मांग की पूर्ति नहीं हो सकती। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

(238)

बाड़मेर जिले में वर्ष 84–85 वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास के लिये

चयनित स्थल

क्र.सं.	नाम योजना	वर्ष 85–86 में वृक्षारोपण के लिये चयनित स्थल
1.	नहरों के किनारे वृक्षारोपण	बालोतरा से डूडू सिणधरी से डूडू मदुरी से देरासर त्रिरा से डरबी भिलाड़ा से कनास कथोडा से बोर बाड़मेर से धोरीमन्ना सनाऊ से कुन्दनपुरा
2.	सिल्वी पेस्टोरल प्लान्टेशन	डनडाली, गुलरका जारा, जिराफ, मंगूरा, कोटडा, नंगाना, थापन, गुडातार, रामानिया
3.	टिब्बा स्थिरीकरण व चारागाह विकास	काडूला, सनदारा, राणासर, सजीतला, दादूसर, बीजासर, पुनकातला, गुडा, पालीखान, तीथमारिया, सनलाजाधतारा
4.	ग्रामीण ईंधन कार्य	लूखू डोलीनाडी मजेर, सोमाला, बिसारिया नीमला, गडरारोड, जयसिंहगढ़, कल्याणपुरा राखी, माली, कश्मीर

रैफरल अस्पताल, गोविन्दगढ़ में डाक्टर्स की व्यवस्था

469. श्री रघुवर दयाल (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गोविन्दगढ़ (अलवर) रैफरल अस्पताल में कितना मेडिकल स्टाफ स्वीकृत है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डाक्टरों के छः पद स्थापन होने के बाद भी आजकल वहां तीन डाक्टर्स कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार डाक्टर्स के रिक्त पदों को अविलम्ब भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, डाक्टर्स के समस्त स्वीकृत पद भरे हुए है। वर्तमान में दो डाक्टर अवकाश पर हैं।

(3) रिक्त स्थान हैं ही नहीं। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

पद नाम	स्वीकृत पद
(1) चिकित्सा अधिकारी	6
(2) मेलनर्स ग्रेड–I	1
(3) मेलनर्स–II	3
(4) स्टाफ नर्स	1
(5) एल. एच. वी.	1
(6) प्रसाविका	3
(7) रेडियोग्राफर	1
(8) लैब टैक्नीशियन	1
(9) वरिष्ठ लिपिक	1
(10) कनिष्ठ लिपिक	1
(11) स्वास्थ्य निरीक्षक	1
(12) वाहन चालक	1
(13) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9

बन्दीगृहों में बन्दियों की खुराक पर व्यय राशि

470. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के बन्दी गृहों में बन्दियों की खुराक के लिए प्रति खुराक कितनी राशि निर्धारित की हुई है, तथा उक्त राशि कब निर्धारित की गई थी ? कृपया बन्दियों की वर्गवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इस बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में निर्धारित राशि की खुराक बन्दियों को उपलब्ध हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी निगरानी रखी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के बन्दी गृहों में बन्दियों की खुराक के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की हुई है, अपितु खाद्य पदार्थों की मात्रा निर्धारित की हुई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। राज्य में बन्दियों की एक ही श्रेणी है।

(2) बन्दियों को निर्धारित मात्रा में खाद्य पदार्थ दिये जाते हैं। फलस्वरूप यदि अधिक राशि की आवश्यकता होती है तो वित्त विभाग से अधिक वित्तीय प्रावधान करा लिया जाता है।

(3) जी हां। बन्दियों को निर्धारित मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जाने की निगरानी कारागृह/उप कारागृह पर पदस्थापित जेल अधिकारी एवं कर्मचारी करते हैं।

दिनांक 15–11–76 से लागू डाईट स्केल

प्रतिलिपि पत्र संख्या एफ 21 (58) गृह–8 । गृह–76 दिनांक 15–11–76 और से गृह (ग्रुप–8) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, वास्ते महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर ।

विषय:—राजस्थान कारागार विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप बन्दियों के वर्गीकरण एवं भोजन के सम्बन्ध में ।

राजस्थान कारागार विभाग के पुनर्गठन की घोषणा के फलस्वरूप राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट 9 सेक्शन 1 के नियम 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं, जिनकी क्रियान्विति तुरन्त प्रभाव से की जाये:—

1. सभी अपराधी बन्दियों एवं विचाराधीन बन्दियों को दी जाने वाली श्रेणियां समाप्त कर दी गई हैं ।

2. सभी अपराधी बन्दियों एवं विचाराधीन बन्दियों को बिना किसी भेद के निम्नलिखित तालिका के अनुसार भोजन सामग्री दी जाये :—

नाम वस्तु प्रातः कालीन नास्ता	श्रमिक मात्रा ग्राम में	अश्रमिक मात्रा ग्राम में
चाय	3	3
चीनी	20	20
दूध	25	25
भुना हुआ चना या धानी या नमकीन भिगोया हुआ चना या नमकीन भिगोया हुआ मौठ या नमकीन भिगोया हुआ मूंग चपाती	60	60
दोपहर एवं सायंकालीन भोजन :—		
आटा	600	550
या चावल	400	360
दाल	90	60
तेल	20	20
हरी सब्जी	200	200
मसाले	15	15
नमक	20	20
ईंधन (लकड़ी)	900	900

गुड़ (प्रतिदिन)	20	20
चटनी, पोदिना, धनियां, अमचूर, मसाले सहित	10	10

3. कारागार अधीक्षकों को यह निर्देश दिये जाएं कि दिए जाने वाले भोजन की मात्रा और किस्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो तथा भोजन इस प्रकार दिया जाये कि उसके पोष्टिक तत्व कम से कम नष्ट हों।

4. सिविल बन्दी जिन्हें स्वयं का भोजन लाने की अनुमति है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द के बन्दी जिन्हें प्रथम श्रेणी की सुविधाएं हैं उनके सम्बन्ध में अलग से आदेश दिये जा रहे हैं।

राजस्थान सरकार

(कारागार विभाग)

क्रमांक : सामान्य (10) 64–65 (27687–77) दिनांक 15-11-76

प्रतिलिपि :—

1. प्रभारीधिकारी समस्त कारागृह एवं उप कारागृह, राजस्थान को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश की अविलम्ब पालना की जाकर इस परिपत्र के प्राप्त होने की सूचना अविलम्ब भेजें।

2. समस्त प्रभारी शाखा, मुख्यालय, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

हस्ताक्षर
उप महानिरीक्षक कारागार,
राजस्थान, जयपुर

विजय नगर हरीपुरा–15 जी. बी. सड़क निर्माण

471. श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समिति, श्री विजय नगर के अन्तर्गत श्री विजय नगर से हरीपुरा तक 2 कि. मी. बनी हुई पक्की सड़क को 15 जी. बी. तक आगे बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विजय नगर से हर एक गांव की पक्की सड़क चारों तरफ बना दी गई है ? यदि हां, तो 7000 की आबादी को जोड़ने वाले 5 कि. मी. के टुकड़े को छोड़ने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति, श्री विजयनगर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

(2) जी नहीं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, सवाई माधोपुर

472. श्री प्रभुलाल (सिकराय) :

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक, सवाई माधोपुर के कौन-कौन कब-कब से पदाधिकारी हैं ?

(2) बैंक द्वारा इस वर्ष बकाया की कितने प्रतिशत की वसूली की गयी है ?

(3) बैंक का अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ ? और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिलाधीश, सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रशासक दिनांक 14-1-83 से हैं।

(2) बैंक में बकाया ऋणों की इस वर्ष की मांग वसूली 53·3 प्रतिशत रही हैं।

(3) बैंक का अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983–84 का दिनांक 29-3-85 को प्राप्त हुआ था जिसे दिनांक 1-4-85 को बैंक को अनुपालना रिपोर्ट भेजने हेतु भिजवा दिया गया था। अनुपालना रिपोर्ट अभी बाकी हैं। आडिट रिपोर्ट में अंकित एतराजों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.
प्रधान कार्यालय, सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

आडिट रिपोर्ट (भाग अ)

नाम संस्था– सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सवाईमाधोपुर।

आडिट वर्ष– 1983–84

नाम आडिटर– (1) महेन्द्र कुमार जैन
(2) बृज भूषण कटारा।

1–हिस्सा पूंजी—

बैंक की अधिकृत हिस्सा पूंजी 1,50,00,000–00 (एक करोड़, पचास लाख रुपये) के विरुद्ध वर्ष के अन्त में प्रदत्त हिस्सा पूंजी 1,22,60,750·00 रुपये है। इसमें राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये हिस्सों का मूल्य 43,00, 000–00 रुपये एवम् सदस्य समितियों द्वारा क्रय किये गये हिस्सों का मूल्य 79,60,750) रुपये सम्मिलित हैं। गत वर्ष के मुकाबले अवधि में राज्य सरकार के अंशदान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सदस्य समितियों की हिस्सा राशि में 3,54,400) रुपये की वृद्धि हुई है जो गत वर्ष की तुलना में 4·7 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय साधनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सदस्य समितियों की हिस्सा राशि में और वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

2–कोष एवं अन्य निधियां—

30 जून 1983 को समाप्त हुए वर्ष के अन्त में बैंक के कुल कोष 32,12, 114–38 पैसे थे जो इस वर्ष 3,89,658 रुपये 36 पैसे से बढ़कर 36,01, 772 रुपये 74 पैसे हो गये हैं। आलोच्य वर्ष में कृषि साख स्थिरता कोष में 1,589–36 पैसे, वैधानिक कोष में 1–00 रुपये, स्टाफ ग्रेक्यूटी देनदारी कोष में 13,068–00 रुपये तथा सन्देहात्मक बट्टे खाते कोष में 3,75, 000–00 रुपये की वृद्धि हुई है। लघु कृषक विकास अभिकरण रिस्क कोष में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

3–अमानतें—

बैंक में अमानतों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

(लाखों में)

क्रमांक	किस्म अमानत	30-6-82	30-6-83	30-6-84	आलोच्य वर्ष में, वृद्धि	कमी
1.	**फिक्स डिपोजिट**					
	व्यक्तिगत	43-27	45-75	54-87	9-12	–
	समितियां	1-58	14-47	12-57	–	1-90
2.	**बचत खाता—**					
	व्यक्तिगत	67-01	89-54	98-98	9-44	–
	समितियां	48-37	42-31	50-98	8-67	–
3.	**चालू खाता—**					
	व्यक्तिगत	6-24	8-61	6-97	–	1-64
	समितियां	39-28	23-09	44-71	21-62	–
4.	**अल्पकालीन—**					
	व्यक्तिगत	–	–	–	–	–
	समितियां	11-00	3-15	5-00	1-85	–
5.	**अन्य अमानतें—**					
	व्यक्तिगत	10-55	8-94	11-86	2-92	–
	समितियां	6-63	10-63	9-44	–	1-19
		233-93	246-49	295-38	53-62	4-73

वर्ष 1981–82 की तुलना में वर्ष 1982–83 मे बैंक की कुल जमा अमानतों में 12–56 लाख की वृद्धि हुई और अलोच्य वर्ष में 1982–83 की तुलना में 48–89 लाख की वृद्धि हुई है। आलोच्य वर्ष में वृद्धि 1981–82 की तुलना में 26–27 प्रतिशत एवं वर्ष 1982–83 की तुलना में 19–83 प्रतिशत है। आलोच्य वर्ष में अमानत वृद्धि सन्तोषजनक नहीं है। शीर्ष बैंक द्वारा 295 लाख रुपये तक अमानत वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किये थे जिनके विरुद्ध बैंकों ने 29 –38 लाख की अमानत वृद्धि कर अमानत वृद्धि का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है किन्तु बैंक द्वारा अपनी शाखाओं के 325 लाख रुपये के लक्ष्य निर्धारित किये थे जिसमें से 295–38 लाख रुपये के लक्ष्य की प्राप्ति की गई है जो 90–9 प्रतिशत है। आलोच्य वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षा सावधि खाता एवम् चालू खाता अमानतों में कमी हुई है। अमानत वृद्धि की तरफ ध्यान देना अपेक्षित है।

4. बाह्य ऋण बकाया—

वर्ष मय दिनांक

क्रमांक	नाम	30–6–82	30–6–83	30–6–84
1.	शीर्ष बैंक	498–28	558–32	544–63
2.	राज्य सरकार	22–35	20–01	17–67
		520–57	578–33	562–30

30 जून 1982 को बकाया ऋण 520–57 लाख, 30 जून 1983 को 578-33 लाख तथा 30 जून 1984 को 562-30 लाख है। विवेचनात्मक दृष्टि से 30–6–82 से बकाया ऋण के आधार पर प्रत्येक वर्ष सदस्य सहकारी समितियों को उत्तरोत्तर अधिक ऋण अग्रिम किया गया है। बैंक माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1983, जनवरी से अप्रैल, 1984 तक अल्पकालीन ऋण के लिए तथा अक्टूबर, नवम्बर 1983, जनवरी से मई 1984 में मध्यकालीन ऋण 5 वर्ष के लिए नोन ओवरड्यू कवर (अनावधि आवरण) रखने में असफल रहा है।

5-(क) समितियों को ऋण—

सदस्य समितियों को लक्ष्यों के विरुद्ध ऋण अग्रिम किये जाने का विवरण निम्न प्रकार है—

क्रमांक	ऋण किश्म	वर्ष 1980-81		1981-82		1982-83		1983-84	
		लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण
1.	अल्पकालीन	460-00	314-31	600-00	380-77	600-00	435-75	590-00	517-82
2.	मध्यकालीन	–	48-03	–	6-26	70-00	70-41	45-00	65-30
3.	मध्यकालीन परिवर्तित	–	10-05	–	118-92	–	–	–	–
4.	मध्यकालीन ए आर डी सी	–	–	–	3-89	–	-04	–	-20
5.	अन्य	–	135-54	–	121-50	–	102-58	–	163-58

आलोच्य वर्ष में अल्पकालीन ऋण 550-00 लाख के विरुद्ध 517-82 लाख का ही वितरण किया गया है। रहन ऋण 146-32 लाख वेतन भोगी सहकारी समितियों को 0-14 लाख ऋण वितरित किया गया है। केवल मध्यकालीन ऋण वितरण करने में बैंक अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाया है। ऋण वितरण के लिए लक्ष्यों के अनुरूप प्रयास अपेक्षित हैं—

(ख) 1 ऋण की मांग वसूली बकाया का विवरण निम्न प्रकार हैं—

(लाखों में)

किश्म	वर्ष 1980–81			वर्ष 1981–82		
	मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया
अल्पकालीन	507-57	334-80	172-77	497-57	309-77	187-80
मध्यकालीन	22-53	9-05	13-48	40-84	11-73	29-11
मध्यकालीन परिवर्तित	59-21	23-21	36-00	86-75	37-59	49-16
अन्य	2-20	0-36	1-84	4-06	1-85	2-21
	591-51	367-42	224-09	629-22	360-94	268-28

	वर्ष 1982–83			वर्ष 1983–84		
	मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया
अल्पकालीन	599-96	346-12	250-84	668-96	466-21	202-75
मध्यकालीन	62-96	11-05	51-92	92-92	19-16	73-76
मध्यकालीन परिवर्तित	133-67	50-69	82-98	126-07	68-15	57-92
अन्य	4-41	1-33	3-08	3-08	0-36	2-72
	801-01	412-19	388-82	891-03	553-88	337-15

(ख) 2 ब्याज की मांग वसूली एवं बकाया की निम्न प्रकार है—

वर्ष 1980-81			वर्ष 1981-82			वर्ष 1982-83			वर्ष 1983-84		
मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया
96-64	61-44	36-20	112-32	65-76	46-56	143-26	73-83	69-43	170-96	88-61	82-25

बैंक प्रत्येक ऋण के ब्याज की मांग, वसूली एवं बकाया की सूचना पृथक पृथक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है। वर्ष 1980–81 में 97–64 लाख, वर्ष 1981–82 में 112–32 लाख, वर्ष 1982–83 में 143–26 लाख तथा वर्ष 1983–84 में 170–96 लाख थी जिसके विरुद्ध वसूली क्रमश: 61–44 लाख, 65–76 लाख, 73–82 लाख एवं 88–61 लाख हुई है तथा बकाया क्रमश: 36–20 लाख, 46–56 लाख, 69–43 लाख तथा 82–35 लाख रहा जो मांग की क्रमश: 37 प्रतिशत 41·45 प्रतिशत, 48·46 प्रतिशत तथा 49–02 प्रतिशत है। ब्याज बकाया राशि प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है जो कि चिन्ता का विषय है तथा बैंक की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। अत: वसूली हेतु विशेष प्रयास अपेक्षित हैं।

5–(ग) आलोच्य वर्ष में सभी ऋणों की कुल मांग 891–03 लाख रुपये है जिसमें से वर्ष के अन्त में अवधिपार ऋण 337–15 लाख है जो कुल मांग का लगभग 37–8 प्रतिशत है। इस प्रकार अवधिपार ऋण की वसूली हेतु कारगर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं जिससे अवधिपार ऋण बढ़ता जा रहा है। वसूली हेतु कारगर प्रयास अपेक्षित हैं।

आलोच्य वर्ष में अवधिपार ऋण बकाया का वर्षवार वर्गीकरण निम्न प्रकार है—

1 वर्ष से कम	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से 4 वर्ष	4 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
135-66	75-66	40-77	33-16	13-85	38-05	337-15

पांच वर्ष से अधिक का ऋण 38–05 लाख है जो कि गत वर्ष से 7–00 लाख रुपये अधिक है। अत: वसूली हेतु सार्थक प्रयास अपेक्षित हैं ताकि सभी ऋण बटटा खाता ऋण के रूप में परिवर्तित न होने पायें।

5–(घ) आलोच्य वर्ष में अल्पकालीन ऋण वितरण पे-आर्डर से किया गया है। अधिकतर मामलों में सदस्यों को बिना फोटो के मिलान किये तथा बिना फोटो प्राप्त किये ही ऋण अग्रिम किया गया है। "ब" सम्भागीय ऋण वितरण पत्रक प्राप्त करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

6–(अ) बट्टे खाते एवं सन्देहात्मक—

बैंक द्वारा बट्टे खाते एवं सन्देहात्मक ऋणों की एकत्रित की गयी सूचना के आधार पर अंकन निम्न प्रकार किया गया है किन्तु बैंक द्वारा रिजर्व बैंक एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इसके लिए रजिस्टर नहीं रखा गया है—

किश्म ऋण	बट्टा खाता ऋण	संदिग्ध ऋण
अल्पकालीन ऋण	28,34,337–00	34,33,433–00
मध्यकालीन ऋण	35,619–00	6,69,073–00
वेतन भोगी सहकारी समितियों पर ऋण	38,407–00	—
बुनकर सहकारी समितियों पर ऋण	3,130–00	—
अवसायनाधीन समितियों पर ऋण	1,21,474–00	—
मध्यकालीन परिवर्तित ऋण	—	5,98,798–00
योग	30,32,967–00	47,01,304–00

6 वर्ष से अधिक की अवधि की बकाया ऋण 30,32,967–00 है। विभागीय परिपत्रानुसार इस बकाया राशि का शत-प्रतिशत कोष नहीं बनाया गया है तथा इसी प्रकार तीन वर्ष से 5 वर्ष तक अवधि का बकाया ऋण 47,01,304–00 का 10 प्रतिशत से अंकन करने पर 4,70,130–00 का संदिग्ध ऋण कोष नहीं बनाया गया है। कुल बट्टा खाता एवं संदिग्ध ऋण 35,03,097–00 रुपये का शत-प्रतिशत बट्टा खाता कोष निर्माण करना चाहिये था जिसके विरुद्ध बैंक ने 25,88,723–18 पैसा का कोष ही स्थापित किया है, शेष 9,14,373–82 पैसे का कोष नहीं बनाया गया है।

6–(ब) ब्याज ससपेन्स खाता—

वर्ष के अन्त में कुल वसूली योग्य ब्याज जो 84,59,686–67 पैसा है, में से अमानतों एवं सिक्यूरिटीज आदि पर प्राप्त होने योग्य ब्याज 2,23,984–53

को कम करने के पश्चात् शेष ब्याज 82,25,702–14 वसूली योग्य ब्याज को अवधिपार ब्याज माना गया है। इस समस्त ब्याज का विभागीय परिपत्रानुसार शत-प्रतिशत के हिसाब से प्रावधान कर ब्याज सस्पेन्स खाता कोष बनाया जाना चाहिये था, परन्तु इस वर्ष के लाभ में से बैंक ने अवधिपार ब्याज का कोई कोष नहीं बनाया है। इस प्रकार अवधिपार ब्याज का प्रावधान नहीं करना विभागीय निर्देशों की अवहेलना है तथा बैंक की गिरती हुई आर्थिक स्थिति प्रकट करता है।

7–लाभ हानि खाता पर टिप्पणी—

गत दो वर्षों के लाभ-हानि का तुलनात्मक वितरण निम्न प्रकार है—

वर्ष 1981–82		वर्ष 1982–83		वर्ष 1983–84	
आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
81–93	80–64	103–58	95–56	109–21	108–03

वर्ष 1981-82 में व्यय 80,64,014–99 वर्ष 1982–83 में 95,56, 239–46 तथा वर्ष 1983–84 में 1,08,03,244–39 हुआ है जो कि प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है खर्चों पर कठोर नियंत्रण एवं मितव्ययता आवश्यक है। विशेष रूप से जीपों पर होने वाले व्यय में व फील्ड स्टाफ के यात्रा-भत्ता बिलों में संस्था की कार्यशील पूंजी वर्ष 1981–82 में 994-23 लाख. वर्ष 1982–83 में 1,116–97 लाख रुपये तथा वर्ष 1983-84 में 1,157–64 लाख रुपये रही है। संस्थापन व्यय का कार्यशील पूंजी से प्रतिशत क्रमश: 2·5 प्रतिशत, 2·7 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत है संस्थापन व्यय 2 प्रतिशत से अधिक रहना बैंक की आर्थिक स्थिति के लिये उचित नहीं है।

आलोच्य वर्ष में बैंक ने 1,17,517–26 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित किया है किन्तु शुद्ध लाभ निकालने से पूर्व अवधिपार ऋण 7,96,816–56 व अवधिपार ब्याज 61,85,702–14 का और प्रावधान नहीं किया है। यदि इसका भी प्रावधान कर दिया गया होता तो बैंक में 68,65,001–44 की हानि रहती है। अत: वर्ष के लिए कोई वितरण योग्य लाभ नहीं है।

8–बजट—

आलोच्य वर्ष में अनुमानित बजट तैयार कर प्रशासक महोदय से स्वीकृत कराया गया है। निम्न पदों में से प्रस्तावित बजट मदों से अधिक व्यय हुआ

है। इससे स्पष्ट होता है कि व्ययों पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है। अत: बजट के अनुसार ही व्यय किये जाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा व्ययों पर कठोर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है—

क्रमांक	विवरण	स्वीकृत	वास्तविक	अधिक
1.	जीप एवं यातायात	2–00 लाख	2–77 लाख	0–77 लाख
2.	विज्ञापन	0–10 लाख	0–11 लाख	0-01 लाख
3.	स्वागत व्यय	0–25 लाख	0–31 लाख	0–06 लाख
4.	विविध व्यय	0–10 लाख	0–21 लाख	0–11 लाख

9–व्यवस्था व अन्य मद—

(1) बैंक में शाखाओं के निरीक्षण व इन्टरनल आडिट की कोई व्यवस्था नहीं है।

(2) बैंक की महुवा शाखा के रिकार्ड का पुनः लेखन हो जाने के उपरान्त भी बैंक के सन्तुलन चित्र में सही तथ्य प्रदर्शित नहीं किये गये हैं।

(3) शीर्ष बैंक से संस्था के आंकड़ों का समायोजन वर्ष 1979 ही नहीं किया जाकर विभागीय पत्र क्रमांक फा.15 (सविरा)/आडिट/जनरल/सी. सी. बी. 81 दिनांक 25 जून 81 का विभागीय पत्र क्रमांक फा.15 (सविरा)/आडिट/जनरल/सी. सी. बी. 81 दिनांक 25 जून 81 की अवहेलना की गई है। अत: सभी स्तरों पर रिकन्सीलेशन बैलेन्सिंग एवं कनफरमेशन कराया जाकर वस्तु स्थिति प्रदर्शित की जाये।

(4) गत वर्षों की आक्षेप पूर्ति करने में संस्था उदासीन रही है तथा आक्षेपों की पुनरावृत्ति पर रोक नहीं लगायी गई है।

(5) विभागीय निर्देशों के विरुद्ध अवधि में दैनिक वेतन पर नियुक्तियाँ की गई हैं एवं केशयर जैसे दायित्वपूर्ण पद पर अस्थाई कर्मचारियों से कार्य लिया गया है। आलोच्य अवधि में अस्थाई स्टाफ पर से मु. 1,21,657–08 का वेतन व्यय किया गया है।

(6) जीपों की लोग बुक अपूर्ण हैं। डीजल एवं पैट्रोल आदि की लोग बुक में प्रविष्टि नहीं होने से डीजल व्यय का औसत निकालना सम्भव नहीं है।

(7) ई. ई. सी. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बनाये जा रहे गोदामों सम्बन्धी सूचना गत वर्षों से ही उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

(8) संस्था में खर्चों पर कन्ट्रोल न होने से तथा ऋण वसूली प्रतिशत में वृद्धि न होने से बैंक पर आर्थिक भार बढ़ता जा रहा हैं।

ह० (बृज भूषण कटारा) ह० (महेन्द्र कुमार जैन)

समवर्ती अंकेक्षक

सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सवाई माधोपुर (राजस्थान)

आडिट आक्षेप मीमों वर्ष 1983-84

क्र. सं.	आडिट रिपोर्ट पृष्ठ संख्या	आक्षेप संख्या	आडिट आक्षेप मीमों वर्ष 1983-84 के आक्षेप का संक्षिप्त विवरण	क्या कार्यवाही अपेक्षित है।	रिमार्क्स
1	2	3	4	5	6

नोट :—आडिट रिपोर्ट के समस्त प्रश्नों में वर्णित आक्षेपों की पूर्ति तदानुसार की जानी हैं।

ह० (बृज भूषण कटारा) ह० (महेन्द्र कुमार जैन)

समवर्ती अंकेक्षक

जननेता परिवार नियोजन प्रशिक्षण शिविर

473. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पिछले एक वर्ष में परिवार कल्याण विभाग द्वारा कितने जन नेता प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, और उसमें कितने जन नेताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ? तथा उनको क्या क्या सुविधायें मुहैय्या कराई गईं ?

(2) नसबन्दी करवाने वाले पुरुष और महिलाओं को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि कितनी दी जाती है, तथा कितनी किश्तों में देते हैं ? क्या कि त मुगतान के बारे में कोई शिकायतें है ? यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में ऐसी कितनी शिकायतें आई, और उनका क्या निस्तारण किया गया।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1984-85 में परिवार कल्याण विभाग द्वारा 1462 जन नेता प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया है तथा 61719 जन नेताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रशिक्षण शिविरों में अल्पाहार, पानी, रोशनी, बैठने की व्यवस्था की जाती है।

(2) नसबंदी कराने वाले पुरुषों और महिलाओं को निम्न प्रोत्साहन राशि दी जाती है :—

	केन्द्र	राज्य	भोजन पर खर्च	योग
पुरुष	100/-	40/-	10/-	150/-
महिला (परंपरागत)	100/-	40/-	30/-	170/-
महिला (दूरबीन)	100/-	30/-	30/-	160/-
मोटीवेटर	—	15/-	—	15/-

इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही में रू. 150/- की विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अलग से दी जाती है।

उक्त राशि दो किश्तों में दी जाती है जिसका भुगतान संबधित उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पक) के माध्यम से किया जाता है। पिछली साल में कम भुगतान से सम्बन्धित केवल एक शिकायत दिसम्बर, 84 में प्राप्त हुई थी। इस साल में जून, 1985 तक करीब 3 शिकायतें प्राप्त हुई है। इन सभी शिकायतों की जांच की जा रही है।

सवाई माधोपुर जिले के पोषाहार केन्द्र

474. श्री किरोड़ी लाल (महुवा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में अमरीकी सहायता से पोषाहार वितरण के कितने केन्द्र कब से चलाए जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर केन्द्रों का कोई अता-पता नहीं है, और उनके नाम से अधिकतर नेताओं व विभागीय लोगों के सम्बन्धियों के नाम पर ये केन्द्र चलाये जा रहे हैं ? जितने भी केन्द्र चलाये

(श्री किरोडीलाल)

जा रहे हैं वे किस-किस के नाम से, कितने, व कब-कब से चलाए जा रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जितने भी केन्द्र इस समय चल रहे हैं, वे भी सही ढंग से नहीं चल रहे हैं व गरीबों, बच्चों व महिलाओं के नाम पर लोग पैसा हड़प रहे हैं ?

(4) क्या सरकार का सही तथ्यों का पता लगाकर इस मामले में लिप्त अधिकारी व नेताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में अमरीका सहायता से कोई पोषाहार कार्यक्रम नहीं चलता ।

(2) जी नहीं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां ! यथा शीघ्र ।

नगर परिषद सवाई माधोपुर एवं नगरपालिका क्षेत्र गंगापुर में वर्तमान में संचालित पोषाहार केन्द्रों की सूची

क्रमांक	केन्द्र का नाम	प्रभारी का नाम	प्रारम्भ का दिनांक
1	2	3	4
सवाई माधोपुर			
1.	नीम चोकी मोहल्ला	श्रीमती मूमीना	7.10.84
2.	घोसी मोहल्ला	श्री पूरनमल सैन	....
3.	बम्बोरी	श्री धन्नालाल	.... —
4.	बैरवा मोहल्ला	श्री अमर चन्द बैरवा	....
5.	हरीजन मोहल्ला	श्रीमती प्रेम देवी	....
6.	हरीजन मोहल्ला	श्री प्रभु लाल	— —
7.	आदर्श नगर	श्री बिहारीलाल	....
8.	वेयर हाउस के पास	श्री राम प्रकाश बैरवा	....
9.	आदर्श नगर (बी)	श्री नानकराम बैरवा	....
10.	डीगला	श्री नाथूलाल बैरवा	....
11.	नीम चौकी	श्रीमती चमेली देवी	....
12.	हमाल मोहल्ला	श्री इर्शाद मोहम्मद	7.10.84
13.	चकचैन पुरा	श्री सुरेश चन्द बैरवा	11.12.84
14.	हमीर पुल के पास	श्री गिरधारी लाल	7.10.84
15.	आलनपुर	श्री नानाग्नि प्रतीक	11.12.84
16.	आलनपुर	कुमारी इन्द्रा श्रीवास्तव	7.10.84
17.	आदर्श नगर (बी)	श्रीमती माया रानी	....
18.	रेलवे कोलोनी	श्रीमती माया देवी	....
19.	रैगर मोहल्ला कुतलपुरा	श्री राधेश्याम	.... —

1	2	3	4
20.	कुतलपुरा	श्री कन्हैयालाल	12.12.84
21.	खरादी मोहल्ला	श्रीमती मलिका बेगम	11.12.84
22.	मिरजा मोहल्ला	श्री श्राबिद मीयां	7.10.84
23.	वार्ड नं. 29	श्री माधोलाल	....
24.	विवेकानन्द स्कूल	श्रीमती शीला कर्मचन्दानी	11.12.84
25.	वार्ड नं. 30	श्री श्रजूजीदीन	7.10.84
26.	श्रन्सारी मोहल्ला	श्रीमती जमीला बेगम	....
27.	श्रन्सारी मोहल्ला	श्री हाजी नूर खां	....
28.	श्रालनपुरा	श्री जगदीश प्रसाद	....
29.	श्रादर्श नगर (ख)	श्री श्रमर दीपक	....
30.	वार्ड नं. 19	श्री जाहीर श्रली	.... ——
31.	छुगानी होटल	श्री गोविन्द प्रसाद	7.10.84
	गंगापुर सिटी		
1.	रंगरवाडा वार्ड नं. 19	श्री कैलाश चन्द्र	18.10.84
2.	गान्धी कालोनी	श्री मन्नूलाल बैरवा	—— ....
3.	वार्ड नं. 18	श्री श्रब्दुल हमीद	....
4.	कुम्हारा पाड़ा	श्रीमती प्रेमदेवी श्रग्रवाल	....
5.	हरीजन मोहल्ला	श्रीमती बिमला कुमारी	.... ——
6.	वार्ड नं. 15	श्री प्रसादीलाल कोली	.... ——
7.	सुभाष कालोनी	श्री मोहनलाल कोली	....
8.	वार्ड नं. 15	श्री बाबूलाल	....
9.	लाखेरों की कोठी	श्रीमती रामपती देवी	....
10.	संजय कालोनी	श्री मनोहरलाल	....
11.	नासियों की कोलोनी	श्री रामजीलाल	....

1	2	3	4
12.	वार्ड नं. 15	श्री छोटेलाल कोठी	18.10.84
13.	वार्ड नं. 15	श्री जगन लाल	....
14.	चाकरपाडा	श्री मनोहर लाल	....
15.	वार्ड नं. 10	श्रीमती सीता देवी	....
16.	वार्ड नं. 14	श्री सत्य नारायण शर्मा	....
17.	ट्रक यूनियन	श्री गब्बार खां	....
18.	तेलीपाड़ा	कु. आशा सैनी	....
19.	वार्ड नं. 4	श्री विष्णुदत्त	....
20.	गान्धी कालोनी	श्री बाबूलाल कोली	21.12.84
21.	ढोलापाडा	श्री घनश्याम बैरवा	26.12.84
22.	रैगरपाड़ा	श्री गोविन्दलाल	....
23.	कीरपाड़ा	श्रीमती सुशीला देवी	....
24.	सिन्धी कालोनी	श्रीमती मुन्नी देवी	31.1.85
25.	वार्ड नं. 16	श्रीमती सीमा देवी	....

नागौर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

475. श्री दामोदरदास आचार्य (नागौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम खींवसर, तहसील नागौर के पश्चिम की तरफ स्थित जालों की ढाणियों के लिए जल प्रदाय विभाग द्वारा एक जी. एल. आर. बनाने का टेण्डर निकाला गया था ? यदि हां तो इसका कार्य कब तक चालू किया जावेगा ?

(2) क्या ग्राम भूण्डेल, तहसील नागौर में जल प्रदाय योजना के नलकूप और मोटर पम्प गिर जाने के कारण नलकूप बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या इस नलकूप को चालू किया जा सकेगा ? यदि ग्राम भूण्डेल का नल कूप चालू होने की दशा में नहीं, तो क्या इसके स्थान पर जल प्रदाय योजना को उचित मात्रा में जल प्रदान करने के लिये अन्य नलकूप खुदवाया जायेगा ?

(3) विधान सभा क्षेत्र नागौर में दूर-दूर तक फैली हुई रेगिस्तानी क्षेत्र की ढाणियों की आबादी को उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ? इस सम्बन्ध में सरकार उचित मात्रा में धन उपलब्ध करवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। जी. एल. आर का कार्य चालू कर दिया गया है।

(2) जी हां ! नलकूप में गिरे हुए पम्पिंग सेट को निकालने की कार्यवाही जारी है। पम्पिग सेट नहीं निकालने की स्थिति में दूसरा नलकूप बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र नागौर की 14 ढाणियों की योजनाएं वर्ष 1984-85 में स्वीकृत की जा चुकी है। एवं शेष ग्रामों की ढाणियों को धन उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. का संचालक मण्डल

476. श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., अलवर के संचालक मण्डल के रिक्त स्थानों हेतु निर्वाचन होना था, उसके लिए कौन सी तिथि तय की गई ? तथा निर्वाचन की सूचना कब प्रसारित की गई ?

(2) उक्त निर्वाचन में कितने मनोनयन पत्र प्राप्त हुए तथा जांच में कितने मनोनयन पत्र वैध पाये गये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्वाचन मनोनयनों की जांच होने के उपरान्त स्थगित कर दिया गया ?

(4) यदि हां तो किन नियमों के प्रावधान के अन्तर्गत, तथा किन कारणों से चुनाव स्थगित किये ?

उत्तर

(1) जी हां । निर्वाचन तिथि 29.5.85 निश्चित की गई तथा 30.4.85 को निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया ।

(2) चार मनोनयन पत्र प्राप्त हुये उसमें से दो वैध पाये गये ।

(3) जी हां ।

(4) चुनावों का स्थगन विशेष परिस्थितियों में किया गया ।

हड़ताल तपकिया की खरीद

477. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) :क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग द्वारा वर्ष 1984-85 में हड़ताल तपकिया खरीदा गया था ? यदि हां, तो किस फर्म से कितनी मात्रा में ?

(2) जिस फर्म से यह माल खरीदा गया था, उसके अतिरिक्त भी क्या किसी अन्य फर्मों ने भी उक्त माल सप्लाई करने हेतु टेण्डर भरे थे ? यदि हां, तो उनमें हड़ताल तपकिया की रेट क्या थी ? उस फर्म से उक्त औषधि नहीं लेने का क्या कारण था ?

(3) क्या उक्त औषधि हेतु जिन फर्मों से टेण्डर प्राप्त हुए थे, उन सबसे नमूने लेकर उनकी जांच कराई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस-किस फर्म के नमूनों की जांच हुई ?

(4) जिस फर्म से माल खरीदा गया क्या उसका टेण्डर न्यूनतम था ? क्या इस फर्म के माल की जांच भी कराई गई थी ?

(5) क्या यह सही है कि जो माल रिजेक्ट किया गया था वही दूसरी फर्म ने विभाग को सप्लाई कर दिया ?

उत्तर

(1) जी हां । मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी जयपुर को क्रय आदेश दिनांक 2.3.85 के तहत 560 किलो का दिया गया, जिसमें से 31.3.1985 तक उनके द्वारा 335 किलो माल सप्लाई किया गया ।

(2) जी हां ।

हड़ताल तपकिया के लिए निविदा दाताओं से प्राप्त दरों का विवरण (परिशिष्ट 'अ') सदन के पटल पर रख दिया गया है । हड़ताल तपकिया की प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम दर वाले व्यापारी मैसर्स दीनदयाल औषधालय, ग्वालियर ने टेण्डर के साथ उक्त औषध का नमूना संलग्न कर असली ईरानी हड़ताल तपकिया विभागीय नमूने से छोटे टुकड़े देने हेतु लिखा था । जिसका परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा कराने पर समिति ने राय दी कि नमूने में हड़ताल तपकिया के टुकड़े बहुत छोटे एवं अल्प मात्रा में पाये गये तथा विभागीय नमूने से हल्का है, अत: विभागीय नमूने के अनुसार ही ग्राह्य किया जावे । भण्डार क्रय समिति के समक्ष उक्त स्थिति प्रस्तुत करने पर द्वितीय न्यूनतम दर वाले व्यापारी मैसर्स सौभाग्य ट्रेडर्स, ग्वालियर की दर स्वीकृत की गयी किन्तु इस फर्म के द्वारा भी उक्त स्वीकृत आइटम का अनुबन्ध नहीं

(आयुर्वेद मंत्री) :

किया गया। प्रकरण पुनः भण्डार क्रय समिति के समक्ष रखा गया जिसमें इस आईटम का नेगोशिएशन कराने का निर्णय लिया गया। दिनांक 30.11.84 को नेगोसिएशन के लिए व्यापारियों को बुलाने पर मेसर्स दीनदयाल औषधालय, ग्वालियर के द्वारा स्वयं के नमूने की तथा विभागीय नमूने की दरें पृथक पृथक दी गयी, जिनमें काफी अन्तर था। नेगोसियेन्स के दौरान विभिन्न निविदादाताओं द्वारा जो दरें दी गई उनका विवरण (परिशिष्ट 'ब') सदन के पटल पर रख दिया गया है। अतः उक्त व्यापारी के नमूनें का केमिकल विश्लेषण कराया गया। केमिकल कराया गया। केमिकल रिपोर्ट में उक्त व्यापारी का नमूना विभागीय नमूने की तुलना में न्यून स्तर का पाया गया। तकनीकी समिति ने दिनांक 28.1.85 को केमिकल रिपोर्ट पर विचार कर इससे बनने वाली मुख्य औषध रस माणिक्य का निर्माण दोनों नमूनों से बनाकर देखने का निर्णय लिया ताकि निर्मित औषध का अन्तर ज्ञात हो सकें। दोनों नमूने (विभागीय एवं मैसर्स दीनदयाल) कम मात्रा में उपलब्ध थे। अतः अतः नेगोसिएशन में प्राप्त न्यूनतम दर वाले व्यापारी मेसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर तथा मेसर्स दीनदयाल औषधालय ग्वालियर से नमूने प्राप्त कर रस माणिक्य औषध निर्माण करायी गयी और इस निमित्त गठित विशेष तकनीकी विशेषज्ञों की समिति में दिनांक 18.2.85 को प्रकरण रखा गया। समिति ने मेसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर का नमूना शास्त्रोक्त दृष्टि से प्रमाणित एवं श्रेष्ठ स्तर का तथा विभागीय नमूने के अनुरूप बताया जबकि मेसर्स दीनदयाल औषधालय ग्वालियर का नमूना शास्त्रोक्त लक्षणों के तथा विभागीय नमूने के अनुरूप नहीं होना तथा इसमें हड़ताल का चूरा कम एवं पिण्ड हड़ताल का चूरा अधिक है जो औषध निर्माण की दृष्टि से त्याज्य है। दोनों नमूने से निर्मित रस माणिक्य को देखकर मत प्रकट किया कि दीनदयाल औषधालय के नमूने से निर्मित रस माणिक्य का रोगी शरीर पर प्रयोग करने पर स्त्रियों के आर्तव्य पर दुष्प्रभाव तथा अन्य उपद्रव्य होने की सम्भावना रहेगी, समस्त रिपोर्ट के साथ भण्डार क्रय समिति के समक्ष दिनांक 19.2.85 को मामला विचारार्थ रखने पर मेसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर की दर 790.00 प्रति किलो स्वीकृत की गयी और उक्त स्वीकृत दर पर हड़ताल तपकिया का क्रय किया गया।

(3) जी नहीं।

मैसर्स दीनदयाल औषधालय ग्वालियर के अतिरिक्त अन्य किसी फर्म के द्वारा स्वयं का नमूना संलग्न कर स्वयं के नमूने के अनुसार दर नहीं दी गयी थी प्राप्त निविदाओं में उक्त फर्म की दर न्यूनतम होने से इनके द्वारा संलग्न नमूने की जांच कराना भण्डार क्रय समिति ने आवश्यक समझा और इसी कारण जांच करायी गयी। विभागीय नमूने एव उक्त फर्म के नमूने से रस माणिक्य औषधि निर्माण कर जांच करने के लिये विभागीय नमूना पर्याप्त मात्रा में नहीं था इस कारण उक्त फर्म के नमूने के अतिरिक्त मैसर्स रामगोपाल एण्ड कं. जयपुर से भी नमूना प्राप्त कर रस माणिक्य का निर्माण करा कर जांच कराई गयी थी क्योंकि मैसर्स

(आयुर्वेद मंत्री)

रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर की विभागीय नमूने के अनुसार नेगोसियेशन से न्यूनतम दरें थी। इस कारण मेसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर के नमूने की भी जांच करायी गयी थी।

(4) निविदा में विभागीय नमूने के अनुसार दी गयी दरों में मेसर्स सौभाग्य ट्रेडर्स ग्वालियर की दर न्यूनतम थी किन्तु इस फर्म के द्वारा अनुबन्ध नहीं करने से भण्डार क्रय समिति के निर्णयानुसार इस नेगोसिएशन में मेसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर की दर विभागीय नमूने के अनुसार दी गयी दरों में न्यूनतम थी। इस फर्म के नमूने की जांच करायी गयी तथा तकनीकी समिति ने भी इसे उपयुक्त माना।

(5) जी नहीं।

263

परिशिष्ट–"ग्र"

जनरल टेन्डर वर्ष 1994-85 हड़ताल तपकिया का तुलनात्मक विवरण पत्र

क्र.सं.	नाम औषध	गीता ट्रेडिंग कं. जयपुर.	नन्दकिशोर शर्मा एण्ड कं. जयपुर	श्रीनाथ मेडिकल एंड जनरल स्टोर जयपुर	रामगोपाल शर्मा, एण्ड क. जयपुर	सत्यनारायण मालपाणी एंड कं.,	प्यारेलाल गिरराज प्रसाद, डीग	शंकर ट्रेडर्स अजमेर।	दीनदयाल औषधालय ग्वालियर	सोभाग्य ट्रेडर्स., ग्वालियर:	बिस्को कम्पनी बम्बई;
1.	हड़ताल तपकिया	872-00	995-00	940-00	824-00	935-00	915-00	925-00	535-00	580-00	835-00
									21-40	23-20	33-40
									556-40	603-20	868-40

264

ग्राम रोनीजालान (अलवर) के कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जे

478. **श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :** क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोनीजालान तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा किया हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति ने कर रखा है।

(2) क्या सरकार उक्त नाजायज कब्जे को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम रोनीजायान तहसील लक्ष्मणगढ़, में कब्रिस्तान की भूमि पर श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह ने नाजायज कब्जा कर रखा है।

(2) तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा वेदखली के आदेश दिये गये हैं, परन्तु इस मामले में मुन्सिफ मजिस्टेट लक्ष्मणगढ़ ने स्थगन आदेश दे रखे हैं। इसकी अपील जिला न्यायालय में की गई है।

वनों का संरक्षण

479. **श्री शिवचरण सिंह (करौली) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वनों की रक्षा हेतु बनाया गया केन्द्रीय फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट, 1980 राजस्थान पर भी लागू है, अथवा नहीं ? यदि लागू है, तो इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है ?

(2) इस कानून की अनुपालना में राज्य सरकार क्यों उदासीन है ?

(3) क्या वन विभाग इस कानून का उल्लघन लकड़ियां कटवाकर व अनधिकृत खनन कराकर कर रहा है, तथा वनों को नष्ट कर रहा है ? क्या यह सब राज्य सरकार की जानकारी अथवा स्वीकृति से हो रहा है ?

(4) धौलपुर व करौली क्षेत्रों में किस किस व्यक्ति को खनिज लीज वनों में दी गई है, और क्यों ?

(5) इस अनधिकृत कानून विरोधी कार्य को कब तक बन्द कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां। फोरेस्ट (कन्जरवेशन) एक्ट 1980 राजस्थान पर लागू है। एक्ट का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार पूर्णतया सजग है।

(3) जी नहीं। यह कानून सबको कटाई पर लागू नहीं है। अनाधिकृत खनन को रोकने के लिए विभाग द्वारा समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(4) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) अनाधिकृत खनन को रोकने को समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

करौली उप खण्ड में गत तीन वर्षों से स्वीकृत खनन पट्टों की सूची जो कि वन विभाग के क्षेत्र में स्वीकृत किये गये हैं

क्र.सं.	नाम पार्टी व पता	स्वीकृत क्षेत्र	स्वीकृत अवधि	स्थितभाटक	खनिज	विशेष विवरण	रेंज का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री बद्रीप्रसाद मीना, हरीपुरा	प्लाट नं. 15 बहादुरपुर	7.5.82 से दस वर्ष	3725/-	सैण्डस्टोन	कांकरदा प्रो.	रेन्ज सपोटरा करौली
2.	,, विश्वम्भर दयाल, करौली	,, 41 बहादुरपुर	9.11.82 ,,	2660/-	,,	,,	
3.	,, रमेशचन्द्र, घरी का द्वार	,, 43	12.10 81 ,,	3500/-	,,	,,	,,
4.	,, किरोड़ीलाल शर्मा, कल्याणी	,, 1 अतेवा	31.10.81 ,,	26000/-	,,	खोहरी प्रो.	,,
5.	,, सुगनलाल कुमेर प्रसाद, करवाई	,, 2	19.9.81 ,,	11000/-	,,	,,	,,
6.	,, हेमराम मीना, शेखपुरा	,, 4 खोहरी	,, ,,	7100/-	,,	,,	,,
7.	,, प्रीतमचन्द करौली	,, 1 लालबहारी		7300/-	,,	वडीरथ प्रो.	,,
8.	,, ईश्वरी प्रसाद करौली	,, 2	,, 3.11.81 ,,	6101/-	,,	,,	,,
9.	,, ईश्वरी प्रसाद करौली	,, 4	,, ,, ,,	4205/-	,,	,,	,,
10.	,, गिर्राजप्रसाद, डोरावली	,, 17	,, 3.11.81 ,,	3010/-	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	श्री गिर्राजप्रसाद, डोरावली	प्लाट नं. 21 लातबहारी	3.11.81 दसवर्ष	3150/-	सैण्डस्टोन	बडीरथ प्रो.	करौली
12.	,, हंसराम करौली	,, 45 अलबत की खारी	,, ,,	2200/-	,,	अलबत की खारी	,,
13.	,, हंसराम करौली	,, 54 ,,	22.1.82 ,,	2025/-	,,	,,	,,
14.	,, चन्दनमल करौली	,, 86 रायबेली	22.1.82 ,,	4600/-	,,	चिरमोल खाकसेड	सपोटरा
15.	,, विष्णुचन्द, करौली	,, 143 ग्रामरेकी खारी	18.6.82 ,,	3255/-	,,	,,	करौली
16.	,, रामजीलाल सरमथुरा	,, 7 लोटदा		3750/-	,,	गुबरेडा प्रो.	,,
17.	,, केदारलाल सरमथुरा	,, 8 ,,	5.2.82 ,,	7600/-	,,	,,	,,
18.	,, गुन्नीराम, बाबुकापुरा	,, 9 ,,	16.4.82 ,,	2311/-	,,	,,	,,
19.	,, हजारीलाल सरमथपुरा	,, 11 ,	3.11.81 ,,	7600/-	,,	,,	,,
20.	,, सुबेसिंह, चांदपुरा	,, 13 ,,	1.1.82 ,,	3200/-	,,	,,	,,
21.	,, केदारनाथ, चांदपुरा	,, 14 ,,	,, ,,	8100/-	,,	,,	,,
22.	,, सुबेसिंह, चान्दपुरा	,, 17 ,,	,, ,,	5700/-	,,	,,	,,
23.	,, कुन्जलाल सुरारीखुर्द	,, 18 ,,	,, ,,	4100/-	,,	,,	,,
24.	,, अमोल कोरीपुरा	,, 19 ,,	16.4.82 ,,	5130/-	,,	,,	,,
25.	,, शरणलाल, गाधोली	,, 21 ,,	3.11.81 ,,	5200/-	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	श्री सकतपुरा	प्लाट नं.	22 लोटदा		14050/-	सेण्डस्टोन	गुबरेडा
27.	,, श्रमोल गुजर करीपुरा	,,	25	16.11.81 से दस वर्ष	6200/-	,,	,,
28.	,, भरतसिंह गूजर, करौली	,,	1 देवरी पिपरानी	15.8.82 ,,	2161/-	,,	,,
29.	,,	,,	3 ,,	11.6.82	2171/-	,,	.
30.	,,	,,	5 ,,	,,	6000/-	,,	,,
31.	,,	,,	7 ,,	,,	4000/-	,,	,,
32.	,,	,,	9 ,,	,,	2200/-	,,	,,
33.	,,	,,	11 ,,	,,	2361/-	,,	,,
34.	,,	,,	14 ,,	,,	2140/-	,,	,,
35.	,,	,,	16 ,,	,,	2150/-	,,	,,
36.	,,	,,	18 ,,	,,	3000/-	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	श्री भरतसिंह गुर्जर करौली	प्लाट नं.	21 देवरी पिपरानी	11.6.82	2161/-	सेण्डस्टोन	गुबरेडा
38.	,,	,,	24 ,,	,,	2500/-	,,	,,
39.	,,	,,	27 ,,	,,	2211/-	,,	,,
40.	,,	,,	30 ,,	,,	2171/-	,,	,,
41.	,,	,,	33 ,,	,,	2211/-	,,	,,
42.	,,	,,	34 ,,	,,	2221/-	,,	,,
43.	,,	,,	36 ,,	,,	2501/-	,,	,,
44. ,,	,,	,,	37 ,,	,,	2261/-	,,	,,
45.	श्री केदारलाल, गरवेडा	,,	1 केदारखुर्द	8.9.81	11000/-	,,	,,
46.	श्री रामजीलाल, सरमथुरा	,,	2 ,,	8.2.82	3310/-	,,	केदारमैन प्रो.
47. ,,	सुरेश चन्द्र गर्ग, सरमथुरा	,,	3 ,,	15.10.81	14105/-	,,	,,
48. ,,	रामगोपाल गुरबेडा	,,	4 ,,	1.9.81	9250/-	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	,, गोविन्द प्रसाद बहराई	प्लाट नं.	5 केदार खुर्द	15.10.81	12520/-	सेण्डस्टोन	केदारमैनप्रो.
50.	,, रामदयाल, बुवरेडा	,,	6 ,,	1.1.81	20025/-	,,	,,
51.	,, करणसिंह, कोटाछापर	,,	8 ,,	1.10.81	10100/-	,,	,,
52	,, सज्जनसिंह, कोटाछापर	,,	1 कोटाछापर	17.3.82	2125/-	,,	,,
53	,, ,,	,,	2 ,,	,,	2150/-	,,	छावर प्रो.
54	,, ,,	,,	3 ,,	3.6.82	2200/-	,,	,,
55.	श्री सज्जनसिंह, कोटाछावर	,,	6 कोटा छापर	21.8.82 से दस वर्ष	2150/-	सैंडस्टोन छावर प्रो.	करौली
56.	श्री ,,	,,	8 ,,	,, ,,	2141/-	,, ,,	,,
57.	श्री चन्द्रकान्त बहरदा	,,	1 बहरदा	5.3.83 ,,	3200/-	,, बहरदा प्रो.	,,
58.	श्री सुरेश चन्द्र व्यास, भाकरी	,,	15 ,,	,, ,,	3325/-	,, ,,	,,
59.	श्री शिवचरण करौली	,,	15 लोहरा	4.11.81 ,,	4105/-	,, परमदा प्रो.	,,
60.	श्री लक्ष्मीचन्द नाथ, मांच	,,	20 ,,	31.10.81 ,,	3120/-	,, ,,	,,

269

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	श्री बाबूलाल व्यास, करौली	प्लाट नं. '22 लोहरा	14.6.82 दस वर्ष	3700/:	सैण्डस्टोन	परमदा प्रो.	करौली
62.	,, रामगोपाल, करौली	,, 33 ,,	14.10.81 ,,	2300/-	,,	,,	,,
63.	,, छुट्टन लाल, केलादेवी	,, 34 ,,	3.10.81 ,,	5100/-	,,	,,	,,
64.	,, ,,	,, 35 ,,	—	2025/-	,,	,,	,,
65.	,, रामगोपाल, करौली	,, 38 ,,	19.12.81 ,,	2585/-	,,	,,	,,
66.	,, बृजमोहन, गुरधा	,, 13 ब्रहरदा	19.10.82 ,,	8000/-	,,	जलतन प्रो.	,,
67.	,, मोगीराम, बिहरदा	,, 6 खुडरी	8.11.82 ,,	5300/-	,,	,,	,,
68.	,, रामसिंह, सुम्रा	,, 8 ,,	20.1.83 ,,	5350/-	,,	बांसवारी प्रो.	,,
69.	,, सोहनसिंह, केशपुरा	,, 9 ,,	11.3.83 ,,	6050/-	,,	,,	,,
70.	,, टीकमसिंह, खेरारा	,, 10 ,,	20.1.82 ,,	10000/-	,,	,,	,,
71.	,, महेश चन्द शर्मा, करौली	,, 8 माडीभाट	18.9.82 ,,	16000/-	,,	कांकरदा प्रो.	,,
72.	,, ,,	,, 7 ,,	11.4.83 ,,	15100/-	,,	,,	,,

1	2	3		4		5	6	7	8
73.	,, रामजीलाल शर्मा, छावर	प्लाट नं.	8 माडीमाट	4.12.83	से दस वर्ष	5251/-	सैण्डस्टोन	कांकरदा प्रो.	करौली
74.	,, छोटेलाल, चन्द्रावली	,,	5 पारासरी	24.9.82	,,	10151/-	,,	छावर प्रो.	,,
75.	,, लालपत गुरथा	,,	6 ,,	,,	,,	8050/-	,,	,,	,,
76.	,, बद्रीलाल सूबनगर	,,	7 ,,	,,	,,	15000/-	,,	,,	,,
77.	,, भंवरलाल करौली	,,	8 ,,	,,	,,	21000/-	,,	,,	,,
78.	,, नन्दकिशोर, ससेडी	,,	6 प्लाट नं. 4 का	18.10.82	,,	5425/-	,,	बडीरथ प्रो.	,,
79.	,, शिशुपालसिंह, बीलोनी	,,	5 गुरथा	22.10.82	,,	22000/-	,,	गुरथा प्रो.	,,
80.	,, भैरुलाल शर्मा करौली	,,	3 बहादुरपुर (ख. नं 2493)	24.2.83	,,	41300/-	,,	काकरदा प्रो.	,,
81.	,, अनिलकुमार जैन, करौली	,,	12 केशपुरा	20.1.83	,,	10600/-	,,	बांसवारी	,,
82.	,, ,,		10	30.10.82	,,	10300/-	,,		,,
83.	,, रामचन्द, मोहनपुरा,	,,	15 लोहर्रा	8.11.82	,,	6000/-	,,	मंरमदा प्रो.	,,

272

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.	,, भोगाराम बिरेठा	प्लाट नं.	5 गूडरी	8.11.82 से दस वर्ष	5221/-	सैण्डस्टोन	बाँसवारी	करौली
85.	,, जगमोहन, करोली	,,	3 माडीभाट	6.10.82 ,,	5151/-	,,	काकरावा	,,
86.	,, ,,	,,	4	,, ,,	5111/-	,,	,,	,,
87.	,, मनोहर लाल हिण्डोन	,,	1 मुरखा	11.11.82 ,,	20005/-	,,	मुरखा	,,
88.	,, ,,	,,	2	,, ,,	20105/-	,,	,,	,,
89.	,, भरोसी गुजर कुणाली	,,	1 विदोकाकी	16.10.82 ,,	5050/-	,,	मरमरा प्रो	,,
90.	,, गोपाल लाल उपरोला	,,	6 केशपुरा	16.12.82 ,,	7015/-	,,	बांसवारी	,,
91.	,, हरीसिंह अर्जुनपुरा	,,	28 कोटदा	11.11.83 ,,	5200/-	,,	मुबरेडा	,,
92.	,, जहीरउदीन, हनपुरा	,,	29 ,,	1.10.82 ,,	5035/-	,,	,,	,,
93.	,, ,,	,,	30 ,,	,, ,,	10050/	,,	,,	,,
94.	,, रोशन लाल	,,	35 ,,	7.12.83 ,,	12000/-	,,	,,	,,
95.	,, सत्रम सिहरिडकपुरा	,,	34 ,,	2.12.82 ,,	7550/-	,,	,,	,,

1	2	3		4		5	6	7	8
96.	श्री सत्रम सिहरिडकपुरा	प्लाट नं.	33 कोटदा	2.12.82	से दस वर्ष	10500/-	सैण्डस्टोन	मुबरेडा	करौली
97.	’, बुदराम खागटपुरा	,,	36 ,,	4.11.82	,,	7510/-	,,	,,	,,
98.	,, गोटीराम बडागांव	,,	37 ,,	2.12.82	,,	10000/-	,,	,,	,,
99.	,, छगन लाल रथकापुरा	,,	43 ,,	10.12.83	,,	20600/	,,	,,	,,
100.	,, चिरंजी लाल खेडा	,,	44 ,,	21.2.83	,,	25200/-	,,	,,	,,
101.	,, राजेन्द्रसिंह कोटाछापर	,,	बहादुरपुरा	21.10.82	,,	27500/-	,,	काकरपा प्रो	,,
102.	,, राधेराम, मावलपुर	,,	2 ,,	18.9.82	,,	25000/-	,,	,,	,,
103.	,, शिवचरण सिंह, करौली	,,	1 महू	18.5.83	,,	6600/-	,,	बडस्थ	,,
104.	,, शमशाद अहमद, करौली	,,	5 रायेबेली	1.12.82	,,	5100/-	,,	चिरमिल का	,,
105.	,, गजानन्द हिण्डोन	,,	6 ,,	15.9.82	,,	5100/-	,,	,,	,,
106.	,, बालकृष्ण गुप्ता, करौली	,,	9 ,,	1.12.82	,,	31075/-	,,	,,	,,
107.	,, ,,	,,	10 ,,	9.5.83	,,	38800/-	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	श्री समरसिंह, कोडला	प्लाट नं.	9 पारातरी 14.12.82 दस वर्ष	7100/-	सेण्डस्टोन	छावर प्रो.	करोली
109.	,, मूम्राराम कोडर	....	10 .... 24.9.82 —	5060/-	....	....	....
110.	,, ...	....	11 — —	5235/-	....	....	....
111.	,, गो.	....	12 .... — रेंज सपोटरा	5050/	—	....	—
112.	,, गोपालाल, अलवर	...	4 ग्रामरेको 23.10.82	15511/-	चिरमिडो	रेंज सपोटरा	....
113.	,, हरीपरण लाल' गर्ग	....	5 .... —	17011/-	....	....	....
114.	,, देवीचन्द माली, अस्तल	....	2 चौबे की खंगरी 24.9.82	1400/-	सेण्डस्टोन		काकरुदा प्रो.
115.	,, श्री ज्ञानलाल, हिण्डोन	....	1 .... 20.10.82	32000/-	....		....
116.	,, राजेन्द्रकुमार जैन,	....	64 अलबसको 22.1.83	20100/-	....		मरमदा प्रो.
117.	,, गोरासिंह, कोडापुरा	....	1 टमकोली 14.12.82	7000/-	....		जमराटमकोली प्रो
118.	,, निहालसिंह, तिबारा	....	10 .... 3.3.83	10000/-	—		—
119.	,, बरया, डाबर	—	1 दौलतपुरा 29.11.82	10000/-	....		दौलतपुरा प्रो.

1	2	3	4	5	6	7	8
120.	श्री देवबूल, मीना करोली	प्लाट नं.	7 गुरथा	27.6.82 से दस वर्ष	11676/-	सेण्डस्टोन	नैनवी
121.	,, बालूसिह, टटवाई	....	रा. सी. कोसरा	11.8.81	3011/-	....	....
122.	,, द्वारका प्रसाद, सरमथुरा	....	सी. रुथकापुरा	10.3.81	22142/-	....	प्रथम नवीनी
123.	,, गोरधन लाल, ससेडी	...	माजालोहेरा	27.4.81 —	3175/-	....	—
124.	,, किरोडी लाल, सरमथुरा	....	रा. सी. ऊंचा गांव	26.8.81	4100/-	सोपस्टोन	....
125.	,, हिन्दुस्तान मिनरल	....	बांस मुण्डारी	29.4.81			—
126.	,, नत्थूवा लाल, मह	....	रा. सी. खूबनगर	19.1.81	22820/-	सेन्डस्टोन	प्रथम नवीनी
127.	,, महेश चन्द्र ओमप्रकाश अतेवा	....	खोहरी 10·04 व. किमी	7.8.81	111000/-	,,	....
128.	,, गिरिराज प्रसाद, करोली	....	रा. सी. लांगरा	4.12.81	40010/-	....	....
129.	,, हरिचरण लाल, जिन्दल, करोली	....	1 गुरथा	28.10.81	44631/-	....	द्विनवीनी
130.	,, हरी बाबू शर्मा, हिण्डोन	....	2 गुरथा	4.4.81	60960/-	—	प्रथम नवीनी

275

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	श्री स्वरुप सिंह, हथकापुरा	प्लाट नं.	रा. सी. लेदारकला	26.3.81 से दस वर्ष	2251/-	सेण्डस्टोन	प्रथम नवीती
132.	,, कृष्ण, बलुपुरा	....	2 मनाखुर	17.7.81	15100/-	...	....
133.	,, विष्णु चन्द्र, करौली	....	रा. सी. श्यामपुरा	28.7 81	5231/-	....	....
134.	,, रंगलाल, केलादेवी	....	6 मोजा लोहरा	26.7.81	12223/-	—	....
135.	,, भोरीलाल जैन, करौली	....	ग्रुप नं. 26 चौबेककी	15.6.81	135366/-	....	चतुर्थ नवीनी
136.	,, राधेश्याम गोयल, सुरोठ	—	1 ताली	15.6.81	1545/-	मिलस्टोन	द्विनवीनी
137.	,, बंगलीमल, बयाना	....	2 ताली	15.6.81	3310/-	....	....
138.	,, बाबूलाल महाजन, हिण्डोन	....	माची पहाड	25.5.81	9520/-	पेजापस्टार	तृतीयनवीनी
139.	,, कोरीलाल, फूलवास	....	रा. सी. थूलवास	17.1.82	885/-	लाइमस्टोन	....
140.	श्रीमती छोटी बाई, करौली	....	कोडर	5.10.82		—	....
141.	श्री राधामोहन गुप्ता	....	कालाडूंगर	23.2.81		....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
142.	श्री परमानन्द बैरवा	प्लाट नं.	तलहटी	2.4.81 से दस वर्ष		पेजापत्थर	तृतीय नवीनी
143.	,, बृजेश शर्मा, हिन्डोन	....	खरेटा	15.12.82 से दस वर्ष		चैजा पत्थर	करौली रेंज
144.	,, कमल लाल	....	गैरई	16.6.81		....	सपोटरा रेंज
145.	श्रीमती गायत्री देवी	....	नि. सपोटरा	17.1.81		सिलिकासेन्ड	....
146.	,, द्वारका प्रसाद	....	नि. टोडाभीम	16.10.81		फायर क्ले	रेंज महुआ
147.	,, सतानन्द गर्ग	....	खोहरा	3.12.81		फायर व सिलिका सेन्ड	रेंज करौली
148.	,, गोपाल लाल अग्रवाल	....	रामापुरा	28.12.81 —		सिलिका सेन्ड	....
149.	,, मैं. तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल	....	करौली 5·11 वर्गमूल	18.11.82	160000/-	सेन्ड स्टोन	....

278

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू होने के बाद खनिज विभाग द्वारा धौलपुर के वन क्षेत्र में जारी की गई खनन लीज की सूची

1. धौलपुर स्टोन कम्पनी
2. शम्भु दयाल
3. भगवान लाल गर्ग
4. धौलपुर स्टोन कम्पनी वारौली
5. सरदार सिंह
6. भगवान लाल
7. बृजेश कुमार
8. गुलाब सिंह
9. धौलपुर स्टोन कम्पनी
10. किरोडी लाल विरेन्द्रपाल
11. देवीचरण स्टोन कम्पनी
12. राजकुमार स्टोन कम्पनी
13. रामजीलाल बंसल
14. लक्ष्मण प्रसाद
15. सरदार सिंह
16. दिनेश स्टोन कम्पनी
17. स्टोन कम्पनी धौलपुर
18. हरिचरण पुत्र बाबूलाल वैश्य ठेकेदार
19. स्टोन कम्पनी वारौली
20. महेश ठेकेदार वाडी
21. राम खिलाडी ठेकेदार
22. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर ब्राह्मण वाडी

चूरू जिले में पदस्थापित शिक्षा उप निदेशक

481. श्रीमती हमीदा बेगम (चुरू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) तहसील चूरू की कुल कितनी शिक्षण संस्थायें हैं ?

(2) कितनी शिक्षण संस्थाओं पर एक उप निदेशक की नियुक्ति की जाती है, तथा वर्तमान में चूरू जिले में कितने शिक्षा उप निदेशक कार्यरत हैं ?

(1) क्या उर्दू, पंजाबी एवं संस्कृत आदि भाषाओं के पर्यवेक्षण हेतु पृथक् से शिक्षा उप निदेशक हैं ? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चुरू तहसील में निम्नांकित 144 राजकीय शिक्षण संस्थायें हैं :—

क्र.सं.	विद्यालय	संख्या
1.	उ.मा.विद्यालय	4
2.	मा.विद्यालय	7
3.	उ.प्रा.विद्यालय	34
4.	प्रा. विद्यालय (शहरी)	27
5.	प्रा. विद्यालय (ग्रामीण)	71
6.	शि.प्र.विद्यालय	1
योग—		144

(2) शिक्षण संस्थाओं की संख्या के आधार पर उप निदेशक की नियुक्ति नहीं की जाती है वर्तमान में चुरू में 2 उप निदेशक कार्यरत हैं। एक महिला एवं एक पुरुष उप निदेशक हैं।

(3) जी नहीं। भाषाओं के आधार पर पर्यवेक्षण हेतु उप निदेशक के पद सृजित नहीं किये जाते हैं।

भूमि विकास बैंक, पाली

482. सुश्री पुष्पा जैन (पाली)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भूमि विकास बैंक पाली के कौन-कौन कब से पदाधिकारी है ?

(2) बैंक की इस वर्ष कितने प्रतिशत की बकाया की वसूली हुई है ?

(3) बैंक का अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ, और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया अंकेक्षण प्रतिवेदन से सम्बद्ध विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली सहकारी भूमि विकास बैंक लि. के निम्न पदाधिकारी दिनांक 13.1 85 से कार्यरत हैं :—

क्रमांक	नाम	पद
1.	श्री छोगा लाल	अध्यक्ष
2.	श्री भंवर लाल	उपाध्यक्ष
3.	श्री पावड दान	संचालक
4.	श्री सरदारराम	सदस्य

(सहकारिता मंत्री)

5. श्री जोगाराम	सदस्य
6. श्री खरता राम	सदस्य
7. श्री मेवादास	सदस्य
8. श्री राम निवास	सदस्य
9. श्री अमर सिंह	सदस्य

(2) बैंक की वसूली इस वर्ष मांग की लगभग 33 प्रतिशत हुई है।

(3) बैंक का अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983-84 का दिनांक 18.5.83 को प्राप्त हुआ। जिसे दिनांक 11.6.85 को बैंक में अनुपालना रिपोर्ट चाहने हेतु भेज दिया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन के मुख्य-मुख्य एतराजों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

आडिट आक्षेप भाग "अ"

नाम संस्था—पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. पाली

दिनांक पंजीयन—2-1-60

संख्या पंजीयन—480/टी

वर्तमान आडिट अवधि वर्ष—1982-83

नाम आडिटर—श्री मुखराम गढवाल

---

1. हिस्सा पूंजी—

दिनांक 30·6·82 को बैंक की हिस्सा पूंजी 23·21 लाख रुपये थी जो 30·6·83 को बढ़कर 27·53 लाख रुपये हो गई। इस प्रकार हिस्सा पूंजी में वर्ष में 4.32 लाख रुपये की वृद्धि हुई है जो 18·61 प्रतिशत है जबकि गत वर्ष यह वृद्धि 118·85 रुपये प्रतिशत थी। बैंक में राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी नहीं है।

2. कोष एवं अन्य निधियां—

दिनांक 30·6·82 को बैंक के कोष एवं अन्य निधियों में 1·99 लाख रुपये थे जो 30·6·83 को बढ़कर 4·43 लाख रुपये हो गयी। इस प्रकार वर्ष में वृद्धि 2·44 लाख रुपये हुई जो 123 प्रतिशत है लेकिन यह वृद्धि वितरण योग्य में से लाभ न होकर लाभ-हानि खाते में से किये गये प्रावधानों के कारण हुई है।

3. अमानते—

बैंक में जमा अमानतों के गत तीन वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार है :—

	1980-81	1981-82	1982-83
राशि लाखों में	0·22	0·22	0·22

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों से अमानतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है बैंक का अमानतें प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं है। उक्त अमानतें विविध देनदारी, ट्रेक्टर मार्जिन मनी आदि प्रकार की है जो अल्पकालीन है।

4. बाह्य ऋण—

बैंक द्वारा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (शीर्ष बैंक) एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक (नकद साख ऋण) से लिये गये ऋणों की गत दो वर्षों में वर्ष समाप्ति पर बकाया की स्थिति निम्न प्रकार है :—

बकाया ऋण राशि लाखों में

नाम बैंक	81–82	82–83	अवधिपार
शीर्ष बैंक	271·16	321·16	19·21
केन्द्रीय सहकारी बैंक	3·22	0·35	—

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आडिट अवधि में शीर्ष बैंक के ऋण में 50·00 लाख रुपये की वृद्धि हुई है अवधिपार ऋण गत वर्ष 18·90 लाख था जो इस वर्ष बढ़कर 19·21 लाख रुपये हो गया।

5. ऋण वितरण—

बैंक द्वारा गत तीन वर्षों में किये गये ऋणों के वितरण के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष 80–81		वर्ष 81–82		वर्ष 82–83 (लाखों में)	
लक्ष्य	ऋण वितरण	लक्ष्य	ऋण वितरण	लक्ष्य	ऋण वितरण
50·00	95·61	110·00	111·93	112·08	80·49

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक ने गत वर्षों में जहां शत प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूर्ति की थी आडिट अवधि में लक्ष्यों की सिर्फ 71·81 प्रतिशत पूर्ति ही हो पाई जिसका मुख्य कारण सचिव का पद रिक्त रहना एवं मनोनीत संचालक मण्डल की बैठके समय पर आयोजित नहीं किया जाना रहा है।

6. गत तीन वर्षों में मूल ऋण की मांग वसूली एवं बकाया की स्थिति—

वर्ष	मांग (लाखों में)	वसूली	बकाया	अवधिपार का प्रतिशत
80–81	18·32	12·72	5·60	30·57
81–82	33·96	19·26	14·70	43·29
82–83	43·59	28·07	15·52	35·61

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आडिट अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा अवधिपार ऋण के प्रतिशत में गिरावट आई है लेकिन राशि में वृद्धि हुई है अत: नियमित वसूलियां की ओर अधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है:—

7. बैंक की ब्याज की मांग वसूली बकाया की स्थिति—

वर्ष	मांग (लाखों में)	वसूली	बकाया	अवधिपार का प्रतिशत
80–81	14·92	10·97	3·97	26·46
81–82	29·02	18·56	10·46	36·04
82–83	41·71	23·13	18·58	44·55

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अवधिपार ब्याज के प्रतिशत एवं राशि में प्रतिवर्ष भारी वृद्धि हो रही है। जो बैंक की शोचनीय स्थिति प्रदर्शित करती है। ब्याज की वसूली हर हालत में शत प्रतिशत किया जाना अपेक्षित है अन्यथा बैंक की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े बगैर नहीं रहेगा।

8. बट्टाखाता एवं संदेहात्मक ऋण—

बैंक द्वारा विभागीय निर्देशानुसार ऋण वर्गीकरण रजिस्टर तैयार कर बट्टा खाता एवं संदेहात्मक ऋण का निर्धारण नहीं किया गया है। दिनांक 30·6·83 को करीब 4·00 लाख रुपये ऋण एवं ब्याज गत 6 वर्षों से अधिक की अवधि से अवधिपार है जो बट्टा खाता ऋण की परिभाषा में आते है लेकिन बैंक ने उक्त ऋणों के पेटें सिर्फ, 1·94 लाख रुपये का ही प्रावधान कर रहा है जो बहुत ही कम है अत: शेष राशि का प्रावधान किया जावें।

8. लाभ-हानि खाते—

बैंक को गत वर्ष 2·58 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जबकि वर्ष 82–83 में 1·99 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ आडिट अवधि में लाभ हानि खाते में 2·56 लाख रुपये का कोषों का प्रावधान किया गया है लेकिन उक्त लाभ वास्तविक नहीं है। लाभ खाते पर दी गई टिप्पणी के अनुसार बट्टा खाता रिजर्व हेतु 2·06 लाख रुपये का प्रावधान और किया जाता तो संस्था में लाभ की अपेक्षा हानि रहती है। अत: समुचित प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

10. बजट—

आडिट अवधि में संचालन मंडल द्वारा स्वीकृत बजट में निम्न मदों में स्वीकृति से अधिक राशि व्यय हुई —

क्र. सं.	नाम मद	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
1.	मुतफरिक व्यय	3000·00	8354·90	5354·90
2.	पोस्टेज एवं टेलीफोन	5000·00	5064·70	64·70
3.	पुस्तक एव पत्रिकाएं	500·00	576·96	76·96
4.	अतिथि सत्कार	4000·00	4659·60	659·60

उपरोक्त अधिक व्यय हुई राशि का आगामी बजट के समय स्वीकृति ले ली गई है लेकिन संस्था का बजट दिनांक 19·2·83 को स्वीकृत किया गया है जबकि माह जुलाई 82 में स्वीकृत किया जाना चाहिये था बजट तैयार करते समय संभावित आय एवं व्यय का मदवार ब्योरा पूरे चिन्तन के पश्चात बनाया जाना चाहिये एवं विविध खर्च नाम का मद जहां तक संभव हो नहीं रखा जाना चाहिये।

11. संस्थापन व्यय एवं कार्यशील पूंजी—

गत दो वर्षों में बैंक के संस्थापन व्यय एवं कार्यशील पूंजी निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	कार्यशील पूंजी	स्थापना व्यय	प्रतिशत (लाखों में)
81–82	301·00	2·39	1·29
82–83	353·34	4·26	1·21

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्थापना व्यय में 0·08 प्रतिशत की कमी हुई है लेकिन फिर भी बैंक के अवधिपार ऋणों को मध्यनजर रखते हुए संस्थापना व्यय पर पूर्ण नियन्त्रण की आवश्यकता है।

12. व्यवस्था व अन्य—

(1) बैंक द्वारा आडिट अवधि में वार्षिक अधिवेशन या आम सभा नहीं बुलाई गई है जबकि वर्ष समाप्ति के तीन माह के अन्दर-अन्दर बुलाया जाना अधिनियमानुसार अनिवार्य था।

(2) बैंक द्वारा गत वर्षों के महत्वपूर्ण आडिट आक्षेपों की पूर्णरूपेण पालना जिसका ब्योरा आडिट नोट क्रमांक 3 (ब) में दिया गया है, नहीं की गई है।

(3) बैंक द्वारा कर्मचारियों के सेवानियम नहीं बनाये गये है जिसकी वजह से कर्मचारियों की पदोन्नति उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि बाबत कोई व्यवस्था नहीं है।

(4) कृषि विभाग द्वारा जीप नं. आर. एस. एम. 8340 बिलकुल खराब हालत में इस बैंक को आवटित की गई है जो यात्राओं के लिये योग्य नहीं थी जिसकी मरम्मत बैंक द्वारा अधिकृत फर्म से एन ओ सी प्राप्त कर व्यक्तिगत विविध वर्क शोप में करवाई गई जिसमें कोटेशन विधिवत नहीं लिये जाने के कारण जीप मरम्मत में अनियमिततायें बरती गई है जिसका विवरण आडिट नोट क्रमांक 14 (39) में दिया गया है।

(5) बैंक की लेखा संधारण की स्थिति बहुत ही खराब है बैंक खातों का आरम्भ से ही मिलान नहीं किया गया है लेनदारियां एवं देनदारियों की पुष्टि नहीं करवाई गई है जो अत्यन्त ही आश्चर्यजनक हैं। बैंक जैसी संस्था में खातों का मिलान नहीं किया जाना बैंक की शोचनीय स्थिति का प्रतीक है इससे गबन एवं धन के दुरूपयोग की सम्भावनाएं बढ़ जाती है अतः खातों का मिलान तत्काल करवाया जाना अपेक्षित है।

हस्ताक्षर
क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, पाली

हस्ताक्षर
समवर्ती अंकेक्षक

आडिट आक्षेप पत्र भाग "ब"

नाम संस्था—पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. पाली

दिनांक पंजीयन – 2·1·60 संख्या पंजीयन—480/टी

आडिट अवधि—वर्ष 1982–83

नाम आडिटर—मुखराम गढ़वाल

क्र. सं.	आडिट क्रमांक	विवरण
1	2	3
1.	2	बैंक के पास उपनियम फाईल में पूर्ण संशोधित उपनियम नहीं है उपनियमों में बैंक का नाम भूमि बन्धक बैंक लिखा है अत: नये उपनियम अंगीकार कर पंजीकृत कराये जावे। बैंक की अधिकृत हिस्सा पूंजी बढाई जावे।
2.	3	बैंक द्वारा गत आडिट आक्षेपों की पूर्ति पूर्ण रूपेण नहीं की गई हैं। शेष रहे आक्षेपों की पालना एक माह में की जावे।
3.	5	प्रबन्ध समिति की बैठकों की किताब कार्यवाही उपलब्ध नहीं है।
4.	6	आडिट अवधि में वार्षिक अधिवेशन या आमसभा नहीं बुलाई गई है।
5.	7	सदस्य रजिस्टर अपूर्ण है।
6.	9	ऋण आवेदन प्राप्ति रजिस्टर अपूर्ण है।
7.	11	विनियोजित पूंजी के पूर्ण प्रमाण पत्र बैंक में उपलब्ध नहीं है।
8.	12	बैंक/केन्द्रीय सरकारी बैंक के विभिन्न खातों के शेषों में भारी अन्तर है बैंक को आरम्भ से ही बैंक के विभिन्न खातों का मिलान नहीं किया गया है बैंक के पास उक्त खातों की पास बुक या खातों की नकल उपलब्ध नहीं है।

1	2	3
9.	14 (1)	श्री सतार खां केशियर से रसीद संख्या 9814 की कम जमा की गई राशि 90·00 रुपये मय ब्याज वसूली की जावे ।
10.	14 (4)	बहुत से डिजल आयल बिलो की इन्द्राज जीप की लाग बुक में नहीं किया गया है ।
11.	14 (9)	श्री अनिलकुमार को दिये गये अनियमित वेतन 60–00 की वसूली श्री गोदूराम सचिव से की जावे ।
12.	14 (11)	श्री केराराम को अनुचित दैनिक भत्ता 11–00 की वसूली की जावे ।
13.	14 (12) (15) (40)	श्री मंगलाराम भाटी, श्री मांगीलाल एवं श्री ईश्वर राम को दिये गये अनुचित यात्रा भत्ता एडवान्स का 18 प्रतिशत से ब्याज वसूली किया जावे ।
14.	14 (20)	कर्मचारियों को दिये गये खेल सामग्री की राशि की वसूली 1054–00 रुपये की, की जावे ।
15.	14 (25)	श्री सुल्तानसिंह शाखा सचिव से अनियमित अलाउंन्स 1195–55 रुपये की वसूली की जावे ।
16.	14 (26) (38)	श्री मंगलाराम भाटी से अनियमित दैनिक भत्ता 93–50 रुपये की वसूली की जावे ।
17.	14 (27)	बैंक कर्मचारियों को अनियमित चिकित्सा भत्ता राशि 120-00 रुपये की वसूली की जावे ।
18.	14 (14)	श्री असलम खां अध्यक्ष से श्री मुकनाराम को माह जून 82 में दी गई अनियमित वेतन राशि 465–21 रुपये की मय ब्याज वसूली की जावे ।
19.	14 (29)	श्री सतीशचन्द्र शर्मा पी.ओ से अनियमित दैनिक भत्ता वसूली 24–00 रुपये की की जावे ।
20.	20 (31)	टाईपराईटर का पुराना की बोर्ड सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त किया जावे या उसकी राशि 1188–63 वसूल की जावे ।

1	2	3
21.	14 (34)	श्री बंशीलाल वाहन चालक से अनियमित दैनिक भत्ता राशि 304–00 की वसूल की जावे ।
22.	14 (35) (36)	श्री जोगसिंह लिपिक से अनियमित दैनिक भत्ता 10–00 एवं चिकित्सा व्यय 49–45 रुपये की वसूली की जावे ।
23.	14 (37)	श्री पी. के. अवस्थी से अनियमित चिकित्सा भत्ता राशि 61–15 रुपये की वसूली की जावे ।
24.	14 (39)	जीप नं. आर .एस. एम. 8340 की मरम्मत में नियमों की पालना नहीं की गई है ।
25.	15 (ब)	बैंक केश क्रेडिट खातों का मिलान नहीं किया गया है ।
26.	17	ऋण आवेदन पत्रावलियों की जांच सही ढंग से नहीं की जाती है उक्त मामले में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ।
27.	18	ऋण के दुरुपयोग के मामलों की राशि एक मुश्त वसूली की जावे ।
28.	19	धारा 106 के अन्तर्गत क्रय की गई भूमि की पुन: निलामी नहीं की गई है रिसीवर्स से कोई आय प्राप्त नहीं की जा रही है ।
29.	20	अवधिपार ऋणों की वसूली हेतु अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की जाती है ।
30.	21	पुनर्भरण की राशि शीर्ष बैंक से समय पर प्राप्त नही की जाती है ।
31.	22	डी. बी. फाईल की रख-रखाव की समुचित व्यवस्था नहीं है डी. बी. फाईल्स अपूर्ण है ।
32.	24	बैंक के महत्वपूर्ण रजिस्टर काफी अर्से से अपूर्ण है ।

33\. 28 श्री जुगाराम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण में बैंक स्टाफ द्वारा बरती गई काफी अनियमितताओं की टिप्पणी होते हुए परियोजना अधिकारी द्वारा फिल्ड स्टाफ के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

34\. 33 बैंक कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं बनाये गये है कर्मचारियों के सेवाअभिलेख अपूर्ण है।

35\. 34 बैंक द्वारा ऋण वसूली हेतु ली गई जीपों की लॉग बुक अपूर्ण है जीपों के परिचालन पर बैंक प्रबन्धकों को नियन्त्रण का अभाव है।

36\. 35 बैंक द्वारा ट्रंककाल बुक रजिस्टर अपूर्ण रखा गया है।

ह. मुखराम गढ़वाल
समवर्ति अंकेक्षक
पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि.
पाली

यूनानी चिकित्सक

483. **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के यूनानी चिकित्सकों के कुल कितने पदों में से, कितने पद कहां-कहां खाली हैं, और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि यूनानी चिकित्सकों के लिये सरकार ने दो वेतन शृंखलायें निर्धारित की है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी व उनका मापदण्ड क्या है ?

(3) क्या यह भी सही है कि यूनानी चिकित्सकों के उच्च वेतनमान के लिये निर्धारित योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते ?

(4) यदि हां, तो रिक्त पदों वाले यूनानी चिकित्सालयों की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी ?

उत्तर

(1) राज्यों में यूनानी चिकित्सालयों के कुल 78 पद हैं उनमें से 41 पद खाली हैं। रिक्त स्थानों की सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है। निर्धारित योग्यता के आशार्थी उपलब्ध नहीं होने से ये पद रिक्त चल रहे हैं। माह दिसम्बर 1984 में 35 पदों के लिये प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये गये जिसके उत्तर में कुल 28 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और जिनमें से भी केवल छः व्यक्ति ही नियमित योग्यतायें पूरी करते हैं। इनकी नियुक्ति बाबत मामला विचाराधीन है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने यूनानी चिकित्सकों के लिए राज्याज्ञा एफ 17 (10) एफ. डी./जी. आर./2/82–1 दिनांक 31·10·83 के द्वारा दिनांक 1·9 81 से दो वेतन शृंखलाएं निर्धारित की है।

1. 860–1750

पांच वर्षीय डिग्रीधारी चिकित्सकों के लिए

2. 740–1420

जो चिकित्सक पांच वर्षीय डिग्रीधारी नहीं है।

(3) जी हां। वर्तमान में रिक्त पदों के अनुरूप निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, परन्तु भविष्य में इनके उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(4) भविष्य में निर्धारित योग्यताधारी यूनानी चिकित्सकों के उपलब्ध हो जाने से पदों की पूर्ति सम्भव हो सकेगी।

परिशिष्ट–"म्र"

यूनानी चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूची

क. सं.	नाम औषधालय	जिला	अवधि जब से पद रिक्त है
1	2	3	4
1.	तारागढ़	अजमेर	6/84
2.	उमर	बून्दी	9/81
3.	चांदराना	जयपुर	4/81
4.	बुहानिया	झुन्झुनू	7/80
5.	बालघाट	सवाई माधोपुर	7/83
6.	डाबरा	,,	7/80
7.	फलसावटा	,,	10/81
8.	मखोली	,,	7/80
9.	गोगोर	,,	7/80
10.	धौलपुर	धौलपुर	7/80
11.	नादनपुर	भरतपुर	7/80
12.	जोतरूल्ला	,,	7/80
13.	ततामड़	,,	1/82
14.	जैपला	कोटा	7/80
15.	पिड़ावा	झालावाड़	7/80
16.	धोबीतलाई	बीकानेर	12/83
17.	रिड़मलसर	,,	7/80
18.	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	7/80
19.	फतेहनगर	उदयपुर	8/81
20.	ढूढरिया	डूंगरपुर	7/80
21.	मकराना	नागौर	8/83
22.	नागौर	,,	7/80

1	2	3	4
23.	बुरहान का तला	बाड़मेर	1979
24.	दूधियाकलां	,,	7/80
25.	झंवर	जोधपुर	7/80
26.	थोंस	अलवर	7/80
27.	जैरोली	,,	2/83
28.	डूंगरियां	बांसवाड़ा	7/80
29.	गुलजारपुरा	जोधपुर	4/81
30.	दतोनी	बाड़मेर	12/81
31.	झारिया	चूरू	5/84
32.	खलीफों की बावड़ी	बाड़मेर	5/84
33.	कुईइन्दा	जोधपुर	5/84
34.	मेड़तीसिवटान	,,	5/84
35.	धोला	जयपुर	5/84
36.	टोपरिया	गंगानगर	5/84
37.	गामड़ीदेवल	डूंगरपुर	5/84
38.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	3/85
39.	सिक्कों का वास	बीकानेर	3/85
40.	किशनगढ़–मदनगंज	अजमेर	3/85
41.	फतेहपूर "अ" श्रेणी सीकर	सीकर	1985

झालावाड़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नवीन विषय

484. श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (भालरापाटन) : क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार झालावाड़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टर्नर, इलेक्ट्रीशियन एवं आटोमोबाइल्स के विषय खोलना चाहती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीमित वित्तीय प्रावधान के कारण सम्भव नहीं है।

(2) वर्ष 1985–86 में सिर्फ पूर्व-दायित्व व्यय (Committed Expenditure) का ही प्रावधान है।

अकाल राहत क्षेत्रों में वसूलियों का स्थगन

485. श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में सरकार ने अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में इस वर्ष सभी तरह की वसूलियां स्थगित करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा को क्रियान्विति कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो कब-कब, व क्या-क्या ? कृपया आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष सम्वत् 2041 में जिन ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया उसकी चालू भू-राजस्व की वसूली के स्थगन आदेश अभाव स्थिति की घोषणा के साथ ही जारी किये गये। अतः पिछले विधान सभा सत्र में अकाल राहत क्षेत्र में सभी तरह की वसूलियां स्थगित करने की घोषणा करने का प्रश्न नहीं उठता। पिछले विधान सभा क्षेत्र में सहकारिता ऋणों की वसूली दिनांक 30·9·85 तक स्थगित किये जाने के निर्देश दिये जाने की तथा सहकारिता के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किये जाने की घोषणा की गयी थी जिसके सम्बन्ध में स्पष्टतः आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया।

(2) जारी किये गये आदेशों की प्रतियां संलग्न है।

(294)

राजस्थान सरकार

(सहायता विभाग)

पत्रांक एफ 1 (2) (8) स. आ./ख./ग्रुप–1/84–85/663–88

जयपुर दि. 15–1–85

वास्ते

जिलाधीश

बाड़मेर/भीलवाड़ा/बीकानेर/बून्दी/चूरू/गंगानगर/जैसलमेर/जालोर/
झुन्झुनूं, जोधपुर, सिरोही/पाली/सवाई माधोपुर

विषय:—संवत् 2041 में खरीफ में हानि के कारण अभाव स्थिति की घोषणा एवं भू-राजस्व की वसूली का स्थगन ।

महोदय,

दुर्भिक्ष संहिता के अनुच्छेद 134 के साथ पठित राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 (एक्ट संख्या 3 सन् 1955) की धारा 126 के अनुसरण में निम्नलिखित जिलों के घोषित ग्रामों में जहां खरीफ संवत् 2041 की फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक हानि हुई है, को सहायता विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (2) (8) स.आ./ख./ग्रुप–1/84–85/537–62 दिनांक 15–1–1985 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है ।

क.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या
1	2	3
1.	बाड़मेर	496
2.	भीलवाड़ा	228
3.	बीकानेर	546
4.	बून्दी	204
5.	चुरू	481
6.	गंगानगर	25
7.	जैसलमेर	381
8.	जालोर	437
9.	झुन्झुनू	208
10.	जोधपुर	422

1	2	3
11.	सिरोही	24
12.	नागौर	858
13.	पाली	317
14.	सवाई माधोपुर	222
		4849

इन घोषित ग्रामों की ऐसी सूचियां के सम्बन्ध में जो भू-अभिलेखों में बारानी, तालाबी अथवा सेलाबी दर्ज है व जिन पर किसी भी स्रोत से वर्तमान में सिंचाई नहीं हो रही है एवं केवल खरीफ की ही फसल का उत्पादन होता है, संवत् 2041 के चालू भू-राजस्व की वसूली दिनांक 30 सितम्बर, 1985 तक निर्देशानुसार स्थगित की जाती है।

1. जो क्षेत्र दो फसली हैं एवं जिनमें रबी की सिंचित काश्त है उनमें भू-राजस्व की वसूली स्थगित नहीं की जावेगी।

2. जिन रकबों में असिंचित रबी की फसल है उन भूमियों के सम्बन्ध में भू-राजस्व की वसूली तब तक स्थगित नहीं की जायेगी जब तक कि सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया जाता है कि उक्त भूमियों पर बोई गई रबी फसल भी नष्ट हो गई है।

पंचायत समितियों की तकावी एवं राजस्व तकावी ऋणों की वसूली अभाव स्थिति घोषणा के साथ ही स्वत: स्थगित नहीं होगी। इसी प्रकार सहकारिता ऋण भी अभाव स्थिति घोषणा के साथ स्वत: ही मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित नहीं किये जावेंगे। इस हेतु उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही जिलाधीशों/रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग द्वारा उनकी वसूली के स्थगन/परिवर्तन के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।

भवदीय

ह०

(सुखदेव दाधीच)

उप शासन सचिव (सहायता)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर
2. शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर
4. शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज. जयपुर
5. सचिव, मुख्यमन्त्री राज. जयपुर
6. निजी सचिव, सहायता मन्त्री/वित्त मन्त्री/सहायता राज्यमन्त्री
   उप मन्त्री सहायता राज. जयपुर
7. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राज. जयपुर (दो अति. प्रति सहित)
8. रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग राज. जयपुर
9. सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण
10. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, राज. जयपुर
11. रक्षित पत्रावली
12. सम्बन्धित जिलाधीश

ह०

(सुखदेव दाधीच)

उप शासन सचिव (सहायता)

(297)

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

क्रमांक एफ. 1 (2) (8) स. आ./खरीफ/ग्रुप-1/84–85/743–67

जयपुर, दिनांक 15-1-1985

वास्ते

जिलाधीश

अजमेर/बांसवाड़ा/जयपुर/झालावाड़/सीकर/टोंक/उदयपुर

विषय:—संवत् 2041 में खरीफ में हानि के कारण अभाव स्थिति की घोषणा एवं भू-राजस्व की वसूली का स्थगन।

महोदय,

दुर्भिक्ष संहिता के अनुच्छेद संख्या 134 के साथ पठित राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 (एक्ट संख्या–3 सन् 1955) की धारा 126 के अनुसरण में निम्नलिखित जिलों के घोषित ग्रामों जहां खरीफ फसल सम्वत् 2041 में 75% या इससे अधिक हानि हुई है को सहायता विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (2) (8) स. आ./ग्रुप-1/84–85/718–42 दिनांक 15-1-85 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया।

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	66
2.	बांसवाड़ा	362
3.	जयपुर	211
4.	झालावाड़	80
5.	सीकर	222
6.	टोंक	195
7.	उदयपुर	32
		1168

298

इन घोषित ग्रामों की ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में जो भू-अभिलेखों में बारानी, तालाबी अथवा सेलाबी दर्ज है व जिन पर किसी भी स्रोत से वर्तमान में सिंचाई नहीं हो रही है एवं केवल खरीफ की ही फसल का उत्पादन होता है, सम्वत् 2041 के चालू (Current) भू-राजस्व की वसूली दिनांक 30 सितम्बर, 1985 तक निर्देशानुसार स्थगित जाती है।

1. जो क्षेत्र दो फसली हैं एवं जिनमें रबी की सिंचित काश्त है उनमें भू-राजस्व की वसूली स्थगित नहीं की जावेगी।

2. जिन रकबों में असिंचित रबी की फसल है उन भूमियों के सम्बन्ध में भू-राजस्व की वसूली तब तक स्थगित नहीं की जावेगी जब तक कि सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया जाता है कि उक्त भूमियों पर बोई गई रबी की फसल भी नष्ट हो गई है।

पंचायत समितियों की तकाबी एवं राजस्व तकाबी ऋणों की वसूली अभाव-स्थिति घोषणा के साथ ही स्वत: स्थगित नहीं होगी। इसी प्रकार सहकारिता के अल्पकालीन ऋण भी अभावस्थिति घोषणा के साथ स्वत: ही मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित नहीं किये जावेंगे। इस हेतु उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही जिलाधीशों/रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, द्वारा उनकी वसूली के स्थगन/परिवर्तन के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।

भवदीय,

ह०

(सुखदेव दाधीच)

उप शासन सचिव (सहायता)

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

पत्रांक:—एफ. 1 (2) (8) स. आ./खरीफ, ग्रुप–1/84–85/8110–29

जयपुर, दिनांक 6-4-85

वास्ते,

जिलाधीश,

अजमेर/बांसवाड़ा/जयपुर/झालावाड़/
सीकर/टोंक/उदयपुर ।

विषय:—सम्वत् 2041 में खरीफ में हानि के कारण अभावस्थिति की घोषणा एवं भू-राजस्व की वसूली का स्थगन ।

महोदय,

दुर्भिक्ष संहिता के अनुच्छेद संख्या 134 के साथ पठित राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 (एक्ट सख्या–3 सन् 1955) की धारा 126 के अनुसरण में निम्नलिखित जिलों के घोषित ग्रामों में जहां खरीफ फसल सम्वत् 2041 में 50 प्रतिशत या इससे अधिक हानि हुई है को सहायता विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (2) (8) स. आ. खरीफ ग्रुप–1/84–85/8087–8108 दिनांक 6-4-1985 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया हैं ।

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	80
2.	बांसवाड़ा	1036
3.	जयपुर	802
4.	झालावाड़	533
5.	सीकर	230
6.	टोंक	756
7.	उदयपुर	333
		3770

300

इन घोषित ग्रामों की ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में जो भू-अभिलेखों में बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी दर्ज है व जिन पर किसी भी स्रोत से वर्तमान में सिंचाई नहीं हो रही है एवं केवल खरीफ की ही फसल का उत्पादन होता है, सम्वत् 2041 के चालू (Current) भू-राजस्व की वसूली दिनांक 30 सितम्बर, 1985 तक निर्देशानुसार स्थगित की जाती है।

1. जो क्षेत्र दो फसली हैं एवं जिनमें रबी का सिंचित काश्त है उसमें भू-राजस्व की वसूली स्थगित नहीं की जावेगी।

2. जिन रक्बों में असिंचित रबी की फसल है उन भूमियों के सम्बन्ध में भू-राजस्व की वसूली तब तक स्थगित नहीं की जावेगी जब तक कि सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया जाता है कि उक्त भूमियों पर बोई गई रबी की फसल भी नष्ट हो गई है।

पंचायत समितियों की तकावी एवं राजस्व तकावी ऋणों की वसूली अभाव-स्थिति घोषणा के साथ ही स्वतः स्थगित नहीं होगी। इसी प्रकार सहकारिता के अल्पकालीन ऋण भी अभावस्थिति घोषणा के साथ स्वतः ही मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित नहीं किये जावेंगे। इस हेतु उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही जिलाधीशों, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग द्वारा उनकी वसूली के स्थान/परिवर्तन के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।

भवदीय,
ह०–/
(सुखदेव दाधीच)
उप शासन सचिव (सहायता)

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

क्रमांक 1 फा. 4 (34) राज / ग्रुप–2/84/9743–776

जयपुर, दिनांक 23-4-1985

आज्ञा

विषय:—सम्वत् 2041 के खरीफ फसल की क्षति के कारण प्रभावग्रस्त घोषित ग्रामों में भू-राजस्व की बकाया की वसूली का स्थगन।

इस वर्ष खरीफ सम्वत् 2041 की फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक की हानि होने के फलस्वरूप सहायता विभाग की विभिन्न अधि सूचनाओं के अन्तर्गत अभाव-ग्रस्त घोषित ग्रामों की ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में, जो भू-अभिलेखों में बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी दर्ज है व जिन पर किसी स्रोत से वर्तमान में सिंचाई नहीं हो रही हैं, भू-राजस्व की बकाया की वसूली निदेशानुसार दिनांक 30 सितम्बर, 1985 तक स्थगित करने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। परन्तु यह आदेश ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में प्रभावशील नहीं होंगे जो कि भू-अभिलेखों में तो बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित है पर उन भूमियों में कुओं अथवा अन्य स्रोतों से सिंचाई होती हैं। इस प्रकार की भूमियों में अगर असिंचित काश्त की जाती है तो उस अवस्था में उन भूमियों के सम्बन्ध में भू-राजस्व की बकाया को वसूली तब ही स्थगित की जावेगी जब सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा ऐसी भूमियों के प्रत्येक खातेदार के सम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र दे दिया जाय कि उक्त खातेदारों द्वारा बोई गई रबी फसल भी नष्ट हो गई हैं।

ये आदेश भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय अन्य बकाया के मामलों में (जैसे कि खनिज उद्योग आबकारी आदि विभाग की बकाया) लागू नहीं होंगे।

निदेशानुसार यह आदेश वित्त विभाग की बउम्मेद सहमति। स्वीकृति प्रसारित किये गये हैं।

भवदीय,

ह०

उप शासन सचिव (सहायता)

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

पत्रांक:—एफ 1 (2)(40) स.आ. ख./ग्रुप–1/84–85/9869–909

जयपुर, दिनांक 24-4-1985

वास्ते,

पंजीयक,
सहकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय :—संवत् 2041 में खरीफ की क्षति के कारण राज्य के 21 जिलों में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में सहकारिता के ऋणों का वसूली का स्थगन।

महोदय,

दुर्भिक्ष संहिता के अनुच्छेद संख्या 134 के साथ पठित राजस्थान टीनेन्सी एक्ट (संख्या 3 सन् 1985) की धारा 126 के अनुसरण में निम्नलिखित जिलों के घोषित ग्रामों में खरीफ फसल सम्वत् 2041 में 50 प्रतिशत या इससे अधिक हानि हुई हैं को सहायता विभाग की अधिसूचना संख्याओं एफ 1 (2) (8) स.आ./ग्रुप–1/खरीफ/84–85/दिनांक 15-1-1985 तथा दिनांक 6-4-1985 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया हैं :—

क्र.सं.	जिले का नाम	अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या
1	I	3
1.	अजमेर	146
2.	बांसवाड़ा	1398
3.	बाड़मेर	496
4.	भीलवाड़ा	228
5.	बीकानेर	546
6.	बून्दी	204
7.	चुरू	481
8.	गंगानगर	25
9.	जयपुर	1013

1	2	3
10.	जैसलमेर	381
11.	जालोर	437
12.	झालावाड़	613
13.	झुन्झुनूं	208
14.	जोधपुर	422
15.	नागौर	858
16.	पाली	317
17.	सवाई माधोपुर	222
18.	सीकर	452
19.	सिरोही	24
20.	टोंक	951
21.	उदयपुर	365
	योग	9787

इन घोषित ग्रामों की ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में जो भू-अभिलेखों में बारानी, तालाबी एवं सेलाबी दर्ज हैं व जिन पर किसी स्रोत से वर्तमान में सिंचाई नहीं हो रही हैं एवं केवल खरीफ की ही फसल का उत्पादन होता हैं, सहकारिता के ऋणों की वसूली दिनांक 30 सितम्बर, 1985 तक निर्देशानुसार स्थगित की जाती हैं।

1. जो क्षेत्र दो फसली हैं एवं जिनमें रबी की सिंचित काश्त हैं उनमें उक्त वसूली स्थगित नहीं की जावेगी।

2. जिन रकबों में असिंचित रबी की फसल हैं, उन भूमियों के सम्बन्ध में सहकारिता के ऋणों की वसूली तब तक स्थगित नहीं की जावेगी जब तक की सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया जाता हैं कि उक्त भूमियों पर रबी की फसल नष्ट हो गई हैं।

उपरोक्त अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में जिनके सहकारिता के ऋणों की वसूली स्थगित की गई हैं के सम्बन्ध में निर्देशानुसार सहकारिता के अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन ऋणों में स्वतः ही परिवर्तित माने जाते हैं।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति संख्या 1565 दिनांक 4-4-1985 द्वारा दी गयी है।

भवदीय
ह०
(सुखदेव दाधीच)
उप शासन सचिव, सहायता

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–4) विभाग

सहकारिता

क्रमांक फा.2 (57) सह./कृषि–4/85

जयपुर, दिनांक 7 मई, 1985

पंजीयक,

सहकारी समितियां,

राजस्थान, जयपुर

विषय :—सम्वत् 2041 में खरीफ फसल की क्षति के कारण राज्य के 21 जिलों के अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में सहकारिता के ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय,

सहायता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा आपको प्रेषित पत्र क्रमांक फा. 1 (2) (40) स. आ/ख./ग्रुप–1/84–85/9069–909 दिनांक 24-4-1985 में यह उल्लेख किया है कि इन घोषित ग्रामों की ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में जो अभिलेख में बारानी, तालाबी एवं सेलाबी दर्ज हैं व जिन पर किसी स्रोत से वर्तमान में सिंचाई नहीं हो रही है एवं केवल खरीफ की ही फसल को उत्पादन होता है, सहकारिता के ऋणों की वसूली दिनांक 30 सितम्बर, 1985 तक स्थगित की जाती है तथा उक्त ग्रामों में सहकारिता के अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन ऋणों में स्वतः ही परिवर्तित माने जाते हैं।

कतिपय जिलों में उक्त आदेश के विभिन्न अर्थ लगाये जा रहे हैं। अस्तु इस आदेश से निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि सहायता विभाग द्वारा उल्लिखित ऋणों से तात्पर्य केवल वर्तमान अल्पकालीन ऋणों (Current short-term loans) से ही है। मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, ऋणों पर देय ब्याज और पूर्व के बकाया अल्पकालीन ऋणों की वसूली नियमानुसार पूर्ववत देय है और उसमें किसी प्रकार का स्थगन नहीं है।

(306)

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियमानुसार वर्तमान देय अल्पकालीन ऋणों (Current recovery of short-term loans) को मध्यकालीन ऋणों में नियमानुसार ही परिवर्तित किया जावेगा। उक्त प्रयोजनार्थ कार्यवाही जारी है अस्तु इन अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन में परिवर्तन होने तक केवल वर्तमान अल्पकालीन ऋणों की वसूली ही स्थगित रहेगी।

उपरोक्त स्पष्टीकरण सहायता विभाग से विचार विमर्श उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

ह०

(जे. के. सचदेव)

उप शासन सचिव

मै. खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर्स, डीग द्वारा गलत औषधि दिया जाना

486. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवा-महल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, डीग के डाक्टर द्वारा दिनांक 23·5·1985 को प्रेस्क्रिप्शन संख्या 12801 पर मरीज श्री सतीशचन्द्र को सेप्ट्रान तथा मैट्रोगिल नामक औषधियां लिखी गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि मै. खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर्स, डीग ने कैश मीमों संख्या 210 से मैट्रोगिल के स्थान पर मैथरजिन नामक औषधि दे दी गई ? यदि हां, तो यह औषधि किस रोग के लिए प्रयोग में ली जाती है ?

(3) क्या खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर्स की इस कार्यवाही के विरूद्ध इस सम्बन्ध में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में उसके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(2) मूल प्रेस्क्रिप्शन के अभाव में वास्तव में कौन सी औषधि प्रेस्क्रायब की गई थी जानकारी पाना सम्भव नहीं है, जैसा कि सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा जांच अधिकारी (औषधि निरिक्षक) को सूचित किया गया है।

(2) मैसर्स खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर डीग द्वारा जारी किये गये कैशमीमों संख्या 210 दिनांक 23·5·85 के अनुसार सेप्ट्रान व मैथरजीन नामक औषधियां की बिक्री की गई हैं। मैट्रोसिल सामान्यतया ट्राइकोमोनाईसिस एवं एमोबाईसिस रोगों में तथा मैथरजीन प्रसब के समय रक्त स्राव रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं।

(3) जी हां, मुकुट बिहारी शर्मा, शर्मा मेडिकल स्टोर डीग द्वारा खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर डीग के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जांच चल रही है। शिकायत कर्ता से औषधि निरीक्षक, भरतपुर का मूल प्रेस्क्रिप्शन देने हेतु निवेदन किया गया है, जांच पूर्ण होने के पश्चात् आवश्य कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 607 का विवरण

आडिट रिपोर्ट अंग भाग

नाम संस्था :—दी पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि.. पाली ।
आडिट वर्ष :—1983–84 (1 जुलाई, 1983 से 30 जून 1984)
नाम कानकरेन्ट आडिटर :—प्रताप सिंह सिंघवी ।

(1) हिस्सा पूंजी—

बैंक की अधिकृत हिस्सा पूंजी दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दी गई है। 30·6·83 को बैंक की प्रदत्त हिस्सा पूंजी, 1,79,84,650·00 थी जो 30·6·84 को बढ़कर 2,00,61,750·00 हो गई जिसमें राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गई 49,75,000·00 रुपये की राशि भी शामिल है। आडिट अवधि में राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी राशि का विनियोजन नहीं किया है। आडिट अवधि में बैंक की हिस्सा पूंजी में 20,77,100·00 की वृद्धि हुई है।

(2) कोष एवं अन्य निधियां—

बैंक के पास 30·6·83 को सुरक्षित कोष एवं अन्य निधियां 25·20 लाख रुपये थी जो 30·6·84 को बढ़कर 32·78 लाख रुपये हो गयी। आलोच्य वर्ष में कृषि साख स्थिरीकरण निधि में 0·01 लाख संदिग्ध एवं डूबत ऋण कोष में 7·26 लाख रुपये एवं सेवा उपहार निधि में 0·29 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त अवधिपार ब्याज के लिये कोष में 14·67 लाख रुपये की वृद्धि आडिट अवधि में हुई फिर भी अवधिपार ब्याज के कोष में 1·04 लाख रुपये की कमी रही हैं।

बैंक द्वारा आलोच्य वर्ष में लाभ वितरण नहीं किया गया है।

(3) अमानतें—

वर्ष 30·6·83 को बैंक की कुल अमानतें 456·89 लाख थी वर्ष 83–84 के अमानत वृद्धि के 93·11 लाख के अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित कर अमानतों

का अधिकतम स्तर 550·00 लाख रुपये रखा गया जिसके विरुद्ध बैंक द्वारा अमानतों में वृद्धि कर अमानतों का स्तर 562·46 रुपये तक बढ़ाया है। इस वर्ष में अमानतों में वृद्धि कुल 105·57 लाख की हुई है जो 23·1 प्रतिशत है।

(4) बाह्य ऋण—

बैंक द्वारा गत तीन वर्षों में बाह्य ऋण जो प्राप्त किया था उसमें जो वर्ष-वार बकाया रहा था उसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	विवरण	बकाया 30·6·82	बकाया 30·6·83	बकाया 30·6·84	जिसमें से अवधिपार
1.	शीर्ष बैंक	790·47	1068·77	1061·49	—
2.	राज्य सरकार	65·29	57·60	44·25	0·23
3.	अन्य (अधिविकर्ष)	46·49	79·10	58·63	—
		902·25	1205·47	1164·37	0·23

राज्य सरकार का औद्योगिक एवं सी. पी. ए. ऋण क्रमश: 8,850·00 व 14,000·00 रुपये अवधिपार हो चुका है, जिसके भुगतान की व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिये जिस हेतु पहले भी लिखा जा चुका है।

आडिट अवधि में शीर्ष सहकारी बैंक से 781·51 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया जिसमें से अल्पकालीन ऋण 740·00 लाख रुपये. म. का. साधारण ऋण 13·20 लाख रुपये मध्यकालीन (आई. आर. डी. पी.) ऋण 26·91 व बुनकर ऋण रुपये 1·40 लाख शामिल है।

(5) सहकारी समितियों को ऋण—

(क) वर्ष 1981–82, 1982–83 के लिये सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋण के लक्ष्य एवं ऋण वितरण के विरुद्ध आलोच्य वर्ष का ऋण का लक्ष्य ऋण एवं वितरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	ऋण का प्रकार	वर्ष 1981–82 लक्ष्य	वर्ष 1981–82 वितरण	वर्ष 1982–83 लक्ष्य	वर्ष 1982–83 वितरण	वर्ष 1983–84 लक्ष्य	वर्ष 1983–84 वितरण
1.	अल्पकालीन ऋण	650·00	602·78	800·00	849·67	700·00	719·74
2.	मध्यकालीन ऋण	31·00	12·82	163·60	48·50	38·00	44·83
3.	मध्यकालीन परि.	—	306·33	—	466·32	—	—
4.	मध्यकालीन पुन: परिवर्तित	—	248·61	—	191·69	—	—
5.	अन्य (बुनकर व कैश क्रेडिट	—	448·58	—	436·69	—	462·75
							1225

वर्ष 1981–82 में बैंक द्वारा ऋण वितरण में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु 82·7 प्रतिशत की प्राप्ति की है। वर्ष 82–83 में 68·7 प्रतिशत की प्राप्ति की है आलोच्य वर्ष में यह 103·6 प्रतिशत रहा है।

वर्ष 1983–84 में बैंक द्वारा कैश क्रेडिट, प्लेज एवं हाईपोथिकेशन ऋण सुविधा के रूप में जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, होल-सेल भण्डार, प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिये रुपये 62·75 लाख तथा पाला वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति को रुपये 6·20 लाख रुपये की यह ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई यह साख सुविधा उन्हें निम्नानुसार स्वीकृत साख निम्नान्तर्गत उपलब्ध कराई गई है :—

1.	क्रय-विक्रय सहकारी समितियां,	54·08 लाख
2.	होल-सेल भण्डार	9·00 लाख
3.	वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति	2·00 लाख
4.	प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि.,	18·05 लाख

(ख) ऋण वसूली की मांग के विरुद्ध प्राप्तियां व बकाया की सूचना निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	ऋण के प्रकार	वर्ष 81–82			वर्ष 82–83			वर्ष 83–84		
		मांग	वसूली	बकाया	मांग	बसूली	बकाया	मांग	बसूली	बकाया
1.	अल्पकालीन	477·05	417·11	59·94	739·17	635·36	103·81	683·29	491·10	192·19
2.	मध्यकालीन	17·00	9·01	7·99	25·92	17·57	8·35	38·32	18·26	20·06
3.	म. परि.	110·55	92·50	18·05	71·94	49·91	22·03	223·22	119·73	103·49
4.	म. पुन: प.	0·32	—	2·56	52·52	35·04	17·48	122·16	68·30	53·86
5.	अन्य	1·39	—	1·39	1·39	0·01	0·38	1·38	0·08	1·30
		606·31	518·62	89·03	890·94	737·89	153·05	1068·37	697·47	370·80
6.	अंयुबन,	1·19	—	1·19	—	1·30	1·40	—	1·40	1·40
		607·50	518·62	91·12	892·13	737·89	154·35	1069·77	697·47	372·30

वर्ष 1981–82, 1982–83 में मूलधन ऋण के लिये मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत 85·5 व 82·8 प्रतिशत रहा है। आलोच्य वर्ष में 62·2 प्रतिशत रहा है ।

बैंक में मांग वसूली एवं शेष का रजिस्टर पूर्ण नहीं रखा गया है। इस रजिस्टर को नियमित रूप से पूर्ण रखा जाना अनिवार्य हैं। अतः इस ओर विशेष ध्यान देना चाहियें।

(5) (ग) ब्याज

गत तीन वर्षों की ब्याज की मांग वसूली एवं बकाया का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष 1981–82			वर्ष 1982–83			वर्ष 1983–84		
मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया
106–83	92–55	14–28	151–23	132–38	18–85	175–47	150–95	34–52

वर्ष 1981–82 व 1982–83 में ब्याज की मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत 86–6 व 87–05 प्रतिशत रहा है जबकि आडिट अवधि में यह 80–3 प्रतिशत रहा है।

(5) (घ) अवधिपार ऋणों की स्थिति—

वर्ष 1981–82 एवं 1982–83 में अवधिपार ऋणों की वसूली मांग से 13·4 प्रतिशत व 17·2 प्रतिशत थी जबकि आलोच्य वर्ष में यह 34·8 प्रतिशत रहा है। अवधिपार ऋणों की वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वर्ष 1981–82 व 82–83 में अल्पकालीन अवधिपार ऋणों का मांग से प्रतिशत क्रमशः 12·06 व 14·04 प्रतिशत रहा है। जबकि आलोच्य वर्ष 28·1 प्रतिशत रहा है म.का. एवं अन्य ऋणों में वर्ष 1981-82 एवं 1982–83 में क्रमशः 23·2 एवं 32·4 प्रतिशत रहा है जबकि आलोच्य वर्ष में यह प्रतिशत 46·4 प्रतिशत रहा है।

वर्ष 1981–82 एवं 1982–83 में अल्पकालीन अवधिपार ऋणों की ऋण बकाया से प्रतिशत क्रमशः 11·9 प्रतिशत रहा व 24·8 प्रतिशत रहा है जबकि आलोच्य वर्ष में बढ़कर 29·7 प्रतिशत हो गया है म. का. एवं अन्य ऋणों के लिए 81-82 एवं 82–83 में अवधि पार ऋणों का बकाया ऋण से क्रमश 4·5 व

4·8 प्रतिशत रहा है जबकि आलोच्य वर्ष में यह प्रतिशत 20·00 प्रतिशत हो गया है।

इस प्रकार वर्ष 1981–82 एवं 1982–83 में बैंक का कुल अवधिपार ऋणों का कुल बकाया क्रमश: 7·7 प्रतिशत व 10·7 प्रतिशत रहा है। जबकि आलोच्य वर्ष में 24·1 प्रतिशत हो गया है। दिनांक 30·6·84 को 1539·71 लाख रुपये का कुल बकाया ऋणों में से कुल अवधिपार ऋण 370·90 लाख रुपये है इसमें अवसायनाधीन सहकारी समिति को बकाया राशि शामिल नहीं है। वर्ष की कुल मांग 1068·37 लाख रुपये के विरूद्ध 370·90 लाख रुपये अवधिपार है जिसमें से 161 सहकारी समितियां दोषी थी। जो ऋणी समितियों का 74·2 प्रतिशत होता है।

आडिट अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक (नाबार्ड) द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार क्रय-विक्रय सहकारी समितियां व अन्य सहकारी समितियों के नेट डिस्पोजल रिसोर्सेज पूर्ण नहीं होने पर भी उन समितियों को रहन दृष्टि बन्धक व कैश क्रेडिट ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। जबकि ये ऐसी साख सीमा स्वीकृत कराने हेतु में सक्षम भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त सबन्धित शाखा शाखा व्यवस्थापकों के द्वारा जिनके क्षेत्र की सहकारी समितियों को यह ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी निर्धारित प्रारूप में अपने क्षेत्र की सहकारी समितियों का निरीक्षण कर निरीक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने में निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की है। ब्याज भी ऋण राशि पर निर्देशानुसार नहीं लगाया है खाते भी नियमानुसार व निर्देशानुसार नहीं रखें हैं। निर्देशानुसार ऋण सम्बन्धि पत्रादि प्राप्त नहीं किये न ही प्रमाणित कराये हैं।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिये गये जिंस व नकद ऋण के सम्बन्ध में भी कई त्रुटियां, कमियां व आपत्तियां पाई गई जैसे वचन पत्र अपूर्ण संलग्न पत्रावलियों में पाये गये वचन पत्र रजिस्टर पूर्ण नहीं पाये गये वितरण सूचियां समय पर प्राप्त नहीं थी उनकी जांच सही ढंग से नहीं की वितरण सूचियां प्राप्त नहीं होने पर कार्यवाही नहीं की गई स्वीकृत सीमा से अधिक राशि का ऋण देने पर कार्यवाही नहीं की ऋण पत्रावलियां अपूर्ण पाई गई। जांच रिपोर्ट, जांच पत्र ऋण पत्र में कटिंग पाई गई। पत्रादि में सम्बन्धित फील्ड स्टाफ के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये स्टाफ की जांच नहीं की गई न ही प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये लोन पत्र आर्डर पर ऋणी के हस्ताक्षर नियमानुसार प्राप्त नही किये न ही हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये ऋण स्वीकृति व वितरण सूची प्राप्त रजिस्टर साख सीमा स्वीकृत रजिस्टर इत्यादि

भी पूर्ण नहीं रखे गये हैं। ऋण अग्रिम करते समय निश्चित अनुपात में हिस्सा राशि व व्यवस्थापकीय वेतन कोष की राशि प्राप्त नहीं की है।

मध्यकालीन ऋण का भौतिक सत्यापन शाखा स्तर पर बैंक द्वारा नहीं करवाया गया है। म. का. ऋण के सम्बन्ध में ऋण स्वीकृती ऋण वितरण किस्त देय तिथि वचन पत्र बीमा रजिस्टर इत्यादि का प्रचलन किया है या पूर्ण नहीं रखे गये हैं ऋण से सम्बन्धित पत्रावलि भी पूर्ण नहीं रखी गई है।

विभिन्न जमा अमानतों पर अग्रिम ऋण जो किया है उसमें निर्देशों की पालना नहीं की गई है। ब्याज भी ऐसे ऋणों पर नियमानुसार नहीं लगाया गया है पत्रादि भर पूर्ण व सही प्राप्त नहीं किये गये हैं।

(6) **बट्टा व संदेहात्मक ऋण**

बैंक द्वारा बट्टा खाता व संदेहात्मक ऋण राशि 31·52 लाख रुपये के विरुद्ध 29·00 लाख रुपये का ही कोष का निर्माण किया है इस तरह 2·52 लाख रुपये की कमी इस कोष में रही है। इसके अतिरिक्त अवधिपार ब्याज की राशि 34·52 लाख के विरुद्ध 34·52 लाख रुपयें का अवधिपार ब्याज का कोष बनाया है इसके अतिरिक्त अवसायनाधीन सरकारी समितियों में बकाया ब्याज 1·04 के विरुद्ध कोष नहीं बनाया है। जो बनाया जाना था इस तरह बैंक द्वारा शत-प्रतिशत राशि के कोष नहीं बनाये गये हैं। व 2·52 व 1·04 लाख रुपये की कमी कोष बनाने में रही है। भविष्य में शत-प्रतिशत राशि के कोष बनाये जायें व कमी जो है उसकी पूर्ति की जावें।

(7) **लाभ-हानि खाते पर टिप्पणी :—**

बैंक ने आलोच्य वर्ष 83–84 में 3·78 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करना बताया है, परन्तु बैंक द्वारा बट्टा व संदेहात्मक ऋण व अवधिपार ब्याज हेतु शत-प्रतिशत राशि का कोष बनाया जाता है तो बैंक को केवल 0.22 हजार रुपये का ही लाभ होता।

इनके अतिरिक्त 30·6·84 तक बैंक का शुद्ध लाभ केवल 13·77 लाख रुपये था जबकि वसूली योग्य कुल ब्याज की राशि 99 लाख रुपये थे जिसमें से 37·56 लाख रुपये की राशि अवधिपार ब्याज की राशि शामिल है। इस तरह बैंक लाभ वितरण करने की स्थिति में नहीं है अतः लाभ वितरण किया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

(8) बजट—

बैंक के द्वारा आडिट अवधि वर्ष 1983–84 का बजट बैंक के संचालक मंडल की बैठक 30·8·83 के प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा स्वीकार किया गया पर इसकी पुष्टि आम सभा द्वारा नहीं कराई गई है। जो कार्यवाही की जानी चाहिये बैंक द्वारा शाखाओं में बजट समय पर स्वीकृत कर नहीं भेजा है। जो भेजा जाना चाहिये बैंक बजट के अनुसार लाभ वर्ष का 5·93 लाख रुपये अर्जित करना बताया गया है जबकि बैंक को केवल 3·78 लाख रुपये का ही लाभ हुआ है। आडिट अवधि में बैंक द्वारा अन्य भत्ते यात्रा भत्ता स्टेशनरी पेपर्स विज्ञापन आदर सत्कार व्हीकल रेंट फ्युल चार्जेज व गार्डन पर खर्च स्वीकृत बजट की राशि से अधिक किया है। जो उचित नहीं है। भविष्य में व्यय पर नियन्त्रण रखा जावें। जो बजट के अनुसार ही राशि व्यय की जावें।

(9) व्यवस्था—

(1) बैंक द्वारा आडिट अवधि में बैंक की गाड़ियों के रख-रखाव पर 189258·77 खर्चा किया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा कुल 16487 किलोमिटर बैंक वाहनों का उपयोग 1·7·83 से 6·2·84 तक किया है। व कार की मरम्मत पर 27502·67 का कुल व्यय बताया है। हालांकि रिकार्ड अलग नहीं रखा है।

(2) बैंक द्वारा गत 3 वर्षों की आडिट आक्षेपों की पूर्ति पूर्ण व सही ढंग से नहीं की है। तथा बैंक व शाखाओं में आक्षेपों की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है।

(3) आडिट अवधि में दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्तियां स्पष्ट मनाही होने के बावजूद भी की है।

(4) बैंक की कई शाखाओं के द्वारा अमानतों की राशि का सही व नियमानुसार ढंग से भुगतान नहीं किया है। व अमानतों के शेषों का मिलान भी कई शाखाओं के द्वारा नहीं किया गया है। व अमानत खातों में अधिविकर्ष होने के मामले भी पाये गये हैं। विस्तृत रिपोर्ट सम्बन्धित शाखाओं की रिपोर्ट में है।

(5) बैंक द्वारा केडर आथोरिटी के खातों का मिलान नहीं किया है न ही बकाया राशि प्राप्त की जा रही है।

(6) बैंक में समितियों की आडिट रिपोर्ट की जांच करने की व्यवस्था नही है। न ही महत्वपूर्ण आक्षेपों के निराकरण के लिये कार्यवाही की है।

(7) बैंक के प्रधान कार्यालय में व शाखाओं में स्टेशनरी के खातों का मिलान नहीं होता है न ही व्यवस्था मिलान हेतु की जा रही है।

(8) बैंक में फर्निचर व लाइब्रेरी के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था नहीं की गई है। न ही बैलेंस का मिलान होता है। कमी के बारे में कार्यवाही नहीं की है। व लाइब्रेरी का रिकार्ड फर्निचर कमी सही ढग से नहीं रखा है।

(9) बैंक की अलग-अलग गाड़ियों की मरम्मत का सही ढंग से अलग-अलग हिसाब नहीं रखा है। व फ्युल खर्च व रेंट पर अधिक व्यय किया गया है। व्यय पर नियन्त्रण नहीं रखा गया है।

(10) बैंक द्वारा दोषी व्यवस्थापकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही समय पर नहीं की जाती है।

(11) बैंक की शाखाओं के द्वारा हिस्सा राशि व व्यवस्थापकीय वेतन कोष की राशि ऋण के अनुपात में वसूल नहीं की है। न ही इनको समुचित रिकर्ड शाखाओं के स्तर पर रखा है। जिससे बैंक के निजी कोष पर अनावश्यक भार पड़ा है।

(12) बैंक की कार्यशील पूंजी गत वर्ष 1930·57 के अनुपात में संस्थापन व्यय 21·26 लाख रुपये का हुआ है। जो कार्यशील पूंजी का 1·1 प्रतिशत है। आलोच्य वर्ष में बैंक की कार्यशील पूंजी 2097·43 के अनुपात में संस्थापन व्यय 24·77 लाख रुपये का हुआ है। जो कार्यशील पूंजी का 1·2 प्रतिशत है।

(13) बैंक के द्वारा गोदामों के बारे में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बनाये जा रहे हैं सूचनाएँ बिल्कुल ही प्रस्तुत नहीं की है। जिससे इस सम्बन्ध में टिप्पणी नहीं की जा सकी है।

(14) बैंक द्वारा अपैक्स बैंक व शाखाओं के खातों का मिलान तारीख तक किया गया जो पूर्ण व सही पाया गया।

विशेष विवरण—

(1) बैंक की लक्ष्मी मार्केट शाखा में दैनिक बचत योजना के ऐजेन्ट श्री मनोहर सिंह के द्वारा वर्ष 1982–83 में 1,23,246·00 का गबन

किया है। जिसकी रिपोर्ट पुलिस विभाग में दर्ज कराई गई पर राशि वसूल की कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये व बैंक को इसकी जांच भी करवानी चाहिये।

(2) बैंक की रायपुर शाखा के शाखा व्यवस्थापक श्री पोकरलाल जैरूपाल को 37,700·00 की राशि समितियों से हिस्सा राशि के रूप में प्राप्त कर बैंक में जमा नहीं के आरोप में बैंक के प्रशासक महोदय द्वारा 28·9·84 को निलम्बित किया गया व जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई पर अभी तक जांच नहीं की गई है। जो शीघ्र करवानी चाहिये ताकि सही स्थिति स्पष्ट हो सके। इसका उल्लेख विस्तृत में रायपुर शाखा की रिपोर्ट में लिया गया है।

हस्ताक्षर
मैनेजिग डाइरेक्टर,
दी सेंट्रल कोआपर. बैंक पाली, मारवाड

हस्ताक्षर
समवर्ती अंकेक्षक
पी. सी. डी. पाली

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न 608 की सूची

यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त सहकार गोदाम निर्माण परियोजना के तहत वर्ष 1980 से 31 मई, 1985 तक पूर्ण हुए गोदामों का विवरण।

क्रम संख्या	नाम जिला	पूर्ण निर्मित गोदाम
1.	अजमेर	66
2.	अलवर	155
3.	बांसवाड़ा	6
4.	बाड़मेर	201
5.	भरतपुर	31
6.	भीलवाड़ा	139
7.	बीकानेर	79
8.	बूंदी	29
9.	चित्तोड़गढ़	83
10.	चुरु	106
11.	डूंगरपुर	1
12.	जयपुर	226
13.	जैसलमेर	39
14.	जालौर	84
15.	झालावाड	70
16.	झुन्झुनू	99

1	2	3
17.	जोधपुर	153
18.	कोटा	48
19.	नागौर	171
20.	पाली	124
21.	सवाईमाधोपुर	107
22.	सीकर	128
23.	सिरोही	35
24.	श्री गंगानगर	200
25.	टोंक	107
26.	उदयपुर	28
	योग	2515

सहकारी विभाग राजस्थान

जयपुर

परिपत्र संख्या 14/79–80

राजस्थान राज्य सहकारी गोदाम निर्माण परियोजना के अन्तर्गत इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 6/79–80 दिनांक 6–11–79 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि गोदाम निर्माण समिति के मुख्यावास पर ही किया जावे परन्तु इन निर्देशों के बावजूद कई सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं अन्य स्वार्थी संस्था द्वारा समिति का गोदाम समिति के मुख्यावास पर नहीं बनाकर समिति के कार्यक्षेत्र में अन्य ग्राम बनाने की कोशिश की जाती है जिससे आवश्यक विवाद उत्पन्न होता है। एवं समिति को आर्थिक हानि भी होती है।

अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि स्टोरेज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बनाये जाने वाले गोदाम अनिवार्य रूप से समिति के मुख्यावास पर ही बनाये जावे यदि समिति के हित को देखते हुए आवश्यक हो कि गोदाम निर्माण मुख्यावास के अलावा अन्य स्थान पर किया जाय तो पहले विविवत उपनियमों में संशोधन करके, समिति के मुख्यावास में परिवर्तत किया जावे। एवं उसके बाद ही उस स्थान का गोदाम बनाने का प्रस्ताव भेजा जावे।

इन निर्देशों का उल्लघंन कर, बिना मुख्यावास के बारे में उपनियमों में परिवर्तन किये, मुख्यावास के अलावा यदि किसी दूसरे स्थान पर गोदाम निर्माण के प्रस्ताव भेजे गये या गोदाम निर्माण कार्य चालू किया और इससे समिति को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई हानि हुई तो उसके लिये संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

ह०

रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां राजस्थान
जयपुर

सहकारी विभाग राजस्थान

जयपुर

क्रमांक फा. 15 (44) सविरा/स्टोरेज/79 दिनांक 7-11-79

परिपत्र–6/79–80

विषय : राजस्थान राज्य सहकारी गोदाम
निर्माण परियोजना।

राजस्थान में दिनांक 1-4-79 से राजस्थान राज्य सहकारी गोदाम निर्माण परियोजना चालू हो चुकी है। इस परियोजना के अन्तर्गत 5 वर्ष में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 3400 गोदाम बनाये जाने हैं।

गोदाम समिति के मुख्यावास पर ही बनाये जाने चाहिये क्योंकि गोदाम में व्यवस्थापक के निवास, बैंकिंग शाखा एवं उपभोक्ता शाखा का भी प्रावधान है।

कुछ समितियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गोदाम निर्माण के प्रस्ताव तैयार करते समय समिति के मुख्यावास पर गोदाम का प्रस्ताव नहीं करके, मुख्यावास से अन्यत्र स्थान पर किया गया है। ऐसे स्थान समिति के हित के भी अनुकूल नहीं होते हैं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि इस योजना के अन्तर्गत पत्रादि तैयार करते समय गोदाम समिति के मुख्यावास पर ही बनाने का प्रस्ताव भेजे जावे। यदि समिति के हित में यह आवश्यक हो कि गोदाम वर्तमान मुख्यावास के अलावा अन्य स्थान पर बनाया जावे तो पहले उपनियमों में संशोधन करके, समिति के मुख्यावास में परिवर्तन न किया जावे एवं उसके बाद ही उस स्थान पर गोदाम बनाने का प्रस्ताव भेजा जावे।

ह०
रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां राजस्थान
जयपुर

परिशिष्ट–'क'

अतारांकितप्रश्न संख्या 931 के खण्ड 3 का उत्तर

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से राज्य सरकार को हिस्सा पूंजी के रुप में प्राप्त राशि का विवरण ।

1.	15-3-80	12.665
2.	17-3-80	69.930
3.	30-10-80	02.250
4.	6-11-80	04.335
5.	8-12-80	10.800
6.	28-2-81	42.129
7.	19-3-81	18.864
8.	19-3-81	32.949
9.	27-3-81	19.128
10.	28-3-81	06.286
11.	4-4-81	05.400
12.	1-5-81	10.365
13.	13-7-81	01.603
14.	2-9-81	01.823
15.	4-9-81	01.500
16.	26-3-82	41.640
17.	18-9-82	20.393
18.	14-3-83	01.800
19.	,,	25.860

1	2	3
20.	6-8-83	02.100
21.	2-9-83	25.721
22.	3-8-84	14-717
23.	3-8-84	02.700
24.	19-3-84	13.361
25.	23-3-84	01.125
26.	27-3-84	06.234
27.	29-3-84	06.408
28.	,,	11.150
29.	,,	8.365
30.	,,	14.690
31.	,,	17.698
32.	2-6-84	07.612
33.	7-7-84	00.287
34.	17-8-84	00.638
35.	18-8-84	00.195
36.	31-8-84	08.823
37.	3-9-84	03.920
38.	17-10-84	08.372
39.	17-10-84	00.280
40.	4-12-84	00.125
41.	4-12-84	00.235
42.	5-12-84	10.245

324

1	2	3
43.	7-12-84	10-350
44.	10-12-84	00.285
45.	26-12-84	01.876
46.	27-12-84	00.167
47.	14-3-85	00.311
48.	15-3-85	01,186
49.	,,	05.677
50.	23-3-85	04.642
51.	25-3-85	01.216
52.	26-3-85	01.692
53.	,,	09.315
54.	27-3-85	01.997
55.	6-4-85	04.000
56.	17-4-85	00.407
57.	23-4-85	00.330
	योग:-	520.172

परिशिष्ट–ख

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से शीर्ष सहकारी बैंक को गोदाम निर्माण परियोजना के निमित ऋण के रूप में प्राप्त राशि का विवरण।

क्रम संख्या	राशि प्राप्त दिनांक	प्राप्त राशि
1.	31-3-80	3,91,500.00
2.	31-3-80	42,500.00
3.	26-4-80	67,500.00
4.	12-8-80	4,99,500.00
5.	7-10-80	7,83,000.00
6.	24-11-80	9,04,500.00
7.	1-1-81	25,500.00
8.	24-1-81	1,02,000.00
9.	5-1-81	10,66,500.00
10.	11-2-81	3,10,500.00
11.	11-3-81	5,67,000.00
12.	11-3-81	34,000.00
13.	23-3-81	4,72,500.00
14.	30-3-81	6,75,000.00
15.	,,	8,91,000.00
16.	,,	1,27,500.00
17.	11-7-81	4,18,500.00
18.	20-8-81	2,83,500.00

1	2	3
19.	29-1-81	5,64,200.00
20.	1-2-82	14,24,700.00
21.	,,	3,82,500.00
22.	5-2-82	1,12,600.00
23.	10-2-82	60,000.00
24.	15-3-82	94,75,500.00
25.	22-3-82	6,60,000.00
26.	24-2-82	31,99,500.00
27.	,,	19,44,400.00
28.	27-3-82	7,38,600.00
29.	29-3-82	2,12,500.00
30.	,,	1,80,000.00
31.	,,	8,33,000.00
32.	,,	1,75,000.00
33.	,,	5,40,000.00
34.	31-3-82	42,34,900.00
35.	,,	1,86,200.00
36.	1-4-82	5,73,200.00
37.	,,	94,500.00
38.	7-7-82	2,37,300.00
39.	,,	55,000.00
40.	,,	27,000.00
41.	22-7-82	58,200.00

1	2	3
42.	14-9-82	45,000.00
43.	2-11-82	51,000.00
44.	,,	42,500.00
45.	21-11-82	25,000.00
46.	20-1-83	1,50,000.00
47.	7-3-83	17,74,500.00
48.	,,	18,500.00
49.	,,	21,53,800.00
50.	,,	20,99,500.00
51.	,,	29,27,700.00
52.	8-3-83	11,52,800.00
53.	,,	5,43,300.00
54.	,,	60,000.00
55.	14-3-83	4,50,500.00
56.	18-3-83	2,11,700.00
57.	21-3-83	22,40,500.00
58.	25-3-83	18,22,500.00
59.	,,	14,92,800.00
60.	,,	1,95,500.00
61.	,,	2,72,200.00
62.	25-6-83	4,34,400.00
63.	6-7-83	9,23,300.00
64.	28-7-83	1,28,100.00

1	2	3
65.	27-7-83	60,000.00
66.	28-7-83	1,28,100.00
67.	17-9-83	2,11,800.00
68.	24-9-83	26,15,900.00
69.	27-9-83	1,60,300.00
70.	,,	25,000.00
71.	27-10-83	4,27,800.00
72.	3-11-83	30,000.00
73.	27-11-83	12,05,600.00
74.	17-11-83	1,81,500.00
75.	22-11-83	3,36,700.00
76.	,,	48,100 00
77.	20-1-84	1,60,300.00
78.	,,	30,200.00
79.	15-2-84	2,12,500.00
80.	,,	1,23,600.00
81.	,,	5,43,400.00
82.	25-2-84	6,77,800.00
83.	,,	60,000.00
84.	28-2-84	2,66,700.00
85.	,,	30,000.00
86.	1-3-84	14,36,400.00
87.	8-3-84	9,85,900.00
88.	12-3-84	4,15,900.00

1	2	3
89.	18-3-84	2,16,000.00
90.	14-3-84	4,06,200.00
91.	,,	2,59,500.00
92.	16-3-84	60,500.00
93.	,,	76,800.00
	23-3-84	3,89,700.प0
94.	,,	7,40,800 00
95.	,,	1,81,500.00
96.	,,	81,500.00
97.	19-3-84	71,300.00
98.	26-3-84	7,82,700.00
99.	,,	6,23,400 00
100.	,,	3,37,200.00
101.	,,	3,01,800.00
102.	,,	1,36,000.00
103.	24-3-84	1,21,000.00
104.	27-3-84	31,38,300.00
105.	,,	18,94,400.00
106.	,,	24,96,500.00
107.	,,	13,79,900.00
108.	,,	9,75,700.00
109.	18-5-84	1,12,500.00
110.	31-5-84	20,000.00
111.	15-6-84	7,61,200.00

1	2	3
112.	29-8-34	7,58,900.00
113.	,,	8,41,200.00
114.	6-9-84	16,66,700.00
115.	,,	42,000.00
116.	,,	25,000.00
117.	12-9-84	19,76,400.00
118.	20-10-84	3,48,500.00
119.	27-10-84	5,35,000.00
120.	,,	10,17,600.00
121.	6-11-84	5,61,600.00
122.	,,	1,18.500.00
	,,	28,000.00
123.	13-12-84	10,23,500.00
124.	14-12-84	77,000.00
125.	,,	25,000.00
126.	,,	54,000.00
127.	18-12-84	75,800.00
128.	4-1-85	3,56,600.00
129.	4-1-85	66,000.00
130.	,,	25,200.00
131.	19-1-85	30,200.00
132.	14-3-85	7,42,500.00
133.	15-3-85	4,17,900.00
134.	,,	30,200.00
135.	18-3-85	14,51,700.00

3	2	3
136.	18-3-85	10,88,900.00
137.	,,	3,33,400.00
138.	,,	11,92,500.00
139.	22-3-85	1,12,500.00
140.	23-3-85	4,75,300.00
141.	25-3-85	2,59,600.00
142.	,,	2,99,300.00
143.	,,	6,41,800.00
144.	,,	5,32,500.00
145.	27-3-85	8,100,00
146.	,,	19,41,500.00
147.	,,	4,13,100.00
148.	,,	33,000.00
149.	26-3-85	2,94,000.00
150.	28-3-85	4,00,000.00
151.	,,	81,500.00
152.	8-5-85	61,000.00
153.	4-7-85	3,03,200.00
154.	12-7-85	1,26,700.00
155.	,,	1,30,900.00
	योगः–	10,09,01,200.00

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 615 का विवरण

1. अवसायक द्वारा किए गए कार्यों का विवरण

1. दिनांक 11-6-1984 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यभार सम्भाला गया ।
2. राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 80 के अन्तर्गत 126 ऋणी सदस्यों में से 54 सदस्यों को नोटिस दिये गये ।
3. 22 सदस्यों को नोटिसेज के पश्चात आदेश वसूली देने हेतु जारी किये गये ।
4. 14 सदस्यों के विरुद्ध डिग्री प्राप्त करने की कार्यवाही की गई ।
5. सदस्यों से 47377·87 रुपये की ऋण वसूली की गई ।
6. 42 चालू खातों को विभागीय निर्देशानुसार अजमेर भूमि विकास बैंक लि., अजमेर को स्थानान्तरण की कार्यवाही आरम्भ की गई ।

2. नाम कर्मचारी श्री शमशेर सिंह, लिपिक कम कैशियर दिनांक 1-6-1984 से 31-5-1985 तक रुपये 16329·10 का वेतन पेटे भुगतान किया गया है । अब केवल 13 रुपये रोज में तदर्थ रूप से कर्मचारी कार्य कर रहा है ।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 617 की सूची

पंचायत समिति केशवराय पाटन में पंचायतवार 1980–81 से 1985–86 तक स्वीकृत कार्यों का विवरण

नाम ग्राम पंचायत	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	अनु. लागत
1. चितावा	1. 82–83	प्रा. वि. पटोलिया	11100–/
	2. 84–85	प्रा. वि. विजयनगर	47600/–
2. सूनगर	3. 83–84	पं. भवन सूनगर	18940/–
	4. 84–85	औषधालय भवन सूनगर	66500/–
3. भिवा	5. 81–82	आयुर्वेद भवन भिवा	27700/–
	6. 83–84	कूप माधोराजपुरा	36890/–
4. रडी	7. 81–82	शाला भवन इन्डमुरिया	2780/–
	8. 83–84	,, ,, पादडा	18940/–
	9. 83–84	आवास बस्ती इन्डमुरिया	13000/–
	10. 84–85	शाला भवन हस्तनापुर	16600/–
5. लेलरदा	11. 83–84	पंचायत भवन लेलरदा	18940/–
	12. 84–85	पुलिया निर्माण लेलरदा	31000/–
6. मावजा	13. 82–83	पंचायत भवन मावंजा	13340/–
	14. 84–85	शाला भवन कोडिजा	13900/–
7. करवाला	15. 82–83	कन्या शाला छोहेदा	8500/–
8. जेथल	16. 82–83	कन्या शाला जेथल	18940/–
	17. 84–85	औषधालय भवन जेथल	66500/–
9. करवाला की झो.	18. 82–83	प्रा. वि. करवाला की झो.	17785/–

1	2	3	4
	19. 84–85	शाला भवन दोलाना	16600/–
10. उतराना	20. 81–82	शाला भवन उतराना	25920/–
	21. ,,	कूप कांकरा डूंगर	3600/–
	22. ,,	,, डांगाहेड़ी	4020/–
	23. ,,	,, उतराना	2900/–
	24. ,,	शाला कांकरा डूंगर	45100/–
11. रेगरपुरा	25. 81–82	शाला भवन पपीलदा	20000/–
	26. ,,	,, पापडली	19140/–
	27. ,,	,, खंडियादूर्जन	14600/–
12. माखीदा	28. 81–82	शाला भवन बगली	12730/–
	29. ,,	पंचायत भवन माखीदा	27700/–
13. रोटेदा	30. 81–82	कन्या शाला रोटेदा	15700/–
	31. ,,	शाला भवन देवली	9920/–
	32. 83–84	आवास बस्ती रोटेदा	12000/–
14. बांसवाड़ा	33 81–82	कूप कांकरा मेज	4550/–
	34. ,,	,, पाली	16900/–
15. सखावदा	35. 81–82	कूप निर्माण सखावदा	7900/–
	36. ,,	,, भोड गवांर	7400/–
	37. 84–85	कूप निर्माण नाडी	7500/–
	38. 85–86	कूप मावली झोपड़ियां	7890/–
16. बडाखेडा	39. 81–82	पंचायत भवन बडाखेडा	9200/–
	40. ,,	आयुर्वेद भवन बडाखेडा	29600/–
	41. 81–82	क. शाला भवन बडाखेड़ा	25100/–
	42. ,,	खरंजा निर्माण वार्ड नं. 3	9770/–
	43. ,,	खरंजा रेवारपुरा मो.	24640/–
17. पापडी	44. 81–82	कूप निर्माण पापडी वार्ड नं.3	21400/–

1	2	3	4
	45. 81–82	कूप निर्माण डपटा	22500/–
	46. ,,	,, डडवाड़ा	24200/–
	47. ,,	,, खरायता ग्रा.	18140/–
	48. ,,	,, स्कूल के सामने	25550/–
	49. ,,	हरिजन कूप डडवाड़ा	25350/–
	50. ,,	कूप निर्माण रामपुरा	10900/–
	51. ,,	पंचायत भवन पापडी	15860/–
	52. 85–86	कूप लबान स्टेशन	3670/–
18. घांट का बराना	53. 81–82	कूप निर्माण रूपायता	14500/–
	54. ,,	शाला घांट का बराना	26140/–
	55. ,,	शाला भवन रूपायता	23000/–
	56. 83–84	पंचायत भवन घांट का बराना	18940/–
	57. ,,	आवास बस्ती घांट का बराना	15000/–
	58. 84–85	कूप निर्माण रूपायता	29100/–
19. बलकासा	59. 81–82	शाला भवन बोरदामाल	18072/–
	60. 83–84	आवास बस्ती बलकासा	15000/–
	61. 84–85	शाला भवन बलकासा	16600/–
20. लबान	62. 81–82	आयुर्वेद भवन लबान	27700/–
	63. ,,	पंचायत भवन लबान	31475/–
21. फोलाद	64. 81–82	शाला भवन जगन्नाथपुरा	16700/–
	65. ,,	कूप निर्माण गोपालपुरा	18980/–
	66. ,,	शाला भवन गोडडा	10600/–
	67. 84–85	कूप निर्माण तालाब के पास	750/–
	68. ,,	मिडिल स्कूल फोलाद	20000/–
22. झालीजी का बराना	69. 81–82	शाला भवन झाली जी का बराना	10150/–
	70. 84–85	कूप निर्माण मीणों की बस्ती	11600/–

1	2	3	4
23. देइखेडा	71. 81–82	बड़ा कूआ निर्माण देइखेडा	9150/–
	72. ,,	गणेश जी का कूआ देइखेडा	11600/–
	73' ,,	तालाब घोट निर्माण	4930/–
	74. ,,	पंचायत भवन देइखेड़ा	18200/–
	75.- 83–84	प्रा. विद्यालय बहीचा	54000/–
24. नोताडा	76. 81–82	आयुर्वेद भवन नोताडा	36600/–
	77. ,,	पुलिया निर्माण लक्ष्मीपुरा	30125/–
	78. ,,	शाला भवन मालिकपुरा	37325/–
	79. 84–85	शाला भवन रघुनाथपुरा	16600/–
25. गेन्डोली	80. 81–82	कूप निर्माण जोडाल	20950/–
	81. 83–84	आवास बस्ती गेन्डोली	20000/–
	82. 84–85	खाई निर्माण झोपड़ियां	2650/–
	83. ,,	नल कूप निर्माण ,,	22300/–
	84. ,,	खरंजा निर्माण गेन्डोली	50000/–
	85. ,,	आवास बस्ती गेन्डोली	15000/–
26. अरनेठा	86. 81–82	कन्या शाला अरनेठा	1840/–
	87. 83–84	प्रा. शाला अननपुरा	18940/–
	88. 84–85	सरंजा निर्माण अरनेठा	35900/–
27. हिंगोनिया	89. 82–83	प्रा. विद्यालय काली तलाई	14290/–
	90. ,,	प्रा. विद्यालय नयागांव	25790/–
28. चरडाना	91. 82–83	प्रा. विद्यालय अरनेठिया	14300/–
	92. 84–85	पंचायत भवन चरडाना	16600/–
29. सारसला	93. 82–83	पंचायत भवन सारसला	18940/–
	94. 84–85	बाउण्ड्री वाल ग्रा. प. सारसला	41200/–
30. जलोदा	95. 83–84	पंचायत भवन जलोदा	18940/–
31. बोरदा का छियान	96. 83–84	शाला भवन बोरदा का छियान	18940/–

1	2	3	4
32. आजन्दा	97. 83–84	शाला भवन आजन्दा	44660/–
	98. 84–85	कूप निर्माण बन्धा खेड़ली	77000/–
33. बाबई	99. 83–84	शाला शहरगंज	51410/–
	100. 85–86	कूप बाबई का भजरा	4400/–
34. चादला खुर्द	101. 83–84	कूप निर्माण किशनपुरा	33500/–
	102. ,,	स्कूल चांदला खुर्द	51400/–
35. मोहनपुरा	103. 83–84	आवास बस्ती मोहनपुरा	15000/–
	104. 85–86	कूप केरवान मीना	15000/–
36. बलबन	105. 84–85	आयुर्वेद भवन बलबन	35400/–
	106. 85–86	कूप तालाब के पास	6740/–
37. दौलतपुरा	107. 84–85	पंचायत भवन दौलतपुरा	21000/–
	108. 85–86	कूप महापुरा ,,	12320/–
38. नवलपुरा	109. 84–85	कूप निर्माण किशोरपुरा	20600/–
39. नवलपुरा	110. 83–84	मीटिंग होल पंचायत समिति के. पाटन	33800/–
	111. ,,	कार्यालय बाउण्ड्री	10300/–

(338)

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 622 की सूची

वर्ष 1983–84 में आवंटित राशि 5·00 लाख के विरुद्ध किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	उद्देश्य	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक	राशि
1.	श्री के. एन. सिंह पर्वतारोही, जयपुर	न्यूजिलैण्ड क्लाईमिंग अभियान हेतु ।	एफ. 9(5) शिक्षा/ ग्रुप-3/83/13-10-83	7,000/-
2.	राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन जयपुर ।	भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच हेतु गारन्टी मनी	प. 3(22) शिक्षा/4/ 83 दिनांक 27-9-83	2·00 लाख
3.	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् जयपुर ।	भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता खिलाड़ियों एवं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित करने हेतु ।	प. 3(22) शि./4/83 दिनांक 19-12-83	1·72 लाख
4.	राजस्थान महिला क्रिकेट संघ	आस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टेस्ट मेच के आयोजन हेतु गारन्टी मनी ।	प. 3(36)शि./4/83 दिनांक 1-2-84	20,000/-
5.	राजस्थान स्टेट कबड्डी एसोसियेशन, जयपुर	कबड्डी चेम्पियनशीप आयोजन हेतु	प. 3(22) शि./4/84 दिनांक 30-3-84	15,000/-
			योग—	4,14,000/-

केन्द्र सरकार के आंशिक अनुदान से निर्मित स्टेडियम एवं खेल मैदानों की पिछले पांच वर्ष की वर्षवार सूची :—

वर्ष 1980-81

1. पाली स्टेडियम
2. माउन्ट आबू स्टेडियम
3. माउन्ट आबू पोलो ग्राउण्डस का विकास
4. जालोर में बास्केटबाल हाकी मैदान
5. सवाई मानसिंह स्टेडियम पर ऐथलेटिक ट्रेक
6. सवाई मानसिंह स्टेडियम पर बास्केटबाल ट्रेक
7. हाकी मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम
8. 400 मीटर ऐथलेटिक ट्रेक उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा।

वर्ष 1981-82

1. राजल देशर स्टेडियम
2. बाडमेर स्टेडियम
3. इन्डोर स्टेडियम अजमेर
4. सवाई मानसिंह स्टेडियम पर डोर मेटरीस
5. शाहपुरा भीलवाड़ा में तरणताल
6. अजमेर में एथलेटिक ट्रेक
7. बीकानेर में एथलेटिक ट्रेक
8. बीकानेर में बास्केटबाल कोर्ट
9. कोटा में ऐथलेटिक ट्रेक
10. जोधपुर में बास्केट मैदान
11. उदयपुर में बास्केटबाल मैदान
12. जयपुर में वालीवाल कोर्ट

वर्ष 1982-83

1. चूरू में ओपन स्टेटियम
2. चूरू में इन्डोर स्टेडियम
3. कांकरोली में स्टेडियम
4. जोधपुर में स्पोर्ट्स कोम्पलेक्स

वर्ष 1983-84

1. पाली में स्पोर्ट्स कोम्पलेक्स
2. अजमेर में स्पोर्ट्स कोम्पलेक्स
3. अलवर में स्टेडियम
4. करोली में स्टेडियम
5. वाड़मेर में इन्डोर स्टेडियम
6. बीलाड़ा में स्टेडियम
7. तिलवाशनी में स्टेडियम
8. अलवर में तरण ताल
9. अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में बास्केटबाल व टेनिस कोर्ट (जयपुर)

वर्ष 1984–85

1. हनुमानगढ़ में स्टेडियम
2. चित्तौड़ में स्टेडियम
3. एच. एस. एस. प्रतापुर (बांसवाड़ा) में स्टेडियम ।
4. सवाईमाधोपुर में स्टेडियम
5. धोलपुर में मिन्नी स्टेडियम
6. जोधपुर में स्पोर्ट्स कोंम्पलेक्स
7. अजमेर में स्पोर्ट्स कोंम्पलेक्स
8. भीलवाड़ा में स्पोर्ट्स कोंम्पलेक्स
9. बीकानेर में स्पोर्ट्स कोंम्पलेक्स
10. पाली में बगड़ स्टेडियम स्पोर्ट्स कोंम्पलेक्स
11. हनुमानगढ़ में तरणताल
12. जोधपुर में उम्मेद क्लब में टेनिस कोर्ट
13. डूंगरपुर में टेनिस कोर्ट की मरम्मत
14. बाड़मेर में बास्केटबाल मैदान
15. डूंगरपुर में लक्ष्मण मैदान का विकास

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 624 की सूची

वर्ष 1980–81 में खोले गये पशु चिकित्सालयों की सूची—

जिला	पशु चिकित्सालय
1. अजमेर	तिहारी
	बाजता
2. अलवर	मण्डाला
	हरसोरा
3. बांसवाड़ा	छींछ
4. धौलपुर	ससीमो
5. भरतपुर	हूलेना
	छोकरबाडा
	पथेना
	निहार
6. भीलवाड़ा	कोशीथल
	दोलतगढ़
7. चित्तौड़गढ़	साडाल
	जासुगा
	पारसोली
8. डूंगरपुर	पीठ
9. गंगानगर	केसरीसिंहपुरा
	सूरेवाला
10. जयपुर	आन्तेला
	भैसलाना

1	2
जयपुर	खेजडोली
	गुलाबबाड़ी
	बनेठी
11. कोटा	रेलाबन
	केथून
12. सवाईमाधोपुर	बज़ीरपुर
	खेडला
13. सिरोही	मितोडा
	दांतराई
14. उदयपुर	केसरीयाबाद

सूची "क"

वर्ष 1983–84 में खोले गये पशु चिकित्सलायों की सूची—

जिला	चिकित्सालय
1. अजमेर	आदर्श नगर
2. अलवर	नीमराचा
	उमरेन
3. बांसवाड़ा	कलीन्जरा
4. बाड़मेर	गडरा रोड
5. भीलवाड़ा	सहाडा
	सुवाना
6. बीकानेर	बीकमरपुर
7. गंगानगर	मीर्जावाली
8. जयपुर	झोटवाड़ा
	सांभर
	रूण्डल
	आमेर
9. झुन्झुनूं	पिलानी
	मन्ड्रेला
	भुवाना
10. जालोर	बिल्कमैन कर्र.
11. कोटा	पीपंल्दा
	सुल्तानपुरा

1	2
	सिविल लाईन
12. सीकर	पीपराली
13. टोंक	पचेवर
14. उदयपुर	खमनोर
	वडगांव
	लसाड़िया
	कृषि उपज मंडी, गिरवा

345

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 627 की सूची

करौली उप खण्ड में गत तीन वर्षों से स्वीकृत खनन पट्टों की सूची जो कि वन विभाग के क्षेत्र में स्वीकृत किये गये हैं—

क्र.सं.	नाम पार्टी व पता	स्वीकृत क्षेत्र	स्वीकृत अवधि	स्थिर भाटक	खनिज	विशेष विवरण	रेंज का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री बद्रीप्रसाद मीना, हरीपुरा	प्लाट नं. 15 बहादुरपुर	7-5-82 से दस वर्ष	3725/–	सैण्डस्टोन	कांकरदा प्रो.	रेंज सपोटरा
2.	श्री विश्वम्भर दयाल, करौली	प्लाट नं. 41 बहादुरपुर	9-11-82 से ,,	2600/–	,,	,,	करौली
3.	श्री रमेशचन्द्र, चरीकाहार	,, 43 ,,	12-10-81 ,,	3500/–	,,	,,	,,
4.	श्री किरोड़ीलाल शर्मा कल्याणी	,, 1 अतेवा	31-10-81 ,,	26000/–	,,	खोहरी प्रो.	,,
5.	श्री सुगनलाल लकुमेरप्रसाद, करवाई	,, 2 ,,	19-9-81 ,,	11000/–	,,	,,	,,
6.	श्री हेमराम मीना, शेखपुरा	,, 4 खोहरी	,, ,,	7100/–	,,	,,	,,
7.	श्री प्रीतमचन्द करौली	,, 1 लालबहारी	,, ,,	7300/–	,,	बडीरथ प्रो.	,,
8.	श्री ईश्वरी प्रसाद करौली	,, 2 ,,	3-10-81 ,,	6101/–	,,	,,	,
9.	श्री ,, ,,	,, 4 ,,	,, ,,	4205/–	,,	,,	,,
10.	श्री गिर्राजप्रसाद, डोरावली	,, 17 ,,	3-11-81 ,,	3010/–	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	श्री गिर्राज प्रसाद; डोरावली	प्लाट नं. 21 लालबहारी	3-11-81 से दस वर्ष	3150/–	सैण्डस्टोन	बडोरथ प्रो.	करौली
12.	श्री हंसराम करौली	,, 45 अलबतकी खारी ,,	,,	2000/–	,,	अलब्रत की खारीप्र	,,
13.	श्री ,, ,,	,, 54 ,, ,,	,,	2025/–	,,	,,	,,
14.	श्री चन्दनमल, करौली	,, 86 रायबेली	2 -1-82 ,,	4600/–	,,	निरमोल खाकसेड	सपोटरा
15.	श्री विष्णुचन्द करौली	,,143 आमरेकी खारी	18-6-82 ,,	3255/–	,,	,,	करौली
16.	श्री रामजीलाल सरमथुरा	,, 7 लोटदा	,, ,,	3750/–	,,	गुबरेडा प्रो.	करौली
17.	श्री केदारलाल सरमथुरा	,, 8 ,,	5-2-82 ,,	27600/–	,,	,,	,,
18.	श्री हजारीलाल सरमथुरा	,, 9 ,,	16-4-82 ,,	2311/–	,,	,,	,,
19.	श्री गुन्नीराम, बाबुकापुरा	,, 11	3-11-81 ,,	7600/–	,,	,,	,,
20.	श्री सुबेसिह, चान्दुपुरा	,, 13 ,,	1-1-82 ,,	3200/–	,,	,,	,,
21.	श्री केदारनाथ, चान्दपुरा	,, 14 ,,	,, ,,	8100/–	,,	,,	,,
22.	श्री सुबेसिंह, चान्दपुरा	,, 17 ,,	,, ,,	5700/–	,,	,,	,,
23.	श्री कुन्जलाल सुरारी खुर्द	,, 18 ,,	,, ,,	4100/–	,,	,,	,,
24.	श्री अमोल कोरीपुरा	,, 19 ,,	16-4-82 ,,	5130/–	,,	,,	,,
25.	श्री शरणलाल, गाघोली	,, 21 ,,	3-11-81 ,,	5200/–	,,	,,	,,

347

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	श्री सकतपुरा	प्लाट नं. 22 लोटदा		14050/-	सैण्डस्टोन	गुबरेडा प्रो.	करौली
27.	श्री अमोल गूजर करीपुरा	,, 25 ,,	16-11-81	,, 6200/-	,,	,,	,,
28.	श्री भरतसिंह गूजर, करौली	,, 1 देवरीपिपरानी	15-8-82	,, 2161/-	,,	,,	,,
29.	,,	,, 3 ,,	11-6-82	,, 2171/-	,,	,,	,,
30.	,,	,, 5 ,,	,,	,, 6000/-	,,	,,	,,
31.	,,	,, 7 ,,	,,	,, 4000/-	,,	,,	,,
32.	,,	,, 9 ,,	,,	,, 2200/-	,,	,,	,,
33.	,,	,, 11 ,,	,,	,, 2361/-	,,	,,	,,
34.	,,	,, 14 ,,	,,	,, 2140/-	,,	,,	,,
35.	,,	,, 16 ,,	,,	,, 2150/-	,,	,,	,,
36.	,,	,, 18 ,,	,,	,, 3000/-	,,	,,	,,
37.	,,	,, 21 ,,	,,	,, 2161/-	,,	,,	,,
38.	,,	,, 24 ,,	,,	,, 2500/-	,,	,,	,,
39.	,,	,, 27 ,,	,,	,, 2211/-	,,	,,	,,
40.	,,	,, 30 ,,	,,	,, 2171/-	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	श्री भरतसिंह गुजर, करोली	प्लाट नं. 33 देवरीपिपरानी	11-6-82 से दस वर्ष	2211/–	सैण्डस्टोन	गुबरेडा प्रो.	करोली
42.	,,	,, 34 ,,	,, ,,	2221/–	,,	,,	,,
43.	,,	,, 36 ,,	,, ,,	2501/–	,,	,,	,,
44.	,,	,, 37 ,,	,, ,,	2261/–	,,	,,	,,
45.	श्री केदारलाल, गुरवेडा	,, 1 केदारखुर्द	8-9-81 ,,	11000/–	,,	केदारमैन प्रो.	,,
46.	श्री रामजीलाल, सरमथुरा	,, 2 ,,	8-2-82 ,,	3310/–	,,	,,	,,
47.	श्री सरेशचन्द गर्ग, सरमथुरा	,, 3 ,,	15-10-81 ,,	14105/–	,,	,,	,,
48.	श्री रामगोपाल, गुबरेडा	,, 4 ,,	1-9-81 ,,	9250/–	,,	,,	,,
49.	श्री गोविन्द प्रसाद बहराई	,, 5 ,,	15-10-81 ,,	12520/–	,,	,,	,,
50.	श्री रामदयाल, बुबरेडा	,, 6 ,,	1-1-81 ,,	20025/–	,,	,,	,,
51.	श्री करण सिंह, कोटाछापर	,, 8 ,,	1-10-81 ,,	10100/–	,,	,,	,,
52.	श्री सज्जन सिंह, कोटाछापर	,, 1 कोटाछापर	17-3-82 ,,	2125 –	,,	,,	,,
53.	,, ,,	,, 2 ,,	,, ,,	2150/–	,,	छाबर प्रो.	,,
54.	,, ,,	,, 3 ,,	3-6-82 ,,	2200/–	,,	,,	,,
55.	,, ,,	6 ,,	21-8-82 ,,	2150 –	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	श्री सज्जन सिंह, कोटाछावर प्लाट नं.	8 कोटा छावर	21-8-82से दस वर्ष	2141/–	सैण्डस्टोन	छावर प्रो.	करौली
57.	श्री चन्द्रकान्त बहरदा „	1 बहरदा	5-3-83 „	3200/–	„	बहरदा प्रो.	„
58.	श्री सुरेश चन्द्र व्यास, भाकरी „	15 „	„ „	3325/–	„	„	„
59.	श्री शिवचरण करौली „	15 लोहरा	4-11-81 „	4105/–	„	परमदा प्रो.	„
60.	श्री लक्ष्मीचन्द नाथ, मांच „	20 „	31-10-81 „	3120/–	„	„	„
51.	श्री बाबूलाल व्यास, करौली „	22 „	14-6-82 „	3700/–	„	„	„
62.	श्री रामगोपाल, करौली „	33 „	14-10-81 „	2300/–	„	„	„
63.	श्री छुट्टन लाल, केलादेवी „	34 „	3-10-81 „	5100/–	„	„	„
64.	„ „	35 „	„ „	2025/–	„	„	„
65.	श्री रामगोपाल, करौली „	38 „	19-12-81 „	2525/–	„	„	„
66.	श्री बृजमोहन, गुरथा „	13 बहरदा	18-10-82 „	8000/–	„	बहरदा प्रो.	„
67.	श्री भोगीराम, बिहरदा „	6 खुडरी	8-11-82 „	5300/–	„	„	„
68.	श्री रामसिंह, सुआ „	8 „	20-1-83 „	5350/–	„	बांसवारी प्रो.	„
69.	श्री सोहनसिंह, केशपुरा „	9 „	11-3-83 „	6050/–	„	„	„
70.	श्री टीकमसिंह, खेरारा „	10 „	20-1-82 „	10000/–	„	„	„

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	श्री महेश चन्द शर्मा, करौली	प्लाटनं. 8 माडीभाट	18-9-82से दस वर्ष	16000/–	सैण्डस्टोन	कांकरदा प्रो.	करौली
72.	,, ,,	,, 7 ,,	11-4-83 ,,	15100/–	,,	,,	,,
73.	श्री रामजीलाल शर्मा, छावर	,, 8 ,,	4-12-83 ,,	5251/–	,,	,,	,,
74.	श्री छोटेलाल, चन्द्रावली	,, 5 पारासरी	24-9-82 ,,	10151/–	,,	छावर प्रो.	,,
75.	श्री लालपत गुरथा	,, 6 ,,	,, ,,	8050/–	,,	,,	,,
76.	श्री बद्रीलाल सूबनगर	,, 7 ,,	,, ,,	15000/–	,,	,,	,,
77.	श्री भंवरलाल करौली	,, 8 ,,	,, ,,	21000/–	,,	,,	,,
78.	श्री नन्दकिशोर, ससेडी	,, 6 प्लाट नं.4 का	18-10-82 ,,	5425/–	,,	बडीरथ प्रो.	,,
79.	श्री शिशुपालसिंह, बीलोनी	,, 5 गुरथा	22-10-82 ,,	22000/–	,,	गुरथा प्रो.	,,
80.	श्री भैरूलाल शर्मा, करौली	,, 3 बहादुरपुर(ख न.2493)	24-2-83 ,,	41300/–	,,	कांकरदा प्रो.	,,
81.	श्री अनिल कुमार जैन, करौली	,, 12 केशपुरा	20-2-83 ,,	10600/–	,,	बांसवारी प्रो.	,,
82.	,, ,,	,, 10 ,,	30-10-82 ,,	10300/–	,,	,,	,,
83.	श्री रामचन्द, मोहनपुरा	,, 15 लोहरा	8-11-82 ,,	6000/–	,,	मरमदा प्रो.	,,
84.	श्री भोगाराम, बिरेठा	,, 5 खूडरी	8-11-82 ,,	5221/–	,,	बांसवारी	,,
85.	श्री जगमोहन, करौली	,, 3 माडीभाट	6-10-82 ,,	5151/–	,,	काकरदा	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	श्री जगमोहन, करोली	प्लाट नं. 4 माडीभाट	6-10-82से दस वर्ष	5111/–	सैण्डस्टोन	काकरदा	करोली
87.	श्री मनोहर लाल हिन्डोन	,, 1 मुरधा	11-11-82 ,,	20005/–	,,	मुरधा	,,
88.	,, ,,	,, 2 ,,	,, ,,	20105/–	,,	,,	,,
89.	श्री भरोसी गुजर कुणाली	,, 1 विद्योकाकी	16-10-82 ,,	5050/–	,,	मरमरा प्रो.	,,
90.	श्री गोपाल लाल उपरोला	,, 6 केशापुर	16-12-82 ,,	7015/–	,,	बांसवारी	,,
91.	श्री हरीसिंह, अर्जुनपुरा	,, 28 कोटदा	11-11-83 ,,	5200/–	,,	मुबरेड़ा	,,
92.	श्री जहीरउदीन, सहनपुर	,, 29 ,,	1-10-82 ,,	5035/–	,,	,,	,,
93.	,,	,, 30 ,,	,, ,,	10050/–	,,	,,	,,
94.	श्री रोशन लाल	,, 35 ,,	7-12-83 ,,	12000/–	,,	,,	,,
95.	श्री सत्तरमसिंह रिडकपुरा	,, 34 ,,	2-12-82 ,,	7550/–	,,	,,	,,
96.	,,	,, 33 ,,	,, ,,	10500/–	,,	,,	,,
97.	श्री बुदराम खागटपुरा	,, 36 ,,	4-11-82 ,,	7510/–	,,	,,	,,
98.	श्री गोटीराम बड़ागांव	,, 37 ,,	2-12-82 ,,	10000/–	,,	,,	,,
99.	श्री छगनलाल रुथकापुरा	,, 43 ,,	10-12-83 ,,	20600/–	,,	,,	,,
100.	श्री चिरजीलाल खेड़ा	,, 44 ,,	21-2-83 ,,	25200/–	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	श्री राजेन्द्र सिंह कोटाछापर	प्लाट नं. बहादुरपुरा	21-10-82से दस वर्ष	27500/–	सेण्डस्टोन	काकरपा प्रो.	करोली
102.	श्री रोधेराम, मावलपुर	,, 2 ,,	18-9-82 ,,	25000/–	,,	,,	,,
103.	श्री शिवचरण सिंह, करोली	,, 1 महू	18-5-83 ,,	6600/–	,,	बडीसथ	,,
104.	श्री शमशाद अहमद, करोली	,, 5 रायेबेली	1-12-82 ,,	5100/–	,,	चिरमिल का	,,
105.	श्री गजानन्द हिण्डोन	,, 6 ,,	15-9-82 ,,	5100/–	,,	,,	,,
106.	श्री बालकृष्ण गुप्ता, करोली	,, 9 ,,	1-12-82 ,,	31075/–	,,	,,	,,
107.	,,	,, 10 ,,	9-5-83 ,,	38800/–	,,	,,	,,
108.	श्री समर सिंह, कोटला	,, 9 पारासरी	11-12-82 ,,	7100/–	,,	छाबर प्रो.	,,
109.	श्री मूआराम कोडर	,, 10 ,,	24-9-82 ,,	5060/–	,,	,,	,,
110.	,,	,, 11 ,,	,, ,,	5135/–	,,	,,	,,
111.	,,	,, 12 ,,	,, ,,	5050/–	,,	,,	,,
112.	श्री गोपालाल, अलवर	,, 4 आम्रेको	23-10-82 ,,	15511/–	,,	चिरमिलो	रेंज सपोटरा
113.	श्री हरीपरण लाल, गर्ग	,, 5 ,,	,, ,,	17011/–	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	श्री देवीचन्द माली, अस्तल	प्लाट नं. 2 चौबे की खोरी	24-9-82 से दस वर्ष	14000/-	सेण्डस्टोन	काकरा प्रो.	सपोटरा रेंज
115.	श्री ज्ञानलाल, हिण्डोन	,, 1 ,,	20-10-82 ,,	32000/-	,,	,,	,,
116.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	,, 64 अलबसकी	22-1-83 ,,	20100/-	,,	मरमदा प्रो.	,,
117.	श्री गोरासिंह कोडापुरा	,, 1 टमकोली	14-12-82 ,,	7000/-	,,	जमराटमकोली	,,
118.	श्री निहाल सिंह, तिबारा	,, 10 ,,	3-3-83 ,,	10000/-	,,	,,	,,
119.	श्री, बरया, डाबर	,, 1 दौलतपुरा	29-11-82 ,,	10000/-	,,	दौलतपुरा प्रो.	,,
120.	श्री देवबूल मीना, करौली	,, 7 गु'था	27-6-82 ,,	11676/-	,,	नवीनी	,,
121.	श्री बालू सिंह, टटवाई	,, रा. सी. कोसरा	11-8-81 ,,	3011/-	,,	,,	,,
122.	श्री द्वारका प्रसाद, सरमथुरा	,, सी. रुपकापुरा	10-3-81 ,,	22142/-	,,	प्रथम नवीनी	,,
123.	श्री गोरधन लाल, ससेणी	,, माजालोहेरा	27-4-81 ,,	3175/-	,,	,,	,,
124.	श्री किरोडी लाल, सरमथुरा	,, रा. सी. ऊंचा गांव	26-8-81 ,,	4100/-	सोपस्टोन	,,	
125.	श्री हिन्दुस्तान मिनरल	,, बांस मुण्डारी	29-4-81 ,,				
126.	श्री नत्थूवा लाल, मह	,, रा. सी. खूबनगर	19-1-81 ,,	22820/-	सेण्डस्टोन	प्रथम नवीनी	

1	2	3	4	5	6	7	8
127.	श्री महेश चन्द्र ओमप्रकाश, अतेवा	प्लाट नं. खोहरी 10·04 व 0 किमी	7-8-81 से दस वर्ष	111000/–	सेण्डस्टोन	प्रथम नवीनी	स. रेंज
128.	गिरिराज प्रसाद, करौली	,, रा. सी. लांगरा	4-12-81 ,,	40010/–	,,	,,	,,
129.	श्री हरिचरण लाल, जिन्दल, करौली	,, 1 गुरथा	25-10-81 ,,	44631/–	,,	द्वि नवीनी	,,
130.	श्री हरी बाबू शर्मा, हिण्डोन	,, 2 ,,	4-4-81 ,,	60900/–	,,	प्रथम नवीनी	,,
131.	श्री स्वरूप सिंह, रुक्षकापुरा	,, रा. सी. लेदारकला	26-3-81 ,,	2251/–	,,	,,	,,
132	श्री कृष्ण, बलूपुरा	,, 2 मनाखुर	17-7-81 ,,	15100/–	,,	,,	,,
133	श्री विष्णु चन्द्र, करौली	,, रा. सी. श्यामपुरा	28-7-81 ,,	5231/–	,,	,,	,,
134.	श्री रंगलाल, केलादेवी	,, 6 मोजा लोहरा	26-7-81 ,,	12223/–	,,	,,	,,
135.	श्री भौरीलाल जैन, करौली	,, ग्रुप नं. 26 चौबेबकी	15-6-81 ,,	135366/–	,,	चतुर्थ नवीनी	,,
136.	श्री राधेश्याम गोयल, सुरोठ	,, 1 तालो	15-6-81 ,,	1545/–	मिलस्टोन	द्वि नवीनी	,,
137.	श्री बंगलीमल, बयाना	,, 2 ,,	,,	3310/–	,,	,,	,,
138.	श्री बाबूलाल महाजन, हिण्डोन	,, माची पहाड	25-5-81 ,,	9520/–	पेजापस्टार	तृतीय नवीनी	,,
139.	श्री कोरी लाल, फूलवास	,, रा. सी. थूलवाल	17-1-82 ,,	885/–	लाइमस्टोन	,,	,,
140.	श्रीमती छोटी बाई, करौली	,, कोडर	5-10-82 ,,		,,	,,	,,
141.	श्री राधामोहन गुप्ता	,, कालाडूंगर	23-2-81 ,,		,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
142.	श्री परमानन्द बेरवा	तलहडी	2-4-81 से दस वर्ष	–	चेजापत्थर	लाइमस्टोन	तृतीय नवीनी
143.	श्री वृजश शर्मा, हिन्डोन	खरेटा	15-12-82 ,,	,,	चैजा पत्थर	,,	करोली रेंज
144.	श्री कमल लाल	गेरई	16-6-81 से बीस वर्ष	,,	,,	,,	सपोटरा रेंज
145.	श्रीमती गायत्री देवी	नि. सपोटरा	17-1-81 ,,	,,	सिलिका सेन्ड	,,	,,
146.	श्री द्वारका प्रसाद	नि. टोडाभीम	16-10-81 ,,	,,	फायर क्ले	,,	रेंज महुआ
147.	श्री सतानन्द गर्ग	खोहरा	3-12-81 ,,	,,	सेन्ड फायर व सिलिका	,,	रेंज करोली
148.	श्री गोपाल लाल अग्रवाल	रामापुरा	28-12-81 ,,	,,	सिलिका सेन्ड	,,	,,
149.	श्री मै. तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल, करोली	5.11 वर्ग मी.	18-11-82 दस वर्ष	160000/–	सेन्ड स्टोन	,,	,,

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, सवाईमाधोपुर

आरक्षित वन क्षेत्र गंगापुर, नांदोती व बामनवास में स्वीकृत खनन पट्टों की सूची । रेंज नादौती

क्र. सं.	नाम पार्टी	क्षेत्र		खनिज	आवेदन का दिनांक	स्वीकृत दिनांक	संविदा दिनांक	पट्टा प्रारम्भ की तिथि	
1.	श्री प्रकाश चन्द	898·68 है. रिवाली	तह. बामनवास	सोपस्टोन	21.8.72	5.1.73	9.3.73	9.5.73	रेंजनादौती
2.	श्री मोहन लाल कालरा	124·40 है. ओलेटा	नादौती	"	21.7.69	6.7.70	24.9.70	25.12.70	"
3.	श्री अरुण कुमार गर्ग	160·35 है. पारली	"	"	10.7.79	9.8.60	29.8.80	6.10.80	"
4.	श्री हिन्दुस्तान मिनरल	119·50 है. सारा	"	"	30.5.79	20.12.79	4.6.80	24.12.80	"
5.	श्री राजकुमार कालरा	129.78 है. ओलेटा	"	"	24.12.80	20.5.80	—	9.1.81	"
6.	श्री दामोदर प्रसाद	155.40 है. मांवडी	"	"	15.5.79	4.2.80	13.11.80	13.3.81	"

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 629 की सूची

(अनुसूची–क)

S. No.	Name of Post	Minimum qualifcation and experience, required for promotion.
1	2	3
1.	Superintending Engineer	Must hold a degree in Engineering (Civil) of a University established by law in India or a degree or Diploma or foreign University or Institute declared by Government to be equivalent of a degree of a University establised by law in India or A. M. I. S. (Civil) by passing the examination of Indian institute of Engineering with 10 years service experience as Executive Engineer (Civil).

(358)

1	2	3
2.	Executive Engineer (Civil)	B. E. (Civil) or qualification declared equivalent by Government with 10 years service as Asstt. Engineer (Civil) or if Diploma holder from recongnised institution 15 years service as Asstt. Engineer (Civil).
3.	Assistant Engineer (Civil)	B. E. (Civil) or qualification declared equivalent by Govt. with 3 years service as Engineering subordinate (Civil) or if Diploma holder (Civil) from a recognised institution with 10 years requisite experience as Engineering Subordinate (Civil) or other with 15 years requisite experience as Engineering/ Subordinate (Civil),

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 630 का विवरण

खण्ड 3 का विवरण

चीनी की कुल बोरिया दिनांक 1-7-1977 से 30-6-85 तक 1021 प्राप्त हुई उसमें से 1004 बोरियां बिक्री कर दी गई। शेष 17 बोरियां स्टाक में हैं।

चीनी की कुल 87 बोरी जिसमें 6 बोरी मोहनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति जो सीतापुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में विलीन हुई भी सम्मिलित थी। इन 87 बोरी में से कुल 99·500 किलों की छीजत पाई गई। जिसे सचालक मण्डल के विशेष परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए स्वीकृत किया।

गोदाम निर्माण—

समिति की कार्यकारिणी द्वारा श्री छोटेलाल ठेकेदार को अपने प्रस्ताव दिनांक 13-12-78 के द्वारा उक्त गोदाम का ठेका 8500/–रुपये में दिया गया पुन: अतिरिक्त कार्य कराने का निर्णय लेकर ठेका राशि को 2000/– और बढ़ाकर कुल 10500/– रुपये में ठेका देना अंकित किया गया है। ठेकेदार को भुगतान करने के लिए तत्कालीन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को अधिकृत किया था। जिनके द्वारा ठेकेदार को समय समय पर माल व मजदूरी पेटे 10500/– रुपये का भुगतान किया गया परन्तु ठेकेदार ने कार्य पूर्ण नहीं किया जिस पर उसे नोटिस दिया गया। ठेकेदार को ठेका देते समय न तो उससे अर्नेस्ट मनी जमा कराई गई और न ही कोई इकरारनामा ही किया गया तथा भुगतान करते समय सिक्यूरिटी की राशि भी नहीं काटी गई।

नोटिस देने के बावजूद भी जब ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो कार्यकारिणी ने अपनी बैठक दिनांक 16-12-81 में इस कार्य को समिति की ओर से अमानी तौर पर पूर्ण कराने के लिये तत्कालीन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को अधिकृत किया गया अमानी तौर पर उक्त कार्य कराने पर गोदाम निर्माण के शेष कार्य पर 12937·80 पैसे मात्र का खर्चा किया गया। इस प्रकार गोदाम निर्माण पर कुल खर्च 23 437·80 का हुआ है।

गोदाम निर्माण पूर्ण होने पर निर्माण कार्य का ऐरिस्टीमेन्ट पंचायत समिति में कार्यरत सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता से करवाया गया। जिसमें यह प्रमाणित किया कि 20-7-80 की रेट के अनुसार उक्त गोदाम का कार्य 24,647·55 पैसे का है।

माननीय सदस्या श्रीमती विद्या पाठक द्वारा दिनांक 22-9-1984 को शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर बैंक ने दिनांक 11-10-1984 को पुन: सहायक अधिशाषी अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर रिपोर्ट चाही गई जो अभि तक प्राप्त नहीं हुई हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत आडिट रिपोर्ट के आधार पर मामला पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट- 13

अतारांकित प्रश्न सं. 631 की सूची

चौरासी विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की सूची

क्र सं.	विद्यालय का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गामडी अहाडा	क्षतिग्रस्त
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढूका	,,
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, झलाई	,,
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तलैया	,,
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गलंदरपाल	,,
6.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चूडावाडा	,,
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, करावाडा	,,
8.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, कनवा	,,
9.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिछीवाडा	,,
10.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, गामडीपाल	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त
11.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, चारवाडा	,,

1	2	3
12.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, मंहुणा	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त
13.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेवाडा	”
14.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेवाडा	”
15.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, बलवाड़ा	”
16.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, महूडी	”

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 635 की सूची

क्र. सं.	केस नं.	उनवान	आदेश का नाम जिसका उल्लंघन हुआ।	अनियमितता	जब्त माल	अनु. मूल्य	कहां पकड़ा गया	केस की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	240/84 1.6.84	महिला गृह उद्योग सह. स. एफ. पी. एस. नं. 111 खेडली पुरोहित	रा. खा. एवं अन्य आ. पदार्थ (वितरण का वि) आदेश 1976	197 किलो लेवी चीनी ब्लेक की नीयत से ले जाते हुये पकड़ा	198 किलो लेवी चीनी	788/-	खेडलीपुरोहित दु. न. 111. पर	एफ. आई. आर न. 189/7.8.84 से थाना भीमगज मण्डी में दर्ज कराई गई।
2.	269/84 5.7.84	मनोहरलाल गुप्ता, कोटा	रा. टी. रजि. आ. 84	बिना लाई चाय का व्यापार करते हुए पकड़ा गया।	2715 किलो चाय	95025/-	गीताभवन बृजेश रोडलाईन्स, कोटा	एफ. आर. आर. न. 109/84 दर्ज कराई गई. जिसमें वि. न्याया. द्वारा अभि. को बरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								किया अपील की कार्यवाही कर दी गई है।
3.	274/84 3.7.84	मथुराप्रसाद पारसमर कोटा।	राज. सीमेंट कन्ट्रोल आदेश 1974	लेवी सीमेंट की अधिक कीमत लेते हुए पकड़ा गया तथा फ्री सैल सीमेंट का व्यापार करता पाया।	125 कट्टे	6854/-	कोटा डडवाना मकान एवं दुकान पर	एफ. आई. आर. न. 164/11.7.84 दर्ज कराई गई।
4.	401/84 18.9.84	गर्ग एण्ड क. कोटा	आर. टी. ए. 1980	चीनी का निर्धारित मात्रा से अधिक स्टाक पाया गया।			दुकानपर	विचाराधीन
5.	226/85 9.5.85	लालचन्द एफ. पी. एस. नं. 15 लाडपुरा	राज. खाद्यान्न 1976	लेवी चीनी ब्लेक करते पकड़ा गया।	1 क्वि.	440/-	लाडपुरा में	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	88/83 21 3.83	कृष्णा एण्ड क. सीमेंट डीलर ला. न. 80 शोपिंग सेन्टर कोटा	राज. सीमेंट प्रा. 1974	सीमेंट अवैधरूप से पाया गया ।	468 कट्टे	12000/-	गोदाम में	213 कट्टे रिलीज 265 कट्टे राज सात
7.	155/83 4.7.82	बीकानेर नमकीन मिष्ठान गुमानपुरा कोटा.	राज. खा. 1976	अवैधरूप से पाया गया ।	19 टीन	3800/-	दुकान में	राजसात, 19 टीन 400/-रु. विचाराधीन
8.	57/83 8.2 83	क. वि. स. स. छिपा-बडोद	राज. खाद्य 1976	अवैधरूप				एफ. आई. आर. 117/83 थाना छिपाबडोद
9.	142/83 28.12.82	राजेन्द्रकुमार गोतमनारायण सिंह भाला	सीमेंट प्रा. 1974 एवं रघुनन्दन शर्मा	सीमेंट का दुरुपयोग किया ।				एफ. आई. आर. 205/83 थाना गुमानपुरा
10.	58/83 15.4.83	मोहनलाल रामप्रताप तेली सागोद	आर. टी. ए. 1980					187/83 थाना सागोद में एफ. आई. आर.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	62/83 13.4.83	रामकुवर रामप्रताप ढोटी	ग्रार. टी. ए. 1980	बिना लाई केरोसीन का व्यापार	240 ली.	48120	दुकान के बहार	एफ. ग्राई. ग्रार. न. 92/83 विशि. न्या द्वारा बरी किया ।
12.	211/83 24.6.83	मैं. खण्डेलवाल ब्रदर्स लेवी सीमेंट विक्रेता पारा	राज: सीमेंट ग्रा. 1974	बिना परमिट सीमेंट विक्रय किया ।		—	—	दि. 13.10.83 को एफ. ग्राई. ग्रार. न. 294 थाना बारा मे दर्ज कराई ।
13.	187/83 4.7.83	बृजमोहन बजरंग लाल खोतोली	ग्रार. टी. ए. 1980	बिना लाई केरोसीन व्यापार किया ।	283 ली.	566/-		वि. न्या. द्वारा चार साल की सजा व 100/- जुर्माना ।
14.	273/84 27.6.84	केशरीलाल राजमल लाडपुरा कोटा	1976	—	10 बोरी ले चीनी	4000/-		एफ. ग्राई. ग्रार. 170/84 थाना नयापुरा
15.	100/83 16.5.83	ग्रानन्द किराना स्टोर विज्ञान नगर कोटा	ग्रा.र टी. ए. 1980	ग्रवैध गेहूं का व्यापार बिना लाईसेन्स	48 क्वि.	7500/-		स्पेशल कोर्ट जयपुर द्वारा 4 माह की सजा ।

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 639 की सूची

जिला	छवि गृह का नाम	छविगृह स्वामी का नाम
1	2	3
नागौर	प्रिंस टाकीज, मेहता सिटी	श्री अब्दुल मजीद पुत्र स्व. श्री हाजी असग़ार खां
	राजदयाल टाकीज, कुचामन सिटी	श्री दीनदयाल शर्मा पुत्र स्व. श्री जेठमल स्वामी
जयपुर	राज सिनेमा, चाकसू	श्री राजेन्द्र कुमार
	संगम सिनेमा, सांगानेर	श्री सैयद अहमद एवं श्री मजमील अमूद
	नीलम टाकीज, आमेर	श्री अब्दुल अजीज
	उमराव टाकीज, कोठपूतली	श्री कुंज बिहारी शाह
	वीर सिनेमा, शाहपुरा	श्री मदनसिंह शेखावत
	महालक्ष्मी सिनेमा, शाहपुरा	श्री रामअवतार स्वामी
अजमेर	जयमन्दिर सिनेमा, ब्यावर	श्री ब्रह्म देव मोदी एवं श्री राधेश्याम
झुन्झनू	नटराज सिनेमा, झुन्झनू	श्री अम्बिका प्रसाद पुरोहित पुत्र श्री मदनलाल
सिरोही	महावीर टाकीज, आबूरोड	श्री बाल मुकुन्द अग्रवाल एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन, आबूरोड
सीकर	जनता सिनेमा, रिंगस	—
	श्री गणेश टाकीज, नीमकाथाना	

1	2	3	5
टोंक	टेगोर टाकीज, टोंक	श्री मोहम्मद रशीद पुत्र श्री मोहम्मद रफीक	
चुरू	पायल थियेटर, सरदारशहर	श्री ओमप्रकाश श्री विश्वनाथ श्रीमती शोभा देवी, श्रीमती भीखी देवी, श्रीमती विनोद देवी, श्रीमती लतादेवी, श्रीमती रंजना देवी एवं श्रीमती सुशीला देवी	
जोधपुर	जगदम्बा टाकीज, पीपाडमालिक	श्री धनराज मेवाड़ा	
	राज टाकीज पीपाड	श्री अब्दुल अजीज	
	लक्ष्मी टाकीज, बीलाडा	श्री लक्ष्मण लाल मेवाडा	
उदयपुर	जय अम्बे टाकीज, भीण्डर	श्री रामप्रकाश पुत्र श्री अम्बा लाल सोनी	
गंगानगर	आशीष सिनेमा, हनुमानगढ़	—	
	ज्वाला मंदिर रावतसर	—	
डूंगरपुर	राज श्री टाकिज, डूंगरपुर	—	
झालावाड़	राजेश टाकीज, रामगंज मण्डी	श्री किशनचन्द जैन	
चित्तौड़गढ़	कैलाश टाकीज, कपासन	श्री कैलाश बाघमार, श्री अनिल बाघमार श्री शांतिलाल, श्री ओमप्रकाश श्री सत्यनारायण सोमानी	
	अर्चना टाकीज, प्रतापगढ़	श्री वरदीचन्द सुथार	

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न सं. 642 की सूची

राजकीय चिकित्सालय, चाकसू के स्वीकृत कार्यरत डाक्टर, मेल/फिमेल नर्सेज का विवरण :

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या 2	नाम	कार्यरत है उसकी तिथि
1.	सी. ए. एस.	2		डा. गुलाब सिंह राठोड़	22-7-75
				डा. (श्रीमती) मोहनी	23-4-83
2.	मेलनर्स श्रेणी–II	2		श्री जी. एल. कुमावत	9-9-81
				श्री अब्दुल रसीद	29-6-81
3.	प्रसाविका	1		कु. मेरी के. ए.	11-2-84

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न सं. 645 की सूची

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
सी. ए. एस.	4	2	2
सिस्टर	1	1	—
रेडियोग्राफर	1	—	—
मेलनर्स श्रेणी–II	2	1	1
प्रसाविका	3	3	—
वरिष्ठ लिपिक	1	1	—
कनिष्ठ लिपिक	2	2	—
वार्ड वाय	7	7	—
धोबी	1	1	—
कूक	2	2	—
हरिजन	1	1	—
एक्सरे टेक्नीशियन	1	—	1

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 646 की सूची

राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित गर्भ समापन संस्थाओं का विवरण:–

क्र. सं.	अराजकीय संस्थाओं के नाम व पता	पंजीकरण की दिनांक
1.	रेड क्रास सोसाइटी, जयपुर	23-12-75
2.	अनिल नर्सिग होम, जयपुर	23-12-75
3.	सेवायतन हास्पीटल, जयपुर	23-12-75
4.	विधावती हास्पीटल, जयपुर	23-12-75
5.	सन्तोकवा दुर्लभ मेमोरियल हास्पीटल, ट्रस्ट हास्पीटल, जयपुर	23-12-75
6.	पिंक मेडिकल एण्ड मेटर्नरी होम, पिंक हाउस, जयपुर	27-7-76
7.	रेडक्रास सोसाईटी, पांच बत्ती, जयपुर	27-7-76
8.	साही नर्सिग होम, जयपुर	27-7-76
9	सरोजनी क्लीनिक, बनीपार्क, जयपुर	24-7-76
10.	फैमिली कैयर हास्पीटल, एस-II, अपर सर्किल, तिलक मार्केट, तिलक नगर, जयपुर	18-8-81
11.	राज हास्पीटल, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर	18-8-81
12.	रघु प्रकाश नर्सिग होम, सी-30, लाजपत मार्ग, सी-स्कीम जयपुर	18-8-81
13.	अमित क्लिनिक, 470, आदर्श नगर, जयपुर	27-3-80
14.	राजधानी क्लीनिक एण्ड नर्सिग होम, न्यू कालोनी, जयपुर	15-7-80
15.	राजस्थान नर्सिग होम, पोली क्लिनिक, सुराना बिल्डिंग अग्रवाल कालेज के पास, जयपुर	27-3-80
16.	मीरा नर्सिग होम, 23 इन्द्रा कालोनी, बनीपार्क जयपुर	27-3-80

1	2	3
17.	पिंक सिटी नर्सिंग होम, के-22, मालवीय मार्ग, जयपुर	27-3-80
18.	मेरी स्टाफ सोसाईटी क्लिनिक, 21 मिशन कंपाउंड, अजमेर रोड, जयपुर	18-8-82
19.	जैन नर्सिंग होम, जयपुर	4-3-81
20.	किरन नर्सिंग होम, हटवाड़ा रोड, शांती नगर, जयपुर	24-6-81
21.	सुनिल नर्सिंग होम, बी-23, प्रभू मार्ग तिलक नगर, जयपुर	25-8-83
22.	चम्पावती मारकर दारा, घी वालों का रास्ता जौहरी बाजार, जयपुर	27-5-83
23.	पारवती मेमोरियल नर्सिंग होम, 193 आदर्श नगर, जयपुर	2[illegible]-12-83
24.	अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, अमर भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर	28-12-83
25.	मीनाक्षी क्लीनिक, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर	26-4-81
26.	विजय क्लिनिक, दशहरा कोठी, आमेर रोड, जयपुर	19-7-84
27.	राजस्थान पोली क्लिनिक, हवा सड़क, बाईस गोदाम, जयपुर	2-1-85
28.	गोपीनाथ नर्सिंग होम, जयपुर	11-4-85

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न सं. 653 की सूची

संस्था के पदाधिकारियों की सूची

1. श्री गोविन्दनारायण शर्मा	अध्यक्ष (मृत्यु हो चुकी है।)
2. दामोदर दास आचार्य	उपाध्यक्ष (वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष)

संस्था की गतिविधियां:—

(1) निम्नलिखित पूर्व सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना:—

(क) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा अखिल भारतीय स्वायत्त शासन संस्था, बम्बई द्वारा संचालित छः माह की अवधि का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा।

(ख) सैनिटरी इन्सपेक्टर्स कोर्स–एक वर्ष की अवधि का।

(ग) गृहकर निर्धारक कोर्स–एक माह की अवधि का।

(2) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, भंगी कार्य मुक्ति, नगरीय सामुदायिक विकास, नगरों का एकीकृत विकास, आवास एवं स्वच्छता की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित कार्य करना:—

(क) सर्वेक्षण करवाकर परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

(ख) जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उपरोक्त कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रशिक्षण देना।

(ग) सेमीनार, सम्मेलन, कार्यशालाओं एवं प्रदर्शनियां आयोजित कर उपरोक्त कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करना।

(घ) स्थानीय निकायों के अनुरोध पर उनके क्षेत्रों में सस्ता फ्लश शौचालयों का निर्माण करवाना ।

(ङ) राज्य सरकार, भारत सरकार एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उपरोक्त कार्यक्रमों के प्रचार एवं प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लेना ।

(च) स्थानीय निकायों को उपरोक्त कार्यक्रमों के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन देना ।

(छ) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर विदेशी अधिछात्रों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों आयोजित करना ।

(ज) उपरोक्त कार्यक्रमों से संबंधित प्रकाशन सामग्री संकलित करना एवं प्रकाशित करना ।

(3) विभिन्न स्तर के सेवारत कर्मचारियों हेतु रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करना जिससे उन्हें उनसे संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास/तकनीकी की जानकारी दी जा सके ।

(4) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत चुल्हों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण देना एवं उन्नत चूल्हों का निर्माण करवाना । इस हेतु भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से वर्ष 85–86 से संस्था में एक चूल्हा निर्माण एव प्रशिक्षण इकाई की स्थापना की गई है ।

(5) नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन से संबंध विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर रिपोर्ट बनना ।

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 654 की सूची

THE UNIVERSITY OF JODHPUR
JODHPUR

The Statement of Teachers Appointed Against The Parmanent Posts — **Faculty of Arts EDU, & SOC. SC.**

No. Posts filled in	Name	Date of Selection	Date of joining	Domicile	Place of studies	Place where working at the time of selection
1	2	3	4	5	6	7
Lecturor (7) Psychology	1. Dr. S.G. Bhargava	1/2.9.84	2.11.84	Up	Allahabad Uni-	Ahmedabad
	2. Dr. (Miss) Asha Malhotra	-do-	2.11 84	Raj.	JodhpurUni.	Res Jodhpur
	3. Dr. Is Singh	-do-	not joined	UP	UP	MS Uni. Baroda
	4 Mrs. Priti Mathur Nepalia	-do-	2.11.84	Raj.	Jodhpur Uni.	Res. Jodhpur

1	2	3	4	5	6	7
	5. Sh KK Gunthey	-do-	7.11.84	Raj	Jodhpur Uni.	Res Jodhpur
	6. Sh AK Agarwal	-do-	2.11.84	Raj.	Bombay/Ahmedabab Jodhpur Uni.	Sagar
	7. Dr. Suraj Bhan	-do-	7.12.84	Haryana	Meerut/Kurukshtra	Res. Haryana
Lecturer (6) Music	1. Dr. (Miss) Kavita Chakravarti	31.8.84	2.11.84	Raj.	Jaipur/Varanasi	Res. Jaipur
	2. Dr. Nishi Jain	31 8.84	waiting list	Raj.	Kota/Jaipur/	Res. Kota
	3. Miss Jyotsana Ichalkaranjikar	-do-	2.11.84	Raj.	Raj./Ju. Uni.	Jodhpur Uni.
	4. Mrs. Vasudha laulkarni	-do-	2.11.84	Raj.	Bombay	Res. Joobpur.
	5. Mrs. Neena Audichya	-do-	2.11.84	Raj.	Bombay/Miraj/ Chandigarh	Jodhpur.
	6. Sh. Rajendra Vaishnav	-do-	waiting list	Raj.	Allah.Luck.Bombay	Jodhpur Uni.
Lecturer (1) Rajasthani	Dr. MMS Mathur	11.9.84	2.11.84	Raj.	Udaipur/Raj. Uni.	Panipat
Reader (1) Sanskrit	Dr. Miss Sushma Gaug	17.9.84	17.11.84	Raj.	Jodhpur Uni.	Jodhpur Uni.

1	2	3	4	5	6	7
Reader (1) Rajasthani	Dr. KS Shekhawat	11.9.84	17.11.84	Raj	Raj. Uni.	Jodhpur Uni.
Lecturer (3) Geography	1. Dr. Bhajan Lal	12/13.10.84	18.11.84	Raj.	Raj./Delhi/ Jodhpur Uni.	Raj. Uni. Jaipur
	2. Dr. LL Saxena	-do-	2.1.85		Agra/Raj./Ju. Uni.	Jodhpur
	3. Dr. PS Chouhan	-do-	waiting list	Raj.	Raj./Ju. Uni.	Jodhpur Uni.
Reader (1) Economics	Dr. KC Mundra	10.10.84	17.11 84	Raj.	Raj./Ju. Uni.	Jodhpur Uni.
Professor (1) Economics	Dr. AC Angrish	10.10.84	17.11 84	Raj.	Agra/Raj. Jaipur/Jodhpur	Jodhpur Uni.
Lecturer (1) English	Sh. SK Rajimwale	9 10.84	2.1.85	Maharashtra	Patna/Nagpur	Res. Delhi
Reader (1) English	Dr. Mrs. Santosh Gupta	8.10.84	8.1.85	Raj.	Raj. Uni.	Raj. Uni.
Lecturer (7) Hindi	1. Dr. RB Jat	19.9.84	2.11.84	Raj.	Jodhpur/Delhi	MD Uni. Rehtak
	2. Dr. SP Paliwal	-do-	-do-	Raj.	Aligarh/	SML College, Jhunjhunu

1	2	3	4	5	6	7
	3. Dr. KN Upadhvay	-do-	-do-	UP	Allah/Varanasi	Res. Varanasi
	4. Dr. LKS Gautam	-do-	-do-	UP	Allah/Varanasi	Res. Varanasi
	5. Dr. VB Singh	-do-	-do-	UP	B. Hindu. Uni.	Res. Varanasi
	6. Dr. RS Sharma	-do-	-do-	UP	Agra Uni.	Res. Agra
	7. Dr. Mrs. Renu Shah	-do-	-do-	Raj.	Raj./Ju. Uni.	Res Jaipur
Reader (1) Hindi	Dr. MKD Mehta	18.9.84	17.11.84	Raj.	Rajputana/Ju.	Jodhpur Uni.
Professor (1) Hindi	Dr. Miss Ram Singh	-do-	17.11.84	Raj.	Lucknow	Jodhpur Uni.
Professer (1) Philosophy	Dr. ML Sharma	29.6.85	2.7.85	Raj.	Agra/Raj. Uni	Jodhpur Uni.
Lectur (2)	1 Dr. AD Charan	21.6.85	3.7.85	Raj.	Ju. Uni.	Res. Jodhpur.
Rajasthani	2 Dr JM Singh	-do-	waiting list	Raj.	Ju. Uni.	Res. Jodhpur.

1	2	3	4	5	6	7
Lecturer (1) Sanskrit	Dr. SP Duboy	19.6.85	10.7.85	UP	Varanasi	Res. Jaipur (UP)
Lecturer (2)	Dr. KP Singh	17.6.85	3.7.85	UP	Banaras H. Uni.	Res. Muzzapur Nagar (Up)
Sociology	Dr. RN Vyas	-do-	-do-	Raj.	Ju. Uni./Gujrat	Res. Jodhpur

The University of Jodhpur
Jodhpur

The Statement of Teachers Appointed Against Pe-ment Posts **Faculty of Science**

No of Posts filled in	Name	Date of Selection	Date of joining	Domicile	Place of studies	Place where working at the time of Selection
1	2	3	4	5	6	7
Profqssor (one) Zoology	Dr. VS Durve	27.2.83	3.5.83	Rajasthan	Bombay Uni.	Uni. of Udaipur
Professor (one) Mat;ematics	Dr. RK Saxena	28.2.83	16.4.83	Rajasthan Ju. Uni.	Raj. Uni./	Original Ju. Uni. but working as Prof. at Udaipur Uni.
Reader (Three) Chemistry	1. Dr. CP Trivedi	23.9.84	17.11.84	Rajasthan	Raj. Uni.	Jodhpur University Ju. Uni.
	2. Dr. KC Mathur (D)	-do-	16.3.85	UP	Agra/Delhi Uni.	Jodhpur University
	3. Dr. PN Mehrotra	-do-	16.3.85	UP	Allahabad Uni.	Jodhpur University

1	2	3	4	5	6	7
Reader (Two)	1. Dr. SR Dhariwal	25.9.84	15.1.85	Rajasthan	Raj./Ju. Uni.	Govt. College Ajmer
Physics	2. Dr. RK Gupta	-do-	17.11.84	Haryana	Delhi/Ju. Uni.	Jodhpur University
Lecturer (Two)	1. Dr. RS Sindal	24.9.84	2.11 84	Rajasthan	Raj./Ju. Uni.	Jodhpur University
Chemistry	2. Dr. MRK Sherwani	-do-	2.11.84	UP	Aligarh	Res. Aligarh

The University of Jodhpur
Jodhpur

Statement of Teachers Appointel Against Permanent Posts **Faculty of Engineering**

No. of posts filled in	Name	Date of Selection	Date of joining	Domicile	Place of studies	Place where working at the time of Selection
1	2	3	4	5	6	7
Electronics						
Professor (one)	Sh PS Tiwari	27.11.84	12.2.85	MP	MP/Jabalpur	Jodhpur University
Reader (Three)	1. Sh KR Choudhary	-do-	21.2.85	Raj.	Raj. Uni /Ju.	BARC Bombay
	2. Sh KK Govil	-do-	not joined	Raj.	Udaipur Uni./ Pilani/Candada	CTAE Udaipur
	3. Sh KC Harit	-do-	12.2.85	Raj.	Pilani/Raj. Uni.	Jodhpur University
Lecturer (One)	Sh S.D. Vyas	28.11.84	14.1.85	Raj.	Jodhpur Uni.	RSEB Jodhpur

1	2	3	4	5	6	7
Professor (One) Structural	Dr. SP Gupta	19.1.85	12.2.85	UP	Agra/Roorkee/ Jodhpur Uni.	Jodhpur University
Reader (One) Mechanical (WS)	Sh R.P. Tiwari	16.1.85	12.2.85	UP	Gorakhpur/ Allah.	Jodhpur University
Lecturer (One)	Sh SK Parihar	16.1.85	13.2.85	Raj.	Raj. Uni./Ju.	Jodhpur University
Lecturer (One) Electrical	Sh CM Arora	26.6 83	6.9.83	Raj.	Jodhpur Uni.	RSEB, Jaipur.

The University of Jodhpur
Jodhpur

The Statement of Teachers Appointed Against Permanent Posts — **Faculty of Commerce**

No. of post filled in	Name	Date of Selection	Date of joining	Domicile	Place of Studies	Place where working at the time of Selection
Professor (One)	1. Dr. RK Agarwal	29.8.84	17.11.84 (AN)	Rajasthan	Allahabad. University.	Jodhpur University
Reader (Two)	1. Dr. BM Bhadada	29.8.84	17.11.84 (An)	Rajasthan	Raj. Uni./ Jodhpur Uni.	Jodhpur University
	2. Dr. SJ Lalwani	29.8.84	17.11.84 (An)	Rajasthan	Jodhpur University	Jodhpur University

1	2	3	4	5	6	7
	3. Sh. J. Bodha	10.9.84	2.11.84	Rajasthan	Bombay Uni. /Ju. Uni.	Res. Jodhpur
	4. Mrs. Vijay Sharma	-do-	-do-	Rajasthan	Ju. Uni.	Res. Jodhpur
	5. Sh Shiv P. Choudhary	-do-	2.1.85	Rajasthan	Ju. Uni.	Govt. College Pali
	6. Sh. S. Makkar	-do-	Not joint	Rajasthan	Udaipur/ Baroda/ Raj. Uni.	Govt. College Kota

The University of Jodhpur
Jodhpur

The Statement of Teachers Appoinced Against Permanent Posts **Faculty of Law**

No. of post filled in	Name	Date of Selection	Date of joining	Domicle	Place of Studies	Place where working at the time of Selection
1	2	3	4	5	6	7
Professor (One)	Dr. S.R. Bhansali	9.9.84	1.12 84	Rajasthan	Raj. Uni/ Jodhpur	Raj. Uni. Jaipur.
Reader (Two)	Dr. VP Bhartia	9.9 84	17.11.84	MP	Saugar/Delhi/ Ju. Uni.	Jodhpur Uni.
	2. Dr. YK Tiwari	9.9.84	2.1.85	Rajasthan	Raj. Uni.	Pujb. Uni. Chandigarh
Lecturers (Six)	1. Miss Baljeet Kaur Matharoo	10.9.84	8.12.84	Rajasthan	Raj. Uni.	Govt. College Beawer
	2. Mrs. Shobha Saxena	-do-	2.11.84	UP	Lucknow/ Jodhpur Uni.	Res Rampua (U.P.)

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न सं. 655 की सूची

मार्ग : बीकानेर–गंगानगर वाया सूरतगढ़

क्रम संख्या	मार्ग	प्रस्थान समय
1.	बीकानेर—गंगानगर	0530
2.	बीकानेर—गंगानगर	0630
3.	बीकानेर—हनुमानगढ़	0800
4.	बीकानेर—गंगानगर	0930
5.	बीकानेर—गंगानगर	1100
6.	बीकानेर—गंगानगर	1200
7.	बीकानेर—गंगानगर	1300
8.	बीकानेर—हनुमानगढ़	1500
9.	बीकानेर—महाजन	1630
10.	बीकानेर—गंगानगर	1730
11.	बीकानेर—लूणकरणसर	1900
12.	बीकानेर—गंगानगर	0130

मार्ग : बीकानेर–गंगानगर वाया अनपगढ़

क्रम संख्या	मार्ग	प्रस्थान समय
1.	बीकानेर—गंगानगर	0600
2.	बीकानेर—फाजिल्का	0630
3.	बीकानेर—गंगानगर	0700

1	2	3
4.	बीकानेर—गंगानगर	0800
5.	बीकानेर—गंगानगर	0900
6.	बीकानेर—करणपुर	1000
7.	बीकानेर—गंगानगर	1100
8.	बीकानेर—अनूपगढ़	1230
9.	बीकानेर—अनूपगढ़	1400
10.	बीकानेर—रायसिंहनगर	1530
11.	बीकानेर—अनूपगढ़	1630.
12.	बीकानेर—छतरगढ़	1900

मार्ग : बीकानेर-सींथल वाया नापासर

1.	बीकानेर—सीथल	06 0
2.	,, ,,	0900
3.	,, ,,	1100
4.	,, ,,	1300
5.	,, ,,	1500
6.	,, ,,	1700
7.	,, ,,	1800
8.	,, ,,	1900

मार्ग : बीकानेर-रावला खाजूवाला-गंगानगर

1.	बीकानेर—गंगानगर	0630
2.	बीकानेर—रावला	0730
3.	बीकानेर—रावला	0930
4.	बीकानेर—खाजूवाला	1100

1	2	3
5.	बीकानेर—रावला	1200
6.	बीकानेर—रावला	1330
7.	बीकानेर—रावला	1500
8.	बीकानेर—रावला	1700
मार्ग : बीकानेर–जैसलमेर		
1.	बीकानेर—जैसलमेर	0600
2.	बीकानेर—फलोदी	0700
3.	बीकानेर—जैसलमेर	0830
4.	बीकानेर—कोलायत	0930
5.	बीकानेर—पोकरण	1000
6.	बीकानेर—कोलायत	1200
7.	बीकानेर—पोकरण	1300
8.	बीकानेर—गडियाला	1500
9.	बीकानेर—कोलायत	1630
10.	बीकानेर—फलोदी	1700
11.	बीकानेर—कोलायत	1900
मार्ग : जयपुर–रतनगढ़–चुरू–सरदारशहर		
1.	बीकानेर—जयपुर	0500
2.	बीकानेर—जयपुर	0615
3.	बीकानेर—दिल्ली	0730
4.	बीकानेर—चुरु	0830
5.	बीकानेर—सरदार शहर	1000

1	2	3
6.	बीकानेर—चुरु	1100
7.	बीकानेर—जयपुर	1200
8.	बीकानेर—हनुमानगढ़	1215
9.	बीकानेर—सरदार शहर	1315
10.	बीकानेर—रामगढ़	1430
11.	बीकानेर—राजगढ़	1500
12.	बीकानेर—सरदारशहर	1600
13.	बीकानेर—जयपुर	1630
14.	बीकानेर—डूंगरगढ़	1715
15.	बीकानेर—डूंगरगढ़	1900

मार्ग : बीकानेर-अजमेर-जोधपुर-सुजानगढ़-जयपुर

1.	बीकानेर—जयपुर	0430
2.	बीकानेर—अजमेर	0430
3.	बीकानेर—जयपुर	0515
4.	बीकानेर—जोधपुर	0530
5.	बीकानेर—भीलवाड़ा	0600
6.	बीकानेर—देशनोख	0630
7.	बीकानेर—जोधपुर	0700
8.	बीकानेर—जयपुर	0745
9.	बीकानेर—ब्यावर	0815
10.	बीकानेर—कुचामन	0900
11.	बीकानेर—नागौर	0930
12.	बीकानेर—सीकर	1030

1	2	3
13.	बीकानेर—अजमेर	1130
14.	बीकानेर—डीडवाना	1200
15.	बीकानेर—जोधपुर	1215
16.	बीकानेर—सुजानगढ़	1330
17.	बीकानेर—नागौर	1345
18.	बीकानेर—नागौर	1500
19.	बीकानेर—लाडनूं	1600
20.	बीकानेर—जोधपुर	1630
21.	बीकानेर—जसरासर	1700
22.	बीकानेर—नागौर	1730
23.	बीकानेर—नोखा	1800
24.	बीकानेर—देशनोक	1830
25.	बीकानेर—नोखा	1900
26.	बीकानेर—कोटा	2000
27.	बीकानेर—ब्यावर	2130
28.	बीकानेर—अजमेर	2300
29.	बीकानेर—जोधपुर	0130

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न सं 662 की सूची

परिशिष्ट ब

क्र. सं.	एल. ए. नं.	नाम ऋणी	ग्राम	स्वीकृत	प्रथम किश्त	द्वितिय किश्त	तृतीय किश्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	763	श्री राजपाल/कालूराम	पलई	7000/-	2700/-	3600/-	2700/-
2.	781	,, दल्ला/गोविन्दा रेगर	नोहटा	10000/-	3000/-	4000/-	—
3.	50	,, लक्ष्मीनारायण/ग्यारसा	नाहरवाडी	6000/-	2500/-	2400/-	1100/-
4.	802	श्रीमती सूजा/सुवालाल अहीर	गोपालपुरा	10000/-	3000/-	4000/-	3000/-
5.	787	श्री हनुमानसिंह/विजयसिंह	चुराडा	8500/-	2550/-	2400/-	—
6.	783	,, लादूलाल/जमाना लाल	सिरस	9000/-	2700/-	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	838	श्रीमती दाखाँ/गोपाल कांची	सिरस	9000/-	2700/-	—	—
8.	10	श्री मोहनलाल/रामदेव बैरवा	अणतपुर	9000/-	2700/-	3600/-	2700/-
9.	15	,, गजानन्द/मदनलाल ब्रा.	सिरोही	8000/-	2500/-	—	—
10.	818	,, किशनलाल सुखलाल रेगर	सिरोही	8000/-	2500/-	3200/-	—
11.	762	,, डालचन्द/सुखदेव	सिरोही	8000/-	3000/-	4000/-	3000/-
12.	834	,, नथूलाल/गंगाराम जाट	सिरोही	10000/-	3000/-	4000/-	3000/-
13.	847	,, श्योनारायण/सुखदेव जाट	अभयपुरा	11500/-	3450/-	4600/-	3450/-
14.	822	,, लक्ष्मीनारायण/मंगला	भगवतपुरा	9000/-	2700/-	3600/-	2700/-
15.	22	,, घनश्याम/रामस्वरूप ब्रा	अरनिया	6500/-	2500/-	2600/-	1400/-
16.	21	,, गंगासहाय/रामस्वरूप ब्रा.	अरनिया	7500/-	2500/-	3000/-	—
17.	24	,, घनश्याम/रामेश्वर ब्रा.	अलियाबाद	6600/-	2500/-	2640/-	—
18	20	,, प्रहलाद/रूघा बैरवा	भावंती	8000/-	2500/-	3200/-	—

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	843	,, भागीरथा/देवा बैरवा	भावंती	11000/-	3300/-	4400/-	—
20.	31	,, गंगाराम/घासी कोली	निवाई	9000-/	2700/-	3600/-	—
21.	14	श्री सूरज/कजोड़ ब्रा.	हरभगतपुरा	7000/-	2500/-	—	—
22.	28	,, छोटू/कल्याण मीना	सीदड़ा	7800/-	2500/-	3120/-	—
23.	853	,, कल्याण/सुखा मीना	सीदडा	12000/-	3600/-	—	—
24.	8	,, ग्यारसा/जगन्नाथ मीणा	सीदड़ा	10000/-	3000/-	—	—
25.	485 80	,, घासी/रामनाथ गूजर	भावंता	8000/-	2500/-	3200/-	2300/-
26.	854/75	,, सुवा/रामा रेगर	बस्सी	10000/-	3000/-	4000/-	—
27.	32	,, नोल्या/ग्यारसा रेगर	बस्सी	11000/-	3300/-	4400/-	—
28.	2	,, रामदेवा घन्ना रेगर	बस्सी	10000/-	3000/-	4000/-	—
29.	846	,, पून्या/रंगा मीणा	बहड	1000/-	3000/-	4000/-	—
30.	855/76	,, रामदेव/लाखा बैरवा	रेहड	7500/-	2500/-	3000/-	—

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	823	,, कानसिह/संग्रामसिह	मुरटिया	11000/-	3300/-	—	—
32.	780	,, जगन्नाथ/रामपाल बैरवा	जोवली	9000/-	2700/-	—	—
33.	858/1	,, सेहजा/गोपाल मीणा	तकिया	12000/-	3600/-	4800/-	—
34.	82	,, अमरसिह/सांवतसिह	हरनोतिया बुजुर्ग	15000/-	4500/-	—	—
35.	33	,, पून्या/चन्दा मीना	जामडोली	9000/-	2700/-	—	—
36.	86	,, छाजू/जगदीश मीणा	गोरधनपुरा	12000/-	3600/-	—	—
			योग	336900/-	104300/-	90360/-	26810/-

परिशिष्ट (ब)

अनुसूचित जाति को शाखा निवाई द्वारा 1.7.84 30.6.85 तक किये गये ऋण वितरण सूची (नलकुप निर्माण)

क. सं.	एल. ग. नं	नाम ऋणी	ग्राम	स्वीकृत राशि	प्रथम किस्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त
1	2	3	4	5	6	7	
1.	781	श्री दल्ल पुत्र गोविन्दा रेगर	नोहटा	10000/-	3000/-	4000/-	—
2.	10	,, भैंरूलाल पुत्र रामदेवा बैरवा	अणन्तपुरा	9000/-	2700/-	3600/-	2700/-
3.	818	,, किशनलाल पुत्र सुखलाल रेगर	सिरोही	8000/-	2500/-	3200/-	—
4.	838	,, मु. दाखा पत्नी गोपाल कांची	सिरस	9000/-	2700/-	—	—
5.	762	,, डालचन्द पुत्र सुखदेवा रेगर	सिरोही	10000/-	3000/-	4000/-	3000/-
6.	20	,, प्रहलाद पुत्र रूपा बैरवा	भावंती	8000/-	2500/-	2300/-	—
7.	31	,, गंगाराम पुत्र घासी कोली	निवाई	9000/-	2700/-	3600/-	—
8.	854	,, सुखलाल पुत्र रामा रेगर	बस्सी	10000/-	3000/-	4000/-	—

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	32	,, नोल्या पुत्र ग्यारसा रेगर	बस्सी	11000/-	3300/-	4400/-	—
10.	2	,, रामदेव पुत्र घन्ना रेगर	बस्सी	10000/-	3000/-	4000/-	—
11.	855	,, रामदेव पुत्र लखा बैरवा	रेहड	7500/-	2500/-	3000/-	—
12.	780	,, जगन्नाथ पुत्र रामपाल बैरवा	जीवली	9000/-	2700/-	—	—
13.	65	,, भागीरथ पुत्र देवा बैरवा	भावंली	11000/-	3300/-	4400/-	—
			योग	12500/-	36900/-	40500/-	5700/-

परिशिष्ट—23

अतः प्रश्न सं. 660 की सूची

सूची जिन कर्मचारियों के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं

1	2	3
1.	श्री ओमप्रकाश	जमादार
2.	श्री केसरीलाल	स. कर्मचारी
3.	श्री नवलकिशोर	नाका गार्ड
4.	श्री छोटालाल तम्बोली	नाका गार्ड
5.	श्री मदन/बुदु	स. कर्मचारी
6.	श्री गोपीलाल	स. कर्मचारी
7.	श्री किरोड़ीमल शर्मा	केशियर
8.	श्री प्रभुभाल	स. कर्मचारी
9.	श्री पुष्प चन्द	स. कर्मचारी

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 243 की सूची

पंचायत समिति सांचोर के पशु पेयजल टांका के निर्माण हेतु जारी की गई निम्नांकित स्वीकृतियां।

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	सेसावा	दूढ़वा	30000/-	पूर्ण
2.	जोधावास	जोधावास	66373/-	,,
3.	खेजडियाली	खेजडीयाली	50000/-	अपूर्ण
4. 5.	बावरला ढाणी (भावी ढाणी)	बावरला	35500/-	,,
5.	धमाणा	धमाणा	35500/-	,,

1	2	3	4	5
6.	खामराई	डूंगरी	35500/-	अपूर्ण
7.	रिडका	खेजिड़ियाली	35500/-	,,
8.	रायपुर	सूराचन्द	35500/-	,,
		योग	289373/-	

परिशिष्ट ब

जालौर जिले की साचौर में निम्नांकित गांवों में जहां पीने का
पानी नहीं है या खारा है इन गांवों की सूची

. खेजडियाली
2. भवातड़ा
3. भीमगुडा
4. डूंगरी
5. आरवा
6. जालंधरी
7. सरवाना
8. सूथडी
9. सूराचंद
10. सांकरिया
11. पावटा
12. रिड़का
13. आकोड़िया
14. मण्डाली
15. जोरादर
16. वरणवा
17. धोणपुरा
18. निम्बज
19. खास रवी
20. होतीगांव
21. खरतोड़ा
22. मरदवा
23. रामपुरा
24. मेलावास
25. रणोदर

26. चारणोज
27. पल दर
28. मेलावास
29. नलधरा
30. भाटको
31. वालेरा
32. धमाणा
33. कारोला